वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

50
वर्ष
1969-2019

गौरवमयी अतीत, उज्ज्वल भविष्य

मिशन/विजन एवं उद्देश्य

मिशन/विजन

(i) ग्रामीण एवं शहरी आबादी के जीवन स्तर को उन्नत एवं बेहतर बनाने तथा विकास की गति को तेज करने के लिए बिजली की उपलब्धता को सुगम बनाना।

(ii) देश में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण और विद्युत वितरण नेटवर्क सहित परियोजनाओं के वित्तपोषण एवं प्रोत्साहन के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक, ग्राहक-अनुकूल और विकासपरक संगठन के रूप में कार्य करना।

उद्देश्य

मिशन के प्रोत्साहन में, कारपोरेशन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रमुख उद्देश्य हैं:

1. समन्वित तंत्र सुधार, विद्युत उत्पादन, विकेंद्रित एवं ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों के प्रोत्साहन, ऊर्जा संरक्षण, उन्नयन एवं अनुरक्षण, पंपसेट ऊर्जायन पर जोर के साथ विद्युत वितरण पर केंद्रित परियोजनाओं का प्रोत्साहन एवं इनका वित्तपोषण तथा भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का क्रियान्वयन।
2. दुर्गम, पर्वतीय, रेगिस्तानी, जन-जातीय, तटवर्ती और अन्य असुगम/सुदूरवर्ती क्षेत्रों सहित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की बेहतर व्यवस्था के लिए विकेंद्रित विद्युत उत्पादन से संबंधित परियोजनाओं का वित्तपोषण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग, परामर्शी सेवाएं, पारेषण, उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली, नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं अनुरक्षण जैसे अन्य क्षेत्रों और गतिविधियों का विस्तार करना और इनमें विविधता लाना।
3. घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों सहित विभिन्न स्रोतों से धन जुटाना और राज्य विद्युत बोर्डों, विद्युत यूटिलिटियों, राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और निजी विद्युत विकासकर्ताओं के लिए ऋण स्वीकृत करना।
4. निगमित लक्ष्यों को पूरा करते हुए निगम के प्रचालनों के लिए आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिफल की अधिकाधिक दर की प्राप्ति अर्थात (i) विद्युत संबंधी मूलभूत सुविधाओं का विकास; (ii) बिजली के लोड का विकास; (iii) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का तीव्र गति से सामाजिक-आर्थिक विकास; और (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन।
5. प्रचालनों में निरंतर सुधार तथा अपेक्षित सेवाएं उपलब्ध कराते हुए संगठन और कारोबार के साझेदारों में आपसी विश्वास एवं भरोसे के जरिए ग्राहकों की संतुष्टि और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करना।
6. आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाएं बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों तथा अन्य ऋण लेने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन, परामर्श सेवाएं एवं प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता करना।

विषय-सूची

1.	कंपनी के बारे में सूचना	2
2.	निदेशक मण्डल	3
3.	कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख तथ्य	4
4.	अध्यक्ष का संदेश	6
5.	सूचना	13
6.	निदेशकों का परिचय	22
7.	निदेशक मण्डल की रिपोर्ट	25
8.	प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	65
9.	निगमित सुशासन पर रिपोर्ट	78
10.	निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र	110
11.	कारोबार दायित्व रिपोर्ट	111
12.	सचिवालयीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	130
13.	सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	133
14.	वार्षिक प्रतिलाभ का सार	145
15.	ठेकों के विवरण अथवा संबद्ध पार्टियों के साथ व्यवस्थाएं	156
16.	डिबेंचर न्यासियों के विवरण	157
17.	तुलन-पत्र	162
18.	लाभ एवं हानि का विवरण	163
19.	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	164
20.	नकदी प्रवाह विवरण	165
21.	लेखा संबंधी टिप्पणियां	168
22.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	293
23.	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	306
24.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	307
25.	समेकित वित्तीय विवरण	308
26.	समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	462
27.	समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	473
28.	प्रबंधन दल	474
29.	आरईसी के कार्यालयों के पते	477

कंपनी के बारे में सूचना

निदेशक मण्डल

श्री अजीत कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) तथा निदेशक (वित्त)

श्रीमती आशा स्वरूप
अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

डॉ. भागवत किशनराव कराड
अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

श्री संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार
अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

श्री प्रवीण कुमार सिंह
नामिती निदेशक
(पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड)

डॉ. अरूण कुमार वर्मा
सरकार द्वारा नामित निदेशक

प्रोफेसर टी.टी. राम मोहन
अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

मुख्य सतर्कता अधिकारी
डॉ. सुनीता सिंह

कंपनी सचिव
श्री जे.एस. अमिताभ

पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय
कोर - 4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत
दूरभाष: 011-24365161, फैक्स: 011-24360644
ई-मेल: complianceofficer@recl.in वेबसाईट: www.recindia.com
सीआईएन: L40101DL1969GOI005095

जहां शेयर सूचीबद्ध हैं
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
बीएसई लिमिटेड

डिपॉजिटरी
नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

सांविधिक लेखापरीक्षक
जी. एस. माथुर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार
ए. आर. एंड कंपनी, सनदी लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक
चन्द्रशेखरन एसोशिएट्स,
कंपनी सचिव

होल्डिंग कंपनी
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)

आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)

आरईसीटीपीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां
दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड
रामपुर संभल ट्रांस्को लिमिटेड
जम खम्भालिया ट्रांस्को लिमिटेड
लाकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड
भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड
अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड
खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड
डब्ल्यूआरएसएस XXI (ए) ट्रांस्को लिमिटेड

बैंकर्स
एक्सिस बैंक
कारपोरेशन बैंक
देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा)
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
आईडीबीआई बैंक
इंडसइंड बैंक
यस बैंक
भारतीय रिजर्व बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
विजया बैंक

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (इक्विटी एवं ऋण प्रतिभूतियों के लिए)
कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड)
कार्वी सिलेनियम टावर - बी, प्लाट 31-32, गाचीबोली वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032, भारत,
टोल फ्री नंबर: 1800-345-4001
दूरभाष: 040-67162222 । फैक्स: 040-23001153
ई-मेल: einward.ris@karvy.com । वेबसाईट: www.karvyfintech.com

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (ऋण प्रतिभूतियों के लिए)
बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड,
बीटल हाऊस, तृतीय तल, 99 मदनगीर,
स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के निकट, नई दिल्ली- 110062
दूरभाष: 011-29961281-83 | फैक्स: 011-29961284
ई-मेल: recbonds@gmail.com; beetel@beetelfinancial.com;

निदेशक मण्डल

श्री अजीत कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) तथा निदेशक (वित्त)

श्री संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)

डॉ. अरुण कुमार वर्मा
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्रीमती आशा स्वरूप
अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार
अंशकालिक गैर सरकारी
स्वतंत्र निदेशक

प्रोफेसर टी. टी. राम मोहन
अंशकालिक गैर सरकारी
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. भागवत किशनराव कराड
अंशकालिक गैर सरकारी
स्वतंत्र निदेशक

श्री प्रवीण कुमार सिंह
नामित निदेशक
(पीएफसी)

कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख तथ्य

पिछले 10 वर्षों से निरंतर संवृद्धि

विवरण	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
शेयरधारकों की निधि										
(वर्ष के अंत में) (₹ करोड़ में)										
इक्विटी शेयर पूंजी	**1974.92**	1974.92	1974.92	987.46	987.46	987.46	987.46	987.46	987.46	987.46
अन्य इक्विटी / आरक्षित एवं अधिशेष	**32328.02**	30328.23	31350.67	27630.30	23869.57	19682.00	16466.92	13575.58	11801.16	10092.88
निवल संपत्ति	**34302.94**	32303.15	33325.59	28617.76	24857.03	20669.46	17454.38	14563.04	12788.62	11080.34
उधारियां (₹ करोड़ में)										
भारत सरकार से	**5000.00**	-	-	-	3.07	7.93	15.14	24.64	36.13	49.42
बॉण्ड/डिबेंचर	**171803.83**	165334.89	145686.84	139732.73	124683.85	102806.71	85249.04	71372.20	51208.53	40857.14
वित्तीय संस्थाओं से	**1200**	400	750	1100	1450	2995	4020	4370	4720	4070
विदेशी मुद्रा उधारियां	**31368.12**	27530.08	21080.55	21923.72	24028.20	17621.15	15238.19	10698.09	7605.90	2076.37
बैंकों से आवधिक ऋण	**18550.00**	-	-	-	125.00	269.40	788.80	1091.54	6469.14	5811.43
वाणिज्यिक पेपर	**7975.00**	3250.00	-	5600.00	-	2540.00	980.00	-	-	2450.00
अल्पावधि/मांग ऋण/अन्य	**3389.50**	2276.54	-	749.93	734.00	-	1500.00	2500.00	-	630.00
जोड़	**239286.45**	198791.51	167517.39	169106.38	151024.12	126240.19	107791.17	90056.47	70039.70	55944.36
निधि जुटाना	**69383.22**	51164.89	28495.18	31254.92	41189.82	36934.37	30759.16	29709.36	25855.35	24028.24
वित्तीय प्रचालन (वर्ष के दौरान) (₹ करोड़ में)										
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	**914**	895	997	625	609	1035	1031	1091	658	492
स्वीकृत वित्तीय सहायता	**115957.35**	107534.05	83870.82	65471.10	61421.37	70739.48	79470.49	51296.77	66419.98	45357.36
संवितरण	**91827.56**	72281.19	66076.15	50630.81	46446.82	37969.99	40183.06	30593.30	28517.11	27127.14
उधारकर्ताओं द्वारा वापसी	**30405.09**	24191.82	57388.24	24394.48	11812.63	14260.45	13345.92	8119.69	8772.58	5806.54
वर्ष के अंत में बकाया	**281209.68**	239449.34	201928.68	201278.29	179646.94	148641.10	127355.52	101426.26	81725.45	65978.75
उपलब्धियां (संख्या में)										
अ-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण										
वर्ष के दौरान	**1515**	3736	6015	7108	1405	1197	2587	7934	18306	18374
वर्ष के अंत तक	**127410**	125895	122159	116144	109524	108280	107083	104496	96562	78256
बीपीएल आवासों और बीपीएल से भिन्न को बिजली के नि:शुल्क कनेक्शन जारी करना										
वर्ष के दौरान	**22239037**	5041996	2242763	1439144	759377	961730	1296541	3444902	5883355	4718468
वर्ष के अंत तक	**52749233**	30510196	25468200	23225437	21833995	21683554	20721824	19425283	15980381	10097026
कार्यकरण परिणाम (₹ करोड़ में)										
कुल आय	**25341.16**	22467.35	23770.58	23756.28	20388.05	17120.80	13598.67	10509.07	8495.26	6707.60
निवल विनिमय हानि, प्रशुल्क एवं कमीशन खर्चों सहित वित्तीय लागत	**16197.11**	13381.06	13450.35	14283.12	11844.61	10038.46	8083.76	6431.35	4851.01	3912.85
प्रावधान और आकस्मिकताएं/वित्तीय लिखतों पर इम्पेयरमेंट	**240.33**	2297.12	1109.47	1089.85	802.96	312.02	130.68	52.27	0.22	0.22
उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि	**348.52**	573.37	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यय	**447.53**	326.00	345.02	332.65	306.68	234.99	216.53	229.32	164.72	145.27
मूल्यहास	**7.17**	5.65	5.04	5.45	6.76	4.21	3.75	3.27	3.03	2.15
कर-पूर्व लाभ	**8100.50**	5884.15	8860.70	8045.21	7427.04	6531.12	5163.95	3792.86	3476.28	2647.11
कराधान/कर संबंधी खर्चों हेतु प्रावधान	**2336.78**	1464.26	2614.94	2417.55	2167.17	1847.42	1346.33	975.83	906.35	645.69
कर-पश्चात लाभ	**5763.72**	4419.89	6245.76	5627.66	5259.87	4683.70	3817.62	2817.03	2569.93	2001.42
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय	**(60.54)**	4.24	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय	**5703.18**	4424.13	-	-	-	-	-	-	-	-
इक्विटी पर लाभांश	**2172.41**	1807.05	1905.80	1688.55	1056.58	938.09	814.65	740.59	740.59	603.21

वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के वित्तीय आंकड़े इंड-एएस के अनुरूप तैयार किए गए हैं और पूर्व के वर्षों के आंकड़े आईजीएएपी के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

कार्यनिष्पादन संवृद्धि

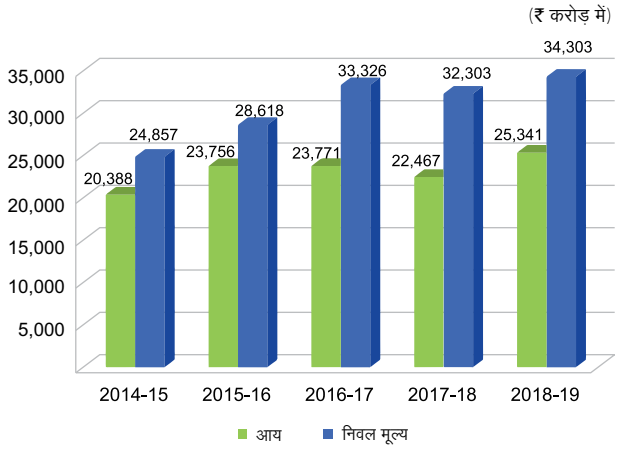

कर पश्चात लाभ

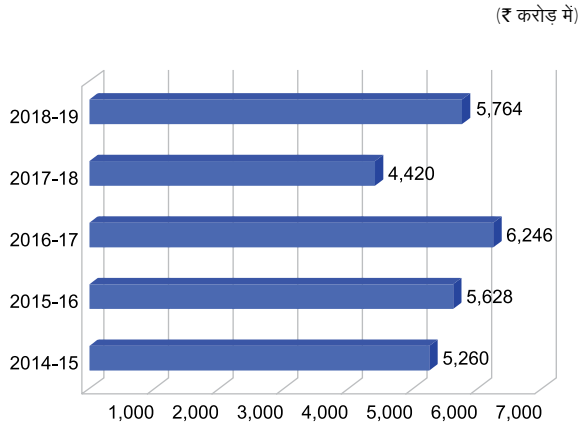

संस्वीकृति एवं संवितरण में वृद्धि

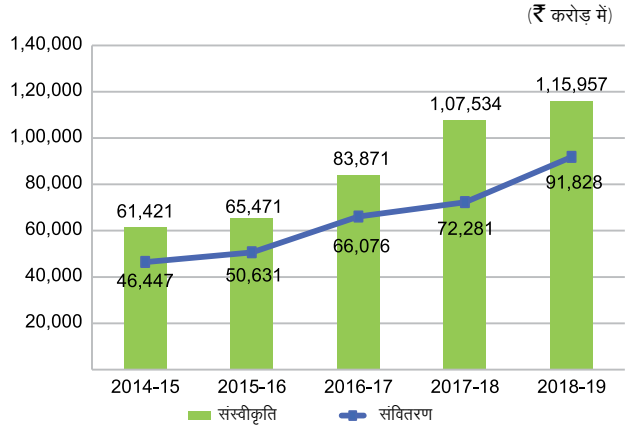

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान क्षेत्र-वार संवितरण

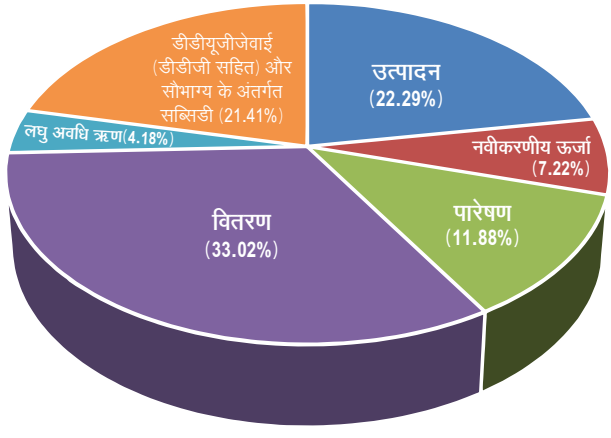

ईपीएस बनाम लाभांश

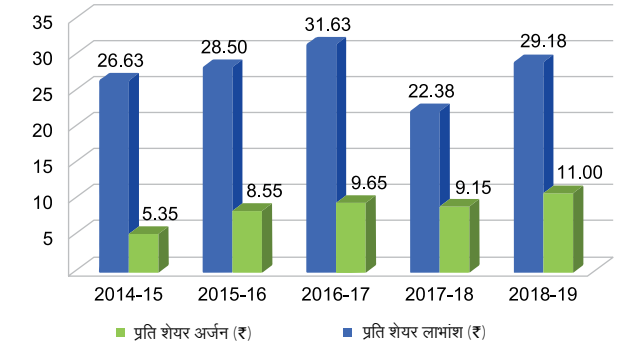

प्रति शेयर बुक वैल्यू (₹)

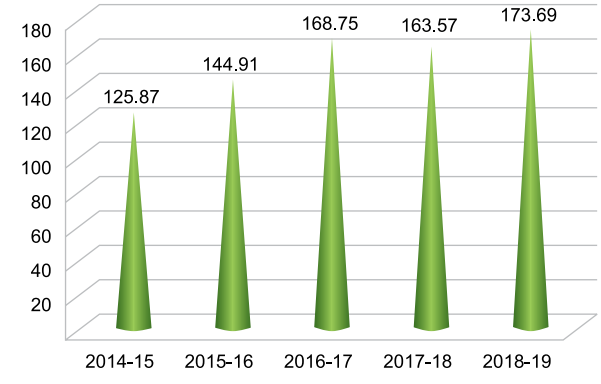

वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के वित्तीय आंकड़े इंड-एएस के अनुरूप तैयार किए गए हैं और पूर्व के वर्षों के आंकड़े आईजीएएपी के अनुरूप तैयार किए गए हैं।
पिछले वर्षों के लिए ईपीएस, लाभांश और बुक वैल्यू के आंकड़ों को, आरईसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के अनुरूप समायोजित किया गया है।

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

आरईसी की स्वर्ण जयंती वर्ष के महत्त्वपूर्ण अवसर पर कंपनी की 50वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। सत्तर के शुरुआती दशक में हरित क्रांति में सहयोग देने हेतु कृषि पंपसेटों के ऊर्जायन के लिए 1969 में स्थापित होने बाद से लेकर अब तक आरईसी ने देश के सभी गांवों और लाखों घरों के विद्युतीकरण द्वारा राष्ट्र की सेवा का एक लंबा सफर तय किया है।हमारी कंपनी एक उत्कृष्ट वित्तीय संस्थान है जो भारत में विद्युत क्षेत्र की संपूर्ण वैल्यू चेन में सभी जरूरी क्षेत्रों के लिए वित्तपोषण का काम करती है।आरईसी ने अपनी स्थापना का 50वां वर्ष पूरा किया है और इसके स्वर्ण जयंती वर्ष के लोगो पर अंकित पंक्तियाँ ***''गौरवमयी अतीत, उज्ज्वल भविष्य''*** इसकी अब तक की यात्रा और आगे की यात्रा की मूल भावना को ही अभिव्यक्त करती हैं।

पिछले पांच दशकों में, आरईसी ने पूरे भारत में विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण करने में महत्त्वपूर्ण पहचान बनाई है, और देश के विद्युत क्षेत्र में प्रमुख कारोबारी कंपनी के रूप में विकसित हुआ है। आरईसी वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण करने पर जोर दे रहा है; और साथ ही विद्युत मंत्रालय के दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना और सबसे अधिक उल्लेखनीय प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना अथवा सौभाग्य जैसे विभिन्न अग्रणी कार्यक्रमों में भी सहायता कर रहा है जिससे पहली बार देश के लाखों घरों में बिजली आई है। मुझे पूरा भरोसा है कि आरईसी को आने वाले वर्षों में भारत को ऊर्जा की अधिकता और दक्षता दोनों रूपों में व्यापक रूप से आगे ले जाने वाले संगठन के रूप में देखा जाएगा।

कारोबार संबंधी परिवेश

वैश्विक अर्थव्यवस्था निरंतर व्यापक होती जा रही है, परंतु अमेरिका-चीन के व्यापारिक तनाव में वृद्धि, जर्मनी में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में योगदानों, चीन में सख्त ऋण नीतियों, कमजोर हो रही वित्तीय बाजार भावना और व्यापार नीति की अनिश्चितता तथा व्यापक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के कारण 2018 के उत्तरार्द्ध में यह विस्तार काफी कमजोर हुआ है। जो वैश्विक अर्थव्यवस्था एक वर्ष पूर्व 2019 में 3.9 % की वृद्धि के लिए अनुमानित थी, वह अब वर्तमान वर्ष में 3.3 % की अनुमानित है।

कच्चे तेल की कीमतें भी पिछले अगस्त से अस्थिर रही हैं जो भारतीय तेल निर्यातों के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति और हाल ही में वैश्विक मांग को कमजोर करने की दर सहित आपूर्ति के प्रभाव को दर्शा रही हैं। धातुओं और कृषि संबंधी वस्तुओं की कीमतें चीन से अचानक मांग के कारण आंशिक रूप से अगस्त, 2018 से थोड़ी ठीक हुई हैं। उपभोक्ता कीमत मुद्रास्फीति उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में हाल के महीनों में सामान्यतः स्थिर रही हैं, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में थोड़ी-सी बढ़ी हैं जहां प्रवृत्ति से ऊपर की वृद्धि जारी है।

वैश्विक आर्थिक स्थितियों के पीछे भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था पांच वर्ष पूर्व 11वें स्थान से बढ़कर विश्व में सबसे बड़े देशों में छठे स्थान पर है। विद्युत समानता की खरीद के संबंध में भारत पहले ही चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ, विश्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की वृद्धि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए क्रमशः 7.3 % , 7.5 % और 7.0 % होने का पूर्वानुमान लगाया है। इसके अतिरिक्त, ब्लूमबर्ग ने राजकोषीय वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी के लिए 7.6 % के विस्तार का पूर्वानुमान लगाया है। वस्तुतः आर्थिक परिदृश्य और विभिन्न क्षेत्रों में निवेशों में सुधार से भारत के वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आशा है।

वैश्विक विद्युत क्षेत्र परिदृश्य में भी कोयला, न्यूक्लियर और जल विद्युत का स्थान लेने वाली ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में नवीकरणीय के लाभप्रद हिस्से से महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। आशा है कि 2040 तक नवीकरणीय साधनों का हिस्सा वैश्विक ऊर्जा मिश्र में कोयले के हिस्से को पार कर जाएगा। इससे विश्व की जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता निरंतर कम होगी। इसके अतिरिक्त, इलैक्ट्रिक वाहनों का बाजार हिस्सा भी तेजी से बढ़ रहा है। भारत में निकट भविष्य में ई-वाहनों का विनिर्माता हब बनने की क्षमता है जिससे रोजगार सृजन होगा और वृद्धि के अवसर होंगे।

विद्युत क्षेत्र का वर्तमान परिदृश्य

भारत विश्व में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत विश्व में तेजी से बढ़ता हुआ ऊर्जा बाजार भी है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, देश की संस्थापित उत्पादन क्षमता 356 गीगावाट थी। ऊर्जा क्षेत्र में देश का निवेश 2018 में 12 % की दर पर बढ़ा जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार किसी अन्य देश की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 900 गीगावाट पर भी अतिरिक्त है जिसमें 750 गीगावाट सौर विद्युत, 102 गीगावाट पवन विद्युत, 20 गीगावाट लघु जल विद्युत और 25 गीगावाट जैव ऊर्जा शामिल है। भारत सरकार ने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के 175 गीगावाट के लक्ष्य और 2030 तक पूरी तरह से ई-वाहनों में परिवर्तन की योजनाओं सहित विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है।

भारत का विद्युत क्षेत्र पारंपरिक ऊर्जा श्रेणी में कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल, जल एवं न्यूक्लियर विद्युत से लेकर अर्थक्षम गैर-पारंपरिक श्रेणी में पवन, सौर, लघु जल विद्युत, कृषि एवं घरेलू अपशिष्ट में विद्युत स्रोतों से विश्व में एक सबसे अधिक विविधीकृत क्षेत्र है। देश के उत्पाद मिश्र में नवीकरणीय स्रोतों का बढ़ा हुआ अंतर्वेधन हो रहा है। इसके अतिरिक्त, संधारित आर्थिक वृद्धि और 'सभी के लिए विद्युत' प्राप्त करने पर सरकार के जोर भी देश में विद्युत की मांग बना रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था बनने के देश के जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हुए विद्युत क्षेत्र के नीतिगत कार्यढांचे में विद्युत अधिनियम में प्रारूप संशोधन जारी करना, विभिन्न उपभोक्ता केंद्रित पहलें शुरू करना, ऋणभारित डिस्कॉमों का आमूल-चूल परिवर्तन करने के प्रयास और पारंपरिक विद्युत संयंत्रों की प्रचालनात्मक लागतों को कम करना जैसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। सरकार की विद्युत क्षेत्र के लिए प्रमुख पहलों में 2019 के लिए 'सभी के लिए 24x7 विद्युत', डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य, उदय, आईपीडीएस, बंदी प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन, 11 केवी ग्रामीण फीडर प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल का विकास और इस क्षेत्र में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए कुछ कदम जैसे प्रयास शामिल हैं।

सरकार द्वारा हाल के समय का एक प्रमुख कार्य सार्वभौमिक घरों का विद्युतीकरण कार्यक्रम रहा है। अप्रैल, 2018 में सरकार ने देश में सभी आवासित जनगणना वाले गांवों का 100 % विद्युतीकरण हासिल किया। इसके बाद, छत्तीसगढ़, जहां अब तक 99 % से अधिक घरों का विद्युतीकरण हासिल कर लिया गया है, को छोड़कर 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार देश के सभी राज्यों में सभी इच्छुक घरों का 100 % तक विद्युतीकरण किया गया। सरकार का दूसरा प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र ऊर्जा दक्षता है। भारत शीघ्र ही अपनी प्रकाश आवश्यकताओं के लिए एलईडी का प्रयोग करने हेतु विश्व का पहला देश बन सकता है जिससे वार्षिक आधार पर ₹40,000 करोड़ की बचत होगी।

यद्यपि, वर्तमान व्यापारिक परिवेश विद्युत क्षेत्र के लिए उज्ज्वल भविष्य का आश्वासन देता है। तथापि, बढ़ते हुए एनपीए, विद्यमान निष्पादन मानदंड, कुछ डिस्कॉमों की कमजोर वित्तीय स्थिति, सीमित ईंधन उपलब्धता, बाजार में नए व्यापारियों का प्रवेश, बैंकों और बहुपक्षीय एजेंसियों से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा, रुपए में यथा सुधार तथा अगले पांच वर्षों में पारंपरिक उत्पादन क्षमता की कोई वृद्धि न होने की संभावना जैसे क्षैतिज के संबंध में जोखिम तथा चिंताएं भी हैं। सामान्य आर्थिक स्थितियों का भी विद्युत परियोजनाओं की अर्थक्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है जिससे लेनदारों की उनके ऋणों को चुकाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। सरकार द्वारा इन जोखिमों का समाधान विभिन्न नीतिगत परिवर्तनों के माध्यम से किया जा रहा है। आरईसी भी उस व्यापारिक परिवेश, जिसमें वह परिचालित होता है, से संबद्ध उन जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने, मूल्यांकन करने और उन्हें कम करने के अपने सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है। यह कंपनी संधारणीय वृद्धि, लाभप्रदता और सभी शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित हासिल करने के लिए कम लागत पर संसाधन जुटाने और सर्वोत्तम आय देने वाले अवसरों में उनका नियोजन करना सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध है।

सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम

आरईसी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों से संबद्ध होने के लिए गौरवान्वित है जो देश की आर्थिक स्थितियों के सुधार और विद्युत क्षेत्र के विकास के प्रति अत्यधिक योगदान कर रहे हैं।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2015 को स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में घोषणा की थी कि शेष 18,452 गैर-विद्युतीकृत (यूई) गांवों का विद्युतीकरण 1000 दिन के भीतर कर दिया जाएगा। विद्युत मंत्रालय ने प्राथमिकता के आधार पर सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण का कार्य तेजी से शुरू किया और विद्युतीकरण कार्य के समन्वय एवं मॉनीटरिंग का कार्य आरईसी को सौंपा। इस पहल में सहायता के लिए आरईसी ने एक गहन मॉनीटरिंग प्रणाली तैयार की थी जिसके तहत पूरी ग्रामीण विद्युतीकरण प्रक्रिया को 12 लक्ष्यों में विभाजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, आरईसी ने गांवों के विद्युतीकरण कार्यों की पारदर्शिता और जिम्मेदार मॉनीटरिंग के लिए एक ऑनलाइन वेब पोर्टल अर्थात 'गर्व ऐप' विकसित किया था। सौंपे गए कार्य को सफलतापूर्वक और तेजी से पूरा करने के लिए कंपनी ने ब्लॉक/जिला स्तर पर युवा विद्युत इंजीनियर अर्थात ''ग्राम विद्युत अभियंता'' (जीवीए) भी नियुक्त किए थे। बारीकी से समन्वित और केंद्रित प्रयासों से 28 अप्रैल, 2018 के ऐतिहासिक दिन को देश के सभी आवासित जनगणना गांवों में 100 % विद्युतीकरण हासिल किया गया था।

गांवों के विद्युतीकरण के बाद, घरों का विद्युतीकरण सरकार का प्रमुख केंद्रित क्षेत्र बन गया। आरईसी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों को और शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को नि:शुल्क बिजली कनेक्शन देकर ग्रामीण और शहरी क्षत्रों में सभी घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी तथा बिजली के कनेक्शन प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकार द्वारा शुरू की गई सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना अर्थात 'सौभाग्य' स्कीम के लिए प्रमुख एजेंसी है। नोडल एजेंसी के रूप में, आरईसी कार्यक्रम को समय से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए योजना, सुविधा, समन्वय, क्षमता विकास, मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग आदि में विद्युत मंत्रालय, राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों की सहायता कर रहा है। आरईसी ने घरों के विद्युतीकरण के कार्यों की प्रगति के संबंध में वास्तविक समय सूचना के प्रसारण के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल (सौभाग्य) विकसित किया है। कंपनी ने उन क्षेत्रों में ग्राम विद्युत अभियंता भी तैनात किए हैं जहां प्रमुख गैर-विद्युतीकृत घर हैं।

इसके अतिरिक्त, आरईसी वित्तीय वर्ष 2014-15 में शुरू की गई भारत सरकार की एक अग्रणी योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अर्थात डीडीयूजीजेवाई के लिए नोडल एजेंसी है जिसमें परिभाषित परियोजना घटकों के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' हासिल करने के प्रति सुविधा प्रदान करते हुए ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलू शामिल हैं। आरईसी देश में विद्युत डिस्कॉमों के वित्तीय आमूल-चूल परिवर्तन एवं पुनरुद्धार के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में शुरू की गई उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना अर्थात उदय के कार्यान्वयन के लिए भी विद्युत मंत्रालय का सहयोग कर रहा है। आरईसी ने डिस्कॉमों के निष्पादन की मॉनीटरिंग करने के लिए एक अत्याधुनिक वेब पोर्टल और एक ऑनलाइन ऐप विकसित किया है जिसके परिणामस्वरूप पारदर्शिता और जिम्मेदारी आई है। इसके अतिरिक्त, आरईसी प्रत्येक राज्य/डिस्कॉम के साथ विभिन्न समीक्षा बैठकों आदि का समन्वय करता रहा है। उदय के कार्यान्वयन से देश के डिस्कॉमों के लिए महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम आने शुरू हुए हैं।

प्रचालनात्मक निष्पादन

आरईसी विद्युत उत्पादन (पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा, पारेषण एवं वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रणाली सुधार, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, दोनों में, विद्युत संयंत्रों के नवीनीकरण और आधुनिकीरण की परियोजनाओं और योजनाओं के वित्तपोषण में लगा हुआ है। आरईसी के प्रमुख उत्पादों में सम्पूर्ण विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला के लिए दीर्घावधि ऋण, मध्यावधि ऋण, अल्पकालिक ऋण आदि शामिल हैं। आरईसी प्रमुख एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है अथवा डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य, उदय आदि जैसी विद्युत क्षेत्र की विभिन्न अग्रणी सरकारी योजनाओं में विद्युत मंत्रालय को सहायता देती है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने विभिन्न विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए कुल ₹ 115,957.35 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत की जो पिछले वर्ष से 7.83 % अधिक थी। उसमें पारंपरिक उत्पादन परियोजनाओं के निमित्त ₹ 41,431.87 करोड़, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के निमित्त ₹ 11,875.20 करोड़, टीएंडडी परियोजनाओं के निमित्त ₹ 50,610.28 करोड़ और अल्पकालिक ऋणों तथा अन्य ऋणों के निमित्त ₹ 12,040 करोड़ शामिल हैं। यह उल्लेख करना व्यावहारिक है कि नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी के तहत आरईसी की स्वीकृतियां पूर्व वर्ष की अपेक्षा 69 % अधिक थीं। वर्ष के दौरान कुल 36 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं जिनमें 12 सौर फोटोवोल्टेक परियोजनाएं, 13 पवन ऊर्जा परियोजनाएं, 2 लघु जल विद्युत परियोजनाएं, 1 सोलर पम्प सेट परियोजना जिसमें 6,583 पम्प सेट थे, 1 सोलर पीवी रूप टॉप परियोजना, 1 इलेक्ट्रिक वाहन परियोजना और राज्य डिस्कॉमों को उनके नवीकरणीय क्रय दायित्वों को पूरा करने के लिए 6 ऋण शामिल थे।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹ 72,165.43 करोड़ संवितरित किए जो पूर्व वर्ष की अपेक्षा 16.94 % अधिक थे। इसमें पारंपरिक उत्पादन परियोजनाओं के निमित्त ₹ 19,581.64 करोड़, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के निमित्त ₹ 6,627.76 करोड़, टीएंडडी परियोजनाओं के निमित्त ₹ 31,364.41 करोड़, अल्पकालिक ऋणों तथा अन्य ऋणों के निमित्त ₹ 8,870 करोड़ और विभिन्न डीडीयूजीजेवाई स्कीमों जिनमें विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) शामिल है, के ऋण घटक के निमित्त ₹ 5,721.62 करोड़ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और डीडीजी स्कीमों के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 19,662.13 करोड़ का अनुदान/सब्सिडी जारी की गई थी।

वित्तीय निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, आरईसी की कुल प्रचालनात्मक आय ₹ 25,309.72 करोड़ थी जो पूर्व वर्ष की अपेक्षा 12.71 % अधिक थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ तथा कुल व्यापक आय क्रमश: ₹ 5,763.72 करोड़ और ₹ 5,703.18 करोड़ थी जो पूर्व वर्ष की तुलना में 30.40 % और 28.91 % की वृद्धि दर्ज करती हैं।

आरईसी का सकल ऋण परिसंपत्ति बुक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, ₹ 2,81,209.68 करोड़ रहा और उसका बकाया उधार उपर्युक्त तारीख को ही ₹ 2,39,286.45 करोड़ था। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, आरईसी का निवल मूल्य ₹ 34,302.94 करोड़ पर पिछले वर्ष की अपेक्षा 6 % अधिक था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान जुटाई गई निधियों के लिए आरईसी की उधारों की समग्र भारित औसत वार्षिक ब्याज दर 7.96 % थी; और 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, बकाया उधारों के लिए 7.76 % थी। परिणामस्वरूप, आरईसी प्रतिस्पर्द्धी दरों पर वित्तीय सहायता देने में सक्षम था।

आरईसी के घरेलू ऋण दस्तावेजों को 'एएए' रेटिंग प्राप्त है जो क्रिसिल, केयर और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च तथा इक्रा द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग है। इसके अतिरिक्त, आरईसी को मूडीज तथा फिच से क्रमश: 'बीएए3' और ''बीबीबी-'' अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है।

कंपनी की ऋण हानि परिसंपत्तियां (एनपीए-चरण-III) निरंतर निम्न स्तरों पर बनी रहीं। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, सकल ऋण हानि परिसंपत्तियां ₹ 20,349 करोड़ अर्थात सकल ऋण परिसंपत्तियों की 7.24 % थीं; और निवल ऋण हानि परिसंपत्तियां (एनपीए-चरण-III) ₹ 10,650 करोड़ अर्थात निवल ऋण परिसंपत्तियों की 3.79 % थीं। आरईसी अपनी परिसंपत्तियों की गुणवत्ता बनाए रखने और अपने एनपीए न्यूनतम करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है।

लाभांश

आरईसी के निदेशक बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रति ₹10 के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹11 का अंतरिम लाभांश घोषित किया था जिसका भुगतान मार्च, 2019 में किया गया था। बोर्ड ने वर्ष के लिए किसी वित्तीय लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कुल लाभांश ₹ 10 प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 11 आता है जो पिछले वर्ष दिए गए प्रति ₹10 के इक्विटी शेयर पर ₹ 9.15 के कुल लाभांश की तुलना में कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 110 % दर्शाता है जो प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 91.50 % है।

पूंजी संरचना

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी प्रति ₹ 10 के 500,00,00,000 इक्विटी शेयरों से युक्त ₹ 5,000 करोड़ थी और कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी प्रति ₹ 10 के 197,49,18,000 इक्विटी शेयरों से युक्त ₹ 1,974.92 करोड़ थी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के आरंभ में भारत के राष्ट्रपति ने प्रति ₹ 10 के 1,15,16,78,783 इक्विटी शेयरों से युक्त कंपनी में 58.32 % इक्विटी शेयर रखे। वर्ष के दौरान, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के तहत शेयरों की ऑफ मार्केट बिक्री के माध्यम से जून, 2018 में 64,73,244 इक्विटी शेयर (0.33 % इक्विटी दावा) डाइवेस्ट/बेचे जिसके बाद सीपीएसई ईटीएफ म्युच्युअल फंड स्कीम की तीसरे फर्दर फंड ऑफर पेशकश के तहत के तहत दिसंबर, 2018 में 10,14,70,139 इक्विटी शेयरों (5.14 % इक्विटी दावा) की और डाइवेस्ट/बिक्री की; और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड अर्थात भारत 22 ईटीएफ स्कीम की एसेट मैनेजमेंट कंपनी में फरवरी, 2019 में 43,36,057 इक्विटी शेयरों (0.22 % इक्विटी दावा) की और डाइवेस्ट/बिक्री की। परिणामस्वरूप, आरईसी ने भारत के राष्ट्रपति का इक्विटी दावा 21 फरवरी, 2019 की स्थिति के अनुसार घटकर 52.63 % हो गया।

इसके अतिरिक्त, 06 दिसंबर, 2018 को आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमण्डल समिति के ''सिद्धांत रूप में'' अनुमोदन के अनुरूप और बाद में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति और एक सरकारी कंपनी पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) के बीच हुए 20 मार्च, 2019 के शेयर खरीद करार के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने प्रति ₹ 10 के अंकित मूल्य के 1,03,93,99,343 इक्विटी शेयरों से युक्त आरईसी ने 52.63 % का अपना पूरा इक्विटी दावा 28 मार्च, 2019 को पीएफसी को डाइवेस्ट/बेचा।

नाम बदलकर "*आरईसी लिमिटेड*" करना

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी का नाम ''रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड'' से बदलकर ''**आरईसी लिमिटेड**'' कर दिया गया था। यह भारतीय विद्युत क्षेत्र अर्थात उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के सभी क्षेत्रों का वित्तपोषण करने में पूर्व नाम, जिसका अभिप्राय केवल ग्रामीण विद्युतीकरण क्रियाकलापों में कंपनी की मौजूदगी था, के विरुद्ध ''आरईसी''/''आरईसीएल'' के सुविदित नाम के तहत कंपनी की महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्शाने के लिए किया गया था। इस संबंध में, निगमन का नया प्रमाण-पत्र कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा 13 अक्तूबर, 2018 को जारी किया गया था।

नीतिगत पहलें

यह कंपनी अपने निगम उद्देश्यों को पूरा करने और बाजार प्रवृत्तियों तथा सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप रहने के लिए समय-समय पर अपने नीतिगत ढांचे को नियमित रूप से अपनाती अथवा संशोधित करती हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, आरईसी ने उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारंपरिक निजी क्षेत्र के लेनदारों के लिए ब्याज दर में कटौती हेतु नीति; नवीकरणीय ऊर्जा ऋणों के लिए नीति; कंपनी के लिए और निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के परियोजना मूल्यांकन के लिए एकीकृत रेटिंग दिशा-निर्देशों; प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली मार्ग के माध्यम से अवार्ड किए गए निजी क्षेत्र में अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए नीति; सभी श्रेणियों की विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए संवर्धकों के इक्विटी योगदान को लगाने के लिए इक्विटी दस्तावेजों के प्रपत्रों संबंधी नीति; शक्तियों के प्रत्यायोजन के तहत ऋण स्वीकृत करने की सीमाओं में संशोधन; कंपनी की व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति में संशोधन और संबंधित पक्षकार के कार्यों में प्रशासनिक खर्चों के निमित्त संबद्ध पक्षकार (पक्षकारों) को मामूली शुल्क के भुगतान के लिए नीति सहित विभिन्न नीतियां अपनाईं/संशोधित कीं।

बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा और प्रभावी बाजार प्रवृत्तियों के बावजूद, आरईसी अच्छा विस्तार बनाए रखने में सक्षम रहा है जिससे संधारणीय वृद्धि और लाभप्रदता के उद्देश्य हासिल हुए।

मानव संसाधन प्रबंधन

आरईसी का मानव संसाधन निरंतर 50 वर्षों और उससे आगे की इस संगठन की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता जा रहा है। एक ओर कंपनी संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने मानव संसाधनों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और प्रभावी तैनाती पर जोर देती है और दूसरी ओर विभिन्न कल्याणोन्मुख नीतियां अपनाकर अपने सभी कर्मचारियों की खुशहाली के लिए पोषण एवं देखभाल का वातावरण तैयार करने का प्रयास करती है। हम इस संगठन की सफलता के निमित्त अपने समर्पित कार्यबल और उनके सामूहिक योगदान के प्रति गौरवान्वित हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहलें

आरईसी अपने व्यापारिक प्रचालनों के स्वचालन और वृद्धि के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को अत्यधिक महत्व देता है। पिछले वर्ष आरईसी अपने सभी कार्यालयों और सहायक कंपनियों में 'ई-ऑफिस' प्रणाली शुरू कर पेपरलेस बनने के लिए देश में प्रथम सीपीएसई हो गया। कंपनी ने अपने व्यापार ईआरपी का व्यापक उन्नयन भी किया है जिस पर प्रमुख व्यापारिक कार्य संचालित होते हैं। आरईसी सार्वजनिक पटल से ऋण आवेदन पत्र सीधे ही प्रस्तुत करने के लिए अपने लेनदारों को ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा पहले ही प्रदान करता है। समीक्षा बैठकों, प्रबंधन बैठकों, बोर्ड बैठकों, सम्मेलनों, साक्षात्कारों, प्रशिक्षण सत्रों आदि का आयोजन करने के लिए विभिन्न स्थानों पर कंपनी में वीडियो कांफ्रेंसिंग भी व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती है। कंपनी की निगम वेबसाइट और इंट्रानेट पोर्टल का भी वर्ष के दौरान पुनरुद्धार किया गया ताकि उन्हें अधिक प्रयोक्ता अनुकूल, प्रभावी तथा संवादात्मक बनाया जा सके।

सूचना और आंकड़ा सुरक्षा आरईसी के लिए महत्व के प्रमुख क्षेत्र बने हुए हैं। कंपनी ने एनबीएफसी के लिए आईटी कार्यढांचे के प्रधान दिशा-निर्देशों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आईटी सुरक्षा कार्यढांचे का अनुपालन किया है। आरईसी के प्राथमिक आंकड़ा केंद्र और आपदा निवारण केंद्र आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रमाणित हैं और सरकार की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का अनुपालन करती है। आरईसी ने अपने निगम नेटवर्क से बाहर गोपनीय एवं महत्वपूर्ण सूचना प्रकट करने को रोकने के लिए डाटा लीकेज एंड प्रीवेंशन प्रणाली भी कार्यान्वित की है।

आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग

कंपनी का हैदराबाद स्थित आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमएटी) एक प्रशिक्षण संस्थान है जो विद्युत क्षेत्र से संबंधित विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। आरईसी के कर्मचारियों के लिए भीतरी प्रशिक्षण सत्रों के अलावा, भारत और विदेश में इंजीनियरों, प्रबंधकों और विभिन्न संगठनों के अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। प्रशिक्षण के शीर्षक विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के मूल्यांकन आदि से लेकर सामान्य प्रबंधन, वित्त, कर एवं व्यवहार कौशलों तक होते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, आरईसीआईपीएमएटी ने विभिन्न शीर्षकों पर 255 कार्यक्रम आयोजित किए और प्रशिक्षण के लिए 24,821 कार्य दिवसों के साथ 7,397 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया। आरईसीआईपीएमएटी ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित ''ग'' और ''घ'' श्रेणी के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय एवं मॉनीटरिंग भी की।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा संधारणीय विकास

आरईसी की सीएसआर और संधारणीय पहलें स्थानीय संस्थाओं और लोगों के साथ मूल्य का सह सृजन करते हुए समुदाय, सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को हल करने पर प्रमुख जोर के साथ की जाती हैं। कंपनी की सीएसआर निधियां सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी 'आरईसी फाउंडेशन' के माध्यम से सरलीकृत की जाती हैं। आरईसी फाउंडेशन को आरईसी की सीएसआर पहलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कार्मिकों और संसाधनों से हाल ही में सुदृढ़ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल एवं स्वच्छता, कौशल विकास, शिक्षा, पर्यावरणीय संधारणीयता, ग्रामीण विकास और समुदाय विकास के क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के निमित्त ₹ 158.72 करोड़ की कुल राशि स्वीकृत की। सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन आधारभूत सर्वेक्षण, विशिष्ट समय ढांचा, अभिज्ञात लक्ष्यों, आवधिक मॉनीटरिंग और प्रभाव मूल्यांकन के साथ परियोजना पद्धति में किया जाता है। सीएसआर परियोजनाओं के निमित्त संवितरण पूर्व परिभाषित लक्ष्यों और सुपुर्दगियों की उपलब्धि से जोड़ा जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के निमित्त ₹ 103.39 करोड़ की कुल राशि संवितरित की।

कंपनी ने वर्ष के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया जिसमें सभी कार्यालय स्थानों पर कर्मचारियों ने विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अपने कर्मचारियों और आम जनता के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए विभिन्न नुक्कड़ नाटक, संवादात्मक सत्र आयोजित किए।

निगमित सुशासन

आरईसी निगमित सुशासन के उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्ध है। हम अपने सभी दावेदारों के लिए संधारणीय मूल्य सृजन हेतु विद्यमान विनियामक कार्यढांचे के अंतर्गत एक नीतिगत और उत्तरदायी तरीके से व्यापारिक प्रचालन आयोजित करने का प्रयास करते हैं। एक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में आरईसी कंपनी अधिनियम, सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियामवली, लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों और अन्य कानूनों के तहत निर्धारित निगमित सुशासन से संबंधित सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन करता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आरईसी ने लंदन में आयोजित एक समारोह में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित **गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2018 फॉर एक्सीलेंस इन कारपोरेट गवर्नेंस** प्राप्त किया।

समझौता ज्ञापन रेटिंग और पुरस्कार

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी के निष्पादन को ''बहुत अच्छा'' की मान्यता दी गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के दौरान आरईसी ने कई प्रतिष्ठित मंचों पर विभिन्न पुरस्कार एवं मान्यताएं प्राप्त की हैं जिनमें दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल अवार्ड फॉर हाइएस्ट एम्प्लाई एफिशिएंसी एंटरप्राइज, गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2018 फॉर कारपोरेट गवर्नेंस, सीआईएमएसएमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पीएसयू अवार्ड 2018 फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज, अवार्ड फॉर बेस्ट पीएसयू इश्यूअर ऑन इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफार्म ऑफ एनएसई और सर्वोत्तम आवास विद्युतीकरण कार्यक्रम (सौभाग्य) के लिए भारत स्मार्टग्रिड फोरम इनोवेशन अवार्ड 2019 शामिल हैं।

सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम

इस कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां हैं जो **आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) और आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)** हैं जो पारेषण एवं वितरण, बोली प्रक्रिया समन्वय, लेन-देन सलाहकार सेवाओं, परियोजना कार्यान्वयन और परियोजना मॉनीटरिंग आदि के क्षेत्रों में परामर्शी सेवाएं प्रदान करती हैं।

आरईसीटीपीसीएल समय-समय पर विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा दी गई स्वतंत्र अंतर्राज्यीय और अंत:राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए ''बोली प्रक्रिया समन्वयक'' के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक परियोजना के लिए आरईसीटीपीसीएल परियोजना विशिष्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल स्थापित करती है जो बाद में सफल बोलीदाता को सभी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ अंतरित की गई है। आरईसीटीपीसीएल विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में बंदी प्रबंधन प्रणाली, 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग योजना और तरंग अर्थात वास्तविक समय मॉनीटरिंग और वृद्धि के लिए पारेषण ऐप जैसे अन्य कार्यों की भी सार-संभाल करती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, आरईसीटीपीसीएल का कुल राजस्व एवं कर पश्चात लाभ क्रमश: ₹ 40.45 करोड़ और ₹ 24.60 करोड़ था और उसका निवल मूल्य 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 118.44 करोड़ था।

आरईसीपीडीसीएल के प्रमुख व्यापार में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना, तृतीय पक्षकार निरीक्षण, सामग्री निरीक्षण तथा परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं आदि शामिल हैं। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार आरईसीपीडीसीएल ₹ 80,000 करोड़ की अनुमानित कुल परियोजना लागत से देश के 27 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में 46 डिस्कॉमों/विद्युत विभागों/सरकारी समितियों में फैली 96 सतत् परियोजनाओं पर कार्य कर रही थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, आरईसीपीडीसीएल का कुल राजस्व एवं कर पश्चात लाभ क्रमश: ₹ 159.77 करोड़ और ₹ 26.34 करोड़ था और उसका निवल मूल्य 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 155.73 करोड़ था।

आरईसी की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी भी है जो ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में बाजार में सबसे आगे है। ईईएसएल तीन अन्य निजी क्षेत्र के पीएसयू के साथ 2009 में बनाई गई थी और उसमें आरईसी का इक्विटी दावा 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 21.7 % था। ईईएसएल एक सुपर एनर्जी सर्विस कंपनी है और बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई) के बाजार संबंधित क्रियाकलापों का नेतृत्व भी कर रही है। इसके अतिरिक्त, ईईएसएल घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूबलाइट और ऊर्जा दक्ष पंखों के वितरण के लिए विश्व की सबसे बड़ी गैर-सब्सिडी आधारित एलईडी लाइटिंग कार्यक्रम अर्थात उजाला का कार्यान्वयन कर रही है। ईईएसएल के ऊर्जा दक्ष उपकरणों और प्रौद्योगिकियों ने वार्षिक रूप से देश के लिए अनुमानित ऊर्जा के 50 बिलियन किलोवाट घंटों से अधिक की बचत की है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ईईएसएल ने ₹ 1,936 करोड़ का राजस्व अर्जित किया और इसका निवल लाभ एकल आधार पर ₹ 95 करोड़ था।

भावी पथ

भारत का विद्युत क्षेत्र पर्याप्त सुधार का अनुभव कर रहा है जिसने उद्योग के दृष्टिकोण को पुन: परिभाषित किया है। सरकार के सकारात्मक प्रयास जीवाश्म ईंधन केंद्रित प्रणाली से अधिक नवीकरणीय केंद्रित एवं ऊर्जा दक्ष क्षेत्र में पारगमन का सुझाव देते हैं। सरकार ने पहले ही पेरिस करार के घटकों के कार्यान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित की है और 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा का 175 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह क्षेत्र 2030 तक कुल संस्थापित क्षमता के 40 % तक ग्रीन एनर्जी के हिस्से में वृद्धि, विद्युत मोबिलिटी के लिए, ऊर्जा बचत के उपकरणों का संवर्धन और नई एवं उभरती हुई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाने की ओर भी देख रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत की निरंतर आर्थिक एवं कृषि वृद्धि देश की विद्युत मांग का संचालन कर रही है जिससे आगामी वर्षों में विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश होने चाहिए।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने ''सभी के लिए 24x7 विद्युत'' के अपने लक्ष्य को वास्तविक रूप देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। देश में सभी गांवों और घरों का 100 % विद्युतीकरण प्राप्त करने के निमित्त अतुल्य कार्य किया गया है। वस्तुत: प्रत्येक घर में बिजली की पहुँच से सौभाग्य के सफल कार्यान्वयन से निकट भविष्य में विद्युत के लिए भारी मांग सृजित होगी।

विद्युत मांग में वृद्धि के लिए पारेषण एवं वितरण अवसंरचना में कठोरता की भी अपेक्षा होगी जिससे भूमिगत केबलिंग, स्मार्ट मीटर एवं उपस्कर, एएमआई/एएमआर अवसंरचना, स्मार्ट ग्रिड आदि में सभी उपभोक्ताओं की 24x7 विद्युत की मांग पूरा करने के लिए अधिक निवेश आकर्षित होगा। इसके अतिरिक्त, प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली मार्ग के तहत समर्पित ग्रीन कॉरीडोर और नए नेटवर्क के सृजन के लिए निवेश की आवश्यकताएं भारी हैं।

आरईसी पूरी मूल्य श्रृंखला में और पूरे देश में विद्युत की विविध आवश्यकताओं का वित्तपोषण करने के लिए व्यापक उत्पाद श्रृंखला पेश करता है। अपने वर्तमान प्रचालनों के क्षेत्र में काफी मजबूती से आरईसी विद्युत उपस्कर विनिर्माण के वित्तपोषण, डेट सिंडिकेशन, अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए शुल्क आधारित परियोजना मूल्यांकन जैसे व्यापार के नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है। यह कंपनी अपने सभी शेयरधारकों के सर्वोत्तम हितों में उभरते हुए व्यापार अवसर लेने के लिए प्रतिबद्ध है।

भावी रणनीति

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण अगले कुछ वर्षों में आरईसी का एक प्रमुख संकेंद्रित क्षेत्र होने जा रहा है। कंपनी का ग्रीन एनर्जी कार्यक्षेत्र मात्रा और गुणवत्ता, दोनों के संदर्भ में निरंतर बढ़ रहा है और सरकार की विभिन्न नीतिगत पहलों, यथा नई-नई घोषित जल विद्युत नीति, कुसुम स्कीम, सोलर रूफ टॉप कार्यक्रम आदि जैसी पहलों के साथ और अधिक गति प्राप्त करने की उम्मीद है।

स्मार्ट उपस्कर/मीटरों, ई-वाहन उत्सर्जन नियंत्रण उपस्कर, ऊर्जा दक्ष उपस्कर, स्मार्ट पारेषण एवं वितरण प्रणालियों, आईटी सक्षम/डिजिटाइजेशन तथा तापीय विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों की संस्थापना जैसी प्रौद्योगिकियों और विनियमों को शुरू करने के साथ कंपनी के लिए निवेश के कई नए अवसर भी खुलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा भंडारण सॉल्यूशन की आगामी प्रौद्योगिकी भी कुकिंग, परिवहन आदि जैसी विभिन्न आधारभूत आवश्यकताओं के विद्युतीकरण के लिए एक बदलाव वाला बिन्दु हो सकता है; जिससे क्षेत्र का बाजार आकार बढ़ेगा। 100 % घरों को विद्युत की पहुँच भी एक प्रमुख मांग संचालक के रूप में कार्य करेगा।

यह प्रत्यक्ष है कि आरईसी के लिए उभरती हुई विद्युत कार्यप्रणाली की भारी संभावना है। यह कंपनी केवल वित्तपोषक भागीदार के रूप में भी इन क्षेत्रों में विविधीकरण करने की ओर नहीं देख रही है बल्कि भविष्य में अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से ऐसे उत्पादों/सेवाओं के कार्यान्वयनकर्ता अथवा स्वामी के रूप में भी देख रही है। आरईसी प्रतिस्पर्द्धी दरों पर संसाधन जुटाने के लिए और वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियां अपनाने के लिए केएफडब्ल्यू, विश्व बैंक, एशियन डेवलेपमेंट बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आदि जैसी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा बहुपक्षीय विकास संगठनों के साथ निकटता से व्यावसायिक भागीदारी बना रहा है। आगामी वर्षों में आरईसी देश में विद्युत क्षेत्र के विकास के अगले मोर्चे पर और उससे आगे रहेगा।

आभार

मैं, इस अवसर पर, माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय के अपर सचिवों, संयुक्त सचिवों और अन्य अधिकारियों का उनके निरंतर समर्थन और कंपनी को दिए गए मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवालयी लेखापरीक्षकों, रजिस्ट्रार और कंपनी से जुड़े अन्य व्यावसायिकों के प्रति भी उनके मूल्यवान योगदान के लिए आभारी हूँ। साथ ही, आरईसी में अपना विश्वास बनाए रखने के लिए, मैं, राज्य सरकारों, विद्युत यूटिलिटियों और निजी क्षेत्र के उद्यमियों सहित अपने निवेशकों, उधारदाताओं और उधारकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ।

कंपनी को संधारणीय संवृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए, मैं निदेशक मण्डल के अपने सहयोगियों के प्रति आभारी हूँ। संगठन की सेवा में किए गए अथक प्रयासों के लिए मैं आरईसी के सभी कार्मिकों का आभारी हूँ।

और अंत में, किंतु महत्वपूर्ण रूप से, मैं आरईसी के सभी स्टेकहोल्डर्स को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आपके सहयोग और सद्भावना से ही हम उन्नति और विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं।

शुभकामनाओं सहित,

अजीत अग्रवाल

(अजीत कुमार अग्रवाल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)
(डीआईएनः 02231613)

22 जुलाई, 2019

सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कारोबार संबंधी निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन के लिए आरईसी लिमिटेड (''आरईसी'' अथवा ''कंपनी'') (सीआईएन: L40101DL1969GOI005095) की पचासवीं (50वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली-110010, भारत, में गुरूवार, 29 अगस्त, 2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे** आयोजित की जाएगी:

साधारण कार्य

मद संख्या 1: निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष का कंपनी का लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण प्राप्त करना, उन पर विचार करना, उन्हें अनुमोदित करना और अंगीकृत करना।

मद संख्या 2: वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना।

मद संख्या 3: श्री अजीत कुमार अग्रवाल (डीआईएन: 02231613) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना जो क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण उन्होंने अपनी पुन: नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है।

मद संख्या 4: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

विशेष कार्य

मद संख्या 5: प्रतिभूतियों के प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए अनुमोदन।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:-

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हैं, और उसके तहत बनाई गई नियमावली (किसी अन्य सांविधिक संशोधन (संशोधनों) अथवा फिलहाल लागू उसके पुन: अधिनियमन सहित) और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों के इश्यू तथा सूचियन) (संशोधन) अधिसूचना, 2012 और अन्य लागू सेबी विनियमों और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों/निर्देशों/दिशा-निर्देशों सहित किन्हीं अन्य लागू कानूनों, कंपनी के ज्ञापन एवं एसोसिएशन के अनुच्छेदों के प्रावधानों तथा यथालागू आवश्यक अनुमोदनों और उन अन्य अनुमोदनों, अनुमतियों और स्वीकृतियों के अनुसार, जो भी आवश्यक हों, किसी अन्य विद्यमान उधारदाता/डिबेंचरधारकों के न्यासियों के अनुमोदन सहित, आवश्यक अनुमोदनों की प्राप्ति के अध्यधीन, करार/विलेख की शर्तों के तहत, यदि वह अपेक्षित हों तथा ऐसे अनुमोदन, अनुमतियों और स्वीकृतियों जिसे कंपनी के निदेशक मण्डल (बोर्ड) अथवा बोर्ड की विधिवत रूप से गठित किसी समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी के आवश्यक अनुमोदनों की प्राप्ति के अधीन, कंपनी की सहमति एतदद्वारा उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को एक अथवा अधिक भागों में इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान ₹ 75,000 करोड़ तक प्रतिभूतिरहित/प्रतिभूति सहित गैर-परिवर्तनीय बॉण्डों/डिबेंचरों को निजी क्षेत्र में रखने के माध्यम से निधियां जुटाने के लिए प्रदान की जाती हैं जो कंपनी के बॉण्ड/डिबेंचरधारक हों अथवा न हों, जैसा कि बोर्ड (अथवा बोर्ड की विधिवत गठित कोई समिति अथवा अन्य प्राधिकारी, जैसा भी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाए) अपने पूर्ण निर्देश पर निर्णय ले जिनमें पात्र निवेशक (आवासी और/अथवा गैर-आवासी और/अथवा संस्थायें/निगमित निकाय और/अथवा अलग-अलग व्यक्ति और/अथवा न्यासी और/अथवा बैंक अथवा अन्यथा, घरेलू और/अथवा एक या अधिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में) गैर-आवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), उद्यम पूंजी निधियां, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधियां, पेंशन निधियां, विकास वित्तीय संस्थाएं, निगम निकाय, कंपनियां, निजी अथवा सार्वजनिक अथवा अन्य कंपनियां, प्राधिकारी शामिल हैं और उन अन्य व्यक्तियों को एक या अधिक भागों में प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से उनके एक या अधिक संयोजनों में तथा ग्रीन शो विकल्प का प्रयोग करने से (ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार ₹ 75,000 करोड़ की समग्र सीमा के भीतर), यदि कोई है, यथालागू दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित की जाने वाली उन शर्तों पर तथा बोर्ड अथवा बोर्ड की किसी अन्य विधिवत गठित समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिए गए ऐसे शर्तों एवं निबंधनों पर निधियां जाने की एतदद्वारा स्वीकृति दी जाती है।"

''संकल्प किया जाता है कि प्रतिभूति रहित/प्रतिभूति सहित गैर-परिवर्तनीय बॉण्डों/डिबेंचरों के किसी प्राइवेट प्लेसमेंट को प्रभाव देने के प्रयोजन के लिए कंपनी का निदेशक मण्डल (बोर्ड) अथवा बोर्ड की कोई विधिवत गठित समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी ऐसे प्राधिकारी को एतदद्वारा उन निवेशकों की श्रेणी सहित इश्यू के निबंधन निर्धारित करने, जिनको बॉण्ड/डिबेंचर आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित किए जाने वाले

बॉण्डों/डिबेंचरों की संख्या इश्यू की कीमत, टेनर, ब्याज दर, किश्त/उस समय विद्यमान बाजार कीमत में छूट, इश्यू की राशि, बॉण्ड/डिबेंचरधारकों की श्रेणी को इश्यू की कीमत में छूट, सूचीयन, प्राइवेट प्लेसमेंट पेशकश पत्र में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित घोषणा/वचनबद्धता आदि जारी करने और ऐसे सभी कार्य/विलेख और बातें, जो उस समय लागू किसी अन्य विनियामक अपेक्षा के तहत अपेक्षित हों, करने तथा निष्पादित करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

मद संख्या 6 : कंपनी द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित संबद्ध पक्षकार लेन-देनों के लिए अनुमोदन।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना:-

" संकल्प किया जाता है कि कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसके अधिकार) नियमावली, 2014 के नियम 15 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (उस समय लागू किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) अथवा उसके पुनः अधिनियमन सहित) की धारा 188 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों और फिलहाल लागू किसी संविधि के तहत किसी अन्य लागू कानून/नियम के अनुसरण में तथा उन उपयुक्त प्राधिकारियों के अनुमोदन/सहमति के अधीन किसी प्रकार के सामान अथवा सामग्री अथवा संपत्ति की बिक्री/खरीद की प्रकृति में (सीधे ही अथवा किसी एजेंट के माध्यम से), किसी भी किस्म की संपत्ति को पट्टे पर देने, वित्तीय सहायता, कार्मिकों की नियुक्ति सहित सेवाएं लेने अथवा देने, समय-समय पर सहायता एवं अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए इस संकल्प को पारित करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान आरईसी लिमिटेड (आरईसी) द्वारा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) अथवा आरईसी की अन्य किसी संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान एवं भावी) के साथ की जाने वाले संविदा (संविदाओं) अथवा व्यवस्था (व्यवस्थाओं) अथवा लेन-देन (लेन-देनों) के लिए एतदद्वारा कंपनी की सहमति प्रदान की जाती है, बशर्ते कि इन संबद्ध पक्षकारों के साथ संविदा (संविदाओं) अथवा व्यवस्था (व्यवस्थाओं) अथवा लेन-देन (लेन-देनों) का संचयी मूल्य तत्काल पूर्व वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आरईसी के कारोबार के दो प्रतिशत (2%) प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।''

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी का निदेशक मण्डल (बोर्ड) अथवा बोर्ड की कोई विधिवत गठित समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आरईसी के कारोबार के दो प्रतिशत (2%) की समग्र सीमा के भीतर आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान अथवा भावी) अथवा ईईएसएल के साथ अलग संविदा (संविदाओं) अथवा व्यवस्था (व्यवस्थाओं) अथवा लेन-देन (लेन-देनों) का अनुमोदन करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है जिनमें संबंधित पक्षकार का नाम और ईईएसएल अथवा आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) के साथ की जाने वाली संविदा अथवा व्यवस्था के ब्यौरे तथा संबंध की प्रकृति और अवधि, अन्य बातों के साथ-साथ संविदा के मूल्य सहित उस संविदा अथवा व्यवस्था की वास्तविक शर्तें, किए जाने वाले/प्राप्त, यदि कोई है, अग्रिम भुगतान, कीमत और अन्य वाणिज्यिक शर्तें निर्धारित करने का तरीका संविदा के भाग के रूप में शामिल तथा संविदा के भाग के रूप में न मानी गई शर्तों और/अथवा इस संबंध में निर्धारित किया जाने वाला कोई मामला शामिल होगा।"

''यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मण्डल (बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी समिति अथवा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी सहित) को इस संबंध में उपर्युक्त संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए यथावश्यक रूप में सभी ऐसे कार्यों, विलेखों और बातों को करने और निष्पादित करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।''

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते आरईसी लिमिटेड

जे. एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: एफसीएस 4298

स्थान: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

दिनांक: 25 जुलाई, 2019

टिप्पणियां:-

1. **वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने के लिए तथा मतदान करने के लिए पात्र सदस्य अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने का हकदार है और ऐसे प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। विधिवत भरा हुआ हस्ताक्षरित प्रॉक्सी फार्म वार्षिक आम बैठक के आरंभ होने से कम से कम अड़तालीस (48) घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए। रिक्त प्रॉक्सी फार्म और बैठक के स्थल का रूट मैप संलग्न है और कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.recindia.com पर भी उपलब्ध है।**

   कोई व्यक्ति मताधिकार रखने वाले तथा कुल मिलाकर कंपनी की कुल अंश पूंजी का अधिकतम दस प्रतिशत (10%) धारण करने वाले अधिकतम 50 सदस्यों की ओर से प्रतिनिधियों के रूप में कार्य कर सकता है। मतदान का अधिकार रखने वाला सदस्य, जिसके पास कुल अंश पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक शेयर हैं, प्रतिनिधि के रूप में एक ही व्यक्ति को नियुक्त करेगा तथा ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करेगा।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में विशेष कारोबार की प्रत्येक मद के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य दर्शाने वाला एक विवरण इसके साथ संलग्न है।

3. पुनः नियुक्ति की मांग के लिए निदेशक (निदेशकों) का संक्षिप्त बायोडाटा, जैसा कि सेबी के विनियमन 36 के तहत आवश्यक है (सूचीबद्व दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 इसके साथ संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।

4. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां **शुक्रवार, 23 अगस्त, 2019 से गुरूवार, 29 अगस्त, 2019 तक (जिनमें ये दोनों दिन शामिल हैं) बंद रहेंगी।**

5. समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 और कंपनी (लाभांश की घोषणा और भुगतान) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 114 के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 19 मार्च, 2019 को ₹11/- प्रति इक्विटी शेयर (प्रति ₹ 10/- के अंकित मूल्य पर) अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए किसी अंतिम लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

6. **सेबी सभी शेयरधारकों को डीमैट स्वरूप में अपने शेयर रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इससे वास्तविक शेयर प्रमाण पत्रों की क्षति/खोने और धोखाधड़ी के मामलों की संभावना समाप्त हो जाती है तथा इससे शेयरों का पेपरलेस व्यापार आसान तथा सुविधाजनक बन जाता है। इसके अतिरिक्त, डीमैट स्वरूप में धारित शेयरों के अंतरण पर कोई स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं है। यह उल्लेख करना भी व्यावहारिक है कि 01 अप्रैल, 2019 से सेबी ने निर्धारित किया है कि प्रतिभूतियों का अंतरण करने के अनुरोधों (पारेषण अथवा दूसरी जगह देने के मामलों को छोड़कर) पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक प्रतिभूतियां जमाकर्ता के पास डीमैट स्वरूप में धारित न हों। तदनुसार, हमारा आपसे अनुरोध है कि अपनी शेयरधारिता को वास्तविक स्वरूप से मौजूदा डीमैट खाते में अथवा किसी भी प्रतिभागी जमाकर्ता के साथ खोले जाने वाले नए डीमैट खाते में शीघ्र ही डीमैट स्वरूप में परिवर्तित करें।**

7. भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे शेयरों के ट्रांसमिशन, उप-विभाजन, समेकन से संबंधित या किसी अन्य शेयर से संबंधित मामले और/अथवा पते एवं बैंक खाते में परिवर्तन के बारे में समस्त पत्राचार कंपनी के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर लिमिटेड को भेजें तथा इलेक्ट्रॉनिक विधि से शेयरधारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे समस्त पत्राचार अपने संबंधित निक्षेपागार भागीदार को भेजें।

8. जिन सदस्यों को उनके लाभांश वारंट प्राप्त नहीं हुए हैं/नकदीकरण करा दिया है, अथवा जिनके लाभांश वारंट की वैधता अवधि समाप्त हो गई है, वे मांग प्रारूप के प्रपत्र में ऐसे वारंटों के स्थान पर लाभांश वारंट की वैधता अथवा भुगतान के लिए कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय अथवा कंपनी के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट को पत्र लिख सकते हैं।

   कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसरण में सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त/अदावाकृत पड़ी लाभांश राशि केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियमावली, 2016 के के प्रावधानों के अनुसरण में 25 सितंबर, 2018 (पिछली वार्षिक आम बैठक की तिथि) की स्थिति के अनुसार, कंपनी में अप्रदत्त तथा अदावाकृत पड़ी राशियों के ब्यौरे कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.com) पर तथा कारपोरेट

कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा, धनराशि एवं शेयरों के निवेशक-वार ब्यौरे, जो पहले ही कंपनी द्वारा आईईपीएफ में अंतरित कर दिए गए हैं, कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.recindia.com पर उपलब्ध हैं।

9. कॉरपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में अपनी ओर से भाग लेने तथा मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए प्रॉक्सी फार्म/उपस्थिति पर्ची के साथ बोर्ड संकल्प/प्राधिकार-पत्र की विधिवत प्रमाणित प्रति भेजें।

10. **सदस्यों से अनुरोध है कि वे:**

(क) **उल्लेखनीय है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक आम बैठक में वितरित नहीं की जाएंगी और उन्हें वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति स्वयं लानी होगी;**

(ख) **बैठक में भाग लेने के लिए, एतद्द्वारा इसके साथ प्रेषित उपस्थिति पर्ची बैठक के प्रवेश स्थल पर विधिवत भरी हुई तथा हस्ताक्षरित रूप में प्रस्तुत करनी होगी, क्योकि सभागार में प्रवेश, बैठक के स्थल के काउंटर पर उपलब्ध प्रवेश पर्ची के आधार पर ही होगा, जिसे उपस्थिति पर्ची के बदले दिया जाएगा;**

(ग) **कंपनी/ आर एंड टीए के साथ समस्त पत्राचार में अपना फोलियो/ग्राहक आईडी और डीपीआईडी संख्या का उल्लेख करें;**

(घ) **उल्लेखनीय है कि सुरक्षा कारण से ब्रीफकेस, खाने के सामान तथा अन्य सामान को सभागार के भीतर लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा**

(ङ) **उल्लेखनीय है कि वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।**

11. क्योंकि सेबी ने निदेशकों को नकद अदायगी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, अतः सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपना राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (एनईसीएस)/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी)/प्रत्यक्ष क्रेडिट अधिदेश प्रस्तुत करें ताकि कंपनी एनईसीएस/एनईएफटी/ प्रत्यक्ष क्रेडिट/वारंटों के माध्यम से लाभांश की अदायगी कर सके। जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप से शेयर हैं, वे कंपनी के रजिस्ट्रार अथवा शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) अर्थात **कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट : आरईसी लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबॉवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाकरामगुडा, हैदराबाद-500032, भारत** से एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट अधिदेश फार्म प्राप्त कर सकते हैं तथा उन्हें भेज सकते हैं। जिन्होंने एनईसीएस / एनईएफटी / प्रत्यक्ष क्रेडिट अधिदेश फार्म कंपनी / आरएंडटीए को पूरे विवरणों सहित पहले ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को प्रस्तुत कर दिए हैं, उन्हें दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।

12. जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप से बहु-फोलियो में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे संगत शेयर प्रमाणपत्रों सहित कंपनी को या उसके रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को उनके समेकन के लिए आवेदनपत्र भेजें। यदि संयुक्त शेयरधारक बैठक में उपस्थित हो रहे हों, तो केवल वही संयुक्त शेयरधारक मतदान करने का अधिकारी होगा, जिनका नाम क्रम में सबसे ऊपर हो।

13. जिन सदस्यों के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसरण में किसी सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त अथवा पुनःनियुक्त किया जाता है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसार उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा आम बैठक में अथवा ऐसे तरीके से तय किया जाएगा, जो कंपनी, आम बैठक में तय करे।

25 सितंबर, 2018 को आयोजित कंपनी की 49वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के साथ पठित धारा 142 के अनुसरण में शेयरधारकों ने निदेशक मण्डल को लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने और अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया था। तदनुसार, निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 44,00,000/- (केवल चवालीस लाख रुपए) का पारिश्रमिक और सेवा कर की अदायगी को अनुमोदित कर दिया है। नियमानुसार यह राशि सांविधिक लेखापरीक्षक, मैसर्स जी. एस. माथुर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार और मैसर्स ए आर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार में बराबर बांटी जाएगी। निदेशक मण्डल ने यह भी अनुमोदित किया है कि उपर्युक्त पारिश्रमिक के अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षकों को ऐसा वास्तविक उचित यात्रा भत्ता और बाह्य स्टेशन पर लेखापरीक्षा कार्य के लिए जेब खर्च की ऐसी वास्तविक समुचित अदायगी की जाएगी, जैसाकि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / निदेशक (वित्तीय) द्वारा तय किया जाए।

वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अभी भारत के नियंत्रक और महालेखा लेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की जानी है। इसके अतिरिक्त, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने, जैसा वे उपयुक्त समझें, के लिए कंपनी के निदेशक मण्डल को प्राधिकृत करें।

14. कंपनी में अपनी शेयरधारिता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अधीन यथाअनुमत नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी (शेयर पूंजी और ऋण पत्र) नियमावली, 2014 में यथानिर्धारित प्रपत्र एसएच-13 में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) को लिखें। खाली नामांकन प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट www.recindia.com पर उपलब्ध है। यदिशेयरों को डिमैटीरियलाइज्ड रूप में रखा जाता है तो नामांकन प्रपत्र को संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को सीधे भेजा जा सकता है।

15. इस बैठक की कार्यवाही की किसी भी मद के संबंध में कोई सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व भेजें ताकि अपेक्षित सूचना वार्षिक आम बैठक के समय उपलब्ध की जा सके।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनियों को यह अनुमति दी गई है कि वे अपने सदस्यों को वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक बैठक, अन्य दस्तावेज़ भौतिक रूप से भेजने के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेज सकती हैं। तदनुसार, कंपनी का प्रस्ताव अपने शेयरधारकों को सभी दस्तावेज़ अथवा नोटिस, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट आदि अब से उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजने का है। ये दस्तावेज़ कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। कृपया उल्लेखनीय है कि कंपनी के सदस्य के रूप में आप उपयुक्त दस्तावेज़ और इस संबंध में कानून के अंतर्गत सभी अपेक्षित दस्तावेज़ कंपनी से अनुरोध करने पर निःशुल्क प्राप्त करने के हकदार हैं।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के शेयर अंतरण एजेंट आरएंडटीए (अगर भौतिक रूपये में शेयर हैं)/(अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम रूप में शेयर हैं) संबंधित सदस्य के निक्षेपागार भागीदार (डीपी) के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत करवाएं और कंपनी की हरित पहल में अपना योगदान दें।

17. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अधीन रखा जाने वाला निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) तथा उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन रखे जाने वाले संविदा और व्यवस्था रजिस्टर जिसमें निवेशक रुचि रखते हों और इस नोटिस में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेज़ सभी कार्य दिवसों को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध रहेंगे और ये कंपनी की वार्षिक आम बैठक के समय, बैठक के स्थान पर ही उपलब्ध होंगे।

18. अनिवासी भारतीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे (क) भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए भारत वापस आने पर अपनी आवासीय प्रस्थिति में परिवर्तन और (ख) भारत में रखे गए बैंक खाते के ब्योरे, जिसमें नाम, शाखा, खाते का प्रकार, खाता संख्या, बैंक का पता तथा उसका पिन कोड के संबंध में आर एंड टीए को उस स्थिति में तत्काल सूचित करें यदि उन्होंने पहले यह सूचना नहीं दी हो।

19. कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियमावली, 2014, के नियम 20, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 और आईसीएसई द्वारा जारी आम बैठकों संबंधी सचिवालयी संबंधी सचिवालयी मानकों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए यह कंपनी शेयरधारकों को ई-मतदान की सुविधा दे रही है, ताकि वे नोटिस में उल्लिखित मदों के संबंध में अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकें। इस प्रयोजन के लिए ई-मतदान की सुविधा प्रदान करने हेतु नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली जा रही हैं, ताकि वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में शेयरधारका इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। जो शेयरधारक ई-मतदान न करना चाहें, वे वार्षिक आम बैठक में मतपत्र की प्रक्रिया के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया की निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से संवीक्षा करने के लिए डॉ. एस. चन्द्रशेखरन (एफसीएस नं. 1644) वरिष्ठ भागीदार अथवा इनके न रहने पर, श्री रूपेश अग्रवाल (एसीएस नं. 16302), मैसर्स चन्द्रशेखरन एसोसिएट्स के प्रबंध भागीदार, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को स्क्रूटनाइजर के रूप में नियुक्त किया है ताकि शेयरधारकों द्वारा ई-मतदान प्लेटफार्म पर और बैठक में बैलट प्रक्रिया (इंस्टा पोल) दोनों ही माध्यमों से किए गए मतदान की स्क्रूटनी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा सके।

इसके अलावा, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या वार्षिक आम बैठक में मतदान की पात्रता निर्धारित करने के लिए अंतिम तारीख, **गुरुवार, 22 अगस्त, 2019** तय की है। जो व्यक्ति इस अंतिम तारीख तक सदस्य न हो, वह इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझे।

ई-मतदान प्लेटफार्म **सोमवार, 26 अगस्त, 2019 (1000 बजे) से बुधवार, 28 अगस्त, 2019 (1700 बजे)** तक मतदान के लिए खुला रहेगा। कथित ई-वोटिंग अवधि के अंत में, ई-मतदान पोर्टल को तुरंत ब्लॉक कर दिया जायेगा।

जिन सदस्यों का ई-मेल आईडी कंपनी/आरएंडटीए के पास पंजीकृत हो, उन्हें प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड की सूचना देते हुए आरएंडटीए द्वारा ई-मेल भेज दिया जाएगा। अन्य सदस्यों के लिए विशिष्ट पासवर्ड, प्रॉक्सी फार्म पर मुद्रित किया जाता है। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने से पहले निम्नलिखित अनुदेशों और अन्य सूचनाओं को सावधानी से पढ़ें:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली में लॉग-इन

i. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें : https://www.evoting.nsdl.com.

ii. जब ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज शुरू हो जाए तो "लॉग-इन" आइकन पर क्लिक करें जो "शेयरधारक" खंड में उपलब्ध है।

iii. एक नई स्कीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और एक सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा, जैसाकि स्क्रीन पर दर्शाया गया है। वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सर्विसेज अर्थात आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं तो आप अपने विद्यमान आईडीईएएस लॉग-इन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं। जब आप अपने लॉग-इन प्रमाणों का प्रयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सर्विसेज में लॉग-इन कर लेते हैं तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 में जा सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रोनिक रूप में अपना मत दें।

iv. आपके यूजर आईडी के ब्यौरे नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार होंगे:

क. जिन सदस्यों के एनएसडीएल में डीमैट खाते में शेयर हैं, उनके लिए : 8 अक्षरों की डीपी आईडी उसके बाद 8 अंकों का ब्यौरा का ग्राहक आईडी (उदाहरण के लिए यदि आपके डीपी आईडी आईएन300*** है और ग्राहक आईडी 12****** है तो फिर आपका यूजर आईडी आईएन300***12****** है)।

ख. जिन सदस्यों के सीडीएसएल में डीमैट खाते में शेयर हैं, उनके लिए : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी (उदाहरण के लिए यदि आपका लाभार्थी आईडी 12********** है तो फिर आपका यूजर आईडी 12********** है)।

ग. जिन सदस्यों के शेयर भौतिक रूप में हैं : ईवीईएन नंबर उसके बाद कंपनी में पंजीकृत फोलियो नंबर (उदाहरण के लिए यदि फोलियो नं. 001*** है और ईवीईएन 101456 है तो फिर यूजर आईडी 101456001*** है)।

v. आपके पासवर्ड के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क. यदि आप पहले से ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं तो फिर आप लॉग-इन करने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं और अपना मत दे सकते हैं।

ख. यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ''आरंभिक पासवर्ड'' लेने की आवश्यकता होगी जो आपको बताया गया था। जब आप अपना "आरंभिक पासवर्ड" ले लेते हैं तो आपको "आरंभिक पासवर्ड" प्रविष्ट करने की आवश्यकता होती है और सिस्टम आपको आपका पासवर्ड बदलने के लिए विवश करेगा।

ग. पासवर्ड कैसे लेना है:

I. यदि आपका ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाते अथवा कंपनी में पंजीकृत है तो आपका आरंभिक पासवर्ड आपको आपकी ई-मेल आईडी पर सूचित किया गया है। एनएसडीएल से आपको भेजे गए ई-मेल को अपने मेल बॉक्स में खोजें। ई-मेल खोलें और संलग्न "पीडीएफ" फाइल खोलें। "पीडीएफ" फाइल खोलने के लिए एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी है, सीएसडीएल खाते के लिए ग्राहक आईडी अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो नं. है। 'पीडीएफ' फाइल में आपका 'यूजर आईडी' तथा आपका 'आरंभिक पासवर्ड' है।

II. यदि आपका ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है तो आपका "आरंभिक पासवर्ड" यूनिक पासवर्ड होगा जो सूचना के साथ संलग्न प्रॉक्सी प्रपत्र पर मुद्रित है।

vi. यदि आप अपना 'आरंभिक पासवर्ड' लेने में अक्षम हैं अथवा प्राप्त नहीं हुआ है अथवा अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

क. "यूजर ब्यौरा/पास भूल गए ?" पर क्लिक करें (यदि आपके एनएसडीएल अथवा सीएसडीएल में आपके डीमैट खाते में शेयर हैं) www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।"

ख. ''फिजिकल यूजर रीसैट पासवर्ड ?" (यदि आपके शेयर भौतिक स्वरूप में हैं www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।

ग. यदि आप उपर्युक्त दो विकल्पों से भी पासवर्ड लेने में असमर्थ हैं तो आप अपना डीमैट खाता संख्या/फोलियो नं./अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

घ. सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉग-इन का प्रयोग भी कर सकते हैं।

vii. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद चेक बॉक्स पर चयन करके "निबंधन एवं शर्तों" से सहमत हूँ पर निशान लगाएं।

viii. अब आपको "लॉग-इन" बटन पर क्लिक करना होगा।

ix. "लॉग-इन" बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा।

चरण 2: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मतदान करें।

i. चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद आप ई-वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे। ई-वोटिंग पर क्लिक करें। फिर, सक्रिय मतदान चक्रों पर क्लिक करें।

ii. सक्रिय मतदान चक्रों पर क्लिक करने के बाद, आप सभी कंपनियों के "ईवीईएन" देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र सक्रिय स्तर में है।

iii. आरईसी लिमिटेड के "ईवीईएन" का चयन करें।

iv. अब आप मतदान पृष्ठ खुलने पर ई-वोटिंग करने के लिए तैयार हैं।

v. उपयुक्त विकल्प अर्थात एसेंट अथवा डिसेंट का चयन कर अपना मतदान करें, शेयरों की संख्या सत्यापित करें/संशोधित करें जिसके लिए आप अपना मतदान करना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें तथा संकेत मिलने पर "कन्फर्म" भी करें।

vi. पुष्टि होने पर "सफलतापूर्वक मतदान" संदेश दर्शाया जाएगा।

vii. आप संपुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक कर आपके द्वारा दिए गए मतों का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

viii. जब आप संकल्प पर अपने मत की पुष्टि कर दें तो आपको अपने मत में संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश

i. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात अलग-अलग व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) को प्राधिकृत हस्ताक्षरी (हस्ताक्षरियों), जो मतदान करने के लिए प्राधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संगत बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की हुई कॉपी (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) जांचकर्ता को ई-मेल द्वारा अर्थात scrutinizer.recl@gmail.com को भेजनी अपेक्षित है जिसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in को मार्क की गई हो।

ii. यह सशक्त सिफारिश की जाती है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपना पासवर्ड न बताएं तथा अपना पासवर्ड गोपनीय रखने पर पूरा ध्यान दें। ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉग-इन सही पासवर्ड में की में पांच असफल प्रयासों में डिसेबल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको "यूजर ब्यौरे/पासवर्ड भूल गए" अथवा "फिजिकल यूजर रिसैट पासवर्ड ?" पासवर्ड रिसैट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध।

20. कंपनी एनएसडीएल वेबसाइट पर एजीएम वेबकास्ट की लाइव स्ट्रिमिंग देखने की सुविधा प्रदान करेगी। आप अपने रिमोट ई-वोटिंग प्रत्यय पत्रों का प्रयोग करके उसे https://www.evoting.nsdl.com पर देख सकते हैं। यह लिंक शेयरधारकके लॉग-इन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीईएन प्रदर्शित होगा। वेबकास्ट सुविधा 29 अगस्त, 2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से उपलब्ध होगी। कंपनी इस बैठक के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा प्रदान नहीं कर रही है।

21. शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर मत डाल देने के पश्चात शेयरधारकों को बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

22. बैठक में कार्यसूची की मदों पर एक बार चर्चा पूरी होने पर प्रत्येक प्रस्ताव को मत-पत्रों की प्रक्रिया के माध्यम से मतदान के लिए बैठक में रखा जाएगा। जिन शेयरधारकों ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान किया है, वे भी बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें बैठक में मत-पत्रों की प्रक्रिया के माध्यम से पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

23. संवीक्षाकर्ता, वार्षिक आम बैठक में मत-पत्रों की प्रक्रिया के माध्यम से मतदान संपन्न होने के बाद, मत-पत्रों के माध्यम से बैठक में डाले गए मत-पत्रों की गिनती करेगा और उसके पश्चात ऐसे कम से कम दो साक्षी, जो कंपनी में सेवारत न हों, की उपस्थिति में ई-मतदान के माध्यम से किए गए मतदान (वोटों) को खोलेगा और संवीक्षाकर्ता की समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे बैठक के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

24. प्रत्येक प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में किए गए मतों की संख्या अमान्य मतों की संख्या के परिणामों का उल्लेख और इस बात का उल्लेख करते हुए कि प्रस्ताव (प्रस्तावों) को स्वीकार किया गया है या नहीं तथा संवीक्षाकर्ता की रिपोर्ट कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और उन्हें कंपनी की वेबसाइट www.recindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट (https://evoting.nsdl.com) पर डाला जाएगा और निर्धारित समय सीमा के अंदर बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, यदि प्रस्तावों को अपेक्षित बहुमत से पारित किया जाता है तो उन्हें वार्षिक आम बैठक की तारीख को पारित समझा जाएगा।

25. संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी की वेबसाइट www.recindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में विवरण।

निम्नलिखित विवरणों में नोटिस में निर्धारित विशेष कारोबार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए है।

मद संख्या 5

कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरणिका एवं आबंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14 तथा कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमावली, 2014 के नियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी तब तक अपनी प्रतिभूतियों का प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं करेगी जब तक प्रतिभूतियों की प्रस्तावित पेशकश अथवा प्रतिभूतियों में अंशदान करने का आमंत्रण पहले से प्रत्येक पेशकश अथवा आमंत्रण के लिए एक विशेष संकल्प द्वारा कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो। तथापि, "गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों" के लिए पेशकश अथवा आमंत्रण के मामले में वह पर्याप्त होगा यदि कंपनी वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचरों के लिए सभी पेशकश (पेशकशों) अथवा आमंत्रण (आमंत्रणों) के लिए वर्ष में केवल एक बार पूर्व विशेष संकल्प पारित करती है।

अतः, एक विशेष संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है ताकि कंपनी इस संकल्प को पारित करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थात 28 अगस्त, 2020 तक एक या दो भागों में ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों, जो कंपनी के बॉण्ड/डिबेंचरधारक हों अथवा न हों, कंपनी के समग्र बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत, जो भी समय-समय पर कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया, को एक या दो भागों में ₹ 75,000 करोड़ तक प्रतिभूतिरहित/प्रतिभूति सहित गैर-परिवर्तनीय बॉण्डों/डिबेंचरों के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से निधियां जुटा सकें। इसके अतिरिक्त, ₹ 75,000 करोड़ की उपर्युक्त सीमा 25 सितंबर, 2018 को आयोजित 49वीं एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार कंपनी की समग्र उधार सीमा के अंतर्गत है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी का निदेशक मण्डल ("बोर्ड") अथवा बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया किसी अन्य प्राधिकारी को उन निवेशकों की श्रेणी जिन्हें बॉण्ड/डिबेंचर आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित किए जाने वाले बॉण्डों/डिबेंचरों की संख्या, इश्यू कीमत, टेनर, ब्याज दर, तत्कालीन विद्यमान बाजार कीमत में किश्त / छूट, इश्यू की धनराशि, बॉण्ड / डिबेंचर धारकों की श्रेणी में इश्यू कीमत पर छूट, सूचीयन, प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रस्ताव पत्र में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित कोई घोषणा/वचनबद्धता आदि जारी करने

सहित इश्यू की शर्तें निर्धारित करने के लिए और उस समय लागू किसी अन्य विनियामक अपेक्षा के तहत उन सभी कार्यों/विलेखों/बातों को करने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

कंपनी के ज्ञापन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा अन्य संबंधित दस्तावेज कार्य के समय सभी कार्य दिवसों में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे और वे एजीएम के स्थान पर भी उपलब्ध रहेंगे।

कंपनी के निदेशक मण्डल ने 10 जुलाई, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के सदस्यों द्वारा इस नोटिस में दिए गए अनुसार प्रस्तावित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस की मद संख्या 5 में लिखित विशेष संकल्प के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करें। निदेशक मण्डल या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी कंपनी में उनके शेयरधारण की सीमा के सिवाय उक्त विशेष संकल्प को पारित करने में वित्तीय रूप से या अन्यथा संबंधित नहीं हैं या रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या 6

कंपनी (निदेशक मण्डल की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 15 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के प्रावधानों के अनुसार, इस अधिनियम या नियम के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक "संबंधित पक्षकार" के साथ कोई संविदा या व्यवस्था निष्पादित नहीं करेगी, बशर्ते कि इस संबंध में शेयरधारक अपनी सहमति दें। अन्य बातों के साथ-साथ, "संबंधित पक्षकार" शब्दावली में इनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) भी शामिल है, जो आरईसी लिमिटेड की संबद्ध कंपनी है।

आरईसी समय-समय पर ईईएसएल या किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान या भावी) के साथ संविदा व्यवस्था लेनदेन निष्पादित करना चाहेगा। यह कार्य कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक का हो सकता है। अतः, इस संकल्प को पारित किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान आरईसी द्वारा ईईएसएल या किसी संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान या भावी) के साथ कोई संविदा (संविदाएं) या व्यवस्था (व्यवस्थाएं) या लेनदेन (लेनदेनों) को करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है। यह कार्य माल या सामग्री या किसी प्रकार की संपत्ति (प्रत्यक्ष या किसी एजेंट के माध्यम से) बेचने/ खरीदने, किसी प्रकार संपत्ति को पट्टे पर देने, वित्तीय सहायता सहित किसी सहायता का लाभ उठाने या सेवा प्रदान करने, जनशक्ति की नियुक्ति करने, सहायक या अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर की जाने वाली संविदा आदि भी शामिल है। परंतु संबंधित पक्षकारों के साथ ऐसी संविदा (संविदाओं) या व्यवस्था (व्यवस्थाओं) या लेनदेन (लेनदेनों) करने का संचयी मूल्य वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आरईसी के कुल कारोबार के दो प्रतिशत (2 %) से अधिक नहीं होगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के प्रावधान कंपनी द्वारा सामान्य कारोबार के रूप में किए जाने वाले किसी लेनदेन (लेनदेनों) पर लागू नहीं होंगे, जो उसके निकट न हो। तदनुसार, ईईएसएल या आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनियों (विद्यमान या भावी) के साथ किए जाने वाले लेनदेनों के संबंध में ही अनुमोदन प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है जो प्रत्यक्षतः इसके निकट न हो।

इसके अलावा, कंपनी का निदेशक मण्डल ("मण्डल") या निदेशक मण्डल की विधिवत गठित समिति या निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य प्राधिकरण को यह प्राधिकृत किया जाएगा कि वह ईईएसएल या आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (विद्यमान या भावी) के साथ संविदा (संविदाएं) या व्यवस्था (व्यवस्थाएं) या लेनदेन (लेनदेनों) की प्रकृति, अवधि, महत्वपूर्ण शर्तों, मौद्रिक मूल्य और ब्योरों को अंतिम रूप दे और अनुमोदित करे, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के आरईसी के कुल कारोबार की दो प्रतिशत (2 %) की समग्र सीमा के अंतर्गत हो।

कंपनी के निदेशक मण्डल ने 10 जुलाई, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के सदस्यों द्वारा इस नोटिस में दिए गए अनुसार प्रस्तावित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस की मद संख्या 6 में लिखित साधारण संकल्प के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करें। निदेशक मण्डल या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी कंपनी में उनके शेयरधारण की सीमा के सिवाय उक्त संकल्प को पारित करने में वित्तीय रूप से या अन्यथा संबंधित नहीं हैं या रुचि नहीं रखते हैं।

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते आरईसी लिमिटेड

जे. एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः एफसीएस 4298

स्थानः कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांकः 25 जुलाई, 2019

50वीं वार्षिक आम बैठक में पुन:नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

नाम	अजीत कुमार अग्रवाल (डीआईएन: 02231613)
जन्म तिथि	30 मई, 1960
नियुक्ति की तारीख	01 अगस्त, 2012
योग्यता	वाणिज्य में स्नातक डिग्री; और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के सदस्य
विशिष्ट प्रकार्यात्मक क्षेत्र में विशषज्ञता	श्री अजीत कुमार अग्रवाल को विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 36 वर्षों का अनुभव है। इनका दायित्व कंपनी के लिए वित्तीय नीतियां और योजनाएं तैयार करना है, ताकि आरईसी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। आप संगठन के वित्तीय प्रबंधन और प्रचालनों के संबंध में दिशा-निर्देश देते हैं, जिसमें संगठनात्मक एवं वित्तीय आयोजना, वित्तीय नीति तैयार करना, वित्तीय लेखांकन, प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, कैश और फंड प्रबंधन, कर आयोजन, संसाधनों का सृजन और प्रबंधन, वित्तीय संस्थानों और पूंजी बाजार व्यावसायियों के साथ संपर्क करना शामिल है। आप कोषागार संबंधी कार्यों, उधार प्रचालनों का पर्यवेक्षण भी करते हैं और कारपोरेट जोखिम प्रबंधन संबंधी मामलों पर सलाह देते हैं। इसके अतिरिक्त, आप 06 मार्च, 2019 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। आप 06 मार्च, 2019 से आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली दो अनुषंगी कंपनियों आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड एवं आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक मण्डल में पदेन अध्यक्ष हैं। आप एक सूचीबद्ध कंपनी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (आईईएक्स) के निदेशक मण्डल में नामिती निदेशक भी हैं। आरईसी में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने महाप्रबंधक/ कार्यकारी निदेशक (वित्त) के पद पर विभिन्न वित्तीय कार्यों का संचालन किया है, जिनमें संसाधनों का सृजन, ऋण, संवितरण और कारपोरेट लेखा तथा कराधान शामिल है।
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद	• आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड • आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड • इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड
आरईसी से भिन्न अन्य सभी सरकारी कंपनियों में समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता	--
निदेशकों के साथ आपसी संबंध	आपका कंपनी के किसी निदेशक के साथ आपसी संबंध नहीं है।
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	प्रत्येक ₹ 10 - के 484 इक्विटी शेयर

निदेशकों का परिचय

श्री अजीत कुमार अग्रवाल, (डीआईएन: 02231613)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)

श्री अजीत कुमार अग्रवाल, आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (6 मार्च, 2019 से अतिरिक्त प्रभार) तथा 01 अगस्त, 2012 से निदेशक (वित्त) हैं। इन्होंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से बी. कॉम (ऑनर्स) किया है। ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के फेलो सदस्य हैं। श्री अग्रवाल को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 36 वर्षों का अनुभव है। आप निदेशक मण्डल के प्रति उत्तरदायी हैं और कंपनी की कार्यप्रणाली को प्रभावी तरीके से चलाने के लिए जवाबदेह हैं ताकि कंपनी अपने मिशन, लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त कर सके।

निदेशक (वित्त) के रूप में आप संगठन के वित्तीय प्रबंधन और प्रचालनों के संबंध में दिशा-निर्देश देते हैं, जिसमें संगठनात्मक एवं वित्तीय आयोजना, वित्तीय नीति तैयार करना, वित्तीय लेखांकन, प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, कैश और फंड प्रबंधन, कर आयोजना, संसाधनों का सृजन और प्रबंधन, वित्तीय संस्थानों और पूंजी बाजार व्यावसायियों के साथ संपर्क करना शामिल है। आप कोषागार संबंधी कार्यों और उधार प्रचालनों का पर्यवेक्षण भी करते हैं तथा कारपोरेट जोखिम प्रबंधन संबंधी मामलों पर सलाह देते हैं।

आप 6 मार्च, 2019 से आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली दो अनुषंगी कंपनियों आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड एवं आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक मण्डल में पदेन अध्यक्ष हैं। आप एक सूचीबद्ध कंपनी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (आईईएक्स) के निदेशक मण्डल में नामिती निदेशक भी हैं।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, श्री अजीत कुमार अग्रवाल के पास कंपनी के 484 इक्विटी शेयर थे और इनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई आपसी संबंध नहीं है।

डॉ. संजीव कुमार गुप्ता, (डीआईएन: 03464342)

निदेशक (तकनीकी)

श्री संजीव कुमार गुप्ता, 16 अक्टूबर, 2015 से आरईसी के बोर्ड में निदेशक (तकनीकी) हैं। इन्होंने जी. बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की है। उन्हें भारतीय विद्युत क्षेत्र के विविध कार्यों अर्थात योजना, डिजाइन, निर्माण, ओएंडएम, बड़ी ईएचवी एवं यूएचवी पारेषण परियोजनाओं के परियोजना प्रबंधन और विद्युत क्षेत्र के विभिन्न सीपीएसयू जैसे आरईसी, पीजीसीआईएल और एनएचपीसी में उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय परियोजनाओं के वित्तपोषण आदि में 37 वर्ष का अनुभव है। भारतीय ट्रांसमिशन ग्रिड में नई तकनीकों (765 केवी एसी/1200 केवी एंड ± 800 केवी एचवीडीसी ट्रांसमिशन, आरडब्ल्यूओ ऑप्टिमाइजेशन, अपरेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, कंडक्टर्स आदि) के इंडक्शन में आपकी प्रमुख भूमिका थी। आप भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश में विभिन्न ख्यातिप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेन्सी प्रोजेक्ट्स के परियोजना प्रबंधक भी नियुक्त किए गए थे।

आप आरईसी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों अर्थात आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 12 अक्टूबर, 2015 से और आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड में 26 अक्टूबर, 2015 से बोर्ड में नामिती निदेशक हैं।

इन्होंने 16 मार्च, 2010 से हमारी कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर कार्य किया है जिनमें आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, जो आरईसी की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है, के सीईओ के रूप में कार्य किया है और राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के नोडल अधिकारी भी रहे हैं। ये कंपनी के सभी तकनीकी कार्यों और कारोबार विकास के लिए उत्तरदायी हैं।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, श्री संजीव कुमार गुप्ता के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई आपसी संबंध नहीं है।

डॉ. अरु ण कुमार वर्मा, (डीआईएन: 02190047)

सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. अरु ण कुमार वर्मा, 06 अक्टूबर, 2015 से आरईसी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। ये गुजरात कैडर के 1986 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं और विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। आपके पास भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री है। आप एफआरआई एंड सी, देहरादून के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (एआईजीएनएफए) के एसोसिएट सदस्य हैं। आपने जनजाति विकास नीति में पी.एच.डी. की है। इन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगुलुरूऔर मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिटीजनशिप एंड इंटरनेशनल अफेयर, साइराक्यूस विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका, से लोक नीति और प्रबंधन कार्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री (पीजीपीपीएम) भी प्राप्त की है। इनको 33 वर्ष से अधिक अवधि का प्रशासन और प्रबंधन संबंधी अनुभव है। आपने विद्युत क्षेत्र में उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पद पर कार्य किया है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आपने गुजरात इकोलॉजी कमीशन, गांधीनगर के सदस्य सचिव और विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन के परियोजना निदेशक के पद पर 29 जुलाई, 2011 से 14 नवंबर, 2014 तक कार्य किया है। ये पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड और पीटीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक मण्डल में भी सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार डॉ. अरुण कुमार वर्मा के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई आपसी संबंध नहीं है।

श्रीमती आशा स्वरूप, (डीआईएन: 00090902)

अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती आशा स्वरूप, 08 फरवरी, 2017 से आरईसी की स्वतंत्र निदेशक हैं। आप हिमाचल प्रदेश कैडर की 1973 बैच की एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और आईडीआरसी, कनाडा की पीयरसन फेलो हैं। आपने भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय (2007-08) के सचिव और हिमाचल प्रदेश सरकार (2008-10) के मुख्य सचिव के रूप में सेवा की है।

इन्होंने वाणिज्य मंत्रालय तथा वस्त्र मंत्रालय में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (2004-07), ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव (2001-04), मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा कार्य एवं खेल विभाग की संयुक्त सचिव (1993-98) के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है।

सेवानिवृत्ति के बाद, आप हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण की अध्यक्ष, मंत्रालयों के परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज को अंतिम रूप देने के लिए कैबिनेट सचिवालय द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समूह और तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए वार्षिक लक्ष्य को अंतिम रूप देने के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समूह की सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। ये एसजेवीएन लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक भी हैं। ये हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के बोर्ड में भी निदेशक हैं।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार श्रीमती आशा स्वरूप के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई आपसी संबंध नहीं है।

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, (डीआईएन: 00871792)

अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, 13 नवंबर, 2015 से आरईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से आर्ट्स (इकोनॉमिक्स) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं। आपको बैंकिंग क्षेत्र के सभी कार्यों का लगभग 41 वर्ष का समृद्ध अनुभव है। आपने 39 वर्ष से अधिक समय तक भारतीय स्टेट बैंक में सेवा की, जहां आपने वर्ष 1975 में प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था और आप अप्रैल, 2011 में प्रबंध निदेशक एवं ग्रुप एक्जीक्यूटिव के पद तक पहुँचे। भारतीय स्टेट बैंक में सुदीर्घ और विशिष्ट सेवा के दौरान आपने विभिन्न जटिल और महत्वपूर्ण कार्यों को किया है जिनमें भारतीय स्टेट बैंक के फुटकर कारोबार को 16000 से अधिक शाखाओं तक फैलाया है और भारतीय स्टेट बैंक के अंतर्राष्ट्रीय कार्यों को भी किया है जिनमें 36 देशों के 190 कार्यालय शामिल हैं। आप नवंबर, 2014 के अंत में अपनी अधिवर्षिता तक बैंक की नीतियां बनाने और कार्यनीतियों को तैयार करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में थे। आप एसबीआईसीएपी सिक्योरिटीज, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और एसबीआई क्रेडिट कार्ड तथा भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों के बोर्डों में रहे जिसके दौरान, आपको प्रतिभूति, बीमा और क्रेडिट कार्ड उद्योग में मूल्यवान अनुभव भी प्राप्त हुआ। आप आंध्रा बैंक, सतगुरू कैटालाइजर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड, टीवीएस वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक भी हैं।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई आपसी संबंध नहीं है।

प्रो. टी. टी. राम मोहन, (डीआईएन: 00008651)

अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

प्रो. टी. टी. राम मोहन, 13 नवंबर, 2015 से आरईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं। आप आईआईटी, मुंबई से बी.टेक और आईआईएम, कोलकाता से पीजीडीएम हैं और आपने स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। वर्तमान में, आप भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में वित्त और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। इन्होंने शैक्षिक सत्र में जाने से पहले परामर्शी और वित्तीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्य किया है। आप टाटा इकोनॉमिक कसल्टेंसी सर्विसेज में डिविजनल मैनेजर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में स्ट्रैटेजी हेड और बीयर स्टर्न्स एशिया, हांगकांग के उपाध्यक्ष रहे हैं। ये इंडसइंड बैंक लिमिटेड और एसबीआईसीएपी सिक्योरिटीज लिमिटेड, केनरा एचएसबीसी ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में भी निदेशक हैं और एचआर एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक के बोर्ड में हैं। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, पुणे की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं।

प्रो. राम मोहन वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। इन्होंने बैंक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं और विभिन्न मंचों पर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के मुद्दों पर व्याख्यान दिए हैं। इनके वर्तमान शोध के क्षेत्र में बैंकिंग सुधार, निजीकरण और निगमित सुशासन शामिल हैं। इनके कई प्रकाशित लेख हैं और प्रमुख प्रकाशनों जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड और द हिंदू के लिए व्यापक रूप से योगदान किया है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार प्रो. टी. टी. राम मोहन के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई आपसी संबंध नहीं है।

डॉ. भागवत किशनराव कराड, (डीआईएन: 00998839)

अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

डॉ. भागवत किशनराव कराड, 17 जुलाई, 2018 से आरईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं। डॉ. कराड पैडियट्रिक सर्जन (जनरल सर्जरी में एमबीबीएस, एमएस और पैडियट्रिक सर्जरी में एफसीपीएस, एम.सीएच.) हैं। वे पिछले 26 वर्षों से चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं। वे वॉकहार्ड फाउंडेशन एंड औरंगाबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के सलाहकार बोर्ड में और गवर्नमेंट मेडिकल एंड हॉस्पिटल, औरंगाबाद के सलाहकार सदस्य रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वे एक शैक्षिक ट्रस्ट भगवान शिक्षक प्रसारक मण्डल के कोषाध्यक्ष; वाईएसके मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निदेशक मण्डल में सदस्य और इंदिरा गांधी मैमोरियल हॉस्पिटल, औरंगाबाद में ऑनरैरी सर्जन हैं।

डॉ. भागवत कराड वर्ष 2000 और 2006 में दो बार औरंगाबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन के मेयर रहे हैं। वाणिज्यिक संगठनों का संचालन करने में उनकी कारोबारी कुशलता के कारण और विशेष रूप से ग्रामीण महाराष्ट्र में विभिन्न सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के अनुभव के कारण, उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण भारत से संबंधित परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार में संबंधित विभागों को नीतियों की अनुशंसा करने तथा सामाजिक आर्थिक मुद्दों का समाधान और अपनी सलाह देने में विशिष्टता हासिल की।

इस समय वे राज्य सरकार के सभी कार्यक्षेत्रों के लिए मराठवाड़ा क्षेत्र, महाराष्ट्र में वित्तीय एवं भौतिक अभाव से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए जवाबदेह बोर्ड - मराठवाड़ा स्टैच्यूटर डेवलेपमेंट बोर्ड (एमएसडीबी) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार डॉ. कराड के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर हैं और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई आपसी संबंध नहीं है।

श्री प्रवीण कुमार सिंह (डीआईएन: 03548218)

नामित निदेशक - पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

श्री प्रवीण कुमार सिंह, 18 जून, 2019 से कंपनी के निदेशक मण्डल में पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के नामित निदेशक हैं। आप 10 अगस्त, 2018 से पीएफसी के निदेशक (वाणिज्यिक) हैं। इससे पहले, श्री सिंह पीएफसी में कार्यकारी निदेशक (परियोजना) थे और इन्होंने 24 वर्षों तक पीएफसी में परियोजना अनुभाग की विभिन्न इकाइयों में काम किया है। इससे पहले आप देश के सबसे बड़े विद्युत उपकरण निर्माता भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) और इंडस्ट्री बॉडी कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) के लिए 9 साल से अधिक समय तक काम किया था। श्री सिंह ने आईआईटी-बीएचयू से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक और और आईआईटी, दिल्ली से ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन में एम. टेक. किया है। आपने संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के बेयर कॉलेज ऑफ बिजनेस से "ग्लोबल एनर्जी एमबीए प्रोग्राम" भी किया है। श्री सिंह भारत सरकार की विभिन्न समितियों में पीएफसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड, उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड, साक्षीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड, झारखंड इंफ्रापॉवर लिमिटेड, घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के निदेशक मण्डल में निदेशक भी हैं।

नामित निदेशक बनने की तिथि में, श्री प्रवीण कुमार सिंह के पास कंपनी के 40 इक्विटी शेयर थे और कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ उनका कोई आपसी संबंध नहीं है।

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयरधारकगण,
31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित पचासवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना कंपनी के निदेशकों के लिए हर्ष का विषय है।

1. कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख तथ्य

1.1 पिछले वर्ष के कार्य-निष्पादन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के संबंध में कंपनी के कार्य निष्पादन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

मानदंड	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
संस्वीकृत ऋण	**1,15,957.35**	1,07,534.05
संवितरण	**72,165.43**	61,712.47
डीडीयूजीजेवाई (डीडीजी सहित) और सौभाग्य के अंतर्गत सब्सिडी	**19,662.13**	10,568.72
कुल वसूलियां (ब्याज सहित)	**55,093.20**	46,351.13
कुल प्रचालन आय	**25,309.72**	22,454.62
कर पूर्व लाभ	**8,100.50**	5,884.15
कर पश्चात लाभ	**5,763.72**	4,419.89
कुल व्यापक आय	**5,703.18**	4,424.13

1.2 वित्तीय कार्य निष्पादन

आपकी कंपनी की कुल प्रचालन आय पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 22,454.62 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹25,309.72 करोड़ थी। कर पश्चात लाभ और कुल व्यापक आय वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 4,419.89 करोड़ और ₹ 4,424.13 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए क्रमशः ₹ 5,763.72 करोड़ और ₹ 5,703.18 करोड़ था।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की सकल ऋण परिसंपत्ति बही पिछले वर्ष में ₹ 2,39,449.34 करोड़ की तुलना में ₹ 2,81,209.68 करोड़ थी। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, ₹ 2,39,286.45 करोड़ का उधार बकाया था।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) ₹ 10/- के प्रत्येक शेयर पर ₹ 29.18 प्रति शेयर था। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की निवल संपत्ति 6 % तक बढ़कर ₹ 32,303.15 करोड़ से ₹ 34,302.94 करोड़ हो गई ।

1.3 लाभांश

आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर पर ₹ 11.00 के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है और 19 मार्च, 2019 को इसका भुगतान कर दिया गया था। निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अंतिम लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

अतः वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कुल लाभांश प्रति इक्विटी शेयर ₹ 11.00 परिकलित होगा, जो ₹ 9.15 प्रति शेयर की तुलना में कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के 110% को दर्शाता है जो पिछले वर्ष में कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 91.50 % था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भुगतान किए गए कुल लाभांश की राशि ₹ 2,172.41 करोड़ (लाभांश वितरण कर को छोड़कर) होगी।

भारत सरकार के माननीय विद्युत राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा), श्री आर. के. सिंह, को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 1,143.34 करोड़ के अंतरिम लाभांश का चेक प्रदान करते हुए आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अजीत कुमार अग्रवाल

1.4 शेयर पूंजी

दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹ 5,000 करोड़ थी जिसमें प्रति ₹ 10 के इक्विटी शेयर के ₹ 500 करोड़ शामिल हैं और कंपनी की जारी की गई एवं प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 1,974.92 करोड़ थी जिसमें ₹ 10 के प्रति शेयर के 197,49,18,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार , भारत के राष्ट्रपति के पास कंपनी के डमरू 1,15,16,78,783 इक्विटी शेयर अर्थात कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 58.32% था।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति ने भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड' के अंतर्गत शेयरों की ऑफ मार्केट बिक्री के जरिए 18 जून, 2018 को कंपनी के 64,73,244 इक्विटी शेयर अर्थात कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 0.33 % का विनिवेश/बिक्री की। भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 04 दिसंबर, 2018 को सीपीएसई ईटीएफ म्युच्युअल फंड योजना के तीसरे फर्दर फंड ऑफर (एफएफओ 3) के तहत ऑफ मार्केट बिक्री के माध्यम से कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 5.14 % अर्थात 10,14,70,139 इक्विटी शेयरों का भी विनिवेश/बिक्री की।

भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 21 फरवरी, 2019 को भारत ईटीएफ योजना की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को ₹ 10 के अंकित मूल्य के 43,36,057 इक्विटी शेयर अर्थात कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 0.22 % आगे विनिवेश/बिक्री की और भारत के राष्ट्रपति की संपत्ति कंपनी का प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 52.63 % तक घट गई।

इसके अलावा, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति के दिनांक 06 दिसंबर, 2018 के 'सैद्धांतिक अनुमोदन' के अनुसार और तदुपरांत विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति और पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के बीच दिनांक 20 मार्च, 2019 को हुए शेयर खरीद करार के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने पीएफसी को दिनांक 28 मार्च, 2019 को आरईसी लिमिटेड में अपनी समग्र शेयरधारिता का विनिवेश/बिक्री की जिसमें कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 52.63 % अर्थात प्रत्येक ₹ 10/- अंकित मूल्य के 1,03,93,99,343 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

1.5 कंपनी के नाम में परिवर्तन

हमारी कंपनी भारत तथा विदेश में समूचे उद्योग जगत में तथा बाजार में "आरईसी" अथवा "आरईसीएल" के संक्षिप्त नाम से जानी जाती है और यह एक ब्रांड नाम भी बन गया है। भारतीय विद्युत क्षेत्र अर्थात उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के सभी क्षेत्रों के वित्तपोषण में आपकी कंपनी की महत्वपूर्ण मौजूदगी सही-सही प्रदर्शित करने और इस मिथक को समाप्त करने के लिए कि कंपनी मुख्य रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य में लगी हुई है, कंपनी का नाम 'रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड' से बदलकर **"आरईसी लिमिटेड"** किया गया। नाम बदलने के बाद और सभी लागू सांविधिक अनुमोदन प्राप्त किए जाने के बाद कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 13 अक्तूबर, 2018 को एक नया निगमन प्रमाण पत्र जारी किया गया।

2. स्वीकृत किए गए ऋण

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 1,15,957.35 करोड़ का ऋण मंजूर किया है जबकि पिछले वर्ष 1,07,534.05 करोड़ का ऋण मंजूर किया था। इस वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋण का राज्य-वार और श्रेणी-वार विवरण क्रमशः **तालिका-1** और **तालिका-2** में दिया गया है। 31 मार्च, 2019 तक आपकी कंपनी द्वारा उसके प्रारंभ से की गई संचयी स्वीकृतियां **तालिका-3** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹ 9,88,841.46 करोड़ थीं।

3. संवितरण

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, कुल ₹ 72,165.43 करोड़ की राशि संवितरित की गई थी जबकि पिछले वर्ष में ₹ 61,712.47 करोड़ की राशि संवितरित की गई थी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ₹ 19,662.13 करोड़ का अनुदान/सब्सिडी डीडीयूजीजेवाई के तहत ₹ 16,953.30 करोड़ (डीडीजी के तहत ₹ 140.97 करोड़ सहित) और सौभाग्य स्कीम के तहत ₹ 2,708.83 करोड़ राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों को संवितरित किए गए थे। प्रारंभ से लेकर दिनांक 31 मार्च, 2019 तक संवितरित की गई संचयी राशि ₹ 5,21,454.92 करोड़ थी जिसमें डीडीयूजीजेवाई-आरई, डीडीजी और सौभाग्य के तहत सब्सिडी शामिल नहीं है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य-वार संवितरण और उधारकर्ताओं द्वारा लौटाए गए ऋण का विवरण संचयी आंकड़ों तथा 31 मार्च, 2019 को बकाया सहित **तालिका-4** में दिया गया है।

4. वसूलियां

4.1 कंपनी मूलधन, ब्याज आदि के निमित्त अपने बकाया की समय से वसूली को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, मानक परिसंपत्ति (स्टेज-I और II) के लिए ब्याज सहित वसूली के लिए देय राशि पिछले वर्ष के दौरान ₹ 46,236 करोड़ की तुलना में ₹ 55,155 करोड़ थी। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान मानक परिसंपत्तियों (स्टेज-I और II) के निमित्त ₹ 54,502 करोड़ की कुल राशि की वसूली की जो कि पिछले वर्ष के दौरान ₹ 45,566 करोड़ थी। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में 98.82% की वसूली दर का लक्ष्य हासिल किया।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, मानक परिसंपत्तियों (स्टेज-I और II) से संबंधित चूककर्ता उधारकर्ताओं से अतिदेय राशि ₹ 2,413 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों (स्टेज-III) से ₹ 591 करोड़ की राशि वसूल की गई है जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 785 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

4.2 आपकी कंपनी की गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए) (स्टेज-III) निचले स्तर पर जारी रही। दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार सकल गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए) (स्टेज-III) ₹ 20,349 करोड़ था जो सकल ऋण संपत्तियों का 7.24 % था और निवल गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए) (स्टेज-III) ₹ 10,650 करोड़ था जो कि निवल ऋण परिसंपत्तियों का 3.79 % था।

5. वित्तीय समीक्षा

5.1 वित्तीय परिणामों का सारांश

वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	वित्तीय वर्ष 2017-18
प्रचालनों से राजस्व	**25,309.72**	22,454.62	**25,399.02**	22,651.60
अन्य आय	**31.44**	12.73	**32.31**	14.79
कुल आय	**25,341.16**	22,467.35	**25,431.33**	22,666.39
वित्त लागत	**15,641.54**	13,337.11	**15,639.20**	13,332.94
निवल ट्रांसलेशन/लेन-देन विनिमय हानि	**521.19**	19.37	**521.19**	19.37
शुल्क और कमीशन व्यय	**34.38**	24.58	**34.38**	24.58
उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल हानि	**348.52**	573.37	**348.52**	573.37
वित्तीय दस्तावेजों पर प्रभाव	**240.33**	2,297.12	**243.49**	2,300.53
अन्य व्यय	**454.70**	331.65	**564.06**	468.75
कुल व्यय	**17,240.66**	16,583.20	**17,350.84**	16,719.54
इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए शामिल संयुक्त उद्यम लाभ/हानि का हिस्सा	**-**	-	**9.95**	10.67
कर पूर्व लाभ	**8,100.50**	5,884.15	**8,090.44**	5,957.52
कर व्यय	**2,336.78**	1,464.26	**2,349.06**	1,507.00
कर पश्चात लाभ	**5,763.72**	4,419.89	**5,741.38**	4,450.52
इस अवधि के लिए अन्य व्यापक आय	**(60.54)**	4.24	**(60.59)**	5.67
कुल व्यापक आय	**5,703.18**	4,424.13	**5,680.79**	4,456.19
जोड़ें: प्रतिधारित आय और अन्य व्यापक आय का आरंभिक शेष	**5,304.75**	5,878.17	**5,536.07**	6,082.70
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि	**11,007.93**	10,302.30	**11,216.86**	10,538.89
घटाएं : विनियोजन				
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष रिजर्व	**(1,323.59)**	(1,582.49)	**(1,323.59)**	(1,582.49)
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii क) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋण	**(273.62)**	(335.80)	**(273.62)**	(335.80)
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत रिजर्व निधि	**(1,153.00)**	-	**(1,153.00)**	-
डिबेंचर मोचन रिजर्व	**(196.59)**	(196.59)	**(196.59)**	(196.59)

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	वित्तीय वर्ष 2017-18
सामान्य रिजर्व	**-**	(500.00)	**-**	(500.00)
लाभांश	**(2,518.02)**	(1,984.79)	**(2,518.02)**	(1,984.79)
लाभांश वितरण कर	**(506.84)**	(397.88)	**(525.51)**	(403.15)
प्रतिधारित आय और अन्य व्यापक आय का अंतिम शेष	**5,036.27**	5,304.75	**5,226.53**	5,536.07

5.2 राष्ट्रीय राजकोष में अंशदान

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय राजकोष में ₹ 3,767.78 करोड़ की राशि का अंशदान किया जबकि पिछले वर्ष ₹ 3,764.93 करोड़ का अंशदान किया था, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	वित्तीय वर्ष 2017-18
भारत सरकार को अदा किया गया लाभांश	**1,343.75**	1,160.30
लाभांश संवितरण कर	**506.84**	397.88
प्रत्यक्ष कर	**2,043.13**	2,166.70
आईजीएसटी और सीजीएसटी	**74.47**	23.50
सेनवैट क्रेडिट सहित भुगतान किया गया सेवा कर	**-**	16.55
कुल	**3,767.78**	3,764.93

5.3 अनुपात विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी के महत्वपूर्ण अनुपातों का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	वित्तीय वर्ष 2017-18
प्रति शेयर अर्जन (₹)	**29.18**	22.38
औसत निवल मूल्य पर आय (%)	**17.31**	14.06
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	**173.69**	163.57
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना)	**6.98**	6.15
मूल्य अर्जन अनुपात (गुना)*	**5.24**	5.57
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	**1.52**	1.44

* मूल्य अर्जन अनुपात का परिकलन क्रमशः 29 मार्च, 2019 (30 मार्च और 31 मार्च, 2019 का अवकाश होने के कारण) और 28 मार्च, 2018 (29, 30 और 31 मार्च, 2018 का अवकाश होने के कारण) को एनएसई में आरईसी के इक्विटी अंश की अंतिम कीमत के आधार पर किया गया है।

5.4 संसाधन जुटाना

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बाजार से ₹ 69,383.22 करोड़ जुटाए। इसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋणों के जारी ₹19,550 करोड़, राष्ट्रीय लघु बचत कोष से ₹ 5,000 करोड़ सावधि ऋण, पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्डों के जरिए ₹ 6,651.80 करोड़ और संस्थागत बॉण्डों के जरिए ₹ 24,010.40 करोड़ शामिल हैं। कंपनी में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 1,992.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (बाहरी वाणिज्यिक उधार से 1,367.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर और एफसीएनआर(बी) से 625.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के बराबर ₹ 14,171.02 करोड़ की निधियां भी जुटाईं। उपर्युक्त के अलावा, वाणिज्यिक दस्तावेज के माध्यम से ₹ 19,393.04 करोड़ की राशि भी जुटाई गई थी।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजना के वित्तपोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी ने वर्ष के दौरान निजी रूप से रखने के आधार पर संस्थागत बॉण्डों के माध्यम से कुल ₹ 13,827 करोड़ की राशि भी जुटाई। इन बॉण्डों के मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान भारत सरकार द्वारा विद्युत मंत्रालय की मांग में उपयुक्त बजट प्रावधान करके किया जाएगा।

आरईसी द्वारा जारी ग्रीन बॉण्डों का प्रकटन

देश में ग्रीन एनर्जी की भारी संभावना को लेने के माननीय प्रधानमंत्री के लक्ष्य को महसूस करने के निमित्त और 2022 तक 175 गीगावाट की क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आरईसी ने जुलाई, 2017 में दस वर्षों की अवधि के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीन बॉण्ड जुटाए जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार (आईएसएम) सेगमेंट और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

धनराशि का प्रयोग : धनराशि का उपयोग सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव में योगदान करते हुए और जीवाश्म ईंधन की निर्भरता को कम करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए आरईसी के ग्रीन बॉण्ड कार्यढांचों में परिभाषित किए गए अनुसार पात्र परियोजनाओं के पुनः वित्तपोषण सहित सौर, पवन और नवीकरणीय क्रय दायित्वों के वित्तपोषण के लिए किया गया है।

केपीएमजी, भारत ने आरईसी के ग्रीन बॉण्ड कार्यढांचे के आधार पर सत्यापन के उपरांत अपनी स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट उपलब्ध कराई है और उसे 17 जुलाई, 2018 को जलवायु बॉण्ड पहल के जलवायु बॉण्ड मानक बोर्ड द्वारा प्रमाणित भी किया गया है।

आरईसी ने ग्रीन बॉण्ड कार्यढांचा के अनुसार "ग्रीन पोर्टफोलियो" सृजित किया है जिसका प्रबंधन उस ग्रीन पोर्टफोलियो के लिए धनराशि के आबंटन हेतु मॉनीटरिंग, स्थापना और हिसाब रखने के लिए नियमित आधार पर अद्यतन की गई सुस्थापित आंतरिक ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से किया गया।

धनराशि का प्रबंधनः ₹ 2,894 करोड़ की धनराशि के बॉण्डों से प्राप्त निवल राशि को 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए आबंटित किया गया थाः

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	स्थान	क्षमता (मेगावाट में)	ऋण संस्वीकृति की तारीख	संस्वीकृत ऋण राशि	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार बकाया धनराशि
(क)	**सौर**				
1	तेलंगाना	45	21 सितंबर, 2016	269.50	256.16
2	तेलंगाना	30	21 सितंबर, 2016	179.62	170.07
3	करीमनगर तेलंगाना	15	11 नवंबर, 2016	89.84	82.88
4	चित्रदुर्ग, कर्नाटक	10	27 जनवरी, 2016	53.81	46.64
5	वारंगल, तेलंगाना	15	11 नवंबर, 2016	89.84	83.12
6	करीमनगर, तेलंगाना	15	11 नवंबर, 2016	89.84	82.85
7	अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	5	9 फरवरी, 2015	24.45	21.06
8	तेलंगाना	30	21 सितंबर, 2016	179.62	169.70
9	कडप्पा, आंध्र प्रदेश	50	12 अप्रैल, 2017	277.50	275.93
10	रंडा रेड्डी, तेलंगाना	5	27 जनवरी, 2016	26.90	25.11
11	मानसा, पंजाब	50	22 सितंबर, 2016	242.84	-
12	मेडक, तेलंगाना	7	26 नवंबर, 2015	39.90	36.57
13	निजामाबाद, तेलंगाना	15	11 नवंबर, 2016	89.84	82.53
14	आंध्र प्रदेश	23	24 फरवरी, 2016	140.00	-
15	करीमनगर, तेलंगाना	15	11 नवंबर, 2016	89.84	82.87
16	निरुदानगर, तमिलनाडु	5	14 जुलाई, 2015	26.13	22.32
17	चित्रदुर्ग, कर्नाटक	30	17 अप्रैल, 2017	150.39	150.39
18	मानसा और संगरूर, पंजाब	50	21 मई, 2016	169.69	157.53
उप-जोड़ (क)				**2,229.55**	**1,745.73**

क्रम सं.	स्थान	क्षमता (मेगावाट में)	ऋण संस्वीकृति की तारीख	संस्वीकृत ऋण राशि	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार बकाया धनराशि
(ख) पवन					
1	सांगली, महाराष्ट्र	10	24 फरवरी, 2015	47.09	42.89
2	मंदसौर, मध्य प्रदेश	20	28 जनवरी, 2016	86.63	70.54
3	तिरपुर, तमिलनाडु	6.8	6 जून, 2012	26.16	19.95
उप-जोड़ (ख)				**159.88**	**133.38**
(ग) नवीकरणीय क्रय दायित्व					
1	महाराष्ट्र	आरपीओ	24 जुलाई, 2017	500.00	447.92
2	महाराष्ट्र	आरपीओ	21 सितंबर, 2017	1,000.00	633.33
उप-जोड़ (ग)				**1,500.00**	**1,081.25**
सकल जोड़ (क+ख+ग)				**3,889.43**	**2,960.36**

आरईसी यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सतत दायित्वों के अनुसार अपने ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है कि ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि बॉण्ड की अवधि के दौरान ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क के अनुसार पात्र परियोजनाओं में निवेश की गई है।

नकद ऋण सुविधाएं

आपकी कंपनी को अपने दिन-प्रति दिन के प्रचालनों के लिए विभिन्न बैंकों से ₹ 11,840 करोड़ की सीमा तक अनुमोदित नकद ऋण/ डब्ल्यूसीडीएल/ ओडी उपलब्ध है।

5.5 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

घरेलू

आरईसी के घरेलू ऋण दस्तावेजों को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों - क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एवं आईसीआरए से "एएए" रेटिंग प्राप्त होना जारी रहा है जो इन एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च रेटिंग है।

अंतर्राष्ट्रीय

आरईसी को मूडीज तथा फिच, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से क्रमशः "बीएए3" और ''बीबीबी-'' की अतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है।

राष्ट्रीय रेटिंग

CRISIL	India Ratings & Research	CARE Ratings	ICRA
"AAA"	"AAA"	"AAA"	"AAA"

अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग

Moody's	Fitch Ratings
"Baa3"	"BBB - "

5.6 उधार की लागत

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान जुटाई गई निधियों की वार्षिक आधार पर समग्र औसत ब्याज दर 7.96% प्रति वर्ष है और यह 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, बकाया उधार 7.76% प्रति वर्ष है। परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण वित्तपोषण करने में समर्थ रही।

5.7 उन्मोचन और पूर्व-भुगतान

वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 34,741.67 करोड़ की रकम का पुनर्भुगतान किया। इसमें संस्थागत बॉण्डधारकों को ₹ 17,794.20 करोड़, पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड का ₹ 6,476.697 करोड़, अवसंरचना बॉण्डों के निमित्त ₹ 19.04 करोड़, विदेशी वाणिज्यिक उधार का ₹ 6,016.58 करोड़, एफसीएनआर ऋणों का ₹ 4,149.15 करोड़ और सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण का ₹ 286.00 करोड़ का पुनर्भुगतान शामिल है। कंपनी ने ₹ 200 करोड़ के दीर्घावधि ऋण तथा ₹ 15,250 करोड़ अंकित मूल्य के वाणिज्यिक दस्तावेजों का भी उन्मोचन कराया है।

5.8 वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर, आपकी कंपनी के कुल संसाधन ₹ 2,97,717.30 करोड़ के थे। इस राशि में से इक्विटी शेयर पूंजी ₹1,974.92 करोड़, आरक्षित तथा अधिशेष सहित अन्य इक्विटी ₹ 32,328.02 करोड़, उधारियों और अन्य देनदारियों सहित वित्तीय देनदारियां ₹2,63,232.24 करोड़, प्रावधानों और अन्य वित्तीय देनदारियों सहित गैर-वित्तीय देनदारियां ₹ 182.12 करोड़ रहीं। इन निधियों को ₹ 2,94,589.85 करोड़ के दीर्घकालिक/अल्पकालिक ऋणों, निवेशों इत्यादि सहित वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में, ₹ 3,127.45 करोड़ की परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, कर परिसंपत्तियों इत्यादि के रुप में नियोजित किया गया।

5.9 नीतिगत पहलें

यह कंपनी बाजार की अपेक्षाओं के अनुसार तथा साथ ही अपने कॉरपोरेट उद्देश्यों और लागू सांविधिक अपेक्षाओं के साथ समय-समय पर अपनी नीतियों/प्रक्रियाओं की निरंतर समीक्षा करती है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने विभिन्न नीतियों और दिशा-निर्देशों जैसे पारंपरिक निजी क्षेत्र उधारकर्ताओं के लिए (सामान्य परियोजनाएं) ब्याज दर में कटौती के लिए नीति; नवीकरणीय ऊर्जा ऋणों के लिए नीति में संशोधन, निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के संस्था एवं परियोजना मूल्यांकन के लिए एकीकृत रेटिंग दिशा-निर्देशों की समीक्षा; प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया (टीबीसीबी) के माध्यम से प्रदान की गई निजी क्षेत्र की अंतर-राज्यीय पारेषण (आईएसटीएस) परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए नीति; सभी श्रेणियों की विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रोमोटर्स इक्विटी अंशदान प्रदान करने के लिए इक्विटी दस्तावेज फार्मों के लिए नीति; शक्तियों के प्रत्यायोजन के अंतर्गत विभिन्न ऋण प्रस्तावों की स्वीकृति सीमा में संशोधन; कंपनी की व्यापक जोखिम प्रावधान नीति में संशोधन; संगत पक्ष असाइनमेंट में प्रशासनिक व्यय के लिए संगत पक्ष को सामान्य शुल्क के भुगतान के संबंध में नीति में संशोधन किए हैं ।

बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद, वर्ष के दौरान कंपनी स्वस्थ माहौल, कारोबार संवृद्धि के अपने उद्देश्यों में संतुलन और लाभप्रदता बनाए रखने में सक्षम रही है।

6. वर्तमान पारेषण और वितरण परिदृश्य

पारेषण एवं वितरण (टीएंडडी) उद्योग तीन तरह से व्यापक पैमाने पर क्षमता वर्धन और प्रणाली संवर्धन साक्षी है - वर्तमान में देश की संस्थापित उत्पादन क्षमता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार अब करीब 356 गीगावाट (मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार) के उच्च स्तर पर है। वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से भारी क्षमता को जोड़े जाने की योजना है जिससे हरित ऊर्जा निष्क्रमण कॉरीडोर का आवश्यक विकास होगा और मौजूदा ग्रिड के साथ इसका एकीकरण होगा। व्यापक क्षमता के सौर पार्कों का विकास इस दिशा में एक ऐसी ही प्रमुख पहल है।

उत्तर प्रदेश में अनपरा से उन्नाव तक, आरईसी द्वारा वित्तपोषित 765 केवी अनपरा-उन्नाव एस/सी पारेषण लाइन

साथ ही, तकनीकी रूप से पुरानी और कालातीत वितरण अवसंरचना को मजबूत बनाए जाने की भी जरूरत है। सौर पार्कों की स्थापना में भावी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विकास के अनुसार योजना बनाने और अपेक्षाकृत लघु अवधि के साथ प्रणाली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचना सृजित करने की जरूरत है। समय की मांग है कि एक अत्याधुनिक मजबूत और विश्वसनीय निष्क्रमण और वितरण प्रणाली स्थापित की जाए जो कि अधिक भार को वहन करने में सक्षम हो। भारत सरकार के अग्रगामी कार्यक्रम के तहत लक्षित, घरेलू कनेक्शन का कार्य पूरा होने पर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संभावित शुरूआत को देखते हुए आने वाले वर्षों में मांग में वृद्धि होगी जिसके लिए पहले से ही वितरण तंत्र का विस्तार करने और उसे मजबूती प्रदान करने की तत्काल जरूरत है। अतः इस क्षेत्र को विश्वसनीय बनाने, स्वस्थ, किफायती बनाने और परिकल्पित भावी विकास को आत्मसात करने में सक्षम बनाने तथा साथ ही क्षमता में वृद्धि करने और देश भर में अंतिम छोर तक पहुँचने के लिए आने वाले वर्षों में पारेषण और वितरण (टीएंडडी) घटक आकर्षण का एक प्रमुख क्षेत्र होगा। नीति संबंधी ढांचा उपभोक्ताओं को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति करने और विद्युत ग्रिड के साथ भावी अक्षय ऊर्जा स्रोतों का एकीकरण करने के लिए राज्य सरकारों के संकल्प में वृद्धि करने में समर्थ होगा।

वितरण क्षेत्र का पुनरुद्धार करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2014 से प्रमुख पहल शुरू की है जैसे डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय), स्मार्ट ग्रिड टास्क फोर्स जैसे कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम जैसे आईपीडीएस, एनईएफ इत्यादि और देश में विद्युत वितरण के क्षेत्र में सुधार करने तथा उसे अनुकूल बनाने के प्रति प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी एक नोडल एजेंसी के रूप में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर क्षेत्र की हालत में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

आपकी कंपनी नई अवसंरचना के सृजन और मौजूदा नेटवर्क का विस्तार/सुदृढ़ीकरण करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। आपकी कंपनी विभिन्न सुधार संबंधी उपायों में तेजी लाने और आधुनिकीकरण करने सहित सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने और सिस्टम/स्मार्ट ग्रिड, मीटर और उपभोक्ता सेवाओं के लिए आईटी समर्थित सिस्टम का ऑटोमेशन करने, वितरण क्षेत्र में अन्य प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप करने और अपने प्रचालनीय व वित्तीय निष्पादन में सुधार लाने के लिए डिस्कॉम को प्रोत्साहित करती है।

समय के अनुसार काम करते हुए, जहां पर कि यूटिलिटीज के समक्ष अपने आपको बनाए रखने के साथ साथ उपभोक्ताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने की समस्याएं हैं, आपकी कंपनी आज प्रणाली में सुधार करने और विस्तार करने, हानि में कमी लाने के उपाय करने, आईटी आधारित प्रणाली के कार्यान्वयन, उपभोक्ता की संतुष्टि इत्यादि के उद्देश्य से व्यापक रूप से वितरण परियोजनाओं के समग्र तंत्र की वित्त व्यवस्था करती

है। आपके कंपनी विवेकशील/योग्य और मजबूत मूल्यांकन तंत्र के आधार पर डिस्कॉम की विशेष व्यवस्था/अपेक्षाओं पर विचार करने के लिए हमेशा तैयार रहती है।

आपकी कंपनी को आशा है कि जब संबंधित राज्यों द्वारा उक्त कार्यक्रमों के अनुसार किए गए सुधार संबंधी उपाय समग्र वितरण परिदृश्य में फलीभूत होना शुरू होंगे और बदलाव दिखाए देंगे तो वितरण परिदृश्य में निकट भविष्य में निरंतर सुधार और व्यापक बदलाव आएगा।

अतः वितरण की विद्युत क्षेत्र के विकास और स्थायित्वता में तथा देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

अंतिम उपभोक्ता के लिए गुणवत्तापरक विद्युत की बढती मांग के लिए एक सुदृढ़ पारेषण एवं वितरण अवसंरचना की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हाइब्रिड वाहनों, इलैक्ट्रिक वाहनों, चार्जिंग स्टेशनों सहित आवागमन में प्रौद्योगिकीय उन्नति के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार की प्रोत्साहन सहायता तेज गति से हो रही है। अतः उपरोक्त को देखते हुए निकट भविष्य में इस क्षेत्र में भारी निवेश की संभावना नजर आ रही है।

तदनुसार, पारेषण कंपनियों (ट्रांस्को) और वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को अवसंरचना का सृजन करने और आने वाले वर्षों के दौरान अपने पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने की जरूरत है ताकि उत्पादन सुविधाओं से उप केंद्रों और उपभोक्ताओं तक विद्युत पहुँचाने के लिए विश्वसनीय, मजबूत और सक्षम प्रणाली प्रदान करने में सक्षम हो सके।

6.1 वितरण क्षेत्र में प्रमुख सुधार

भारत सरकार ने व्यापक कार्यढांचा प्रदान करने और विद्युत क्षेत्र के सुधारों के लिए ब्लू प्रिंट देने के लिए भी विद्युत अधिनियम, 2003 और राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति, राष्ट्रीय विद्युत नीति, ग्रामीण विद्युतीकरण नीति आदि जैसे विभिन्न अन्य नीतिगत उपायों द्वारा इस क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर पूरे प्रयास किए हैं। वर्ष 2014 के बाद से प्रचालनात्मक और वित्तीय निष्पादन इस बात का संकेत है कि वितरण क्षेत्र सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अधिकतर राज्यों में अनबंडलिंग, निगमीकरण, विनियामक आयोग संस्थापित करने आदि की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है। इस प्रकार, डिस्कॉमों की जिम्मेदारी बढ़ गई है और उन्हें अधिक स्वायत्ता भी मिल गई है। प्रचालनात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए मामला दर मामला आधार पर कुछ वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा विशेष क्षेत्रों में वितरण फ्रेंचाइजी लगाए गए हैं। विगत दशक में भारत सरकार ने आर-एपीडीआरपी जैसे बीमारु डिस्कॉमों को अवसंरचना सुदृढ़ करने के उद्देश्य और हानियों को कम करने के लिए, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के लिए प्रयास करने और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को सर्विस कनेक्शन जारी करने शहरी खंडों में सुधार करने के लिए आर-एपीडीआरपी तथा वितरण प्रणालियों की आईटी सक्षम शुरू करने और हाल ही में डीडीयूजीजेवाई तथा आईपीडीएस के उद्देश्य से उन्हें लाभ प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस और उदय जैसे उन्नत कार्यक्रम डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक एवं आमूल-चूल वित्तीय परिवर्तन को समर्थ बनाने के रूप में सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त, एनईएफ - एक ब्याज सब्सिडी स्कीम, वितरण क्षेत्र में पूंजीगत निवेश बढ़ाने तथा सुधार प्रक्रिया शीघ्र करने के उद्देश्य से भी कार्यान्वयन के अधीन है।

आरईसी, डीडीयूजीजेवाई और एनईएफ योजना के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है और यह उदय के कार्यान्वयन में भी भारत सरकार के प्रयासों को सहायता देने में मुख्य भूमिका निभा रही है। डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के वित्तीय परिव्यय से वितरण क्षेत्र में पूंजीगत निवेशों की गति पर्याप्त रूप में बढ़ेगी और डिस्कॉमों के पहले से ही दबावयुक्त तुलन पत्रों पर अतिरिक्त जोर दिए बिना ग्रामीण एवं शहरी, दोनों क्षेत्रों में विद्युत की खपत के भावी वृद्धि पैटर्न को लेने के लिए वितरण का मुख्य भाग सुदृढ होगा। साथ ही, आरईसी आर-एपीडीआरपी परियोजनाओं के लिए प्रतिभागी वित्तपोषण भी प्रदान करता है जिसका उद्देश्य पर्याप्त रूप से शहरी क्षेत्रों में तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को कम करना है।

सभी राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित ''सभी के लिए विद्युत'' दस्तावेज इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने के लिए पूरे देश में प्रतिबद्धता दर्शाता है। आपकी कंपनी ''सभी के लिए विद्युत'' वेब-पोर्टल विकसित करने में सहायक रही है और इस प्रयास में विद्युत मंत्रालय की सहायता करने में लगी हुई है। आपकी कंपनी अपेक्षित वित्तपोषण उपलब्ध कराने के संदर्भ में और इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए मुद्दों, यदि कोई हैं, को हल करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ कार्य करने में संबंधित राज्य यूटिलिटियों के साथ भागीदारी करके इन प्रयासों में सहायता भी कर रही है।

विद्युत मंत्रालय ने देश में सभी राज्य डिस्कॉमों के लिए एकीकृत रेटिंग प्रणाली तैयार की है जो मुख्य परिभाषी मानदंडों के आधार पर निष्पादन का वास्तविक मूल्यांकन सुकर बनाती है। यह रेटिंग सिद्धांत डिस्कॉमों को उनकी शक्ति तथा कमजोरियों का विश्लेषण करने में समर्थ बनाती है तथा उनके प्रचालनात्मक और वित्तीय निष्पादन में सुधार के लिए केंद्रीय दृष्टिकोण को सुकर बनाती है। यह वितरण कंपनियों के वित्तपोषण संबंधित प्रस्तावों पर विचार करते समय बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा सतत दृष्टिकोण को अपनाने में भी सहायता करती है।

विभिन्न हितधारकों जैसे उपभोक्ताओं, राज्य यूटिलिटी, नीति निर्माताओं, सरकारों, एसईआरसी, सीईआरसी और सीईए इत्यादि के साथ माध्यम (स्थानीय नेटवर्क) और सामग्री (विद्युत आपूर्ति) को पृथक करने पर भी चर्चा की जा रही है। इस उपाय से भारी मात्रा में आपूर्ति लाइसेंसधारकों को शामिल करके प्रतिस्पर्द्धी विद्युत कीमत निर्धारण होने की संभावना है। इस प्रकार से उपभोक्ताओं को अपने आपूर्तिकर्ता चुनने में आसानी होगी और उन्हें स्रोत से अपनी सुविधा के लिए विद्युत प्राप्ति के लिए तारों का इस्तेमाल करने के लिए निर्धारित पारेषण प्रभारों का ही भुगतान

करना होगा। तथापि, इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप की ही जरूरत होगी और प्रक्रिया में सुधार लाकर उपभोक्ताओं के लिए उन्नत गुणवत्ता और किफायती सेवाओं को प्रदान किया जा सकेगा।

विद्युत वितरण क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रारंभ होने से विद्युत प्रणाली "स्मार्ट" हो जाएगी और दो तरह के निकटतम वास्तविक समय डाटा सूचना के साथ एक एकीकृत कार्यढांचे, सक्रिय रूप से संवेदन और विद्युत मांग, आपूर्ति, लागत, गुणवत्ता आदि में परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन देने के रूप में पूरी प्रणाली का प्रबंधन करने के लिए यूटिलिटियों को मदद मिलेगी। यूटिलिटियां बेहतर मांग पक्ष प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण मानदंडों अर्थात दिन का समय, गुणवत्ता और खपत की मात्रा, भार की प्रकृति, मौसम के भार पैटर्न आदि के आधार पर अलग-अलग उपभोक्ता आंकड़े रखने में सक्षम होंगे। आंकड़ा केंद्र में वास्तविक समय संचार की विशेषता वाले मीटरों से राजस्व बढ़ेगा क्योंकि चोरी के रूप में पहले प्रयोग की जा रही बिजली छुपी नहीं रह जाएगी। उपभोक्ता भी अपनी खपत पद्धति की निगरानी कर सकते हैं और तदनुसार अपने भावी उपयोगों की योजना बना सकते हैं।

विद्युत मंत्रालय के एक अन्य संकेंद्रित क्षेत्र राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) के माध्यम से कई प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, एक अंतर मंत्रालयी समूह - स्मार्ट ग्रिड टास्क फोर्स (आईएसजीटीएफ) देश का स्मार्ट ग्रिड रोड मैप विकसित कर रहा है। भारतीय वातावरण के अंतर्गत विभिन्न कार्यकरणों की जांच के लिए एनएसजीएम के तहत शुरू की गईं 11 स्मार्ट ग्रिड प्रायोगिक परियोजनाओं में से मई, 2019 की स्थिति के अनुसार एक वाणिज्यिक प्रचालन में है, छः परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और चार परियोजनाएं तैयार घोषित की जा चुकी हैं। इन प्रायोगिक परियोजनाओं के उद्देश्य में विद्युत गुणवत्ता प्रबंधन (पीक्यूएम), उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई) प्रदान करना, आउटेज प्रबंधन (ओएम), पीक लोड मैनेजमेंट (पीएलएम) और साथ ही डीजी (वितरित उत्पादन) एवं माइक्रो ग्रिड कार्यकरण शामिल हैं। वर्तमान में 5 स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएं विभिन्न शहरों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इस पहल से स्मार्ट ग्रिड के लिए सहायता मिलेगी।

वितरण क्षेत्र द्वारा 100 स्मार्ट प्लस शहरों के विकास को बढ़ावा देने में आवश्यकता की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने और प्रौद्योगिकी उन्नयन से नए वित्तीय अवसर प्रस्तुत होंगे।

सभी को विद्युत की सुविधा देने और यूटिलिटियों के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय निष्पादन में सुधार लाने के भारत सरकार के द्विस्तरीय मिशन पहले ही आरंभ हो गए हैं जो कई राज्यों में विनियामक द्वारा प्रशुल्कों की समय पर अधिसूचना, एमवाईटी याचिकाएं दायर करने, एआरआर में इक्विटी पर आय का दावा करने, राज्य सरकारों द्वारा राजस्व सब्सिडी जारी करने आदि के संदर्भ में परिणाम दर्शा रहा है।

6.2 राष्ट्रीय विद्युत निधि

आरईसी राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के लिए नोडल एजेंसी है - यह ₹ 8,466 करोड़ (ब्याज सब्सिडी की तुलना में) के प्रावधान वाली एक ब्याज सब्सिडी योजना है जिसमें दो वित्तीय वर्षों अर्थात 2012-13 और 2013-14 के दौरान स्वीकृत वितरण स्कीमों के लिए ₹ 23,973 करोड़ की धनराशि के ऋण संवितरण पर 14 वर्षों में दी जाएगी। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार राज्य विद्युत यूटिलिटियों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों में वितरण कंपनियों को वितरण क्षेत्र में अवसंरचना सुधार के लिए संवितरित ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। यह योजना सुधार संबद्ध है और एनईएफ दिशा-निर्देशों में उल्लिखित सुधार आधारित मानदंडों की उपलब्धि पर डिस्कॉमों को 3 % से 7 % ब्याज सब्सिडी देय है। शुरू में एनईएफ संचालन समिति ने एनईएफ के अधीन लाभ लेने के लिए ₹ 25,000 करोड़ की परियोजनाएं पहले ही अनुमोदित की थीं जो एनईएफ संचालन समिति के निर्णय के अनुसार कुछ नॉन स्टार्टर परियोजनाओं को सूची से हटाने के कारण घटकर ₹ 23,973 करोड़ हो गई है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से यूटिलिटियां 31 मार्च, 2019 तक इस योजना के तहत अनुमोदित ₹ 175.07 करोड़ की ब्याज सब्सिडी से पहले ही लाभान्वित हो चुकी हैं।

6.3 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए भारत सरकार की एक अग्रणी योजना है। योजना के तहत, परियोजना लागत का 60% (विशेष राज्यों के लिए 85%) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है और 15% (विशेष राज्यों के लिए 5%) तक का अतिरिक्त अनुदान भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर दिया जाता है तथा जनसंख्या मानदंड पर ध्यान न देते हुए सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों/आवासों को इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्युतीकरण के लिए शामिल किया जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण की पहले की सभी योजनाएं डीडीयूजीजेवाई में मिला दी गई हैं। डीडीयूजीजेवाई के प्रचालनीकरण के लिए भी आरईसी एक नोडल एजेंसी है।

डीडीयूजीजेवाई देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित परियोजना संघटकों के माध्यम से 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सुविधा प्रदान करती है :

क) कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग-अलग करके गैर-कृषि उपभोक्ताओं को सतत गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति में समर्थ बनाना;

ख) ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण का सुदृढ़ीकरण और स्वचलन;

ग) माइक्रो-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड वितरण नेटवर्क;

घ) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं के मीटर लगाना; और

ङ) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य (पूर्व की आरई परियोजनाओं सहित)।

योजना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी हितधारकों की सहभागिता से, विशेष रूप से लोक प्रतिनिधियों को वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला विद्युत समितियों (अब जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) का गठन करके पहले ही सहायता प्रदान की गई है। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) को डीडीयूजीजेवाई की निगरानी करने, समीक्षा करने और कार्यान्वयन करने के लिए सशक्त बनाया गया है।

6.4 जम्मू व कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) 2015

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 27 नवंबर, 2015 को जम्मू व कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) 2015 की घोषणा की गई थी, जिसकी अनुमोदित परियोजना लागत ₹ 2,570.14 करोड़ \(भारत सरकार का अनुदान 90 प्रतिशत अर्थात ₹ 2,301.62 करोड़) थी। परियोजना घटक में ₹ 1,157.75 करोड़ राशि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वितरण सुदृढ़ीकरण परियोजनाएं शामिल हैं जिनके लिए भारत सरकार आरईसी के माध्यम से धनराशि जारी करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वितरण सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं के तहत शामिल कार्य में प्रणाली सुदृढ़ीकरण करना, कनेक्शन रहित घरों को कनेक्शन देना, कांटे का तार बदलना और टूटे पोल बदलना, पर्यटन स्थलों पर भूमिगत केबिल, उपभोक्ता मीटरिंग, औद्योगिक क्षेत्रों में 33/11 केवी के उप स्टेशनों का निर्माण करना और धर्म स्थलों पर विद्युत अवसंरचना प्रदान करना शामिल है।

6.5 सौभाग्य - प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

माननीय प्रधानमंत्री ने देश में प्रत्येक गांव और जिले को शामिल करते हुए हर घर में बिजली के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिनांक 25 सितंबर, 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य का शुभारंभ किया। हर घर में विद्युत प्रदान करने के लिए अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करना अपेक्षित होता है। जहां ग्रिड कनेक्टिविटी व्यावहारिक नहीं है और वित्तीय रूप से अव्यवहार्य है, वहां विद्युतीकरण सौर आधारित ऑफ ग्रिड प्रणालियों के माध्यम से किया गया। योजना परिव्यय ₹ 16,320 करोड़ है जिसमें ₹ 12,320 करोड़ की सकल बजटीय सहायता शामिल है। आरईसी योजना के प्रचालन के लिए नोडल एजेंसी है।

योजना का उद्देश्य (क) ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करना और बिजली कनेक्शन देना, (ख) दूर-दराज के स्थानों और ऐसे गांवों व बस्तियों, जहां बिजली की पहुँच नहीं है, और जहां ग्रिड विस्तार व्यवहार्य अथवा किफायती नहीं है, वहां सोलर फोटोवोल्टेक (एसपीवी) आधारित स्टैंडअलोन प्रणाली उपलब्ध कराना और (ग) शहरी क्षेत्रों में शेष सभी आर्थिक रूप से गरीब गैर-विद्युतीकृत घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करना और बिजली कनेक्शन देना। गैर-गरीब शहरी परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है।

6.6 उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

वित्तीय रूप से दबावग्रस्त डिस्कॉम वहनीय दरों पर पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं थे जिसके कारण देश में लंबे समय से गुणवत्तापरक जीवन, समग्र आर्थिक वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। शत- प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण करने और फिर 100 % घरों का विद्युतीकरण करने, 24x7 विद्युत की आपूर्ति करने और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के प्रयासों को डिस्कॉमों का पर्याप्त क्षमता निर्माण किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, लगातार विद्युत कटौती की समस्या को "मेक इन इंडिया" और "डिजीटल इंडिया" जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए शीघ्र समाधान की आवश्यकता है। इसके अलावा, डिस्कॉमों में अनसुलझे विरासत के मुद्दों से वे ऋण से वित्तपोषित की जा रही प्रचालनात्मक हानियों के साथ दुश्चक्र में फंस गए हैं। डिस्कॉमों का बकाया ऋण 2011-12 के अंत में लगभग ₹ 2.4 लाख करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 4.3 लाख करोड़ हो गया था। इन सब लंबे समय से चले आ रहे तथा संभावित भावी मुद्दों का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए नवंबर, 2015 में शुरू की गई उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के माध्यम से विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अत्यधिक महत्वाकांक्षी पहल मानीनय प्रधानमंत्री के सभी के लिए 24x7 किफायती और सुलभ विद्युत के विजन को मानने के लिए एक सशक्त सुधार है।

उदय स्कीम डिस्कॉमों को (i) डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार लाना, (ii) विद्युत की लागत में कमी, (iii) डिस्कॉमों की ब्याज लागत में कमी और (iv) राज्य वित्त के समान रखने के जरिए डिस्कॉमों में वित्तीय अनुशासन लागू करने जैसी पहलों के माध्यम से संबंधित समझौता ज्ञापन की समाप्ति पर हानि रहित व्यापार करने के अवसर प्रदान करती है।

इस कार्यक्रम को पहले ही विभिन्न राज्य सरकारों/डिस्कॉमों से महत्वपूर्ण आकर्षण प्राप्त हुआ है और 32 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अब "उदय" के भाग हैं, 16 राज्य (झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,

हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, असम, तमिलनाडु और मेघालय) व्यापक सुधार के लिए इसमें आ रहे हैं और शेष 11 राज्य एवं 5 संघ राज्य क्षेत्र प्रचालनात्मक परिवर्तन के लिए शामिल हो रहे हैं। उदय स्कीम उत्साहवर्धक परिणाम दर्शा रही है क्योंकि डिस्कॉमों की ₹ 2.09 लाख करोड़ मूल्य की देयताएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने ऊपर ले ली गई हैं और अतिरिक्त रूप से ₹ 0.24 लाख करोड़ बॉण्ड जारी करके पुनर्निर्मित/पुनः कीमत निर्धारण करके किए गए हैं; इस प्रकार डिस्कॉमों का तुलन पत्र साफ कर दिया गया है और उन्हें पूंजी व्यय चक्र पुनः शुरू करने में सक्षम बनाया गया है तथा विद्युत क्षेत्र के सभी दावेदारों अर्थात डिस्कॉमों, ट्रांस्को, जेनको, आईपीपी, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं आदि के वित्तीय रूप से अर्थक्षम प्रचालनों को भी सक्षम बनाया गया है।

आपकी कंपनी उदय वेब पोर्टल (www.uday.gov.in) और उदय मोबाइल ऐप के विकास में सहायक रही है जो इस कार्यक्रम में उल्लिखित प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक प्रमुख सक्षम कारक है। वेब पोर्टल/मोबाइल ऐप के माध्यम से डिस्कॉमों के निष्पादन के संबंध में सभी ब्यौरे इस योजना के तहत नियोजित मार्ग की तुलना में तैयार रूप में उपलब्ध हैं। तद्नुसार, निष्पादन में कोई भी विचलन सभी दावेदारों के लिए उपयुक्त रूप से उल्लिखित किए जाते हैं और इस प्रकार डिस्कॉम सुधारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम हो जाते हैं और अन्य उनकी स्थिति का उचित रूप से मूल्यांकन कर पाते हैं। डिस्कॉमों के निष्पादन के संबंध में पहले सूचना अद्यतन की जाती थी और उदय वेब पोर्टल तथा मोबाइल ऐप से अब नवीनतम तिमाही का निष्पादन 1 से 3 माह के अंतराल के भीतर व्यापक रूप से प्रयोग के लिए उपलब्ध होती है।

6.7 ऊर्जा मित्र

ऊर्जा मित्र वितरण क्षेत्र का एक सुधार है जिसे विद्युत मंत्रालय के मार्ग निर्देशन में आपकी कंपनी की सहायता कंपनी आरईसीटीपीसीएल के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। ऊर्जा मित्र अपनी तरह का एक पहल अनुप्रयोग है जो एसएमएस/ई-मेल/ पुश अधिसूचनाओं के जरिए पूरे भारत में शहरी/ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं का विद्युत आउटेज प्रसारित करने के लिए राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों के लिए केंद्रीय आउटेज प्रबंधन और अधिसूचना मंच (वेब पोर्टल www.urjamitra.com तथा मोबाइल ऐप) प्रदान करता है। पूरे राष्ट्र में विद्युत के उपभोक्ता एकीकृत मोबाइल अनुप्रयोग के जरिए एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफार्म के अनुमानित अवधि की पूर्व सूचना और अनुसूचित विद्युत आउटेज के कारण तथा गैर-अनुसूचित विद्युत आउटेज की खराबी के बाद की सूचना के लिए आउटेज अद्यतन की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें देश के किसी भी भाग में रियल टाइम पावर आउटेज देखने के लिए तथा पावर आउटेज पर एक शिकायत दर्ज करने के लिए एक मंच भी प्रदान किया गया है। स्थानीय भाषा में मोबाइल ऐप प्रदन करके हितधारकों से सम्पर्क सुनिश्चित किया जाता है जिसे पावर आउटेज सूचना डालने/वर्तमान आउटेज देखने/आउटेज शिकायतों पर उपचारी कार्रवाई इत्यादि के लिए फील्ड स्टाफ द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है।

मई, 2019 तक 29 राज्यों की 52 डिस्कॉमों के करीब ₹ 19.05 करोड़ उपभोक्ताओं के डाटा अनुप्रयोग में अपलोड किए गए हैं और अब तक ₹ 135.46 करोड़ एसएमएस उपभोक्ताओं को भेजे जा चुके हैं।

6.8 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग स्कीम

देश में पूरे वितरण नेटवर्क की पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए और "सभी के लिए 24x7 विद्युत" की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण भारत के वास्तविक समय आपूर्ति मानदंडों को लेना अनिवार्य समझा गया है और इसकी प्राप्ति वास्तविक वितरण मानदंडों को लेकर अर्थात विद्युत आपूर्ति बंदी तथा फीडर-वार ऊर्जा लेखा परीक्षा करके और एटीएंडसी हानियों का परिकलन करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता/गुणवत्ता की मॉनीटरिंग के द्वारा की जा सकती है।

इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वितरण क्षेत्र सुधारों के तहत "11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग स्कीम" शुरू की गई है और इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड को नियुक्त किया गया है। इस स्कीम के तहत ग्रामीण फीडर मीटर के आंकड़े केंद्रीय मीटर आंकड़ा उत्सर्जन प्रणाली (एमडीएएस) को विश्लेषण के लिए भेजे जाते हैं और उसके बाद उन्हें सभी हितधारकों को उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल (एनपीपी) पर एकीकृत किया जाता है।

इस स्कीम का उद्देश्य सभी बाहर जाने वाले 11 केवी ग्रामीण फीडरों और उन 66/33 केवी आने वाले फीडरों, जहां से विद्युत आपूर्ति मॉनीटरिंग, अलर्ट, मीटर डाटा विश्लेषण, सूचना प्रसारण एवं ऊर्जा लेखा परीक्षा के लिए वास्तविक समय आधार पर सार्वजनिक पोर्टल पर सभी के लिए सूचना ऑनलाइन उपलब्ध कराने तथा 11 केवी ग्रामीण फीडर लगे हैं, के विभिन्न अनिवार्य मानदंड प्राप्त कर पूरे देश के लगभग 1.1 लाख ग्रामीण एवं कृषि फीडरों के लिए स्व-निर्धारित स्वतंत्र वेब आधारित ऑटोमेटिव प्रणाली विकसित करना है। मई, 2019 तक 71,000 से अधिक मॉडम स्थापित किए जा चुके हैं जो करीब 80 % संचार प्रदान कर रहे हैं।

इस प्रणाली से विद्युत आपूर्ति, समुचित योजना, निर्णय सहायता की मॉनीटरिंग के लिए सहायता मिलेगी तथा विद्युत आपूर्ति स्तर पारदर्शी रूप से प्रसारित करने के अलावा व्यापार क्रियाकलापों के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करने में भी सहायता मिलेगी। इससे फीडरों पर संस्थापित मीटरों से डाउनलोड किए गए विभिन्न मानदंडों को एक सामान्य डाटा बेस में समेकित करने में सुविधा मिलेगी और इस प्रकार विश्लेषण और कार्रवाई के लिए विभिन्न एमआईएस रिपोर्टें तैयार की जा सकेंगी।

6.9 तरंग

तरंग - रियल टाइम निगरानी और विकास के लिए पारेषण ऐप, बेहतर मॉनीटरिंग के लिए पारेषण क्षेत्र की एक पहल है जिसका संचालन आपकी कंपनी की एक सहायक कंपनी आरईसीटीपीसीएल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। यह पारेषण प्रणाली की पैन इंडिया प्रगति के संबंध में सूचनापरक माध्यम है जिसे माह-वार, एजेंसी-वार, राज्य-वार ड्रिल किया जा सकता है। रुकी हुई/विलंब वाली परियोजनाओं के ब्यौरे विलंब के कारणों सहित अलग से लिए गए हैं ताकि सभी संबंधित दावेदार परियोजनाओं को समय से पूरा करने पर लाभ लेने के लिए समय पर सुधारात्मक निर्णय ले सकें। देश में तरंग पारेषण प्रणाली की प्रगति अर्थात प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली (टीबीसीबी) तथा विनियमित प्रशुल्क तंत्र के माध्यम से अंतर्राज्यीय और अंतरा-राज्यीय दोनों की प्रगति की मॉनीटरिंग करता है। दूसरे शब्दों में, यह भार में पारेषण प्रणाली का रियल टाइम भंडार है।

तरंग विभिन्न पारेषण यूटिलिटियों पैन इंडिया द्वारा चलाई जा रही एनआईटी के साथ संभावित उभरती हुई अंतर्राज्यीय और अंतरा-राज्यीय परियोजनाएं भी दर्शाता है। तरंग भावी पारेषण परियोजनाओं के लिए आगे आने के लिए बोलीदाताओं को मदद करते हुए पारेषण संबंधी अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित बढ़ती हुई पारेषण परियोजनाओं की अग्रिम सूचना प्रदान करता है।

7. वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलाप

आपकी कंपनी गांवों के विद्युतीकरण के साथ-साथ विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रमुख वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलापों का विवरण निम्नानुसार है:

7.1 उत्पादन

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, आपकी कंपनी ने 56 विद्युत उत्पादन/मरम्मत तथा अनुरक्षण ऋण मंजूर किए हैं, जिनमें 04 अतिरिक्त ऋण सहायता भी शामिल हैं और इनका कुल वित्तीय परिव्यय ₹ 41,431.87 करोड़ था जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार अन्य वित्तीय संस्थाओं के वित्तपोषण की मात्रा शामिल है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण राशि
राज्य क्षेत्र		
नया ऋण	49	28,592.37
अतिरिक्त ऋण	2	2012.49
निजी क्षेत्र		
नया ऋण	2	8,701.30
अतिरिक्त ऋण	2	2,025.71
अन्य	1	100.00
कुल	**56**	**41,431.87**

आंध्र प्रदेश में आरईसी द्वारा वित्तपोषित एपीजेनको का 500 मेगावाट का सोलर पीवी संयंत्र

7.2 नवीकरणीय ऊर्जा

वर्ष के दौरान, आरईसी ने कुल 2197.46 मेगावाट की संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता वाली 36 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹ 11,875.20 करोड़ की ऋण सहायता मंजूर की है, जिनमें से 12 सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजनाएं थीं जिनकी कुल क्षमता 860 मेगावाट है, 13 पवन विद्युत परियोजनाएं जिनकी कुल क्षमता 1280 मेगावाट थी, 2 लघु जल विद्युत परियोजनाएं थीं जिनकी कुल क्षमता 27 मेगावाट है, 1 सौर पम्प सेट परियोजना (6,583 पम्प सेट) थी जिसकी कुल क्षमता 28.81 मेगावाट थी, 1 सौर रुफ टॉप परियोजना थी जिसकी कुल क्षमता 1.65 मेगावाट थी, 1 इलैक्ट्रिकल व्हीकल परियोजना थी और 6 परियोजनाएं राज्य डिस्कॉमों के नवीकरणीय क्रय दायित्वों को पूरा करने के लिए ऋण के लिए थी।

वर्ष 2018-19 के दौरान स्वीकृत सभी परियोजनाओं की कुल लागत ₹ 17,273.54 करोड़ है। नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी के तहत स्वीकृतियों और संवितरण में पूर्व वर्ष की तुलना में क्रमशः 69 % और 23 % की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान प्राप्त संवितरण ₹ 6,627.76 करोड़ था, जैसाकि नीचे दिया गया है:

विवरण	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
संस्वीकृत परियोजनाएं	संख्या	**36**	28
संस्वीकृत परियोजनाओं की क्षमता	मेगावाट	**2,197.46**	704
परियोजनाओं की लागत	₹ करोड़ में	**17,273.54**	9,453.42
संस्वीकृत ऋण		**11,875.20**	7,034.24
संवितरित ऋण		**6,627.76**	5,403.27

7.3 पारेषण और वितरण

आपकी कंपनी अपने टीएंडडी पोर्टफोलियो के तहत देश में पारेषण और वितरण नेटवर्क के अधीन नई अवसंरचना के सृजन के लिए और विद्यमान अवसंरचना में सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभाती आ रही है। अवसंरचना सृजन करके सभी को बिजली उपलब्ध कराने और समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को कम करने के भारत सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप आपकी कंपनी पारेषण नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा खास तौर पर नई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से मौजूदा वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की योजनाओं को वित्तपोषित करती रही है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, आपकी कंपनी ने 784 पारेषण और वितरण योजनाओं को स्वीकृति दी है, जिनमें ₹ 50,610.28 करोड़ की कुल ऋण सहायता शामिल थी। इनमें विद्युत उत्पादन संयंत्रों से संबद्ध प्राथमिक विद्युत निकासी की योजनाएं, प्रणाली सुधार योजनाएं, मीटर ट्रांसफार्मर कंडक्टर टावर मैटीरियल केवल आदि की खरीद एवं संस्थापना की योजनाएं शामिल हैं। डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस स्कीमों तथा अवसंरचना स्कीमों जैसी भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीमें कृषि सहित उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विद्युत की पहुँच प्रदान करने के लिए हैं।

7.4 अल्प / मध्यम अवधि ऋण और अन्य ऋण सहायता

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, आपकी कंपनी ने विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों को अल्पावधि/मध्यावधि ऋणों तथा अन्य ऋण सहायता के रूप में ₹ 12,040 करोड़ की 38 ऋण सहायता भी स्वीकृत की है ताकि उनकी लघु/मध्यावधि एवं कार्यशील पूंजी आदि की निधि संबंधी आवश्यकता पूरी हो सके।

7.5 पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलाप

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कुल ₹ 1,833.29 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी और रिपोर्ट के साथ संलग्न तालिकाओं में दिए गए विवरण के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में नवीकरणीय परियोजनाओं सहित पारेषण एवं वितरण, उत्पादन आदि से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए ₹181.17 करोड़ की राशि संवितरित की गई थी।

7.6 निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए मूल्यांकन प्रणाली

आरईसी के निजी क्षेत्र के पारंपरिक, नवीकरणीय विद्युत उत्पादन और विद्युत संयंत्र परियोजनाओं के साथ एकीकृत माइनिंग के मूल्यांकन के लिए अपने दिशा-निर्देश हैं। यह मूल्यांकन संवर्धक कंपनियों के वित्तीय निष्पादन, ऋणयोग्यता, प्रबंधन दक्षता और क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर किया जाता है। आरईसी की ब्याज दरें और प्रतिभूति ढांचा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को सौंपे गए ग्रिडों से जुड़े हैं।

वर्ष के दौरान आरईसी ने मूल्यांकन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए बदलती बाजार प्रथाओं, नियामक वातावरण और आरबीआई नीतियों के आलोक में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों की समीक्षा की है। कंपनी ने पहली बार जन परिवहन बसों में ऊर्जा सुरक्षा (ईंधन बदलने), ऊर्जा क्षमता (पुनः उत्पादन पर रोक), तथा कार्बन फुटप्रिंट में कमी के लिए भावी एकीकरण के लिए ई-वाहन के वित्तपोषण में प्रवेश किया है।

7.7 राज्य विद्युत यूटिलिटियों की ग्रेडिंग

आपकी कंपनी की राज्य विद्युत यूटिलिटियों की ग्रेडिंग के लिए सुपरिभाषित नीति/दिशा-निर्देश हैं और राज्य विद्युत यूटिलिटियों (उत्पादन/पारेषण और ट्रेडिंग यूटिलिटियों) की ग्रेडिंग के लिए वर्ष में दो बार कार्रवाई की जानी है।

वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए कंपनी ने राज्य विद्युत उत्पादन एवं पारेषण यूटिलिटियों को ए++, ए+, ए, बी और सी श्रेणियों वर्गीकृत किया है। राज्य विद्युत उत्पादन एवं पारेषण यूटिलिटियों का श्रेणीकरण (द्विभाषी) विनियामक पर्यावरण, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों आदि सभी प्रचालनात्मक एवं वित्तीय निष्पादन को शामिल करते हुए विशिष्ट मानदंडों के निमित्त यूटिलिटी के निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों (एकीकृत प्रचालनों वाली एसईबी/यूटिलिटियों सहित) के संबंध में, आपकी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रेटिंग फ्रेमवर्क के आधार पर पीएफसी और आरईसी द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त की गई स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग को अपनाती है। यह श्रेणीकरण आपकी कंपनी को राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए क्रेडिट एक्सपोजर लिमिटेड और ब्याज दर के निर्धारण के लिए सहायक है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने दो बार ग्रेडिंग कार्य पूरा किया है और डिस्कॉम के लिए एकीकृत रेटिंग की मैपिंग के बाद, 8 नई राज्य यूटिलिटियों सहित 117 यूटिलिटियों की श्रेणीकरण/ग्रेडिंग की थी जिनमें से 19 यूटिलिटियों को ए++, 32 को ए+, 40 को ए, 18 को बी और 8 यूटिलिटियों को सी ग्रेडिंग प्रदान की गई थी।

7.8 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए निवेश

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कोई नया निवेश नहीं किया है।

8. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास

आरईसी की केएफडब्ल्यू, जर्मनी के साथ ओडीए ऋण की चार श्रृंखलाएं हैं और उनमें से तीन का दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार पूरी तरह आरहण कर लिया गया है। केएफडब्ल्यू-I और केएफडब्ल्यू-II ओडीए ऋण प्रत्येक 70 मिलियन यूरो (क्रमशः लगभग ₹ 454.02 करोड़ और ₹ 480.97 करोड़) और केएफडब्ल्यू-III 100 मिलियन यूरो (लगभग ₹ 753.73 करोड़) है। वित्तीय वर्ष 2019 में आरईसी ने 228 मिलियन यूएस डॉलर की वित्तीय सहायता के लिए केएफडब्ल्यू के साथ चौथा ऋण करार किया है। दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, इस सुविधा के तहत कोई भी राशि आहरित नहीं की गई है।

उपरोक्त के अलावा, आरईसी की जेआईसीए, जापान के साथ दो ओडीए ऋण श्रृंखलाएं हैं। उनमें से दोनों ही पूरी तरह आहरित कर ली गई हैं। जेआईसीए-I और II ओडीए ऋण क्रमशः जेपीवाई 16,949.38 मिलियन (लगभग ₹ 820.12 करोड़) और जेपीवाई 11,809.48 मिलियन (लगभग ₹ 640.64 करोड़) की संचित राशि दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार आहरित कर ली गई है।

9 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सरकारी कार्यक्रमों का कार्य निष्पादन और उपलब्धियां

9.1 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

9.1.1 ग्रामीण विद्युतीकरण - उल्लेखनीय उपलब्धियां

भारत का विद्युतीकरण ग्रामीण कार्यक्रम भारत सरकार के स्तर पर समुचित हस्तक्षेप के साथ सुधार की गई अवस्थाओं के माध्यम से गुजरा है। भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के बावजूद, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार उस समय तक 18,452 ग्राम गैर-विद्युतीकृत रह गए थे।

15 अगस्त, 2015 को राष्ट्र को 69वें स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन में लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी कि देश में बाकी बचे सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों (यूई) को राज्यों और स्थानीय निकायों की मदद से 1,000 दिनों के अंदर विद्युतीकृत कर दिया जाएगा। तदनुसार, विद्युत मंत्रालय ने सभी 18,452 गांवों के विद्युतीकरण का कार्य प्राथमिकता आधार पर किया। चूंकि ये 18,452 गैर-विद्युतीकृत गांव अत्यधिक अगम्य क्षेत्रों (घने जंगलों, पर्वतीय क्षेत्रों, आदि वाले) में, कठिन तराई, प्रतिकूल मौसम, मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के मुद्दों का सामना करने वाले क्षेत्र, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित थे, अतः निम्नलिखित उपाय और गहन निगरानी तंत्र रणनीति अपनाई गई :

- ग्राम विद्युतीकरण की समग्र प्रक्रिया को 12 लक्ष्यों में श्रेणीकृत किया गया।
- फील्ड स्तर पर इस मिशन को पूरा करने के लिए ब्लॉक/जिला स्तर पर इंजीनियरों अर्थात 'ग्राम विद्युत अभियंता' (जीवीए) की तैनाती की गई।
- इसके पारदर्शी और जवाबदेह तंत्र के लिए स्वीकार्य समर्थित वेब पोर्टल अथवा 'गर्व ऐप' (www.garv.gov.in) का विकास ग्राम विद्युतीकरण प्रगति के लक्ष्यों के साथ-साथ ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सभी 18,452 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की प्रगति की गहन निगरानी करने के लिए किया गया।
- क्लस्टर आधारित कार्यान्वयन संकल्पना।

- एक अलग घटक के रूप में अक्षय ऊर्जा को प्राथमिकता दी गई।
- निष्पादन के माध्यम में उदारता अर्थात टर्नकी/आंशिक टर्नकी/विभागीय।
- जहां ग्रिड कनेक्टिविटी संभव नहीं है अथवा किफायती नहीं है, विकेंद्रीकृत वितरण-सह-उत्पादन प्रदान किया गया।
- भारत सरकार के उच्चतम स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें।
- माननीय मुख्यमंत्रियों के स्तर पर राज्य विशिष्ट समीक्षा बैठकें

गांव के विद्युतीकरण की प्रक्रिया की अवधि के दौरान राज्यों ने 1,227 अतिरिक्त गांव गैर-विद्युतीकृत सूचित किए। तद्नुसार, आरईसी ने सुविधा प्रदान करने में ठोस प्रयास किए और गांव के विद्युतीकरण के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराईं। जिन गांवों में पहुँचना कठिन था वहां जम्मू व कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को वायु सेना के हेलीकॉप्टरों के माध्यम से सामग्री की हवाई सहायता का सहारा लिया गया था। इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश को भारी मात्रा में सामग्री के परिवहन के लिए रेलवे की सहायता ली गई थी। जिन सुदूरस्थ क्षेत्रों में आधुनिक परिवहन के विकल्प उपलब्ध नहीं थे, वहां कई दिनों के लिए आदमी के सिर पर भार लादकर सामग्री का परिवहन किया गया।

उपर्युक्त पहलों तथा राज्यों एवं अन्य दावेदारों के सामूहिक प्रयासों से देश में सभी गैर-विद्युतीकृत जनगणना आवासित गांवों का विद्युतीकरण प्राप्त कर विद्युत क्षेत्र में 28 अप्रैल, 2018 एक ऐतिहासिक दिवस बन गया है, इस प्रकार, 1,305 गैर-आवासित गांवों को छोड़कर कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण हो गया है जिनमें वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1,515 गांवों को विद्युतीकृत किया गया।

9.1.2 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कार्य निष्पादन

क. संस्वीकृति:

डीडीयूजीजेवाई के तहत, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सौभाग्य के तहत घरेलू विद्युतीकरण में सहायता के लिए अतिरिक्त अवसंरचना स्वीकृत की गई थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यों के लिए ₹ 14,270.33 करोड़ की राशि (₹ 11,237.79 करोड़ का भारत सरकार का अनुदान घटक) स्वीकृत की गई है।

ख. निधियां जारी करना :

भारत सरकार की सब्सिडी आरईसी के माध्यम से दी जाती है और तद्नुरूप अंशदान संबंधित राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा ऋण अथवा उनके अपने स्रोतों के माध्यम से किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्यों को डीडीयूजीजेवाई और पीएमडीपी योजना के तहत भारत सरकार का कुल अनुदान ₹ 16,920.66 करोड़ (आरई सहित डीडीयूजीजेवाई ग्रिडः ₹ 12,590.47 करोड़; आरई सहित डीडीयूजीजेवाई ऑफ ग्रिडः ₹ 140.97 करोड़; अतिरिक्त अवसंरचनाः ₹ 4,189.22 करोड़) जारी किया गया है।

ग. विद्युतीकरण की प्रगति :

वित्तीय वर्ष के दौरान, डीडीयूजीजेवाई के तहत, 1,782 सब-स्टेशन (नए एवं विस्तार) चालू किए गए हैं और साथ ही 4.40 लाख वितरण ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इसके अलावा, 2,46,717 सीकेएम फीडर (नई 11 केवी लाइनों सहित) लगाए गए हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य-वार स्वीकृत की गई धनराशि, निर्मुक्त निधियां और विद्युतीकरण की प्रगति के ब्यौरे **तालिका-5** में संलग्न हैं।

9.1.3 31 मार्च, 2019 तक संचयी कार्य निष्पादन

डीडीयूजीजेवाई के तहत, 31 मार्च, 2019 तक ₹ 1,08,554 करोड़ की 5,936 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इसमें 19 राज्यों के लिए सौभाग्य परिवारों के लिए अतिरिक्त अवसंरचना सृजित करने के लिए स्वीकृत राशि शामिल नहीं है। ₹ 71,113.28 करोड़ का भारत सरकार का अनुदान कार्यान्वयन एजेंसियों को वितरित किया गया है।

जहां तक वास्तविक प्रगति का संबंध है, 31 मार्च, 2019 तक 4,845 सब-स्टेशन (2,909 विस्तार सब-स्टेशनों सहित) शुरू कर दिए गए हैं, 10.78 लाख वितरण ट्रांसफार्मर चालू किए गए हैं और 5,80,504 सीकेएम फीडर (11 केवी लाइनों सहित) का पृथक्करण कर दिया गया है।

संचयी संस्वीकृति के राज्य-वार ब्यौरे, जारी निधि तथा उपलब्धियां **तालिका-6** में दी गई हैं।

9.2 सौभाग्य - प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

आरईसी ने नोडल एजेंसी के रूप में 31 मार्च, 2019 तक सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण की सफलतापूर्वक उपलब्धि के लिए सभी आवश्यक निम्नलिखित पहलें की थीं

- सभी राज्यों/विद्युत यूटिलिटियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए;
- मॉनीटरिंग के लिए समर्पित सौभाग्य वेब पोर्टल (www.saubhagya.gov.in) विकसित किया गया;

- आरईसी के वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है;
- जिन राज्यों में काफी गैर-विद्युतीकृत घर रह गए हैं, उनके जिलों में ग्राम विद्युत अभियंता (जीवीए) तैनात किए गए हैं;
- जिला स्तरीय अधिकारियों, डिस्कॉम कार्मिक, के साथ नियमित समीक्षा बैठकें, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा योजना की समीक्षा और समस्याओं के शीघ्र निपटान के लिए माननीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा राज्य ऊर्जा/विद्युत सचिवों के साथ समीक्षा बैठकें;
- सौभाग्य योजना के तहत ₹ 14,017 करोड़ की स्वीकृति के अलावा, सौभाग्य परिवार विद्युतीकरण में सहायता के लिए अतिरिक्त अवसंरचना सृजित करने के लिए ₹ 14,270 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई;
- दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, राज्यों को संचित रूप से ₹ 4,249.47 करोड़ का भारत सरकार का अनुदान जारी किया गया जिसमें ₹ 2,709 करोड़ का भारत सरकार का अनुदान वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान जारी किया गया है; और
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युत मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार बिना विद्युत कनेक्शन में कोई भी इच्छुक परिवार नहीं छूटा है। आरईसी ने राज्यों पर जिलों में सौभाग्य रथ के संचालन के तौर पर विशेष अभियान शुरू करने, घर-घर अभियान, गांवों में विद्युत शिविर और इलैक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया में प्रकाशन इत्यादि के लिए दबाव डाला है।

आरईसी, विद्युत मंत्रालय की उपरोक्त पहलों के साथ और राज्यों/विद्युत यूटिलिटियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स की सक्रिय सहायता एवं सहयोग के लिए 262.84 लाख परिवारों को सौभाग्य योजना के आरंभ से विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिनमें ₹ 222.39 लाख कनेक्शन वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रदान किए गए।

छत्तीसगढ़ में एलडब्ल्यूई मामलों के कारण 18,734 गैर-विद्युतीकृत परिवारों के अलावा सभी राज्यों ने 31 मार्च, 2019 तक सार्वभौमिक परिवार विद्युतीकरण प्राप्त किया है।

परिवारों की प्रगति और जारी धनराशि का राज्य-वार विवरण **तालिका-7** में दिया गया है।

10. मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और मॉनीटरिंग

डीडीयूजीजेवाई के तहत गुणवत्ता, नियंत्रण तंत्र के अनुसार आरईसी गुणवत्ता निगरानीकर्ता (आरक्यूएम) 11वीं योजना (चरण-I और II) के तहत 25 राज्यों में 413 परियोजनाओं, 12वीं योजना के तहत 15 राज्यों में 273 परियोजनाओं और डीडीयूजीजेवाई नई योजना के तहत 31 राज्यों में 633 परियोजनाओं के लिए नियुक्त किए गए हैं ताकि सामग्री और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, आरक्यूएम ने डीडीयूजीजेवाई-आरई 11वीं योजना और 12वीं योजना के तहत 12,226 ग्रामों और 308 विद्युत उपकेंद्रों और डीडीयूजीजेवाई-नई योजना के तहत 3,550 गांवों और 354 विद्युत उप-केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा, डीडीयूजीजेवाई-आरई 11वीं योजना और 12वीं योजना के तहत 103 निरीक्षण और डीडीयूजीजेवाई-नई योजना के तहत 1,080 निरीक्षण विनिर्माण परिसर पर किए गए ताकि कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, सौभाग्य योजना के लिए आरईसी गुणवत्ता निगरानीकर्ता (आरक्यूएम) भी नियुक्त किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, आरक्यूएम द्वारा सौभाग्य योजना के तहत विनिर्माण परिसरों में सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 478 सामग्री निरीक्षण किए गए थे।

11. जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पास एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसमें ऋण जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम और बाजार जोखिम शामिल हैं।

11.1 जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन समिति है जो एक अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में कार्य कर रही है और इसमें कंपनी के एकीकृत जोखिमों की मॉनीटरिंग के लिए सदस्य के रूप में निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) हैं।

जोखिम प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य विभिन्न जोखिमों की मॉनीटरिंग करना और कंपनी के प्रचालन तथा अन्य संबंधित मामलों में उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के लिए कार्रवाई का सुझाव देना भी है। कंपनी ने अपनी विभिन्न जोखिमों की पहचान की है और उन्हें समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

जोखिमों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

(i) **ऋण जोखिम:**

ऋण जोखिम वित्तपोषण उद्योग में अंतर्निहित जोखिम होता है और इसमें उधारकर्ता के क्रेडिट की गुणवत्ता में कमी से होने वाली हानियों का जोखिम शामिल होता है और यह जोखिम होता है कि उधारकर्ता ऋण या पेशगी के अधीन संविदा में उल्लिखित पुनर्भुगतान में चूक करेगा। इसे कम करने के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन हेतु सुव्यवस्थित, संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया को

अपनाती है। इन प्रक्रियाओं में विस्तृत मूल्यांकन प्रविधि, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा क्रेडिट जोखिम को न्यूनतम करने के उपाय शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, नियमित आधार पर परियोजना निधियों की समीक्षा की जाती है और विभिन्न जोखिम मानदंडों के आधार पर तथा परियोजना जोखिम श्रेणीकरण कार्यढांचे के अनुसार परियोजना की स्थिति के आधार पर उन्हें उचित/सामान्य/कम के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है।

(ii) **प्रचालनात्मक जोखिम :**

प्रचालनात्मक जोखिम अपर्याप्त अथवा विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगो और प्रणालियों अथवा बाह्य क्रियाकलापों से उत्पन्न होते हैं। कंपनी में एक संगठन व्यापी जोखिम श्रेणीकरण कार्यढांचा है जिसके माध्यम से सभी प्रचालनात्मक जोखिमों को मापा जाता है और उच्च/सामान्य/कम के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के प्रचालनात्मक जोखिमों का अध्ययन व्यापार, वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून, प्रचालनात्मक और नीतिगत जैसे आठ प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में किया जाता है।

(iii) **बाजार जोखिम :**

बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम, परिसमापन जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम होते हैं।

11.2 एलको समिति

बाजार जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी ने एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एलको) गठित की है जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में कार्य कर रही है और जिसमें निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और वित्त एवं प्रचालन प्रभागों से कार्यकारी निदेशक एवं महाप्रबंधक उसके सदस्य के रूप में हैं।

एलको ब्याज दरों, परिसमापन और मुद्रा दरों से संबंधित जोखिमों की मॉनीटरिंग करती है। जोखिमों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

(i) **ब्याज दर जोखिम :**

ब्याज दर जोखिम बाजार ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली संभावित हानि है। ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए कंपनी विद्युत बाजार दरों के आधार पर अपनी उधार देने की दरों और उधार लेने की भारित औसत लागत की आवधिक रूप से समीक्षा करती है।

(ii) **परिसमापन जोखिम:**

परिसमापन जोखिम देय होने पर अपनी देयताओं को पूरा करने में हमारी संभावित असमर्थता संबंधी जोखिम होता है। हम ऐसे परिसमापन जोखिमों का सामना करते हैं, जिनके कारण निधियों को जुटाने या प्रतिकूल शर्तों पर परिसंपत्तियों का परिसमापन करने की हमें आवश्यकता पड़ सकती है। हम अपने नकदी जोखिम का प्रबंधन ऐसी मिश्रित कार्यनीति के माध्यम से करते हैं, जिसमें अनुमानित संवितरण और परिपक्व देयताओं पर आधारित संसाधन जुटाने का अनुमान लगाना शामिल है।

(iii) **विदेशी मुद्रा जोखिम:**

विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम में मुद्राओं में विनिमय दर की घट-बढ़ शामिल है जिसका विदेशी मुद्रा, मूल्यवर्धित परिसंपत्तियों, देयाताओं और तुलन-पत्र से इतर व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी विनिमय दर और ब्याज दर से जुड़े विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों के माध्यम से करती है।

12. अधिमानी ग्राहक नीति

व्यवसाय संवर्धन कार्यनीति के भाग के रूप में, अधिमानी ग्राहक नीति तैयार की गई, जिसका मूल उद्देश्य कंपनी के ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना था और उनके साथ लंबे समय तक परस्पर लाभप्रद संबंध बनाए रखना था। इस नीति में पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें अधिमानी ग्राहकों का निर्धारण करने और उन्हें विभिन्न बाहरी एजेंसियों और आरईसी आईपीएमएटी, हैदराबाद स्थित सायर द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण/घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठियों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रायोजित करने के लिए उधारकर्ता की बकाया ऋण राशि, ऋण संबंधी अवधि, ऋण के पुनर्भुगतान का पिछला रिकार्ड आदि जैसे विभिन्न कारक ध्यान में रखे जाते हैं।

13. सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पहलें

(i) **आरईसी में जुलाई, 2009 से चल रहे व्यापारिक ईआरपी के नवीनतम रुप का कार्यान्वयन :**

आरईसी ने अपने मौजूदा ई-बिजनेस ईआरपी (ओरेकल ई-बिज सूट) 11i (24 जुलाई, 2009 को शुरू किया गया) को अपग्रेड करके और ईआरपी हार्डवेयर को बदलकर नवीनतम रुप आर12.2.7 को शुरु किया है। नया ईआरपी जीएसटी और भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एएस) को सपोर्ट करता है और इसमें उन्नत सुविधाएं हैं जिससे कंपनी के कारोबारी प्रचालन के ऑटोमेशन सुविधा होगी और अन्य प्रणाली जैसे ई-ऑफिस इत्यादि के साथ जोड़ा जा सकेगा। यह परियोजना जुलाई, 2018 से शुरू हो गई है। कंपनी का प्रमुख कारोबार ओरेकल ईआरपी द्वारा संचालित है।

(ii) आरईसी ने कागजरहित वातावरण शुरु करने के लिए ओपन-टेक्सट डॉक्यूमेंट्स अनुप्रयोग का अत्याधुनिक इलैक्ट्रोनिक ऑफ सॉल्यूशन कार्यान्वित किया है। यह सिस्टम प्राइवेट क्लाउड परिवेश में चलता है और नई-नई विशेषताएं शामिल करके निरंतर उन्नत किया जाता रहता है।

(iii) **बैंडविड्थ बढ़ाकर आरईसी लेन नेटवर्क का अपग्रेडेशन:** प्रचालनों की मांग को पूरा करने के लिए संगठन व्यापार एमपीएलएस वीपीएन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर (वर्ष 2008 से चालू) को अद्यतन नेटवर्क उपकरणों, बैंडविड्थ बढ़ाकर, उच्च उपलब्धता और उन्नत विशेषताओं के साथ पूरी तरह से बदल दिया है।

(iv) **वीडियो कांफ्रेंसिंग:** वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा को पूरी तरह से बदल दिया गया है और यह सम्पर्क पर आधारित मल्टी-कांफ्रेंसिंग सुविधा सभी कार्यालयों और सहायक कार्यालयों में बैठकों, बोर्ड की बैठकों (रिकार्डिंग सुविधा सहित), बाह्य एजेंसियों के साथ कांफ्रेंस, प्रशिक्षण व आरईसीआईपीएमटी इत्यादि के लिए व्यापक तौर पर प्रयोग में लाई जा रही है।

(v) **आरबीआई के मास्टर दिशा-निर्दश के अनुसार आईटी फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन:** आरईसी ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार आईटी फ्रेमवर्क के मास्टर निर्देशों के आईटी सुरक्षा निर्देशों को कार्यान्वयित किया है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

क. मौजूटा आईसीटी सेटअप की तुलना में आईटी फ्रेमवर्क पर आरबीआई मास्टर निर्देशों के साथ कमियों के विश्लेषण का अध्ययन, रोडमैप आकलन करना और बोर्ड को सूचित करना।

ख. कार्यों और जिम्मेदारियों का निर्धारण, मौजूदा नीतियों/प्रक्रियाओं की समीक्षा और नई नीतियां बनाना।

ग. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी) का गठन करना, जिसमें स्वतंत्र निदेशक, मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ), मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ) और एक बाह्य परामर्शदाता (मैसर्स केपीएमजी) शामिल हैं।

आरईसी ने एनबीएफसी क्षेत्र के लिए आरबीआई द्वारा जारी आईटी फ्रेमवर्क मास्टर मार्ग-निर्देशों का निरंतर पालन किया।

(vi) पब्लिक डोमेन से ऋण आवेदन प्रस्तुत करने के लिए: ऋणकर्ताओं की सुविधा के लिए और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए ऋण प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है।

(vii) **आरईसी निगम इंट्रानेट/इंटरनेट वेबसाइट का विकास :**

क. आरईसी निगम वेबसाइट और इंट्रानेट पोर्टल को प्रयोक्ता अनुकूल, परस्पर बातचीत योग्य, प्रभावी एवं सूचनापरक तथा सुरक्षित परिवेश में सार्वजनिक नेटवर्क से मोबाइल यंत्रों से पहुँच के योग्य बनाने के लिए पूरी तरह से उन्नत कर दिया गया है।

ख. आरईसी की वेबसाइट एसटीक्यूसी प्रमाणित है और भारतीय सरकारी वेबसाइट के लिए दिशा-निर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू) का पालन करती है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एमओयू लक्ष्य, अर्थात आरईसी कारपोरेट वेबसाइट के लिए "एसेसिबल इंडिया कैम्पेन" पर डीपीई दिशा-निर्देश समय-सीमा के अनुसार सफलतापूर्वक तैयार किए गए हैं।

(viii) **खरीद में पारदर्शिता के संबंध में:** ₹ 2 लाख से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की समस्त खरीद एक ई-खरीद प्रणाली के द्वारा ऑनलाइन की जा रही है। यह प्रणाली सीवीसी दिशा-निर्देशों और आरईसी खरीद दिशा-निर्देशों के अनुसार ई-रिवर्स नीलामी का अनुपालन करती है। वस्तुओं और सेवाओं की खरीद भी सरकारी ई-मार्केट (जेम) पोर्टल, एमएसएमई विक्रेताओं के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त, आरईसी ने बेहतर ई-गवर्नेंस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आईटी पहलों के भाग के रूप में अनेक आंतरिक रूप से विकसित प्रणालियां विकसित की हैं।

(ix) **प्राथमिक आंकड़े केंद्र (पीडीसी) और आपदा राहत केंद्र (डीआरसी) :** आरईसी की पीडीसी और डीआरसी, दोनों आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रमाणित हैं और भारत सरकार की नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का भी अनुपालन करती हैं। आरईसी ने निगम नेटवर्क से बाहर गोपनीय एवं महत्वपूर्ण सूचना देना रोकने के लिए डीसी और डीआर में डाटा लिंकेज एवं प्रिवेंशन (डीएलपी) प्रणाली भी कार्यान्वित की है।

(x) आरईसी नेटवर्क भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार आईपीवी 6 का अनुपालन करता है।

(xi) **भारत सरकार की पहलों का संवर्धन:** आरईसी कंपनी के भीतर एमवाईजीओवी, ई-गवर्नेंस, डीपीई भुगतानों की अंकीय पद्धति संबंधी दिशा-निर्देशों जैसी भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहलों को सुकर बनाती है और उनका संवर्धन करती है।

(xii) **कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटिंग सुविधा प्रदान करना:** कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर का अनुपात 100 % है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कंपनी के कर्मचारियों के कम्प्यूटर कौशलों का उन्नयन करने के लिए आईटी और आईएस के संबंध में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है और प्रशिक्षण प्रदान भी करता है।

14. आरईसी इन्स्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग

आरईसी - इन्स्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसी-आईपीएमटी), जो पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए संस्थान के रूप में जाना

जाता था, की स्थापना विद्युत क्षेत्र के संगठनों के इंजीनियरों और प्रबंधकों की प्रशिक्षण एवं विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन के तत्वाधान में 1979 में हैदराबाद में की गई थी। विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित अत्याधुनिक विषयों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

14.1 डीडीयूजीजेवाई के तहत राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनटीपी)

आरईसी / आरईसीआईपीएमटी समूह ग और घ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित, डीडीयूजीजेवाई/ आरजीजीवीवाई के तहत राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय एवं कार्यान्वयन के लिए प्रमुख एजेंसी है। वर्ष 2018-19 के दौरान समूह ग और घ श्रेणी के 20,000 कर्मचारियों के शेष प्रशिक्षण लक्ष्य की तुलना में 16,623 को प्रशिक्षित किया गया है।

विद्युत यूटिलिटियों के अनुरोध पर आरईसीआईपीएमटी ने अपने बैनर के तले विभिन्न स्थानों पर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल), जम्मू व कश्मीर विद्युत विकास विभाग (जेकेपीडीडी), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल), तेलंगाना राज्य उत्तरी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (टीएसएनपीडीसीएल), तेलंगाना राज्य दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (टीएसएसपीडीसीएल) के लिए 2,828 प्रतिभागियों वाले ग और घ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 113 कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

14.2 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी को आईटीईसी/एससीएएपी के अधीन विद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पैनलबद्ध किया गया है। वर्ष के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने 8 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम विभिन्न विषयों पर आधारित थे यथा विद्युत वितरण प्रबंधन में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम (5 सप्ताह); सौर विद्युत संयंत्र को चालू करने की संकल्पना (5 सप्ताह); ईएचवी सब-स्टेशनों का डिजाइन, इरेक्शन, ओएंडएम (6 सप्ताह), विद्युत यूटिलिटियों के लिए वित्तीय प्रबंधन और लेखांकन मानक (6 सप्ताह); विद्युत उत्पादन संयंत्रों का प्रबंधन (6 सप्ताह); विद्युत पारेषण एवं वितरण प्रणाली की योजना एवं प्रबंधन (8 सप्ताह), ग्रामीण विद्युतीकरण और विद्युत प्रबंधन में उभरती प्रवृत्तियां (8 सप्ताह); इलेक्ट्रिक विद्युत प्रबंधन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (12 सप्ताह)। इन कार्यक्रमों में अफगानिस्तान, अजरबैजान, अंगोला, बांग्लादेश, भूटान, बोत्सवाना, बुरुंडी, कंबोडिया, कांगो के लोकतांत्रिक गणराज्य, इथोपिया, गांबिया, घाना, गुयाना, केन्या, लेबनॉन, मोजांबिक, मॉरीशस, मंगोलिया, म्यांमार, नाइजर, नाइजीरिया, रवांडा, सेसेल्स, साउथ सूडान, स्वाजिलैंड, सूडान, सीरिया, सियरा लियोन, तजाकिस्तान, तंजानिया, थाइलैंड, उज्बेकिस्तान, वियतनाम और जिम्बाब्वे, इत्यादि देशों के प्रतिभागी थे।

14.3 सौभाग्य कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी ने सौभाग्य/डीडीयूजीजेवाई के तहत, योजना कार्यान्वयनकर्ताओं अर्थात डिस्कॉम इंजीनियरों, ठेकेदारों और उनके कामगारों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ये प्रशिक्षण उन्हें सौभाग्य/डीडीयूजीजेवाई योजनाओं का कार्यान्वयन करते समय "गुणवत्ता के पहलुओं" की देखरेख करने में उन्हें जानकारी देने के लिए हैं। 1,470 प्रतिभागियों के साथ प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के 27 बैच (1 दिवसीय कार्यक्रम) और 1,181 प्रतिभागियों के साथ फील्ड कामगार प्रशिक्षण के 23 बैच (दो दिवसीय कार्यक्रम) आयोजित किए गए। कुल मिलाकर 2,651 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

14.4 व्यवहार कौशल कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी ने आरईसी द्वारा प्रायोजित 850 सर्वोच्च/मध्यम स्तर के कार्यपालकों को "व्यवहार कौशल" पर प्रशिक्षण आयोजित किए, जिनका उद्देश्य (i) कार्यपालकों को उनकी क्षमता की जानकारी देना, (ii) कार्यस्थल पर व्यवहार संबंधी पहलुओं, कौशल विकास आदि की जानकारी; और (iii) समस्या के समाधान की योग्यता में वृद्धि करना। यह प्रतिभागिता देश भर से वितरण, उत्पादन और पारेषण यूटिलिटियों की थी और आरईसीआईपीएमटी ने उन्हें ऑफ साइट कार्यक्रमों (यूटिलिटी परिसर में) के रूप में आयोजित किया।

14.5 सौर कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी को सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भागीदार प्रशिक्षण संस्थान के रूप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी (एनआईएसई) द्वारा पैनल में रखा गया है और इसने विभिन्न स्थानों पर तेलंगाना राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के लिए "सौर रूफटॉप विद्युत उत्पादन" के संबंध में 5 कार्यक्रम आयोजित किए और आरईसीआईपीएमटी परिसर में बेरोजगार युवाओं के लिए "सौर पीवी पर उद्यम विकास कार्यक्रम" पर 2 कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों के तहत कुल 278 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

14.6 नियमित राष्ट्रीय कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी ने विभिन्न विषयों जैसे इलेक्ट्रॉनिक संस्थापनाओं में अर्थिंग प्रैक्टिस तथा सुरक्षा उपाय; विद्युत ट्रांसफार्मर - परीक्षण, कमिशनिंग, संरक्षण एवं अनुरक्षण; सौर विद्युत संयंत्रों की कमिशनिंग की संकल्पना और ग्रिड सक्षमता; आसान सुलभता; विद्युत ट्रेडिंग एवं एक्सचेंज; मीटरिंग, बिलिंग और संकलन में नवीनतम प्रवृत्तियां; भूमिगत केबल - डिजाइन, चयन, बिछाना, निगरानी करना और दोष पता लगाना; वितरण ट्रांसफार्मर - प्रचालन एवं रख-रखाव, प्रक्रिया विफलता कम करने हेतु; ईएचवी उप-केंद्रों का डिजाइन, निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण; स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट शहर; श्रम कानून - कामगार, मुआवजा तथा न्यायिक मामलों में संविदा श्रमिक अधिनियम - प्रक्रियाएं; ईएचवी उप-केंद्रों व लाइनों में संरक्षण प्रणाली; विद्युत

क्रय करार; गैस इंसुलेटेड और इंडोर सब-स्टेशन; विद्युत क्षेत्र में इंड-एएस (आईएफआरएस) अपनाना; ईएचवी उप-केंद्रों और लाइनों का ओएंडएम और गुणवत्ता आश्वासन; वितरण हानि में कमी-मुद्दे, चुनौतियां एवं सुधारात्मक उपाय; वितरण सब-स्टेशनों और लाइनों का डिजाइन, निर्माण और परीक्षण; विद्युत पारेषण लाइनें - डिजाइन, निर्माण और प्रचालन एवं अनुरक्षण; एपीआर नियामक अनुपालना प्रस्तुत करना; वितरण उप-केंद्रों व लाइनों का प्रचालन, रख-रखाव व संरक्षण पहल जैसे विभिन्न शीर्षकों पर विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों के कार्मिकों के लिए 21 नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। उपरोक्त कार्यक्रमों में कुल 246 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

14.7 अनुकूलित कार्यक्रम

अनुरोध किए जाने पर यूटिलिटी की जरूरतों के अनुकूल 16 अनुकूलित कार्यक्रमों के बैच डिजाइन किए गए और आयोजित किए गए। आयोजित कार्यक्रमों में जेकेपीडीडी, जम्मू व श्रीनगर के लिए "वितरण उप-केंद्र ओएंडएम" (2 बैच) और उनके इंजीनियरों के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल), रांची (2 बैच), "व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण", "सुरक्षा प्रबंधन", "वितरण ट्रांसफार्मर, रख-रखाव और परीक्षण" (2 बैच), विद्युत सुरक्षा और विद्युत संस्थापनाओं का आईई नियमों के तहत निरीक्षण (2 बैच), "वितरण मीटरिंग, उन्नत प्रौद्योगिकियां" (2 बैच) - रांची में जोबीवीएनएल इंजीनियरों के लिए, "विद्युत संस्थापनाओं में अर्थिंग प्रक्रियाएं एवं सुरक्षा उपाय", "ईएचवी उप-केंद्र का डिजाइन, निर्माण और गुणवत्ता मापन", "विद्युत ट्रांसफार्मर, डिजाइन, निर्माण, विनिर्देश औक उप-केंद्र के उपस्कर का नियमबद्ध और भावी रख-रखाव", महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (एमएसईटीसीएल) कार्यकारियों/इंजीनियरों के लिए आरईसीआईपीएमटी परिसर में "ईएचवी उप-केंद्रों व लाइनों में संरक्षण प्रणाली" शामिल हैं। कुल मिलाकर 347 प्रतिभागियों को अनुकूलित कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण किया गया था।

14.8 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी ने आरईसी के कर्मचारियों के लिए आंतरिकत कार्यक्रम भी आयोजित किए और इन कार्यक्रमों में 47 कर्मचारियों ने भाग लिया है। शामिल विषयों में आरईसी द्वारा प्रायोजित एसपीवी की ग्रेडिंग और आरईसी के कारोबारी क्षेत्रों की समझ; ऋण दस्तावेज, वस्तु एवं सेवा कर कार्यान्वयन और नेतृत्व व संप्रेषण कौशल शामिल है।

14.9 कुल मिलाकर वर्ष 2018-19 के दौरान आरईसीआईपीएमटी ने विभिन्न थीम/विषयों पर 255 कार्यक्रम आयोजित किए हैं और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित ग एवं घ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय और निगरानी के अलावा 24,821 प्रशिक्षण दिवसों सहित 7,397 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया।

15. आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणन

कंपनी ने देश भर में कारपोरेट कार्यालय के छः प्रमुख प्रभागों तथा 18 क्षेत्रीय/उप कार्यालयों में दावों की प्रक्रिया के लिए आईएसओ 9001:2008 मानकों के तहत गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियां कार्यान्वित की थीं। इसके अलावा, इस प्रमाणन के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) द्वारा आईएसओ 9001:2015 मानक लाया गया है और वह आरईसी में कार्यान्वित किया जा रहा है।

16. मानव संसाधन प्रबंधन

आरईसी की कार्यपालक संख्या को पेशेवर बनाने के लिए, और साथ ही नई नियुक्तियों में भी वित्तीय वर्ष के दौरान कैम्पस भर्ती के जरिए तीन कार्यपालकों की नियुक्ति की गई। कंपनी की दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कुल कार्मिक संख्या 487 थी, जिसमें 386 कार्यपालक और 101 गैर-कार्यपालक हैं।

16.1 रोजगार में आरक्षण

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदि के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया गया। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कुल जनशक्ति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का समूह-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

समूह	कर्मचारियों की संख्या					
	कुल		एससी		एसटी	
	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	वित्तीय वर्ष 2017-18	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	वित्तीय वर्ष 2017-18
क	**346**	363	**34**	35	**13**	13
ख	**75**	87	**12**	15	**2**	2
ग	**09**	16	**1**	1	**0**	0
घ	**57**	62	**17**	17	**1**	1
कुल	**487**	528	**64**	68	**16**	16

16.2 प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

कर्मचारियों के समग्र विकास सहित क्षमता निर्माण के उपाय के रूप में और निष्पादन की उच्च सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान प्रशिक्षण और एचआरडी पर प्राथमिकता दी जाती रही। कंपनी की प्रशिक्षण और मानव संसाधन नीति का उद्देश्य बेहतर कर्मचारी निष्पादन के लिए अपेक्षित कारोबार कौशल तथा सक्षमता को तेज करना तथा अपना निष्पादन और उत्पादकता सुधारने के लिए कर्मचारियों को सभी संभव अवसर उपलब्ध कराना और उनकी सहायता करना है। व्यावसायिक अपेक्षाओं की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और सामाजिक-आर्थिक परिवेश, जिसमें कंपनी का कारोबार किया जाता है, के प्रति कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण जो कर्मचारियों को आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया में सहायता करता है, भी दिया गया।

आरईसी के कनिष्ठ स्तर के कार्यपालकों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई), हैदराबाद में 25 फरवरी 2019 से 3 मार्च 2019 तक आयोजित प्रबंधन विकास कार्यक्रम

कर्मचारियों को व्यावसायिक रूप से तैयार करने के लिए कंपनी ने 203 कर्मचारियों को देश के भीतर और विदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं आदि के लिए भेजा। इसके अतिरिक्त, चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आंतरिक रूप से आयोजित किए गए। इन पहलों से कुल मिलाकर कंपनी 893 प्रशिक्षण श्रम दिवस हासिल कर सकी। इसके अतिरिक्त, 19 कार्यपालकों को विदेशों में कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

16.3 कर्मचारी कल्याण

कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार सदस्यों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने दो अस्पताल बढ़ाकर सीधे भुगतान योजना के अंतर्गत पैनल के अस्पतालों का विस्तार किया है। कर्मचारियों को ऑनसाइट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तीन डॉक्टर अंशकालिक सेवाओं के लिए लगाए गए। कंपनी ने कर्मचारियों द्वारा प्रयोग के लिए खेल-कूद एवं मनोरंजन उपकरणों का भी निधियन किया है तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य को अच्छा रखने को बढ़ावा दिया है।

खेल-कूद संबंधी गतिविधिया

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आपकी आरईसी ने दिल्ली में इंटर-सीपीएसयू टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी की और विद्युत खेल-कूद नियंत्रण बोर्ड (पीएससीबी) के तत्वाधान में विभिन्न विद्युत क्षेत्र सीपीएसयू द्वारा आयोजित बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी, चेस आदि जैसे विभिन्न इंटर सीपीएसयू स्पोर्ट टूर्नामेंट के लिए अपने कर्मचारी भी भेजे। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रश्नोत्तरी, पेपर प्रस्तुतिकरण और सिम्युलेशन प्रतिस्पर्द्धाओं में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया।

16.4 महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 78 स्थायी महिला कर्मचारी थी जो कुल जनशक्ति का 16.01 % है। जाति, रंग और धर्म इत्यादि के आधार पर कर्मचारियों में कोई भेदभाव नहीं है। महिला कर्मचारियों के कल्याण और उनके समग्र विकास का ध्यान रखने के लिए कंपनी में एक महिला एकक प्रचालनरत है। आरईसी महिला प्रकोष्ठ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

16.5 औद्योगिक संबंध

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। औद्योगिक अशांति के कारण श्रम दिवसों की कोई हानि नहीं हुई। कर्मचारी कल्याण के मुद्दों पर आरईसी कर्मचारी यूनियन और आरईसी अधिकारी एसोसिएशन के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श किया गया। इससे विश्वास और सहयोग का वातावरण बनाने में सहायता मिली जिससे प्रेरक जनशक्ति बनी और कारोबार निष्पादन में सुधार हुआ। गैर - कार्यपालकों के लिए वेज नेगोशिएंस 1 जनवरी, 2017 से किए गए जो सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

16.6 लोक शिकायत निवारण तंत्र

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी ने कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक शिकायत निवारण समिति बनाई है।

17. निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास

कंपनी ने अपनी निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास नीति कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के प्रावधनों और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए सीएसआर और धारणीय विकास के लिए दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाई है, जो 11 जुलाई, 2017 से प्रभावी है। आरईसी निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीयता नीति की प्रति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आरईसी के सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत हरियाणा जिले के मेवात मे रहने वाली महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण (ब्युटीशियन) प्रदान करते हुए।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अपने स्टेकधारकों के हितों को महत्व देते हुए सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ आरईसी के कारोबार प्रचालनों को एकीकृत करने की दृष्टि से कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास (सीएसआर एंड एसडी) पहलें जारी रहीं। सीएसआर एंड एसडी परियोजनाओं को धारणीय विकास के सिद्धांतों से संबद्ध किया गया। राष्ट्रीय योजना लक्ष्य और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सीएसआर एंड एसडी का उद्देश्य कार्यनीति पर केंद्रित था जिसमें लैंगिक समानता, कौशल वृद्धि, उद्यमशीलता, स्थानीय संस्थानों/लोगों के साथ सह-सृजन मूल्य द्वारा रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के लिए सतत विकास लक्ष्य, शामिल हैं। इस प्रकार की पहलों को अभिचिह्नित करते हुए कंपनी ने ट्रिपल बॉटम लाइन दृष्टिकोण की दृष्टि से मापित सामुदायिक, सामाजिक और पर्यावरणीय हितों का समाधान करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने कौशल विकास कार्यक्रम, शिक्षण पर्यावरणीय धारणीयता, स्वास्थ्य जिसमें वृद्ध और दिव्यांग भी शामिल हैं, पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं के क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर पहलें शुरू की हैं। सीएसआर कार्यनीति परियोजना आधारित जवाबदेह दृष्टिकोण में कार्य योजना के साथ विकसित की गई हैं। बेसलाइन सर्वे, निश्चित समय-सीमा, अभिचिह्नित माइलस्टोन, आवधिक निगरानी और प्रभाव आंकन के साथ परियोजना मोड में कार्यान्वित की गई है। सीएसआर के अंतर्गत आवंटित निधियों का संवितरण माइलस्टोन और सुपुर्दगीयोग्य उपलब्धि से जोड़ा गया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए ₹ 158.72 करोड़ की वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई और ₹103.39 करोड़ संवितरित किए गए। सामाजिक निगमित दायित्व और धारणीयता कार्यकलाप संबंधी एक विस्तृत रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

18. सतर्कता क्रियाकलाप

आरईसी द्वारा कर्मचारियों के बीच ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की भावना लाने तथा सभी प्रचालनात्मक क्षेत्रों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। आरईसी के सतर्कता प्रभाग का मुख्य लक्ष्य नीतियों की समीक्षा, संवेदनशील पदों पर कार्यरत कार्मिकों की बदली/स्थानांतरण ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा, परियोजनाओं/निविदाओं/अनुबंधों की समीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालयों/राज्य कार्यालयों के निरीक्षण, वार्षिक संपत्ति विवरणी (एपीआर) आदि की समीक्षा करके "निवारक सतर्कता" रखना है।

सीवीसी/विद्युत मंत्रालय के अनुदेशों के अनुपालन में अभिज्ञात संवेदनशील पदों से रोटेशनल स्थानांतरण के मामले पर निरंतर कार्रवाई की गई है। सीवीसी और विद्युत मंत्रालय को समय पर निर्धारित आवधिक सांख्यिकी रिटर्न भी भेजी गई। आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, सांविधिक और सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की नियमित रुप से समीक्षा की गई। परियोजनाओं/निविदाओं और प्रदान किए गए अनुबंधों की समीक्षा और जहां कहीं विचलन पाया गया उस मामले को संबंधित प्रभाग को भेजा गया जिससे मूल्यांकन प्रणाली /दिशानिर्देशों को सुदृढ़ बनाया जा सका। क्षेत्रीय कार्यालयों का फील्ड निरीक्षण और एपीआर की जांच पूरी की गई। प्रौद्योगिकी की लिवरेजिंग पर बल दिया जाता रहा जिससे ऋणों, योजनाओं, निविदाओं, तीसरे पक्षकार बिलों, भर्ती आदि से संबंधित सूचना ऑनलाइन है और ऑनलाइन सतर्कता प्रणाली को मजबूत बनाया गया है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया गया कि निविदाओं, अपेक्षित फार्मों की सूचना, ऋण आवेदनों/तृतीय पक्ष भुगतानों, धोखाधड़ी रोकने की नीति, सीएसआर दिशा-निर्देश, व्हीसल ब्लोअर नीति इत्यादि कंपनी की वेबसाइट पर हैं। इसके अलावा, श्री पी. वी. राव, पूर्व आईआरएस को आरईसी और इसकी सहायक कंपनियों के लिए स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर नियुक्त किया है। अन्य पहलों में कंपनी के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की जांच, भर्ती नीति एवं भर्तों में संशोधनों पर अनुवर्ती कार्रवाई और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को प्रदान किए गए ऋण की जांच और आईटी प्रभाग द्वारा प्रदान किए गए अनुबंधों की जांच शामिल है।

कंपनी की लगभग सभी निविदाएं, जो ₹ 2 लाख से अधिक की हैं, ई-खरीद के माध्यम से कार्रवाई की गई है। यदि खरीद का अनुमानित मूल्य और उल्लिखित कीमत कुछ मानदंडों से अधिक होती है तो ई-रिवर्स नीलामी भी की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एक सतर्कता मामला जो छोटी प्रकृति का है, लंबित था और कोई भी सतर्कता मामला निपटाया नहीं गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

आपकी कंपनी ने 29 अक्तूबर, 2018 से 03 नवंबर, 2018 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। सप्ताह के दौरान, आरईसी ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली, विभिन्न प्रतिस्पर्द्धाएं अर्थात पैराग्राफ लेखन, जस्ट ए मिनट, अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए पेंटिंग और कविता लेखन प्रतियोगिता आयोजित की। उसने "ईआरपी लेखा परीक्षा और डाटा विश्लेषण" पर एक दिवसीय कार्यशाला और "अनुबंध एवं खरीद" पर एक कार्यशाला भी आयोजित की। अखिल भारतीय स्तर पर अंतर-विद्यालय कविता प्रतियोगिता आयोजित की गई और अंत:-विद्यालय पैराग्राफ लेखन प्रतियोगिताएं दिल्ली में तीन स्कूलों में आयोजित की गई। अंतर-महाविद्यालय बहस प्रतिस्पर्द्धा दौलत राम कॉलेज, दिल्ली में भी आयोजित की गई जिनमें दिल्ली के 30 से अधिक कॉलेजों के विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। इसके अलावा, विभिन्न क्रियाकलाप भारत में आरईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों और उसकी सहायक कंपनियों में आयोजित किए गए। कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों और आरईसीआईपीएमटी, हैदराबाद में पैनल विचार-विमर्श/सेमिनार भी आयोजित किए गए थे।

नई पहल

सत्यनिष्ठा क्लब: आरईसी ने अपने सीएसआर क्रियाकलापों के तहत देश के विभिन्न भागों में 29 सत्यनिष्ठा क्लब स्थापित किए हैं। तद्नुसार, आरईसी के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न क्रियाकलाप आयोजित किए गए थे। सत्यनिष्ठा क्लब उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में साझा भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आरईसी द्वारा स्कूलों में सत्यनिष्ठा क्लब को प्रोत्साहित करने का प्रयोजन युवा बच्चों के मन में नैतिक मूल्यों का विकास करना है ताकि वे देश के सामाजिक और नैतिक रूप से जिम्मेदार नागरिक के रूप में बड़े हो सकें और साथ ही वे भारत में भ्रष्टाचार की समस्या के खिलाफ साझा रूप से लड़ाई में एक जागरूक व्यक्ति के रूप में विकसित हो सकें। वर्ष के दौरान सत्यनिष्ठा क्लब स्कूलों ने अनेक प्रतियोगिताओं जैसे कि लोगो डिजाइनिंग, अपने आस-पास साफ-सफाई, कविता लेखन और पैराग्राफ लेखन इत्यादि का आयोजन किया था।

मैजिक शो: सतर्कता प्रभाग ने सोलह स्कूलों, एक कॉलेज और साथ ही पंजीकृत कार्यालय, नई दिल्ली में मैजिक शो आयोजित किए। इस कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय जुटाव और एक नवीन व रोचक तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को एकजुट करने का संदेश संप्रेषित किया गया और उसकी सभी ने सराहना की।

सीवीसी द्वारा निर्धरित मानकों के अनुसार सतर्कता प्रभाग के कार्य निष्पादन की नियमित समीक्षा करने के अलावा सीवीसी, निदेशक मण्डल और सीएमडी द्वारा आवधिक समीक्षा की गई ।

19. राजभाषा का कार्यान्वयन

वर्ष 2018-19 के दौरान राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के संदर्भ में शासकीय कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए गए। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की गईं ताकि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति की निगरानी और समीक्षा की जा सके।

कंपनी के कर्मचारियों के बीच हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 14 सितंबर, 2018 से 28 सितंबर, 2018 तक के दौरान कारपोरेट कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया जिसमें हिंदी क्विज, इंडिया बिजनेस क्विज, हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता, आशुभाषण प्रतियोगिता, राजभाषा सामान्य ज्ञान और हिंदी प्रश्नावली प्रतियोगिता इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐसे सभी आयोजनों/प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया और विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए ताकि कर्मचारियों को दैनिक कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया जा सके और प्रतियोगिताओं में अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इन तारीखों में कंपनी/आरईसीआईपीएमटी के सभी क्षेत्रीय/राज्य कार्यालयों में भी हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया।

आपकी कंपनी ने हर वर्ष राजभाषा सम्मेलन आयोजित करने के लिए एक नई पहल की है। इस पहल के तहत दो दिवसीय राजभाषा सम्मेलन दिनांक 26 नवंबर, 2018 से 28 नवंबर, 2018 तक शिलांग में आयोजित किया गया जिसमें नोडल हिंदी अधिकारियों ने भाग लिया।

इसके अतिरिक्त, आरईसी कार्यालयों में हिंदी कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं जिनमें प्रतिभागियों को शासकीय कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने के लिए व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया गया जिनमें अनेक कार्यपालकों/गैर-कार्यपालकों ने भाग लिया।

विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम ने आरईसी पंजीकृत कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों, चेन्नई, पंचकुला, कोलकाता, मुंबई और शिलांग में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा भी की। इसके अतिरिक्त, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में विनिर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों/राज्य कार्यालयों के आंतरिक निरीक्षण भी किए गए ताकि शासकीय काम-काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग का आकलन किया जा सके।

कंपनी की हिंदी गृह पत्रिका "ऊर्जायन" के नए अंकों का प्रकाशन किया गया जिसमें कर्मचारियों द्वारा लिखे गए रोचक और लाभप्रद तथा साहित्यिक रचनाएं शामिल हैं। पत्रिका के लिए हिंदी लेखन, रचनाओं, कविताओं इत्यादि के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करने हेतु नकद प्रोत्साहन भी प्रदान किया गया।

20. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिस्राव से संबंधित ब्यौरा

20.1 ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा के संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन के संबंध में कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है। इसके अलावा, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्कोप कॉम्प्लेक्स में स्थित है जहां सभी सिविल, इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन और अनुरक्षण स्कोप द्वारा किया जाता है। परंपरागत लाइटों के स्थान पर एलईडी लाइट लगाना, समग्र ऊर्जा जागरूकता, ऊर्जा दक्ष उपकरण, सौर ऊर्जा के प्रयोग तथा स्कोप की टेक्नीकल टीम द्वारा विद्युत खपत की प्रभावी मॉनिटरिंग से वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान लगभग 4.86 लाख यूनिट खपत में बचत हुई है जिससे करीब ₹ 53.22 लाख की राशि की बचत हुई।

20.2 विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिस्राव

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कोई भी विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की गई। इसके अलावा, ब्याज, मूलधन चुकौती, वित्तीय प्रभारों, विदेश यात्रा, प्रशिक्षण व्यय, वास्तुकीय सेवाओं तथा अन्य व्यय के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान कुल ₹ 2,925.53 करोड़ का विदेशी मुद्रा बहिस्राव हुआ।

21. अनुषंगी कंपनियां

वितरण, पारेषण आदि क्षेत्रों में परामर्शी के अतिरिक्त कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपकी कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली दो अनुषंगी कंपनियां हैं।

21.1 आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीआईएन: U40101DL2007GOI165779)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आरईसीपीडीसीएल ने डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना, तृतीय पक्ष निरीक्षण (टीपीआई), सामग्री निरीक्षण और परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) और परियोजना प्रबंधन एजेंसी/परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता जैसे अपने प्रमुख कारोबार में निरंतर कार्यरत है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार आरईसीपीडीसीएल 27 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में 46 डिस्कॉम/आरई को-ऑपरेटिव सोसायटियों तथा अन्य एजेंसियों/सरकारी निकायों के लिए ₹ 80,000 करोड़ की परियोजना लागत और ₹ 1,158 करोड़ के संभावित परामर्शी शुल्क के साथ करीब मौजूदा 96 परियोजनाओं पर कार्य कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आरईसीपीडीसीएल ने पूर्व वर्ष के ₹ 206.95 करोड़ के राजस्व की तुलना में ₹ 159.77 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्त किया है और करोपरांत लाभ पूर्व वर्ष के ₹ 34.94 करोड़ की तुलना में ₹ 26.34 करोड़ है।

दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी की निवल आय पूर्व वर्ष में ₹ 156.57 करोड़ की तुलना में ₹ 155.73 करोड़ थे। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 10 प्रत्येक के हिसाब से प्रति शेयर आय (ईपीएस) पूर्व वर्ष में ₹ 6,988 की तुलना में ₹ 5,268 थी। मार्च, 2019 में प्रति इक्विटी शेयर (₹ 10 प्रत्येक के अंकित मूल्य पर) ₹ 2,300 (दो हजार तीन सौ रुपए) का एक अंतरिम लाभांश, जो कुल मिलाकर ₹ 11.50 करोड़ था, का भुगतान किया।

21.2 आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (सीआईएन: U40101DL2007GOI157558)

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा आबंटित प्रत्येक स्वतंत्र अंतर-राज्यीय और अंत:-राज्यीय पारेषण परियोजना के विकास के लिए आरईसीटीपीसीएल ने एक परियोजना स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में और एक दो चरण की बोली प्रक्रिया के माध्यम से, जिसमें पृथक अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) और प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) शामिल हैं, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पारेषण परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क आधारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित परियोजना स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) तथा उसकी सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां चयनित बोलीदाता को हस्तांतरित किए गए।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) द्वारा आबंटित अंत:राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित दो परियोजना विशिष्ट कंपनियां हस्तांतरित की गई हैं:

क्रम सं.	पारेषण परियोजना का नाम	परियोजना विशिष्ट एसपीवी का नाम	चयनित बोलीदाता का नाम	परियोजना विसिष्ट एसपीवी के हस्तांतरण की तारीख
1.	3X660 मेगावाट घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना से विद्युत की निकासी	घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	19 जून, 2018
2.	2 x 660 मेगावाट जवाहर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से विद्युत की निकासी और संबद्ध पारेषण लाइनों के सात फिरोजाबाद में 400 केवी उप-केंद्र का निर्माण	जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	21 दिसंबर, 2018

इसके अलावा, आरईसीटीपीसीएल अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयकर्ता के रूप में कार्य कर रही है अर्थात (i) 400 केवी उडुपी (यूपीपीसीएल) - कासरगोड डी/सी लाइन; (ii) अजमेर (पीजी) - फागी 765 केवी डी/सी लाइन के साथ-साथ राजस्थान सेज के लिए संबद्ध बे का निर्माण; (iii) पश्चिमी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना - 21 (डब्ल्यूआरएसएस-21) भाग-क - भुज पीएस में आरई इंजेक्शन के कारण गुजरात इंट्रा स्टेट सिस्टम में लाए गए आधिक्य लोड को कम करने के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण; (iv) भुज-II, द्वारका और लकडिया में आरई उत्पादन से संबद्ध पारेषण प्रणाली; (v) जम खम्भालिया पूलिंग स्टेशन और जम खम्भालिया पूलिंग स्टेशन का इंटर-कनेक्शन-द्वारका (गुजरात) में आरई परियोजनाओं (1500 मेगावाट) के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु और मैसर्स सीजीपीएल स्विचयार्ड में संबद्ध बे के साथ 400/220 केवी आईसीटी की स्थापना और राजस्थान सेज (भाग-ग) से एलटीए ऐप्लिकेशन के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली।

इसके अलावा, आरईसीटीपीसीएल अंतर:राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयकर्ता के रूप में भी कार्य कर रही है अर्थात (i) झारखंड राज्य (पैकेज 1 से 4) में पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण; (ii) गुना (जिला गुना) के समीप 400 केवी उप केंद्र के निर्माण के साथ संबद्ध अंत:राज्यीय पारेषण कार्य और भिंड (जिला भिंड) के समीप 220 केवी एस/एस के निर्माण से संबद्ध अंत:राज्यीय पारेषण कार्य और (iii) 765/400/220 केवी जीआईएस उपकेंद्र, रामपुर और 400/220/132 केवी जीआईएस उप केंद्र, सम्भल और संबद्ध पारेषण लाइनों का निर्माण।

उपरोक्त सभी अंतर-राज्यीय और अंत:राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए आरईसीटीपीसीएल ने सहायक कंपनियों के रूप में पृथक परियोजना विशिष्ट एसपीवी कंपनी निगमित की है। इसके अलावा, एक परियोजना स्पेशल पर्पज व्हीकल अर्थात दिनचांग पारेषण लिमिटेड को अरुणाचल प्रदेश में "चरण-I की उत्पादन परियोजनों के लिए पारेषण प्रणाली" हेतु 2 दिसंबर, 2015 को निगमित किया गया था, उसे विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 2019 की राजपत्र अधिसूचना के तहत गैर-अधिसूचित किया गया है।

आरईसीटीपीसीएल ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गनिर्देशन में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए ऑनलाइन वेब प्लेटफार्म और मोबाइल ऐप विकसित किया है, अर्थात ऊर्जा मित्र, तरंग (रियल टाइम मॉनीटरिंग और विकास के लिए पारेषण ऐप), 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग योजना इत्यादि और इसने अपने ग्राहकों की ओर से विभिन्न अन्य असाइनमेंट भी किए हैं।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान आरईसीटीपीसीएल ने पूर्व वर्ष में ₹ 52.13 करोड़ की तुलना में ₹ 40.45 करोड़ की आय अर्जित की है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमश: ₹ 32.21 करोड़ और ₹ 4.60 करोड़ है। कंपनी की निवल आय दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 118.44 करोड़ थी जबकि वर्ष 2007 में आरईसी लिमिटेड (धारित कंपनी) द्वारा लगाई गई आरंभिक पूंजी ₹ 0.05 करोड़ थे। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 10 प्रत्येक के चुकता इक्विटी शेयर पर ₹ 6,600 प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश था, जो मार्च 2019 में कुल मिलाकर ₹ 33 करोड़ का भुगतान किया गया।

21.3 आरईसीटीपीसीएल का आरईसीपीडीसीएल के साथ विलय

बेहतर प्रचालनात्मक क्षमता के लिए और उच्च पूंजी आकार एवं साझा संसाधनों के लाभ प्राप्त करने के लिए आरईसी लिमिटेड की दो असूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों अर्थात आरईसीपीडीसीएल और आरईसीटीपीसीएल के एक ही संस्था में विलय करने का प्रस्ताव था।

तद्नुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के तहत मार्च, 2018 में आरईसीटीपीसीएल (स्थानांतरणकर्ता कंपनी) का आरईसीपीडीसीएल (स्थानांतरित कंपनी) के साथ विलय करने की व्यवस्था की योजना की स्वीकृति के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन एक आवेदन दाखिल किया गया था।

तथापि, प्रशासनिक मंत्रालय विद्युत मंत्रालय ने व्यापक संभावना को देखते हुए इस मामले पर विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया और आरईसी व पीएफसी के एक ही कंपनी में विलय को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया कि आरईसीटीपीसीएल और आरईसीपीडीसीएल का विलय इस अवस्था में समय पूर्व होगा। अत: आरईसीटीपीसीएल और आरईसीपीडीसीएल के साथ विलय आगे नहीं बढ़ाया गया।

22. संयुक्त उद्यम और संबद्ध कंपनी के ब्यौरे

आरईसी ने तीन अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों अर्थात् पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड और पावर फाइनेंस

कारपोरेशन लिमिटेड को भागीदार बनाकर दिनांक 10 दिसंबर, 2009 को एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है । ईईएसएल एक सुपर एनर्जी सर्विस कंपनी (ईएससीओ) है। यह राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम), ऊर्जा विनियामक आयोग (ईआरसी), राज्य विकास प्राधिकरणों (एसडीए), भावी ईएससीओ, वित्तीय संस्थानों इत्यादि के लिए क्षमता निर्माण के संसाधन केंद्र के रुप में काम करती है। आरईसी ने 31 मार्च, 2019 तक ₹ 146.50 करोड़ (ईईएसएल की चुकता पूंजी का 21.70 प्रतिशत) का अंशदान किया है।

ईईएसएल की स्थापना विशेष रुप से नगरपालिकाओं, भवनों, कृषि, उद्योग इत्यादि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों की बाजार तक पहुंच प्रदान करने तथा उसे बनाए रखने एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की अनेक योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए की गई है। ईईएसएल जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 राष्ट्रीय मिशनों में से एक मिशन राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) के बाजार संबंधी क्रियाकलापों में भी अग्रणी है। आज ईईएसएल विश्व में सबसे बड़े के ऊर्जाक्षम पोर्टफोलियो को कार्यान्वित कर रही है । ईईएसएल के ऊर्जाक्षम उपकरणों और प्रौद्योगिकियों से भारत की वार्षिक रुप से अनुमानित 40 बिलियन किलोवाट घंटा से अधिक ऊर्जा की बचत हुई है।

वर्तमान में ईईएसएल विश्व के सबसे गैर-सब्सिडी आधारित एलईडी लाइट कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है : घरेलु उपभोक्ताओं के लिए एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूब लाइट और ऊर्जाक्षम पंखों के वितरण के लिए सभी के लिए किफायती एलईडी से उन्नत ज्योति (उजाला) कार्यक्रम, विश्व का सबसे बड़ा स्ट्रीट बदलने का कार्यक्रम : राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम (एसएलएनपी), जो नगरपालिकाओं में स्मार्ट और ऊर्जाक्षम एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाकर परंपरागत स्ट्रीट लाइट को बदलने के लिए है, मौजूदा पैट्रोल और डीजल वाहनों, जो विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा पट्टे पर लिए गए हैं, के स्थान पर पट्टे पर/खरीद आधार पर सरकारी संस्थाओं के लिए विद्युत वाहन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ई-मोबिलिटी कार्यक्रम, विश्व का सबसे बड़ा कृषि मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र में अक्षम कृषिकीय पम्प सेट की बदली करने के लिए एजीडीएसएम कार्यक्रम भवनों में ऊर्जाक्षम उपकरणों को रिट्रोफिट करने के लिए उन्हें ऊर्जाक्षम बनाने के लिए भवन ऊर्जाक्षम कार्यक्रम (बीईईपी), परंपरागत मीटरों के स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएमएनपी), सार्वजनिक जल कार्यों और सीवेज प्रणालियों में यूएलबी/राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद ऊर्जाक्षम पंप सेट लगाने के लिए अमृत (एएमआरयूटी) के तहत नगरपालिका ऊर्जाक्षम कार्यक्रम (एमईईपी), सोलर रुफटॉप और विकेंद्रीकृत छोटे सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सोलर कार्यक्रम, ऐसे ग्रामीण, अर्धशहरी क्षेत्रों, जहां विद्युत उपलब्ध नहीं है, में सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए अटल ज्योति योजना (अजय), स्कूली बच्चों के लिए सोलर अध्ययन लैम्प के वितरण के लिए सोलर ऊर्जा लैम्प (एसओयूएल) तथा उपभोक्ताओं को किफायती कीमतों पर सुपर सक्षम एयर कंडीशनर प्रदान करने के लिए सुपर एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग कार्यक्रम भी विकसित किया गया है।

ईईएसएल को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड (एफआईएलए), 2018 द्वारा दिनांक 22 नवंबर, 2018 को 'सर्वोत्तम कंपनी (सार्वजनिक क्षेत्र) अवार्ड' प्रदान किया गया।

वर्ष के दौरान ईईएसएल के निष्पादन में सुधार हुआ है और कंपनी का वित्तीय निष्पादन विकास पथ पर है। कंपनी का टर्नओवर वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 5 करोड़ था, जो कि वर्ष 2018-19 के दौरान बढ़कर (स्टैंडअलोन) ₹ 1,936 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष के दौरान कर पूर्व लाभ ₹ 171 करोड़ है और कर पश्चात लाभ ₹ 95 करोड़ है, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्टैंडअलोन परिणामों में दिया गया है।

23. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और उसके तहत बने नियमों तथा भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुसरण में कंपनी ने समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण तैयार किए हैं, जिनमें इसकी सहायक कंपनियां अर्थात् आरईसीटीपीसीएल और आरईसीपीडीसीएल (लेखापरीक्षित) तथा संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात ईईएसएल (अलेखापरीक्षित) शामिल हैं जिन्हें कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी की होने वाली 50वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 129 की उप-धारा (3) के अनुसरण में सहायक/संबद्ध कंपनियों और संयुक्त कंपनी के फॉर्म एओसी-1 में वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं के साथ एक विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

कंपनी की सहायक कंपनियों के समेकित भारतीय-लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षित लेखाओं सहित लेखा परीक्षित भारतीय-लेखांकन मानक वित्तीय विवरण कंपनी की वेबसाईट www.recindia.com पर उपलब्ध है। तथापि, ये दस्तावेज कंपनी के किसी भी ऋण पत्र धारक के सदस्य अथवा न्यासी को उसके द्वारा अनुरोध किए जाने पर निरीक्षण के लिए कार्यालय समय के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे। कंपनी इनकी प्रति प्राप्त करने में रूचि रखने वाले कंपनी के किसी भी सदस्य द्वारा विशिष्ट अनुरोध पर उन्हें उपलब्ध कराएगी।

24. निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी के निदेशक मण्डल की नियुक्ति का अधिकार विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति के पास है। कंपनी के निदेशकों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय-समय पर जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार नियत किया जाता है। अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को मण्डल और समिति की बैठकों में आने के लिए निदेशक मण्डल द्वारा समय-समय पर (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित सीमा के भीतर) निर्धारित सदस्यता शुल्क दिया जाता है। भारत सरकार की शर्तों के अनुसार, सरकार द्वारा नामित निदेशक कंपनी से कोई पारिश्रमिक/सदस्यता शुल्क के हकदार नहीं हैं। निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक/सदस्यता शुल्क के ब्यौरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित सुशासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधनों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मण्डल ने कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कंपनी सचिव को मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) नामित किया है। कंपनी के सीईओ और सीएफओ की भूमिका क्रमशः कंपनी के सीएमडी और निदेशक (वित्त) द्वारा निभाई जा रही है।

इसके अलावा, सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप सभी स्वतंत्र निदेशकों को अपेक्षित घोषणा दी गई है कि वे स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करें और कोई भी निदेशक पारस्परिक रूप से संबंधित नहीं है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 17 जुलाई, 2018 के आदेश सं. 20/6/2017-समन्वय के तहत डॉ. भागवत किशनराव कराड (डीआईएनः 00998839) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष के लिए अगले आदेशों तक के लिए, जो भी पहले हो, आरईसी के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 22 नवंबर, 2018 के आदेश सं. 20/6/2017-समन्वय के तहत श्री ए. कृष्ण कुमार और प्रो. टी. टी. राम मोहन को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष के लिए पूर्व कार्यकाल पूरा होने की तारीख की पुनः नियुक्ति प्रदान की है, जो उनके पूर्व टेन्योर के पूरा होने की तारीख से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।

वर्ष के दौरान, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 05 मार्च, 2019 के आदेश संख्या 46/8/2011-आरई के अनुसरण में डॉ. पी. वी. रमेश, आईएएस ने सीएमडी, आरईसी का पद छोड़कर भारत के संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय अभिलेखागार, में महानिदेशक पद पर कार्यभार ग्रहण किया है तथा दिनांक 6 मार्च, 2019 से कंपनी के सीएमडी का पद छोड़ दिया है। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 6 मार्च, 2019 के आदेश संख्या 46/8/2011-आरई के तहत श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त) को दिनांक 6 मार्च, 2019 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 6 जून, 2019 के पत्र संख्या 27-46/1/2018-आरई के तहत तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति और पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. (पीएफसी) के बीच शेयर परचेज करार के खंड 5.1 के तहत दिनांक 18 जून, 2019 से आरईसी लिमिटेड के बोर्ड में पीएफसी के नामिती निदेशक के रूप में श्री प्रवीण कुमार सिंह (डीआईएनः 03548218) की नियुक्ति की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार तथा कंपनी की संघ की नियमावली के अनुच्छेद 91(iv) के प्रावधानों के अनुसार श्री अजीत कुमार अग्रवाल (डीआईएनः 02231613), निदेशक (वित्त) 50वीं आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव देने हेतु पात्र होंगे और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव करते हैं। निदेशक मण्डल 31 मई, 2020 को अधिवर्षिता तक निदेशक के रूप में उनकी पुनःनियुक्ति की सिफारिश करता है। उनका संक्षिप्त ब्यौरा एजीएम के नोटिस के साथ संलग्न है।

25. निदेशक मण्डल/स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन

वैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी सूचीबद्ध कंपनी से अपने बोर्ड की रिपोर्ट में विवरण द्वारा यह प्रकट करना अपेक्षित है कि बोर्ड द्वारा अपने, अपनी समितियों और वैयक्तिक निदेशक के कार्य-निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के लिए मानदंड किस तरीके से किया गया है।

तथापि, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 05 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के तहत अन्य बातों के साथ-साथ केंद्र सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा निदेशकों के मामले में मूल्यांकन किया जाता है तो उपर्युक्त अपेक्षा से सरकारी कंपनी को छूट दी गई है जोकि अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार कंपनी का प्रभारी प्रशासनिक मंत्रालय है। इसके अतिरिक्त, एमसीए 05 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के तहत विनिर्दिष्ट करता है कि स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन की समीक्षा तथा मूल्यांकन तंत्र से संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं है।

तद्नुसार, सरकारी कंपनी होने के कारण आरईसी को उपरोक्त अधिसूचना के सन्दर्भ में छूट प्रदान की गई है क्योंकि प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है ।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी के गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन लोक उद्यम विभाग (डीपीई)/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उनके आन्तरिक दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया।

इसके अलावा, आपकी कंपनी हर वर्ष विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर करती है जिसमें कंपनी के लिए प्रमुख निष्पादन मापदंड निर्धारित किए जाते हैं और कंपनी के निष्पादन का समझौता ज्ञापन के मानदंडों की तुलना में मूल्यांकन किया जाता है।

26. निदेशकों के दायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के संदर्भ में इस बात की पुष्टि की गई है कि:

(i) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों को अपनाया गया है और उनसे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया गया है;

(ii) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया और उन्हें सतत् रूप से लागू किया गया है (वित्तीय विवरणों के लिए लेखाओं के नोट में प्रकट किए अनुसार लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को छोड़कर) तथा लिए गए अधिनिर्णय और लगाए गए अनुमान विवेकपूर्ण तथा युक्तिसंगत हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों की स्थिति और उस अवधि के संबंध में कंपनी के लाभ का सभी और उचित चित्रण किया जा सके;

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार लेखाकरण रिकॉर्ड रखने के संबंध में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा की जा सके और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके तथा उनका पता लगाया जा सके;

(iv) वार्षिक लेखे चालू कंपनी प्रक्रिया के अनुसार तैयार किए गए हैं;

(v) कंपनी द्वारा अपनाए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए गए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से चल रहे हैं; तथा

(vi) निदेशकों ने उपर्युक्त प्रणालियां बनाई हैं ताकि लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से चल रही हैं।

27. समझौता ज्ञापन रेटिंग और पुरस्कार

कंपनी का निष्पादन वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार "बहुत अच्छा" है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान आरईसी को दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल अवार्ड फॉर हाइएस्ट एम्प्लाई एफिशिएंसी एंटरप्राइज, गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2018 फॉर कारपोरेट गवर्नेंस, सीआईएमएसएमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पीएसयू अवार्ड 2018 फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज, अवार्ड फॉर बेस्ट पीएसयू इश्यूअर ऑन इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफार्म ऑफ एनएसई और सर्वोत्तम आवास विद्युतीकरण कार्यक्रम, सौभाग्य के लिए इंडिया स्मार्ट ग्रिड मिशन फोरम (आईएसजीएफ) इनोवेशन अवार्ड 2019 प्राप्त हुआ।

आरईसी और पीएफसी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अजीत कुमार अग्रवाल और पीएफसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजीव शर्मा 2019-20 के एमओयू का आदान-प्रदान करते हुए

28. 'थिंक ग्रीन, गो ग्रीन' पहल

कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनियों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे आम वार्षिक बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट, अन्य दस्तावेज फिजिकल रूप से भेजने के अतिरिक्त अपने सदस्यों को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए भेजें।

एक उत्तरदायी निगमित नागरिक के रूप में कंपनी ने कारपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) की ग्रीन पहल के कार्यान्वयन का समर्थन किया है और उन शेयरधारकों, जिनके ई-मेल आईडी संबंधित डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ पहले ही पंजीकृत है और जिन्होंने इस प्रकार के दस्तावेज फिजिकल रूप में प्राप्त करने के लिए विकल्प नहीं दिया है, को सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी लागू की है। लाभांश (अंतरिम/अंतिम) की सूचना भी उन शेयरधारकों, जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत हैं, को इलेक्ट्रॉनिकली भेजी जा रही है।

उन सदस्यों, जिन्होंने अपने ई-मेल पते अब तक पंजीकृत नहीं कराए हैं, से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी)/कंपनी के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आर एंड टीए) के पास पंजीकृत करा दें और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्राप्त करने के लिए कंपनी की ग्रीन पहल में भागीदार बनें तथा थिंक ग्रीन, गो ग्रीन पहल का समर्थन करें।

यह दोहराया जाता है कि उन सदस्यों, जिन्होंने इन दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी का विकल्प दिया है, सहित सदस्य से मांग किए जाने पर लाभ और हानि विवरण तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आदि सहित कानून की अपेक्षानुसार कपनी के तुलन-पत्र और अन्य दस्तावेजों की प्रति निःशुल्क प्राप्त करने के लिए कंपनी का प्रत्येक सदस्य पात्र है।

इसके अलावा, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसरण में कंपनी सभी सदस्यों को ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करा रही है ताकि वे वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के नोटिस में दिए गए सभी संकल्पों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकें। ई-मतदान के लिए विस्तृत अनुदेश वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की नोटिस सूचना में दिए गए हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऐसे हितधारकों को अनुस्मारक पत्र भी भेजे हैं, जिनके फोलियो में पैन और बैंक विवरण नहीं है अथवा अधूरी सूचना दी गई है, उन्हें अपने पैन बैंक विवरण कंपनी को अद्यतन करने के लिए प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

29. स्वच्छ भारत अभियान

आरईसी ने दिनांक 16 मई, 2018 से 31 मई, 2018 तक "स्वच्छता पखवाड़ा-2018" के तहत स्वच्छ भारत अभियान चलाया। स्वच्छता पखवाड़ा में आरईसी ने कारपोरेट कार्यालय और कंपनी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/राज्य कार्यालयों में स्वच्छता पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। सफाई कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्रियाकलाप अर्थात पांच क्षेत्रीय कार्यालयों (कोलकाता, भोपाल, हैदराबाद, जयपुर और रायपुर) में अतिरिक्त डस्टबिन की स्थापना, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/राज्य कार्यालयों में स्वच्छता का संदेश देते हुए बड़े-बड़े होर्डिंग लगाना, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के स्लम क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक करना आदि क्रिया-कलाप आयोजित किए तथा कर्मचारियों व आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कार्यालयों में तथा आसपास बैनर व पोस्टर लगाए गए।

इसके अलावा, आरईसी के सभी कर्मचारियों ने अति उत्साह और जोश के साथ भाग लिया और अपने-अपने कार्यालयों के परिसरों, शौचालयों, सीढ़ियों, लिफ्ट और आस-पास के अन्य स्थानों में और विशेष साफ सफाई अभियान चलाया। पुराने और गैर-जरूरी रिकार्ड को रिकार्ड रखने की नीति के अनुसार हटाया गया। इस प्रक्रिया में आरईसी द्वारा करीब 4,500 कि.ग्रा. कागज, पत्र व पत्रिकाएं तथा ड्राफ्ट रिपोर्ट के ई-कचरे को ई-कचरा पुनर्चक्रण करने वालों को बेचा गया और पुराने व अवांछित फर्नीचर फिक्सचर तथा अन्य कचरे को भी नष्ट किया गया।

कंपनी के सभी फाइल कवरों, लिफाफों और पत्र शीर्ष पर "स्वच्छ भारत मिशन" का लोगो प्रिंट करवाने का कार्य आरईसी में अभी भी हो रहा है जिससे कि साफ-सफाई के बारे में जागरूकता बनी रहे। साफ-सफाई एक अनवरत प्रक्रिया है और यह आरईसी में जारी रहेगी। इसके अलावा, आरईसी ने गाजियाबाद में एक विद्युत शवदाह गृह लगाया है और उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की केराकत तहसील में "स्वच्छ तीर्थस्थल अभियान" के तहत एक मंदिर "वीर बरैछा धाम" को भी अंगीकृत किया है।

30. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आरईसी में 'सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005' को लागू करने के लिए आपकी कंपनी ने आवश्यक कदम उठाए हैं तथा आवेदनों की प्राप्ति और उनसे संबंधित जानकारी प्रेषित करने संबंधी कार्य का समन्वय करने के लिए एक स्वतंत्र आरटीआई प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक आरटीआई पुस्तिका आरईसी की वेबसाइट पर दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आरटीआई से संबंधित आवेदनों की स्थिति इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	संख्या
1.	प्राप्त हुए आवेदन पत्र	553
2.	निपटाए गए आवेदन पत्र	530
3.	बाद में निपटाए गए आवेदन पत्र	23
4.	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी द्वारा प्राप्त अपीलें	33
5.	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी द्वारा निपटाई गईं अपीलें	31
6.	केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से प्राप्त द्वितीय अपील सूचनाएं	1
7.	केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से द्वारा निपटाई गईं द्वितीय अपील सूचनाएं	1

31. सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक क्रय नीति के तहत सूचना

एमएसएमई के लिए दिशा-निर्देशों, जैसा कि खरीद प्रक्रिया में यथा उल्लिखित है, का कंपनी में अनुपालन किया जा रहा है। एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए आरईसी के प्रयास के रूप में और निर्धारित सार्वजनिक खरीद मानकों, जिन्हें नवंबर, 2018 से संशोधित किया गया है, को लिए आरईसी ने पहले ही यह अनिवार्य कर दिया कि ₹ 10 लाख तक के मूल्य की वस्तुएं/सेवाएं, जो सामान्य प्रयोग की हैं, एमएसएमई के विक्रेताओं से 100 % खरीदी जाएं और साथ ही 50 % तक कीमत वरियता एमएसई को भी दी जाए जिनमें से 20 % एससी/एसटी और महिला विक्रेता के लिए आरक्षित की जाए। आरईसी द्वारा एससी/एसटी के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए।

इसके अलावा, आरईसी पहले से ही जेम और समाधान पोर्टल पर पंजीकृत है और उनका प्रभावी ढंग से उपयोग कर रही है। हाल ही में, आरईसी ने अपने आपको को टीआरईडीएस पर पंजीकृत कराया है और एमएसएमई के विक्रेताओं द्वारा बिल डिस्काउंट के लिए इस महत्वाकांक्षी फोरम पर अपनी मौजूदगी दर्शाई है। इसके अलावा, आरईसी को यह घोषणा करते हुए गर्व है कि उसने चंडीगढ़ में दिनांक 20 मार्च, 2019 को आयोजित फिक्की के विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) में भागीदारी की और सूरत में दिनांक 22 मार्च, 2019 को आयोजित सीआईआई के

वीडीपी में भी भागीदारी की जिसमें उद्योग के सभी भागीदारों ने भारी मात्रा में भागीदारी की और सराहना की।

चूंकि, आरईसी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, वह परियोजनाओं का निष्पादन नहीं करता। अतः हमारी खरीद संबंधी जरूरतें मुख्यतः कार्यालय उपकरण जैसे कम्प्यूटर, प्रिंटर, उपभोज्य स्टेशनरी और अन्य विविध मदें एवं सेवाएं इत्यादि हैं, जो अधिकांशतः एमएसएमई विक्रेताओं से ही खरीदी जाती हैं। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एमएसई से ₹ 6.03 करोड़ राशि की खरीद की गई।

एमएसएमई के लिए आरईसी की सार्वजनिक खरीद की नीति कंपनी की वेबसाइट www.recindia.com और सीपीपीपी पोर्टल पर डाली गई सभी निविदाओं में शामिल की गई है।

32. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध ओर निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, महिला कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कंपनी ने 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता कंपनी की वरिष्ठ स्तरीय महिलाओं द्वारा की जाती है और इसके एक सदस्य के रूप में एक गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है। कंपनी के यौन उत्पीड़न विरोधी स्वरूप को आरईसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमावली में भी शामिल किया गया है।

कंपनी को वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान यौन उत्पीड़न संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

33. वार्षिक प्रतिलाभ का सार

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसरण में वार्षिक प्रतिलाभ का सार फार्म एमजीटी-9 में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

34. संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के ब्यौरे

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षकारों के साथ की गई संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के ब्यौरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न फार्म एओसी-2 में प्रकट किए गए हैं।

35. लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स जी. एस. माथुर एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण संख्या 008744एन), नई दिल्ली और मैसस ए. आर. एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण संख्या 002744सी), नई दिल्ली को भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आपकी कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है।

इसके अलावा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों नियुक्ति अभी की जानी है। कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन आगामी वार्षिक बैठक में लिया जाएगा ताकि वर्ष 2019-20 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मण्डल को प्राधिकृत किया जा सके।

सचिवालयी लेखा परीक्षक

वित्तीय वर्ष 2018-19 के संबंध में सचिवालयी लेखा परीक्षा करने के लिए मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव (प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र संख्या 3850), नई दिल्ली को सचिवालयी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की शर्तों के अनुसार उन्होंने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है और यह इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

35.1 लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियां

यद्यपि कंपनी के लेखा परीक्षकों ने कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी कोई अर्हता, आरक्षण, विपरीत टिप्पणी अथवा दावा नहीं किया है परंतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को और सुदृढ़ करने के लिए कुछ टिप्पणियां की हैं। तदनुसार लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों और सांविधिक लेखापरीक्षकों के संबंध में प्रबंधन का उत्तर निम्न है:

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
स्टैंडअलोन भारतीय- लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की, कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खण्ड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट के अंतर्गत संदर्भित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-ग हमारे विचार से कंपनी में (i) ऋणकर्ताओं को संवितरित निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण, (ii) कार्यान्वित की जाने वाली एचआर नीति के तहत कुछ स्टाफ के बीच ड्यूटियों की अदला-बदली को छोड़कर वित्तीय रिपोर्टिंग पर सभी महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।	उक्त क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण को और सुदृढ़ करने के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।
स्टैंडअलोन इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खण्ड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट के अंतर्गत संदर्भित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-क हमारे विचार से धारित कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रुप से नियंत्रित संस्था, जो कि भारत में निगमित कंपनियां हैं, में (i) ऋणकर्ताओं को संवितरित निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण, (ii) कार्यान्वित की जाने वाली एचआर नीति के तहत कुछ स्टाफ के बीच ड्यूटियों की अदला-बदली, (iii) सहायक कंपनियों द्वारा अपनी अनुषंगी कंपनियों (एसपीवी) के लिए साझा व्यय के आबंटन की प्रणाली में सुधार, (iv) आवधिक शेष की पुष्टि और सहायक कंपनियों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उन पर अनुपालना प्राप्त करने की प्रक्रिया को छोड़कर वित्तीय रिपोर्टिंग पर सभी महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।	उक्त क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण को और सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, इन मामलों पर सहायक कंपनियों के साथ आबंटन की प्रणाली में उपयुक्त बदलावों तथा आवधिक शेष की पुष्टियों की प्राप्ति के लिए प्रक्रिया पर विचार-विमर्श किया गया है।

कंपनी के सचिवालयी लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के संबंध में एक अलेखापरीक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तथापि, उन्होंने निदेशक मण्डल की संरचना के बारे में एक टिप्पणी की है। टिप्पणी पर प्रबंधन का उत्तर निम्नलिखित है :

सचिवालयी लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने सामान्यतः उपरोक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों इत्यादि और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और निदेशक मण्डल की संरचना के संबंध में सेबी के विनिमय 17 (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) नियमावली, 2015 के प्रावधानों का, कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न होने के कारण 1 अप्रैल, 2018 से 16 जुलाई, 2018 तक को छोड़कर पालन किया है।	आरईसी एक सरकारी कंपनी है और कंपनी के संगम अनुच्छेद की धारा 91 के प्रावधानों के तहत कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति की शक्तियां विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निदेशक मण्डल की संरचना श्री अरुण सिंह द्वारा त्याग-पत्र दिए जाने पर एक स्वतंत्र निदेशक की रिक्ति के कारण 1 अप्रैल, 2018 से 16 जुलाई, 2018 तक की अल्प अवधि को छोड़कर सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन किया गया था। तथापि, विद्युत मंत्रालय द्वारा डॉ. भगवत किशनराव कराड की 17 जुलाई, 2018 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति होने के बाद कंपनी के बोर्ड की संरचना सभी लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार थी।

36. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने दिनांक 16 जुलाई, 2019 के पत्रों के जरिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (क) के अधीन 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के संबंध में आपकी कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के संबंध में 'शून्य' टिप्पणी दी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र प्रस्तुत की गई है।

37. ऋण-पत्र डिबेंचर

सेबी (एलओडीआर) नियमावली, 2015 की अपेक्षाओं के अनुपालन में, समय-समय पर कंपनी द्वारा निर्गत बॉण्डों की भिन्न-भिन्न श्रृंखला के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त ऋण-पत्र न्यासियों के ब्यौरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

38. सांविधिक प्रकटन

क) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई अंतर नहीं था।

ख) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की।

ग) विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा ऐसे कोई महत्वपूर्ण अथवा वास्तविक आदेश जारी नहीं किए गए जो चल रहे कंपनी के मुद्दों की स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालनों पर प्रभाव डालते हों।

घ) कंपनी उपयुक्त निगरानी प्रक्रिया, जिससे विभिन्न लेन-देनों की सही और समय से वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित होती है, प्रचालनों की दक्षता और सांविधिक विधि, विनियम और कंपनी नीतियों का अनुपालन सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त प्रणाली बनाई हुई है। ब्यौरों के लिए इस रिपोर्ट के साथ संलग्न 'प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' देखें।

ङ) वर्ष के दौरान बोर्ड और इसकी समितियों के गठन, विचाराधीन विषय, बैठकों से संबंधित सूचना, सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति की स्थापना तथा निदेशकों की फेमिलियराइजेशन/प्रशिक्षण नीति के लिए वेब लिंक, संबंधित पक्षकार लेन-देन की सामग्री संबंधी नीति तथा तृतीय पक्षकार लेन-देन तथा प्रमुख सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों को मुआवजा स्वतंत्र निदेशकों को सीटिंग फीस आदि निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में उल्लिखित की गई है जो वार्षिक रिपोर्ट का भाग है जो सेबी (एलओडीआर) नियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में तैयार की गई है।

च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(11) के अनुसार अपने कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में कंपनियों का वित्त पोषण अथवा अवसंरचना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के कारोबार में लगी कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, दी गई गारंटी अथवा उपलब्ध कराई गई सिक्योरिटी कंपनी पर लागू नहीं है, अतः प्रकटन किया जाना अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, निवेश के ब्यौरे स्टैंडअलोन वित्तीय लेखा विवरण पर टिप्पणी की टिप्पणी संख्या 9 में दिए गए हैं।

छ) चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके अधीन बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं, अतः प्रकटन किया जाना अपेक्षत नहीं है।

ज) कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं की गई है जो वित्तीय वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच किए गए।

i) कंपनी ने निदेशकों अथवा कंपनी के किसी कर्मचारी को स्टॉक ऑप्शन जारी नहीं किए हैं।

झ) सतर्कता मामलों से संबंधित ब्यौरे, ऑडिट आपत्तियों के उत्तर और आरटीआई मामले इत्यादि इस रिपोर्ट में विधिवत रूप से दिए गए हैं, जैसा कि संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24 जनवरी, 2018 के कार्यालय ज्ञापन के तहत अपेक्षित है।

ञ) केंद्रीय सरकार ने कंपनी (लागत, रिकार्ड और लेखापरीक्षा) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी (लागत रिकार्ड एवं लेखापरीक्षा) संशोधन नियमावली, 2014 के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए लागत रिकार्ड का रख-रखाव निर्धारित नहीं किया है। तद्नुसार, लागत लेखा और रिकार्ड का कंपनी द्वारा रख-रखाव करना अपेक्षित नहीं है।

39. गुरुग्राम में आरईसी के निगमित कार्यालय भवन के निर्माण की स्थिति

आरईसी के सेक्टर 29, गुरूग्राम में अत्याधुनिक कार्यालय भवन का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। प्रस्तावित भवन की डिजाइन आर्किटेक्ट मैसर्स सीडब्ल्यूए (वैश्विक डिजाइन आर्किटेक्चरल प्रतिस्पर्द्धा के माध्यम से चयन) द्वारा तैयार किया गया है और यह अच्छी फिनिशिंग के साथ सफेद कंक्रीट की सर्फेस, रेज्ड फ्लोरिंग, वातानुकूलन में विद्युत की खपत को कम करने हेतु स्लेब के लिए रेडियंट कूलिंग, आईएमएस, सेंसर नियंत्रित लाइट, बायोक्लाइमेटिक फेकेड व मोटराइज्ड ब्लाइंड्स, सौर पीवी ऑडिटोरियम तथा अन्य नवीनतम प्रौद्योगिकीय विशेषताओं के साथ गृह (जीआरआईएचए) 5 स्टार रेटेड नेट पॉजिटिव बिल्डिंग है।

मैसर्स टेलिकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम) परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन

गुरूग्राम में आरईसी कार्यालय के निर्माण की वर्तमान स्थिति

परामर्शदाता है और मैसर्स जेएमसी प्रोजेक्ट्स (भारत) लिमिटेड परियोजना के लिए ठेकेदार है। इसके अलावा, 8 परामर्शदाता/उप-परामर्शदाता भी परियोजना के लिए कार्य कर रहे हैं। परियोजना को अधिकतम महत्व देते हुए आरईसी ने भवन के संरचनात्मक डिजाइन की पुनरीक्षा के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली को नियुक्त किया है।

30 अप्रैल, 2019 तक भवन की आरसीसी संरचना पूरी हो चुकी है और अग्रभाग पर शीशे लगाने, आंतरिक और बाह्य विकास कार्य पूरी तरह से चल रहे हैं और संगत सेवा कार्य चल रहे हैं। यह परियोजना एडवांस स्टेज पर है और आशा है कि अगले वर्ष के प्रारंभ तक नए कार्यालय परिसर में प्रवेश हो जाएगा।

आरईसी 'वर्ल्ड हेडक्वार्टर बिल्डिंग' परियोजना को हाल ही में (i) 8वें गृह (जीआरआईएचए) शिखर सम्मेलन के दौरान अप्रतिरोधी वास्तुकीय डिजाइन; (ii) एकीकृत जल प्रबंधन; और (iii) 9वें गृह (जीआरआईएचए) शिखर सम्मेलन के दौरान ऊर्जा प्रबंधन के लिए एकीकृत पर्यावरण आकलन हेतु गृह (जीआरआईएचए) परिषद द्वारा ग्रीन रेटिंग के लिए ये तीन महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए थे जिससे जीआरआईएचए 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने में आगे मदद मिलेगी।

40. अपेक्षित सांविधिक और अन्य सूचना

सेबी (एलओडीआर) नियमावली, 2015 एवं लागू वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित संशोधित सूचीकरण करारों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना निम्न रूप में इस रिपोर्ट के साथ सलग्न है :

विवरण	अनुबंध
प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	I
निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट	II
निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	III
कारोबार दायित्व रिपोर्ट	IV
सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	V
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी वार्षिक रिपोर्ट	VI
वार्षिक विवरण का सारांश	VII
संबंधित पक्षकारों सहित संविदाओं और व्यवस्थाओं के विवरण	VIII
बॉण्डों की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त ऋण-पत्र न्यासियों के ब्यौरे	IX

41. आभार

निदेशकगण, भारत सरकार, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, डीआईपीएएम, डीपीई और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति उनके सतत सहयोग एवं समर्थन के लिए तथा कपनी के कार्यों तथा संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करते हैं।

निदेशकगण, राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य विद्युत कंपनियों और अन्य उधारकर्ताओं को, कपनी को निरंतर सहयोग देने और उसमें विश्वास बनाए रखने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।

निदेशकगण, कंपनी के प्रतिष्ठित शेयरधारकों, आरईसी के बॉण्डों के निवेशकर्ताओं, देशी और विदेशी बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम, जर्मनी के केएफडब्ल्यू तथा जापान के जेआईसीए का कंपनी के फंड रेजिंग कार्यक्रम में सतत सहयोग एवं सद्भाव की भी सराहना करते हैं।

निदेशकगण, मैसर्स जी. एस. माथुर एण्ड कंपनी और मैसर्स ए.आर. एण्ड कंपनी, सांविधिक लेखा परीक्षकों, मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, सचिवालयी लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक का भी उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशकगण, निरंतर रूप से उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के एक और सफल वर्ष के लिए कंपनी के संचालन में सभी कर्मचारियों को उनके अथक प्रयासों और मूल्यवान योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं और उनकी सराहना करते हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

अजीत अग्रवाल

अजीत कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)
(डीआईएनः 02231613)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 जुलाई, 2019

तालिका- 1: वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आरईसी द्वारा संस्वीकृत स्कीमों का ब्यौरा

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण/राज्य	उत्पादन		नवीकरणीय ऊर्जा		पारेषण एवं वितरण		एसटीएल, एमटीएल और अन्य ऋण		राज्य-वार कुल	
		परियोजनाओं/ स्कीमों की संख्या	ऋण राशि	परियोजनाओं/ स्कीमों की संख्या	ऋण राशि	परियोजनाओं/ स्कीमों की संख्या	ऋण राशि	परियोजनाओं/ स्कीमों की संख्या	ऋण राशि	परियोजनाओं/ स्कीमों की संख्या	ऋण राशि
1	आंध्र प्रदेश	4	5,54,500.00	3	31,183.00	30	3,30,605.43	2	30,000.00	39	9,46,288.43
2	बिहार	0	0	0	0	54	2,89,226.24	4	49,000.00	58	3,38,226.24
3	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	15	68,442.89	3	40,000.00	18	1,08,442.89
4	हरियाणा	0	0	0	0	75	1,46,522.42	2	65,000.00	77	2,11,522.42
5	हिमाचल प्रदेश	1	620.00	1	205.02	27	25,212.58	0	0	29	26,037.60
6	कर्नाटक	3	1,13,009.00	1	1,531.48	54	3,10,960.20	6	1,75,000.00	64	6,00,500.68
7	केरल	0	0	0	0	26	67,753.30	0	0	26	67,753.30
8	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	39	91,079.68	3	3,60,000.00	42	4,51,079.68
9	महाराष्ट्र	33	1,77,438.00	1	1,00,000.00	42	10,95,224.56	7	2,35,000.00	83	16,07,662.56
10	पुडुचेरी	0	0	0	0	2	802.09	0	0	2	802.09
11	पंजाब	1	1,89,484.00	0	0	6	5,760.37	3	65,000.00	10	2,60,244.37
12	राजस्थान	1	1,50,000.00	0	0	79	5,40,715.44	4	1,25,000.00	84	8,15,715.44
13	तमिलनाडु	1	4,00,000.00	0	0	69	7,53,951.43	1	15,000.00	71	11,68,951.43
14	तेलंगाना	5	10,60,161.00	3	2,00,000.00	66	1,10,001.13	1	15,000.00	75	13,85,162.13
15	त्रिपुरा	0	0	0	0	8	737.49	0	0	8	737.49
16	उत्तराखंड	0	0	0	0	21	49,584.88	0	0	21	49,584.88
17	उत्तर प्रदेश	2	4,15,274.00	0	0	146	7,92,092.70	0	0	148	12,07,366.70
18	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	22	71,357.76	2	30,000.00	24	1,01,357.76
19	अंतर्राज्यीय पारेषण परियोजनाएं (स्टेट सेक्टर)*	0	0	0	0	0	1,998.00	0	0	0	1,998.00
20	अंतर्राज्यीय पारेषण परियोजनाएं (निजी सेक्टर)*	0	0	0	0	3	3,09,000.00	0	0	3	3,09,000.00
21	निजी क्षेत्र	5	10,82,701.00	27	8,54,600.00	0	0	0	0	32	19,37,301.00
	कुल	**56**	**41,43,187.00**	**36**	**11,87,519.50**	**784**	**50,61,028.59**	**38**	**12,04,000.00**	**914**	**1,15,95,735.09**

* ऋण राशि पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं के विरुध्द स्वीकृत अतिरिक्त ऋण को दर्शाती है।

तालिका - 2 : वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आरईसी द्वारा संस्वीकृत श्रेणी-वार स्कीमों को दर्शाने वाले विवरण

(₹ लाख में)

क्रम सं.	श्रेणी	श्रेणी कोड	स्कीमों/परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि
क	**उत्पादन**			
1	थर्मल	थर्मल	36	17,53,803.00
2	हाइड्रो	हाइड्रो	8	2,14,723.00
3	अन्य ऋण	-	12	21,74,661.00
	उप-जोड़ (क)		**56**	**41,43,187.00**
ख	**नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं**			
1	सोलर पीवी संयंत्र	सोलर पीवी	14	3,19,281.48
2	पवन संयंत्र	पवन	13	5,27,102.00
3	लघु हाइड्रो संयंत्र	एसएचपी	2	14,605.02
4	अन्य	-	7	3,26,531.00
	उप-जोड़ (ख)		**36**	**11,87,519.50**
ग	**पारेषण एवं वितरण**			
	वितरण			
1	प्रणाली सुधार	एसआई	191	9,69,237.07
2	उपकरण/सामग्री की खरीद और संस्थापना	बल्क	81	2,44,519.23
3	विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं तक विद्युत पहुँच उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना	आईई	53	3,63,395.43
4	सौभाग्य	सौभाग्य	52	4,90,242.52
5	आर-एपीडीआरपी/आईपीडीएस	आर-एपीडीआरपी/ आईपीडीएस	46	1,06,739.62
6	डीडीयूजीजेवाई	डीडीयूजीजेवाई	70	3,01,370.35
	ट्रांसमिशन			
1	प्रणाली सुधार	एसआई	284	13,56,524.37
	अन्य ऋण			
1	विनियामक परिसंपत्तियां	विनियामक परिसंपत्तियां	1	6,00,000.00
2	एसपीएल	एसपीएल	3	3,20,000.00
3	अंतर्राज्यीय पारेषण परियोजनाएं (निजी)	-	3	3,09,000.00
	उप-जोड़ (ग)		**784**	**50,61,028.59**
घ	**एसटीएल, एमटीएल और अन्य ऋण सहायता (घ)**	-	**38**	**12,04,000.00**
	कुल जोड़ (क+ख+ग+घ)		**914**	**1,15,95,735.09**

तालिका -3: वित्तीय वर्ष 2018-19 तक आरईसी द्वारा संचयी राज्य-वार संस्वीकृतियों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण/राज्य	11वीं योजना तक		12वीं योजना तक		वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान		वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान		2018-19 तक संचयी	
		परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि
1	आंध्र प्रदेश	6,472	29,50,749.60	476	39,97,771.16	58	10,80,951.14	39	9,46,288.43	7,045	89,75,760.33
2	अरुणाचल प्रदेश	229	2,07,922.64	0	0	0	0	0	0	229	2,07,922.64
3	असम	446	2,13,585.16	1	8,433.00	29	15,222.40	0	0	476	2,37,240.56
4	बिहार	1,815	19,16,710.03	42	7,68,317.98	6	3,25,217.00	58	3,38,226.24	1,921	33,48,471.25
5	छत्तीसगढ़	85	10,03,071.28	120	6,05,285.31	37	69,476.42	18	1,08,442.89	260	17,86,275.90
6	दिल्ली	9	4,11,847.00	16	86,506.24	0	0	0	0	25	4,98,353.24
7	गोवा	16	2,007.00	4	69,273.58	0	0	0	0	20	71,280.58
8	गुजरात	1,950	15,08,268.25	5	9,29,532.00	0	0	0	0	1,955	24,37,800.25
9	हरियाणा	1,610	14,70,088.39	406	11,62,521.72	74	2,84,619.57	77	2,11,522.42	2,167	31,28,752.10
10	हिमाचल प्रदेश	581	3,83,905.99	124	1,51,066.51	33	48,019.49	29	26,037.60	767	6,09,029.59
11	जम्मू व कश्मीर	603	3,23,091.49	43	1,04,416.77	1	3,17,912.86	0	0	647	7,45,421.12
12	झारखंड	39	4,03,183.31	1	15,000.00	27	18,03,169.90	0	0	67	22,21,353.21
13	कर्नाटक	3,069	19,72,725.88	312	17,16,134.67	88	4,09,281.93	64	6,00,500.68	3,533	46,98,643.16
14	केरल	1,771	5,89,522.34	91	5,78,880.25	15	64,488.94	26	67,753.30	1,903	13,00,644.83
15	मध्य प्रदेश	5,499	14,43,675.30	103	6,46,937.93	27	5,21,698.13	42	4,51,079.68	5,671	30,63,391.04
16	महाराष्ट्र	5,853	47,10,671.95	554	25,67,439.67	115	9,03,857.32	83	16,07,662.56	6,605	97,89,631.50
17	मणिपुर	151	39,327.86	15	22,488.00	5	15,578.93	0	0	171	77,394.79
18	मेघालय	119	95,567.36	5	46,268.10	1	6,000.00	0	0	125	1,47,835.46
19	मिजोरम	77	42,582.10	0	0	0	0	0	0	77	42,582.10
20	नागालैंड	130	41,547.14	11	1,037.77	0	0	0	0	141	42,584.91
21	ओडिशा	1,700	6,06,516.94	26	7,25,154.20	0	0	0	0	1,726	13,31,671.14
22	पुडुचेरी	2	12,506.79	3	11,627.15	0	0	2	802.09	7	24,936.03
23	पंजाब	1,644	20,78,347.40	228	15,68,709.24	32	1,18,963.92	10	2,60,244.37	1,914	40,26,264.93
24	राजस्थान	4,058	38,41,487.31	203	28,95,420.69	64	7,90,755.27	84	8,15,715.44	4,409	83,43,378.71
25	सिक्किम	42	11,636.90	0	1,887.00	0	0	0	0	42	13,523.90
26	तमिलनाडु	3,964	31,60,435.62	192	26,42,184.54	65	19,64,264.78	71	11,68,951.43	4,292	89,35,836.37
27	तेलंगाना	0	0	203	30,85,903.69	71	4,42,931.70	75	13,85,162.13	349	49,13,997.52
28	त्रिपुरा	181	63,294.76	0	0	0	0	8	737.49	189	64,032.25
29	उत्तराखंड	104	4,79,676.33	87	5,50,944.63	24	89,996.25	21	49,584.88	236	11,70,202.09
30	उत्तर प्रदेश	3,686	30,40,496.98	795	59,22,864.75	113	11,97,317.47	148	12,07,366.70	4,742	1,13,68,045.90
31	पश्चिम बंगाल	1,532	16,29,160.85	162	17,45,682.44	10	2,13,066.41	24	1,01,357.76	1,728	36,89,267.46
32	निजी टी एंड डी	19	1,12,039.96	7	3,57,861.54	0	5,917.00	0	0	26	4,75,818.50
33	निजी उत्पादन	89	56,72,029.57	19	27,27,511.00	0	64,699.00	5	10,82,701.00	113	95,46,940.57
34	निजी नवीकरणीय	0	0	41	3,09,263.99	0	0	27	8,54,600.00	68	11,63,863.99
35	निजी एसटीएल	0	0	2	75,000.00	0	0	0	0	2	75,000.00
36	अंतर्राज्यीय पारेषण परियोजनाएं (स्टेट सेक्टर)	0	0	0	0	0	0	0	1,998.00	0	1,998.00
37	अंतर्राज्यीय पारेषण परियोजनाएं (निजी क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	3	3,09,000.00	3	3,09,000.00
	कुल	**47,545**	**4,04,37,679.48**	**4,297**	**3,60,97,325.52**	**895**	**1,07,53,405.83**	**914**	**1,15,95,735.09**	**53,651**	**9,88,84,145.92**

तालिका - 4: वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान राज्य-वार और कार्यक्रम-वार संवितरण और उधारकर्ताओं द्वारा अदायगी तथा 31 मार्च, 2018 को बकाया राशि दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण/राज्य	पारेषण	वितरण	उत्पादन - पारंपरिक	उत्पादन - नवीकरणीय ऊर्जा	डीडीयूजीजेवाई - आरई, सौभाग्य (डीडीजी सहित)	एसटीएल	अन्य (एमटीएल और टीएफएल)	वर्ष 2018-19 के लिए कुल संवितरण	वर्ष के अंत तक संवितरित राशि	अदायगी		वर्ष 2018-19 के अंत तक बकाया राशि
											वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक	
1	आंध्र प्रदेश	1,30,488	57,061	2,05,344	1,96,118	25,109	-	30,000	6,44,120	43,01,779	3,40,988	21,43,002	21,58,777
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	24,394	513	23,026	1,368
3	असम	-	-	-	-	5,998	-	-	5,998	72,109	2,631	40,118	31,991
4	बिहार	14,023	19,998	86,229	-	54,320	29,000	20,000	2,23,570	16,69,755	2,10,006	4,42,323	12,27,432
5	छत्तीसगढ़	32,149	16,670	-	-	5,001	25,000	-	78,820	5,88,443	62,473	3,98,505	1,89,938
6	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	1,093	-	1,093	-
7	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	1,479	-	1,479	-
8	गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-	9,19,008	27,560	6,85,101	2,33,907
9	हरियाणा	30,775	52,525	337	-	2,437	50,000	-	1,36,074	18,09,062	1,17,234	11,87,451	6,21,611
10	हिमाचल प्रदेश	7,735	13,588	-	-	-	-	-	21,323	3,15,993	6,676	2,33,017	82,976
11	जम्मू व कश्मीर	-	627	-	950	729	-	-	2,306	1,42,868	8,393	1,17,716	25,152
12	झारखंड	-	-	54,000	-	87,178	-	-	1,41,178	3,05,303	8,423	1,27,898	1,77,405
13	कर्नाटक	-	91,757	41,697	4,107	24,239	1,30,000	30,000	3,21,800	21,19,472	2,49,485	9,49,534	11,69,938
14	केरल	557	44,003	-	-	-	-	-	44,560	8,60,634	70,528	5,43,338	3,17,296
15	मध्य प्रदेश	15,451	1,21,236	-	-	1,03,572	-	2,00,000	4,40,259	15,01,432	27,103	8,54,992	6,46,440
16	महाराष्ट्र	38,927	6,84,338	59,267	1,00,000	31,367	80,000	43,000	10,36,899	59,87,088	4,66,623	23,69,501	36,17,587
17	मणिपुर	513	-	-	-	158	-	-	671	39,273	6,795	21,923	17,350
18	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-	98,799	10,323	57,395	41,404
19	मिजोरम	-	-	-	-	171	-	-	171	27,894	313	25,594	2,300
20	नागालैंड	-	550	-	130	88	-	-	768	27,836	1,777	18,976	8,860
21	ओडिशा	-	-	64,868	-	9,785	-	-	74,653	5,33,051	2,609	1,40,875	3,92,176
22	पुडुचेरी	899	-	-	-	-	-	-	899	8,096	357	1,071	7,025
23	पंजाब	10,592	64,173	278	-	-	25,000	40,000	1,40,043	27,78,103	1,55,156	20,04,029	7,74,074
24	राजस्थान	1,31,053	2,92,030	2,19,992	-	47,976	15,000	1,25,000	8,31,051	61,54,284	1,51,277	30,33,646	31,20,638
25	सिक्किम	1,043	-	9,466	-	-	-	-	10,509	5,47,259	38,471	42,708	5,04,551
26	तमिलनाडु	1,37,120	1,55,298	6,64,532	500	8,164	-	15,000	9,80,614	51,89,538	3,01,246	23,33,042	28,56,496
27	तेलंगाना	4,74,183	1,33,221	2,64,548	2,00,000	3,315	15,000	-	10,90,267	33,79,780	2,13,684	7,41,890	26,37,890
28	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	12,843	173	11,927	916
29	उत्तराखंड	7,033	6,410	23,910	-	2,904	-	-	40,257	5,61,373	29,791	3,20,820	2,40,553
30	उत्तर प्रदेश	20,264	1,49,901	2,33,082	-	1,59,345	-	-	5,62,592	55,42,024	2,80,601	28,63,345	26,78,679
31	पश्चिम बंगाल	21,653	1,56,914	25,000	-	306	15,000	-	2,18,873	19,49,331	1,26,206	9,62,147	9,87,184
32	निजी	1,683	-	5,614	1,60,971	-	-	-	1,68,268	46,76,096	1,23,094	13,27,042	33,49,054
	कुल	**10,76,141**	**20,60,300**	**19,58,164**	**6,62,776**	**5,72,162**	**3,84,000**	**5,03,000**	**72,16,543**	**5,21,45,492**	**30,40,509**	**2,40,24,524**	**2,81,20,968**
	सब्सिडी												
	- डीडीयूजीजेवाई	-	-	-	-	-	-	-	16,81,233	-	-	-	-
	- सौभाग्य	-	-	-	-	-	-	-	2,70,883	-	-	-	-
	- डीडीजी	-	-	-	-	-	-	-	14,097	-	-	-	-
	कुल जोड़	**10,76,141**	**20,60,300**	**19,58,164**	**6,62,776**	**5,72,162**	**3,84,000**	**5,03,000**	**91,82,756**	**5,21,45,492**	**30,40,509**	**2,40,24,524**	**2,81,20,968**

तालिका - 5: डीडीयूजीजेवाई के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान वित्तीय एवं वास्तविक उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण (X,XI, XIIवीं परियोजना और नई डीडीयूजीजेवाई तथा अतिरिक्त अवसंरचना परियोजनाओं सहित)

क्रम सं.	राज्य	वित्तीय मानदंड (₹ करोड़ में)							वास्तविक मानदंड (संख्या)		
		संस्वीकृति			जारी अनुदान (सभी संयंत्रों के लिए)				सब-स्टेशन (आवर्धन सहित) सं.	वितरण ट्रांसफार्मर (सं.)	फीडर सेग्रिगेशन (11 केवी लाइन सहित) (सीकेएम)
		ग्रिड परियोजनाएं (अतिरिक्त अवसंरचना के लिए)	ऑफ-ग्रिड परियोजनाएं	कुल	ग्रिड परियोजनाएं (X, XI, XII सहित डीडीयूजीजेवाई)	ऑफ-ग्रिड परियोजनाएं	अतिरिक्त अवसंरचना	कुल			
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	163.57	11.45	0	175.02	25	7,811	2,139
2	अरुणाचल प्रदेश	292.13	0	292.13	30.14	9.79	120.00	159.93	0	150	228
3	असम	1,493.57	0	1,493.57	545.52	36.13	506.24	1,087.89	41	16,649	8,829
4	बिहार	0	0	0	2,411.89	0	0	2,411.89	159	96,866	45,990
5	छत्तीसगढ़	83.64	0	83.64	56.26	7.31	15.06	78.63	76	18,175	6,731
6	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0.90	0	0	0.90	0	0	21
7	गोवा	0	0	0	3.27	0	0	3.27	0	0	0
8	गुजरात	0	0	0	180.96	0	0	180.96	36	6,650	3,951
9	हरियाणा	30.31	0	30.31	22.23	0	0	22.23	2	599	340
10	हिमाचल प्रदेश	8.68	0	8.68	14.65	0	0	14.65	0	32	21
11	जम्मू व कश्मीर	875.03	62.27	937.30	543.50	41.02	413.69	998.21	0	1,204	1,508
12	झारखंड	1,077.70	0	1,077.70	1,185.44	0	0	1,185.44	77	36,459	18,263
13	कर्नाटक	126.74	0	126.74	450.27	1.23	176.53	628.03	7	7,388	11,506
14	केरल	0	0	0	57.12	0	0	57.12	1	361	928
15	मध्य प्रदेश	998.64	0	998.64	616.91	7.59	327.15	951.65	286	19,716	40,533
16	महाराष्ट्र	368.92	0	368.92	316.67	0	165.47	482.14	159	32,785	7,893
17	मणिपुर	60.27	0	60.27	32.15	1.99	6.69	40.83	6	1,595	2,711
18	मेघालय	381.33	0	381.33	81.87	0.69	72.39	154.95	3	0	0
19	मिजोरम	31.65	0	31.65	19.67	0	14.93	34.60	5	40	122
20	नागालैंड	28.31	0	28.31	36.99	0	18.26	55.25	0	84	262
21	ओडिशा	508.63	0	508.63	1,187.72	5.70	166.63	1,360.05	149	23,169	8,224
22	पुडुचेरी	0	0	0	0.01	0	0	0.01	0	0	0
23	पंजाब	0	0	0	41.85	0	0	41.85	0	1,029	2,068
24	राजस्थान	1,219.21	0	1,219.21	904.31	12.91	329.08	1,246.30	155	86,862	34,862
25	सिक्किम	37.36	0	37.36	21.11	0	0	21.11	0	5,659	0
26	तमिलनाडु	0	0	0	243.94	0	0	243.94	106	892	1,370
27	तेलंगाना	0	0	0	60.78	0	0	60.78	58	8,877	1,869
28	त्रिपुरा	358.64	0	358.64	23.72	0	88.25	111.97	4	384	679
29	उत्तराखंड	0	0	0	269.87	0	0	269.87	1	1,216	1,440
30	उत्तर प्रदेश	6,289.57	0	6,289.57	1,786.24	5.14	1,768.85	3,560.23	348	50,937	36,356
31	पश्चिम बंगाल	0	0	0	1,280.96	0	0	1,280.96	78	15,180	7,874
	जोड़	**14,270.33**	**62.27**	**14,332.60**	**12,590.47**	**140.97**	**4,189.22**	**16,920.66**	**1,782**	**4,40,769**	**2,46,717**

* इसमें पीएमडीपी परियोजनाओं के विरुद्ध जारी की गयी राशि शामिल है।

तालिका - 6: 31 मार्च, 2019 तक डीडीयूजीजेवाई (X, XI, XIIवीं और नई डीडीयूजीजेवाई तथा अतिरिक्त अवसंरचना परियोजनाओं सहित) के तहत संचयी उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य	वित्तीय (₹ करोड़ में)		वास्तविक प्रगति				
		संस्वीकृत परियोजना लागत*	भारत सरकार की जारी राशि #	सबस्टेशन 33/11 केवी (सं.)		वितरण ट्रासफार्मर्मर (सं.)	फीडर सेग्रिगेशन (सीकेएम)	11 केवी लाइन (फीडर सेग्रिगेशन को छोड़कर)
				नई	आवर्धन			
1	अंडमान एवं निकोबार	20.96	1.26	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1,563.09	1,006.89	144	16	35,016	140	7,379
3	अरुणाचल प्रदेश	1,748.46	1,202.89	22	1	3,695	0	9,947
4	असम	7,302.80	4,729.08	36	66	55,020	0	47,079
5	बिहार	18,347.55	11,012.40	335	355	1,34,315	12,053	61,798
6	छत्तीसगढ़	3,274.29	2,042.50	84	168	31,855	938	17,213
7	दादरा व नागर हवेली	5.00	0.90	0	0	0	0	21
8	गोवा	20.00	3.27	0	0	0	0	0
9	गुजरात	1,239.75	775.41	15	28	21,372	1,512	10,345
10	हरियाणा	519.42	207.61	2	0	6,392	143	2,424
11	हिमाचल प्रदेश	493.20	304.37	1	8	2,092	0	1,305
12	जम्मू व कश्मीर	2,581.89	1,916.96	20	16	5,383	0	4,099
13	झारखंड	9,599.36	5,316.95	138	73	66,408	952	34,196
14	कर्नाटक	2,939.14	1,605.83	3	8	24,475	8,545	11,078
15	केरल	703.22	423.71	4	8	2,404	0	3,147
16	मध्य प्रदेश	8,263.48	4,474.35	153	449	79,111	6,068	60,115
17	महाराष्ट्र	3,224.95	1,452.63	143	103	14,033	5,472	6,289
18	मणिपुर	787.88	500.94	16	6	1,888	0	3,681
19	मेघालय	1,138.51	603.82	5	0	2,298	0	2,533
20	मिजोरम	451.89	364.42	10	12	814	0	1,631
21	नागालैंड	471.50	363.17	10	12	1,190	0	1,549
22	ओडिशा	9,377.59	6,320.26	44	330	69,016	586	31,136
23	पुडुचेरी	20.16	1.22	0	0	0	0	0
24	पंजाब	289.87	111.46	0	0	5,453	5	2,014
25	राजस्थान	6,735.45	3,622.31	148	20	1,22,295	3,710	43,268
26	सिक्किम	299.49	210.92	0	0	404	0	608
27	तमिलनाडु	1,306.80	728.66	56	75	10,793	157	3,568
28	तेलंगाना	782.30	412.39	89	0	19,228	0	5,244
29	त्रिपुरा	925.00	507.18	9	2	3,714	0	2,799
30	उत्तराखंड	1,638.56	1,010.76	7	13	13,489	637	9,098
31	उत्तर प्रदेश	29,118.79	15,528.93	383	1,016	3,12,712	26,258	1,11,260
32	पश्चिम बंगाल	7,634.75	4,349.87	59	124	33,169	3,174	15,330
	कुल जोड़	**1,22,825.10**	**71,113.28**	**1,936**	**2,909**	**10,78,034**	**70,350**	**5,10,154**

* वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए संस्वीकृत राशि (क्लोजिंग बैलेंस) ₹108,496.85 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹14,332.60 करोड़ मंजूर किए गए। 31 मार्च, 2019 के अनुसार संचयी रूप से संस्वीकृत राशि ₹1,22,829.45 करोड़ की बजाए ₹4.35 करोड़ राउंड ऑफ (रिडक्शन) करने के कारण ₹1,22,825.10 करोड़ है।

क्लोजर के समय परियोजना लागत में मूल्य संशोधन के कारण जारी किए ₹42.07 करोड़ का समायोजन किया गया है।

टिप्पणी: पिछली वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में, जारी की गयी राशि में ऋण घटक सहित कुल राशि समाहित थी। मौजूदा वर्ष के बाद के दौरान से, उपरोक्त तालिका में, केवल 31 मार्च, 2019 तक जारी संचयी राशि दर्शाई गयी है।

तालिका - 7: 31 मार्च, 2019 तक सौभाग्य के तहत विद्युतीकृत घरों और संवितरित राशियों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य	10 अक्तूबर, 2017 की स्थिति के अनुसार शेष अ-विद्युतीकृत घर (विद्युतीकृत अतिरिक्त घरों सहित) (संख्या)*	11 अक्तूबर, 2017 से विद्युतीकृत घर (संख्या)			शेष अ-विद्युतीकृत घर (संख्या)	अनुदान राशि का संचयी संवितरण (₹ करोड़ में)
			2017-18	2018-19	कुल		
1	आंध्र प्रदेश	1,81,930	81,949	99,981	1,81,930	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089	0	47,089	47,089	0	138.87
3	असम	17,45,149	1,10,836	16,34,313	17,45,149	0	444.71
4	बिहार	32,59,041	4,49,016	28,10,025	32,59,041	0	314.18
5	छत्तीसगढ़	7,68,131	1,55,490	5,93,907	7,49,397	18,734	261.81
6	गुजरात	41,317	15,748	25,569	41,317	0	0
7	हरियाणा	54,681	3,497	51,184	54,681	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	12,891	1,943	10,948	12,891	0	0.82
9	जम्मू व कश्मीर	3,87,501	0	3,87,501	3,87,501	0	53.24
10	झारखंड	15,30,708	1,25,389	14,05,319	15,30,708	0	152.43
11	कर्नाटक	3,56,974	59,709	2,97,265	3,56,974	0	0
12	केरल	0	0	0	0	0	15.20
13	मध्य प्रदेश	19,84,264	11,49,748	8,34,516	19,84,264	0	407.47
14	महाराष्ट्र	15,17,922	1,82,896	13,35,026	15,17,922	0	154.73
15	मणिपुर	1,02,748	746	1,02,002	1,02,748	0	40.71
16	मेघालय	1,99,839	0	1,99,839	1,99,839	0	97.84
17	मिजोरम	27,970	0	27,970	27,970	0	34.62
18	नागालैंड	1,32,507	473	1,32,034	1,32,507	0	39.23
19	ओडिशा	24,52,444	1,35,348	23,17,096	24,52,444	0	244.77
20	पुडुचेरी	912	0	912	912	0	0
21	पंजाब	3,477	0	3,477	3,477	0	0
22	राजस्थान	18,62,736	2,12,555	16,50,181	18,62,736	0	102.94
23	सिक्किम	14,900	0	14,900	14,900	0	0
24	तमिलनाडु	2,170	2,170	0	2,170	0	0
25	तेलंगाना	5,15,084	23,803	4,91,281	5,15,084	0	0
26	त्रिपुरा	1,39,090	1,882	1,37,208	1,39,090	0	236.67
27	उत्तराखंड	2,48,751	4,960	2,43,791	2,48,751	0	35.72
28	उत्तर प्रदेश	79,80,568	11,33,002	68,47,566	79,80,568	0	1,386.62
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290	1,94,153	5,38,137	7,32,290	0	86.90
	कुल	**2,63,03,084**	**40,45,313**	**2,22,39,037**	**2,62,84,350**	**18,734**	**4,249.47**

*राज्यों/डिस्कामों द्वारा जमीनी स्तर के आधार पर समय-समय पर आंकड़ों/तथ्यों (डायनमिक) की सत्यता जांची गयी है और इन्हें अद्यतन किया गया है।

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुबंध-I

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी के कार्य निष्पादन सहित उद्योग के परिदृश्य के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना कंपनी के प्रबंधन के लिए हर्ष का विषय है।

कारोबार संबंधी परिवेश

वैश्विक कारोबार संबंधी परिवेश

यद्यपि, एक वर्ष पूर्व विश्व के लगभग सभी क्षेत्रों में आर्थिक क्रिया-कलाप बढ़ रहे थे और वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2018 और 2019 में 3.9 % की वृद्धि होने का अनुमान था। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (आईएमएफ) के वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक से 2019 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 70 % के लिए वृद्धि में गिरावट का अनुमान है। वैश्विक वृद्धि, जो 2017 में 4 % के करीब ऊंचाई पर पहुँची, 2018 में 3.6 % हो गई और 2019 में इसमें 3.3 % तक गिरावट होने का अनुमान है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में निरंतर विस्तार हो रहा है, परंतु यह विस्तार, व्यापक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के साथ, विशेष रुप से, 2018 के उत्तरार्द्ध में, अमेरिका-चीन के व्यापारिक तनाव में वृद्धि, जर्मनी में ऑटो क्षेत्र में व्यवधानों, चीन में सख्त ऋण नीतियों, कमजोर हो रही वित्तीय बाजार स्थिति और कारोबार नीति की अनिश्चितता के कारण काफी कमजोर हुआ है।

विश्व बैंक ने भी उभरते हुए बाजार देशों में बढ़ते हुए व्यापारिक तनाव, कमजोर हो रही विनिर्माण गतिविधि और बढ़ते हुए वित्तीय तनाव का उल्लेख करते हुए इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अपने दृष्टिकोण को डाउनग्रेड किया है। वह 2019 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 2.9 % बढ़ने की उम्मीद करता है जो कि कम हो रही वृद्धि का दूसरा सीधा वर्ष है जिसमें 2018 में 3 % से और 2017 में 3.1 % से वह कम हुआ है।

कच्चे तेल की कीमतें अगस्त, 2018 से अस्थिर रही हैं जो ईरानी तेल निर्यातों के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति और हाल ही में वैश्विक मांग कमजोर होने के डर सहित आपूर्ति के प्रभाव दर्शाती हैं। धातु और कृषि संबंधी वस्तुओं की कीमतें आंशिक रुप से अगस्त, 2018 से चीन से कम मांग के कारण थोड़ी कम हुई हैं। उपभोक्ता कीमत मुद्रास्फीति सामान्यतः उन्नत अर्थव्यवस्था में हाल के महीनों में स्थिर रही है, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में थोड़ी-सी बढ़ी है जहां प्रवृत्ति से ऊपर की वृद्धि जारी है।

उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति संबंधी दबाव तेल की कीमतों में गिरावट के साथ ठीक हो रहा है। कुछ के लिए, यह सुकरण मुद्रा मूल्यह्रास के घरेलू कीमतों में जाने से आंशिक रुप से ऑफसेट हुआ है। उभरते हुए बाजार इक्विटी तत्व बढ़ते हुए व्यापारिक तनाव और अधिक जोखिम को टालने के संदर्भ में इस अवधि में बिके हैं। पूर्व की तेल की कीमत में वृद्धि से मुद्रास्फीति के प्रभाव के संबंध में चिंताएं और कुछ मामलों में अंतिम उत्पादन अंतराल अथवा मुद्रा मूल्यह्रास के आगे जाने से कई उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं (चिली, इंडोनेशिया, मैक्सिको, फिलीपींस, रुस, दक्षिण अफ्रीका, थाइलैंड) को गिरावट के समय से नीतिगत दरें बढ़ी हैं।

वर्ष 2018 के दौरान, वैश्विक विद्युत उत्पादन में ईंधन मिश्र नवीकरणीय ऊर्जा के लाभप्रद हिस्से के साथ कोयला, न्यूक्लियर और हाइड्रो को प्रतिस्थापित करते हुए काफी बदला है। प्राकृतिक गैस का हिस्सा लगभग 20 % पर है। इसके विपरीत, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विद्युत मांग की सशक्त वृद्धि का अर्थ यह है कि नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ने की काफी गुंजाइश है। तथापि, चूंकि नवीकरणीय पूरी अतिरिक्त विद्युत मांग को पूरा करने के लिए काफी तेजी से नहीं बढ़ते, अतः कोयले की खपत भी बढ़ी है। नवीकरणीय स्रोतों का विद्युत उत्पादन में वृद्धि का लगभग दो तिहाई हिस्सा है जिसमें उनका हिस्सा वैश्विक विद्युत क्षेत्र में लगभग 30 % तक बढ़ रहा है। इसके विपरीत, कोयले के हिस्से में भी काफी गिरावट आएगी जो 2040 तक वैश्विक विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रुप में नवीकरणीय स्रोतों द्वारा लिए जाने की उम्मीद है। विद्युत मांग में लगभग पूरी वृद्धि चीन और भारत के नेतृत्व में विकासशील देशों से होती है। ओईसीडी में मांग वृद्धि काफी कम है जो अधिक परिपक्व, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक वृद्धि में विद्युत मांग की कमजोर उत्तरदायिता और कम आर्थिक वृद्धि, दोनों दर्शाती है।

इलैक्ट्रिक वाहन स्वायत्त वाहनों की वृद्धि से बढ़े हुए अपने प्रभाव से तेजी से बढ़ रहे हैं। इलैक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2040 तक लगभग 350 मिलियन पहुँचने की आशा है जिसमें से लगभग 300 मिलियन यात्री कारें होंगी। यह सभी कारों के लगभग 15 % और हल्के ड्यूटी ट्रकों के 12 % के बराबर है। इलैक्ट्रिक यात्री कारों का प्रयोग 2020 के दशक के प्रारंभ से स्वायत्त कारों के उभरने से बढ़ जाएगा जो इलैक्ट्रिक कारों में कम लागत, शेयर मोबिलिटी सेवाएं प्रदान करेंगी। परिणामस्वरुप, लगभग 25 % यात्री वाहन वर्ष 2040 तक बिजली द्वारा संचालित होंगे।

भारतीय कारोबार संबंधी परिवेश

भारत विश्व में तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रुप में उभरा है और इसके सशक्त लोकतंत्र और भागीदारी के कारण अगले 10-15 वर्षों में विश्व की शीर्ष तीन आर्थिक शक्तियों में से एक होने की संभावना है। भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय विश्व में छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो पांच वर्ष पूर्व की 11वें स्थान से ऊपर है। विद्युत समानता की खरीद के संदर्भ में, भारत का चीन और अमेरिका के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्थान है। भारत 4,750 प्रौद्योगिकी स्टार्ट अप में विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप आधार भी है। भारत के श्रमबल अन्य कारकों में जनसंख्या वृद्धि दर, बढ़ी हुई श्रम बल प्रतिभागिता और उच्चतर शिक्षा नामांकन के आधार पर 2020 तक 160-170 मिलियन को छूने की आशा है। आर्थिक परिदृश्य और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेशों में सुधार से भारत में 2024-25 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने की आशा है।

कारोबार संबंधी परिवेश, अक्टूबर 2018 में डॉलर के विरुद्ध रिकार्ड कमी में आने के बाद तेल की कीमतों में कमी से रुपए में सुधार हुआ है। यह स्थिति अगले वर्ष में बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि सस्ती तेल की कीमतें आयात बिल को कम करती हैं और वर्तमान खाते के घाटे को संकीर्ण करने में मदद

करती हैं। भारत की इक्विटी और ऋण विदेशी निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक होने की भी उम्मीद है क्योंकि वृद्धि की संभावनाओं में सुधार हो रहा है और मुद्रास्फीति का दबाव सुकरण हो रहा है।

देश में अल्पकालिक बाजार लेन-देन की प्रतिभागिता इस वर्ष लगभग 11 % पर कम रही और पिछले 10 वर्षों से 10 % से कम रहनी जारी है। विद्युत विनिमय आधारित बाजार देश में कुल ऊर्जा उत्पादन के 0.8 % से बढ़कर पिछले 10 वर्षों में लगभग 4 % तक हुआ है। अधिकतर विकसित बाजारों में विनिमयों का बाजार हिस्सा 40 % से 80 % तक रहा है। विनिमय-आधारित लेन-देन भारत में अधिक प्रतिस्पर्द्धी, दक्ष और पारदर्शी विद्युत बाजार के लिए अभी काफी वृद्धि होनी है।

आईएमएफ, विश्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय वृद्धि की संभावनाओं में विश्वास जताया है और आगामी वर्षों में अधिक वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आईएमएफ ने 7.3 % पर भारत की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। विश्व बैंक ने 7.5 % की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है और भारतीय रिजर्व बैंक ने 7.0 % की वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसके अतिरिक्त, ब्लूमबर्ग ने राजकोषीय वर्ष 2020 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 7.6 % के विस्तार का अनुमान लगाया है जो राजकोषीय वर्ष 2019 में अनुमानित 7.2 % और राजकोषीय वर्ष 2018 में 6.7 % से अधिक है और 8 % - 8.5 % की वृद्धि की संभावना अनुमानित की है।

ऊर्जा स्तर पर, भारत ने विश्व में तीव्रतम बढ़ते हुए ऊर्जा व्यापार का चिर-प्रतीक्षित स्तर प्राप्त कर लिया है। भारत विश्व में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। देश की संस्थागत क्षमता मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 356 गीगावाट है। ऊर्जा क्षेत्र में कंपनी का निवेश 2018 में 12 % की दर पर बढ़ा जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार किसी अन्य देश की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर है। मई, 2018 में भारत का 25 राष्ट्रों, उनकी समग्र विद्युत के माप में सूचकांक पर, में से एशिया प्रशांत क्षेत्र में चौथा स्थान रहा।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की भारी संभावना है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 750 गीगावाट सौर विद्युत, 102 गीगावाट पवन विद्युत, 20 गीगावाट लघु जल विद्युत और 25 गीगावाट जैव ऊर्जा सहित 900 गीगावाट पर अनुमानित है। ऊर्जा सुरक्षा के अनुसरण में और पर्यावरण पर प्रभाव कम से कम करने के लिए भारत सरकार ने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है। भारत में 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य के साथ सबसे बड़ा सरकार-अधिदेशित नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम है और इसने 2030 तक पूरी तरह से इलैक्ट्रिक वाहनों में जाने की योजना भी घोषित की है। ई-वाहनों का बाजार हिस्सा भी देश में बढ़ रहा है। भारत में निकट भविष्य में ई-वाहनों के विनिर्माण का हब बनने की क्षमता है जिससे रोजगार का सृजन होगा और अवसरों में वृद्धि होगी।

उद्योग संबंधी ढांचा और विकास

उद्योग जगत का सिंहावलोकन

विद्युत अवसंरचना का एक सबसे महत्वपूर्ण घटक है, आर्थिक वृद्धि के लिए और राष्ट्रों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संधारित वृद्धि के लिए पर्याप्त अवसंरचना की मौजूदगी और विकास अनिवार्य है। देश में विद्युत उत्पादन में पिछली कुछ योजना अवधियों के दौरान वृद्धि बढ़ी है जो 10वीं योजना (2002-07) में 5.16 % का सीएजीआर, 11वीं योजना (2007-12) में 5.77 % और 12वीं योजना (2012 से 2015-16) में 6 % है। भारत का विद्युत क्षेत्र विश्व में सबसे अधिक विविधीकृत में से एक है। विद्युत उत्पादन के स्रोत कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल, जल और न्यूक्लियर पावर जैसे पारंपरिक स्रोतों से लेकर पवन, सौर एवं कृषि तथा घरेलू अपशिष्ट जैसे अर्थक्षम गैर-पारंपरिक स्रोतों तक हैं। उत्पादन मिश्र से भी नवीकरणीय स्रोतों के बढ़ते हुए अंतर्वेधन से परिवर्तन होता रहा है।

भारतीय विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, जिन्होंने उद्योग के दृष्टिकोण को पुनः परिभाषित किया है। संधारित आर्थिक वृद्धि भारत में विद्युत की मांग संचालित करती जा रही है। "सभी के लिए विद्युत" प्राप्त करने पर भारत सरकार के जोर से देश में क्षमता अभिवृद्धि तेज हुई है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, भारत में विद्युत केंद्रों की कुल संस्थापित क्षमता 356 गीगावाट थी। देश में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए संस्थापित उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि की आवश्यकता है। साथ ही, मांग और आपूर्ति पक्ष पर दोनों ओर (ईंधन, संभारिकी, वित्त एवं कार्मिक) प्रतिस्पर्द्धी गहनता बढ़ रही है। यहां यह उल्लेख करना व्यावहारिक है कि भारत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पहली बार नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को 7,203 मिलियन यूनिट (एमयू) की आपूर्ति के साथ विद्युत का एक निवल निर्यातक बन गया है। भारत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में कारोबार संबंधी परिवेश, 2018 तक उपर्युक्त देशों को 4,628 एमयू की आपूर्ति भी की है। अधिशेष कोयला एवं विद्युत से सरकार सभी के लिए 24x7 गुणवत्ता विद्युत प्रदान करने के लिए कई पहलें कर रही है।

नीतिगत स्तर पर, सरकार ने वर्ष 2018 में विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रारुप संशोधन जारी किया। संशोधनों का आशय मात्रा और वाहक को अलग-अलग करना; प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सब्सिडी का वितरण; यह अधिदेशित करना कि 24x7 विद्युत आपूर्ति डिस्कॉमों का दायित्व है, अतिरिक्त अधिभार समाप्त कर और जब खुली पहुँच पहले दी जाती है तो उस समय से केवल एक वर्ष के लिए क्रॉस सब्सिडी अधिभार लागू करने को सीमित करना; और सरकार के निर्देशों के अनुसार भविष्यों तथा व्युत्पन्नों जैसे के लिए विनियमों का प्रावधान करना है। सरकार ने सभी ग्राहकों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रदान करने के लिए कई अन्य उपभोक्ता केंद्रित पहलें भी शुरू की हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार देश के कम कार्बन अर्थव्यवस्था वाले देश बनने के जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हुए ऋण भारित डिस्कॉमों के आमूल-चूल परिवर्तन और पारंपरिक विद्युत संयंत्रों की प्रचालनात्मक लागत कम करने पर भी कार्य कर रही है।

भारत में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता, जो वर्तमान में 194.44 गीगावाट है, 2040 तक 330-441 गीगावाट तक पहुँचने की आशा है। राष्ट्र का लगभग 60 % विद्युत उत्पादन कोयला से आता है। तापीय विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति रही है और आयातित कोयले की कीमतों में वृद्धि हुई। वर्ष 2016-17 में आयातित कोयले की कीमत लगभग 30 डॉलर प्रति टन थी और 2018-19 में वह 55 डॉलर प्रति टन तक पहुँच गई है। घरेलू तौर पर कोयले का उत्पादन बढ़ाने और दीर्घावधि तथा मध्यावधि पीपीए की किसी आवश्यकता के बिना सभी व्यापारिक उत्पादनों को आपूर्ति सुनिश्चित करना इस क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य अभियान हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य में भारत सरकार ने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा में 175 गीगावाट क्षमता प्राप्त करने का अपना मार्गचित्र जारी किया है जिसमें प्राथमिक रुप से 100 गीगावट सौर विद्युत और 60 गीगावाट पवन विद्युत शामिल है। सरकार विभिन्न अन्य नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के अतिरिक्त, 2022 तक सोलर रुफटॉप परियोजनाओं के माध्यम से 40 गीगावाट विद्युत का उत्पादन करने के अपने लक्ष्य का समर्थन करने हेतु एक "छत किराए पर दें" नीति भी तैयार कर रही है। सरकार के इस जोर से नवीकरणीय विद्युत में कुल निवेश से नए कोयला विद्युत के लिए निविदा तथा अनिश्चित विद्युत संभावनाओं से समर्थित जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत पिछड़ गया है। भारत में सौर पीवी खर्चा कोयला विद्युत के लिए पहली बार बढ़ा है जिसको सरकार की नीलामी से समर्थन मिला है।

टीएंडडी स्तर पर ग्रिड निवेश पारेषण में पांचवें हिस्से में वृद्धि के साथ 4 % तक बढ़ा, परंतु वितरण में खर्चा उसी स्तर पर रहा। देश में अधिकतर नवीकरणीय ऊर्जा लेन-देन अंत:-राज्यीय हो रहे हैं और अंतर-राज्यीय लेन-देन बढ़ाने पर व्यापक बाजार में जोर दिया जाएगा। पूर्वानुमान करना और कार्यक्रम बनाना जैसे विनियमों के लिए जोर से नवीकरणीय उत्पादक अधिदेशित होंगे ताकि उनके उत्पादन का अग्रिम रुप से पूर्वानुमान लगाया जा सके और कार्यक्रम बनाने में उसका पालन किया जा सके। इससे बाजार की बिक्री में सहायता मिलेगी और राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर एकीकरण सुकर होगा। हाल के समय में विद्युत क्षेत्र का एक प्रमुख विकास सरकार का सार्वभौमिक घरों का विद्युतीकरण कार्यक्रम रहा है। अप्रैल, 2018 में भारत सरकार ने भारत में सभी आवासित गांवों का 100 % विद्युतीकरण हासिल किया। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ को छोड़कर देश के सभी राज्यों में 100 % घरों का विद्युतीकरण भी हासिल कर लिया गया है।

ऊर्जा दक्षता भी सरकार का एक प्रमुख केंद्रित क्षेत्र बना हुआ है। भारत शीघ्र ही सभी लाइटिंग की आवश्यकताओं के लिए एलईडी का प्रयोग करने वाला विश्व का प्रथम देश बन सकता है जिससे वार्षिक आधार पर ₹ 40,000 करोड़ (6.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की बचत होगी।

उद्योग संबंधी ढांचा

उत्पादन

पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि की बढ़ी हुई गति से ऐसी स्थिति बनी है जिसमें विद्युत आपूर्ति की क्षमता आर्थिक मांग से अधिक है, एक ऐसा परिदृश्य बना है जो भारतीय विद्युत क्षेत्र के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, देश में संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता केंद्रीय क्षेत्र में 86,597 मेगावाट (24 %), राज्य क्षेत्र में 1,05,076 मेगावाट (30 %) और निजी क्षेत्र में 164,428 मेगावाट (46 %) के साथ 356 गीगावाट रही। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, टाइप के अनुसार उत्पादन क्षमता के संदर्भ में संस्थापित तापीय क्षमता 2,26,279 मेगावाट (63 %), संस्थापित जल विद्युत क्षमता 45,399 मेगावाट (13 %), संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 77,642 मेगावाट (22 %) और संस्थापित नाभिकीय क्षमता 6,780 मेगावाट (2 %) थी।

देश में विद्युत उत्पादन भी बढ़ता रहा। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, देश में वास्तविक विद्युत ऊर्जा उत्पादन तापीय विद्युत में 1,072 बिलियन यूनिट (बीयू) जल विद्युत में 135 बीयू, नाभिकीय विद्युत में 37 बीयू और नवीकरणीय ऊर्जा में 126 बीयू थी। पूरे देश में तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में औसत संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) 61.07 % और निजी क्षेत्र के संयंत्रों के लिए 55.24 % था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कुल विद्युत आपूर्ति घाटा 0.6 % तक कम हुआ और व्यस्ततम विद्युत घाटा भी 0.8 % तक कम हुआ।

चूंकि, भारत अपने आप ही अपनी ऊर्जा मांग को पूरा करने की सोच रहा है जो कि 2040 तक 15,820 टीडब्ल्यूएच (टेरावाट घंटे) तक पहुँचने की उम्मीद है। अत: नवीकरणीय ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए निर्धारित है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र विश्व में चौथा सबसे आकर्षक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार है। संस्थापित नवीकरणीय विद्युत उत्पादन क्षमता पिछले कुछ वर्षों में तेज गति से बढ़ी है जो वित्तीय वर्ष 2014 से 2018 तक के बीच 19.78 % का सीएजीआर दर्ज करती है। कारोबार संबंधी परिवेश, 2018 में भारत का विश्व में संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा में पांचवां स्थान था। भारत सरकार का जोर पेरिस करार करने के बाद स्वच्छ ऊर्जा की ओर गया है। सरकार के बढ़े हुए समर्थन और उन्नत आर्थिकी से यह क्षेत्र निवेशकों के परिप्रेक्ष्य से आकर्षक बन गया है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, भारत की संचयी संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 77.64 गीगावाट थी जिसमें पवन विद्युत से 35.63 गीगावाट, सौर विद्युत से 28.18 गीगावाट, बायोमास से 9.24 गीगावाट और नव विद्युत परियोजनाओं से 4.59 गीगावाट है। ऑफ ग्रिड नवीकरणीय विद्युत क्षमता में भी वृद्धि हुई है।

पारेषण एवं वितरण

पारेषण

भारत में विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधन असमान रुप से फैले हुए और कुछ खंडों में संकेंद्रित हैं। पारेषण, जो विद्युत सुपुर्दगी मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण घटक है, उत्पादन केंद्रों से विद्युत के निष्क्रमण और भार केंद्रों को उसकी सुपुर्दगी को सुकर बनाता है। कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत दक्षता से पहुँचाने के लिए पारेषण प्रणाली नेटवर्क को सुदृढ़ करने, अंतर-राज्यीय विद्युत पारेषण प्रणाली को बढ़ाने, राष्ट्रीय ग्रिड की वृद्धि करने और

पारेषण प्रणाली नेटवर्क की वृद्धि करने की आवश्यकता होती है। विभिन्न विद्युत उत्पादन केंद्रों द्वारा उत्पादित विद्युत के निष्क्रमण और उसे उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए इन वर्षों में पारेषण लाइनों का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया गया है। प्रचलन में सामान्य एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइनें ± 800 केवी एचवीडीसी और 765 केवी, 400 केवी, 230/220 केवी, 110 केवी और 66 केवी एसी लाइनें हैं।

देश के विद्युत पारेषण क्षेत्र में औसत 6.5 % और 9.6 % वार्षिक वृद्धि दर पर बढ़ती हुई लाइन लंबाई और ट्रांसफार्मर क्षमता के साथ पिछले पांच वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, पारेषण यूटिलिटियों के प्रचालनात्मक और वित्तीय निष्पादन, दोनों में सुधार हुआ है। आगे भावी व्यस्ततम भार को पूरा करने के लिए पारेषण क्षेत्र में अनुमनित ₹ 2.6 ट्रिलियन की आवश्यकता है जिसके 2021-22 तक 234 गीगावाट तक पहुँचने की आशा है। निजी क्षेत्र से भी देश के ग्रिड विस्तार के लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है क्योंकि अंतर-राज्यीय और अंतःराज्यीय स्तरों पर प्रतिस्पर्द्धी बोली गति देती है।

ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर और क्रॉस बार्डर संपर्क जैसे कई ग्रिड विस्तार कार्यक्रम वास्तविक ग्रिड अवसंरचना का विस्तार करने के लिए चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय और राज्य स्तर पर पारेषण यूटिलिटियों के ग्रिडों को अधिक विश्वसनीय, लचीला, सुरक्षित और स्मार्ट बनाने की नई प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण रुप से निवेश करने की आशा है। इस क्षेत्र को विद्युत अधिनियम में संशोधनों और प्रशुल्क नीतियों में संशोधनों सहित प्रमुख नीतिगत सुधारों से अत्यधिक लाभ होने की भी आशा है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, पिछले राजकोषीय वर्ष के दौरान लगभग 23,119 सीकेएम की तुलना में कुल 22,437 सीकेएम (सर्किट किलोमीटर) पारेषण लाइनें जोड़ी गई थीं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, 765 केवी, 400 केवी और 220 केवी स्तरों को साथ लेकर 72,705 एमवीए (मेगावोल्ट ऐम्पियर) की पारेषण क्षमता जोड़ी गई थी।

पारेषण क्षेत्र विद्युत उत्पादन और वितरण खंडों के विकास को मजबूती से लेकर एक नींव के पत्थर के रुप में कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र की वृद्धि सुदृढ़ एवं अटूट पारेषण नेटवर्क के विकास के लिए प्रासंगिक है।

वितरण

वितरण पूरी विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संपर्क है। चूंकि, यूटिलिटियों और उपभोक्ताओं के बीच एक मात्र इंटरफेस के रुप में यह पूरे विद्युत क्षेत्र के लिए एक कैश रजिस्टर है। वितरण भारत की विद्युत मूल्य श्रृंखला में सबसे कमजोर संपर्क है जिसमें देश के डिस्कॉमों (विद्युत वितरण कंपनियां) को अत्यधिक ब्याज दरों पर बकाया ऋण और भारी संचित हानियां हैं। ऐतिहासिक रुप से विद्युत वितरण सरकार के स्वामित्व वाली यूटिलिटियों का एकाधिकार रहा है और वास्तव में निजी क्षेत्रों के एक सीमित भाग लेने के साथ राज्य सरकारों के हाथ में है। वैधानिक मुद्दों के कारण डिस्कॉम ऋण द्वारा वित्तपोषित की जा रही प्रचालनात्मक हानियों के साथ शातिर चक्र में फंसे हैं। राज्य विद्युत डिस्कॉमों की बहुत खराब वित्तीय स्थिति निष्क्रमण दक्षता में सुधार लाने के प्रति एक प्रमुख व्यवधान है।

भारी हानियों में चल रहे वितरण क्षेत्र का उत्थान करने और राज्य डिस्कॉमों/यूटिलिटियों को अर्थक्षम बनाने के लिए नीति निर्माताओं ने अभी पिछले दिनों में विभिन्न महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। भारत सरकार ने इन डिस्कॉमों/यूटिलिटियों को साखयोग्य बनाने के लिए डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय आमूल-चूल परिवर्तन के लिए नवंबर, 2015 में एक योजना उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शुरू की। उदय के अंतर्गत, संबंधित राज्य सरकार डिस्कॉमों/यूटिलिटियों का ऋण अपने पास ले लेगी ताकि डिस्कॉम/यूटिलिटियां अपना भावी कैपेक्स कार्यक्रम चला सकें। इसके अतिरिक्त, विद्युत की चोरी, मीटर टेंपरिंग और उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान न करने जैसी "गैर-तकनीकी हानियों" को कम करने के लिए सरकार की 2019 तक 35 मिलियन स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है। भारत सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों लगभग 4 करोड़ परिवारों को बिजली के कनेक्शन देने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में महत्वाकांक्षी ₹ 16,320 करोड़ की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) का अनावरण किया। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों में 100 % घरों का विद्युतीकरण हासिल कर लिया गया है।

प्रशुल्क में संशोधन, राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) और उदय जैसी सशक्त सुधार पहलों से सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। आरईसी ने विद्युत मंत्रालय के साथ समन्वय करके सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई, एनईएफ, उदय आदि जैसे कार्यक्रमों में भागीदारी कर देश में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार करने और उसका आमूल-चल परिवर्तन करने के लिए प्रमुख पहलें की हैं।

विद्युत क्षेत्र की नीति से संबंधित परिवेश

पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र का पुनर्गठन करने, क्षमता में वृद्धि करने और पारेषण, उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय किए हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 ने इस क्षेत्र को शासित करने वाली कानूनी ढांचों में आमूल-चूल परिवर्तन लाए हैं जिससे पूंजी की व्यवस्था करना आसान हो गया है और इसके द्वारा यह संभव हो गया है कि वृहद विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किया जाए। इस कानून ने पूर्व के कई कानूनों का स्थान ग्रहण किया और इसने बहु क्रेता और बहु विक्रेता प्रणाली शुरू की है। इसके साथ ही इसने लाभ की दर से संबंधित विनियमों से बाधित हुए बिना शुल्कों के निर्धारण में विनियामक व्यवस्था की स्वायत्ता में वृद्धि की है। इसके बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय शुल्क नीति, नवीकरणीय ऊर्जा नीति, राष्ट्रीय जल विद्युत नीति और मेगा पावर नीति की अधिसूचना की गई है। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में ताप विद्युत संयंत्रों के कार्य चालन और कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिसमें कोयला ब्लॉक के आबंटन की प्रक्रिया को कार्यरत बनाना, कोयले की उपलब्धता और आपूर्ति में सुधार, खान और संयंत्र के लिए कोयले की गुणवत्ता की जांच, कोयले के वाशरियों में कोयले को सुंदर बनाना, कोयला लिंकेज को फिर से परिभाषित करना तथा कोयले की खानों की स्वैपिंग शामिल है।

जल विद्युत मोर्चे पर, सरकार भारत में विशेषकर हिमालयी राज्यों में जल विद्युत क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए वर्ष 2008 में जल विद्युत विकास के संबंध में नीति लाई है। विद्युत के सबसे सस्ते स्रोत होने के बावजूद, जल विद्युत का उपयोग इसकी पूरी संभावना तक नहीं किया गया है क्योंकि अनेक जल विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी मुद्दों और न्यायालय के फैसलों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण बहुत अधिक विलंब हो रहा है और कार्य रुक रहा है। इस क्षेत्र में संकुचन अपेक्षाकृत अधिक पूंजी लागतों, लंबी गेस्टेशन अवधि, विकास से संबंधित मुद्दे और भू-विज्ञान संबंधी बाधाओं के कारण कम रही है। इस समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पिछले चार वर्षों में अनेक कदम उठाए हैं जिनमें उल्लेखनीय रुप से 2022 तक प्रतिस्पर्द्धी बोली से जल विद्युत परियोजनाओं को छूट देना, ह्रास की दरों और दिन के शुल्क का समय में विकासकर्ताओं को लचीलापन प्राप्त करने की अनुमति देना तथा दीर्घ अवधि के पीपीए को सामान्य रुप से अनुमत्य 35 वर्षों से अधिक अतिरिक्त 15 वर्ष तक देने के लिए वितरण लाइसेंस की अनुमति देना शामिल है।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

पिछले पांच वर्ष देश में नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के लिए रुपांतरकारी सिद्ध हुए हैं। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र विश्व में चौथा सबसे बड़ा आकर्षक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार है। संस्थापित नवीकरणीय विद्युत उत्पादन क्षमता पिछले कुछ वर्षों में तेज गति से बढ़ी है। चूंकि, भारत अपने आप अपनी ऊर्जा मांग को पूरा करने की ओर देख रहा है, जो 2040 तक 15,820 टीडब्ल्यूएच तक पहुँचने की आशा है, अतः नवीकरणीय ऊर्जा निश्चित रुप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से 175 गीगावाट क्षमता वर्धन का लक्ष्य तय किया है। इसमें सौर ऊर्जा (100 गीगावाट), पवन ऊर्जा (60 गीगावाट), बायोमास ऊर्जा (10 गीगावाट) और लघु जल विद्युत परियोजनाओं (05 गीगावाट) का हिस्सा शामिल है। प्रमुख ध्यान स्पष्ट रुप से खत्म हो रहे फॉसिल ईंधन तथा ताप विद्युत संयंत्रों की पर्यावरण संबंधी खतरों के आलोक में अपेक्षाकृत स्वच्छ ऊर्जा पर है। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक पहल और नीतिगत उपाय जैसे विद्युत अधिनियम में उपयुक्त संशोधन और नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) को मजबूत तरीके से लागू करने के लिए शुल्क नीति और नवीकरणीय उत्पादन दायित्व (आरजीओ) प्रदान करने, अनन्य सौर पार्कों की स्थापना, हरित ऊर्जा कॉरीडोर के माध्यम से विद्युत पारेषण नेटवर्क का विकास, रुफ टॉप सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए बड़े-बड़े सरकारी परिसरों/भवनों की पहचान, रुफ टॉप सौर ऊर्जा बनाना और मिशन विवरण के अंतर्गत 10 % नवीकरणीय ऊर्जा को अनिवार्य बनाना और स्मार्ट सिटीज के विकास के लिए दिशा-निर्देश, नए निर्माण में रुफ टॉप सौर ऊर्जा का प्रावधान अथवा अपेक्षाकृत अधिक फ्लोर एरिया रेशियो को अनिवार्य बनाने के लिए भवन उप नियमों में संशोधन, सौर विद्युत परियोजनाओं को अवसंरचना का दर्जा देना, कर मुक्त सोलर बॉण्ड निकालना, इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत लंबे समय का ऋण प्रदान करना, रुफ टॉप सौर ऊर्जा को बैंकों द्वारा आवास ऋण का एक भाग बनाना और द्विपक्षीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से निधियों को प्राप्त करना तथा नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हरित जलवायु निधि जैसे अनेक पहलें कर रही है।

नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, भारत की संचयी संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 77.64 गीगावाट थी जिसमें पवन विद्युत से 35.63 गीगावाट, सौर विद्युत से 28.18 गीगावाट, बायोमास से 9.24 गीगावाट और नव विद्युत परियोजनाओं से 4.59 गीगावाट है। इस वृद्धि में पीवी कीमतों में गिरावट के साथ कम आयात शुल्क, भुगतान सुरक्षा तंत्र और दक्ष नीलामी प्रक्रियाएं पेश कर अनुकूल नीतिगत परिवेश से सहायता मिली। क्षमता वृद्धि भी उन बोलियों को आकर्षित करने वाली सौर एवं पवन संबंधी, दोनों नीलामियों से प्रशुल्क में तेजी से गिरावट से संचालित हुई जो कि कोयला आधारित संयंत्रों से विद्युत की लागत से कम थी। इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा के पारेषण को ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर से सुविधा मिलेगी जो अतिरिक्त एवं पर्याप्त पारेषण क्षमता के सृजन के साथ भार केंद्रों को उत्पादन स्तरों से नवीकरणीय विद्युत के निष्क्रमण द्वारा ग्रिड की स्थिरता बनाने में भी सक्षम होनी चाहिए।

आशा है कि वर्ष 2040 तक नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा कुल विद्युत का लगभग 49 % सृजित होगा क्योंकि विद्युत का भंडारण करने के लिए अधिक दक्षरोधकों का प्रयोग किया जाएगा जिससे सौर ऊर्जा की लागत वर्तमान लागत की तुलना में 66 % तक कम होगी। कोयले के स्थान पर नवीकरणीय स्रोतों के प्रयोग से भारत को वार्षिक रुप से ₹ 54,000 करोड़ (8.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की बचत होगी।

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन (एनएसएम) देश की ऊर्जा सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को हल करते समय सौर ऊर्जा के संवर्धन के लिए राज्यों, अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं और उद्योगों को शामिल करते हुए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल के रुप में जनवरी, 2010 में शुरू किया गया था। इस प्रकार, यह जलवायु परिवर्तन की कीमतों को प्रभावित करने के लिए वैश्विक प्रयास में भारत द्वारा एक प्रमुख योगदान बनेगा। यह मिशन उन कई पहलों में से एक है जो जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्रवाई योजना (एनएपीसीसी) का भाग है। भारत को अपनी भारी जनसंख्या और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ स्वैच्छिक, वहनीय और ऊर्जा के विश्वसनीय स्रोतों तक पहुँचने की आवश्यकता है। भारत भारी सौर ऊर्जा क्षमता के साथ उच्च सौर सूर्यविकिरण क्षेत्र में स्थित है। अधिकतर देशों में स्थान और वर्ष के समय के आधार पर सतही क्षेत्र के 4-6 केडब्ल्यूएच प्रति वर्ग मीटर दैनिक सौर विकिरण के साथ प्रति वर्ष लगभग 300 दिन सूरज की धूप होती है। देश में कुल सौर विद्युत क्षमता लगभग 748.98 गीगावाट अनुमानित की गई है।

इस मिशन का उद्देश्य कुशल एवं अकुशल व्यक्तियों दोनों के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार अवसरों के सृजन और कार्बन उत्सर्जनों के कम होने पर यथासंभव शीघ्र पूरे देश में उसके व्यापक स्तर पर फैलाव के लिए नीतिगत शर्तें तैयार कर सौर ऊर्जा में वैश्विक नेता के रुप में भारत को स्थापित करना

है। इस मिशन में अन्य के साथ-साथ तीन चरणों (प्रथम चरण 2012-13 तक, दूसरा चरण 2013-2017 तक और तीसरा चरण 2017-2022 तक) में प्राप्त किए जाने के लिए 2022 तक 20,000 मेगावाट की दृढ़ से जुड़ी सौर क्षमता लगाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया था।

एक निवेशक अनुकूल तंत्र स्थापित करने तथा देश में सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए एक आकर्षक, भविष्यवाणी योग्य और समुचित शुल्क प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। रुफ टॉप सौर विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना का प्रचार-प्रसार व्यापक रुप में किया जा रहा है। वृहद सरकारी संस्थापनाओं जैसे रेलवे, रक्षा आदि को अपनी भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा के समर्पित उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे ग्रिड पर उनकी निर्भरता भी कम हो जाएगी। एक अन्य उल्लेखनीय प्रयास भारत सरकार द्वारा अवसंरचना सहायता के साथ प्रत्येक के लिए 500 मेगावाट से अधिक के देश में 34 सौर पार्कों का विकास करना है। इसके अलावा, 60 "सोलर सिटी" परियोजनाओं का विकास "सोलर सिटीज कार्यक्रम के विकास" के अंतर्गत किया गया है।

किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम)

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने "किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम)" योजना तैयार की है। यह योजना इस समय अनुमोदन मांगे जाने की प्रक्रिया के अधीन है। कुसुम योजना संबंधी प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

i) ग्रामीण क्षेत्रों में 2 मेगावाट तक की क्षमता का प्रत्येक ग्रिड से जुड़े सोलर पावर संयंत्रों की संस्थापना,

ii) ग्रिड से न जुड़े हुए किसानों की सिचाई आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वतंत्र ऑफ ग्रिड़ सोलर वाटर पंपों की संस्थापना,

iii) किसानों को ग्रिड की आपूर्ति से स्वतंत्र करने के लिए मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरकरण और इसके साथ ही उन्हें वितरण कंपनियों को उत्पादित अतिरिक्त सौर बिजली की बिक्री करना और अतिरिक्त आय प्राप्त करना।

राष्ट्रीय पवन - सौर हाईब्रिड नीति

भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक में परिवर्तनीयता को कम करते हुए और बेहतर ग्रिड स्थायित्व को प्राप्त करते हुए पारेषण अवसंरचना और भूमि का आदर्शतम एवं कार्यक्षम उपयोग के लिए बृहत ग्रिड़ से जुड़े पवन-सौर पी वी हाईब्रिड प्रणाली के संवर्धन के लिए एक ढ़ांचा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 18 मई, 2018 को राष्ट्रीय पवन-सौर हाईब्रिड नीति की घोषणा की है। इस नीति का लक्ष्य नई प्रौद्योगिकियों, पद्धतियों और तरीकों को प्रोत्साहित करना भी है जिसमें पवन और सौर पी वी संयंत्रों का मिश्रित प्रचालन हैं। यदि रेट की गई एक संसाधन की विद्युत क्षमता अन्य संसाधन की रेट की गई विद्युत क्षमता का कम से कम 25 % हो तब एक पवन-सौर संयंत्र को हाईब्रिड के रुप में माना जायेगा। हाईब्रिड संयंत्र वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता प्राप्त करने की प्रक्रिया में गति देगा क्योंकि देश में ऐसे बृहत क्षेत्र हैं जहां पवन और सौर ऊर्जा दोनों की अत्यधिक संभावना है।

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अगस्त, 2006 में अधिसूचित की गई थी। इसका उद्देश्य कृषि, ग्रामीण उद्योग आदि में उत्पादक उपयोग के लिए आवश्यक सामग्री के रुप में बिजली उपलब्ध करके त्वरित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना था।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

विद्युत मंत्रालय ने 03 दिसंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से आमेलित आरई घटकों सहित ₹ 75,893 करोड़ के परिव्यय से "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" (डीडीयूजीजेवाई योजना) शुरू की है जो एक एकीकृत योजना है जिसमें ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलू शामिल हैं। डीडीयूजीजेवाई योजना के अंतर्गत, इस परियोजना की लागत का 60 % (विशेष राज्यों के लिए 85 %) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रुप में दिया जाता है और 15 % तक अतिरिक्त अनुदान (विशेष राज्यों के लिए 5 %) भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर दिया जाता है। पूर्व की सभी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अर्थात आरजीजीवीवाई सहित) को डीडीयूजीजेवाई में समाहित कर दिया गया है। रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन डीडीयूजीजेवाई योजना को कार्यान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी है। डीडीयूजीजेवाई भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जो समग्र ग्रामीण विकास को पूरा करती है और परिभाषित परियोजना संघटकों के माध्यम से देश में "सभी के लिए 24x7 विद्युत" के कार्य को आसान बनाती है। यह योजना निम्नलिखित के लिए शुरू की गई थी:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी कार्यों के लिए पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति तथा गैर-कृषि उपभोक्ताओं को सतत विद्युत आपूर्ति लेते हुए कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण, और

(ख) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं वृद्धि।

15 अगस्त, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि देश में राज्यों की सहायता से शेष सभी 18,452 गैर-विद्युतीकृत (यूई) गांवों में 1,000 दिनों के भीतर बिजली पहुँचाई जाएगी। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत से वंचित सभी ग्रामों के विद्युतीकरण के कार्यों को मिशन के रुप में लिया है और विद्युत से वंचित गांवों के विद्युतीकरण की मॉनीटरिंग का कार्य आरईसी को सौंपा गया है। विद्युत से वंचित ये गांव ऐसे स्थान पर स्थित हैं जहां पहुँचना बहुत मुश्किल है और जहां के क्षेत्र मुश्किल हैं, जहां का तापक्रम बहुत अधिक है, और इन क्षेत्रों को मार्गाधिकार के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है और इन क्षेत्रों में आतंकवाद फैला हुआ है। प्रत्येक ग्राम, जिसके अंतर्गत समग्र ग्राम विद्युतीकरण प्रक्रिया को 12 लक्ष्यों में बांटा गया है, की नियमित प्रगति

प्राप्त करने के लिए एक नया मॉनीटरिंग तंत्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा, "ग्राम विद्युत अभियंता" (जीवीए) अर्थात युवा वैद्युत अभियंताओं की नियुक्ति प्रखंड या जिला स्तर पर की गई थी तथा एक ऑनलाइन ऐप्लिकेशन "गर्व एप्प" का विकास ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति की पारदर्शी और जिम्मेदार मॉनीटरिंग के लिए किया गया है। भारत सरकार ने 28 अप्रैल, 2018 को देश के सभी आवासित जनगणना गांवों का 100% विद्युतीकरण हासिल किया।

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

ग्रामीण विद्युतीकरण के अलावा, घरों के विद्युतीकरण पर अब बल दिया गया है। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों (एपीएल और गरीब परिवार दोनों) तथा शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के साथ, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी घरों में अन्तिम मील कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन देकर देश में वैश्विक गृह विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के उदेश्य से ₹ 12,320 करोड़ की सकल बजटीय सहायता सहित ₹16,320 करोड़ की कुल लागत से 11 अक्टूबर, 2017 को *प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना* ('सौभाग्य'') अथवा सौभाग्य की शुरुआत की। आरईसी को सौभाग्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी के रुप में नामित किया गया है। निजी क्षेत्र की वितरण कंपनियों, राज्य के विद्युत विभागों और ग्रामीण इलैक्ट्रिक सहकारी समितियों सहित सभी वितरण कंपनियां इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता जिसमें भारत सरकार से 60 % का अनुदान (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 85 %), वित्तीय संस्थाओं/बैंको से ऋण जिसमें 30 % (विशेष राज्यों के लिए 10 %) और यूटिलिटी का अंशदान 10 % /5 % शामिल है, के लिए पात्र होगा। इसके अलावा, ऋण संघटक का 50 % भारत सरकार द्वारा 75 % का अधिकतम अनुदान (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90 %) के अधीन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान के रुप में परिवर्तित किया जायेगा। गृह विद्युतीकरण का कार्य 31 मार्च, 2019 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य था।

इस योजना की शुरुआत के समय राज्यों ने सूचित किया कि लगभग 4 करोड़ घर 10 अक्टूबर, 2017 की स्थिति के अनुसार गैर-विद्युतीकृत थे। यह जनगणना आंकड़ों पर आधारित एक अनुमान था। राज्यों ने इस योजना के तहत घरों के विद्युतीकरण के संबंध में प्रगति की नियमित मॉनीटरिंग के प्रयोजन से सृजित सौभाग्य पोर्टल (saubhagya.gov.in) पर अपने आंकड़े अपलोड किए। आंकड़े इस योजना के तहत घरों के विद्युतीकरण की प्रगति की क्षेत्रीय रिपोर्टों के आधार पर नियमित रुप से राज्य विद्युत विभागों/राज्य डिस्कॉमों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं। जब राज्यों के विद्युतीकरण गांव में गए तो उन्होंने पाया कि अधिकतर गांवों में विद्युतीकरण के लिए छूट गए घरों की संख्या उससे कम थी जिसका उन्होंने अनुमान लगाया था। यह मुख्य रुप से दो कारणों से था:

(i) कई जनगणना घर साथ-साथ रह रहे थे और एक ही कनेक्शन से एक साथ विद्युत सेवाएं ले रहे थे, और

(ii) कई घरों ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की चल रही योजना तथा राज्यों की योजना के तहत गांव के विद्युतीकरण और गहन विद्युतीकरण की प्रक्रिया में कनेक्शन ले लिए थे।

चूंकि, दलों द्वारा अधिक से अधिक गांवों का दौरा किया गया था, अतः विद्युतीकृत किए जाने वाले तथा जिनका विद्युतीकरण हो गया है, उन घरों के आंकड़े वास्तविकता के आधार पर अपलोड किए गए थे।

सौभाग्य के अंतर्गत घरों के विद्युतीयकरण की प्रक्रिया तेज करने और उसकी मॉनीटरिंग करने के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया गया था। सौभाग्य वेब पोर्टल पूरे देश में ग्राम-वार घरों के विद्युतीकरण की स्थिति के संबंध में सूचना प्रसारित करने के लिए तैयार और विकसित किया गया है। सभी राज्यों ने गैर-विद्युतीकृत रह गए घरों की पहचान करने और उन घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्य के सभी भागों में विशेष अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत, एक विशेष वाहन अर्थात 'सौभाग्य रथ' गांव/नगरों में सभी जगह तैनात किए गए थे ताकि कोई भी छूट गया घर इस योजना के तहत विद्युत कनेक्शन लेने के लिए उनसे संपर्क कर सके। छूट गए घरों की रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए एक समर्पित टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-121-5555 शुरू की गयी था। सरकार ने राज्य विद्युत विभागों और डिस्कॉमों की सहायता से सौभाग्य योजना की शुरुआत से लगभग 2.62 करोड़ घरों को पहले ही जोड़ दिया है और छत्तीसगढ़, जहां 99 % से अधिक घरों का विद्युतीकरण अब तक प्राप्त कर लिया गया है, को छोड़कर 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों में 100 % घरों का विद्युतीकरण हासिल कर लिया गया है।

एकीकृत विद्युत विकास स्कीम

भारत सरकार ने ₹ 65,424 करोड़ के परिव्यय से दिनांक 03 दिसंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के उप वितरण और वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए "एकीकृत विद्युत विकास स्कीम" (आईपीडीएस स्कीम) का अनुमोदन किया था जिसमें एक पृथक संघटक के रुप में आईपीडीएस कार्यक्रम को आर-एपीडीआरपी के लिए अनुमोदित परिव्यय को अगले वर्ष ले जाकर 12वीं और 13वीं योजनाओं के लिए आर-एपीडीआरपी (पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए (i) उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना, (ii) वितरण ट्रांसफार्मर/फीडर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और (iii) वितरण क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी से समर्थ बनाना तथा वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना शामिल है। इस प्रयोजन से आर-एपीडीआरपी की पूर्व की योजना और उसके लक्ष्यों को आईपीडीएस में समाहित कर दिया गया है। इस योजना के वित्तपोषण का पैटर्न वही है जो डीडीयूजीजेवाई योजना के वित्तपोषण का पैटर्न है। पिछले 5 वर्षों में, 1,378 शहर आईटी सक्षम हो गए हैं।

राष्ट्रीय विद्युत निधि

राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) वित्तीय वर्ष 2012-13 में देश में वितरण घाटे को कम करने के लिए वितरण अवसंरचना में पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए ₹ 8,466 करोड़ के परिव्यय से शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत डिस्कॉम को वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान स्वीकृत वितरण

परियोजनाओं के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण पर 14 वर्षों से अधिक तक ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, दोनों में यूटिलिटी/डिस्कॉम सुधार से संबंधित मानदंडों में प्राप्त प्रगति के आधार पर ब्याज दरों पर सब्सिडी के लिए पात्र है। आरईसी इस योजना का प्रचालन के लिए नोडल एजेंसी है। वर्तमान में 14 राज्यों में 24 डिस्कॉमों के लिए ₹ 23,973 करोड़ के ऋण घटक वाली अनुमोदित 920 एनईएफ परियोजनाओं के विरुद्ध 31 मार्च, 2019 तक उधारदाताओं द्वारा ₹ 17,832 करोड़ मूल्य के ऋण संवितरित कर दिये गए हैं और ₹ 175.07 करोड़ की ब्याज सब्सिडी राशि अनुमोदित की गई है तथा 31 मार्च, 2019 तक डिस्कॉमों को जारी कर दी गई है।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में "उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना" की घोषणा की जिसका लक्ष्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का वित्तीय सर्वांगीण सुधार एवं पुनरुद्धार करना है और साथ ही डिस्कॉम की समस्याओं का एक सतत स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है जो ₹ 4.3 लाख करोड़ के ऋण और ₹ 3.8 लाख करोड़ के संचयी घाटे के अंदर दबे हुए थे। इस योजना को प्रारंभ किए जाने के माध्यम से, डिस्कॉम को निम्नलिखित चार पहलों के माध्यम से 2-3 वर्षों में घाटे से उबरने का अवसर प्रदान किया जाता है:

i. डिस्कॉमों की प्रकार्यात्मक दक्षता में सुधार करना;

ii. बिजली की लागत को कम करना;

iii. डिस्कॉमों की ब्याज लागत में कमी करना;

iv. राज्य वित्त व्यवस्थाओं के साथ संपर्क करके डिस्कॉमों में वित्तीय अनुशासन लाना।

आरईसी उदय स्कीम के लिए विद्युत मंत्रालय को सहायता प्रदान कर रहा है। अब तक, विद्युत मंत्रालय और विभिन्न राज्यों और/अथवा डिस्कॉमों के बीच 16 व्यापक समझौता ज्ञापन तथा 16 प्रचालनात्मक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। उदय योजना के तहत, जारी किए जाने वाले ₹2,69,056.35 करोड़ के कुल बाण्डों में से 86.29 % अर्थात ₹ 2,32,163 करोड़ मूल्य के बॉण्ड अब तक जारी कर दिए गए हैं। आरईसी ने राज्य डिस्कॉम के कार्य निष्पादन की मॉनीटरिंग के लिए एक अत्याधुनिक वेब पोर्टल और एक ऑनलाइन एप्प विकसित किया है। इसके फलस्वरुप, डिस्कॉम के प्रचालन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी आई है तथा यह राज्यों द्वारा मॉनीटरिंग और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एक प्रभावी हथियार के रुप में कार्य करता है। आरईसी प्रत्येक राज्य/डिस्कॉम के साथ समीक्षा/संकेंद्रित बैठक के लिए सभी क्रियाकलापों का भी समन्वय करता रहा है। सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक मॉनीटरिंग समिति समय-समय पर डिस्कॉम के कार्य निष्पादन की समीक्षा करती है। उदय योजना के कार्यान्वयन के बाद डिस्कॉम के लिए अत्यधिक सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। औसत एटीएंडसी हानियों तथा एसीएस और उदय राज्यों के एआरआर के बीच अंतर में गिरावट की प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई है। इन लाभों के अलावा, अपेक्षाकृत कम ब्याज बोझ भी डिस्कॉम के लिए अपेक्षाकृत बेहतर लाभ के प्रति अंशदान कर रहा है।

सभी के लिए सस्ते एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला)

"सभी के लिए सस्ते एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति" (उजाला) एक योजना है जिसे सरकार द्वारा देश में ऊर्जा कार्य क्षमता में संवर्धन करने के उद्देश्य से एलईडी बल्बों के साथ (लाइट एमिटिंग डायोड) के साथ 77 करोड़ इंकेंडिसेंट लैम्पों का प्रतिस्थापन करने के लिए मई, 2015 में शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत, एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), जो आरईसी तथा विद्युत क्षेत्र के तीन अन्य सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है, घरेलू उपभोक्ताओं को कम कीमत पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराती है। एलईडी का अपेक्षाकृत लम्बा जीवनकाल होता है और यह इंकेंडिसेंट बल्ब तथा सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प) की तुलना में अत्यधिक ऊर्जा बचत करती है और इस प्रकार से मध्यम अवधि में ऊर्जा एवं लागत दोनों में बचत होती है। सरकार द्वारा अब तक 35 करोड़ एलईडी बल्ब, 70 लाख ट्यूबलाईट और 22 लाख पंखे बांटे गये हैं। यह एक ऐसा कदम है जिसके फलस्वरुप उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में प्रति वर्ष ₹ 18,382 करोड़ से अधिक की बचत हुई जिसके फलस्वरुप प्रति वर्ष 373 लाख टन से अधिक कार्बनडाई ऑक्साइड में कमी आई है।

पारदर्शिता और ऑनलाइन एप्प

पारदर्शिता को विगत हाल में ली गई सभी प्रमुख विद्युत क्षेत्र से संबंधित सुधार पहलों में प्रमुख स्थान दिया गया है। विद्युत मंत्रालय के कार्य चालन और कार्य निष्पादन तथा इसके द्वारा की गई विभिन्न सुधार संबंधी पहलों के प्रभाव का पता लगाने के लिए स्टेकहोल्डरों को अधिकार प्रदान करने हेतु विभिन्न मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट शुरू की हैं। इनमें "गर्व एप्प" जो विद्युत से वंचित ग्रामों और घरों में विद्युतीकरण से संबंधित कार्य की अद्यतन स्थिति बताता है; "उदय एप्प", जो उदय योजना की प्रगति की अद्यतन स्थिति से अवगत कराता है; "उजाला एप्प" जो एलईडी बल्ब के वितरण के संबंध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराता है; "विद्युत प्रवाह एप्प" जो विद्युत की कीमत एवं उपलब्धता के संबंध में वास्तविक सूचना प्रदान करता है; "ऊर्जा मित्र एप्प" जो उपभोक्ता की संयोजकता को शहरों में डिस्कॉम के कार्य निष्पादन को दर्शा कर बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है तथा आईपीडीएस के संबंध में आंकड़े देता है; "तरंग एप्प" जो भारत में पारेषण प्रणाली की प्रगति की मॉनीटरिंग करता है; उत्पादकों और वितरण कंपनियों के बीच विद्युत खरीद लेन-देन में पारदर्शिता लाने के लिए प्राप्ति एप्प' (उत्पादकों का बीजक बनाने में पारदर्शिता लाने के लिए विद्युत खरीद में भुगतान की पुष्टिकरण और विश्लेषण, "ऊर्जा मित्र एप्प" जो नागरिकों को डिस्कॉम की वास्तविक एवं ऐतिहासिक आउटेज से संबंधित सूचना प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और फ्लाई ऐश उत्पादकों (थर्मल पावर प्लांट) एवं संभावित राख प्रयोक्ताओं यथा सड़क ठेकेदारों, सीमेंट संयंत्रों आदि के बीच एक इंटरफेस प्रदान कर

तापीय विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित राख का बेहतर प्रबंधन सक्षम बनाने के लिए ऐश ट्रैक, शामिल है।

उपर्युक्त नीतियों और पहलों के अलावा, भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य में सुधार लाने के लिए अनेक अन्य कदम उठाए हैं, जैसे बढ़ी हुई ऊर्जा कार्य क्षमता के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई); निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पीएटी योजना), ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता (ईसीबीसी), नेशनल ई-मोबिलिटी कार्यक्रम, चिलर स्टार लेबलिंग कार्यक्रम आदि। सरकार के पारदर्शिता को बढ़ाने के प्रति किए गए प्रयासों के साथ-साथ यह पहल विद्युत क्षेत्र को इसे निकट भविष्य में एक आकर्षक निवेश स्थल बनाकर फिर से परिभाषित करेगी।

अवसर

सौर विद्युत पर प्रमुख जोर वाली नवीकरणीय ऊर्जा पर सरकार का जोर राजकोषीय वर्ष 2018 में विद्युत क्षेत्र पर प्रभावी रहा। सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ने और 2030 तक 40 % तक नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाने की योजना बनाई है। यह भी अनुमान लगाया गया कि विद्युत के लिए भारत की व्यस्ततम मांग 2021-22 तक 153 गीगावाट के वर्तमान स्तर से 226 गीगावाट तक और 2026-27 तक 229 गीगावाट तक बढ़ जाएगी। मांग के अनुमानों और 22.7 गीगावाट की समाप्त होने की संभावना वाली क्षमता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में निर्माणाधीन कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं की 47.8 गीगावाट सहित 175 गीगावाट की कुल क्षमता अभिवृद्धि की 2017 से 2022 की अवधि में परिकल्पना की गई है। इसी प्रकार, 2022 से 2027 तक की अवधि के लिए 175 गीगावाट क्षमता की और अभिवृद्धि तथा 25 गीगावाट की समाप्ति की परिकल्पना की गई है।

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में तेज से गति से बढ़ रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा आकर्षकता सूचकांक 2018 के अनुसार, भारत का विश्व में सबसे आकर्षक नवीकरणीय ऊर्जा बाजारों में चौथा स्थान है। इसके अतिरिक्त, 2018 में स्वच्छ ऊर्जा में जाने के लिए उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारत का दूसरा स्थान है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, भारत की संचयी संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 77.64 गीगावाट थी जिसमें पवन विद्युत से 35.63 गीगावाट, सौर विद्युत से 28.18 गीगावाट, बायोमास से 9.24 गीगावाट और नव जल विद्युत परियोजनाओं से 4.59 गीगावाट है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने मार्च, 2022 तक जल विद्युत से 60 गीगावाट की कुल क्षमता और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 175 गीगावाट, जिसमें सौर विद्युत से 100 गीगावाट, पवन विद्युत से 60 गीगावाट, बायोमास से 10 गीगावाट और लघु जल विद्युत परियोजनाओं से 5 गीगावाट शामिल है, की क्षमता प्राप्त करने की एक कार्रवाई योजना तैयार की है। इसमें भारत ने इस क्षेत्र के एक प्रमुख जोर सिद्ध किया है क्योंकि बाजार व्यापारियों को स्वच्छ स्वरुप में जाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन है। चूंकि, भारत अपने आप ही अपनी ऊर्जा मांग को पूरा करने की सोच रहा है जो कि 2040 तक 15,820 टीडब्ल्यूएच तक पहुँचने की उम्मीद है। अतः नवीकरणीय ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के भारत की विद्युत आवश्यकताओं का 40 % पूरा करने में मदद करने की आशा है। देश में स्वच्छ ऊर्जा में नए निवेश 2017 में 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गए।

पैन इंडिया में उसकी उपस्थिति, कई दशकों के अनुभव और विद्युत क्षेत्र की विशेषज्ञ समझ से आरईसी अपने सभी दावेदारों के लिए सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करते हुए इस क्षैतिज पर आने वाले नए व्यापारिक अवसरों को लेने की स्थिति में है।

खतरे, जोखिम और चिंताएं

विद्युत क्षेत्र में प्रवेश के लिए अवरोध, विशेष रुप से पारेषण एवं वितरण क्षेत्र में अत्यधिक है जो कि व्यापक रुप से राज्य एकाधिकार हैं। साथ ही, विद्युत उत्पादन व्यापार में प्रवेश करने के लिए आरंभिक तौर पर भारी निवेश की आवश्यकता होती है। अन्य अवरोध ईंधन, संपर्क, राज्य सरकारों, जो विद्युत खरीदते हैं और वितरण लाइसेंस खुदरा रुप में देते हैं, से भुगतान गारंटी, हैं।

प्रतिस्पर्द्धा गहन होती जा रही है, परंतु कई व्यापारियों के लिए काफी जगह होने के नाते इनपुट और प्राकृतिक गैस की कमी तथा विनियामक बाधाओं से नए प्रवेशक विरत हुए हैं। सौर विद्युत का विद्युत व्यापार वह एक क्षेत्र है जो आक्रामक प्रशुल्कों के कारण अभी तक नहीं लिया गया है। तथापि, मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र के परिप्रेक्ष्य से भविष्य में यह भी एक अवसर हो सकता है। इस क्षेत्र में दक्षता सुधार उपायों से, विशेष रुप से सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमता, पर्यावरण मित्र, नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों के संवर्धन और आगामी भविष्य में ऊर्जा दक्षता समाधानों के माध्यम से विभिन्न दावेदारों को व्यापारिक अवसर प्रदान किए जाने की उम्मीद है।

चिंता का एक अन्य कारण निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में प्रमोटरों की इक्विटी संबंधी बाधा है जिसके फलस्वरुप परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब तथा परिणामी लागत एवं समय आधिक्य उत्पन्न होता है। अपने ऋण से संबंधित दायित्वों को पूरा करने में ऋण प्राप्त करने वाले की असफलता का कंपनी के लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिससे परिसंपत्तियों पर दबाव बन सकता है और कंपनी की निम्न लागत वाली निधियों को प्राप्त करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय पूंजी बाजार बहुत तेज गति से विकास कर रहा है और परिपक्व हो रहा है और उससे विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण के पैटर्न में एक परिवर्तन हो सकता है। यदि कंपनी के उधारकर्ता सीधे बाजार तक पहुंच बनाते है तब उसका प्रभाव आरईसी के कारोबार पर पड़ सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 फरवरी, 2018 को संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए एक संशोधित कार्यढांचा शुरू किया था जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत ऋण पुनर्गठन, एस4ए आदि जैसी अपनी पूर्व की समाधान योजनाओं को वापस भी लिया था। यद्यपि, यह परिपत्र पूर्व में सीधे ही आरईसी पर लागू नहीं था, परंतु बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ कंसोर्टियम में होने के नाते और एक विवेकी उपाय के रुप में कंपनी ने सभी परियोजनाएं वर्गीकृत कीं जो गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों के रुप में भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व की विभिन्न परियोजनाओं के तहत थीं। भारतीय रिजर्व

बैंक के उपर्युक्त परिपत्र के तहत, संकटग्रस्त परियोजना को एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) में भेजने के लिए एक अनिवार्य प्रावधान था, यदि कोई संकल्प योजना चूक की तारीख से 180 दिनों के भीतर कार्यान्वित न की गई हो। भारतीय रिजर्व बैंक का उपर्युक्त परिपत्र अप्रैल, 2019 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। उसके बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए 07 जून, 2019 को एक दूसरा परिपत्र जारी किया है। संशोधित परिपत्र में परियोजना को एनसीएलटी को भेजने की अनिवार्यता के लिए प्रावधान नहीं है। तथापि, यदि समाधान योजना निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यान्वित नहीं की जाती है तो उच्चतर प्रावधान का अधिदेश है।

कुछ परियोजनाएं एनसीएलटी को भेजी गई हैं जिनके लिए काफी हेयर कट की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एनसीएलटी के तहत, समाधान 180 दिनों की समयावधि के भीतर अपेक्षित है जिसे 90 दिन के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इन समय-सीमाओं को ध्यान में रखते हुए यह परिकल्पना की गई है कि इन संकटग्रस्त परियोजनाओं का समाधान निकट भविष्य में होगा। समाधान प्रक्रिया पूर्ण होने पर इन परिसंपत्तियों की बिक्री से वसूली गई धनराशि से नई आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियां बनाने में मदद मिलेगी और कंपनी की वित्तीय स्थिति को आगे बढ़ाने के संबंध में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिर भी, जहां कहीं भी कंपनी की परियोजनाएं "संकटग्रस्त परिसंपत्तियों" की श्रेणी में आती हैं, वहां कंपनी के सामने अधिक प्रावधान और काफी हेयर कट्स के जोखिम होते हैं।

यह कंपनी अगले पांच वर्षों में मौजूदा अनुभव मानदंड, डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति, ईंधन की सीमित उपलब्धता, राज्य वितरण कंपनियों की खराब वित्तीय हालत, अधिक एटीएंडसी घाटे, बाजार में नई कंपनियों के प्रवेश, बैंकों और बहुपक्षीय एजेंसियों से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा, अनिश्चित बाजार परिवेश, रुपए में उतार-चढ़ाव, अस्थिर बाजार स्थितियों के कारण पूंजी की लागत में वृद्धि की संभावना, बिजली की कम मांग और परंपरागत उत्पादन क्षमता में वृद्धि की कोई संभावना नहीं होने के बारे में भी चिंतित है। इसके अलावा, देश में व्यापार और नीतिगत परिवेश की स्थिति का भी ब्याज दर व्यवस्था, कच्चे माल की लागत और उपलब्धता, विद्युत परियोजनाओं के लिए अपेक्षित गेस्टेशन अवधि एवं पूंजीगत परिव्यय पर घटते हुए क्रम में प्रभाव हो सकता है। सामान्य आर्थिक स्थितियों का भी विद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है जो ऋण लेने वालों की अपने ऋण को वापस करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

हालांकि, विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों का हल निकालने के लिए, सरकार पुनरुद्धार मार्ग पर विद्युत क्षेत्र को लाने के लिए अनेक पहलें कर रही है। इन पहलों के कारण अत्यधिक क्षमता बढ़ाई गई है और कोयले के परिदृश्य में बहुत अधिक सुधार हुआ है। कुछ प्रमुख पहल 2019 तक सभी के लिए 24x7 विद्युत' उदय, आईपीडीएस, डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य, आउटेज प्रबंधन प्रणाली और 11 केवी ग्रामीण फीडर प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल का विकास आदि का कार्यान्वयन है। इन सभी पहलुओं के कारण संभवतः विद्युत क्षेत्र लाभ में आ जायेगा। इसके अलावा, निम्न लागत पर संसाधनों को प्राप्त करना और उन स्थानों पर उनका निवेश सुनिश्चित करना, जो अधिकतम लाभ देता हो, इस कंपनी की सतत विकास और लाभप्रदता के लिए प्रमुख कारक होगा।

क्षेत्र-वार अथवा उत्पाद-वार कार्य निष्पादन

आरईसी देश का एक प्रमुख लोक वित्त संस्थान है जो समग्र विद्युत क्षेत्र मूल्यश्रृंखला अर्थात उत्पादन (परंपरागत एवं नवीकरणीय), पारेषण एवं वितरण की वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। आरईसी का प्रमुख उत्पाद राज्य यूटिलिटियों एवं निजी क्षेत्र के ऋण प्राप्तकर्ताओं को ब्याज पर ऋण प्रदान करना है। कंपनी के पास कोई पृथक सूचना देने योग्य क्षेत्र नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में ₹1,07,534.05 करोड़ की तुलना में ₹ 1,15,957.35 करोड़ की कुल ऋण सहायता मंजूर की है। वित्तीय वर्ष 2018-18 के लिए स्वीकृति में पारंपरिक उत्पादन परियोजनाओं के लिए ₹ 41,431.87 करोड़, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹ 11,875.20 करोड़, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए ₹ 50,610.28 करोड़ और अल्पावधि ऋणों और अन्य ऋणों के लिए ₹ 12,040.00 करोड़ शामिल थे।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में संवितरित ₹ 61,712.47 करोड़ की तुलना में ₹ 72,165.43 करोड़ की कुल ऋण राशि संवितरित की थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए संवितरण में पारंपरिक उत्पादन परियोजनाओं के लिए ₹ 19,581.64 करोड़, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹ 6,627.76 करोड़, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए ₹ 31,364.41 करोड़, अल्पावधि ऋणों एवं अन्य ऋणों के लिए ₹ 8,870 करोड़ तथा डीडीजी (विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन) सहित डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के अंतर्गत ₹ 5,721.62 करोड़ शामिल थे। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और डीडीजी स्कीमों के तहत विभिन्न राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 19,662.13 करोड़ का अनुदान/सब्सिडी दी गई थी।

दृष्टिकोण

प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत और किसी अर्थव्यवस्था की स्थिति, किसी देश की दीर्घ अवधि में ऊर्जा की आवश्यकता का संकेत देती है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 3,000 केडब्ल्यूएच की विश्व औसत की तुलना में 1,149 केडब्ल्यूएच थी। विश्व के औसत की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत के निम्न स्तरों पर विचार करते हुए और आर्थिक विकास के प्रति सरकार के ठोस प्रयासों पर विचार करने के बाद यह महसूस किया गया है कि विद्युत क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण दीर्घ अवधि में मजबूत रहेगा। विद्युत क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मुद्दों का समाधान करने में सरकार की सह-क्रियाशील भूमिका के साथ, विद्युत क्षेत्र के लिए वित्तीय उत्पादों हेतु पर्याप्त बाजार अवसरों के साथ-साथ एक उज्ज्वल दृष्टिकोण है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की वैश्विक ऊर्जा एवं कार्बन डाई ऑक्साइड संबंधी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2018 के दौरान 4 % तक प्राथमिक ऊर्जा मांग वृद्धि अथवा 35 मिलियन टन तेल समतुल्य देखा। यह वैश्विक मांग वृद्धि का 11 % है। तुलनात्मक रुप से विश्व भर में ऊर्जा खपत 2018 में 2.3 % तक बढ़ी। यह 2010 से वृद्धि की औसत दर का लगभग दोगुना है। अत्यधिक उल्लिखित रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत की 165 %की मांग वृद्धि, 61 % की समग्र नॉन-ओईसीडी वृद्धि का लगभग तीन गुनी है जो ब्रिक्स देशों अर्थात चीन (+41 %), ब्राजील (+60%), और रूस (+6 %) से भी अधिक गति है।

उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार, भारत की समग्र ऊर्जा खपत 2016 में 724 एमटीओई से बढ़कर 2040 में 1,921 मिलियन टन तेल समतुल्य (एमटीओई) होने की आशा है जो 4.2 % की औसत प्रति वर्ष वृद्धि दर है। भारत की ऊर्जा खपत में वृद्धि 2016 में 5 % से आगे जाकर 2040 तक 11 % की वैश्विक ऊर्जा मांग में देश का हिस्सा होने की आशा है जो ब्रिक्स देशों का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। नवीकरणीय स्रोतों की मांग 12 % की वार्षिक वृद्धि के साथ, 2016 में 17 एमटीओई से बढ़कर 2040 में 256 एमटीओई तक 1,409 % की उच्चतम वृद्धि तक पहुँचने की आशा है।

भारत में विद्युत क्षेत्र में काफी वृद्धि और परिवर्तन की अवधि चल रही है। भारत के 4.2 % प्रति वर्ष तक बढ़ रही देश की ऊर्जा खपत से 2020 तक ऊर्जा के लिए सबसे बड़े वृद्धि बाजार के रुप में चीन को पार करने का अनुमान है जो विश्व की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार, वैद्युतीय ऊर्जा आवश्यकता वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऊर्जा की 1,566 बिलियन यूनिट तक बढ़ जाने की आशा है। भारत सरकार ने पहले ही वैश्विक पहुँच और 24x7 विद्युत आपूर्ति प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा, ग्रामीण और गृह विद्युतीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा पर बल के साथ, देश में बिजली की पहुंच में वृद्धि करेगा जिसके द्वारा मांग और अधिक बढ़ेगी। स्मार्ट शहरों का विकास और ऊर्जा बचत एवं भंडारण उपकरणों जैसे बैट्री बैंक और सहायक सेवाओं में निवेश में वृद्धि के नए मानक दिखने की संभावना है। इसके अलावा, सरकार की सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस और उदय योजना में बनाई गई कार्य निष्पादन उन्मुखीकरण से वितरण अवसंरचना में निवेश आकर्षित होने और उसमें गति आने की संभावना है और इस प्रकार से भारी मात्रा में पूंजीगत व्यय और समान रुप से भारी प्रचालन संबंधी अवसंरचना का विकास, जिसमें वितरण क्षेत्र में भावी विस्तार की पर्याप्त संभावना है, कंपनी के लिए एक आशावादी व्यापार दृष्टिकोण पैदा करता है।

समझौता ज्ञापन-रेटिंग एवं अवार्ड

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी के निष्पादन को "बहुत अच्छा" की मान्यता दी गई है। वर्ष के दौरान आरईसी ने विभिन्न पुरस्कार एवं मान्यताएं प्राप्त की हैं जिनमें एमएसएमई बैंकिंग एंड एनबीएफसी एक्सीलेंस अवार्ड, दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल अवार्ड फॉर हाइएस्ट एम्प्लाई एफिशिएंसी एंटरप्राइज, गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2018 फॉर एक्सीलेंस इन कारपोरेट गवर्नेंस, सीआईएमएसएमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पीएसयू अवार्ड 2018 फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज, अवार्ड फॉर बेस्ट पीएसयू इश्यूअर ऑन इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफार्म ऑफ एनएसई और सर्वोत्तम आवास विद्युतीकरण कार्यक्रम (सौभाग्य) के लिए भारत स्मार्टग्रिड फोरम इनोवेशन अवार्ड 2019 शामिल हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

कंपनी के पास एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जिसमें उपयुक्त मॉनीटरिंग प्रक्रिया भी शामिल है ताकि वह विभिन्न लेन-देनों की यथार्थ और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग, प्रचालन की दक्षता और विधिक कानूनों का अनुपालन, विनियमों और कंपनी की नीतियों को सुनिश्चित कर सके। शक्तियों के उपयुक्त प्रत्यायोजन और लेखाकरण संबंधी दिशा-निर्देश एक समान रुप से पालन करने के लिए जारी कर दिए गए हैं। आरईसी के पास आंतरिक जांच और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मैन्युअल हस्तक्षेपों के साथ आईटी आधारित परियोजनाओं को सुनिश्चित करने के लिए अपना ईआरपी ऑपरेशन और ई-ऑफिस प्रणाली है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त जांच और संतुलन की व्यवस्था है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सही है, विभिन्न प्रभागों/कार्यालयों की नियमित और व्यापक आंतरिक लेखापरीक्षा कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग/बाह्य व्यावसायिक लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रीय/राज्य कार्यालयों की समीक्षा लेखापरीक्षाएं भी उन कार्यालयों के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग द्वारा की जाती हैं जहां आंतरिक लेखापरीक्षा तीन वर्षों से निरंतर बाहर से कराई जा रही है। आंतरिक लेखापरीक्षा में कार्यों के सभी प्रमुख क्षेत्रों की लेखापरीक्षा की जाती है, जिसमें वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, अभिनिर्धारित जटिल और जोखिमपूर्ण क्षेत्र भी शामिल हैं। निदेशक मण्डल कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षा) नियमावली, 2015 में निर्धारित लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की आवधिक समीक्षा करता है।

वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी कार्य निष्पादन

कंपनी मूलधन, ब्याज आदि के प्रति अपनी बकाया राशि को समय पर प्राप्त करने को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, मानक परिसंपत्तियों (चरण-I और II) के लिए ब्याज सहित वसूली के लिए देय राशि पिछले वर्ष के दौरान ₹ 46,236 करोड़ की तुलना में ₹ 55,155 करोड़ थी। कंपनी ने मानक परिसंपत्तियों (चरण-I और II) के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 45,566 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 54,502 करोड़ की कुल राशि वसूल की है। कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्राप्त की गई वसूली दर 98.82 % थी। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, मानक परिसंपत्तियों (चरण-I और II) के संबंध में, ऋण न चुकाने वाले ऋण प्राप्तकर्ताओं से अधिक देय बकाया राशि ₹2,413 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त, ऋण हानि वाली परिसंपत्तियों (एनपीए) (चरण-III) से वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 591 करोड़ की राशि वसूल कर ली गई है (वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 785 करोड़ की राशि वसूल की गई)।

आरईसी की ऋण हानि वाली परिसंपत्तियां (एनपीए) (चरण-III) निम्न स्तरों पर बनी हुई हैं। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की सकल ऋण हानि वाली परिसंपत्तियां (एनपीए) (चरण-III) ₹ 20,349 करोड़ थी, जो सकल ऋण परिसंपत्ति का 7.24 % था और कंपनी की निवल ऋण हानि वाली परिसंपत्तियां (एनपीए) (चरण-III) ₹ 10,650 करोड़ थीं जो निवल ऋण परिसंपत्ति का 3.79 % थी।

स्वतंत्र आधार पर आरईसी की प्रचालन संबंधी आय वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 25,309.72 करोड़ थी जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह ₹22,454.62 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कर पूर्व लाभ ₹ 8,100.50 करोड़ था जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह ₹ 5,884.15 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निवल लाभ तथा कुल व्यापक आय क्रमशः ₹ 5,763.72 करोड़ और ₹ 5,703.18 करोड़ थी जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में वह ₹ 4,419.89 करोड़ और ₹ 4,424.13 करोड़ थी। इसके अलावा, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, आरईसी की निवल पूंजी ₹ 34,302.94 करोड़ थी जो 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 32,303.15 करोड़ की निवल पूंजी से 6 % अधिक थी।

प्रमुख वित्तीय अनुपात

सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) (संशोधन) नियमावली, 2018 के अनुसार, कंपनी के प्रमुख वित्तीय अनुपातों में परिवर्तनों के ब्यौरे यथालागू तथा जो उस क्षेत्र से अकेले विशिष्ट हैं जिनमें कंपनी प्रचालन करती है, नीचे दिए गए हैं:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
ऋणियों का कारोबार	कंपनी पर लागू नहीं	
मालसूची कारोबार	कंपनी पर लागू नहीं	
ब्याज कवरेज अनुपात	1.52	1.44
वर्तमान अनुपात	कंपनी पर लागू नहीं	
ऋण इक्विटी अनुपात	6.98	6.15
प्रचालनात्मक लाभ मार्जिन	31.88	26.15
निवल लाभ मार्जिन	22.74	19.67
सकल एनपीए	7.24	7.15
निवल एनपीए	3.79	3.61

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निवल मूल्य पर कंपनी की आय पिछले वित्तीय वर्ष में 14.06 % की तुलना में 17.31 % थी जो पूर्व वर्ष की तुलना में 23.12 % की वृद्धि दर्शाता है। निवल मूल्य में आय में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान लाभ में 30 % की अधिक वृद्धि (वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निवल लाभ ₹ 5,763.72 करोड़ था जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 4,419.89 करोड़ था) थी जबकि वर्ष के दौरान कंपनी के निवल मूल्य में 6 % की कम वृद्धि थी (वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निवल मूल्य ₹ 34,302.94 करोड़ था जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ₹32,303.15 करोड़ था)। लाभ में वृद्धि मुख्य रुप से पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 2,297.12 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 240.33 करोड़ की राशि के हानि भत्ते के निमित्त कम प्रावधान के साथ वर्ष के दौरान कंपनी के ऋण बुक में 17 % तक की वृद्धि के कारण थी।

मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कुल कार्मिक शक्ति 487 कर्मचारियों की थी जिनमें 386 कर्मचारी कार्यपालक संवर्ग में और 101 कर्मचारी गैर-कार्यपालक संवर्ग में थे।

कंपनी अपने कर्मचारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने देश के भीतर और विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में अपने 203 कर्मचारियों को प्रायोजित किया। इन प्रयासों से कंपनी 893 प्रशिक्षण मानव दिवस हासिल करने में सक्षम रही। इसके अतिरिक्त, 19 कार्यपालकों को विदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। कंपनी अपने कर्मचारियों के समग्र हित के लिए समय-समय पर कर्मचारी नियुक्ति क्रियाकलाप तथा जीवन कौशल प्रशिक्षण भी आयोजित करती है।

कंपनी के औद्योगिक संबंध भी सौहार्दपूर्ण रहे। औद्योगिक अशांति के कारण मानव दिवसों की कोई हानि नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच नियमित वार्ताएं होती हैं जिससे विश्वास एवं सहयोग का वातावरण बढ़ता है।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास

आरईसी कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और संधारणीय विकास के लिए सक्रिय रुप से विभिन्न पहलें करती रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुसार तत्काल पूर्व के तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी के औसत निवल लाभ का 2 % की दर से सीएसआर के लिए ₹ 157.29 करोड़ का बजट आबंटित किया था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने हेल्थ केयर (वृद्धजनों तथा दिव्यांगों

सहित), पेयजल और स्वच्छता, कौशल विकास, शिक्षा, पर्यावरण संबंधी संधारणीयता, ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर पहलें कीं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, कंपनी ने विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के लिए कुल ₹ 158.72 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की थी और सीएसआर परियोजनाओं के निमित्त कुल संवितरण ₹ 103.39 करोड़ का था जिसके ब्यौरे इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनने वाली सीएसआर रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं।

कारोबार नीति

ई-वाहन, स्मार्ट उपस्करों/मीटरों, ऊर्जा दक्ष उपस्करों, उत्सर्जन नियंत्रण उपस्करों, ऊर्जा भंडारण समाधानों और 100 % घरों का विद्युतीकरण प्रदान करने जैसी नई प्रौद्योगिकियों और नई आवश्यकताओं के अविष्कार के आगमन से विद्युत क्षेत्र में पिछले कुछ वर्ष रुपांतरणीय रहे हैं। विद्युत क्षेत्र देश की सतत आर्थिक और कृषि वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर जोर तथा सार्वभौमिक घरों का विद्युतीकरण द्वारा संचालित आगामी वर्षों में पर्याप्त सुधार एवं वृद्धि के लिए तैयार है। आरईसी अपनी सहायक कंपनियों के साथ अपने विद्यमान प्रचालनों के क्षेत्र में आने वाले व्यापारिक अवसरों को लेने तथा विद्युत उपस्करों के विनिर्माण, विद्युत भंडार/चार्जिंग अवसंरचना, ऋण समूहन, अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए शुल्क आधारित परियोजना मूल्यांकन, व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण की लाइन आदि जैसे विद्युत क्षेत्र के नए क्षेत्रों में विविधीकरण करने के लिए सुस्थापित है।

उत्पादन स्तर पर, क्षेत्र के समक्ष विभिन्न नए व्यापारिक अवसर हैं, यथा - आगामी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को शक्तिशाली बनाना (सौर, पवन, लघु जल विद्युत, बायोमास), बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश, जो सरकार की नई जल विद्युत नीति के आलोक में वृद्धि दर्शाएगी, सोलर रुफटॉप परियोजनाओं और सोलर पार्कों में निवेश, कुसुम परियोजनाओं में निवेश (ग्रिड से जुड़े सौर विद्युत संयंत्र), विद्यमान तापीय विद्युत संयंत्रों का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण, पुराने विद्युत संयंत्रों को बदलना तथा प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों यथा एफजीडी (*फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन*) की संस्थापना आदि। आरईसी तापीय विद्युत केंद्रों को कोयले की दक्ष आपूर्ति के लिए समर्पित उच्च स्तरीय अवसंरचना का वित्तपोषण करने की भी सोच रहा है। कंपनी ने कोयला खानों के विकास के लिए प्रचालनों का वित्तपोषण पहले ही शुरू कर दिया है।

देश में पारेषण एवं वितरण परिदृश्य भी सभी उपभोक्ताओं की 24x7 विद्युत मांग पूरी करने के लिए अधिक सुदृढ़ता हेतु आगे बढ़ रहा है जिससे नेटवर्क अभिवृद्धि/वृद्धि, भूमिगत केबलिंग, स्मार्ट मीटर/उपस्कर, एएमआई/एएमआर अवसंरचना और स्मार्ट ग्रिड में नए निवेश की आवश्यकता होगी। प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली (टीबीसीबी) मार्ग के तहत समर्पित ग्रीन कॉरीडोरों और नए नेटवर्क के सृजन के लिए विनिवेश की आवश्यकता होगी। उपभोक्ता स्तर पर, सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण को शामिल करते हुए सरकार की सौभाग्य योजना की सफलता को देखते हुए विद्युत के लिए और अधिक अंतर्निहित मांग सृजित की जाएगी।

आगामी व्यापारिक अवसरों को लेने और अपने दावेदारों के लिए आय अधिकतम करने हेतु आरईसी केएफडब्ल्यू, विश्व बैंक, आईएफसी, एशियन डेवलेपमेंट बैंक, एसडीएफ आदि सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, बहुविध विकास संगठनों के साथ निकटता से व्यावसायिक भागीदारी बना रहा है। इससे कंपनी प्रतिस्पर्द्धी दरों पर संसाधन जुटाने और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों के अनुरुप होने में भी सक्षम होगा। आगामी वर्षों में आरईसी देश में और इससे बाहर विद्युत क्षेत्र के विकास के अग्रभाग में रहेगा।

जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क

कंपनी की एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संगठन के ऋण जोखिम, प्रचालन संबंधी जोखिम और बाजार संबंधी जोखिम शामिल हैं। कंपनी की एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) भी है। आरएमसी का मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उसकी मॉनीटरिंग करना और उसको कम करने के लिए कार्यवाही का सुझाव देना है।

ऋण जोखिम वित्तपोषण करने वाले उद्योग का एक अंतर्निहित जोखिम है। इसमें ऋण लेने वाले की ऋण गुणवत्ता में कमी से उत्पन्न होने वाली घाटे का जोखिम है और वह जोखिम भी है कि उधार लेने वाले ऋण अथवा अग्रिम राशि के अंतर्गत ठेका संबंधी पुनः भुगतान करने में गलती नहीं करेंगे। इस प्रकार के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से कंपनी एक सुव्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करता है जिसमें विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण जोखिम कम करने संबंधी उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, परियोजना से जुड़े जोखिमों की नियमित रुप से समीक्षा की जाती है और उसे परियोजना के विभिन्न जोखिम मानदंडों और अनुभवों के आधार पर अधिक, सामान्य अथवा कम के रुप में श्रेणीकृत किया जाता है।

दूसरी और प्रचालन संबंधी जोखिम अपर्याप्त अथवा असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों अथवा बाहरी घटनाओं से उत्पन्न होता है। आरईसी में प्रचालनात्मक जोखिमों को संगठन-व्यापक जोखिम श्रेणीकरण कार्यढांचे के माध्यम से "उच्च", "सामान्य" अथवा "कम" जोखिम श्रेणियों के रुप में मापा तथा श्रेणीकृत किया जाता है जिनमें आठ कार्य क्षेत्र अर्थात कारोबार, अनुपालन, वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, कानूनी, प्रचालन संबंधी और नीतिगत क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा, संगठन के बाजार के जोखिम, जिसमें बयाज दर जोखिम, तरलता जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम शामिल है, को कम करने के लिए कंपनी की एक परिसंपत्ति दायित्व प्रबंधन समिति और एक हैजिंग नीति है।

सचेतक टिप्पणी

'प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण' खंड में कतिपय कथन भावी दृष्टिकोण हो सकते हैं और लागू कानूनों तथा विनियमों की अपेक्षा के अनुसार उल्लेख किए गए हैं। कई कारणों से वास्तविक परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, जो भावी कार्य-निष्पादन और दृष्टिकोण के संबंध में प्रबंधन की परिकल्पना से भिन्न हो सकते हैं।

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुबंध-II

निगमित सुशासन पर रिपोर्ट

निगमित सुशासन सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाएं, सही अर्थों में कानून का अनुपालन और प्रभावी प्रबंधन तथा धन का वितरण और सभी स्टेकहोल्डरों के सतत विकास के लिए सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए नैतिक मानदंडो का पालन करने को लागू करते समय कारपोरेट निष्पक्षता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के बारे में हैं। नैतिकता से प्रेरित व्यापार प्रक्रियाएं दीर्घावधि व्यापार मूल्य सृजन और स्टेकहोल्डर के निरंतर विश्वास को बढ़ाने में प्रमुख विशेषताएं है। निगमित सुशासन की मूल भावना प्रबंधन और कंपनी के कार्यचालन के सभी क्षेत्रों में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जिम्मेदारी का संवर्धन करने और उसे बनाए रखने में है और इसमें आवश्यक रुप से कंपनी के स्टेकहोल्डरों के हितों का संतुलन बनाए रखना शामिल है।

हम आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" अथवा "कंपनी") में सर्वोत्तम अभिज्ञात निगमित सुशासन प्रथाओं और सतत रूप से इस प्रकार की प्रथाओं के विरुद्ध अपने क्रियाकलापों की बैंचमार्किंग को अपनाने में और उसका पालन करने में विश्वास करते हैं। हम दावेदारों को अपनी सफलता में भागीदार मानते हैं और हम दावेदारों का मूल्य अधिकतम करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, चाहे वे निवेशक, दावेदार, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, समुदाय, नीति निर्माता अथवा कर्मचारी हों।

आरईसी केवल कंपनी अधिनियम, 2013 तथा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीयन विनियम") के अंतर्गत निगमित सुशासन संबंधी अपेक्षा को ही पूरा नहीं करती, बल्कि लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, 2010 के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशा- निर्देशों, भारतीय कंपनी सचिव स्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानकों ("सचिवालयी मानक") का भी पालन करती है और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं तथा सांविधिक आवश्यकताओं से परे की अधिकतर अपेक्षाओं का पालन भी करती है। कंपनी सुनिश्चित करती है कि वह सेबी द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले सभी संशोधनों का पूर्णतः अनुपालन करे।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन में एक रिपोर्ट नीचे दी गई है और उसके बाद सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा निगमित सुशासन के संबंध में प्रमाण-पत्र दिया गया है।

1. निगमित सुशासन संबंधी कंपनी का दृष्टिकोण

आरईसी को पूर्ण रूप से यह विश्वास है कि ठोस निगमित सुशासन सफलता एवं संधारणीय आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक तत्व है। आरईसी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ अपने सभी स्टेकहोल्डरों, जिसमें ग्राहक, शेयरधारक, रेगुलेटर, कर्मचारी और आम जनता शामिल है, के लिए अपने प्रचालन करती है। मूल सिद्धांत जैसे स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, दायित्व, पारदर्शिता, स्वच्छ एवं समय पर प्रकटन, विश्वसनीयता, सततता आदि सही मायने में निगमित सुशासन के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए साधन के रूप में कार्य करते हैं। कंपनी की प्रणालियों, नीतियों और ढांचों का गतिशील बाहरी व्यापार परिवेश में तेजी से विकास करने की चुनौतियों का सामना करने के लिए नियमित रूप से समीक्षा एवं उन्नयन किया जाता है।

आरईसी के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक डॉ. पी. शकील अहमद, और श्री जे.एस. अमिताभ, कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव, लंदन में आयोजित 18वें वैश्विक सम्मेलन में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर प्रदत्त वर्ष 2018 का 'गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कारपोरेट गवर्नेंस' प्राप्त करते हुए।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी को निदेशक संस्थान (आईओडी) द्वारा वित्तीय सेवा (पीएसयू) श्रेणी में वर्ष 2018 के लिए 'गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉरपोरेट गवर्नेंस' से नवाजा गया है।

गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस विश्व भर में कॉरपोरेट उत्कृष्टता का मानदंड समझा जाता है।

आरईसी में निगमित सुशासन का कार्य-ढांचा निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित है:

- कानून, नियमों और विनियमों का सही अर्थ में अक्षरशः पालन करना;
- अपने समस्त दावेदारों के हितों की रक्षा, संवर्धन और सुरक्षा के लिए समुचित प्रणालियां और परिपाटियां अपनाना; और
- समस्त महत्वपूर्ण सूचना को पारदर्शी ढंग से और समय पर प्रकट करके विभिन्न दावेदारों के बीच विश्वास और भरोसे का वातावरण बनाना।

उपर्युक्त सिद्धांत निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं:

- शेयरधारक के मूल्य की रक्षा करना और उसमें वृद्धि करना;
- सभी अन्य स्टेकहोल्डरों जैसे ग्राहक, कर्मचारी और व्यापक रूप से समाज के हितों की रक्षा करना;
- पत्राचार में पारदर्शिता और निष्ठा सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित व्यक्तियों को पूर्ण, सटीक एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना;
- कार्य निष्पादन और ग्राहक की सेवा के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना; और
- अन्य को प्रेरित करने के लिए उच्चतम मानदंड वाला कारपोरेट नेतृत्व प्रदान करना।

2. निदेशक मण्डल

1. निदेशक मण्डल द्वारा नेतृत्व एवं मार्गदर्शन किया जाता है, उद्देश्यपरक निर्णय लिया जाता और है इसके साथ ही कंपनी के कार्यनीति संबंधी दिशा-निर्देशों को मॉनीटर किया जाता है। कंपनी का नेतृत्व एक कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी के निदेशक मण्डल में पद धारण करने वाले अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत था और इस वर्ष के दौरान पद धारण करने वाले सभी अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के पास पर्याप्त योग्यताएं, विशेषज्ञताएं और अनुभव हैं, जिससे वे कंपनी के प्रबंधन में प्रभावी योगदान देने में समर्थ हो सकते हैं। आरईसी के निदेशकों में अपेक्षित योग्यता, विशेषज्ञता और अनुभव है जो उन्हें कंपनी के व्यापार को कार्यक्षम रुप से प्रबंधित करने तथा बोर्ड और इसकी समितियों में प्रभावी योगदान करने में मदद करता है। इसके अलावा, बोर्ड के विचार से, स्वतंत्र निदेशक सूचियन विनियमों में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते है और प्रबंधन से स्वतंत्र है।

क) निदेशक मण्डल का गठन

यह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अभिप्राय से एक सरकारी कंपनी होने के नाते इसके निदेशक मण्डल में निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होगी।

वर्ष 2018-19 के दौरान, आरईसी के बोर्ड में कुछ बदलाव हुए जिसमें आरईसी के बोर्ड में श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त) को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाना; श्री ए. कृष्ण कुमार और प्रो. टी.टी. राम मोहन, स्वतंत्र निदेशकों की फिर से नियुक्ति; और डॉ बी.के. कराड की अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रुप में नियुक्ति शामिल है। दिनांक 17 जुलाई, 2018 को डॉ बी.के. कराड की नियुक्ति श्री अरुण सिंह के त्याग पत्र दिए जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति के विरुद्ध थी जो कंपनी के बोर्ड की संरचना सूचियन विनियमन, उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013, आईसीएसआई द्वारा जारी किए गए सचिवालयी मानदंडों और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, 2010 के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में थी।

इसके अलावा, दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार आरईसी के निदेशक बोर्ड की संरचना नीचे दिए गए अनुसार थी:

क्रम सं.		निदेशक की पहचान संख्या (डीआईएन)	पद
पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक)			
1.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	02231613	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) तथा निदेशक वित्त
2.	श्री संजीव कुमार गुप्ता	03464342	निदेशक (तकनीकी)
सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी निदेशक)			
3.	डॉ. अरुण कुमार वर्मा	02190047	सरकार द्वारा नामित निदेशक
अंशकालीन गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक			
4.	श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार	00871792	स्वतंत्र निदेशक
5.	प्रोफेसर तिरुचल्लूर थट्टई राममोहन	00008651	स्वतंत्र निदेशक
6.	श्रीमती आशा स्वरूप	00090902	स्वतंत्र निदेशक
7.	डॉ. भागवत किशनराव कराड	00998839	स्वतंत्र निदेशक

निदेशक मण्डल की संरचना में परिवर्तन:

1. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 6 जून, 2019 के अपने पत्र सं. 27-46/1/2018-आरई के माध्यम से तथा पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन लि. (पीएफसी) के साथ विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति के बीच किए गए शेयर खरीद करार के खंड 5.1 के संबंध में श्री प्रवीण कुमार सिंह (डीआईएन: 03548218) को दिनांक 18 जून, 2019 से आरईसी लि. के बोर्ड में पीएफसी के नामिती निदेशक के रुप में नियुक्त किया है।
2. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 6 मार्च, 2019 के अपने आदेश सं. 46/8/2011-आरई के माध्यम से श्री अजीत कुमार अग्रवाल, कंपनी के निदेशक (वित्त) को दिनांक 6 मार्च, 2019 से आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। डॉ. पी. वी. रमेश, आईएएस ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी का प्रभार त्याग दिया है और वे विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 5 मार्च, 2019 के आदेश सं. 46/8/2011-आरई के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में महानिदेशक के रुप में अपनी नियुक्ति के फलस्वरुप दिनांक 06 मार्च, 2019 से आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं रहे।
3. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के अपने आदेश सं. 20/6/2017-समन्वय के माध्यम से श्री ए. कृष्ण कुमार और प्रो.टी.टी. राम मोहन को उनके पूर्व के कार्यकाल के पूरा होने की तिथि से अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, एक वर्ष की अवधि के लिए आरईसी के बोर्ड में अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रुप में फिर से नियुक्त किया है।
4. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 17 जुलाई, 2018 के अपने आदेश सं. 20/6/2017-समन्वय के माध्यम से डॉ. भागवत किशनराव कराड (डीआईएन: 00998839) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, आरईसी के बोर्ड में उस रिक्ति के विरुद्ध गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रुप में नियुक्त किया है जो श्री अरुण सिंह, आरईसी के स्वतंत्र निदेशक के दिनांक 8 मार्च, 2018 से त्यागपत्र के कारण रिक्त हुई थी।

ख) निदेशक मण्डल और उनकी समितियों के बारे में अन्य उपबंध

(i) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों का विवरण

कंपनी, निदेशक मण्डल और इसकी समितियों द्वारा निर्णय लेने के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करती है। बैठक की तारीखें, आम तौर पर सभी निदेशकों के परामर्श और वर्ष के लिए पूर्व निर्धारित बैठक कैलेंडर के अनुसार तय की जाती हैं, ताकि उसकी बैठकों में निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। पूरी कार्यसूची और विस्तृत टिप्पणियां (*कीमतों से संबंधित संवेदनशील सूचना को छोड़कर, जो बैठक से पूर्व अलग से परिचालित की जाती हैं*) सामान्यत: निदेशक मण्डल की बैठकों के लिए अग्रिम तौर पर निदेशकों और उनकी समितियों को भेजी जाती हैं। विशिष्ट तात्कालिक व्यापारिक आवश्यकताओं को हल करने के लिए कभी-कभी बैठकें लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में अल्पावधि सूचना पर भी बुलाई जाती हैं और न्यूनतम नोटिस तथा कार्यसूची अवधि का पालन करने का प्रयास किया जाता है। कुछ मामलों में संकल्पों को परिचालित करके भी पारित किया जाता है, जिनकी अगली निदेशक मण्डल बैठक में पुष्टि की जाती है। निदेशक मण्डल/इसकी समितियों की बैठकों में चर्चा के लिए कार्यसूची में किसी भी मामले को शामिल करने के बारे में निर्णय कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक लेते हैं। निदेशक मण्डल एवं समितियों की बैठकों में चर्चा किए जा रहे मामलों के बारे में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रभागाध्यक्षों (एचओडी)/वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के अधिकारियों को भी बुलाया जाता है। यदि अपेक्षित होता है तो कार्यसूची की कुछ मदों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुति भी निदेशक मण्डल को दी जाती है। निदेशक मण्डल की बैठकें सामान्यत: कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, कार्यालय समय के दौरान आयोजित की जाती हैं। कंपनी, निदेशक मण्डल और शेयरधारकों की बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानकों का भी पालन कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी के निदेशक मण्डल की सोलह (16) बैठकें (i) 28 मई, 2018; (ii) 22 जून, 2018; (iii) 25 जुलाई, 2018; (iv) 1 सितंबर, 2018; (v) 14 सितंबर, 2018; (vi) 25 सितंबर 2018; (vii) 12 अक्टूबर 2018; (viii) 10 नवंबर, 2018; (ix) 05 दिसंबर, 2018; (x) 20 दिसंबर, 2018; और (xi) 04 जनवरी, 2019; (xii) 05 फरवरी, 2019; (xiii) 08 फरवरी, 2019; (xiv) 28 फरवरी, 2019; (xv) 06 मार्च, 2019; और (xvi) 20 मार्च, 2019 को आयोजित की गईं।

निदेशक मण्डल की दो बैठकों के बीच का न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रमश: दो (02) और सैंतीस (37) दिन था। प्रबंधन द्वारा निदेशक मण्डल को दी जाने वाली सूचना की मात्रा और गुणवत्ता सूचीयन विनियम की अनुसूची-II में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षा से अधिक होती है।

(ii) निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

निदेशक मण्डल की कंपनी में उपलब्ध सभी सूचनाओं तक पूरी पहुंच होती है। निदेशक मण्डल को नियमित रूप से सूचना दी जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें भी शामिल होती हैं:

1. वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट तथा कोई अन्य अद्यतन सूचना;
2. पूंजीगत बजट और अन्य अद्यतन सूचना;
3. निधियां जुटाने से संबंधित प्रस्ताव;
4. वित्तीय सहायता की संस्वीकृति के लिए प्रस्ताव;
5. कंपनी के तिमाही, छमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम और निदेशक मण्डल की रिपोर्ट आदि;
6. सभी संबंधित पक्षकार लेनदेन;
7. लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मण्डल की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त;
8. सहायक कंपनियों के निदेशक मण्डल की बैठकों के कार्यवृत्त;
9. मुख्य वित्त अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या उन्हें हटाए जाने सहित निदेशक मण्डल के स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक के संबंध में सूचना;
10. ऐसे कारण बताओ नोटिस, मांग, अभियोजन नोटिस और अर्थ दंड संबंधी नोटिस, जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं;
11. घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई अन्य महत्वपूर्ण निस्सारण या प्रदूषण संबंधी समस्या, यदि कोई हो;
12. कंपनी के प्रति या कंपनी द्वारा वित्तीय देयताओं में कोई महत्वपूर्ण चूक या कंपनी द्वारा बेचे गए माल के संबंध में बड़ी गैर-अदायगी;
13. कोई ऐसा मुद्दा, जिसमें सारभूत प्रकृति का संभावित सार्वजनिक या उत्पाद दायित्व शामिल हो, जिसमें ऐसा कोई न्यायनिर्णय या आदेश शामिल हो, जो कंपनी के आचरण के खिलाफ पारित किया गया हो अथवा किसी ऐसे अन्य उद्यम के बारे में लिया गया प्रतिकूल दृष्टिकोण हो, जिससे कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है;
14. किसी संयुक्त उद्यम या सहयोग करार का विवरण;
15. ऐसा लेनदेन, जिसमें गुडविल, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा के रूप में बड़ी अदायगी शामिल हो;
16. महत्वपूर्ण श्रम समस्या और उनका प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों में कोई महत्वपूर्ण गतिविधि जैसे श्रम करार पर हस्ताक्षर करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आदि का कार्यान्वयन;
17. निवेश, अनुषंगी कंपनियों/परिसंपत्तियों की महत्वपूर्ण प्रकृति की बिक्री, जो सामान्य कारोबार के अंतर्गत नहीं आती हो;
18. विदेशी मुद्रा प्रकटन के तिमाही विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर संचलन, यदि महत्वपूर्ण हो, के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई;
19. किसी विनियामक, सांविधिक या सूचीकरण अपेक्षाओं और शेयरधारकों की सेवा का अनुपालन न करना, जैसे लाभांश की अदायगी न करना, शेयर अंतरण में विलंब आदि, यदि कोई हो;
20. निवेश, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों का गठन, कार्यनीति संबंधी संधियां आदि;
21. अल्पकालिक अतिरिक्त निधि के निवेश संबंधी तिमाही रिपोर्ट;
22. शेयर पूंजी लेखापरीक्षा के लेखा समाधान विषयक निगमित सुशासन रिपोर्ट और निवेशकों की शिकायतों की स्थिति से संबंधित तिमाही अनुपालन रिपोर्ट;
23. विभिन्न लागू कानून के अनुपालन संबंधी तिमाही रिपोर्ट;
24. उधारी और प्रतिदान से संबंधित तिमाही रिपोर्ट;
25. दीर्घकालिक निधियों के निवेश संबंधी छमाही रिपोर्ट;
26. निदेशक मण्डल के पूर्व के विचार-विमर्श/चर्चाओं/सुझावों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट;
27. उचित प्रथा कोड के अनुपालन संबंधी छमाही रिपोर्ट;
28. कंपनी के अधिकारों का प्रत्यायोजन के अंतर्गत आवधिक रिपोर्ट;
29. कंपनी की मुखबिर नीति के अनुपालन संबंधी तिमाही रिपोर्ट;
30. कोई अन्य सूचना, जिसे सूचना या अनुमोदन के लिए निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो।

(iii) वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल बैठकों की तथा वार्षिक आम बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे (वास्तविक रूप से अथवा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से) अन्य निदेशकों की संख्या/समिति के सदस्यों की संख्या:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	निदेशक मण्डल की बैठकें		पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति (25 सितंबर, 2018 को आयोजित)	31 मार्च 2019			
			उपस्थित हुए	उपस्थिति का प्रतिशत		अन्य संस्थाओं की संख्या	अन्य समितियों के सदस्यगण की संख्या		अन्य सूचीबद्ध एंटिटी में धारित निदेशक पदऔर निदेशक पद की श्रेणी*
							अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में	
1.	डॉ. पी. वी. रमेश	14	14	100	उपस्थित	-	-	-	-
2.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	16	16	100	उपस्थित	3	शून्य	शून्य	1. इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (नामित निदेशक)
3.	श्री संजीव कुमार गुप्ता	16	15	93.75	उपस्थित	2	शून्य	शून्य	-
4.	डॉ. अरुण कुमार वर्मा	16	12	75	उपस्थित	2	शून्य	शून्य	1. पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (नामित निदेशक) ; तथा 2. पीटीसी इंडिया लिमिटेड (नामित निदेशक)
5.	श्री ए. कृष्ण कुमार	16	15	93.75	उपस्थित	6	1	1	1.सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (निदेशक) तथा 2. आंध्रा बैंक (शेयरधारकों के निदेशक)
6.	प्रो. टी. टी. राममोहन	16	13	81.25	अनुपस्थित	3	शून्य	2	1. इंडस्इंड बैंक लिमिटेड (निदेशक)
7.	श्रीमती आशा स्वरूप	16	15	93.75	उपस्थित	1	शून्य	शून्य	-
8.	डॉ भागवत किशनराव कराड	14	14	100	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य	-

डॉ. पी वी रमेश दिनांक 6 मार्च, 2019 से आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं रहे और श्री अजीत कुमार अग्रवाल को उस तिथि से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

* सूचीबद्ध कंपनियों का ब्यौरा जहां आरईसी के निदेशक सूचीयन विनियमावली के विनियम 34 और अनुसूची V के संदर्भ में निदेशक की श्रेणी और निदेशक के रुप में पद धारण करते हैं।

समिति की सदस्यता की संख्या, अध्यक्षता/लेखा परीक्षा समिति में सदस्यता तथा भारतीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (आरईसी को छोड़कर) में स्टेकहोल्डर संबंध समिति की गणना करने के लिए सूचीयन विनियमावली के विनियम 26 के अनुरूप विचार किया गया है और कोई भी निदेशक भारतीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के दस (10) निदेशक मण्डल स्तरीय समितियों से अधिक के सदस्य नहीं है और न ही वे इस प्रकार की कंपनियों की पांच (5) समितियों से अधिक के अध्यक्ष हैं।

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 91(iv) के प्रावधानों के अनुसार श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त) कंपनी की 50वीं वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते उन्होंने स्वयं की पुनः नियुक्ति की पेशकश की है।

(v) 31 मार्च, 2019 के अनुसार निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है और कंपनी के किसी भी गैर-कार्यपालक निदेशक के पास कोई शेयर अथवा कंपनी में परिवर्तनीय दस्तावेज नहीं हैं।

(vi) **प्रमुख बोर्ड कौशल, विशेषज्ञता, कार्यक्षमता और गुणः**

आरईसी के बोर्ड में योग्य सदस्य, जो अपेक्षित कौशल, कार्यक्षमता और विशेषज्ञता ला सकते हैं जो उन्हें बोर्ड अथवा इसकी समितियों में प्रभावी योगदान करने में सहायता प्रदान करती है, शामिल हैं। बोर्ड के सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आरईसी निगमित सुशासन के उच्चतम मानदंडो का पालन करता है।

व्यापार और विद्युत क्षेत्र के अति सूक्ष्म अंतरों पर विचार करते हुए बोर्ड ने निम्नलिखित प्रमुख कौशलों, विशेषज्ञता, कार्यक्षमता और गुणों की पहचान की है जो इसे प्रभावी रुप से कार्य करने में सक्षम बनाता हो:

निदेशक की योग्यताओं का मानदंड	
वित्तीय प्रबंधन	वित्तीय क्रियाकलापों की योजना बनाना, आयोजन करना, निर्देश देना और नियंत्रित करना जिसमें निधियों का संग्रहण और उपयोग, वित्तीय लेखांकन और प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, वित्तीय योजना, धन की उपलब्धता एवं निधि का प्रबंधन, कार्यशील पूंजी का प्रबंधन, कोष एवं विदेशी विनिमय प्रबंधन, कर आयोजना और वित्तीय संस्थाओं के साथ समन्वय करना आदि शामिल है।
विद्युत क्षेत्र की विशेषज्ञता	प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि और बिजली के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न कारकों तथा भारत एवं विदेश में विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों/पहलुओं/ अति सूक्ष्म अंतरों की गहरी सूझ-बूझ, प्रौद्योगिकीय प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान लगाने, हानिकारक अभिनवता को सृजित करने और नए बिजनेस मॉडल का विस्तार करने अथवा सृजित करने का ज्ञान।
परियोजना मूल्यांकन	इस तथ्य का निदान करने के लिए किसी परियोजना के अपनी ही मानदंडों, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक, पर्यावरण से संबंधित, वित्तीय और अन्य ऐसे पहलुओं, यदि ये अपने लक्ष्यों को पूरा करते हों, की व्यवस्थित एवं व्यापक समीक्षा।
कॉरपोरेट रणनीति और योजना	प्रबंधन क्रियाकलाप जिनका उपयोग प्राथमिकताएं तय करने, ऊर्जा और संस्थानों पर ध्यान केन्द्रित करने, प्रचालनों को सुदृढ़ बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कर्मचारी और अन्य स्टेकहोल्डर निर्धारित परिणामों पर करार स्थापित कर सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तथा बदलते हुए परिवेश की प्रतिक्रिया में संगठन की दिशा का आकलन करते हैं और उसका समायोजन करते हैं।
जोखिम प्रबंधन	प्रचालन संबंधी जोखिम, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, ब्याज दर, तरलता, विदेशी मुद्रा और अन्य वित्तीय जोखिमों का उन प्रक्रियाओं की पहचान के साथ-साथ पूर्वानुमान और मूल्यांकन करना जिससे कि उनके प्रभाव से बचा जा सके अथवा उसे न्यूनतम किया जा सके। किन्हीं संभावित खतरों की पहचान करना जो निवेश/वित्तपोषण की प्रक्रिया के दौरान हो सकते हैं तथा उन्हें कम करना।
नेतृत्व	एक स्पष्ट दृष्टिकोण स्थापित करने, मार्ग दर्शन और ज्ञान तथा पद्धतियां उस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराना और इसमें लक्ष्य निर्धारित करना एवं प्राप्त करना, संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करना शामिल है, के लिए विस्तारित नेतृत्व अनुभव।
बोर्ड की प्रथाएं और शासन	किसी सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में सेवा अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों, बैंको और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में जिम्मेदार पदों को धारित करना। कंपनी का बोर्ड उस सूझ-बूझ को विकसित करेगा जो बोर्ड और प्रबंधन के दायित्व को बनाए रखने में, शेयरहोल्डरों के हितों को संरक्षण प्रदान करने और उपयुक्त शासन प्रथाओं का अनुपालन करने के बारे में
कारोबार का विकास	बिजनेस और बाजार हिस्से में वृद्धि करने, ब्रांड के संबंध में जागरूकता पैदा करने और ऋण लेने वाले/निवेशकों, बाजारों और अन्य सभी स्टेकहोल्डरों के लिए दीर्घावधि मूल्य का सृजन करने के लिए कारपोरेट की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए नीतियों का विकास करने में अनुभव

नीचे दी गई तालिका में, अलग अलग बोर्ड सदस्य के विशेषज्ञता अथवा ध्यान के विशिष्ट क्षेत्रों को बताया गया है। हालांकि, किसी सदस्य के नाम के सामने कोई चिन्ह न होने का आवश्यक रुप से यह मतलब नहीं होता है कि उस सदस्य के पास सदृश कौशल अथवा विशेषज्ञता नहीं है:

निदेशक मण्डल स्तर की प्रमुख योग्यता								
निदेशक के नाम	विशेषज्ञता का क्षेत्र							
	वित्तीय प्रबंधन	विद्युत क्षेत्र के डोमेन विशेषज्ञ	परियोजना अ	कारपोरेट योजना और रणनीति	जोखिम प्रबंधन	नेतृत्व	बोर्ड प्रैक्टिस एंड गवर्नेंस	कारोबार विकास
श्री अजीत कुमार अग्रवाल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री संजीव कुमार गुप्ता	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
डॉ अरुण कुमार वर्मा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री ए. कृष्ण कुमार	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
प्रोफेसर टी. टी. राम मोहन	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्रीमती आशा स्वरूप	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
डॉ भागवत किशनराव कराड	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
श्री प्रवीण कुमार सिंह	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓

3. निदेशक मण्डल की समितियां

निदेशक मण्डल या तो पूर्ण निदेशक मण्डल के रूप में कार्य करता है अथवा गठित की गई विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है, ताकि वह विशिष्ट प्रचालनात्मक क्षेत्रों का पर्यवेक्षण कर सके। निदेशक मण्डल की प्रत्येक समिति का मार्गदर्शन विचारार्थ विषयों द्वारा किया जाता है, जिनमें समिति का गठन, कार्यक्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित किया जाता है। इन समितियों की बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं और इनका ध्यान विशिष्ट क्षेत्र पर होता है और वे उन्हें प्रत्यायोजित अधिकार के अंतर्गत अपने निर्णयों की सूचना देते हैं। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, निदेशक मण्डल की निम्नलिखित समितियां हैं:

1. लेखापरीक्षा समिति;
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति;
3. स्टेकहोल्डर संबंधित समिति;
4. जोखिम प्रबंधन समिति;
5. कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति;
6. ऋण समिति;
7. कार्यकारी समिति;
8. आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप-समिति; और
9. अतिरिक्त निधियों के निवेश / परिनियोजन संबंधी समिति।

सभी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त, कंपनी के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के अनुच्छेद 105 के संदर्भ में टिप्पणियाँ, निदेशक मण्डल की बैठक संबंधी सचिवालयी मानक और अन्य लागू सांविधिक अपेक्षाओं को निदेशक मण्डल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

(i) 31 मार्च, 2019 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति का गठन इस प्रकार था:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों/उपस्थित सदस्यों के नाम	समिति में पद	बैठकों की संख्या			25 सितंबर, 2018 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
			निदेशक के कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित हुए	उपस्थिति का प्रतिशत	
1.	श्री ए. कृष्ण कुमार, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	7	7	100	हां
2.	प्रोफेसर टी.टी. राममोहन, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	7	6	85.71	नहीं
3.	श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	7	7	100	हां
4.	श्रीमती आशा स्वरूप, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	7	6	85.71	हाँ
5.	डॉ भागवत किशनराव कराड * स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य (08 अक्तूबर, 2018 से)	3	3	100	हाँ

*17 जुलाई, 2018 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त।

लेखा परीक्षा समिति के लिए कोरम या तो दो सदस्य अथवा लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों का एक तिहाई, इसमें से जो भी अधिक हो, होगा और इसमें कम से दो स्वतंत्र निदेशक होंगे। इसके अलावा, निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिनिधियों को लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के लिए आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

(ii) लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार है:

क) समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी (निदेशक मण्डल की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार अपेक्षाओं का पालन करना;

ख) समय-समय पर यथासंशोधित सूचीयन विनियमन में यथापरिकल्पित लेखापरीक्षा समिति से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन करना;

ग) समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी उद्यम विभाग द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, 2010 के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना;

घ) लेखापरीक्षा समिति से संबंधित समय-समय पर यथासंशोधित अन्य लागू उपबंधों का अनुपालन करना।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की सात (7) बैठकें (i) 28 मई, 2018; (ii) 25 जुलाई, 2018; (iii) 31 अगस्त, 2018; (iv) 14 सितंबर 2018; (v) 12 अक्टूबर, 2018; (vi) 05 दिसंबर 2018; और (vii) 08 फरवरी, 2019 को आयोजित की गई थीं। किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल एक सौ बीस दिनों से अधिक नहीं था।

अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति को लेखाकरण और वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता प्राप्त है और लेखापरीक्षा समिति के अन्य सदस्यों को वित्तीय मामलों की अच्छी जानकारी है। इसके अलावा, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष शेयरधारक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 25 सितंबर, 2018 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक, प्रकार्यात्मक निदेशकों और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्धारण कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रकार्यात्मक निदेशकों और कंपनी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक सरकारी उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले

दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क की अदायगी की जाती है। यह अदायगी कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित सीमा के अंदर ही निदेशक मण्डल और समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशक मण्डल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है। भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार, सरकार द्वारा नामित निदेशक, कंपनी से कोई पारिश्रमिक/बैठक में उपस्थित होने का शुल्क प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन सेबी सूचीयन विनियमावली के विनियम 19 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के अनुरूप है।

आरईसी के लिए विचारार्थ विषय जिस सीमा तक लागू होते हैं, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन के विचारार्थ मुद्दे नीचे दिए गए हैं:

क) समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी (निदेशक मण्डल की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार अपेक्षाओं का पालन करना;

ख) समय-समय पर यथासंशोधित सूचीयन विनियमन में यथापरिकल्पित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन करना;

ग) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशा-निर्देश, 2010 का पालन करना, जिसमें वार्षिक बोनस की मात्रा, परिवर्तनशील वेतन और ईएसओपी योजना की नीति, पेंशन योजना आदि के संबंध में निर्णय लेना भी शामिल है। यह निर्णय समय-समय पर यथासंशोधित लोक उद्यम विभाग द्वारा अधिसूचित पूर्णकालिक निदेशकों, कार्यपालकों और गैर-संगठित पर्यवेक्षकों के संबंध में किया जाएगा।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 05 जून, 2015 की अधिसूचना के जरिए स्वतंत्र निदेशकों की योग्यता के निर्धारण, सकारात्मक निर्णय संबंधी मापदंडों को तैयार करने से संबंधित अपेक्षाओं और निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति के संबंध में सरकारी कंपनियों को छूट प्रदान की है।

इसके अतिरिक्त, एमसीए ने 05 जुलाई, 2017 की अधिसूचना द्वारा यह निर्धारित किया कि स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन की समीक्षा करने से संबंधित प्रावधान तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV में निर्धारित मूल्यांकन तंत्र भी सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी के गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय/लोक उद्यम विभाग द्वारा उनके आंतरिक दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया था।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन इस प्रकार है:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	समिति में पद	बैठकों की संख्या		
			निदेशक के कार्यकाल में आयोजित	उपस्थिति	उपस्थिति का प्रतिशत
1.	प्रोफेसर टी.टी. राममोहन, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	1	1	100
2.	श्री ए. कृष्ण कुमार, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1	1	100
3.	श्रीमती आशा स्वरूप, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1	1	100
4.	डॉ बी. के. कराड, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (01 सितंबर, 2018 से प्रभावी)	1	1	100

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के कोरम में समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्य होते हैं। निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) /महाप्रबंधक (मानव संसाधन) को नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों में स्थायी रूप से बुलाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की एक (01) बैठकें 10 नवंबर, 2018 को आयोजित की गई थीं।

वित्तीय वर्ष 20180-19 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को अदा किए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	नाम और पदनाम	वेतन और भत्ते	कार्य-निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन*	अनुलब्धियां	फॉर्म 16 में शामिल अन्य लाभ#	छुट्टी नकदीकरण	सीपीएफ अंशदान	पेंशन निधि अंशदान	कुल ^
1.	डॉ. पी वी रमेश, (6 मार्च, 2019 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं रहे)	29,34,000	0	0	6,942	0	0	0	29,40,942
2.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) तथा निदेशक (वित्त)	53,89,851	10,65,611	9,47,152	65,720	0	3,94,478	3,20,459	81,83,271
3.	श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)	53,69,685	10,66,138	10,62,656	30,799	0	3,93,946	3,20,189	82,43,413
4.	श्री जे. एस. अमिताभ, कंपनी सचिव	55,58,901	5,89,385	1,77,168	22,897	0	3,78,433	3,07,045	70,33,829

वित्तीय वर्ष 2018-19 में, पेंशन अंशदान एनपीएस खाते में जमा किया गया और इस कारण नियोक्ता पेंशन अंशदान फार्म 16 में 17(1) के अंतर्गत वेतन का हिस्सा है।

* कार्य-निष्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन, लोक उद्यम विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार भुगतान किया जाता है।

\# यूनिफॉर्म, मनोरंजन, बिजली, पानी और सहायक प्रभार के लिए प्रतिपूर्ति शामिल नहीं हैं और चिकत्सा व्यय/प्रतिपूर्ति से छूट प्राप्त है।

^ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 से भत्तों को छूट मिली हुई है और वास्तविक एक्चुरियल आधार पर आरईसी के ग्रेच्युटी फंड में कर्मचारी का अंशदान शामिल नहीं है।

स्वतंत्र और सरकार द्वारा नामित निदेशकों का पारिश्रमिक

स्वतंत्र निदेशकों को 28 मई, 2013 को आयोजित निदेशक मण्डल की 395वीं बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार, निदेशक मण्डल की प्रत्येक बैठक और उसकी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए ' 20,000/- की दर से बैठक शुल्क अदा किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित सीमा के अंदर है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क (जीएसटी छोड़कर) के निमित्त किए गए भुगतानों का विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		कुल
		निदेशक मण्डल की बैठकें	समिति की बैठक	
1.	श्री ए. कृष्ण कुमार	3,00,000	4,40,000	7,40,000
2.	प्रोफेसर टी. टी. राममोहन	2,60,000	3,00,000	5,60,000
3.	श्रीमती आशा स्वरूप	3,00,000	3,60,000	6,60,000
4.	डॉ बी. के. कराड	2,80,000	1,40,000	4,20,000
	कुल	11,40,000	12,40,000	23,80,000

सरकार द्वारा नामित निदेशक कंपनी से किसी पारिश्रमिक/बैठक शुल्क लेने के हकदार नहीं हैं।

उपर्युक्त के अलावा, स्वतंत्र और सरकार द्वारा नामित निदेशकों के इस कंपनी के साथ कोई महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं हैं सिवाय उस सीमा के कि जिस सीमा तक इनको एयर टिकट, होटल में रहने, वाहन भाड़े पर लेने, पॉकेट खर्च और स्थानीय परिवहन की प्रतिपूर्ति निदेशक मण्डल और इसकी समितियों में भाग लेने के संबंध में की गई हो।

3.3 स्टेकहोल्डर संबंध समिति

कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों, सूचीयन विनियमावली के विनियम 20 के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, स्टेकहोल्डर संबंध समिति का गठन किया है। यह समिति कंपनी द्वारा जारी डिबेंचर पर ब्याज, वार्षिक रिपोर्ट, शेयरों का अंतरण अथवा डिबेंचर का अंतरण, डुप्लीकेट शेयर/डिबेंचर प्रमाण-पत्र जारी करने, अंतरण से संबंधित मामलों, पारेषण, रिमैटेरियलाइजेशन, डिमैटेरियलाइजेशन, सिक्योरिटी की स्पिलिटिंग और कंसोलिडेशन प्राप्त न होने, लाभांश क्रेडिट/वारंट प्राप्त न होने जैसे शेयरधारकों, डिबेंचर होल्डरों आदि सहित विभिन्न प्रतिभूतिधारकों से शिकायतों के समाधान की विशेष रूप से जांच करती है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, स्टेकहोल्डर संबंध समिति का गठन नीचे दिए गए अनुसार किया गया है:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	समिति में पद	बैठकों की संख्या	
			निदेशक के कार्यकाल में आयोजित	उपस्थिति
1	श्री ए. कृष्ण कुमार, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	4	4
2	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)	सदस्य	4	3
3	श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	4	4

स्टेकहोल्डर संबंध समिति की बैठक के कोरम में दो सदस्य होते हैं, जिनमें समिति के अध्यक्ष भी शामिल हैं।

इसके अलावा, कंपनी द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आर एंड टीए) के प्रतिनिधि स्टेकहोल्डर संबंध समिति की बैठकों में नियमित रूप से आमंत्रित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान शेयरधारकों/निवेशकों की लंबित शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए स्टेकहोल्डर संबंध समिति तथा सुरक्षाधारकों के हित के विभिन्न अन्य पहलूओं की 4 (चार) बैठकें (i) 28 मई, 2018; (ii) 14 सितंबर 2018; (iii) 05 दिसंबर, 2018; और (iv) 08 फरवरी, 2019 को आयोजित की गईं।

श्री जे. एस. अमिताभ, कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव सूचीयन विनियमन के अनुसार कंपनी के अनुपालन अधिकारी हैं। स्टेकहोल्डर संबंध समिति के अध्यक्ष 25 सितंबर, 2018 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों की स्थिति

सभी निवेशकों की शिकायतों का तत्परता से समाधान करने के लिए, कंपनी ने निवेशक की शिकायतों का समाधान करने के लिए तीन स्तरीय तंत्र स्थापित किया है अर्थात अलग-अलग रजिस्ट्रार से सहायत सेवा, इन हाउस निवेशक सेल और स्टेकहोल्डर संबंध समिति द्वारा प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और उसके फलस्वरूप सभी शिकायतों का समय पर समाधान हुआ है।

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने एससीओआरईएस (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) नामक एक वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की है जिसके माध्यम से निवेशक अपनी शिकायतों के बारे में कंपनी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रत्येक शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन देखा जा सकता है और निवेशक शिकायतों के लिए अनुस्मारक भेज सकते हैं। इसके अलावा, इस प्रणाली के माध्यम से निवेशक इन शिकायतों की स्थिति की जांच करने में सक्षम होते हैं अर्थात यह शिकायत किसके पास लंबित है, किस पर जिम्मेदारी तय की गई है और यह शिकायत कितने समय से लंबित है। कोई भी निवेशक, जो स्कोर्स से परिचित नहीं है अथवा जिसकी पहुँच स्कोर्स तक नहीं हो पाती है, लिखित रूप में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

कंपनी सभी निवेशकों की शिकायतों का तेजी से और तत्परता से स्टेकहोल्डर की संतुष्टि के अनुसार समाधान करती रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सूचीयन विनियमन के विनियम 13(3) के अनुसरण में, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों की स्थिति नीचे दी गई है:

विवरण	शिकायतों की संख्या
वित्तीय वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतें	0
वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	2390
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	2388
31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार अनिर्णीत शिकायतें	2*

* इन शिकायतों के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) सेबी द्वारा 02 अप्रैल, 2019 तक प्रस्तुत की गई थी।

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए सूचीयन विनियमावली के विनियम 21 के प्रावधानों के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य संभावित रूप से उत्पन्न होने वाले विभिन्न जोखिमों की मॉनीटरिंग करना और जोखिम प्रबंधन नीतियों एवं कंपनी द्वारा अपनाई गई परिपाटियों की समीक्षा करना तथा कंपनी के प्रचालन और अन्य संबंधित मामलों में उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई करना है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना नीचे दिए गए अनुसार थी:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	समिति में पद	बैठकों की संख्या	
			निदेशक के कार्यकाल में आयोजित	उपस्थिति
1.	श्रीमती आशा स्वरूप, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	2	2
2.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)	सदस्य	2	2
3.	श्री एस.के. संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	2	2
4.	डॉ बी. के. कराड, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (01 सितंबर, 2018 से)	2	2

वित्त प्रभाग (रिसोर्स मोबलाइजेशन) और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रभाग के प्रचालन प्रमुख को जोखिम समिति की बैठक में नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 05 दिसंबर, 2018 और 20 मार्च, 2019 को जोखिम प्रबंधन समिति की दो (2) बैठकें आयोजित की गईं।

3.5 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और संपोषणीयता संबंधी दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसार कंपनी के निदेशक मण्डल ने 'कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी समिति' का गठन किया है और इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार है:

क) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी नीति को तैयार करना और उसकी निदेशक मण्डल से सिफारिश करना, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथाविनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा चलाए जाने वाले क्रियाकलापों को दर्शाएगा;

ख) समय-समय पर कंपनी की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी नीति की मॉनीटरिंग करना;

ग) खंड (क) में उल्लिखित क्रियाकलापों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना;

घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की सीमा के अंतर्गत आने वाले कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी परियोजनाओं/कार्यक्रमों/प्रस्तावों की सिफारिश/समीक्षा करना;

ङ) कंपनी द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी परियोजनाओं/कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के कार्यान्वयन हेतु एक पारदर्शी मॉनीटरिंग तंत्र स्थापित करना;

च) कंपनी की सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों पर कार्यनीतियां तैयार करने में निदेशक मण्डल की सहायता करना;

छ) उत्तरदायित्व संबंधी विवरण देने के साथ-साथ नियमों में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी क्रियाकलापों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट की विषय-वस्तु को अनुमोदित करना, जो कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी कंपनी के उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में हों;

ज) रिपोर्टों को आवधिक रूप से निदेशक मण्डल को उनकी जानकारी, विचारण एवं आवश्यक निर्देशन हेतु प्रस्तुत करना; और

झ) समय-समय पर यथासंशोधित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन इस प्रकार था:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	समिति में पद	बैठकों की संख्या	
			निदेशक के कार्यकाल में आयोजित	उपस्थिति
1	श्री टी. टी. राममोहन, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	8	7
2	श्री ए. कृष्ण कुमार, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	8	7
3	श्रीमती आशा स्वरूप, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	8	8
4	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, सीएमडी और निदेशक (वित्त)	सदस्य	8	7
5	श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	8	8

कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी समिति की बैठक का कोरम दो सदस्यों का है, जिसमें समिति के अध्यक्ष शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की आठ (8) बैठकें (i) 28 मई, 2018; (ii) 25 जुलाई, 2018; (iii) 31 अगस्त, 2018; (iv) 10 नवंबर, 2018; (v) 08, फरवरी, 2019; (vi) 28 फरवरी, 2019; और (vii) 20 मार्च, 2019 को आयोजित की गईं।

3.6 ऋण समिति

निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अंतर्गत रुपए के आवधिक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए निदेशकों की ऋण समिति का गठन किया गया है:

कंपनी का प्रकार	व्यक्तिगत योजना/ परियोजना के लिए सीमा	एक वित्तीय वर्ष में कुल वार्षिक सीमा *
केंद्र/राज्य सरकार की विद्युत यूटिलिटियों या केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	₹ 500 करोड़ तक	₹ 30,000 करोड़
निजी क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियां	₹ 500 करोड़ तक	₹ 10,000 करोड़

* कंपनी के निदेशक बोर्ड ने 10 नवम्बर, 2018 से समग्र संस्वीकृति सीमा बढ़ा दी है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, इस ऋण समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3	डॉ. अरुण कुमार वर्मा	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

ऋण समिति की बैठकों का कोरम तीन सदस्यों का है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सरकार द्वारा नामित निदेशक भी शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इस ऋण समिति की चार (04) बैठकें (i) 19 अप्रैल 2018; (ii) 22 जून, 2018; (iii) 07 सितंबर, 2018; और (iv) 06 नवंबर, 2018; को आयोजित की गईं।

3.7 कार्यकारी समिति

निदेशकों की कायकारी समिति का गठन निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अंदर रुपए के आवधिक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए किया गया है:

कंपनी के प्रकार	व्यक्तिगत योजना/ परियोजना के लिए सीमा	एक वित्तीय वर्ष में कुल वार्षिक सीमा *
केंद्र/राज्य सरकार की विद्युत यूटिलिटियों या केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	₹ 150 करोड़ तक	₹ 25,000 करोड़
निजी क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियां	₹ 100 करोड़ तक	₹ 6,000 करोड़

* कंपनी के निदेशक बोर्ड ने 10 नवम्बर, 2018 से समग्र संस्वीकृति सीमा बढ़ा दी है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, इस कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

निदेशक मण्डल की कार्यकारी समिति का कोरम दो सदस्यों का है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कार्यकारी समिति की तेरह (13) बैठकें (i) 13 अप्रैल, 2018; (ii) 11 मई, 2018; (iii) 14 जून, 2018; (iv) 26 जून, 2018; (v) 19 जुलाई, 2018; (vi) 02 अगस्त, 2018; (vii) 28 अगस्त, 2018; (viii) 27 सितंबर, 2018; (ix) 22 अक्तूबर, 2018; (x) 19 नवंबर, 2018; (xi) 20 दिसंबर, 2018; (xii) 06 फरवरी, 2019 और (xiii) 27 फरवरी, 2019 को आयोजित की गई थीं।

3.8 आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप समिति

आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप समिति का गठन, अल्पकालिक ऋणें और आवधिक ऋणों के उधार देने की दरों की समीक्षा करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप समिति की बैठकों का कोरम दो सदस्य है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आवधिक ऋण/ अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप-समिति की (12) बैठकें (i) 04 अप्रैल, 2018; (ii) 28 मई, 2018; (iii) 14 जून, 2018; (iv) 10 जुलाई, 2018; (v) 17 जुलाई, 2018; (vi) 13 सितंबर, 2018; (vii) 22 अक्तूबर, 2018; (viii) 19 नवंबर, 2018; (ix) 20 दिसंबर, 2018; (x) 06 फरवरी, 2019; (xi) 12 फरवरी, 2019; (xii) 08 मार्च, 2019 को आयोजित की गई थीं।

3.9 अधिशेष निधियों के निवेश/नियोजन संबंधी समिति

अल्प अवधि अधिशेष निधियों के निवेश/नियोजन संबंधी समिति का गठन अतिरिक्त निधियों के निवेश के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2019 को अधिशेष निधियों के निवेश/नियोजन संबंधी समिति के निम्नलिखित सदस्य थे:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

इस समिति की बैठक का कोरम दो सदस्यों का है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं। आज की तारीख तक, यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी समय अधिकतम बकाया सीमा के अंदर म्युचुअल फंड में 1,000 करोड़ रुपए और उससे अधिक और सावधि जमा में 1,500 करोड़ रुपए और उससे अधिक का निवेश वाणिज्यिक पेपर/सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में एक बार में करने का अनुमोदन देने के लिए प्राधिकृत है।

इस समिति की बैठकें जब और जिस प्रकार से आपेक्षित हों, अल्पकाल की अतिरिक्त निधियों के निवेश/तैनाती के बारे में निर्णय लेने के लिए आयोजित की जाती हैं। हालांकि, इस समिति की कोई भी बैठक समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान नहीं की गई थी।

4. अन्य समितियां

निदेशक मण्डल द्वारा समय-समय पर गठित निदेशकों की समिति के अलावा, जैसा कि उपर्युक्त 3.1 से 3.9 में विस्तृत विवरण दिया गया है, कंपनी में एक आईटी नीति समिति एवं शेयर अंतरण समिति भी है ।

4.1 शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति में वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं और इस समिति का गठन शेयरधारकों से शेयरों को विभाजित करने/समेकित करने और

प्रत्येक मामले में 500 इक्विटी शेयर प्रति व्यक्ति से अधिक वास्तविक शेयरों के अंतरण और डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और उन्हें अनुमोदित करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2019 को शेयर अंतरण समिति के निम्नलिखित सदस्य थे:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम
1	श्री जे. एस. अमिताभ	कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव
2	श्री दलजीत सिंह खत्री	महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) - संसाधन

निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्रतिभूतियों के विभाजन/समेकन/अंतरण को सहज बनाने के लिए रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) को शेयरधारकों से प्रत्येक मामले में 500 इक्विटी शेयर प्रति व्यक्ति तक विभाजन/समेकन एवं वास्तविक शेयर के अंतरण हेतु प्राप्त अनुरोधों पर विचार और अनुमोदन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, इस समिति की एक बैठक इस संबंध में लागू सांविधिक अपेक्षाओं का पालन करने के बाद डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दिनांक 14 जून, 2018 को आयोजित की गई थी।

4.2 आईटी नीति समिति

आरईसी के बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के एनबीएफसी क्षेत्र की कंपनियों के लिए मुख्य निदेशों के अनुपालन में एक आईटी नीति समिति का गठन किया है जिसमें कंपनी के स्वतंत्र निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। आईटी नीति समिति का गठन आरईसी में आईटी ढांचे के कार्यान्वयन के लिए किया गया था। इस समिति की भूमिका में नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों का निर्धारण करने तथा आईटी संसाधनों की आपूर्ति और उपयोग के लिए उच्च स्तरीय निदेश देने तथा आईटी नीति एवं नीतिगत दस्तावेजों का अनुमोदन करने के लिए पद्धतियों की मॉनीटरिंग शामिल है।

इस समिति में आरईसी के एक स्वतंत्र निदेशक, मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ), मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) और बाहर के एक तकनीकी विशेषज्ञ के रुप में केपीएमजी के एक निदेशक/साझेदार स्तर के प्रतिनिधि शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, आईटी नीति समिति की दो (2) बैठकें (i) 28 मई, 2018 और (ii) 13 दिसम्बर, 2018 को आयोजित की गई थीं।

5. अनुषंगी कंपनियां

कंपनी के पास सूचीयन विनियमन के अंतर्गत यथा परिभाषित ''वास्तविक अनुषंगी'' नहीं है। कंपनी ने सूचीयन विनियमन के अंतर्गत यथा अपेक्षित अनुषंगी कंपनियों की वास्तविकता के संबंध में एक नीति विकसित की है और वह आरईसी की वेबसाइट http://www.recindia.nic.in/uploads/files/PolicyDeterminingMaterialSubsidiaries.pdf. में भी उपलब्ध है।

31 मार्च, 2019 के अनुसार कंपनी की निम्नलिखित गैर-सूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनियां हैं:

(i) आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) (सीआईएन: U40101DL2007GOI165779); तथा

(ii) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) (सीआईएन : U40101DL2007GOI157558)

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स् कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) समय-समय पर क्रमश: विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आबंटित स्वतंत्र अंतर्राज्यीय और अंतरा-राज्यीय पारेषण परियोजना के लिए शुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली (टीपीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाता के चयन के लिए ''बोली प्रक्रिया समन्वयक'' के रूप में कार्य करता है।

इसके अलावा, प्रत्येक स्वतंत्र अंतर्राज्यीय और अंत:राज्यीय पारेषण परियोजना का विकास करने के लिए आरईसीटीपीसीएल ने एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक प्रोजेक्टस विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वाहन (एसपीवी) को निगमित किया है और विद्युत मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित पारेषण परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के जरिए सफल बोलीदाता के चयन के बाद संबंधित परियोजना विशिष्ट एसपीवी को इसकी सभी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ सफल बोलीदाता के बाद चयन किए गए बोलीदाता को अंतरित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, आठ (8) एसपीवी शामिल थे तथा दो (2) एसपीवी सफल बोलीदाताओं को अंतरित की गई थीं।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, आरईसीटीपीसीएल के पास इसकी कुल स्वामित्व वाली अनषंगी कंपनियों के रूप में निम्नलिखित स्पेशल पर्पज वाइकल (एसपीवी) थे:

(i) दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: U40300DL2015GOI288066)

(ii) चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: U40108DL2018GOI330905)

(iii) कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: U40300DL2018GOI331192)

(iv) दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: U40300DL2018GOI331490)

(v) मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: U40101DL2018GOI331526)

(vi) भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन : U40300DL2018GOI338734)

(vii) उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशनलिमिटेड(सीआईएन : U40100DL2018GOI342365)

(viii) अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड(सीआईएन : U40101DL2019GOI347423)

(ix) जम खम्भालिया ट्रांस्को लिमिटेड(सीआईएन : U40105DL2019GOI347089)

(x) खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड(सीआईएन : U40100DL2019GOI347127)

(xi) लाकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड(सीआईएन : U40107DL2019GOI347428)

(xii) डब्ल्यूआरएसएस XXI (ए) ट्रांस्को लिमिटेड (सीआईएन : U40107DL2019GOI347713)

सभी अनुषंगी कंपनियों की निदेशक मण्डल की बैठकों का कार्यवृत्त सूचना के लिए कंपनी के निदेशक मण्डल के समक्ष रखा गया था। असूचीबद्ध सहायक कंपनियों, विशेष रूप से असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेश के संबंध में वित्तीय परिणामों की समीक्षा आरईसी के निवेशकों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई थी। आरईसी की सभी सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और उससे संबंधित सूचना कंपनी की वेबसाइट www.recindia.com पर ''सहायक कंपनियां'' शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध है।

6. आम सभा की बैठकें

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के विवरण नीचे दिए गए है:

बैठक सं.	वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया है
47वीं	2015-16	21 सितंबर, 2016	11.00 बजे पूर्वा.	वेटलिफ्टिंग ऑडिटोरियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोधी कालोनी, नई दिल्ली-110003	जी हां
48वीं	2016-17	21 सितंबर, 2017	11.00 बजे पूर्वा.	मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंटोनमेंट, नई दिल्ली-110010	जी हां
49वीं	2017-18	25 सितंबर, 2018	11.00 बजे पूर्वा.		जी हां

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशिष्ट संकल्प पारित नहीं किया गया था।

इसके अलावा, कंपनी भावी वार्षिक आम बैठकों में ई-मतदान की सुविधा प्रदान करती रहेगी ताकि शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें और 50वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में यथा उल्लिखित ई-मतदान के पोर्टल को सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार ऐसी अवधि के लिए खुला रखा जाएगा।अधिकाधिक शेयरहोल्डरों, जो दूर स्थानों पर फैले हुए है, की भागेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी द्वारा शेयरहोल्डरों को वन वे लाइव वेबकास्ट सुविधा भी उपलब्ध कराई गई जो उन्हें आरईसी की 50वीं वार्षिक आम बैठक की सीधी प्रक्रिया को देखने में सक्षम बनाएगा। वेबकास्ट के ब्यौरे का संदर्भ आरईसी की 50वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस से लिया जा सकता है

7. इलैक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा दस्तावेजों को भेजना

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनियों के दस्तावेजों यथा आम बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को सदस्यों के पंजीकृत पतों पर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक स्रोत से भेजने की अनुमति देता है, जो इन्हें प्रत्यक्ष रूप से भेजने के अलावा है।

एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में, आपकी कंपनी ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के 'हरित पहल' के क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से सहयोग दिया है और वर्ष 2010-11 से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक और अनुबंधों के साथ डाक मत-पत्र सूचना उन शेयरधारकों को भेजी है जिनके ई-मेल आईडी पहले से संबंधित निक्षेपागार भागीदारों (डीपी) के पास पंजीकृत थे। अदा किए जाने वाले अंतरिम/अंतिम लाभांश की सूचना भी उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत हैं।

ऐसे सदस्य, जिन्होंने अपने ई-मेल पते अभी तक पंजीकृत नहीं किए हैं, वे अपने ई-मेल पते अपने निक्षेपागार भागीदारी (डीपी) अथवा रजिस्ट्रार के पास और कंपनी के शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) के पास इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्राप्त करने के लिए पंजीकृत करने की कृपा करें।

इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मण्डल और इसकी समितियों की सभी बैठकों का कार्यसूची और व्याख्या संबंधी टिप्पणी निदेशकों को एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म के अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा रहा है ताकि वे बिना किसी बाधा के कार्यसूची से संबंधित कागजातों को देख सकें।

8. सचिवालयी लेखापरीक्षा

मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, नई दिल्ली ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सचिवालय लेखापरीक्षा की है और कंपनी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति शेयरधारकों की सूचना के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दी गई है।

9. संबंधित पक्षकार लेन-देन

कंपनी ने सूचीयन विनियमन के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित पक्षकार लेनदेनों सहित संबंधित पक्षकार लेन-देनों की वास्तविकता और संव्यवहार्यता के संबंध में एक नीति तैयार की है और वह कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक http://www.recindia.nic.in/uploads/files/RPT.pdf. में उपलब्ध है।

इस पॉलिसी के अनुसार, सभी संबंधित पक्षकार लेनदेनों को लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है, जैसी भी स्थिति हो। संबंधित पक्षकारों के साथ किए जाने वाले लेनदेनों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार लेखाओं की टिप्पणियों में शामिल किया जाता है। इसके अलावा, संबंधित पक्षकार के लेन-देनों की एक स्थिति रिपोर्ट को तिमाही आधार पर लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मण्डल की सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। संबंधित पक्षकार लेनदेनों के ब्यौरे एओसी-2 के रूप में निदेशक मण्डल की रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

10. प्रकटन

(i) कंपनी ने सूचीयन विनियमावली, कंपनी अधिनियम, 2013, सचिवालयी मानक और लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी दिशा-निर्देशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और 08 मार्च, 2019 से निदेशक मण्डल के गठन को छोड़कर पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजीगत बाजारों से संबंधित किसी भी मामले में गैर-अनुपालन के कोई उदाहरण नहीं हैं। श्री अरुण सिंह, स्वतंत्र निदेशक ने कंपनी के निदेशक मण्डल से 8 मार्च, 2018 को त्यागपत्र दे दिया जिसके फलस्वरुप एक स्वतंत्र निदेशक की रिक्ति उत्पन्न हुई। हालांकि, डॉ. भागवत किशन राव कराड की दिनांक 17 जुलाई, 2018 से स्वतंत्र निदेशक के रुप में नियुक्ति के बाद, बोर्ड की संरचना भी सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में है।

(ii) सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत, जैसा कि आवश्यक है, सभी विवरणी/रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज/अन्य प्राधिकारों के पास निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत की गई थी।

(iii) कंपनी ने निदेशक मण्डल, समितियों और निगमित सुशासन की अपेक्षाओं से संबंधित, समय-समय पर संशोधित, सूचीयन विनियमावली के विनियम 17 से 27 , तथा उपर्युक्त मद (i) में दिए गए ब्यौरे को छोड़कर सूचीयन विनियमावली के विनियम 46 के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की वेबसाइट के रख-रखाव और अद्यतन से संबंधित अपेक्षाओं का पालन किया है। कंपनी ने सूचीयन विनियमावली की अनुसूची-V के भाग ग के अनुसार निगमित सुशासन रिपोर्ट के तहत प्रकटन अपेक्षाओं का भी पालन किया है।

इसके अलावा, सूचीयन विनियमावली के विनियम 46 के अनुपालन में, कंपनी ने अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी के कारोबार के विवरण, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की नियम और शर्तों, निदेशक मण्डल स्तर की विभिन्न समितियों का गठन, निदेशक मण्डल और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों की आचरण और नैतिकता संहिता को आरईसी की वेबसाइट www.recindia.com पर भी दर्शाया है।

सतर्कता तंत्र/व्हीसल ब्लोअर नीति की स्थापना के विवरण, गैर-कार्यकारी निदेशकों को अदायगी करने का मापदंड, संबंधित पक्षकार लेनदेनों पर कार्रवाई करने की नीति, महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों को निर्धारित करने की नीति, स्वतंत्र निदेशकों को जानकारी देने संबंधी कार्यक्रम का विवरण और स्टॉक एक्सचेंज आदि पर प्रकटन के लिए घटनाओं के महत्व को निर्धारित करने संबंधी नीति की सूचना आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in/policies पर उपलब्ध है।

(iv) कंपनी के पास निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के प्रबंधन के ढांचे वाली नीति दी गई है, ऐसी मुद्रा में विनिमय दर के संचलन वाली नीति दी गई है जिससे विदेशी मुद्रा के मूल्य - डीनॉमिनेटेड परिसंपत्तियों, देयताओं और

ऑफ-बैलेंस शीट व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विदेशी मुद्रा जोखिम के बारे में समुचित प्रकटन लेखाओं की टिप्पणी में किया गया है, जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का भाग है और उसका प्रबंध स्वाप, विकल्प, अग्रेषण आदि जैसे विभिन्न व्युत्पन लिखतों के माध्यम से किया जा रहा है। कंपनी के कारोबार की प्रकृति ऐसी नहीं है जिससे किसी वस्तु की कीमत का जोखिम हो।

(v) कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों को बीमा कराने के लिए, आरईसी ने निदेशक और अधिकारी (डीएंडओ) देयता बीमा नीति प्राप्त की है जो इन देयताओं को शामिल करते हुए एक व्यापाक नीति है जो कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों के विरुद्ध उत्पन्न हो सकती है। इस बीमा नीति में कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों, कंपनी सचिव, अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और प्रबंधक तथा उससे उपर के अधिकारियों सहित आरईसी का निदेशक बोर्ड शामिल है।

(vi) कंपनी ने निदेशकों या प्रबंधकों या उनके रिश्तेदारों के साथ या प्रबंधन अथवा उनके रिश्तेदारों या कंपनियों एवं फर्मों आदि के साथ, जिनके वे प्रत्यक्ष रूप से निदेशकों तथा/अथवा भागीदारों के रूप में अपने रिश्तेदारों के जरिए रुचि रखते हैं, कोई वाणिज्यिक लेन-देन नहीं किया है।

(vii) वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के सभी सदस्यों ने सभी महत्वपूर्ण वित्तीय और वाणिज्यिक लेन-देन के संबंध में निदेशक मण्डल को सूचना प्रस्तुत कर दी है, जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो, जिससे कंपनी के हित से बड़े स्तर पर भारी विवाद उत्पन्न होता हो (उदाहरणार्थ कंपनी शेयरों की खरीद-परोख्त करना, ऐसे निकायों के साथ वाणिज्यिक संव्यवहार करना, जिनके प्रबंधन में उनकी या उनके रिश्तेदारों की शेयरधारिता हो) और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विरोध का कोई ऐसा मामला नहीं है।

(viii) संबंधित पक्षकारों अर्थात प्रमोटरों, निदेशकों अथवा प्रबंधन के साथ कोई ऐसा महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया गया है जिसका कंपनी के हित के साथ टकराव हो। स्वतंत्र निदेशकों के पास कंपनी के कोई इक्विटी शेयर नहीं होते हैं।

(ix) कंपनी ने जोखिम निर्धारित करने और उसे कम करने के बारे में निदेशक मण्डल को सूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। कंपनी का निदेशक मण्डल यह सुनिश्चित करने के लिए इन प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है कि एकीकृत जोखिम का प्रबंधन समुचित रूप से निर्धारित मंत्र के माध्यम से किया जा रहा है।

(x) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी परिवर्तन में विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 (''इंड एएस'') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों और अन्य लेखा सिद्धांत आम तौर पर भारत में स्वीकार किए जाते हैं।

(xi) कंपनी दृढ़ता के साथ यह भी स्वीकार करती है कि एक व्हीसल ब्लोअर नीति/सतर्कता तंत्र प्रभावी है और किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंचने से इन्कार नहीं किया गया है।

(xii) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में यह प्रकटन बोर्ड की रिपोर्ट का भाग है।

(xiii) कंपनी ने निगमित सुशासन की सभी अनिवार्य मदों और कुछ वांछित मदों को भी अंगीकार किया है। सूचीयन विनियमावली के निगमित सुशासन खंड के संबंध में गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं की स्थिति नीचे दी गई है:

क. **निदेशक मण्डल:** कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं।

ख. **शेयरहोल्डर का अधिकार:** कंपनी सभी शेयरधारकों और निवेशकों को समयबद्ध रूप में सभी सूचना उपलब्ध करा रही है ताकि वे कंपनी के प्रमुख निर्णयों से पर्याप्त रूप से अवगत हो सकें।

ग. **लेखा परीक्षा की आपत्ति:** वित्तीय वर्ष 2018-19 के संबंध में लेखापरीक्षा से संबंधित आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है और कंपनी का हमेशा यह प्रयास है कि वह बिना किसी आपत्ति वाले वित्तीय विवरण का रख-रखाव करे।

घ. **अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अलग-अलग पद:** अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कोई अलग-अलग पद नहीं है क्योंकि आरईसी एक सरकारी कंपनी है, अत: मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका का निर्वहन कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जा रही है।

ड़. **आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट:** कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख सीधे लेखापरीक्षा समिति को अपनी सभी टिप्पणियां देखते हैं और उन्हें लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

(xiv) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी को निदेशक मण्डल स्तर तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों और गैर-यूनियन सुपरवाइजरों के 01 जनवरी, 2017 से वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के संबंध में राष्ट्रपति के निर्देश प्राप्त हुए थे और उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी द्वारा कार्यान्वित कर दिया गया है।

(xv) कंपनी ने ऐसा कोई खर्च नहीं किया है, जो कारोबार के प्रयोजन के लिए न हो। इसके अलावा, कंपनी ने ऐसा कोई खर्च नहीं किया था जो निदेशक मण्डल और उच्च प्रबंधन वर्ग की व्यक्तिगत प्रकृति का था।

(xvi) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रशासनिक और कार्यालय खर्च मुख्य रुप से 8.56 करोड़ की तुलना में प्रचार और संवर्धन पर किए गए 81.72 करोड़ के अपेक्षाकृत अधिक खर्च के कारण पिछले वर्ष की संगत अवधि के दौरान 104.13 करोड़ ' की तुलना में बढ़कर 186.61 करोड़ ' हो गया है। कंपनी के व्यापार क्रियाकलापों में सामान्य वृद्धि के अनुरुप अन्य खर्चों में मामली अंतर आया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कुल खर्च के प्रतिशत के रुप में प्रशासनिक और कार्यालय खर्च 1.08 % (पिछले वर्ष 0.63 %) है और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय खर्च के % के रुप में 1.19 % (पिछले वर्ष 0.78 %) है।

(xvii) लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट सुशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देश, 2010 के अनुसरण में, तिमाही के अंत से 15 दिन के अंदर विद्युत मंत्रालय को अनुपालन रिपोर्ट भेजी जा रही है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विवरण इस प्रकार है:

निम्नलिखित तारीख को समाप्त तिमाही रिपोर्ट	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख
30 जून, 2018	10 जुलाई, 2018
30 सितंबर, 2018	4 अक्तूबर, 2018
31 दिसंबर, 2018	11 जनवरी, 2019
31 मार्च, 2019	12 अप्रैल, 2019

इसके साथ ही रिपोर्ट जिसमें वार्षिक स्कोर था (चार तिमाहियों का समेकित स्कोर)। विद्युत मंत्रालय को 17 मई, 2019 की नियत तिथि की तुलना में 31 मई, 2019 को प्रस्तुत की गई थी।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की सभी तिमाहियों के लिए सूचीयन विनियमावली के विनियम 27(2)(क) की अपेक्षाओं के अनुसार, निगमित सुशासन संबंधी तिमाही अनुपालन रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को भेज दी है।

(xviii) वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा संबंधी कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित एक टिप्पणी की गई है जिसका प्रबंधन वर्ग द्वारा निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में उत्तर दे दिया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया है कि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सूचीयन विनियमावली के प्रावधान के अनुरूप स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणाम संबंधी लेखापरीक्षा रिपोर्ट अशोधित राय के साथ प्रस्तुत कर दी है।

(xix) अपनी अपेक्षाओं के आधार पर निदेशक मण्डल के सदस्यों ने समय-समय पर विभिन्न संगोष्ठियों, सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके अलावा, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी दिशा-निर्देशों की अपेक्षा के अनुसार कंपनी ने निदेशक मण्डल के सदस्यों के प्रशिक्षण की एक नीति तैयार की है।

नियुक्ति होने पर निदेशक मण्डल के सदस्यों को आवश्यक दस्तावेज, रिपोर्टें और आंतरिक नीतियां उपलब्ध की जाती हैं ताकि वे कंपनी की प्रक्रिया और प्रविधि से अवगत हो सकें। इसके अलावा, कंपनी के कारोबार और कार्य-निष्पादन संबंधी प्रस्तुतीकरण भी निदेशक मण्डल की बैठकों में किए जाते हैं। स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम का विवरण http://www.recindia.nic.in/uploads/files/Familiarization_Programme_for_Independent_Directors.pdf. में भी उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए कंपनी की नीति के अनुसार, कंपनी के स्वतंत्र निदेशक डॉ बी. के. कराड ने दिसम्बर, 2018 में डिब्रूगढ़, असम में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा आयोजित "कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निदेशकों की भूमिका और जिम्मेदारी" पर एक दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में भाग लिया है।

कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीयन विनियमावली, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशा-निर्देश, 2010 के अनुपालन में स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 24 मार्च, 2019 को आयोजित की गई थी, जिसमें आरईसी के सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

(xx) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कोई स्टॉक ऑप्शन/ईशॉप जारी नहीं किया है।

(xxi) आप की कंपनी को 'आरईसी' अथवा 'आरईसीएल' जैसे संक्षिप्त नामों से भारत और विदेश में पूरे उद्योग और बाजार में अच्छी पहचान मिली है और यह एक ब्रांड नाम भी हो गया है। भारतीय विद्युत क्षेत्र के सभी खंडो अर्थात उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा आदि को वित्तपोषित करने में कंपनी की उल्लेखनीय उपस्थिति को सही तरीके से दर्शाने के लिए और इस मिथक को समाप्त करने के लिए कि कंपनी मुख्य रुप से ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य करती है, कंपनी का नाम 'रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड' से बदल कर 'आरईसी लिमिटेड' कर दिया गया था। दिनांक 13 अक्टूबर, 2018 को निगमन का एक नया प्रमाण पत्र कॉरपोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा नाम में परिवर्तन के बाद और इस संबंध में सभी लागू सांविधिक अनुमोदनों के बाद जारी किया गया था।

(xxii) वित्तीय वर्ष के दौरान, भारत के राष्ट्रपति ने विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए दिनांक 28 मार्च, 2019 को पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि. (पीएफसी) को आरईसी में अपनी समग्र इक्विटी शेयर होल्डिंग अर्थात 1,03,93,99,343 (एक सौ तीन करोड़ तिरानवे लाख निन्यानवे हजार तीन सौ तैंतालीस) इक्विटी शेयर अन्तरित किये हैं जो आरईसी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 52.63 % होता है और भारत के राष्ट्रपति के पास आरईसी में अब कोई इक्विटी शेयर नहीं है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के संबंध में आरईसी पीएफसी की एक सहायक कंपनी हो गई है।

(xxiii) सूचीयन विनियमावली के विनियम 32(7क) के अंतर्गत यथाउल्लिखित अधिमान्य आवंटन अथवा अर्हता प्राप्त संस्थाओं के प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई निधियों की उपयोगिता का ब्यौरा समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है।

(xxiv) आरईसी का घरेलू ऋण दस्तावेज को 'एएए' रेटिंग 'क्रिसिल, केयर इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और इक्रा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 की पूरी अवधि के दौरान दी गई सर्वोच्च रेटिंग मिलना जारी है और आरईसी को दी गई रेटिंग में कोई संशोधन नहीं हुआ है।

इसके अलावा कंपनी को वित्तीय वर्ष 2018-19 की पूरी अवधि के दौरान क्रमशः इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी और फिच द्वारा 'बीएए3' और 'बीबीबी-' की अंतराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग भी मिली है और आरईसी को दी गई रेटिंग में कोई संशोधन नहीं हुआ है।

(xxv) वार्षिक आधार पर, कंपनी प्रत्येक निदेशक से बोर्ड और बोर्ड की समिति में अपने स्थानों, जो वे अन्य कंपनियों में धारण करते है और यदि कोई परिवर्तनों, जो उनके निदेशक के पद के संबंध में हो, का ब्यौरा प्राप्त करती है। कंपनी ने मैसर्स हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, जो प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव हैं, से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है कि कंपनी के बोर्ड में किसी भी निदेशक को सेबी/कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा इस प्रकार के किसी सांविधिक प्राधिकार द्वारा कंपनी के निदेशकों के रुप में नियुक्त किए जाने अथवा जारी रहने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं किया गया है। प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की एक प्रति शेयरहोल्डरों की सूचना के लिए इस रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है।

(xxvi) प्रचालन संबंधी विशिष्ट क्षेत्रों का पर्यवेक्षण करने के लिए, कंपनी के निदेशक बोर्ड ने बोर्ड स्तर की विभिन्न समितियों का गठन किया है और उन समितियों को कुछ कार्य सौंपे हैं। संबंधित समिति अपने निर्धारित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करती है और प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्णय लेती है और जहां भी आवश्यकता हो, निदेशकों के बोर्ड द्वारा आगे विचार किए जाने के लिए इसकी सिफारिशें करती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जहां निदेशक बोर्ड ने कंपनी की बोर्ड स्तर की किसी समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है।

11. लागू कानूनों का अनुपालन

कंपनी के पास विभिन्न सांविधिक और प्रक्रिया संबंधी अनुपालनों की मॉनीटरिंग करने के लिए एक सशक्त प्रणाली है। निदेशक मण्डल, सांविधिक, नीतिगत और प्रक्रियागत अनुपालनों की स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करता है ताकि कंपनी पर लागू सभी कानूनों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

12. बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए कारोबार आचार संहिता और नैतिकता

आरईसी में 'बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचार संहिता और नैतिकता' है जो कंपनी के सभी निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए लागू व्यापक संहिता है। इसे कंपनी के लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुरुप निर्धारित किया गया है और इसका लक्ष्य कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया में वृद्धि करना है। उक्त संहिता में पूर्व की आचार संहिता के अधिक्रमण में कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 को लागू किए जाने के बाद विधिवत संशोधन किया गया था।

कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट http://www.recindia.nic.in/uploads/files/CodeBusinessConductEthics.pdf. पर उपलब्ध है। निदेशक मण्डल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त स्वीकारोक्ति के आधार पर कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से आचरण संहिता के अनुपालन के बार में एक घोषणा इस प्रकार की गई है:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कॉरपोरेट सुशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अधीन घोषणा

निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कंपनी के 'निदेशक मण्डल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता' के अनुपालन के संबंध में स्वीकारोक्ति दी है।

ह./-

अजीत कुमार अग्रवाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)

(डीआईएन: 02231613)

तारीख : 14 मई, 2019

स्थान : नई दिल्ली

13. निर्दिष्ट व्यक्तियों और उनके निकटस्थ संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित करने, मॉनीटरिंग करने और रिपोर्टिंग करने तथा निष्पक्ष प्रकटन के लिए आचार संहिता

कंपनी की आरईसी की इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए एक व्यापक संहिता थी जिसे आगे समय समय पर संशोधित कर अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखने और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम) विनियमावली, 2015 के अनुरुप बनाया गया था।

इसके अलावा, उक्त संहिता में हाल में संशोधन किया गया है और इसे सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम) विनियमावली, 2018 के संबंध में अद्यतन किया गया है और उसका पुनः नामकरण 'निर्दिष्ट व्यक्तियों और उनके निकटस्थ संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित करने, मॉनीटरिंग करने और रिपोर्टिंग करने तथा निष्पक्ष प्रकटन (संहिता) के लिए आचार संहिता' के रुप में किया गया है। यह संहिता इस लक्ष्य के साथ बनायी गयी है कि निर्दिष्ट व्यक्तियों और उनके निकटस्थ संबंधियों जिन्हें संहिता में परिभाषित किया गया है, को कोई लाभ प्राप्त न हो अथवा अन्य व्यक्तियों को कंपनी के बारे में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) तक पहुंच अथवा उसकी प्राप्ति से कोई लाभ प्राप्त करने में सहायता न मिलती हो जो सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है और इस प्रकार से इनसाइडर सूचना है। कंपनी संचिव की नियुक्ति अनुपालन अधिकारी के रुप में की गई है और वे उक्त संहिता का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार हैं। संशोधित संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-revised-insider-trading-code-submitted-to-stock-exchanges-dt070619.pdf पर डाली गयी है।

यह 'संहिता' यूपीएसआई की लीकेज को रोकने और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए आन्तरिक नियंत्रणों का समुचित तंत्र स्थापित करने के लिए नीतियों और कार्यविधियों को स्थापित करती है। इसके अलावा, यह यूपीएसआई के निष्पक्ष प्रकटन के लिए पालन की जाने वाली प्रथाओं, प्रक्रियाओं और मानदंडो का भी निर्धारण करती है और साथ ही वैधानिक उद्देश्यों का निर्धारण करती है जिनके अधीन यूपीएसआई आरईसी के विभिन्न स्टेकहोल्डरों और व्यापार भागीदारों के साथ साझा किये जा सकते हैं। इसके अलावा, इस संहिता में कंपनी की इक्विटी शेयरों का लेन-देन करते समय किए जाने वाले प्रकटनों और अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं तथा अनुपालन न करने के परिणामों का निर्धारण किया गया है।

उक्त संहिता की अपेक्षा के अनुरुप, जब कभी भी कुछ अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना बोर्ड के समक्ष उनके विचार और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाती है तब ट्रेडिंग विंडो समय समय पर बंद की जा रही है। ट्रेडिंग विन्डो को बंद करने की सूचना निर्दिष्ट कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों को बहुत पहले जारी कर दी जाती है और कंपनी तथा स्टॉक एक्सचेंज, जहां कंपनियों के शेयर सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइट पर उचित घोषणाएं भी की जाती हैं जिससे कि उन्हें और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को इस विंडो को बंद किए जाने पर कंपनी की प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री से रोका जा सके।

14. जालसाजी को रोकने की नीति

जालसाजी का पता लगाने और उसे रोकने, किसी पता लगाए गए संदिग्ध जालसाजी की सूचना देने और जालसाजी संबंधी मामलों पर समुचित कार्रवाई करने के लिए एक प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु आरईसी में जालसाजी के रोकथाम की एक नीति तैयार की गई है। इस नीति में निम्नलिखित उपबंधों को शामिल किया गया है:

i. यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन जालसाजी का पता लगाने और इसकी रोकथाम करने के लिए कार्यविधि सुनिश्चित करने तथा जालसाजी हो जाने पर उसका पता लगाने की अपनी जिम्मेदारी से अवगत है;

ii. कर्मचारियों और आरईसी के साथ कार्रवाई करने वाले अन्य लोगों को स्पष्ट निर्देश देना, जिसमें उन्हें किसी जालसाजी में शामिल होने से वर्जित किया गया हो तथा जहां जालसाजी की कार्रवाई का संदेह हो, वहां उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का उल्लेख किया गया हो;

iii. जालसाजी के मामलों की छानबीन करना; और

iv. यह आश्वासन देना कि जालसाजी के किसी या सभी संदिग्ध क्रियाकलाप की पूरी जांच की जाएगी।

15. व्हीसल ब्लोअर नीति

कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके साथ पठित उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार लागू, सूचीयन विनियमावली, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए निगमित सुशासन के संबंध में दिशा-निर्देशों के खंड 8 के अनुसार एक व्हीसल ब्लोअर नीति कार्य कर रही है। व्हीसल ब्लोअर नीति आरईसी के निदेशकों/कर्मचारियों और/अथवा इसकी सहायक कंपनियों को किसी कथित कुप्रथा अथवा गलत चलन, जिसका कंपनी के व्यापार एवं प्रतिस्थापन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, के संबंध में सक्षम बनाती है। इस नीति के अंतर्गत, निर्धारित रूप में सक्षम प्राधिकारी को शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा, आरईसी ने दिनांक 17 मई, 2004 के कार्यालय आदेश के माध्यम से केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी व्हीसल ब्लोअर नीति (पीआईडीपीआई संकल्प) को भी अपनाया है और उसे सतर्कता प्रभाग द्वारा जारी ''सतर्कता हैंडबुक'' में शामिल भी किया गया है। व्हीसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की इस आशय से घोषणा कि उन्होंने आरईसी या उसकी अनुषंगी कंपनियों के किसी निदेशक/कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंचने के लिए मना नहीं किया गया है और उसे 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किसी प्रतिकूल कार्मिक कार्रवाई से शिकायतकर्ताओं/व्हीसल ब्लोअरों को समुचित सुरक्षा और संरक्षा प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है:

कंपनी की व्हीसल ब्लोअर नीति के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा वार्षिक स्वीकारोक्ति

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी से मिलने के लिए मना नहीं किया गया है तथा जहां अपेक्षित होता है, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित किया गया है।

ह./-

अजीत कुमार अग्रवाल

तारीख : 16 मई, 2019

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली

(डीआईएन: 02231613)

16. सूचीबद्ध एंटिटी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सभी सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क एंटिटी में सभी एंटिटी, सांविधिक लेखा परीक्षक जिसका अंग है, को समेकित आधार पर भुगतान किए गए सभी शुल्क, नीचे दिए गए हैं:

(राशि करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	ब्यौरे	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
क	सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क		
i	लेखापरीक्षक के रूप में	0.48	0.43
ii	कराधान मामलों के लिए*	0.29	0.12
iii	कंपनी के विधिक मामलों के लिए (सीमित शुल्क शामिल है)	0.45	0.26
iv	अन्य सेवाओं के लिए		
	(i) एमटीएन ऑफर दस्तावेज/ कमफर्ट लेटर का प्रमाणन	0.20	0.30
	(ii) अन्य प्रमाणन	0.08	0.06
v	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.03	0.02
	उप-जोड़	**1.53**	**1.19**
ख	लेखापरीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क के संबंध में गैर-वसूली योग्य कर जमा	0.10	0.10
	जोड़	**1.63**	**1.29**

* पहले के वर्षों से संबंधित कर लेखापरीक्षा शुल्क के 0.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.02 करोड़) शामिल हैं।

17. संचार के साधन

i. कंपनी शेयरधारकों/निवेशकों के अधिकारों तथा पत्र-व्यवहार को समग्र निगमित सुशासन कार्यढांचे के प्रमुख तत्वों के रूप में मानती है और इसीलिए शेयरधारकों तथा अन्य दावेदारों के साथ निरंतर दक्ष एवं संगत पत्राचार पर जोर देती है।

ii. एक समर्पित निवेशक संबंध सेल की स्थापना कंपनी में विश्लेषकों के साथ बातचीत करने के लिए तथा समय पर सूचना उपलब्ध कराने एवं विश्लेषक की बैठक आयोजित करने के लिए की गई है ताकि निवेशक कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में अवगत सकें और एक उपयुक्त फीडबैक प्रणाली विकसित की जा सके जो प्रबंधन और निवेशकों के बीच सूचना के प्रवाह और संचार को प्रभावी बना सके।

iii. कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्टों, आम सभाओं और अपनी वेबसाइट पर प्रकटन तथा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रकटन के द्वारा संवाद बनाए रखती है। कंपनी विश्लेषक की बैठक/अलग-अलग चर्चाओं के माध्यम से अपने संस्थागत शेयरधारकों के साथ तथा समय-समय पर निवेशक सम्मेलन में भाग लेकर भी संवाद बनाए रखती है। निवेशक एवं विश्लेषकों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है जहां कंपनी के निदेशक मण्डल निवेश करने वाले निवेशक समुदाय से बातचीत करता है। इसके अलावा, मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ प्रेस बैठक का भी आयोजन समय-समय पर किया जाता है। वित्तीय परिणामों की चर्चा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद नियमित रूप से सम्मेलन कॉल के द्वारा की जाती है। कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचना का उल्लेख प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट में भी किया जाता है जिसे सदस्यों और उससे संबंधित अन्य अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को प्रचालित की जाती है।

iv. कंपनी के संबंध में शेयरधारकों से संबंधित सूचना, घोषणाएं और नवीनतम जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.recindia.com से प्राप्त की जा सकती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टॉक एक्सचेंज को समय-समय पर दी गई कारपोरेट जानकारी
- तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम एवं निगमित सुशासन रिपोर्ट
- तिमाही शेयरहोल्डिंग पैटर्न
- विश्लेषकों के साथ कान्फ्रेंस कॉलों/बैठकों के ट्रांसक्रिप्ट्स
- संस्थागत निवेशकों तथा विश्लेषकों को दिए गए कार्यालयीन समाचार रिलीज, प्रस्तुती

v. कंपनी के तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के उद्धरण स्टॉक एक्सचेंज को भेज दिए जाते हैं और दॅ इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी और हिंदी), मिंट (अंग्रेजी), दैनिक जागरण (हिन्दी), हिंदुस्तान (हिंदी), फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी और हिन्दी), हिन्दू बिजनेस लाइन (अंग्रेजी) आदि वित्तीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। ये परिणाम और सभी अन्य घोषणाएं कंपनी की वेबसाइट www.recindia.com पर भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

vi. कंपनी द्वारा समय-समय पर महत्वपूर्ण निगम संबंधी गतिविधियों के बारे में प्रेस रिलीज और निगम प्रस्तुतीकरण भी किए हैं और इन्हें अपनी वेबसाइट www.recindia.com में भी दर्शाया है।

18. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सूचीयन विनियमावली के विनियम 17(8) के अनुसार, निदेशक मण्डल में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं आंतरिक नियंत्रण के संबंध में एक प्रमाण-पत्र, जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित दिनांक 24 मई, 2019 को आयोजित निदेशक मण्डल की 459वीं बैठक में निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण भी रखे गए थे।

19. सामान्य शेयरधारक सूचना

i. वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक आम बैठक

तारीख एवं दिन	समय	स्थान
बृहस्पतिवार, 29 अगस्त, 2019	11.00 बजे पूर्वा.	मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंटोनमेंट, नई दिल्ली-110010

ii. वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय कैलेंडर

ब्यौरे	वित्तीय वर्ष 2018-19		वित्तीय वर्ष 2019-20	
लेखाकरण की अवधि	01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019		01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020	
वित्तीय परिणामों की घोषणा	पहली तिमाही*	14 सितंबर, 2018	पहली तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर घोषणा
	दूसरी तिमाही*	05 दिसंबर, 2018	दूसरी तिमाही	
	तीसरी तिमाही	08 फरवरी, 2019	तीसरी तिमाही	
	चौथी तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम	24 मई, 2019	चौथी तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम	वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 60 दिनों के अंदर घोषणा
वार्षिक आम बैठक	29 अगस्त, 2019		अगस्त 2020	

*** पहली बार इंड-एएस के कार्यान्वयन के कारण, 5 जुलाई 2016 को सेबी के परिपत्र के संदर्भ में वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में छूट का लाभ उठाया गया था।*

iii. लाभांश का भुगतान

क. लाभांश वितरण नीति

कंपनी ने सूचीयन विनियमावली के विनियम 43क के अनुपालन में लाभांश वितरण नीति तैयार की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाह्य और आंतरिक कारकों को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिनमें वे वित्तीय मापदंड भी शामिल हैं, जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा और वे परिस्थितियां भी शामिल हैं, जिनमें कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश की अपेक्षा करनी होगी या नहीं करनी होगी। यह नीति कंपनी की वेबसाइट http://www.recindia.nic.in/uploads /files/DividendDistributionPolicy.pdf. पर भी उपलब्ध है।

ख. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लाभांश

(1) अंतरिम लाभांश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के साथ पठित कंपनी की एसोसिएशन का अनुच्छेद 114 और समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी (लाभांश की घोषणा और अदायगी) नियमावली, 2014 के अनुसरण में कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 11/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹ 10/- के अंकित मूल्य पर) 19 मार्च, 2019 को अंतरिम लाभांश की अदायगी की है। कंपनी के निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए किसी भी अंतिम लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

ग. पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लाभांश का विवरण

वित्तीय वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	प्रदत्त लाभांश की कुल रकम (₹ करोड़ में)	लाभांश की दर (%)	अदायगी की तारीख	
				अंतरिम लाभांश	अंतिम लाभांश
2013-14	987.46	938.09	95.00	28 फरवरी, 2014	01 अक्तूबर, 2014
2014-15	987.46	1,056.58	107.00	27 फरवरी, 2015	07 अक्तूबर, 2015
2015-16	987.46	1,688.55	171.00	25 फरवरी, 2016	04 अक्तूबर, 2016
2016-17	1,974.92	1,905.79	96.50*	6 मार्च, 2017	9 अक्तूबर, 2017
2017-18	1,974.92	1,807.05	91.50	27 फरवरी, 2018	15 अक्तूबर, 2018

** पूर्व वर्ष से लाभांश के प्रतिशत में कमी वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के कारण है।*

घ. निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित अप्रदत्त/दावा न किए गए लाभांश एवं इक्विटी शेयर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के अनुसरण में लाभांश की रकम और शेयर अनुप्रयोग राशि, जो सात वर्ष की अवधि से अप्रदत्त/अदावाकृत रह गई है, को केंद्र सरकार की निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित करने की आवश्यकता है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने सात वर्ष की अवधि की अप्रदत्त और अदावाकृत निम्नलिखित राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा कर दिया है:

वित्तीय वर्ष	अंतरिम/अंतिम लाभांश	राशि (₹ में)	अंतरण की तारीख
2010-11	अंतिम लाभांश	24,08,944	15 नवंबर, 2018
2011-12	अंतरिम लाभांश	33,43,285	19 मार्च , 2019
	कुल	**57,52,229**	

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान मूलधन के निमित्त ₹ 1,97,75,616 की राशि तथा ब्याज की ₹ 50,43,615 की राशि कंपनी की ऋण प्रतभूतियों के संबंध में आईईपीएफ खाते में अंतरित कर दी गई है।

आईईपीएफ में अंतरित शेयर

आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियमावली, 2016 (आईईपीएफ नियमावली) के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार वे सभी शेयर जिनके संबंध में निरंतर सात वर्षों से लाभांश का दावा नहीं किया गया है, कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किए जाने अपेक्षित हैं। तद्नुसार, कंपनी ने नवंबर, 2018 में 25,683 इक्विटी शेयर अंतरित किए। 31 मार्च, 2019 तक, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट

खाते में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या 89,794 थी। इसके पश्चात 7,365 इक्विटी शेयरों को वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप अप्रैल, 2019 में आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया।

आईईपीएफ को अंतरित लाभांश और इक्विटी शेयरों के निवेशक-वार ब्यौरे कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

जिन सदस्यों ने उपर्युक्त लाभांश और शेयरों के संबंध में दावा किया है, वे वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र संख्या आईईपीएफ-5 में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर तथा उसकी एक वास्तविक प्रति, जो कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा जिसमें प्रपत्र संख्या आईईपीएफ-5 में निर्धारित अपेक्षित दस्तावेज साथ हों, भेजकर आईईपीएफ प्राधिकरण से उसका दावा कर सकते हैं। आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित लाभांश/शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा।

नोडल अधिकारी

आईईपीएफ नियमावली के नियम 7(2क) के अनुसरण में, श्री एम. एल. कुमावत, एजीएम (एफएंडए)-सीएस प्रभाग इक्विटी शेयरों के लिए नोडल अधिकारी हैं और श्री डी. एस. खत्री, जीएम (एफ एंड ए)-बॉण्ड कंपनी द्वारा जारी बॉण्डों के लिए नोडल अधिकारी हैं।

कंपनी समय-समय पर अप्रदत्त और अदावाकृत लाभांश के शेयर होल्डरों के संबंध में शेयरधारकों द्वारा दावा प्रस्तुत करने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करने हेतु समय-समय पर समाचार-पत्रों में सूचना जारी कर रही है। अतः एतदद्वारा सभी शेयरधारकों को पुनः सलाह दी जाती है कि वे अप्रदत्त/अदावाकृत शेयर आवेदन धनराशि और/या लाभांश से संबंधित वारंटों का तत्काल नकदीकरण करें या कंपनी के आरएंडटीए को लिखें कि वह पुराने वारंटों को पुनः वैधीकृत करे या उनके स्थान पर डीडी जारी करे।

कंपनी ने, कंपनी के शेयरधारकों/बॉण्डधारकों से संबंधित अदावाकृत और अप्रदत्त राशि के विवरण अपनी वेबसाइट www.recindia.com में अपलोड कर दिए हैं, जिनमें नाम, पता, आईईपीएफ में अंतरित की जाने वाली राशि और आईईपीएफ में अंतरित की जाने वाली राशि की नियत तारीख जैसी सूचना दी गई है।

iv. खाता बंद करने की तारीख

कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां 50वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से शुक्रवार, 23 अगस्त, 2019 से बृहस्पतिवार, 29 अगस्त, 2019 तक (दोनों दिन शामिल हैं) बंद रहेंगी।

v. इक्विटी शेयरों का सूचीकरण

आरईसी के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सेचेंजों पर सूचीबद्ध हैं:

स्टॉक एक्सचेंज नाम और पता	टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल पता/वेबसाइट	स्क्रिप कोड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई), एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स, बांद्रा (पूर्वी), मुंबई-400 051	दूरभाष: (022) 26598100-8114 फैक्स: (022) 26598120 ई-मेल आईडी: cmlist@nse.co.in वेबसाइट: www.nseindia.com	आरईसी लिमिटेड
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुंबई-400 001	दूरभाष: (022) 22721233/4 फैक्स: (022) 22721919 ई-मेल आईडी: corp.relations@bseindia.com वेबसाइट: www.bseindia.com	532955

इसके अलावा, कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों की विभिन्न श्रेणियों को भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है और विस्तृत ब्यौरे के लिए कृपया निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुबंध-IX देखें।

vi. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन)

आईएसआईएन ट्रेडेड स्क्रिप की एक विशेष पहचान संख्या होती है। इस संख्या का कंपनी की डीमैट की गई प्रतिभूतियों से संबंधित प्रत्येक लेन-देन में उल्लेख करना होता है। आरईसी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन INE020B01018 है। कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों की विभिन्न श्रृंखलाओं के आईएसआईएन के लिए कृपया निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुबंध-IX देखें।

vii. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के सूचकांकों में कंपनी का नाम शामिल करना

आरईसी के स्टॉक के अच्छे कार्य निष्पादन और विभिन्न अर्हक कारकों के आधार पर, इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड (एनएसई की एक समूह कंपनी) ने 31 मार्च, 2017 से आरईसी लिमिटेड को ''निफ्टी 100'' और ''निफ्टी नेक्स्ट 50'' में शामिल किया है।

viii. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

कार्वी फिंटेक प्राइवेट लिमिटेड,
(पूर्व में कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड)
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा,
हैदराबाद- 500 032, भारत
दूरभाष : 040-67162222, फैक्स : 040-23001153
ई-मेल: balaji.reddy@karvy.com; raju.sv@karvy.com; einward.ris@karvy.com
वेबसाइट: www.karvyfintech.com

ix. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बाजार मूल्य से संबंधिक आंकड़े

एनएसई निफ्टी के संदर्भ में आरईसी के शेयरों का प्रदर्शन

	एनएसई में आरईसी के शेयरों का प्रदर्शन			एनएसई निफ्टी का संचलन		
माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह की समाप्ति पर (₹)	उच्च	निम्न	माह की समाप्ति पर
अप्रैल, 2018	132.50	125.00	127.50	10759.00	10111.30	10739.35
मई, 2018	129.15	107.70	118.15	10929.20	10417.80	10736.15
जून, 2018	121.75	99.00	104.65	10893.25	10550.90	10714.30
जुलाई, 2018	117.70	89.00	116.95	11366.00	10604.65	11356.50
अगस्त, 2018	121.50	107.50	119.80	11760.20	11234.95	11680.50
सितंबर, 2018	122.75	94.20	97.90	11751.80	10850.30	10930.45
अक्टूबर, 2018	117.00	94.60	116.40	11035.65	10004.55	10386.60
नवंबर, 2018	127.10	99.25	99.90	10922.45	10341.90	10876.75
दिसंबर, 2018	123.80	98.75	122.15	10985.15	10333.85	10862.55
जनवरी, 2019	129.65	117.70	124.70	10987.45	10583.65	10830.95
फरवरी, 2019	137.40	115.55	136.35	11118.10	10585.65	10792.50
मार्च, 2019	159.90	130.70	152.90	11630.35	10817.00	11623.90

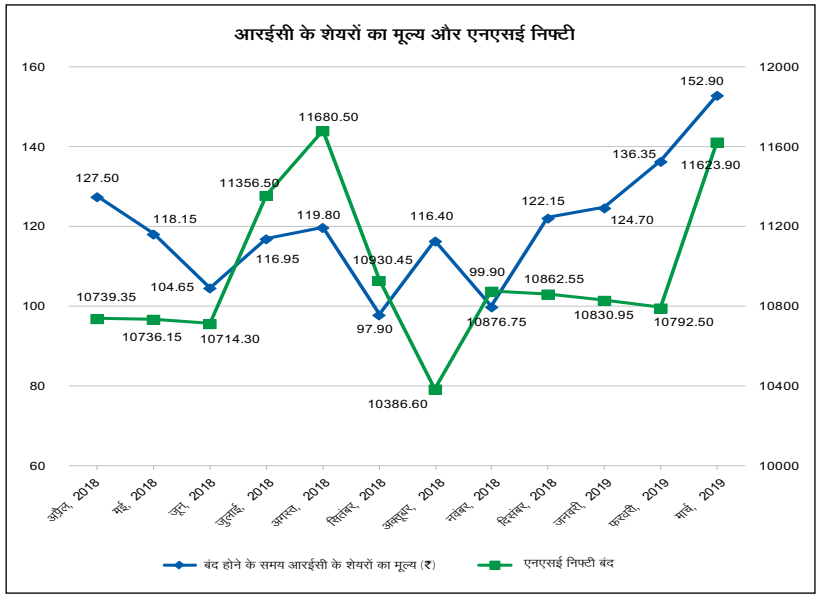

बीएसई सेंसेक्स के संदर्भ में आरईसी के शेयरों का प्रदर्शन:

	बीएसई में आरईसी के शेयरों का प्रदर्शन			बीएसई सेंसेक्स का संचलन		
माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह की समाप्ति पर (₹)	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह की समाप्ति पर
अप्रैल, 2018	132.50	125.10	127.40	35213.30	32972.56	35160.36
मई, 2018	129.20	107.70	118.35	35993.53	34302.89	35322.38
जून, 2018	121.70	99.50	104.55	35877.41	34784.68	35423.48
जुलाई, 2018	117.85	89.10	116.95	37644.59	35106.57	37606.58
अगस्त, 2018	121.35	107.75	119.50	38989.65	37128.99	38645.07
सितंबर, 2018	122.60	94.25	97.70	38934.35	35985.63	36227.14
अक्तूबर, 2018	116.80	94.75	116.15	36616.64	33291.58	34442.05
नवंबर, 2018	127.50	99.40	100.05	36389.22	34303.38	36194.30
दिसंबर, 2018	123.70	98.85	122.05	36554.99	34426.29	36068.33
जनवरी, 2019	129.50	117.70	124.80	36701.03	35375.51	36256.69
फरवरी, 2019	137.50	115.60	136.50	37172.18	35287.16	35867.44
मार्च, 2019	159.30	130.10	152.85	38748.54	35926.94	38672.91

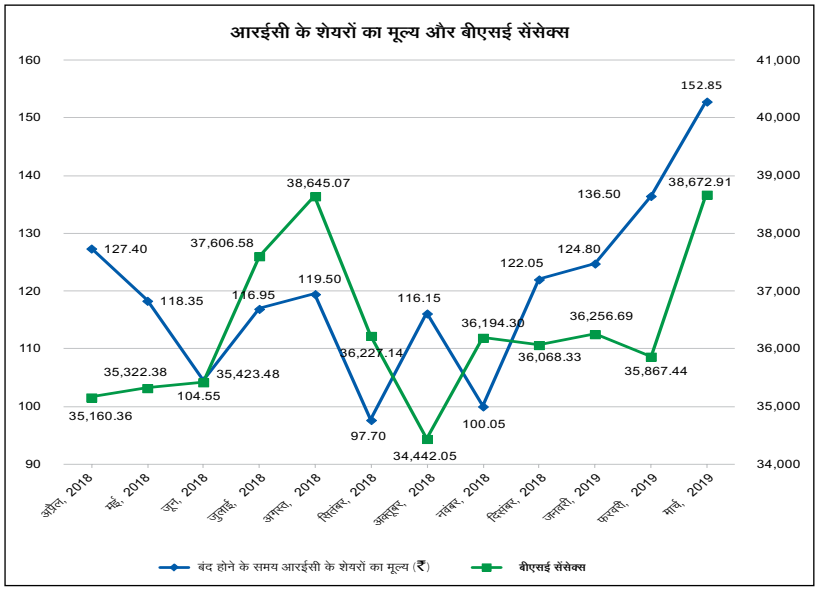

x. शेयर अंतरण प्रणाली

वास्तविक घटक (फिजिकल सेगमेंट) के तहत शेयरों को कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड ("आर एंड टीए" या "कार्वी") के माध्यम से अंतरित किया जाता है। कार्वी, अंतरित से अंतरण विलेख सहित अंतरित किए जाने वाले शेयरों को प्राप्त करता है, इनका सत्यापन करता है और कंपनी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अंतरण ज्ञापन तैयार करता है। हालांकि, प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 इक्विटी शेयरों तक वास्तविक (फिजिकल) शेयरों के विभाजन/समेकन और अंतरण के अनुरोध को कार्वी द्वारा सीधे अनुमोदित किया जाता है।

इसके अलावा एक शेयर अंतरण समिति का भी गठन किया गया है, जो प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 इक्विटी शेयरों से अधिक के शेयरों का विभाजन/ समेकन/वास्तविक शेयरों का अंतरण करने के संबंध में शेयरधारकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार करती है और उन्हें अंतरित करती है।

इसके अलावा, सूचीयन विनियमन के 40(9) और (10) के अनुसरण में छमाही आधार पर व्यवसायी कंपनी सचिव से प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है जिसमें कंपनी द्वारा शेयर अंतरण की औपचारिकताओं के उचित अनुपालन की पुष्टि करते हुए निर्धारित समय के अंदर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा, इस बात की भी पुष्टि की जाती है कि शेयरों का सभी अंतरण निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूरा कर लिया गया है।

अपनी 03 दिसंबर, 2018 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सेबी ने अपने परिपत्र में यह निर्धारित किया है कि 1 अप्रैल, 2019 से प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए अनुरोध (ट्रांसमिशन अथवा स्थान बदलने के मामले को छोड़कर) पर तब तक कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक जमाकर्ता के पास डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियां रखी गई हैं। तद्नुसार, हम आपसे किसी जमाकर्ता प्रतिभागी में खोले जाने के लिए नए डीमैट एकाउंट अथवा मौजूदा डीमैट एकाउंट में यथाशीघ्र वास्तविक रुप से डीमैट रूप में अपने शेयरधारण को बदलने के लिए अनुरोध करते हैं।

xi. शेयरधारिता का प्रतिरूप / शेयरधारिता का वितरण

क. स्वामित्व के आधार पर शेयरधारिता का पैटर्न

श्रेणी	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	
	इक्विटी शेयरों की सं.	कुल इक्विटी शेयरों का प्रतिशत	इक्विटी शेयरों की सं.	कुल इक्विटी शेयरों का प्रतिशत
प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप	1,03,94,95,247	52.63	1,15,16,78,783	58.32
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक/विदेशी संस्थागत निवेशक, विदेशी राष्ट्रीयता वाले	49,95,96,483	25.30	45,77,35,673	23.17
म्यूचुअल फंड	20,43,49,699	10.35	9,46,71,528	4.79
निवासी व्यक्ति	11,63,30,510	5.89	13,18,27,400	6.68
बीमा कंपनियां	6,17,62,206	3.13	6,71,71,496	3.40
निगमित निकाय	1,91,21,836	0.97	3,20,17,475	1.62
क्लियरिंग सदस्य	83,35,517	0.42	99,42,990	0.50
बैंक	63,12,568	0.32	70,67,026	0.36
एच यू एफ	58,81,424	0.30	85,78,395	0.43
ट्रस्ट	54,84,817	0.28	49,91,147	0.25
गैर-निवासी भारतीय	37,93,231	0.19	37,61,419	0.19
भारतीय वित्तीय संस्थाएं	19,68,545	0.10	20,76,645	0.11
नॉन रिपैट्रिएबल गैर-निवासी भारतीय	13,84,708	0.07	19,85,525	0.10
कर्मचारी	8,46,622	0.04	9,32,545	0.05
अन्य- आईईपीएफ एवं एआईएफ	2,39,794	0.01	1,84,751	0.01
एनबीएफसी	14,793	Negligible	1,66,202	0.01
विदेशी राष्ट्रीयता वाले	-	-	1,29,000	0.01
कुल	**1,97,49,18,000**	**100.00**	**1,97,49,18,000**	**100.00**

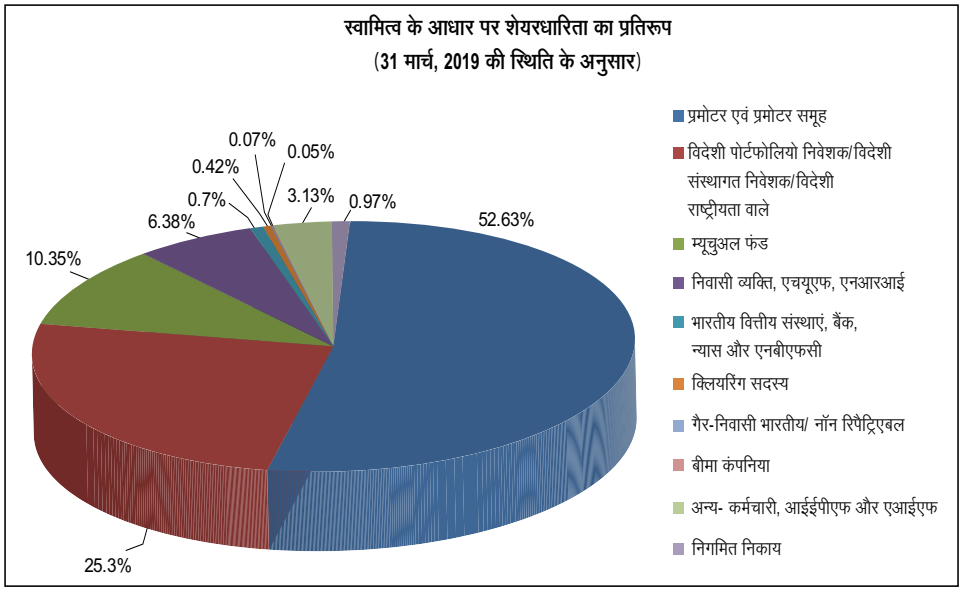

ख. 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत	कुल शेयर	शेयरों का प्रतिशत
1-5000	3,21,711	98.95	8,89,92,903	4.50
5001 - 10000	1,627	0.50	1,17,97,176	0.60
10001- 20000	713	0.22	1,01,84,512	0.52
20001- 30000	233	0.07	58,55,212	0.30
30001- 40000	108	0.03	38,28,914	0.19
40001- 50000	75	0.02	34,09,057	0.17
50001- 100000	186	0.06	1,32,47,589	0.67
100001 और उससे अधिक	490	0.15	1,83,76,02,637	93.05
कुल	**3,25,143**	**100.00**	**1,97,49,18,000**	**100.00**

xii. शेयरों का डीमैट किया जाना तथा तरलता

कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डीमैट किए जाने के घटक (सेगमेंट) में हैं और नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों की ट्रेडिंग प्रणाली के लिए उपलब्ध हैं। डिपॉजिटरीज के नाम और पते इस प्रकार है:

नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ट्रेड वर्ल्ड, चौथा तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013	**सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड** फिरोज जीजीभॉय टावर्स, 28वीं मंजिल, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 023

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार डीमैट किए गए और वास्तविक (फिजिकल) रूप में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या इस प्रकार है:

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	जारी किए गए कुल शेयरों का प्रतिशत
वास्तविक	13,637	43,189	नगण्य
एनएसडीएल (डीमैट)	1,97,113	1,92,94,73,568	97.70
सीडीएसएल (डीमैट)	1,14,393	4,54,01,243	2.30
कुल	**3,25,143**	**1,97,49,18,000**	**100.00**

xiii. शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का लेखा मिलान

वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रत्येक तिमाही के लिए मैसर्स सविता ज्योति एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, सिकंदराबाद ने एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास प्रविष्ट, जारी और सूचीबद्ध कुल शेयर पूंजी का मिलान करने के लिए लेखापरीक्षा की और शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का मिलान किया। यह रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि कुल निर्गमित/प्रदत्त शेयर पूंजी एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास उपलब्ध वास्तविक (फिजिकल) रूप में शेयरों की कुल संख्या और डीमैट किए गए शेयरों की कुल संख्या से मेल खाती है और यह रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के अंदर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दी गई थी।

xiv. डीमैट सस्पेंस लेखा का विवरण

कंपनी ने फरवरी, 2008 में 15,61,20,000 इक्विटी शेयरों का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) जारी किया जिसमें कंपनी के 7,80,60,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम (इश्यू) और भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित उतने ही शेयरों की बिक्री की। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने फरवरी, 2010 में 17,17,32,000 इक्विटी शेयरों का अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक ऑफर) जारी किया, जिसमें कंपनी के 12,87,99,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम (इश्यू) और भारत के राष्ट्रपति के 4,29,33,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री की। विनियम 34(3) और सेबी सूचीयन विनियमावली की अनुसूची V के भाग च की अपेक्षा के अनुसार डीमैट सस्पेंस एकाउंट में 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार इक्विटी शेयरों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	विवरण	01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019			
		आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव		अगला सार्वजनिक प्रस्ताव	
		मामलों की संख्या	शामिल शेयरों की संख्या	मामलों की संख्या	शामिल शेयरों की संख्या
1	01 अप्रैल, 2018 के अनुसार शेयरधारकों की कुल संख्या और उचंत खाते में अदावाकृत बाकी शेयरों की संख्या	47	7,201(बोनस शेयरों सहित)	4	780 (बोनस शेयरों सहित)
2	ऐसे शेयरों की संख्या, जिन्होंने इस वित्तीय वर्ष के दौरान अदावाकृत शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी से सपर्क किया था	0	0	0	0
3	ऐसे शेयरधारकों की संख्या, जिनके अदावाकृत शेयर वित्तीय वर्ष के दौरान उचंत खाते में अंतरित किए गए थे	11	1,732 (आईईपीएफ में अंतरण)	4	780 (आईईपीएफ में अंतरण)
4	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों और अधिशेष खाते में बाकी अदावाकृत शेयरों की कुल संख्या	36	5,478	0	0

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार सस्पेंस एकाउंट में बकाया शेयरों के संबंध में मताधिकार तब तक बंद रहेंगे जब तक उन शेयरों का अधिकृत स्वामी शेयरों का दावा नहीं करता।

xv. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय लिखित, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय लिखित नहीं किया गया है।

xvi. स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक सूचीकरण शुल्क

कंपनी ने एनएसई और बीएसई को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क की अदायगी कर दी है।

xvii. निक्षेपागारों (डिपॉजिटरियों) को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क

कंपनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क की अदायगी समय पर कर दी है।

xviii. संयंत्र की अवस्थिति

क्योंकि कंपनी एक सरकारी वित्तीय संस्था है, अतः इसका कोई संयंत्र नहीं है। लेकिन पंजीकृत कार्यालय के अलावा इस कंपनी के देश भर में विभिन्न क्षेत्रीय/राज्य कार्यालय हैं (वार्षिक रिपोर्ट के अंत में विस्तृत विवरण दिया गया है) तथा हैदराबाद में एक प्रशिक्षण संस्थान आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) है।

xix. पत्राचार का पता:

आरईसी लिमिटेड, कोर 4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-11003, भारत

xx. कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) L40101DL1969GOI005095

xxi. अनुपालन अधिकारी और सार्वजनिक प्रवक्ता

श्री जे. एस. अमिताभ,
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव
आरईसी लिमिटेड,
कोर 4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत
टेलीफोन: 91-11-24367305, फैक्स: 91-11-24362039
ई-मेल: complianceoficer@recl.in, jsamitabh@recl.in

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

अजीत अग्रवाल

अजीत कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)
(डीआईएन: 02231613)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22 जुलाई, 2019

निदेशकों को अयोग्य न ठहराने का प्रमाण-पत्र

[सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 की अनुसूची-V के पैरा -ग की मद संख्या (10) के विनियम 34(3) और उपबंध (i) के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्यगण,
आरईसी लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

हमने कंपनी द्वारा अनुरक्षित की जा रही संगत पंजियों, अभिलेखों, प्रपत्रों, विवरणी और आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) जिसका सीआईएन: L40101DL1969GOI005095 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (जिसे आगे 'कंपनी' कहा गया है) है के निदेशकों से प्राप्त प्रकटीकरणों, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 की अनुसूची-V के पैरा-ग की मद (10) उपबंध (i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार इस प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए कंपनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है, की जांच की है।

हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा सत्यापनों [www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित] के अनुसार जिसे आवश्यक माना गया है और कंपनी एवं इसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के संबंध में, हम एतदद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है, को 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/कारपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा इस प्रकार के किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारण द्वारा कंपनी के निदेशकों के रुप में नियुक्त किए जाने अथवा उनके जारी रहने से वंचित नहीं किया गया है अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान सं. (डीआईएन)
1	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	02231613
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता	03464342
3	डॉ. अरुण कुमार वर्मा	02190047
4	श्री कृष्ण कुमार अरवमुदन	00871792
5	प्रोफेसर राम मोहन तिरुवल्लूर थट्टई	00008651
6	श्रीमती आशा स्वरूप	00090902
7	डॉ. भागवत किशन राव कराड	00998839

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपने सत्यापन पर आधारित उसके संबंध में मत प्रकट करना है। यह प्रमाण-पत्र कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में न तो आश्वासन है और न ही उस कार्यक्षमता अथवा प्रभाविता के बारे में आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को किया है।

कृते हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हेमंत कुमार सिंह
(भागीदार)

एफसीएस सं.: 6033
सीपी सं.: 6370

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 जून, 2019

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुबंध-III

निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्यगण,
आरईसी लिमिटेड,
नई दिल्ली ।

हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) ("कंपनी") द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसाकि स्टॉक एक्सचेंज के साथ निष्पादित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 ("सूचीकरण विनियम") (यथा संशोधित) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश 2010 के खंड 8.2.1 में अनुबंधित हैं।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधक वर्ग का है। हमारी जांच निगम द्वारा निगमित सुशासन की शर्तें का अनुपालन करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर राय का प्रकटन करना है।

हमारे राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार एवं हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी द्वारा, श्री अरुण सिंह के त्यागपत्र दिए जाने से, एक स्वतंत्र निदेशक की रिक्ति के कारण 1 अप्रैल 2018 से 16 जुलाई 2018 तक की लघु अवधि को छोड़कर, निगमित सुशासन की अपेक्षाओं, जैसा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए सूचीकरण विनियम एवं दिशानिर्देश 2010 में दिया गया है, का अनुपालन किया गया है। हालांकि, विद्युत मंत्रालय के दिनांक 17 जुलाई, 2018 के आदेश के माध्यम से आरईसी के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रुप में डॉ. भागवत कृष्णराव कराड की नियुक्ति के बाद, कंपनी के बोर्ड की संरचना में भी लागू सांविधिक प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की उस भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है, न ही दक्षता अथवा प्रभावकारिता का, जिसके अनुसार प्रबंधक वर्ग ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 008744एन

रितेश लोगानी
भागीदार
यूडीआईएन. 19060882एएएएएआई8680

कृते ए. आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002744सी

प्रियांशु जैन
भागीदार
यूडीआईएन. 19530262एएएएएओ3554

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 जुलाई, 2019

कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

भाग क: कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1.	कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L40101DL1969GOI005095
2.	कंपनी का नाम	आरईसी लिमिटेड *(पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)*
3.	पंजीकृत पता	कोर -4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003, भारत।
4.	वेबसाइट	www.recindia.com
5.	ईमेल आईडी	complianceofficer@recl.in
6.	रिपोर्टकृत वित्तीय वर्ष	2018-19
7.	क्षेत्र, जिनमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक गतिविधि कोड अनुसार)	आरईसी, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।कंपनी भारतीय विद्युत क्षेत्र के सभी क्षेत्रों अर्थात् विद्युत उत्पादन (पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों), पारेषण, वितरण,आदि में वित्तपोषण की सुविधा प्रदान कर रही है। इसके अलावा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार, कंपनी की कारोबारी गतिविधियाँ निम्नलिखित कोड के अंतर्गत आती हैं:- समूह: 649 श्रेणी: 6492 उप श्रेणी: 64920: अन्य वित्तीय सेवा गतिविधियाँ - अन्य क्रेडिट अनुदान। [इस श्रेणी में ऐसी वित्तीय सेवा गतिविधियां शामिल हैं, जो मुख्य रूप से ऐसे संस्थान (यथा उद्यम पूंजीगत कंपनियां, औद्योगिक बैंक, निवेश क्लब), जो मौद्रिक मध्यस्थता में शामिल नहीं है, जहां क्रेडिट प्रदान करना ऋण, बंधक, क्रेडिट कार्ड आदि जैसे विभिन्न प्रकार के रूप ले सकता है, के द्वारा ऋण देने से संबंधित है।]
8.	मुख्य उत्पाद/ सेवाएं जिन्हें कंपनी बनाती है/प्रदान करती है (तुलन-पत्र अनुसार)	आरईसी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों में विद्युत उत्पादन (पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों), पारेषण, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण प्रणाली में सुधार, नवीकरण और ऊर्जा संयंत्रों आदि के आधुनिकीकरण से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।इसके प्रमुख उत्पादों में, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण श्रृंखला के लिए आवधिक ऋण, मध्यावधि ऋण, अल्पावधि ऋण आदि प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने आरईसी को अपने फ्लैगशीप कार्यक्रमों नामतः सार्वभौमिक आवास विद्युतीकरण के लिए 'प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना' (सौभाग्य) और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' (डीडीयूजीजेवाई), जिसमें ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलू एवं परिभाषित परियोजना अंगभूतों के जरिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'सबके लिए 24x7 बिजली' की उपलब्धि को सुगम बनाना शामिल है, के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।
9.	स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा कारोबारी गतिविधियां की जाती हैं (क) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (ख) राष्ट्रीय स्थानों कीसंख्या	आरईसी का पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उपरोक्त के अलावा, भारत के विभिन्न स्थानों नामतः कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, पंचकुला, शिमला, जम्मू, लखनऊ, भोपाल, मुंबई, वडोदरा, बेंगलुरु तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, हैदराबाद [क्षेत्रीय कार्यालय के साथ-साथ आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉवर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी)], शिलांग, गुवाहाटी, रांची, देहरादून, पटना, रायपुर, वाराणसी, विजयवाडा, ईटानगर और इंफाल स्थित आरईसी के 25 क्षेत्रीय कार्यालय/ राज्य कार्यालय/उप-कार्यालय हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्यालय नहीं है।

10.	कंपनी द्वारा सेवा प्रदत्त बाजार - स्थानीय/राज्य/ राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	आरईसी भारतीय बाजार में सेवाएं प्रदान करती है और इसका कारोबार पूरे देश में फैला हुआ है।कंपनी संसाधन जुटाने के उद्देश्य से घरेलू बाजारों के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों का भी उपयोग करती है।

भाग ख: कंपनी का वित्तीय विवरण

1.	प्रदत्त पूंजी (₹)	1,974.92 करोड़
2.	कुल टर्नओवर (₹)	25,341.16 करोड़
3.	कर पश्चात कुल लाभ (₹)	5,763.72 करोड़
4.	कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल खर्च	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, आरईसी ने वर्ष के लिए ₹ 157.29 करोड़ के बजट के समक्ष, विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के लिए ₹ 158.72 करोड़ राशि मंजूर की (पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान कंपनी औसत निवल लाभ के 2% की दर से परिकलित)। इसके अलावा, आरईसीने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के लिए ₹ 103.39 करोड़ कीराशि संवितरित की। संवितरण की राशि को, मंजूरी की शर्तों के अनुसार प्रत्येक सीएसआर परियोजना के लिए पूर्व-निर्धारित उपलब्धियों/सुपुर्दगियों के साथ जोड़ा गया है।असंवितरित राशि (यों),यदि कोई हो तो,को उत्तरवर्ती वर्ष (वर्षों) में, ऐसे वर्ष (वर्षों) में सीएसआर पहलों के अधीन संवितरित की जाने वाली अपेक्षित राशि के साथ संवितरित किया जाता है।
5.	ऐसी गतिविधियों की सूची जिनमें उपरोक्त 4 के तहत व्यय किया गया है।	सीएसआर गतिविधियों में आरईसी द्वारा किए गए खर्च के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं: क. स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल आदि। ख. शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और आजीविका संवर्धन परियोजनाएं आदि। ग. वृद्धाश्रमों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं आदि की व्यवस्था करना। घ. पर्यावरणीय संधारणीयता च. ग्रामीण विकास परियोजनाएं कंपनी की सीएसआर पहलों के बारे में अधिक जानकारी, *सीएसआर गतिविधियों* पर वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई हैं, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का अंश हैं।

भाग ग: अन्य विवरण

1.	क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी/ कंपनियां हैं ?	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनियां निम्नलिखित हैं: 1. आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) 2. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) 3. दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड* 4. चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड* 5. कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड* 6. डुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड* 7. मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड* 8. भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड* 9. उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड* 10. जम खम्भालिया ट्रांस्को लिमिटेड* 11. खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड* 12. अजमेर फागी ट्रांसकोलिमिटेड* 13. लाकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड*

		14. डब्ल्यूआरएसएस XXI (ए) ट्रांस्को लिमिटेड* *(*आरईसीटीपीसीएल के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी को दर्शाता है)* *कंपनी की अनुषंगी कंपनियों के बारे में अधिक जानकारी बोर्ड की रिपोर्ट में दी गई है, जो इस वार्षिक का अंश है।*
2.	क्या अनुषंगी कंपनी/ कंपनियां, मूल कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं ? यदि हाँ, तो ऐसी अनुषंगी कंपनी(कंपनियों) की संख्या इंगित करें।	आरईसीअपनी सभी अनुषंगी कंपनियों को विभिन्न विस्तृत विषयों पर अपनी कारोबारी उत्तरदायित्व (बीआर) पहलों में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, दो अनुषंगी कंपनियां यथा आरईसीपीडीसीएल और आरईसीटीपीसीएल ने निम्नलिखित कारोबारी उत्तरदायित्व (बीआर) पहलों में भागीदारी की है:- क. 18,452 अ-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण - भारत सरकार की पहल के रुप में आरईसीपीडीसीएल दैनिक आधार पर ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की निगरानी और देश भर में 18,452 अविद्युतीकृत (यूई) गांवों के विद्युतीकरण के सर्विलांस क्वालिटी चेक के कार्य में शामिल था। ख. 100% आवास विद्युतीकरण - आरईसीपीडीसीएल भारत सरकार के 100% घरेलू विद्युतीकरण कार्यक्रम (सौभाग्य योजना) के तहत अखिल भारत में ग्राम विद्युत अभियंताओं(जीवीए)की नियुक्ति करने के द्वारा कार्यों की निगरानी कर रहा है।यह विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, देश के सभी राज्यों में समस्त इच्छुक आवासों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है सिवाय छत्तीसगढ़ को छोड़कर, जिसमें भी अभी तक 99% विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। ग. उर्जा मित्र - आरईसीटीपीसीएल ने संपूर्ण भारत में विद्युत उपभोक्ताओं को एसएमएस/ईमेल/ पुश नोटिफिकेशन के जरिए आऊटेज जानकारी के प्रचारहेतु विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में ऑनलाइन वेब प्लेटफार्म एवं मोबाइल ऐप्प यथा ऊर्जा मित्र को विकसित किया है। यह बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक पहल है, जिसमें 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, 52 वितरण कंपनियों के लगभग 19 करोड़ ग्रामीण/शहरी/मिश्रित फीडर उपभोक्ताओं के डेटा को वेब पोर्टल से जोड़ा गया है तथा लगभग 15 करोड़ के उपभोक्ता बेस के साथ 48 वितरण कंपनियों में एप्लिकेशन सक्रिय हैं। घ. 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग योजना - आरईसीटीपीसीएल विद्युत मंत्रालय की 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, इस योजना का उद्देश्य फीडर स्तर पर ऊर्जा इनपुट/विद्युतापूर्ति की मॉनीटरिंग को समर्थ बनाना और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतापूर्ति की सटीक स्थिति प्रस्तुत करना है, ताकि 'सबके लिए 24x7 बिजली' की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जा सके। ङ. अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में विद्युतीकरण कार्य - आरईसीपीडीसीएल भारत सरकार की डीडीयूजीजेवाई योजना के तहत 300 डब्ल्यूपी के 6,834 सोलर होम पॉवर पैक के संस्थापन द्वारा अरूणाचल प्रदेश में 521 गांवों के विद्युतीकरण तथा भारत सरकार की सौभाग्य योजना के तहत 300 डब्ल्यूपी क्षमता के प्रत्येक सोलर होम लाईटिंग स्टैंडअलोन प्रणाली के जरिए त्रिपुरा में 3,601 ग्रामीण आवासों के विद्युतीकरण हेतु परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी थी।

3.	क्या कोई अन्य एंटिटी/ एंटिटियां (जैसे आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि), जिनके साथ कंपनी कारोबार करती है, कंपनी की कारोबारी उत्तरदायित्व (बीआर) पहलों में भागीदारी करती है? यदि हाँ, तो ऐसी एंटिटी/ एंटिटियों का प्रतिशत इंगित करें?	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), अर्थात् विद्युत क्षेत्र के अन्य तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ आरईसी की संयुक्त उद्यम कंपनी, ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में अग्रणी है।घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा कुशल एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूबलाइट और ऊर्जा कुशल पंखों के वितरण हेतु ईईएसएल कीप्रमुख पहल 'उजाला' ने देश के कार्बन उत्सर्जन को काफी कम कर दिया है। ईईएसएल के ऊर्जा कुशल उपकरणों और तकनीकों की बदौलत देश में सालाना अनुमानित रूप से 50 बिलियन किलोवॉट घंटे से अधिक की बचत हुई है। ईईएसएल, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी (एनएमईईई)की बाजार से संबंधित गतिविधियों का भी नेतृत्व करता है। आरईसी भी पर्यावरण की सुरक्षा में अपने उधारकर्ता की पहलों में सहयोग करता है। इस दिशा में पुराने थर्मल विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, विद्युत संयंत्रों के प्रतिस्थापन और एफजीडी (फ्ल्यू गैस डिसल्फराईजेशन) आदि जैसे प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के संस्थापन हेतु उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान किए गए हैं। कंपनी अपने कर्मचारियों को कागज बचाने और हरित पर्यावरण के लिए प्रोत्साहित करती है।आरईसी देश भर में स्थित अपने सभी कार्यालयों और अपनी अनुषंगी कंपनियों के कार्यालयों में 'ई-ऑफिस' प्रणाली प्रारंभ करके, कागजरहित होने वाला देश का पहला सीपीएसई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आरईसी ने चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज से अपनी सीएसआर पहलों और कारोबारी उत्तरदायित्व के लिए एक पुरस्कार प्राप्त किया है।

भाग घ: कारोबार उत्तरदायित्व(बीआर) सूचना

1. बीआर/बीआर शीर्ष के लिए उत्तरदायी निदेशक का ब्योरा

क्र.सं.	विवरण	ब्योरा
1.	नाम	श्री संजीव कुमार गुप्ता
2.	पद	निदेशक (तकनीकी)
3.	डीआईएन	03464342
4.	टेलीफोन नंबर	011-2436 7479 / 011-4309 1522
5.	ईमेल आईडी	skgupta@recl.in

2. सिद्धांत के तौर पर (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां

सेबी के दिनांक 04 नवंबर, 2015 के परिपत्र के साथ पठित सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 34(2)(एफ) के अनुसार, यह उपबंधित किया गया है कि शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियां निम्नलिखित नौ सिद्धांतों के आधार पर एक संरचित कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट को तैयार करेंगी, जिसमें पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन के परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा की गई पहलों का वर्णन होगा:-

सिद्धांत 1	कारोबार में आचरण एवं शासन, आचार-नीति, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ करना चाहिए। **[नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही]**
सिद्धांत 2	कारोबार में ऐसा सामान और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं और उनके पूरे जीवन चक्र में संधारणीयता हेतु योगदान करती हैं। **[उत्पाद के जीवन-चक्र में संधारणीयता]**
सिद्धांत 3	कारोबार सभी कर्मचारियों के कल्याण में बढ़ावा देने वाले होने चाहिए। **[कर्मचारी कल्याण]**

सिद्धांत 4	कारोबार, सभी हितधारकों, विशेषकर जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं, के प्रति उत्तरदायी और सम्मान रखने वाले होने चाहिए। **[हितधारकों की वचनबद्धता]**
सिद्धांत 5	कारोबार मानवाधिकारों को सम्मान और बढ़ावा देने वाले होने चाहिए। **[मानव अधिकारों का बढ़ावा]**
सिद्धांत 6	कारोबार पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा और उसे बहाल रखने के प्रयास वाले होने चाहिए। **[पर्यावरण संरक्षण]**
सिद्धांत 7	कारोबार, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हुए हैं, तो उन्हें ऐसे कार्य एक उत्तरदायी तरीके से ऐसा करना चाहिए। **[उत्तरदायी सार्वजनिक नीति पक्ष समर्थन]**
सिद्धांत 8	कारोबार को समावेशी विकास और समान विकास का समर्थन करना चाहिए। **[समावेशी विकास और समान विकास]**
सिद्धांत 9	कारोबार इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसमें जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को महत्व दिया जाए। **[ग्राहक मूल्य]**

2 (क) अनुपालन का विवरण (उत्तर हाँ/नहीं में)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास.....हेतु नीति/ नीतियां हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2.	क्या नीति को संबंधित हितधारकों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ?यदि हाँ, तो स्पष्ट करें ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है ?यदि हाँ, तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक/मालिक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी/उपयुक्त निदेशक मण्डल द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5.	क्या कंपनी के पास नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए कोई बोर्ड/निदेशक/ अधिकारी की विनिर्दिष्ट समिति है ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6.	ऑनलाइन देखी जाने वाली नीति के लिए लिंक इंगित किया है ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7.	क्या नीति से सभी संबंधित आंतरिक और बाह्य हितधारकों को औपचारिक रूप से सूचित किया गया है ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8.	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों को लागू करने के लिए आंतरिक संरचना है ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9.	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10.	क्या कंपनी ने इस नीति के कार्य का आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन करवाया है ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

नोट: संबंधित स्पष्टीकरण/जानकारी/लिंक का उल्लेख इस रिपोर्ट के अनुबंध में किया गया है।

2 (ख)	यदि किसी सिद्धांत के समक्ष क्र.सं.(क) में किसी प्रश्न का उत्तर 'नही' है तो, कृपया स्पष्ट करें ऐसा क्यों।	लागू नहीं।
3.	**बीआर से संबंधित सुशासन**	
	उस आवृत्ति को इंगित करें जिसमें कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन निदेशक मण्डल, बोर्ड समिति या सीईओ द्वारा किया जाता है।	तिमाही और वार्षिक आधार पर।
	क्या कंपनी बीआर या संधारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है ?इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है ?यह कितनी बार प्रकाशित होता है ?	जी हाँ।आरईसी अपनी कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट को, वार्षिक रिपोर्ट के एक अंश के रूप में सालाना प्रकाशित करता है।वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक https://www.recindia.nic.in/ uploads/files/ar 2018-19.pdf है।

भाग च: सिद्धांत-वार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1- नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही

1.	क्या नीति कंपनी को केवल नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार के संबंध में कंपनी को कवर करती है ? हाँ / नहीं,क्या यह समूह / संयुक्त उद्यम आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / एनजीओ / अन्यों पर लागू है ?	आरईसी, भारतीय विद्युत क्षेत्र अर्थात् विद्युत उत्पादन (पारंपरिक और नवीकरणीय दोनों), पारेषण, वितरण आदि के सभी अंगभूतों के वित्तपोषण के कारोबार में लगा हुआ है। कंपनी के पास निष्पक्ष, पारदर्शी और नैतिक सुशासन प्रथाओं की एक मजबूत विरासत है।कंपनी की नैतिकता और सुशासन संबंधी रूपरेखा विभिन्न नीतियों/कोड आदि के रूप में निम्नानुसार परिभाषित हैं:- 1. 'धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति',जो धोखाधड़ी, रिश्वत अथवा भ्रष्टाचार के किसी भी कृत्य की रोकथाम, पता लगाने और रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करती है। 2. निदेशक और कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी अथवा कंपनी की आचार संहिता या आचार नीति के उल्लंघन के बारे में उनकी वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए 'निगरानी तंत्र'। इस तरह के निगरानी तंत्र के एक अभिन्न अंश के रूप में,आरईसी और/या इसकी अनुषंगी कंपनियों के निदेशकों और कर्मचारियों को सशक्त बनाने केलिए 'व्हीसल ब्लोअर पॉलिसी' भी अस्तित्व में है, ताकि कंपनी के भीतर किसी भी अनुचित गतिविधि का पता लगाया जा सके और उसकी रिपोर्ट की जा सके। 3. 'व्यापार आचरण और आचार संहिता', जो बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा किए जाने वाले व्यवहारिक और नैतिक मानकों को दर्शाती है। 4. भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप 'फेयर प्रैक्टिस कोड' है, जो कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ ऋण परिचालन में उचित और पारदर्शी परिपाटियों का पालन करता है। 5. 'आरईसी प्रापण दिशानिर्देश', जो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं और केंद्रीय सतर्कता आयोग(सीवीसी)के दिशानिर्देशों का भी अनुपालन करते हैं। 6. 'संबंधित पार्टी के लेनदेन के महत्व और संबंधित पार्टी के लेनदेन में निपटान संबंधी नीति' जो संबंधित पार्टी के लेनदेन करने से पूर्व किए जाने वाले पर्याप्त क्रियाविधियों और प्रकटनों को निर्धारित करती है। 7. 'आरईसी आचार, अनुशासन और अपील (सीडीए) नियम', जो सभी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता को परिभाषित करते हैं, जिसके तहत रिश्वत, भ्रष्टाचार, आदि के कार्य, यदि कोई हो, को कर्मचारियों की ओर से कदाचार के रूप में माना जाता है। 8. आरईसी की 'शक्तियों का प्रत्यायोजन(डीओपी)', जो संगठनात्मक पदानुक्रम के अंतर्गत कंपनी के दैनिक प्रचालनों के लिए अपनायी जाने वाली आंतरिक क्रियाविधियों को निर्धारित करता है। शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीओपी) का उद्देश्य कंपनी के वित्तीय स्वामित्व और समग्र नीति ढांचे के आधार पर सुचारू और शीघ्र काम करने की सुविधा प्रदान करना है।

		9. 'अभिहित व्यक्तियों और उनके सगे संबंधियों द्वारा तथा उचित प्रकटन के लिए ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनीटरिंग एवं रिपोर्टिंग हेतु आचार संहिता' जो सेबी द्वारा निर्धारित इन्साइडर ट्रेडिंग विधि का अनुपालन करती है। यह संहिता न केवल कंपनी के निदेशकों और नामित कर्मचारियों पर लागू होती है, बल्कि होल्डिंग कंपनी, अनुषंगी कंपनियों, मध्यवर्ती संस्थाओं के कर्मचारियों और कंपनी के साथ काम करने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों पर भी लागू होती है। उपरोक्त नीतियों, संहिताएं, नियम आदि का अनुपालन आरईसी की अनुषंगी कंपनियों, जहां कहीं भी लागू हो, द्वारा भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आरईसी यह भी सुनिश्चित करता है कि कंपनी के अन्य हितधारक, आरईसी के साथ अपने संव्यवहार में निष्पक्षता, नैतिकता और पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन करें। यह विशेषकर उल्लेखनीय है कि आरईसी ने अपनी सीएसआर गतिविधियों के तहत, देश के विभिन्न स्कूलों में 29 "इंटीग्रिटी क्लबों" की स्थापना की है। स्कूलों में इंटीग्रिटी क्लबों का उद्देश्य छोटे बच्चों के मन में नैतिक मूल्यों को विकसित करना है, ताकि वे सामाजिक और नैतिक रूप से देश के जिम्मेदार नागरिकों के रूप में विकसित हों;और भ्रष्टाचारके खतरे सामूहिक रूप से लड़ने के लिए उनका विकास योद्धाओं के रूप में किया जा सके। सुशासन और नैतिकता के लिए कंपनी की मजबूत प्रतिबद्धता को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भली भांति पहचाना जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आरईसीने लंदन में आयोजित समारोह में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित **गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2018 फॉर एक्सीलेंस इन कारपोरेट** गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त किया।
2.	पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन ने कितने % का संतोषजनक ढंग से समाधान किया ? यदि हां, तो इसके बारे में 50 शब्दों में या अन्य ब्योरा प्रस्तुत करें।	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी को इसकी व्हीसल ब्लोअर पॉलिसी और फेयर प्रैक्टिस कोड के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इसके अलावा, 15 सामान्य शिकायतें (गुमनाम/छद्मनामी शिकायतों के अन्यत्र) प्राप्त हुईं, जिनमें से 10 शिकायतों (अर्थात् 67%) का समाधान वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान किया गया और शेष शिकायतें समीक्षाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी को अपने इक्विटी शेयरधारकों और बॉण्डधारकों (सूचीबद्ध/गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियां) से क्रमशः 1,463 और 12,839 अनुरोध/शिकायतें प्राप्त हुईं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इक्विटी शेयरधारकों और बॉण्डधारकों से प्राप्त सभी अनुरोधों/शिकायतों का 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार संतोषजनक ढंग से समाधान कर दिया गया था, सिवाय बॉण्डधारकों से संबंधित 2 शिकायतों को छोड़कर, जिनका समाधान भी इस रिपोर्ट की तारीख के अनुसार संतोषजनक ढंग से किया गया है।

सिद्धांत 2 - उत्पाद के जीवन-चक्र में संधारणीयता

1.	अपने ऐसे 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची बनाएं जिनके डिज़ाइन में सामाजिकया पर्यावरणीय मुद्दों, जोखिमों और/ या अवसरों को शामिल किया गया है।	एक एनबीएफसी-आईएफसी कंपनी होने के नाते, आरईसी का मुख्य कारोबार विभिन्न राज्य विद्युत यूटिलिटियों, निजी क्षेत्र के परियोजना विकासकर्ताओं, केंद्रीय विद्युत क्षेत्र की यूटिलिटियों और राज्य सरकारों को विद्युत उत्पादन परियोजनाओं (पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों),पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं, विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण और अन्य प्रणाली सुधार योजनाओं/ पहलों में निवेश के लिए ऋण सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने आरईसी को अपने फ्लैगशीप कार्यक्रमों नामतः सार्वभौमिक आवास विद्युतीकरण के लिए 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' (सौभाग्य) और 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' (डीडीयूजीजेवाई), जिसमें ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलू एवं परिभाषित परियोजना अंगभूतों के जरिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'सबके लिए 24x7 बिजली' की उपलब्धि को सुगम बनाना शामिल है, के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।

		कंपनी द्वारा प्रस्तावित मुख्य उत्पादों/सेवाओं में सावधिक ऋण, मध्यावधि ऋण, अल्पावधि ऋण आदि शामिल हैं, जो प्रत्येक वित्तीय उत्पाद है। कंपनी परियोजनाओं के वित्त पोषण में सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को शामिल करने का प्रयास करती है। इसके अतिरिक्त, आरईसी ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के संबंध में भारत सरकार के संवर्धित फोकस के अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, जैसे सौर, पवन, बायोमास, लघु हाइड्रो आदि के वित्तपोषण हेतु एक नीतिगत ढांचे को तैयार किया है। कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण/पुनर्वित्तपोषण हेतु रियायती दरों पर ऋण प्रदान करती है। कंपनी पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए भी रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सौभाग्य योजना की नोडल एजेंसी होने के नाते, आरईसी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी आवासों (एपीएल और गरीब परिवार दोनों) तथा शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन प्रदानकरने के साथ, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी आवासों को बिजली के कनेक्शन तथा अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार के सार्वभौमिक आवास विद्युतीकरण कार्यक्रम में सहायता दे रहा है। इस प्रयोजनार्थ, आरईसी ने विद्युतीकरण कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल (सौभाग्य) को विकसित किया है तथा ग्राम विद्युत अभियंताओं (जीवीए) को ऐसे क्षेत्रों में परिनियोजित किया है, जहां मुख्य रूप से अविद्युतीकृत आवासों का कार्य शेष है। इसके अलावा, विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की, सभी संबंधित एजेंसियों के साथ नियमित समीक्षा की जाती है। आरईसी, अमेरिकी डॉलर में सूचीबद्ध ग्रीन बॉण्ड को लॉन्च करने वाला पहला भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भी है, जिसकी आय का उपयोग जलवायु बॉण्ड मानकों के अनुसार पात्र ग्रीन परियोजनाओं के वित्तपोषण/पुनर्वित्तपोषण के लिए किया जाता है। उक्त ग्रीन बॉण्ड से प्राप्त आय का अभी तक उपयोग आरईसी के ग्रीन बॉण्ड ढांचे में यथा परिभाषित सौर परियोजनाओं, पवन परियोजनाओं, नवीकरणीय खरीद दायित्वों और योग्य परियोजनाओं के पुनर्वित्तपोषण के लिए किया गया है। इस प्रकार, आरईसी भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के जरिए एक सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव बनाने की दिशा में योगदान दे रहा है।
2.	ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद की प्रत्येक यूनिट के उपयोग में संसाधन (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें। i. संपूर्णमूल्य श्रृंखला में पिछले वर्ष से प्राप्त सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के दौरान कमी ? ii. उपभोक्ताओं (ऊर्जा, पानी) द्वारा उपयोग के दौरान कमी को पिछले वर्ष से प्राप्त किया गया है ?	कंपनी की कारोबारी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, इन प्रश्नों की सीमित प्रयोज्यता है।एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी वित्तीय उत्पाद/सेवाएं प्रदान करती है और इसलिए प्रयुक्त इसके मुख्य संसाधनों में बिजली और कागज है। आरईसी ने अपने संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने के लिए वर्ष के दौरान कई पहल शुरू की हैं। आरईसी के कार्यालयों को पारंपरिक/सीएफएल लाइट फिटिंगों के स्थान पर ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटों लगाने के द्वारा अधिक ऊर्जा-कुशल बनाया गया है। कंपनी नई दिल्ली में इसके पंजीकृत कार्यालय में स्कोप द्वारा अनुरक्षित एसी चिलिंग यूनिटों, एलिवेटरों आदि की प्रभावी मॉनीटरिंग, कंट्रोलिंग और शैड्यूलिंग में योगदान भी देती है, जिसके फलस्वरूप बिजली की खपत को कम करने में सहायता मिलती है। आरईसी देश भर के अपने सभी कार्यालयों तथा अपनी अनुषंगी कंपनियों के कार्यालयों में 'ई-ऑफिस' प्रणाली के जरिए कागजरहित कार्य शुरूकरने वाला पहला सीपीएसई भी है, फल स्वरूप उत्पादकता, दक्षता, जवाबदेही एवं पारदर्शिता में सुधार हुआ है तथा पेपर का कम उपयोग होने के द्वारा कंपनी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भी कमी आयी है। इसके अलावा, कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, ई-वेस्ट पुनर्चक्रण हेतु उत्तरदायी निपटान के संबंध में, समय-समय पर संग्रहण किया जाता है। जल संरक्षण की दिशा में एक प्रयास के रूप में, कंपनी ने अपने कार्यालयों के प्रसाधनों में वॉटर-सेविंग फॉसेटस्/फिटिंगों को संस्थापित किया है।
3.	क्या कंपनी के पास स्थायी सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएं विद्यमान हैं ?	आरईसी एक वित्तीय संस्थान है और इसलिए, सामग्री आवश्यकताओं के संदर्भ में कम संसाधन-अवधारक है। इसका प्रमुख सामग्री संबंधी आवश्यकताओं में कार्यालय आपूर्ति, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित उपकरण शामिल हैं।

	(क) यदि हाँ, तो आपके इनपुट का कितना % स्थायी रूप से रखा गया था ?इस संबंध में, 50 शब्दों अथवा अधिक में ब्योरा प्रस्तुत करें।	सीमित परिसीमा के बावजूद, कंपनी अपनी सामग्री की उत्तरदायी सोर्सिंग सुनिश्चित करती है और सभी स्तरों पर अपने प्रापण दिशानिर्देशों में परिभाषित प्रक्रिया का पालन करती है। इसके अलावा, कंपनी एमएसमई विक्रेताओं से अपेक्षित खरीद भी सुनिश्चित करती है।
4.	क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों, उनके कार्य-स्थल के आसपास के समुदाय सहित, से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कदम उठाये हैं ? (क) यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और सामर्थ्य में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?	वित्तीय संस्थान होने के नाते, वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण ने आरईसी को सीमित प्रयोज्यता प्रदान की है।कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रापण सामग्री में मुख्य रूप से कार्यालय उपकरणयथा कंप्यूटर,प्रिंटर और उपभोग्य सामग्रियां एवं स्टेशनरी वस्तुएं आदि शामिल हैं। हालांकि, कंपनी अन्य तथ्यों पर तुलनात्मक रूप से विचार करते हुए, स्थानीय तौर पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को वरीयता प्रदान करती है। इसके अलावा, आरईसी एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी पहल को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से प्रापण करने को भी प्रोत्साहित करती है। आरईसी ने एमएसएमई विक्रेताओं से ₹ 10 लाख तक के मूल्य वाले सामान्य उपयोग की 100% वस्तुओं/सेवाओं की खरीद को अनिवार्य कर दिया है और साथ ही एमएसई को 50% तक मूल्य वरीयता देने की अनुमति दी है, जिसमें से 20% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला विक्रेताओं के लिए आरक्षित है। कंपनी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ पंजीकृत एमएसएमई यूनिटों के लिए अपनी प्रापण प्रक्रियाओं में विभिन्न सुविधाओं को लागू करती है, जैसे कि टेंडर सेटों की मुफ्त आपूर्ति, बयाना के भुगतान से छूट, कुछ मामलों में प्रतिभूति जमा में छूट आदि। इसके अलावा, आरईसी सरकार के संबंध, समाधान और ट्रेड्स पोर्टल, जो एमएसएमई क्षेत्र को सुगमता प्रदान कर रहे हैं, के साथ पंजीकृत है। कंपनी, समय-समय पर विभिन्न औद्योगिक निकायों/एसोसिशनों द्वारा आयोजित विक्रेता विकास कार्यक्रमों में भी भागीदारी करती है।
5.	क्या कंपनी के पास उत्पादों और अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का कोई तंत्र है ?यदि हाँ, तो उत्पादों और अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का क्या प्रतिशत है ? इसके अलावा, इस संबंध में लगभग 50 या शब्दों में ब्योरा प्रस्तुत करें।	एक वित्तीय संस्थान होने के नाते कंपनी के पास, उत्पादों और अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए सीमित गुंजाइश है। हालांकि, कंपनी ने अपने परिसरों से अपशिष्ट पेपरों को एकत्र करने के लिए आउटसोर्स पर तंत्र की व्यवस्था की है। इसके अलावा,आरईसी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ), भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ई-वेस्ट (प्रबंधन एवं रखरखाव) नियम, 2011 का भी अनुपालन कर रहा है। कंपनी का उद्देश्य अपने ई-वेस्ट को न्यूनतम करना और सरकारी/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकृत ई-वेस्ट रिसाइक्लर्स के जरिए अपने ई-वेस्ट का उत्तरदायी तरीके से निपटान सुनिश्चित करना है।

सिद्धांत 3 - कर्मचारी कल्याण

1.	कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या इंगित करें।	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 487 कर्मचारी थे।
2.	कृपया अस्थायी/ अनुबंध/अनियत आधार पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या इंगित करें।	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने अस्थायी/अनुबंध/ अनियत आधार पर किसी भी कर्मचारी को काम पर नहीं रखा था।हालांकि, कंपनी समय-समय पर संगठन की आवश्यकता के आधार पर, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करती है।
3.	कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 78 स्थायी महिला कर्मचारी थे अर्थात् इसके स्थायी कर्मचारियों की संख्या का 16%।
4.	कृपया दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।	31 मार्च, 2019 स्थिति के अनुसार, कंपनी की कार्मिक नामावली में 13 'दिव्यांग' कर्मचारी (विकलांग कर्मचारी) थे, अर्थात् इसके स्थायी कर्मचारियों की संख्या का 3%।
5.	क्या आपके यहां कोई कर्मचारी एसोसिएशन है, जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है ?	जी हाँ, आरईसी ने अपने गैर-पर्यवेक्षी स्थायी कर्मचारियों की यूनियन और कार्यपालकों की एसोसिएशन को मान्यता दी है।

6.	आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना % इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन का सदस्य है ?	कंपनी के नियमित कर्मचारी आरईसी की कर्मचारी यूनियन या कार्यपालकों की एसोसिएशन के सदस्य हैं।
7.	कृपया पिछले वित्त वर्ष के दौरान बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित और वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित शिकायतों की संख्या इंगित करें।	कंपनी को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बाल श्रम/जबरन श्रम/ अनैच्छिक श्रम या यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कोई शिकायत लंबित नहीं थी। इसके अतिरिक्त, कंपनी न तो बालश्रम/जबरनश्रम/अनैच्छिक श्रम का उपयोग करती है और न ही भेदभावपूर्ण किसी रोजगार परिपाटी अपनाती है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कंपनी ने 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया है। समिति की अध्यक्ष कपंनी की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी है और इसके सदस्य के रूप में एक एनजीओ का प्रतिनिधि शामिल है। कंपनी का यौन उत्पीड़न विरोधी रुख, आरईसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमावली में भी गया है।
8.	आपके कितने % उल्लिखित कर्मचारियों को पिछले वर्ष सुरक्षा एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया ?	कंपनी के कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए 'सुरक्षा' संबंधी प्रशिक्षण इन प्रश्नों की प्रयोज्यता सीमित है। तथापि, कंपनी का अपने कर्मचारियों के सतत् कौशल उन्नयन पर समय-समय पर ध्यान केंद्रित रहता है। आरईसी की प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन नीति का उद्देश्य बेहतर कर्मचारी निष्पादन के लिए अपेक्षित व्यापारिक कौशलों एवं क्षमताओं को तेज करना है और यह उनके निष्पादन तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए कर्मचारियों को सभी संभव अवसर एवं सहायता प्रदान करती है। कर्मचारियों को उस सामाजिक-आर्थिक परिवेश के संबंध में संवेदनशील बनाने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें कंपनी प्रचालन करती है और आध्यात्मिक, स्वास्थ्य एवं अभिवृत्तिक महत्व के विषयों पर भी प्रशिक्षण दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी के 203 स्थायी कर्मचारियों (कुल का 42 %), 41 स्थायी महिला कर्मचारियों (कुल का 8 %) और 7 दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों (कुल का 1 %) ने तकनीकी कौशल उन्नयन, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य एवं अभिवृत्तिक प्रशिक्षण प्राप्त किया जो 893 प्रशिक्षण मानव दिवस बनता है।

सिद्धांत-4 हितधारकों से जुड़ाव

1.	क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों को चिन्हित किया है ? हाँ/नहीं	जी हां, कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है। आंतरिक हितधारकों में कंपनी के कर्मचारी शामिल हैं। बाहरी हितधारकों में इक्विटी शेयरधारक, बॉण्डधारक, उधारदाताओं, लेनदार, राज्य सरकार, राज्य विद्युत बोर्ड, राज्य बिजली यूटिलिटी और अन्य उधारकर्ता, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और नियामक निकाय शामिल हैं।
2.	क्या कंपनी ने उपर्युक्त में से साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों का पता लगाया है ?	जी, हां। कंपनी ने साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों का पता लगाया है, और उनके सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम भी उठाती है। आरईसी ने अपने कर्मचारियों, स्टाफ और उनके आश्रितों के लिए सेवा के दौरान कर्मचारी लाभ, पात्र कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, कार्यजीवन शेष और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने पर जोर देते हुए महिला केंद्रित नीतियां, दिव्यांग कर्मचारियों को समान अवसर, कर्मचारियों की मृत्यु अथवा अपंगता की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पुनर्वास पैकेज जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए देश के सामान्य कानूनों और विनियमों तथा उचित नीतिगत परिपाटियों के अनुरूप कल्याणोन्मुख नीतियां अपनाई हैं जो इसके कर्मचारियों को उनकी व्यावसायिक अपेक्षाएं पूरी करने के लिए देखभाल, पोषण और अवसर का परिवेश प्रदान करने का प्रयास करती है।

		कंपनी, भर्ती में महिलाओं और ओबीसी/एससी/एसटी/शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों/मार्गदर्शी नियमों का भी पालन कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने लापरवाही के कारण और/अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण सार्वजनिक स्थानों पर मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देश अपनाए हैं। कंपनी में उसके इक्विटी शेयरधारकों/बॉण्डधारकों के लिए समर्पित निवेश सेवा दल है जो इन शेयरधारकों के सभी प्रश्नों/शिकायतों का संतोषजनक रूप से शीघ्र समाधान करने का प्रयास करता है। कंपनी उन शेयरधारकों तक पहुँचने के लिए नियमित आधार पर सर्वोत्तम प्रयास भी करती है जिनका दावा न किया गया/अप्रदत्त लाभांश कंपनी में पड़ा है ताकि वे निवेशकों से अपना अधिकृत धन लेने में चूक न हो। इसके अतिरिक्त, कंपनी उधारकर्ताओं के हितों की रक्षा उन्हें ईआरपी (उधारकर्ताओं का पोर्टल) में सीधी पहुँच देकर और कंपनी में उचित परिपाटी कोड के प्रभावी कार्यान्वयन से की जाती है। आरईसी, एमएसएमई से खरीद का भी संवर्धन करती है और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में पंजीकृत एमएसएमई विक्रेताओं को अपनी खरीद प्रक्रियाओं में कुछ खास सुविधाएं प्रदान करती है।
3.	क्या वंचित, सुभेद्य और सीमांत दावेदारों को लेने के लिए कंपनी द्वारा की गई कोई विशेष पहलें हैं? यदि हाँ, तो लगभग 50 शब्दों में उनके ब्यौरे दें।	जी हाँ, कंपनी नियमित रुप से अपनी आंतरिक और बाहरी सुविधा से वंचित, सुभेद्य और सीमांत दावेदारों के साथ कार्य करने के लिए नियमित रुप से पहल करती है। कंपनी ने अपनी सीएसआर पहलों के तहत आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों, वृद्धजनों, दिव्यांग व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों, युवाओं आदि को सहायता देने के लिए कई सामाजिक रूप से लाभदायक परियोजनाएं चली हैं। समाज के वंचित, सुभेद्य और सीमांत वर्गों के लाभार्थ कंपनी द्वारा चलाई गई/शुरूकी गई कुछ परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: • मेवात (हरियाणा) में 100 स्व-सहायता समूहों को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण जिसमें सिलाई, टेलरिंग, कसीदाकारी, खाद्य प्रसंस्करण, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य में घर पर प्रशिक्षण शामिल है ताकि महिलाएं वित्तीय स्वाधीनता प्राप्त कर सकें और अपनी पारिवारिक आय अर्जित कर सकें। • समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण। • समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/सीमांत समुदायों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए रेवा, मध्य प्रदेश में अस्पताल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता। • सुविधारहित बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समाविष्ट करने में सहायता देने के उद्देश्य से ओडिशा में अध्ययनरत 300 जनजातीय बच्चों को शिक्षा, अध्ययन सामग्री, वर्दी, भोजन, बिस्तर, दवाई, शौचालय सामग्री तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। • ग्रामीण क्षेत्रों में आरओ जल संयंत्र, बोरवैल आदि के माध्यम से सुरक्षित पेयजल सुविधाओं के लिए परियोजनाएं। • समाज के कमजोर वर्गों के दिव्यांगों को सहायक सामग्री तथा उपकरणों का वितरण। • अवसंरचना सुविधाओं का विकास कर और स्पीच थैरापी, फिजियोथैरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरापी आदि जैसे व्यावसायिक सेवाएं प्रदान कर दिव्यांग व्यक्तियों का पुनर्वास। • जयपुर में सेठ आनन्दीलाल पोद्दार बधिर एवं मूक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अवसंरचना विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता। • विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय भवन, सड़कों, नालियों का निर्माण, स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना, एलईडी लाइटें, आरओ संयंत्र लगाना, शव-वाहनों, फ्रीजरों, बड़े आकार की नावों की खरीद, तालाबों का पुनरुद्धार, घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन, वाटरशेड विकास आदि जैसे ग्रामीण विकास कार्यों के लिए कार्यक्रम।

		आरईसी परिभाषित परियोजना संघटकों के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए 24x7 विद्युत" उपलब्ध कराने को सुकर बनाने के लिए ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए, सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों, यथा - सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण के लिए "*प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना*" (सौभाग्य) और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के लिए भी प्रमुख एजेंसी है। यह उल्लेख करना व्यावहारिक है कि अप्रैल, 2018 में भारत में सभी आवासित जनगणनों गांवों का 100 ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़, जहां भी अब तक 99 % से अधिक विद्युतीकरण हासिल कर लिया गया है, को छोड़कर देश के सभी राज्यों में सभी इच्छुक घरों का 100 % विद्युतीकरण हासिल कर लिया गया है।

सिद्धांत-5 मानवाधिकारों को बढ़ावा देना

1.	क्या मानवाधिकार पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह/ संयुक्त उपक्रम/ आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों/ गैर-सरकारी संगठनों/ अन्य लोगों को भी प्रदान करती है ?	आरईसी 'यूएस ग्लोबल कॉम्पैक्ट का एक सक्रिय सदस्य है और मानवाधिकारों, श्रम, पर्यावरण तथा भ्रष्टाचार रोधी क्षेत्रों में इसके सिद्धांतों का पालन करता है, जो वैश्विक स्तर पर स्वीकृत हैं और मानवाधिकार संबंधी वैश्विक घोषणा कार्यक्षेत्र संबंधी मूल सिद्धांतों और अधिकार पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा, पर्यावरण और विकास संबंधी रियो घोषणा तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध यूनाइटेड नेशन कन्वेन्शन से लिए गए हैं। कंपनी के कारोबार को ध्यान में रखते हुए, मानवाधिकार केवल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों तक सीमित हैं। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए आरईसी ने कर्मचारी अभिमुखी नीति अपनाई है, जो सामान्य कानूनों और विनियमों तथा राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही बेहतर नैतिक व्यवहार संबंधी पद्धतियों के अनुसार है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों के हित और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण जैसे क्षेत्र आते हैं। आरईसी उनकी व्यावसायिक अपक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने कर्मचारियों को देखभाल, देखभाल का परिवेश, पोषण और अवसर प्रदान करने का भी प्रयास करता है। इसके अलावा, कंपनी का विश्वास है कि कोई भी स्थायी संगठन मानवाधिकारों की नैतिकता और विश्वास की नींव पर ही खड़ा होता है और कंपनी विविध उम्मीदवारों के पूल से अधिकतम प्रतिभावान लोगों की भर्ती, विकास और उन्हें रिटेन करते हुए कार्यस्थल की विविधता को सुनिश्चित करती है। आरईसी प्रतिभा और कार्य निष्पादन के आधार पर आगे बढ़ने के सिद्धांत को महत्व देती है और समान अवसरों पर इसकी पूरी प्रतिबद्धता है। कंपनी सुरक्षित सामाजिक वातावरण और मानव स्वास्थ्य पर भी जोर देती है। यह ऐसे आचरण को हतोत्साहित करती है, जिसमें निर्णय लेने के लिए पक्षपातपूर्ण अवसरों को प्रदान किया जाता है या उस पर रोक लगाई जाती है और जिससे व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों द्वारा उसका अनुपालन किया जाता है।
2.	पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक समाधान किया गया है ?	कंपनी को हितधारकों से मानवाधिकारों से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

सिद्धांत-6 - पर्यावरण संरक्षण

1.	क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी पर लागू होती है या समूह/संयुक्त उद्यम/ आपूर्ति कर्ताओं/ ठेकेदारों/ गैर-सरकारी संगठनों/ अन्यों पर भी लागू होती है ?	कंपनी अपनी समूह कंपनियों / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/ अन्यों को पर्यावरण बचाव और स्थिरता पर केंद्रित पहलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। कंपनी की पर्यावरण बचाव से जुड़ी नीति उसकी सभी समूह कंपनियों पर भी लागू होती है।

2.	क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए कोई कार्यनीति/ पहल है ? कृपया हां/ नहीं में उत्तर दें। यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि का हाइपरलिंक दें।	आरईसी एक एनबीएफसी - आईएफसी होने के कारण सौर, पवन, बायोमास, को-जनरेशन, लघु जल विद्युत परियोजनाओं आदि जैसी ग्रीन ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण पर भारी जोर देकर वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान कर रही है। आरईसी इन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए रियायती ब्याज दर प्रदान करती है जिससे देश की जीवाश्म ईंधनों पर कम निर्भरता सुकर होती है। वर्ष 2018-19 के दौरान, आरईसी ने ₹ 11,875.20 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत की है और विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹ 6,627.76 करोड़ संवितरित किए। आरईसी ने चार्जिंग अवसरंचना सहित एक स्वच्छ प्रौद्योगिकी ई-वाहनों का भी वित्तपोषण किया है जो निकट भविष्य में भारी मात्रा में आने की उम्मीद है। आरईसी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर लिफ्ट इरीगेशन परियोजनाओं का भी वित्तपोषण किया है जिसका पर्यावरणीय संधारणीयता में योगदान होगा। आरईसी ने अन्तर्राष्ट्रीय सोलर अलांयस जो सोलर संसाधन संपन्न देशों में सहयोग के लिए एक समर्पित मंच है, जहां द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संगठनों, कारपोरेट, उद्योग और अन्य स्टेकहोल्डरों सहित वैश्विक समुदाय एक सुरक्षित, सुविधाजनक, सस्ते, न्यायपरक और सतत् तरीके से भावी आईएसए सदस्य देशों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के साझे लक्ष्यों में सहयोग करने और उसे प्राप्त करने में सहायता करने के लिए एक सकारात्मक योगदान कर सकते हैं, के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। आरईसी ने वैश्विक सहयोग के माध्यम से संधारणीयता का संवर्धन करने के लिए 1 मिलियन अमेरीकी डॉलर का अंशदान किया है। आरईसी अमेरिकी डॉलर में ग्रीन बॉण्डों के माध्यम से निधियां जुटाने वाला वाला पहला भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भी है जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। उपर्युक्त ग्रीन बॉण्डों से प्राप्त आय का उपयोग पात्र ग्रीन परियोजनाओं, प्राथमिक रूप से सौर विद्युत परियोजनाओं, पवन विद्युत परियोजनाओं और नवीकरणीय क्रय दायित्वों के लिए क्लाइमेट बॉण्ड मानकों के अनुसार, के वित्तपोषण/पुनः वित्तपोषण के लिया किया जाता है। आरईसी ने परियोजनाओं का एक 'ग्रीन पोर्टफोलियो' भी सृजित किया है जिसमें ग्रीन बॉण्डों से प्राप्त आय आबंटित की जाती है। उपर्युक्त ग्रीन पोर्टफोलियो का प्रबंधन एक सुस्थापित ईआरपी आधारित आंतरित ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी और उसके कर्मचारियों ने 'स्वच्छता पखवाड़ा' मनाया और विशेष स्वच्छता अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपने कर्मचारियों में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम/बातचीत के सत्र, नुक्कड़ नाटक आदि आयोजित कती है।
3.	क्या कंपनी ने संभावित पर्यावरण संबंधी जोखिम की पहचान और मूल्यांकन की है ?	उपर्युक्त प्रश्न कंपनी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह विनिर्माण कंपनी नहीं है। तथापि, सभी विद्युत परियोजनाओं, जिनका यह वित्तपोषण करती है, मूल्यांकन के दौरान आरईसी उन परियोजनाओं से जुड़े संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान करती है और उनका मूल्यांकन करती है। आरईसी एकीकृत पर्यावरण संबंधी जोखिम का मूल्यांकन करने और समग्र निवेश जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में इसकी कटौती करने में सबसे आगे रहा है। परियोजना मूल्य निरूपण के भाग के रूप में, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की पहचान की जाती है और एक विस्तृत उचित मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें कार्यस्थल का निरीक्षण, द्वितीयक सूचना संग्रहण और विश्लेषण, लागू अनुपालनों और सहमतियों की समीक्षा भी शामिल है।

4.	क्या कंपनी की स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है ? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में उसका ब्यौरे दें। साथ ही, यदि हाँ, क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई है ?	उपर्युक्त प्रश्न कंपनी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह विनिर्माण कंपनी नहीं है। तथापि, आरईसी ने जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आदि जैसी वैश्विक पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करने के लिए पूरे देश में सौर, पवन, बायोमास, लघु जल विद्युत जैसी स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं और अन्य नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए कम ब्याज दरें पेश करने के लिए एक नीति तैयार की है। वर्ष के दौरान, आरईसी ने कुल 2197.46 मेगावाट संस्थापित उत्पादन क्षमता वाली 36 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को ₹ 11,875.20 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत की जिसमें से 12 परियोजनाएं कुल 860 मेगावाट की सोलर फोटोवोल्टेक परियोजनाएं थीं, 13 परियोजनाएं 1280 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाएं थीं, 2 परियोजनाएं कुल 27 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं थीं, 1 परियोजना कुल 28.81 मेगावाट की सोलर पम्प सेट परियोजना (6,583 पम्प सेट) थी, 1 परियोजना कुल 1.65 मेगावाट की सोलर पीवी रूफटॉप परियोजना थी, 1 परियोजना इलैक्ट्रिक वाहन परियोजना थी और 6 परियोजनाएं राज्य डिस्कॉमों को उनके नवीकरणीय क्रय दायित्वों को पूरा करने के लिए ऋण थी। यह उल्लेख करना व्यावहारिक है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में "नवीकरणीय ऊर्जा" श्रेणी के तहत आरईसी की स्वीकृतियों और संवितरणों में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 69 % और 23 % की वृद्धि दर्ज की गई है।
5.	क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीक, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर अन्य कोई भी पहल की है। हां/नहीं, यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि का हाइपरलिंक दें।	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आरईसी ने आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में 6,583 सोलर पम्पों की संस्थापना के लिए ₹ 111.83 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया। इसके अतिरिक्त, आरईसी ने चार्जिंग अवसंरचना सहित हैदराबाद में ई-बसों के लिए ₹ 56.81 करोड़ स्वीकृत किए। आरईसी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में कार्यान्वित की जा रही व्यापक स्तर वाली लिफ्ट इरीगेशन परियोजनाओं के विद्युत संबंधी परियोजना संघटकों के लिए भी वित्तीय सहायता दी। इसके अतिरिक्त, आरईसी सीएसआर पहलों के तहत पर्यावरणीय संधारणीयता के लिए उपाय करती है। इन कुछ परियोजनाओं का नाम लें तो आरईसी ने शैक्षणिक संस्थाओं में सोलर पीवी प्रणालियों की स्थापना, जनता के लाभार्थ भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में वाटर एटीएम की संस्थापना, आंध्र प्रदेश में जैव संसाधनों के संरक्षण और संधारणीय प्रबंधन और गाजियाबाद में इलैक्ट्रिक शवदाह गृह की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। कंपनी से संबंधित पहलों के अधिक विवरण के लिए, कृपया कारपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट देखें, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।
6.	रिपोर्ट के अधीन वित्तीय वर्ष में सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी जाने वाली अनुमत सीमा के भीतर कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/अपशिष्ट क्या हैं ?	उपरोक्त प्रश्न कंपनी के लिए सीमित प्रासंगिकता का है क्योंकि यह एक विनिर्माण कंपनी नहीं है हालांकि, कंपनी, अपने परिसर और परिचालन के संबंध में लागू पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन करती है।
7.	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित (यानि की संतोषजनक स्तर का हल नहीं) सीपीसीबी /एसपीसीबी से प्राप्त होने वाले कारण बताओ/कानूनी नोटिस की संख्या।	आरईसी को सीपीसीबी/एसपीसीबी से कोई कारण बताओ/ कानूनी नोटिस नहीं मिला है।

सिद्धांत-7 - उत्तरदायी लोक नीति का समर्थन

1.	क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैंबर या एसोसिएशन की सदस्य है ? यदि हां, तो केवल ऐसे प्रमुख एसोसिएशन आदि के नाम का उल्लेख करें जिनके साथ आपका संव्यवहार है।	जी हां, आरईसी वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी), स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (स्कोप), दि एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), पॉवर एचआर फोरम, इंडिया सीएफओ फोरम, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए), लोक उद्यम संस्थान (आईपीई) और ग्लोबल कंपैक्ट सहित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड चैम्बरों, एसोसिएशनों आदि का सदस्य है। आरईसी ने इंटरनेशनल सोलर एलाइंस (आईएसए) के साथ भी एक संधि की है। इसके अतिरिक्त, आरईसी सरकार के ई-मार्केट प्लेस (जैम) में पहले से ही पंजीकृत है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्य समूहों के भाग के रूप में विद्युत क्षेत्र में नीतियों का निर्माण करने में योगदान देते हैं।
2.	क्या आपने सरकारी हितों के उन्नयन और सुधार के लिए उपर्युक्त संस्थाओं के माध्यम से पैरवी/लॉबी की है ? यदि हां तो व्यापक क्षेत्रों का उल्लेख करें।	कंपनी ने समय-समय पर उपर्युक्त एसोसिएशनों के विभिन्न मंचों पर स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और ऊर्जा दक्षता संबंधी मुद्दे उठाए हैं। कंपनी ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों, ग्रामीण उद्योग संवर्धन, ग्रामीण विद्युत सुपुर्दगी मॉडल और कौशल विकास के संवर्धन के लिए भी पहलें की है। इसके अतिरिक्त, अपने सीएसआर क्रियाकलापों के तहत कंपनी वृद्ध व्यक्तियों और दिव्यांग व्यक्तियों आदि की देखभाल सहित विद्यालय भवनों के निर्माण, विद्यालय में स्वच्छता सुविधाओं, सीवेज शोधन संयंत्रों, अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल संबंधी पहलों जैसे सार्वजनिक हित के लिए अवसंरचना के सृजन हेतु कई पहलें भी कर रही है। कंपनी से संबंधित पहलों के अधिक विवरण के लिए, कृपया 'कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट' देखें, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। यहां यह उल्लेख करना व्यावहारिक है कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), तीन अन्य विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ आरईसी का संयुक्त उद्यम, ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में बाजार अग्रणी है। ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्ब वितरित करने के लिए ईईएसएल की अग्रणी पहल से कार्बन की छाप और पूरे देश के विद्युत बिलों में कमी आई है। आरईसी बहु विध वित्तपोषकों के माध्यम से एमएसएमई की व्यापार प्राप्य का वित्तपोषण सुकर बनाने के लिए एक ऑनलाइन तंत्र ट्रेड्स प्लेटफॉर्म (ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम) पर भी पंजीकृत है और एमएसएमई विक्रेताओं द्वारा बिल में छूट के लिए इस मंच पर महसूस की गई अपनी उपस्थिति दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, आरईसी संबंध और समाधान जैसे सरकार के अन्य एमएसएमई संबंधी पोर्टलों पर भी पंजीकृत है। आरईसी ने चंडीगढ़ और सूरत में मार्च, 2019 में क्रमशः फिक्की और सीआईआई द्वारा आयोजित विक्रेता विकास कार्यक्रमों में भी भागीदारी की है।

सिद्धांत-8 - समावेशी संवृद्धि और न्यायसंगत विकास

1.	क्या कंपनी की सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में विशिष्ट कार्यक्रम/ पहल/परियोजनाएं हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण दें।	विद्युत मंत्रालय ने आरईसी को अपने अग्रणी कार्यक्रमों, यथा सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण के लिए "प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)" तथा परिभाषित परियोजना संघटकों के माध्यम से देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में "24x7 सभी के लिए विद्युत" प्राप्त करना सुकर बनाने के लिए ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए "दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)" के प्रचालनीकरण के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में नामित किया है। कंपनी अपनी सीएसआर पहलों के तहत, समावेशी विकास और न्यायपरक विकास के सिद्धांत के अनुसरण में ग्रामीण विकास, कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरणीय संधारणीयता और ग्रामीण अवसंरचना विकास आदि के क्षेत्रों में नियमित रूप से परियोजनाएं चलाती है। इन कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत सूचना 'कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों से संबंधित रिपोर्ट' में दी गई है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। आरईसी ने दिव्यांगों का अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार दिव्यांगों के लिए "पहुंच योग्य भारत अभियान" सुकर बनाने के लिए "समान अवसर नीति" भी अपनाई है।

2.	क्या इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं का संचालन आंतरिक दल/अपने फाउंडेशन /बाह्य गैर-सरकारी संगठन/सरकारी ढांचे/ अन्य किसी संगठन के माध्यम से किया जाता है ?	सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों यथा *प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)* और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के प्रचालनीकरण के लिए, आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल को समय-समय पर कार्यान्वयन/मॉनीटरिंग के लिए लगाया जाता है। आरईसी ने भारत सरकार की पहलों के तहत देश में गांव और घरों के विद्युतीकरण के कार्यों के कार्यान्वयन/ मॉनीटरिंग के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल को लगाया है। इस प्रयोजन के लिए पूर्व परिभाषित लक्ष्यों के विरुद्ध गांव/घरों के विद्युतीकरण की प्रगति के वास्तविक समय पर अद्यतनीकरण के लिए समर्पित ऑनलाइन पोर्टल गर्व/सौभाग्य विकसित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन ऐप/वेब पोर्टल के माध्यम से विद्युतीकरण कार्यों की स्थिति/प्रगति की गहन मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए फील्ड स्तर पर देश के सभी राज्यों में युवा अभियंता (ग्राम विद्युत अभियंता) तैनात किए गए थे। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी इच्छुक घर बिना बिजली के कनेक्शन के न रह जाए, सभी जिलों में सौभाग्यरत के अभियान के रूप में एक विशेष अभियान शुरूकिया गया था और घर-घर अभियान के माध्यम से तथा इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया आदि में विज्ञापन प्रकाशित कर प्रचार किया गया था। कंपनी के सीएसआर क्रियाकलाप आरईसी प्रतिष्ठान, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी के माध्यम से किए जाते हैं। आरईसी फाउंडेशन समान कार्यों के लिए सरकारी/ अर्ध सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठनों में विगत कार्य अनुभव वाले और प्रचालनों के उनके बल क्षेत्रों के अनुरूप कंपनी की सीएसआर एवं संधारणीयता नीति में निर्धारित किए गए अनुसार विशेषज्ञ वाली एजेंसियों के माध्यम से सीएसआर क्रियाकलापों/परियोजनाओं का कार्यान्वयन करता है।
3.	क्या आपने अपनी पहलों का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है ?	आरईसी सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों, यथा सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण के लिए *"प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना* (सौभाग्य)" तथा परिभाषित परियोजना संघटकों के माध्यम से देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में "24x7 सभी के लिए विद्युत" प्राप्त करना" सुकर बनाने के लिए ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)" के लिए प्रमुख एजेंसी है। अप्रैल, 2018 में भारत में सभी आवासित जनगणना गांवों में 100 % गांवों का विद्युतीकरण हासिल किया गया था और 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़, जहां अब तक 99 % से अधिक विद्युतीकरण हासिल कर लिया गया है, को छोड़कर देश के सभी राज्यों में सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण हासिल कर लिया गया है। कंपनी की सीएसआर पहलों का प्रभाव मूल्यांकन आरईसी की सीएसआर एवं संधारणीयता नीति के तहत परिभाषित स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है जिसमें सीएसआर पहलों की प्रगति और प्रभाव की मॉनीटरिंग, मूल्यांकन किया जाता है और समय-समय पर समीक्षा के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को प्रस्तुत किया जाता है।
4.	सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - भारतीय रुपए में राशि और संचालित परियोजनाओं के ब्यौरे ?	कंपनी द्वारा समय-समय पर की जा रही विभिन्न सीएसआर पहलों का समुदाय विकास एक अभिन्न अंग है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आरईसी की सीएसआर पहलों में कूपों को गहरा करके राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, चेक बांधों का पुनरुद्धार एवं पुनर्निर्माण तथा चिकित्सा शिविरों का आयोजन, मणिपुर में गांव में बहु-प्रयोजनीय सदनों एवं इंडोर स्टेडियम का निर्माण और बिहार के कुछ क्षेत्रों में समुदाय भवनों का निर्माण, पीसीसी रोड, नालियों, यात्री शेड का निर्माण, एलईडी लाइटें लगाना, आरओ प्लांट लगाना आदि शामिल हैं।

		आरईसी की एक सीएसआर पहल में मेघालय और नागालैंड में 130 सुदूर गांवों में ग्रामीण विकास के लिए नॉर्थ ईस्ट स्लो फूड एंड एग्रोबायोडाइवर्सिटी सोसायटी (एनईएसएफएएस) को 9.41 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता शामिल है। उपर्युक्त कार्यक्रम अर्थात "कोई भी छूट नहीं जाएगा" एक तीन वर्षीय परियोजना है जिसका उद्देश्य पोषण में सुधार लाने के लिए देशी खाद्य प्रणाली बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और 3000 से अधिक घरों के लिए संधारणीय आजीविका सृजित करना है। इस परियोजना क्रियाकलाप में समुदाय के भलाई के लिए पोषणात्मक विश्लेषण, समुदाय बीज फेयर, पोषण संबंधी स्थानीय प्रजातियों की खपत बढ़ाना, उद्यमिता के लिए कौशल एवं प्रशिक्षण तथा आजीविका कार्यक्रम और नवीकरणीय ऊर्जा में एक पहल शामिल है। यह कार्यक्रम परियोजना क्षेत्र में युवाओं, किशोर बालिकाओं, महिलाओं और समुदाय के वृद्धों को लाभान्वित करने के लिए तैयार किया गया है।
5.	क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय ने सफलतापूर्वक अंगीकृत किया है ?	आरईसी के समुदाय विकास कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक अपनाने की मॉनीटरिंग की जाती है और आरईसी की सीएसआर एवं संधारणीयता नीति की स्थापित प्रक्रिया के तहत समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, आरईसी परियोजना की योजना बनाने में और उन समुदाय विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कार्यक्रम का स्वामित्व और संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसी (एजेंसियों)/विभाग (विभागों), गैर-सरकारी संगठनों और अन्य स्थानीय संस्थाओं जैसे दावेदारों की सक्रिय भागिता को प्रोत्साहित करती है। उन दावेदारों से प्राप्त सूचना को उसी अथवा अन्य स्थानों में उन/समान कार्यक्रमों के आगे विकास में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाता है।

सिद्धांत-9 - ग्राहकों को महत्व

1.	वित्तीय वर्ष के अंत तक ग्राहकों की शिकायतों/उपभोक्ताओं के कितने % मामले लंबित हैं ?	विभिन्न दावेदारों से वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों को, बॉण्डधारकों से संबंधित दो शिकायतों को छोड़कर, जिन्हें भी इस रिपोर्ट की तारीख को संतोषजनक ढंग से हल कर दिया गया है, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार संतोषपूर्ण ढंग से हल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ग्राहक न्यायालय में लंबित बाण्डों में निवेशक से संबंधित केवल एक ग्राहक मामला है जिसे निवेशक के सर्वोत्तम हित में हल किया जाएगा।
2.	क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य उत्पाद के लेबलों पर उत्पाद की सूचना को प्रदर्शित करती है ? हाँ/नहीं/ लागू नहीं/ अभ्युक्ति	यह लागू नहीं है क्योंकि यह कंपनी एक विनिर्माण कंपनी नहीं है। तथापि, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसके निगम प्रोफाइल तथा वित्तीय उत्पादों और दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में पर्याप्त प्रकटन आरईसी की वेबसाइट और समय-समय पर विभिन्न दावेदारों को कंपनी द्वारा जारी की गई निगम विज्ञप्ति पर विभिन्न व्यापार एवं व्यापारिक क्रियाकलापों पर वितरित प्रेस विज्ञापनों, पम्फलेटों एवं निगम ब्रोशरों आदि के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अपने उधारकर्ताओं को वास्तविक समय आधार पर उनके ऋणों और आरईसी की स्कीमों की स्थिति जानने में उन्हें सुविधा देने के लिए एक ऑनलाइन "बोरोअर पोर्टल" विकसित कर उन्हें सीधे ही अपने ईआरपी पोर्टल का लाभ दिया है।
3.	क्या किसी हितधारक ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित कारोबारी, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के बारे में कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत दायर की है और इस वित्तीय वर्ष के अंत में कितनी शिकायतें लंबित हैं ? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा लगभग 50 शब्दों में दें।	आरईसी अपनी सहायक कंपनियों के साथ कानून के ढांचे के अंतर्गत नीतिगत परिपाटियों और नैतिक व्यापारिक व्यवहार के उच्चतम संभावित मानकों के प्रति प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में, अनुचित व्यापारिक परिपाटियों, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और/अथवा प्रतिस्पर्द्धारोधी व्यवहार का कोई मामला आरईसी में लंबित नहीं था। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल के विरुद्ध एक सूचनादाता (नाम प्रकट नहीं किया गया है) द्वारा दायर सूचना पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने एक जांच का आदेश दिया था। सीसीआई ने यह पाते हुए आरईसीपीडीसीएल के पक्ष में मामले को निपटा दिया कि आरईसीपीडीसीएल और अन्य के विरुद्ध प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है तथा वर्ष 2016-17 में मामले को बंद करने का आदेश दिया गया था।

4.	क्या आपकी कंपनी ने उपभोक्ता सर्वेक्षण/ उपभोक्ता संतुष्टि संबंधी प्रवृत्ति का सर्वेक्षण किया है ?	आरईसी अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने में विश्वास करती है। ग्राहकों की आशाओं को समझने और बाजार में कंपनी की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को मापने के लिए समय समय पर ग्राहकों के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं। आरईसी पूरे भारत में स्थित अपने क्षेत्रीय/राज्य कार्यालयों के माध्यम से अपने ग्राहकों के साथ निरंतर संपर्क में रहने के लिए देश भर में अपनी उपस्थिति बनाए रखता है। ग्राहकों से प्राप्त सूचना सेवा की गुणवत्ता और अधिक बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जाती है। वरिष्ठ प्रबंधन प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित आधार पर बैठकें करता है जिनमें ये सभी मामले लिए जाते हैं और उधारकर्ताओं की ग्राहकीय आवश्यकताओं को हल करने के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में निर्णय लिया जाता है। विगत में, आरईसी ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण कराया था। सर्वेक्षण में केंद्रीय एवं राज्य सरकारी विद्युत कंपनियों और निजी विद्युत कंपनियों से युक्त देश भर में आरईसी के प्रतिष्ठित ग्राहक शामिल थे। इस सर्वेक्षण के तहत आरईसी द्वारा प्राप्त समग्र ग्राहक संतुष्टि सूचकांक (सीएसआई) स्कोर 85.7 % था, जो अमेरिकी ग्राहक संतुष्टि सूचकांक से बैंकिंग सेवाओं में सर्वोत्तम में से है। कंपनी ने वर्ष 2019 के दौरान आयोजित किए जाने वाले अपने ग्राहकों का अगला ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण भी शुरू कर दिया है।

कारोबार दायित्व संबंधी रिपोर्ट का अनुबंध

पी1 *नीति, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ स्वयं ही व्यापार आयोजित किए जाने चाहिए और शासित होने चाहिए*

क्रम सं. 3 - आरईसी अपने व्यापारिक क्रियाकलाप नीतिगत, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के अत्यधिक महत्व के साथ करती है। कंपनी में विभिन्न नीतियां और कोड लागू हैं जो उसके नेतृत्व, प्रबंधन, कर्मचारियों और व्यापारिक सहयोगियों द्वारा कठोरता से अनुपालन के लिए उसकी नीतियां और सुशासन कार्यढांचे को परिभाषित करती हैं। ये नीतियां कंपनी पर लागू कानून के पूर्णतः अनुरूप हैं।

क्रम सं. 6 - कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित संगत नीतियों/कोडों के लिंक, जो सार्वजनिक पटल पर हैं, नीचे दिए गए है:-

नीति का नाम	**वेबलिंक**
धोखाधड़ी निवारण नीति	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/prevention_fraud_policy.pdf
व्हीसल ब्लोअर नीति	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Whistle_Blower_Policy.pdf
व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता	http://www.recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf
निष्पक्ष व्यवहार कोड	http://recindia.nic.in/download/fair_practice_code.pdf
संबंधित पक्षकार लेन-देनों की वास्तविकता और संबंधित पक्षकार लेन-देनों संबंधी नीति	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/RPT.pdf
नामित व्यक्तियों और उनके तत्काल संबंधितों द्वारा व्यापार के विनियमन, मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग तथा उचित प्रकटन के लिए आचार संहिता	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-revised-insider-trading-code-submitted-to-stock-exchanges-dt070619.pdf
अन्य नीतियां आंतरिक दस्तावेजों में हैं और उन तक केवल संगठन के कर्मचारियों की पहुंच है।	

पी2 *व्यापार में वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिएं जो उनके पूरे जीवनचक्र के दौरान संधारणीयता के लिए सुरक्षित हों और योगदान करें*

क्रम सं. 3 - कंपनी के कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इस सिद्धांत की इस कंपनी पर सीमित प्रयोज्यता है। तथापि, कंपनी संवृद्धि और स्थायित्व के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए संधारणीय कारोबार पद्धतियों का अनुसरण करने का प्रयास करती है। यह कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं पर लागू होने वाले विनियमों का पालन करती है और इस कंपनी ने समावेशी संवृद्धि और पर्यावरणीय संधारणीयता को संवर्द्धित करने की पहलें की हैं। '

क्रम संख्या 6- कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति कंपनी की वेबसाइट के लिंक **https://www.recindia.nic.in/** uploads/files/CSR-Policy-Wef110717-UpldDt300518.pdf. पर उपलब्ध है।

पी3	*कारोबार को सभी कर्मचारियों का हित संवर्धित करना चाहिए।* क्रम सं. 3 - देश के सामान्य कानूनों और विनियमों तथा अपने कर्मचारियों के हित के लिए अच्छी नीतिगत परिपाटियों के अनुरूप कंपनी ने कर्मचारी अभिमुखी नीति अपनाई है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों का हित और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकना, समान अवसर आदि शामिल है। क्रम संख्या 6. इन नीतियों को केवल कंपनी के कर्मचारियों द्वारा वास्तविक रूप से या ऑनलाइन देखा जा सकता है।
पी4	*कारोबार को सभी हितधारकों, विशेषकर जो वंचित, सुभेद्य और सीमांत हैं, उनके हितों को सम्मान देना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।* क्रम सं. 3 - यह कंपनी वंचित, सुभेद्य और सीमांत हितधारकों सहित अपने सभी हितधारकों के हित का सम्मान करती है। यह कंपनी स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं, ग्रामीण विकास परियोजनाओं आदि जैसे क्षेत्रों में मध्यस्थताओं के माध्यम से अपनी निगम सामाजिक दायित्व एवं संधारणीयता नीति के अनुसरण में समग्र वृद्धि के प्रति कार्य करती है। क्रम संख्या 6- कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति कंपनी की वेबसाइट पर **https://www.recindia.nic.in/uploads/files/CSR-Policy-Wef110717-UpldDt300518.pdf** लिंक पर उपलब्ध है।
पी5	*कारोबार को मानव अधिकारों का सम्मान और संवर्धन करना चाहिए* क्रम संख्या 3 - आरईसी यथासंभव सभी तरीकों से मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करने का प्रयास करता है। निदेशक मण्डल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता (कोड) जिसे कंपनी ने इस सिद्धांत की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अंगीकृत किया है। इस संहिता में निष्पक्ष रोजगार परिपाटी और विविधता, निष्पक्ष प्रतियोगिता, उत्पीड़न और धमकी का निषेध एवं कार्यस्थल पर सुरक्षा पर बल दिया गया है। क्रम संख्या 6 - कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता कंपनी की वेबसाइट पर **https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf.** लिंक पर उपलब्ध है।
पी6	*कारोबार को पर्यावरण बचाने के लिए सम्मान, संरक्षण देना चाहिए और प्रयास करने चाहिए।* इस सिद्धांत के अधीन उल्लिखित पहलू कंपनी के कारोबार की प्रकृति से सीधे ही जुड़े हुए नहीं हैं। तथापि, कंपनी अपने उधारकर्ताओं से अपेक्षा रखती है कि वे विभिन्न राष्ट्रीय पर्यावरणीय मानकों/अपेक्षाओं आदि का अनुपालन करे। कंपनी अपने परिसरों और प्रचालनों के संबंध में लागू पर्यावरण संबंधी विनियमों का पालन भी करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए की जाने वाली पहलों में, जहां भी संभव हो, भाग लेती है।
पी7	*कारोबार, जब जनता तथा विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगा हो तो उसे वह कार्य उत्तरदायी तरीके से करना चाहिए* यद्यपि, इस सिद्धांत के लिए कोई विशिष्ट नीति निर्धारित नहीं की गई है, तथापि, कंपनी कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पर्यावरणीय संधारणीयता के क्षेत्र में पहलों के संवर्धन के लिए राज्य सरकारों और अन्य संगठनों के साथ कार्य कर रही है।
पी8	*कारोबार को समग्र विकास और समान विकास में सहायता करनी चाहिए।* आरईसी अपनी सीएसआर और संधारणीयता नीति के अनुसरण में, समावेशी संवृद्धि और साम्ययुक्त विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, आरईसी ने निरोधात्मक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, शिक्षा, व्यवसायिक कौशल और आजीविका वृद्धि की परियोजनाओं, पर्यावरणीय संधारणीयता और ग्रामीण विकास परियोजनाओं के क्षेत्रों में इस संबंध में कई पहलें की हैं। क्रम संख्या 6 - कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति कंपनी की वेबसाइट पर **https://www.recindia.nic.in/uploads/files/CSR-Policy-Wef110717-UpldDt300518.pdf.** लिंक पर उपलब्ध है।
पी9	*कारोबार को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ लगे रहना चाहिए और उन्हें एक उत्तरदायी तरीके से महत्व देना चाहिए।* क्रम संख्या 3 - यह सुनिश्चित करने के लिए कि उधार देने के प्रचालन में ग्राहकों के साथ उचित एवं पारदर्शी परिपाटियां अपनाई जाती हैं, कंपनी में उचित परिपाटी संहिता लागू है जो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। क्रम संख्या 6-उपरोक्त संहिता https://www.recindia.nic/uploads/tales/fairpractise-code.pdf पर ऑनलाइन देख सकते हैं।

सभी नीतियां और प्रक्रियाएं लेखापरीक्षा और समय-समय पर कंपनी में आंतरिक रूप से की गई समीक्षाओं के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त, सभी नीतियों और संहिताओं के कार्यान्वयन की निदेशक मण्डल, जहां भी लागू हो, सहित वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समय-समय पर नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुबंध-V

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

सदस्य गण,

आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)

कोर-4, स्कोप काम्प्लेक्स

7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

हमने आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) (इसके बाद कंपनी कहा जाएगा) द्वारा अपनाई जा रही अच्छी कारपोरेट पद्धतियों और लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवालयी लेखापरीक्षा की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई कि इससे हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमें अपनी राय व्यक्त करने का तार्किक आधार मिला।

कंपनी के लेखा बही, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकार्ड और सचिवालयी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेन्टों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर आधारित अपने सत्यापन के आधार पर हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने नीचे दिए गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी उल्लिखित करते हैं कि कंपनी में समुचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र कार्यरत है और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है;

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमने लेखा बही, पेपर्स, कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल की गई रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है;

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स) विनियम 2018 के विनियम 76 की सीमा तक बनाए गए विनियम और उपविधि;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्र पार प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

  (i) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयरों का मूल अधिग्रहण और अभिग्रहण) विनियम, 2011;

  (ii) भारत की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (आंतरिक कारोबार निषेध) विनियम, 2015;

  (iii) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018;

  (iv) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; लागू नहीं है;

  (v) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;

  (vi) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और निर्गत प्रतिभूति की सीमा तक क्लाइंट के साथ व्यवहार संबंधी;

  (vii) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयर का असूचीकरण) विनियम, 2009: लागू नहीं है तथा

  (viii) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 2018; लागू नहीं

यह कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में श्रेणीबद्ध एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है और यह कंपनी विद्युत क्षेत्र के वित्त प्रदान करने के कारोबार में लगी हुई है, जैसा कि प्रबंधन द्वारा पुष्टि की गई है और प्रमाणित किया गया है, क्षेत्रों/कारोबारों के आधार पर कंपनी के लिए निम्नलिखित कानून विशेष रूप से लागू हैं :

- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियम, विनियम एवं अनुदेश।
- लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कारपोरेट शासन संबंधी दिशा-निर्देश।

हमने निम्नलिखित के लिए लागू खंडों/विनियमों की अनुपालना की भी जांच की है

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानक।

(ii) सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने एक स्वतंत्र निदेशक की गैर-नियुक्ति के कारण 1 अप्रैल 2018 से लेकर 16 जुलाई 2018 को छोड़कर निदेशक मण्डल की संरचना के संबंध में, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों सहित सामान्यतः ऊपर दिए गए अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि:

कंपनी का निदेशक मण्डल उपरोक्त टिप्पणी के अधीन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उपयुक्त संतुलन के साथ विधिवत रूप से गठित किया गया है। निदेशक मण्डल की संरचना में समीक्षाधीन अवधि के दौरान यदि कोई परिवर्तन किया गया तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया।

बोर्ड की बैठकों के लिए सभी निदेशकों को समुचित रूप से सूचना दी जाती है, कम से कम सात दिन पूर्व कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी भेजी गई थी (अल्प सूचना पर आयोजित बैठकों के अलावा, जिनमें आवश्यक प्रावधानों का अनुपालन किया गया) और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर आगे सूचना और स्पष्टीकरण मांगने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रक्रिया मौजूद है।

निदेशक मण्डल अथवा बोर्ड की समिति, जैसा भी मामला हो, की बैठकों में कार्यवृत्त में बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों के सर्वसम्मति से लिए गए सभी निर्णयों को दर्ज किया जाता है।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों की निगरानी और उनका अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, उपरोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों इत्यादि के अनुसरण में कंपनी के कार्यों से मुख्य रूप से संबंधित कंपनी के निम्नलिखित विशिष्ट आयोजन/कार्य किए गए :

1. इसके अलावा, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति के दिनांक 06 दिसंबर, 2018 के 'सैद्धांतिक अनुमोदन' के अनुसार और तदुपरांत भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति और पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के बीच दिनांक 20 मार्च, 2019 को हुए शेयर खरीद करार के अनुसार पीएफसी ने दिनांक 28 मार्च, 2019 को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित आरईसी लिमिटेड के पूर्णतया प्रदत्त 1,03,93,99,343 इक्विटी शेयरों, जो कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के प्रत्येक ₹ 10/- के 52.63% हैं, को अधिग्रहीत कर लिया।
2. कंपनी ने निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विभिन्न ऋण लिखतें जारी करके दीर्घावधिक निधि जुटाई है :

क्रम सं.	बॉण्ड्स के प्रकार	राशि (₹करोड़ में)
1	कैपिटल गेन बाण्ड्स (54 ईसी कैपिटल गेन बाण्ड्स)	6,652
2	संस्थागत बाण्ड्स	24,010
3	विदेशी मुद्रा उधार और एफसीएनआर (बी) ऋण	14,171
4	वाणिज्यिक दस्तावेज़	19,393
5	बैंकों/वित्तीय संस्थानों/सरकार से आवधिक ऋण	24,550
	अवधि के दौरान जुटाई गई कुल निधियां	**88,776**

कृते चंद्रशेखरन एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

डॉ. एस. चंद्रशेखरन
वरिष्ठ भागीदार
सदस्यता सं. एफसीएस 1644
प्रैक्टिस प्रमाण पत्र सं. 715

तिथि: 21 जून, 2019
स्थान: दिल्ली

टिप्पणी: यह रिपोर्ट हमारे उसी तारीख के पत्र के साथ पढ़ी जानी है जो अनुबंध-क के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

अनुबंध-क

सदस्यगण,

आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)
कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

1. सचिवालयी रिपोर्ट का रख-रखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयी रिपोर्ट पर राय व्यक्त करने की है।
2. हमने ऐसी लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है जो सचिवालयी रिपोर्ट की सामग्री के सही होने के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। यह सत्यापन यह सुनिश्ति करने के लिए यादृच्छिक जांच के आधार पर किया गया था कि सचिवालयी रिपोर्ट में सही तथ्य दर्शाए गए हैं। हमारा विश्वास है कि हमने जिन पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड और लेखाबहियों की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के होने के बारे में प्रबंधन की टिप्पणियां प्राप्त की हैं।
5. कारपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच यादृच्छिक जांच के आधार पर प्रक्रियाओं का सत्यापन करने तक सीमित थी।
6. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न तो कोई आश्वासन है और न ही इसकी सक्षमता अथवा प्रभावकारिता के बारे में है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को किया है।

कृते चंद्रशेखरन एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

डॉ. एस. चंद्रशेखरन
वरिष्ठ भागीदार
सदस्यता सं. एफसीएस 1644
प्रैक्टिस प्रमाण पत्र सं. 715

तिथि: 21 जून, 2019
स्थान: दिल्ली

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. क. कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की संक्षिप्त रूपरेखा:

कंपनी की अपनी 'कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति' है जो कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के प्रावधानों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सीएसआर और संधारणीयता के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किये गए दिशानिर्देशों के अनुरूप गठित की गयी है ।

कंपनी की 'सीएसआर और संधारणीयता नीति' की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

दृष्टिकोण: आरईसी सीएसआर गतिविधियों / परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अपनी मूल क्षमताओं का उपयोग करने और संसाधन क्षमताओं को संगठित करने का प्रयास करेगा, और साथ ही सीएसआर और संधारणीयता नीति को अपनी व्यवसाय नीतियों और रणनीतियों के साथ यथासंभव जोड़े रखने के लिए और ऐसी सीएसआर गतिविधियों / परियोजनाओं का चयन करेगा जिसे कंपनी विशेषज्ञों के द्वारा बेहतर निगरानी में रखा जा सके ।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत व्यापक गतिविधियां:

कंपनी समुदाय, सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं से निपटने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की एक श्रृंखला के द्वारा एक एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास करेगी, जिसे परियोजना मोड में, यथासंभव ध्यान केंद्रित तरीके से रणनीतिक रूप से किया जाएगा, ।

यद्यपि, कंपनी उपलब्ध विकल्पों में से एक विशाल रेंज से सीएसआर परियोजनाओं का चयन कर सकती है, फिर भी समाज के समावेशी विकास से संबंधित गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी, दिए गए चुने/ फोकस क्षेत्रों और पर्यावरण संधारणीयता में समाज के कमजोर वर्गों और देश के पिछड़े जिलों के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। उपरोक्त के अनुसार,कंपनी उस कथित अधिनियम की अनुसूची VII के अनुरूप निर्धारित गतिविधियों के साथ-साथ सीएसआर परियोजनाओं / कार्यक्रमों को पूरा करना सुनिश्चित करे।

वित्तीय घटक: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार तत्काल तीन वित्तीय वर्ष के निवल लाभ का कंपनी कम से कम 2% कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर खर्च करे । निवल लाभ का अर्थ कंपनी के उस है जो उसके वित्तीय विवरण के अनुसार तैयार किया गया है और इस अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया गया है।

सीएसआर के तहत संस्थागत स्थापना: संस्थागत व्यवस्था निम्नानुसार होगी:

बोर्ड की एक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति ('सीएसआर कमेटी') का गठन किया जाएगा जिसमें तीन या अधिक निदेशकों की व्यवस्था होगी, जिसमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की भूमिका और उत्तरदायित्व अन्य बातों के साथ-साथ, बोर्ड को कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को तैयार करने और अनुशंसा के लिए दी जाने वाली जाने वाली गतिविधियां अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट है, निगरानी और व्यय राशि की अनुशंसा, समय-समय पर बोर्ड निदेशकों को रिपोर्ट जमा करना शामिल है।

निदेशक मण्डल की भूमिका और उत्तरदायित्व में, बोर्ड की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन सुनिश्चित करने, कंपनी की सीएसआर नीति को मंजूरी देने, बोर्ड के सीएसआर कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और इसकी रिपोर्ट में ऐसी नीति की सामग्री का खुलासा करें, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके की इस सीएसआर नीति की गतिविधियां अनुसूची 7, इत्यादि में शामिल गतिविधियों से संबंधित हैं।

जबकि बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति पूरी गतिविधियों पर नजर रखेगी, सीएसआर परियोजनाओं को संचालित करेगी, सीएसआर परियोजना प्रस्तावों की स्क्रीनिंग और सिफारिश के मार्गदर्शन के लिए यह समिति तत्पर रहेगी :

सीएसआर गतिविधियों के लिए निष्पादन तंत्रः

सीएसआर की गतिविधियों को कंपनी द्वारा घोषित सीएसआर नीति के अनुसार, परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों के रूप में लागू किया जाएगा (या तो नए या चल रहे), अपने सामान्य व्यवसाय के पाठ्यक्रम के अनुसरण में की गयी गतिविधियों को छोड़कर।

कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित किसी कंपनी के माध्यम से अपनी सीएसआर गतिविधियों को कराने का निर्णय ले सकती है या एक पंजीकृत ट्रस्ट या कंपनी द्वारा स्थापित एक पंजीकृत समाज, या तो अकेले या किसी अन्य कंपनी के साथ,या कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के तहत अनुमति के अनुसार केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संसद के एक अधिनियम या राज्य विधानमण्डल के तहत स्थापित किसी भी संस्था द्वारा।उपर्युक्त के अनुरूप, कंपनी उन एजेंसियों को प्राथमिकता दे सकती है, जिनके पास उनके कार्यप्रणाली के फोकस क्षेत्र के अनुसार सरकार / अर्द्ध-सरकारी / पीएसयू / स्वायत्त निकायों के साथ पिछले कार्य अनुभव है।

आरईसी ने 'आरईसी फाउंडेशन' सोसाइटी की स्थापना की है एवं वर्तमान में सभी प्रकार के सीएसआर क्रियाकलापों को इसी सोसाइटी के माध्यम से निष्पादित करती है।

निगरानी

कंपनी सीएसआर परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन प्रगति / निगरानी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन / निगरानी करेगी।

कंपनी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों / राज्य कार्यालयों / कारपोरेट कार्यालयों या बाहरी एजेंसी द्वारा अपने स्वयं के जनशक्ति के माध्यम से, सीएसआर परियोजनाओं की आवधिक निगरानी, कार्यान्वयन या अन्यथा के साथ आवधिक निगरानी कर सकती है, यह आकलन करने के लिए कि क्या समयसीमा, बजटीय व्यय और भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि आदि की प्रगति अपेक्षित लाइनों पर है।

विस्तृत सीएसआर और संधारणीयता नीति के लिए, नीचे दिए गए अनुसार(ग) कृपया आरईसी वेबसाइट पर देखें।

ख. आरईसी फाउंडेशन

आरईसी लिमिटेड ने सीएसआर क्रियाकलाप करने के लिए एक सोसायटी **'आरईसी फाउंडेशन'** बनाया है। आरईसी फाउंडेशन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। यह फाउंडेशन आरईसी लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधन एवं अधिकारियों द्वारा शासित होता है। वर्तमान में सभी सीएसआर परियोजनाएं आरईसी फाउंडेशन के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।

आरईसी फाउंडेशन का प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो परियोजनाओं की योजना, निष्पादन, मॉनीटरिंग, पहचान और पूरा करने, सांविधिक अनुपालनों और रिपोर्टिंग आदि के लिए जिम्मेदार होता है। आरईसी फाउंडेशन में सामाजिक कार्य, वित्त और मानव संसाधन व्यावसायिकों का एक समर्पित दल है जिसका प्रबंधन आरईसी फाउंडेशन के आसान प्रचालन के लिए सीईओ द्वारा किया जाता है।

ग. शुरू की गई परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन

कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत नियमों के अनुसार, "कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर)" का अर्थ है, और इसमें निम्न बातें शामिल हैं, परंतु यह यहीं तक सीमित नहीं हैः-

(i) अधिनियम में अनुसूची VII में निर्दिष्ट गतिविधियों से संबंधित परियोजनाएं या कार्यक्रम; या

(ii) कंपनी के घोषित सीएसआर नीति के अनुसार बोर्ड की सीएसआर कमेटी की सिफारिशों के अनुपालन में कंपनी के निदेशक मण्डल (''बोर्ड'') द्वारा की गई गतिविधियों से संबंधित परियोजनाएं या कार्यक्रम।

आरईसी अपने सीएसआर पहल के माध्यम से राष्ट्रीय विकास एजेंडे के रूप में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है तथा आर्थिक दृष्टि और से सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, बुजुर्ग व्यक्तियों, दिव्यांगों, बच्चों, युवाओं, आदि को सशक्त बनाने के लिए लाभार्थियों के व्यापक स्पेक्ट्रम तक पहुंच हेतु एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में संधारणीयता के साथ सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं को धन और समर्थन देने का प्रयास कर रही है है। वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए / चालू किए जाने वाले विषय-विषयक परियोजनाओं / कार्यक्रमों का अवलोकन निम्नानुसार है:

i **स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देने के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल बचाव तथा स्वच्छता को बढ़ावा देना और भुखमरी, गरीबी और कुपोषण को समाप्त करना:**

स्वच्छ भारत मिशन के संदेश को बढ़ाने के लिए परियोजना का समर्थन कर - *'मैं कुछ भी कर सकती हूँ'* सीजन-3 नामक संचार मध्यस्थता शीर्षक के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारिता के मुद्दों के अतिरिक्त संधारित एवं सुरक्षित स्वच्छता परिपाटियां, स्वच्छ भारत कोष में अंशदान, ग्रामीण समुदायों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए पानी एटीएम और हैंडपम्पों की संस्थापना, अस्पतालों का अवसंरचना विकास, अस्पतालों को चिकित्सा उपस्कर प्रदान करना, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को दूध की थैलियों का वितरण, दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता एवं सहायक उपकरणों का वितरण आदि।

संगम घाट, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में नि:शुल्क पेयजल के वितरण के लिए रिवर्स ऑस्मॉसिस वाटर एटीएम की संस्थापना ।

बनारस में नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के यांत्रिक निपटा, संग्रह और परिवहन की परियोजना के अंतर्गत जागरू कता कार्यक्रम।

भारत में विभिन्न स्थानों पर समाज के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मदद एवं सहायक उपकरण प्रदान करना।

ii **शिक्षा विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों में हुनर एवं रोजगारवर्धक व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना, तथा आजीविकावर्धन परियोजनाओं ।**

चुनिंदा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए उन्नत शिक्षण परिणामों हेतु परियोजनाओं का समर्थन करना, विद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं में अवसंरचना सुविधा का विकास, संकल्पनात्मक अनुसंधान अनुभव के माध्यम से नए-नए युवाओं को उठाना, महिलाओं सहित समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं के लिए विभिन्न ट्रेडों में रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायता करना।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभार्थियों को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण (मशीन ऑपरेटर) प्रदान करना।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभार्थियों को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण (एपैरेल सेग्मेंट) प्रदान करना।

iii **लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिला सशक्तीकरण, महिलाओं एवं बेसहारा लोगों के लिए आवास एवं छात्रावास का निर्माण, वृद्धावस्था आश्रमों तथा दिवस देखभाल केंद्रो की स्थापना तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं और सामाजिक एवं आर्थिक रूप पिछड़े लोगों के लिए असमानता कम करने के उपाय करना:**

महिला लाभार्थियों के लिए कौशल विकास एवं आजीविका सहायता के लिए परियोजनाओं में सहायता करना, वृद्धों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य सुविधा के साथ आश्रय गृह का निर्माण एवं प्रचालन, कुम्भ मेला में लगे सफाई कामगारों के लाभ के लिए सृजित 'स्वच्छ कुम्भ कोष' में अंशदान।

iv. **पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और मिट्टी, वायु तथा जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में योगदान करना शामिल है:**

विभिन्न संस्थानों में सोलर पीवी पैनल, पब्लिक पार्क के विकास, जैव संसाधनों का संरक्षण और स्थायी प्रबंधन आदि परियोजनाओं का समर्थन।

v. **ऐतिहासिक महत्व के भवनों और कलात्मक चीजों की मरम्मत सहित राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक कला और हस्तशिल्पों का प्रचार-प्रसार और विकास:**

सरदार सरोवर डैम में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के लिए योगदान हेतु सहायता

vi. **ग्रामीण विकास परियोजनाएं:**

कृषक-केंद्रित एकीकृत वाटरशेड विकास के लिए ग्रामीण आजीविका में सुधार, पुलों का निर्माण, कुओं को और गहरा करना, चेक डैम का निर्माण एवं नवीनीकरण, समुदाय के आस-पास प्रकृतिक रूप से उपलब्ध पोषण, खाद्य पदार्थ तथा ऊर्जा के इष्ट उपयोग, समुदाय हॉल, पीसीसी रोड, कंड्यूट, यात्री शेड के निर्माण जैसे ग्रामीण विकास कार्य, एलईडी लाइटों की स्थापना आदि के लिए विभिन्न परियोजनाओं, समुदाय विकास जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय आधारित क्रियाकलापों का समर्थन।

2. **कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति एवं कार्यक्रमों का वेब लिंक:**

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप, कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति और वित्त वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.recindia.comपर अपलोड किया गया है।

कंपनी की वेबसाइट पर मौजूदा सीएसआर परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति को भी समय-समय पर अपलोड किया जा रहा है।

3. **सीएसआर समिति का गठन:**

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी, बोर्ड की एक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करेगी जिसमें तीन या इससे अधिक निदेशक शामिल होंगे, जिसमें से कम से कम एक निदेशक, स्वतंत्र निदेशक होगा।

निदेशकों की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना निम्नानुसार है जो 24 मार्च, 2017 से प्रभावी है:

(i) प्रो. टी.टी. राम मोहन, स्वतंत्र निदेशक - समिति के अध्यक्ष

(ii) श्री ए. कृष्णकुमार, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

(iii) श्रीमती आशा स्वरूप, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

(iv) श्री अजीत कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) - सदस्य

(v) श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) - सदस्य

4. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का निवल लाभ निम्नानुसार है:

		(₹ करोड़ में)
वित्त वर्ष 2015-16	:	8,032.15
वित्त वर्ष 2016-17	:	8,774.66
वित्त वर्ष 2017-18	:	6,786.41
कुल	:	**23,593.22**
औसत निवल लाभ	:	₹ 7,864.41 करोड़

5. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 4 की राशि का 2 %): ₹ 157.29 करोड़

6. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण:

(क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि: **₹ 157.29 करोड़** है।

(ख) खर्च न की गयी राशि, यदि कोई हो: वर्ष के लिए खर्च न की गयी राशि **₹ 53.90 करोड़** है।

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान जिस रूप में राशि खर्च की गई वह **अनुबंध - क** पर दिया गया है।

7. अगर कंपनी पिछले तीन वित्त वर्षों के या इसके किसी भी हिस्से में, औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि खर्च नहीं करने का कारण बताएगी:

कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कुल ₹158.72 करोड़ की सीएसआर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 31 मार्च, 2019 तक अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के तहत संवितरण को स्वीकृत शर्तों के अनुसार पूर्वनिर्धारित परिलब्धियों की उपलब्धि के साथ संबद्ध किया गया है, जिसे 36 महीनों तक बढ़ाई गयी समयावधि में पूरा करना आवश्यक है। चूंकि कार्यान्वयन एजेंसियां परियोजनाओं के लिए निर्धारित परिलब्धियों के अनुसार वास्तविक प्रगति और दावों को प्रस्तुत नहीं कर पाईं, इसलिए वितरण नहीं किया जा सका। आगामी वर्षों में ₹ 53.90 करोड़ की असंवितरित राशि परिलब्धियों के अनुसार जारी की जाएगी ।

8. सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व विवरण:

कंपनी द्वारा सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों तथा इससे जुड़ी नीतियों के अनुपालन में है।

हस्ता./-
निदेशक (वित्त/सीएसआर)

हस्ता./-
अध्यक्ष, सीएसआर समिति

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान खर्च की गई सीएसआर राशि

(₹ करोड़ में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
क्र. स	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य तथा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे #	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		वर्ष के लिए कुल खर्च	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (क)	ओवरहेड्स (ख)	(6क+6ख)		
1 क. स्वच्छता									
1	स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत 12,292 शौचालयों का निर्माण कर सरकारी विद्यालयों में सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराना	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करना, स्वच्छता को प्रोन्नत करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देने सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना।	उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना में 32 जिले	190.00	1.37	0.08	1.45	152.89	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं संबंधित राज्य शिक्षा प्राधिकरण
2	111 सरकारी विद्यालयों में 194 शौचालयों का निर्माण		सादात एवं सैदपुर ब्लॉक, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	3.74	0.38	0.02	0.41	3.59	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
3	स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित 'स्वच्छ भारत कोष' में अंशदान		संपूर्ण भारत	10.00	10.00	-	10.00	10.00	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार
4	स्वच्छ भारत मिशन के संदेश को बढ़ाना - 'मैं कुछ भी कर सकती हूँ' के सीजन-3 नामक संचार मध्यस्थता शीर्षक के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारिता के मुद्दों के अतिरिक्त संधारित एवं सुरक्षित स्वच्छता परिपाटियां।		संपूर्ण भारत	10.00	5.41	0.33	5.74	5.66	पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया
			उप-जोड़ (क)	**213.74**	**17.16**	**0.44**	**17.60**	**172.14**	
1 ख. स्वास्थ्य देखभाल									
5	विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित करके लगभग 8,000 दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता एवं सहायक उपकरणों का वितरण।	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करना, स्वच्छता को प्रोन्नत करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देने सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना।	संपूर्ण भारत	10.00	5.47	0.34	5.80	5.72	आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर

(₹ करोड़ में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
क्र. स	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य तथा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे #	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		वर्ष के लिए कुल खर्च (6क+6ख)	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (क)	ओवरहेड्स (ख)			
6	अवसंरचना सुविधा का विकास कर और स्पीच थैरेपी, फीजियोथैरेपी, ऑक्युपेशनल थैरेपी आदि जैसी व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करदिव्यांग व्यक्तियों का विकास एवं पुनर्वास।		भुवनेश्वर, ओडिशा	0.05	0.01	0.00	0.01	0.05	दि इंस्टीटयूट फॉर हेल्पिंग दि डिसएबल्ड, भुवनेश्वर
7	मध्याह्न भोजन योजना हेतु किचन के लिए अवसंरचना सहायता तथा किचनसंबंधी उपकरण प्रदान करना।		भीलवाड़ा, राजस्थान	2.08	0.56	0.03	0.59	2.08	अक्षय पात्र फाउंडेशन, जयपुर
8	एम्स, दिल्ली की केंद्रीय स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट (सीएसएसडी) यूनिट का पुनरुद्धार और नए चिकित्सा उपस्करों की खरीद।		नई दिल्ली	13.02	10.77	0.66	11.43	11.28	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
9	अस्पताल में एक विजन उपस्कर (कंस्टलेशन विजन सिस्टम) की खरीद एवं संस्थापना		पालमपुर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	0.75	0.15	0.01	0.16	0.74	पालमपुर रोटरी आई फाउंडेशन, पालमपुर
10	सरकारी विद्यालयों में स्कूल के बच्चों को पाश्चुरीकृत दूध की थैलियों के वितरण के लिए सहायता		लातेहार जिला, झारखंड	2.60	1.33	0.08	1.41	2.14	नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड फाउन्डेशन फॉर न्यूट्रीशन, आणंद, गुजरात
11	पूरे भारत में समाज के विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को सहायता एवं उपकरण प्रदान करना		संपूर्ण भारत	1.00	0.30	0.02	0.32	1.00	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर
12	रीवा में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध गांधी मैमोरियल अस्पताल		रीवा, मध्य प्रदेश	10.96	3.20	0.20	3.40	3.35	मेडिकल कॉलेज, रीवा
			उप-जोड़ (ख)	**40.46**	**21.79**	**1.34**	**23.12**	**26.36**	

(₹ करोड़ में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
क्र. स	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य तथा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे #	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		वर्ष के लिए कुल खर्च	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (क)	ओवरहेड्स (ख)	(6क+6ख)		
1 ग. स्वच्छ पेयजल									
13	ग्रामीण क्षेत्रों में 250 हैंडपम्पों की संस्थापना के लिए सहायता	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करना, स्वच्छता को प्रोन्नत करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देने सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना।	जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश	0.74	0.30	0.02	0.32	0.74	भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
14	ग्रामीण क्षेत्रों में 200 हैंडपम्पों की संस्थापना के लिए सहायता		कानपुर जिला, उत्तर प्रदेश	1.26	0.57	0.03	0.60	1.26	जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर
15	ग्रामीण क्षेत्रों में 500 हैंडपम्पों की संस्थापना के लिए सहायता		मछलीशहर, जौनपुर जिला, उत्तर प्रदेश	2.18	0.55	0.03	0.58	0.98	यूपी जल निगम, जौनपुर
16	ग्रामीण क्षेत्रों में रिजर्व ऑस्मॉसिस आधारित जल शोधन संयंत्र की संस्थापना		छैनसा व गहलाब, हाथिन ब्लॉक, पलवल जिला हरियाणा	0.25	0.12	0.01	0.13	0.18	डिप्टी कमिश्नर, पलवल
17	100 हैंडपम्पों की संस्थापना और तालाब खोदने के लिए सहायता करना		बगहा और चिवनटहा, बिहार	1.01	0.30	0.02	0.32	0.30	पर्यावरण केयर सोसाइटी, नई दिल्ली
18	कुम्भ मेला स्थल में और भारत में विभिन्न प्रतिष्ठित प्रमुख स्थलों पर 20 वाटर एटीएम मशीनों की संस्थापना के लिए सहायता करना		प्रयागराज, उत्तर प्रदेश एवं भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित प्रमुख स्थान	1.78	0.65	0.04	0.69	0.68	बिसनौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान
			उप जोड (ग)	**7.22**	**2.49**	**0.15**	**2.64**	**4.14**	
			श्रेणी 1 का उप-जोड़	**261.42**	**41.44**	**1.93**	**43.36**	**202.64**	
2 क. शिक्षा									
19	गवर्नमेंट सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक और बधिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अवसंरचना विकास कार्यों के लिए सहायता	विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं शारीरिक रू प से दिव्यांग लोगों के लिए रोजगारवर्धक व्यावसायिक कौशल एवं विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना तथा आजीविका के संवर्धन संबंधी परियोजनाएं	जयपुर, राजस्थान	1.16	0.22	0.01	0.23	1.07	आनंदीलाल पोद्दार मूक और बधिर स्कूल, जयपुर

(₹ करोड़ में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
क्र. स	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य तथा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे #	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		वर्ष के लिए कुल खर्च (6क+6ख)	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (क)	ओवरहेड्स (ख)			
20	शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकारी हाईस्कूलों में वर्चुअल क्लासरूम (वीसीआर) की स्थापना		कर्नाटक में उत्तर कन्नड़, तुमकुरु, चिकमगलूर, कोडागु,चामराजनगर, उडुपी, मांड्या, बेल्लारी, बागलकोट, विजयपुरा जिले	1.74	0.07	0.00	0.07	1.32	कर्नाटक राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, बंगलुरु
21	10 सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी प्रशिक्षण कार्यक्रम कराना		आइजोल जिला , मिजोरम	0.05	0.01	0.00	0.01	0.01	डिप्टी कमिश्नर, आइजोल
22	संकल्पनात्मक अनुसंधान अनुभव के माध्यम से नए-नए युवाओं को आगे बढ़ाना		तेलंगाना के 30 सरकारी संस्थान	2.55	2.41	0.15	2.55	2.52	टी-हब फाउंडेशन
23	25 स्कूलों में आरईसी इंटिग्रेटी क्लबों की स्थापना		संपूर्ण भारत में	0.80	0.03	0.00	0.03	0.03	सतर्कता अनुभाग, आरईसी
24	सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों की प्राथमिक शिक्षा संबंधी शिक्षण परिणामों में सुधार करना		आजमगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश	1.31	1.05	0.06	1.11	1.10	रिसर्च एंड एक्सटेंशन एसोसिएशन फॉर कंसर्वेशन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रो-फोरेस्ट्री
			उप-जोड़ (क)	**7.60**	**3.77**	**0.23**	**4.01**	**6.05**	
2 ख. कौशल विकास प्रशिक्षण परियोजनाएं									
25	समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 500 युवाओं के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए रोजगार संवर्धनकारी व्यावसायिक कौशल एवं विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना तथा आजीविका के संवर्धन संबंधी परियोजनाएं	हरियाणा में सिरसा तथा उत्तर प्रदेश में कौशांबी	0.95	0.12	0.01	0.13	0.95	एचएआरडीआईसीओएन लिमिटेड, नई दिल्ली
26	समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 500 युवाओं के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		मुर्थल, हरियाणा	3.02	1.21	0.07	1.28	3.02	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी,
27	समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 1000 युवाओं के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना एवं झारखंड इत्यादि	2.69	0.59	0.04	0.63	1.54	इंडो-जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नॉलॉजी, आंध्रप्रदेश

(₹ करोड़ में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
क्र. स	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य तथा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे #	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		वर्ष के लिए कुल खर्च	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (क)	ओवरहेड्स (ख)	(6क+6ख)		
28	समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 1300 युवाओं के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		पिथौरागढ़ उत्तराखंड	1.48	0.30	0.02	0.31	0.31	महिला आश्रम मुवानी, पिथौरागढ़
29	समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की 880 महिलाओं के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		गुरदासपुर, पंजाब, और गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	1.25	0.54	0.03	0.57	0.56	बिसनौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान
			उप जोड़ (ख)	**9.38**	**2.76**	**0.17**	**2.93**	**6.38**	
			श्रेणी 2 का उप-जोड़	**16.98**	**6.53**	**0.40**	**6.93**	**12.43**	
3 वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास एवं हॉस्टल/सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था									
30	प्रति 10 महिलाओं 100 स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिला सशक्तीकरण, महिलाओं एवं बेसहारा लोगों के लिए आवास एवं छात्रावास का निर्माण, वृद्धावस्था आश्रमों तथा दिवस देखभाल केंद्रों की स्थापना तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं और सामाजिक एवं आर्थिक रूप पिछड़े लोगों के लिए असमानता कम करने के उपाय करना	मेवात, हरियाणा	0.77	0.15	0.01	0.16	0.16	मैट्रिक्स सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज, मेवात
31	वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य सुविधा से युक्त 60 सीट वाले आश्रय स्थलों का निर्माण और प्रचालन		शेय गांव, लेह-लद्दाख, जम्मू व काश्मीर	3.50	0.31	0.02	0.33	0.33	हेल्पएज इंडिया, नई दिल्ली
32	मेले में लगे सफाई कार्मिकों के लाभ के लिए सृजित 'स्वच्छ कुम्भ कोष' का निर्माण		प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	2.00	2.00	-	2.00	2.00	प्रयागराज मेला प्राधिकरण
			श्रेणी 2 का उप-जोड़	**6.27**	**2.46**	**0.03**	**2.49**	**2.49**	

(₹ करोड़ में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
क्र. स	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य तथा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे #	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		वर्ष के लिए कुल खर्च	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (क)	ओवरहेड्स (ख)	(6क+6ख)		
4 पर्यावरणीय धारणीयता, स्वच्छ गंगा निधि आदि									
33	प्रेसीडेंट स्टेट, नई दिल्ली में सौर विद्युत पैनलों की स्थापना	गंगा नदी के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में अंशदान करने सहित पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थिकी संतुलन, वनस्पति एवं जीव का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वन-विज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों का परिरक्षण और मृदा, वायु एवं जल की गुणवत्ता बनाये रखने को सुनिश्चित करना	राष्ट्रपति संपदा, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली	6.00	0.04	0.00	0.04	2.34	आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
34	आईआईएससी परिसर में 2200 एलईडी लाइटों की संस्थापना तथा 279 केडब्ल्यूपी सोलर पावर पैनलों की संस्थापना		इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु कैंपस, बंगलुरु	4.94	1.78	0.11	1.89	3.12	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु
35	आईआईटी, मद्रास के परिसर में 2 मेगावाट सोलर पीवी पैनल की संस्थापना		आईआईटी मद्रास कैंपस, तमिलनाडु	14.50	0.84	0.05	0.89	9.89	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी , मद्रास
36	आईआईएम, तिरुचिरापल्ला के परिसर में 2 मेगावाट सोलर पीवी पैनल की संस्थापना		आईआईएम तिरुचिरापल्ली कैंपस, तमिलनाडु	14.20	5.68	0.35	6.03	5.94	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु
37	स्मार्ट ग्राम परियोजना के तहत 5 गांवों में सोलर पीवी पैनल और माइक्रो ग्रिड की संस्थापना		गुरुग्राम में अलीपुर, दौल्हा, हरचंदपुर, ताजनगर तथा हरियाणा के मेवात जिले के रोजका मेव गाँव	2.04	1.00	0.06	1.06	1.51	स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स, नई दिल्ली
38	ग्रामीण क्षेत्रों में 445 सौर आधारित स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली तथा 145 सोलर हाई मास्ट लाइटों की संस्थापना		उत्तर प्रदेश के बरेली, आंवला, बीसलपुर और बरेली कैंट क्षेत्र	2.38	1.81	0.11	1.92	1.90	एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, नोएडा
39	भारत की जनजातियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में 50 केडब्ल्यूपी ग्रिड कनेक्टिड सोलर पीवी पैनल की संस्थापना		झजरा, देहरादून, उत्तराखंड	0.34	0.03	0.00	0.04	0.04	स्वतंत्रता सेनानी लोकबंधु राममूर्ति पवसे सेवा न्यास, देहरादून
40	ओडिशा सरकार के एसटी एंड एससी डेवलेपमेंट डिपार्टमेंट के स्वामित्व वाले 16 आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक में 5 केडब्ल्यूपी क्षमता के सोलर पीवी पैनल की संस्थापना		ओडिशा के जिलों कंधमाल, नबरंगपुर, कोरापुट, रायगढ़, बरगढ़, सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलनगीर, एवं क्योंझर	1.97	0.03	0.00	0.03	1.70	आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
41	दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली में सार्वजनिक पार्कों का विकास एवं रख-रखाव		नई दिल्ली	5.00	5.00	0.31	5.31	5.00	सीपीडब्ल्यूडी, नई दिल्ली

(₹ करोड़ में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
क्र. स	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य तथा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे #	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		वर्ष के लिए कुल खर्च	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (क)	ओवरहेड्स (ख)	(6क+6ख)		
42	आंध्र प्रदेश के जैव संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय प्रबंधन		आंध्र प्रदेश	0.22	0.07	0.00	0.07	0.07	आंध्र प्रदेश स्टेट बायो डाइवर्सिटी बोर्ड
			श्रेणी 4 का उप-जोड़	**51.59**	**16.27**	**1.00**	**17.27**	**31.51**	
5. राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण									
43	सरदार सरोवर डैम में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के लिए योगदान हेतु सहायता	भवनों एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों तथा कलाकृतियों सहित राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प का संवर्धन एवं विकास	सरदार सरोवर डैम, गुजरात	12.50	12.50	-	12.50	12.50	सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट, गांधीनगर
			श्रेणी 5 का उप-जोड़	**12.50**	**12.50**	**-**	**12.50**	**12.50**	
6. ग्रामीण विकास परियोजनाएं									
44	कूपों को गहरा करके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, चेक डैमों का पुनरूद्धार एवं निर्माण और चिकित्सा शिविरों का आयोजन	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	राजस्थान के जिले उदयपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़	1.69	0.84	0.05	0.89	0.88	राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद, उदयपुर
45	गांव में बहु-उद्देश्यीय हॉल एवं इंडोर स्टेडियम का निर्माण		उखरुल जिला, मणिपुर	4.04	0.59	0.04	0.63	0.62	नॉर्थ इस्टर्न रिजन कम्यूनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसाइटी
46	समुदायों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोषण, भोजन एवं ऊर्जा के पूर्ण उपयोग के लिए समुदाय विकास जागरूकता कार्यक्रम		मेघालय एवं नागालैंड	9.41	3.29	0.20	3.49	3.45	नॉर्थ स्लो फूड & एग्रोबायोडाइवर्सिटी सोसाइटी
47	समुदाय हॉल, पीसीसी रोड, कन्ड्यूट्स, यात्री शेड के निर्माण जैसे ग्रामीण विकास कार्य, एलईडी लाइटों, आरओ संयंत्रों की स्थापना आदि		भोजपुर, जिला बिहार में आराह, कोइलवार एवं बरहरा प्रखण्ड के गाँव	18.70	14.89	0.91	15.81	14.89	एनएचपीसी लिमिटेड (एनएचपीसी, नई दिल्ली
			श्रेणी 6 का उप-जोड़	**33.83**	**19.62**	**1.20**	**20.83**	**19.84**	
			वर्ष के लिए कुल (1 से 6)	**382.60**	**98.83**	**4.56**	**103.39**	**281.41**	

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुबंध-VII

फार्म सं. एमजीटी-9

वार्षिक प्रतिलाभ का सार (31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

(i)	सीआईएन	L40101DL1969GOI005095
(ii)	पंजीकरण तिथि	25 जुलाई, 1969
(iii)	कंपनी का नाम	आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)
(iv)	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	शेयरों द्वारा कंपनी लिमिटेड/संघ (केंद्र) सरकार की कंपनी
(v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण-	कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत दूरभाष: +91 11 24365161, फैक्स नं.: +91 11 24360644 ई-मेल: complianceofficer@recl.in; वेबसाइट: www.recindia.com
(vi)	क्या सूचीबद्ध कंपनी है (हाँ/नहीं)	हाँ
(vii)	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट का नाम व पता एवं संपर्क विवरण, यदि कोई हो-	कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड) कार्वी सेलिनियम टॉवर-बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोली वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032, भारत संपर्क विवरण:- +91 406716 2222 फैक्स न. +91 040 23001153 ई-मेल: balaji.reddy@karvy.com; raju.sv@karvy.com, einward.ris@karvy.com वेबसाइट: www.karvyfintech.com

II. कंपनी की मुख्य कारोबारी गतिविधियां

कंपनी के कुल टर्नओवर के 10% या उससे अधिक अंशदान की सभी कारोबारी गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगा-

क्र. सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1	अन्य वित्तीय सेवाएं और गतिविधियां - अन्य क्रेडिट ग्रांटिंग	64920	100%

टिप्पणी: कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ पंजीकृत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, यह अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में श्रेणीबद्ध है और विद्युत क्षेत्र के लिए वित्त प्रदान करने के कारोबार में जुड़ी है।

III. 31 मार्च, 2019 के अनुसार होल्डिंग, अनुषंगी और संयुक्त कंपनियों का ब्योरा

क्र. सं.	कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/ अनुषंगी/ संयुक्त	धारित शेयरों का %	लागू खंड
1	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	'ऊर्जानिधि' 1, बाराखम्बा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली - 110001	L65910DL1986GOI024862	होल्डिंग कंपनी	52.63%	2(46)
2	आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003	U40101DL2007GOI165779	अनुषंगी कंपनी	100%	2(87)
3	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड		U40101DL2007GOI157558	अनुषंगी कंपनी	100%	2(87)
4	दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड		U40300DL2015GOI288066	अनुषंगी कंपनी	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, (आरईसी टीपीसीएल) के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी	2(87)
5	चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड		U40108DL2018GOI330905	अनुषंगी कंपनी		2(87)
6	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड		U40300DL2018GOI331192	अनुषंगी कंपनी		2(87)
7	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड		U40300DL2018GOI331490	अनुषंगी कंपनी		2(87)
8	मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड		U40101DL2018GOI331526	अनुषंगी कंपनी		2(87)
9	उडुपी कासरगोड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड		U40100DL2018GOI342365	अनुषंगी कंपनी		2(87)
10	भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड		U40300DL2018GOI338734	अनुषंगी कंपनी		2(87)
11	जम खंभालिया ट्रांस्को लिमिटेड		U40105DL2019GOI347089	अनुषंगी कंपनी		2(87)
12	खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड		U40100DL2019GOI347127	अनुषंगी कंपनी		2(87)
13	अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड		U40101DL2019GOI347423	अनुषंगी कंपनी		2(87)
14	लाकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड		U40107DL2019GOI347428	अनुषंगी कंपनी		2(87)
15	डब्ल्यूआरएसएस XXI (ए) ट्रांस्को लिमिटेड		U40107DL2019GOI347713	अनुषंगी कंपनी		2(87)
16	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (संयुक्त उद्यम कंपनी)	चतुर्थ तल, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली - 110066	U40200DL2009PLC196789	सम्बद्ध कंपनी	21.70% अगले पृष्ठ पर टिप्पणी देखें	2(6)

टिप्पणी: आरईसी ने एनर्जी एफशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के राइट इश्यू के सब्सक्रिप्सन के लिए शेयर आवेदन शुल्क के रूप में 8 अप्रैल 2019 को ₹ 71.60 करोड़ की राशि भुगतान की।

IV शेयर धारिता प्रतिरूप (कुल इक्विटी की प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विस्तृत विवरण)

(i) श्रेणी-वार शेयर धारिता

शेयर धारकों की श्रेणी		वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं. (1 अप्रैल, 2018)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं. (31 मार्च, 2019)				वर्ष के दौरान परिवर्तन % में
		डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)
(क)	**प्रमोटर**									
(1)	**भारतीय**									
क)	व्यक्तिगत/ एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख)	केंद्र सरकार	1,15,16,78,783	0	1,15,16,78,783	58.32	0	0	0	0	(58.32)
ग)	राज्य सरकार(रें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ)	कारपोरेट निकाय	0	0	0	0	1,03,94,95,247	0	1,03,94,95,247*	52.63	52.63
च)	बैंक/ वित्तीय संस्था	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छ)	अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	उप जोड़ (क) (1)	**1,15,16,78,783**	**0**	**1,15,16,78,783**	**58.32**	**1,03,94,95,247**	**0**	**1,03,94,95,247**	**52.63**	**(5.69)**
(2)	**विदेशी**									
क)	एनआरआई - व्यक्तिगत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख)	अन्य - व्यक्तिगत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग)	कारपोरेट निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ)	बैंक/ वित्तीय संस्था	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च)	अर्हक विदेशी निवेशक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छ)	अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	उप जोड़ (क) (2):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता (क)=(क)(1)+ (क)(2)	**1,15,16,78,783**	**0**	**1,15,16,78,783**	**58.32**	**1,03,94,95,247**	**0**	**1,03,94,95,247**	**52.63**	**(5.69)**
(ख)	**सार्वजनिक शेयरधारिता**									
(1)	**संस्थान**									
(क)	म्यूच्युअल फंड/यूटीआई	9,48,01,528	0	9,48,01,528	4.80	20,43,49,699	0	20,43,49,699	10.35	5.55
(ख)	बैंक/ वित्तीय संस्था	91,43,671	0	91,43,671	0.46	82,81,113	0	82,81,113	0.42	(0.04)
(ग)	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार(रें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(घ)	उद्यम पूंजीगत निधियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(च)	बीमा कंपनियां	6,71,71,496	0	6,71,71,496	3.40	6,17,62,206	0	6,17,62,206	3.13	(0.27)
(छ)	एफआईआई/एफपीआई	45,77,35,673	0	45,77,35,673	23.18	49,95,96,483	0	49,95,96,483	25.30	2.12
(ज)	विदेशी उद्यम पूंजीगत निधियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(झ)	अर्हक विदेशी निवेशक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ट)	अन्य (नीचे विनिर्दिष्ट)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	उप जोड़ (ख) (1)	**62,88,52,368**	**0**	**62,88,52,368**	**31.84**	**77,39,89,501**	**0**	**77,39,89,501**	**39.19**	**7.35**
(2)	**गैर संस्थान**									
क)	कारपोरेट निकाय	3,20,17,475	0	3,20,17,475	1.62	1,91,21,836	0	1,91,21,836	0.97	(0.65)
(i)	भारतीय	3,20,17,475	0	3,20,17,475	1.62	1,91,21,836	0	1,91,21,836	0.97	(0.65)
(ii)	विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0	0

शेयर धारकों की श्रेणी		वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं. (1 अप्रैल, 2018)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं. (31 मार्च, 2019)				वर्ष के दौरान परिवर्तन % में
		डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)
(ख)	व्यक्तिगत	14,12,82,153	56,187	14,13,38,340	7.16	12,30,15,367	43,189	12,30,58,556	6.23	(0.93)
(i)	₹ 1 लाख तक न्यूनतम शेयरपूंजी धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	10,56,05,670	56,187	10,56,61,857	5.35	9,45,68,435	43,189	9,46,11,624	4.79	(0.56)
(ii)	₹ 1 लाख से अधिक की नॉमिनल शेयरपूंजी धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	3,56,76,483	0	3,56,76,483	1.81	2,84,46,932	-	2,84,46,932	1.44	(0.37)
(ग)	अन्य (नीचे विनिर्दिष्ट)	**2,10,31,034**	**0**	**2,10,31,034**	**1.06**	**1,92,52,860**	**0**	**1,92,52,860**	**0.97**	**(0.08)**
	क्लियरिंग सदस्य	99,42,990	0	99,42,990	0.50	83,35,517	0	83,35,517	0.42	(0.08)
	विदेशी नागरिक	1,29,000		1,29,000	0	0	0	0	0	0
	आईईपीएफ	54,751	0	54,751	0	89,794	0	89,794	0	0
	आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	1,66,202	0	1,66,202	0.01	14,793	0	14,793	0	(0.01)
	प्रवासी भारतीय- एनआरआई	37,61,419	0	37,61,419	0.19	37,93,231	0	37,93,231	0.19	0
	एनआरआई अप्रत्यावर्तन	19,85,525	0	19,85,525	0.10	13,84,708	0	13,84,708	0.07	(0.03)
	वैकल्पिक निवेश निधि	1,30,000	0	1,30,000	0	1,50,000	0	1,50,000	0.01	0.01
	न्यास	49,91,147	0	49,91,147	0.25	54,84,817	0	54,84,817	0.28	0.02
	उप जोड़ (ख) (2)	**19,43,30,662**	**56,187**	**19,43,86,849**	**9.83**	**16,13,90,063**	**43,189**	**16,14,33,252**	**8.17**	**(1.66)**
	कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख) (1)+ ख (2):	**82,31,83,030**	**56,187**	**82,32,39,217**	**41.68**	**93,53,79,564**	**43,189**	**93,54,22,753**	**47.37**	**5.69**
(ग)	**जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल जोड़ (ग):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	कुल जोड़ (क+ख+ग):	**1,97,48,61,813**	**56,187**	**1,97,49,18,000**	**100.00**	**1,97,48,74,811**	**43,189**	**1,97,49,18,000**	**100.00**	**0**

**1 अप्रैल 2018 के अनुसार; पीएफसी द्वारा आरईसी में 95,904 इक्विटी शेयर धारित थे, जो 'सार्वजनिक श्रेणी (कारपोरेट निकाय)' के अंतर्गत थे।*

(ii) **प्रमोटरों की शेयरधारिता**

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01 अप्रैल, 2018)			वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31 मार्च, 2019)			वर्ष के दौरान शेयरधारिता के % में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों की संख्या	
1	भारत के राष्ट्रपति	1,15,16,78,783	58.32	0	0	0	0	(58.32)
2	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	95,904	Negligible	0	1,03,94,95,247	52.63	0	52.63
	जोड़	**1,15,17,74,687**	**58.32**	**0**	**1,03,94,95,247**	**52.63**	**0**	**(5.69)**

(iii) **प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन**

क्र. सं.	विवरण		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01 अप्रैल, 2018)		वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारिता (1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019)	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति					
	वर्ष के प्रारंभ में		1,15,16,78,783	58.32		
	वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी					
	दिनांक	**वृद्धि/कमी के कारण**				
	18 जून 2018	बिक्री (नीचे टिप्पणी 1 देखें)			64,73,244	(0.33)
	4 दिसंबर 2018	बिक्री (नीचे टिप्पणी 2 देखें)			10,14,70,139	(5.14)
	21 फरवरी 2019	बिक्री (नीचे टिप्पणी 3 देखें)			43,36,057	(0.22)
	28 मार्च, 2019	बिक्री (नीचे टिप्पणी 4 देखें)			1,03,93,99,343	(52.63)
	वर्ष के अंत में				0	0
2	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड		95,904	नगण्य		
	वर्ष के प्रारम्भ में					
	वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी					
	दिनांक	**वृद्धि/कमी के कारण**				
	28 मार्च, 2019	खरीद (नीचे टिप्पणी 4 देखें)			1,03,93,99,343	52.63
	वर्ष के अंत में				1,03,94,95,247	52.63

टिप्पणियां:

1 भारत के राष्ट्रपति ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए 'भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड' के अंतर्गत शेयरों की ऑफ मार्किट बिक्री के द्वारा 18 जून, 2018 को कंपनी के 64,73,244 इक्विटी शेयरों अर्थात कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 0.33 % का डाइवेस्ट किया/बिक्री की।

2. भारत के राष्ट्रपति ने आगे 4 दिसम्बर, 2018 को सीपीएसई ईटीएफ म्युच्युअल फंड स्कीम की थर्ड फर्दर फंड ऑफर (एफएफओ-3) के अंतर्गत ऑफ मार्किट बिक्री के द्वारा 10,14,70,139 इक्विटी शेयरों अर्थात कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 5.14 % को डाइवेस्ट किया/बिक्री की।

3. भारत के राष्ट्रपति ने आगे 21 फरवरी, 2019 को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जो भारत 22 ईटीएफ स्कीम की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, को प्रत्येक ₹ 10 के अंकित मूल्य के 43,36,057 इक्विटी शेयरों अर्थात कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 0.22 % को डाइवेस्ट किया/बिक्री की।

4. इसके अलावा मंत्रिमण्डल की आर्थिक कार्य समिति के 6 दिसम्बर, 2018 के ''सैद्धांतिक'' अनुमोदन के अनुरुप तथा बाद में दिनांक 20 मार्च, 2019 को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के साथ हुए शेयर खरीद करार के संबंध में, भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 28 मार्च, 2019 को पीएफसी को आरईसी लि. में अपनी समग्र शेयरधारिता अर्थात प्रत्येक ₹ 10 के अंकित मूल्य के 1,03,93,99,343 इक्विटी शेयरों अर्थात कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 52.63 % डाइवेस्ट किया/बिक्री की है।

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता प्रतिरूप (निदेशक, प्रमोटर, एवं प्रमोटरों के समूह तथा जीडीआर और एडीआर धारकों के अलावा)

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01 अप्रैल, 2018)		शेयरधारिता में निवल वृद्धि/ कमी (टिप्पणियां देखें)		वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारिता (31 मार्च, 2019)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	वृद्धि	कमी	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	सीपीएसई ईटीएफ#	0	0	7,04,82,201	-	7,04,82,201	3.57
2	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड एचडीएफसी प्रूडेंश फंड*	2,06,65,000	1.05	2,48,75,000	-	4,55,40,000	2.31
3	भारतीय जीवन बीमा निगम*	4,53,59,430	2.30	-	-	4,53,59,430	2.30
4	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड एचडीएफसी इक्विटी फंड*	1,49,60,900	0.76	2,15,58,800	-	3,65,19,700	1.85
5	दि प्रूडेंशियल एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*	3,87,71,824	1.96	-	1,22,04,101	2,65,67,723	1.35
6	इंडिया कैपिटल फंड लिमिटेड *	1,13,90,000	0.58	73,28,888		1,87,18,888	0.95
7	ईस्टस्प्रिंग इन्वेस्टमेंट्स डेवलप्ड एंड इमर्जिंग एएस*	1,89,49,880	0.96	-	32,15,465	1,57,34,415	0.80
8	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड-ए/सी एचडीएफसी टॉप 100 फंड #	78,34,538	0.40	77,37,999	-	1,55,72,537	0.79
9	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी एचडीएफसी मिड - कैप अपार्चुनिटी फंड #	0	0	1,43,96,500	-	1,43,96,500	0.73
10	वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, ए सीरीज ऑफ वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स*	1,18,88,245	0.60	-	12,81,489	1,06,06,756	0.54
11	सीपीएसई ईटीएफ@	1,83,39,388	0.93	-	1,83,39,388	0	0
12	ईस्ट ब्रिज कैपिटल मास्टर फंड लिमिटेड@	1,27,37,653	0.64	-	1,27,37,653	0	0
13	बीएनपी परिबास आर्बिट्रेज@	1,35,89,214	0.69	-	1,35,42,575	46,639	नगण्य

(*1 अप्रैल, 2018 और 31 मार्च, 2019, दोनों के अनुसार शीर्ष 10 शेयरधारकों की स्थिति को दर्शाता है; @ 1 अप्रैल, 2018 के अनुसार केवल शीर्ष 10 शेयरधारकों की स्थिति को दर्शाता है; तथा # 31 मार्च, 2019 के अनुसार केवल शीर्ष 10 शेयरधारकों की स्थिति को दर्शाता है।)

टिप्पणी: कंपनी के शेयरों का दैनिक आधार पर कारोबार किया जाता है इसलिए शेयरहोल्डिंग में तिथि-वार वृद्धि/ कमी का उल्लेख नहीं किया गया है।

(v) **निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) की शेयरधारिता**

क्र. सं.	निदेशक/केएमपी का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01 अप्रैल, 2018)		वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारिता (31 मार्च, 2019)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	**डॉ. पी वी रमेश, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (6 मार्च, 2019 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक होने के लिए सीज किए गए)**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं			
	दिनांक पर समाप्त			0	0
2	**श्री अजीत कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)**				
	वर्ष के प्रारंभ में	484	नगण्य		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में			484	नगण्य
3	**श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में			0	0
4	**डा. अरूण कुमार वर्मा, सरकार द्वारा नामित निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में			0	0
5	**श्री ए. कृष्ण कुमार, स्वतंत्र निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में			0	0
6	**प्रो. टी.टी. राम मोहन, स्वतंत्र निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में			0	0
7	**श्रीमती आशा स्वरूप, स्वतंत्र निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में			0	0

क्र. सं.	निदेशक/केएमपी का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01 अप्रैल, 2018)		वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारिता (31 मार्च, 2019)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
8	**डॉ. बी. के. कराड, स्वतंत्र निदेशक (17 जुलाई 2018 से निदेशक)**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में			0	0
9	**श्री ज्योति शुभ्र अमिताभ, कंपनी सचिव (केएमपी)**				
	वर्ष के प्रारंभ में	2,242	नगण्य		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में			2,242	नगण्य

टिप्पणी:-

1 वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आरईसी के स्वतंत्र निदेशक डॉ बी. के. कराड (डीआईएनः 00998839), कंपनी के निदेशक मण्डल में 17 जुलाई 2018 से निदेशक हैं।

2. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के अपने आदेश सं. 20/6/2017-समन्वय के माध्यम से आरईसी के बोर्ड में अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निवेशकों के रुप में श्री ए. कृष्ण कुमार और प्रो. टी.टी. राम मोहन को उनके पूर्व कार्यकाल के समाप्त होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 12 नवम्बर, 2019 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, फिर से नियुक्त किया है।

(V) ऋणग्रस्तता

बकाया/उपचित ब्याज, लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं, सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता।

(₹ करोड़ में)

विवरण	जमा छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन	58,892.13	1,39,899.46	-	1,98,791.59
ii) देय ब्याज किंतु प्रदत्त नहीं	-	-	-	-
iii) उपचित ब्याज किंतु देय नहीं	2,287.02	3,802.08	-	6,089.10
iv) मूलधन पर इंड एएस समायोजन (प्रारम्भिक)	-64.98	-376.80	-	-441.78
जोड़ (i+ii+iii+iv)	**61,114.17**	**1,43,324.74**	**-**	**2,04,438.91**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) मूलधन				
• वृद्धि	6,651.50	82,803.39	-	89,454.89
• कमी	17,795.90	32,396.21	-	50,192.11
• विदेशी मुद्रा लाभ/हानि	-	1,232.08	-	1,232.08
प्रिंसिपल पॉजिटिव / निगेटिव पर इंड एएस समायोजन	7.08	1,069.12	-	1,062.04
मूलधन में निवल परिवर्तन (i)	**-11,137.32**	**50,570.14**	**-**	**39,432.82**
ii) देय ब्याज किंतु प्रदत्त नहीं				
• वृद्धि	-	-	-	-
• कमी	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

विवरण	जमा छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
देय ब्याज किंतु प्रदत्त नहीं (ii) में निवल परिवर्तन	**-**	**-**	**-**	**-**
iii) उपचित ब्याज किंतु देय नहीं				
• वृद्धि	4,009.66	10,301.88	-	14,311.54
• क़मी	4,366.61	9,599.74	-	13,966.35
• विदेशी मुद्रा लाभ/हानि	-	-4.61	-	-4.61
उपचित ब्याज किंतु देय नहीं (iii) में निवल परिवर्तन	**-356.95**	**706.75**	**-**	**340.58**
कुल निवल परिवर्तन (i+ii+iii)	**-11,494.27**	**51,276.89**	**-**	**39,773.40**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन	47,747.73	1,91,538.72	-	2,39,286.45
ii) देय ब्याज किंतु प्रदत्त नही	-	-	-	-
iii) उपचित ब्याज किंतु देय नहीं	1,930.07	4,508.83	-	6,438.90
iv) मूलधन पर इंड एएस समायोजन (क्लोजिंग)	-57.90	-1,346.36	-	-1,404.26
जोड़ (i+ii+iii)	**49,619.90**	**1,94,701.19**	**-**	**2,44,321.09**

टिप्पणी:

1. वर्ष के दौरान जुटाए और विमोचित किए गए कमर्शियल पेपर्स और कार्य पूंजी मांग ऋण का "वृद्धि/कमी" मद में विचार नहीं किया गया है।
2. जीरो कूपन बाण्ड्स के संदर्भ में, ₹ 96.97 करोड़ का ब्याज उपचित, किन्तु देय नहीं ब्याज को उसे उपचित परंतु देय नहीं ब्याज में शामिल करने की बजाए मूलधन में शामिल किया गया है।
3. ऋणग्रस्तता में परिवर्तन में वर्ष के दौरान मूलधन और ब्याज में परिवर्तन शामिल है।

VI निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का ब्योरा	डॉ. पी वी रमेश, सीएमडी (6 मार्च, 2019 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक होने के लिए सीज किए गए)	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)	श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)	कुल
1	सकल वेतन				
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन	29,34,000	67,75,921	67,56,012	1,64,65,933
	ख) आयकर अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत परिलब्धियों का मूल्य	6,942	10,12,872	10,93,455	21,13,269
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	स्वीट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	कमीशन				
	-लाभ के % के रूप में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	- अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

5	अन्य, नीचे यथा निर्दिष्ट				
	- भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	शून्य	3,94,478	3,93,946	7,88,424
	- अधिवर्षिता निधि में नियोक्ता का अंशदान धारा 17(2) के तहत ₹ 1,50,000 लाख से अधिक की राशि को परिलब्धियो में भी शामिल किया गया है	शून्य	धारा 17(1) में शामिल वेतन	धारा 17(1) में शामिल वेतन	-
	जोड़ (क)	**29,40,942**	**81,83,271**	**82,43,413**	**1,93,67,626**
	अधिनियम के अनुसार परिसीमा#	# प्रबंधकीय पारिश्रमिकों हेतु परिसीमा दिनांक 5 जून, 2015 की एमसीए अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं है।			

टिप्पणी: आरईसी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सीईओ एवं सीएफओ की भूमिका कंपनी के ''सीएमडी'' और ''निदेशक (वित्त)'' द्वारा निभाई जाती है।

ख) अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का ब्योरा	स्वतंत्र निदेशक				सरकार द्वारा नामित निदेशक	कुल
		श्री ए. कृष्ण कुमार	प्रो. टी.टी. राम मोहन	श्रीमती आशा स्वरूप	डॉ. बी. के. कराड (17 जुलाई, 2018 से निदेशक)	डा. अरूण कुमार वर्मा	
1	**स्वतंत्र निदेशक**						
	• बोर्ड/समिति की बैठक में उपस्थिति के लिए शुल्क	7,40,000	5,60,000	6,60,000	4,20,000	शून्य	23,80,000
	• क़मीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	• अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़ (1)	**7,40,000**	**5,60,000**	**6,60,000**	**4,20,000**	**शून्य**	**23,80,000**
2	**अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक**						
	• बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थिति के लिए शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	• क़मीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	• अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़ (2)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
	जोड़ (ख)=(1+2)	**7,40,000**	**5,60,000**	**6,60,000**	**4,20,000**	**शून्य**	**23,80,000**
	जोड़ प्रबंधकीय पारिश्रमिक (क+ख)						**2,17,47,626**
	अधिनियम के अनुसार समग्र परिसीमा	दिनांक 5 जून, 2015 की एमसीए अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को छूट प्राप्त है।					

टिप्पणी: 1. बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के भुगतान के अलावा, कंपनी उनके हवाई यात्रा टिकट, होटल में ठहरने, वाहन को किराये पर लेने, स्वयं खर्च करने और अन्य स्थानीय वाहनों आदि से संबंधित व्यय का भी वहन करती है।

2. श्री ए. कृष्ण कुमार को भुगतान किए गए शुल्क में आईटी नीति समिति, जो बोर्ड स्तर की समिति नहीं हैं, की बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 40,000/- शामिल है।

ग. प्रबंधक निदेशक, प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का ब्योरा	कंपनी सचिव श्री जे.एस. अमिताभ
1	सकल वेतन	
a)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन	64,55,331
b)	आयकर अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत परिलब्धियों का मूल्य	2,00,065
c)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	शून्य
2	स्टॉक विकल्प	शून्य
3	स्वीट इक्विटी	शून्य
4	कमीशन	शून्य
	- लाभ के % के रूप में	
	- अन्य	शून्य
5	अन्य, नीचे यथा निर्दिष्ट	शून्य
	- भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	3,78,433
	- अधिवर्षिता निधि में नियोक्ता का अंशदान (धारा 17(2) के अनुसार ₹ 1,50,000 लाख से अधिक की राशि को परिलब्धियो में भी शामिल किया गया है)	धारा 17 (1) में शामिल वेतन
	जोड़ (ग)	**70,33,829**

VII. अपराधों के लिए जुर्माना/दंड/समझौता:

क्र. सं.	प्रकार	कंपनी के अधिनियम की धारा	संक्षेप में विवरण	अधिरोपित जुर्माना/दंड/ समझौता शुल्क	प्राधिकरण [आरडी/ एनसीएलटी/ कोर्ट]	की गयी अपील, यदि कोई हो (ब्योरा दें)
क.	**कंपनी**					
	जुर्माना	कोई नहीं				
	दंड					
	कम्पाउंडिंग					
ख.	**निदेशक**					
	जुर्माना	कोई नहीं				
	दंड					
	कम्पाउंडिंग					
ग.	**दोषी अन्य अधिकारी**					
	जुर्माना	कोई नहीं				
	दंड					
	कम्पाउंडिंग					

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

अजीत अग्रवाल

श्री अजीत कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)
(डीआईएन-02231613)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22 जुलाई, 2019

फॉर्म सं. एओसी - 2

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप धारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

आरईसी लिमिटेड द्वारा अपने संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों का प्रकटीकरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) के तहत)

1. ऐसे अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देन के ब्यौरे, जो आर्म्स लेंथ बेसिस पर नहीं हैं:

संगत पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेन-देन की प्रकृति	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन-देन की अवधि	अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देन, जिनमें कीमत शामिल है, की मुख्य शर्तें, यदि कोई हों	ऐसे अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देन के लिए औचित्य	निदेशक मण्डल के अनुमोदन की तारीख	अग्रिम तौर पर भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	जिस तारीख को आम बैठक में विशेष संकल्प पारित किया गया, जो कि धारा 188 के प्रथम परंतुक के तहत अपेक्षित है
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) (आरईसी के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी)	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति	6-7 माह	महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि. (एमएसईडीसीएल) परियोजनाओं, जिनका वित्तीय प्रभाव लगभग ₹ 1.60 करोड़ (कर को छोड़कर) है, ₹ 10 लाख के सामान्य शुल्क पर आरईसीटीपीसीएल द्वारा नियुक्त किए जाने के लिए एजेंसी द्वारा लगाई गई वास्तविक लागत के अधीन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति।	तात्कालिकता और एमएसईडीसीएल के साथ लंबे संबंधों के मद्देनजर इस कार्य के लिए नामांकन आधार पर आरईसीटीपीसीएल को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था।	28 मई, 2018	शून्य	अपेक्षित नहीं
		--	आरईसीटीपीसीएल को लगभग ₹ 50 लाख (करों को छोड़कर) के वित्तीय प्रभाव वाले विद्यमान तापीय संयंत्रों में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) द्वारा सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित सभी क्रियाकलाप करने के लिए उनकी प्रशासनिक लागतों को पूरा करने हेतु ₹ 10 लाख के सामान्य शुल्क पर नामांकन के आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करना।	आरईसीटीपीसीएल विद्युत क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में एक अग्रणी परामर्शदाता है और अपने विद्यमान तापीय संयंत्रों में समयबद्ध आधार पर सौर विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आरआरवीयूएनएल के लिए सौर डीपीआर तैयार करने के परामर्शी कार्य करने में सक्षम है।	12 अक्तूबर, 2018	शून्य	
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) (आरईसी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)	अ-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की दैनिक मॉनीटरिंग	--	आरईसीपीडीसीएल के माध्यम से कार्यान्वित डीडीयूजीजेवाई के तहत अ-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की दैनिक मॉनीटरिंग के लिए अप्रैल, 2018 तक किए गए ₹ 3.08 करोड़ की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति, डीडीयूजीजेवाई के तहत आरईसी के 0.5 % सेवा प्रभारों में से वहन किए जाने के लिए नामांकन और लागत प्लस आधार पर।	अत्यधिक सुदूर क्षेत्रों, कठिन क्षेत्रों, एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में कार्य के निष्पादन और गर्व से बाहर के गांवों के विद्युतीकरण, जिनको पूर्व में शामिल नहीं किया गया था, की मॉनीटरिंग के कारण व्यय में वृद्धि।	14 सितंबर, 2018	शून्य	अपेक्षित नहीं

2. आर्म्स लेंथ बेसिस पर अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों के ब्यौरे: **समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी द्वारा संगत पक्षकार के साथ कोई अनुबंध अथवा व्यवस्था अथवा लेन-देन नहीं किया गया।**

कृते और निदेशक मण्डल की ओर से

अजीत अग्रवाल

(अजीत कुमार अग्रवाल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)
(डीआईएन: 02231613)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22 जुलाई, 2019

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार विभिन्न बाण्ड श्रृंखलाओं के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त डिबेंचर न्यासियों का विवरण

सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 53 के अनुसार

क्रम सं.	डिबेंचर न्यासी का नाम एवं पता	आईएसआईएन	श्रृंखला संख्या	प्रतिभूत/ अप्रतिभूत	विमोचन की तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
							एनएसई	बीएसई	
1	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, एसियन बिल्डिंग, भूतल, 17 आर, कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई-400001 संपर्क : श्री अजीत गुरूजी दूरभाष : 022-40807001 फैक्स संख्या : 022-6631 1776 ई-मेल : ajit.guruji@idbitrustee.com response@idbitrustee.com वेबसाइट : www.idbitrustee.com	आईएनई020बी08500	इंफ्रा बॉण्ड श्रृंखला-I (2010-11)	अप्रतिभूत	31/03/2021	8.00%	हाँ	नहीं	बीटल फाइनेंसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड, बीटल हाउस, तृतीय तल, 99, मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के निकट, नई दिल्ली-110062 संपर्क : श्री संजय रस्तोगी दूरभाष : 011-29961281-83 फैक्स : 011-29961284 ई-मेल : recbonds1969@gmail.com beetal@beetalfinancial.com
		आईएनई020बी08518		अप्रतिभूत	31/03/2020	8.10%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08526		अप्रतिभूत	31/03/2021	8.20%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08534		अप्रतिभूत	31/03/2020	8.20%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07ईपी5	90	प्रतिभूत	03/08/2019	8.80%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07ईआर1	90बी-II	प्रतिभूत	04/09/2019	8.72%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07ईवी3	90सी-II	प्रतिभूत	07/10/2019	8.80%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07ईवाई7	91-II	प्रतिभूत	18/11/2019	8.80%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07एफसी0	92-II	प्रतिभूत	22/01/2020	8.65%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08427	94	अप्रतिभूत	09/06/2025	8.75%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08435	95-I	अप्रतिभूत	12/07/2019	8.70%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08443	95-II	अप्रतिभूत	14/07/2025	8.75%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08450	96	अप्रतिभूत	26/10/2020	8.80%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08468	97	अप्रतिभूत	30/11/2020	8.80%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08476	0 सीपीएन-I	अप्रतिभूत	15/12/2020	0	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08484	0 सीपीएन-II	अप्रतिभूत	03/02/2021	0	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08492	98	अप्रतिभूत	15/03/2021	9.18%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08567	100	अप्रतिभूत	15/07/2021	9.63%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08591	101-III	अप्रतिभूत	10/08/2021	9.48%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08641	105	अप्रतिभूत	11/11/2021	9.75%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08740	107	अप्रतिभूत	15/06/2022	9.35%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08765	108-II	अप्रतिभूत	20/07/2019	9.39%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08799	111-I	अप्रतिभूत	19/11/2019	9.02%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08807	111-II	अप्रतिभूत	19/11/2022	9.02%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08823	113	अप्रतिभूत	09/03/2020	8.87%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08831	114	अप्रतिभूत	12/04/2023	8.82%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08849	115	अप्रतिभूत	31/05/2023	8.06%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07आईवी4	122	प्रतिभूत	18/06/2019	9.02%	हाँ	हाँ	कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 संपर्क : श्री के. ब्रह्मानंदम दूरभाष : 040-67161598 ई-मेल : brahma.k@karvy.com
		आईएनई020बी07आईडब्ल्यू2	123-I	प्रतिभूत	17/07/2021	9.40%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07आईजेड5	123-III-10 वर्ष	प्रतिभूत	23/08/2024	9.34%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08856	125	अप्रतिभूत	11/10/2019	9.04%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08864	126	अप्रतिभूत	13/11/2019	8.56%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08872	127	अप्रतिभूत	04/12/2021	8.44%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08880	128	अप्रतिभूत	21/12/2024	8.57%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08898	129	अप्रतिभूत	23/01/2025	8.23%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08906	130	अप्रतिभूत	06/02/2025	8.27%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08914	131	अप्रतिभूत	21/02/2025	8.35%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08922	132	अप्रतिभूत	09/03/2022	8.27%	हाँ	हाँ	

क्रम सं.	डिबेंचर न्यासी का नाम एवं पता	आईएसआईएन	श्रृंखला संख्या	प्रतिभूत/ अप्रतिभूत	विमोचन की तिथि (डीडी/ए मएम/वाईवाईवाईवाई)	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
							एनएसई	बीएसई	
2	विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड द आईएल एंड एफएस फाइनेंसियल सेंटर जी ब्लॉक, प्लॉट सी-22, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051 संपर्क : श्री संजय डोडती संपर्क : 022-26593644 फैक्स : 022-26533297 ई-मेल : sanjay.dodti@ilfsindia.com shailesh.kokate@ilfsindia.com वेबसाइट : www.itclindia.com	आईएनई020बी08708	इंफ्रा बॉण्ड श्रृंखला-II (2011-12)	अप्रतिभूत	15/02/2022	8.95%	Yes	नहीं	बीटल फाइनेंसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड, बीटल हाउस, तृतीय तल, 99, मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के निकट, नई दिल्ली-110062 संपर्क : श्री संजय रस्तोगी दूरभाष : 011-29961281-83 फैक्स : 011-29961284 ई-मेल : recbonds1969@gmail.com beetal@beetalfinancial.com
		आईएनई020बी08716		अप्रतिभूत	15/02/2022	8.95%	Yes	नहीं	
		आईएनई020बी08724		अप्रतिभूत	15/02/2027	9.15%	Yes	नहीं	
		आईएनई020बी08732		अप्रतिभूत	15/02/2027	9.15%	Yes	नहीं	
		आईएनई020बी07जीजी9	2011-12 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	28/03/2022	7.93%	नही	हाँ	कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 संपर्क : श्री के. ब्रह्मानंदम दूरभाष : 040-67161598 ई-मेल : brahma.k@karvy.com
					28/03/2022	8.13%	नही	हाँ	
		आईएनई020बी07जीएच7		प्रतिभूत	29/03/2027	8.12%	नही	हाँ	
					29/03/2027	8.32%	नही	हाँ	
3	एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड छठा तल, अपीजे हाउस, 3, दिनशॉ वाछा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020 संपर्क :श्री अजीत जोशी दूरभाष : 022-43025566 फैक्स : 022-22040465 ई-मेल : corporate@sbicaptrustee.com, investor.cell@sbicaptrustee.com वेबसाइट : www.sbicaptrustee.com	आईएनई020बी07केयू2	54ईसीश्रृंखला XII(2018-19)	प्रतिभूत	30/04/2023	5.75%	नही	नही	कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 संपर्क : श्री के. ब्रह्मानंदम दूरभाष : 040-67161598 ई-मेल : brahma.k@karvy.com
		आईएनई020बी07केवी0		प्रतिभूत	31/05/2023	5.75%	नही	नही	
		आईएनई020बी07केडब्ल्यू8		प्रतिभूत	30/06/2023	5.75%	नही	नही	
		आईएनई020बी07केएक्स6		प्रतिभूत	31/07/2023	5.75%	नही	नही	
		आईएनई020बी07केवाई4		प्रतिभूत	31/08/2023	5.75%	नही	नही	
		आईएनई020बी07केजेड1		प्रतिभूत	30/09/2023	5.75%	नही	नही	
		आईएनई020बी07एलए2		प्रतिभूत	31/10/2023	5.75%	नही	नही	
		आईएनई020बी07एलबी0		प्रतिभूत	30/11/2023	5.75%	नही	नही	
		आआईएनई020बी07एलसी8		प्रतिभूत	31/12/2023	5.75%	नही	नही	
		आईएनई020बी07एलडी6		प्रतिभूत	31/01/2024	5.75%	नही	नही	
		आईएनई020बी07एलई4		प्रतिभूत	28/02/2024	5.75%	नही	नही	
		आईएनई020बी07एलएफ1		प्रतिभूत	31/03/2024	5.75%	नही	नही	
		आईएनई020बी07जेवी2	54ईसीश्रृंखला X (2016-17)	प्रतिभूत	30/04/2019	6.00%	नही	नही	
		आईएनई020बी07जेडब्ल्यू0		प्रतिभूत	31/05/2019	6.00%	नहीं	नही	
		आईएनई020बी07जेएक्स8		प्रतिभूत	30/06/2019	6.00%	नही	नही	
		आईएनई020बी07जेवाई6		प्रतिभूत	31/07/2019	6.00%	नही	नही	
		आईएनई020बी07जेजेड3		प्रतिभूत	31/08/2019	6.00%	नही	नही	
		आईएनई020बी07केए4		प्रतिभूत	30/09/2019	6.00%	नही	नही	
		आईएनई020बी07केबी2		प्रतिभूत	31/10/2019	6.00%	नही	नही	
		आईएनई020बी07केसी0		प्रतिभूत	30/11/2019	6.00%	नही	नही	
		आईएनई020बी07केडी8		प्रतिभूत	31/12/2019	5.25%	नही	नही	
		आआईएनई020बी07केई6		प्रतिभूत	31/01/2020	5.25%	नही	नही	
		आईएनई020बी07केएफ3		प्रतिभूत	29/02/2020	5.25%	नही	नही	
		आईएनई020बी07केजी1		प्रतिभूत	31/03/2020	5.25%	नही	नही	

क्रम सं.	डिबेंचर न्यासी का नाम एवं पता	आईएसआईएन	श्रृंखला संख्या	प्रतिभूत/ अप्रतिभूत	विमोचन की तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
							एनएसई	बीएसई	
	एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड छठा तल, अपीजे हाउस, 3, दिनशॉ वाछा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020 संपर्क : श्री अजीत जोशी दूरभाष : 022-43025566 फैक्स : 022-22040465 ई-मेल : corporate@sbicaptrustee.com, investor.cell@sbicaptrustee.com वेबसाईट : www.sbicaptrustee.com	आईएनई020बी07केआई7	54ईसीश्रृंखला XI (2017-18)	प्रतिभूत	30/04/2020	5.25%	नही	नही	कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 संपर्क : श्री के. ब्रह्मानंदम दूरभाष : 040-67161598 ई-मेल : brahma.k@karvy.com
		आईएनई020बी07केजे5		प्रतिभूत	31/05/2020	5.25%	नही	नही	
		आईएनई020बी07केके3		प्रतिभूत	30/06/2020	5.25%	नही	नही	
		आईएनई020बी07केएल1		प्रतिभूत	31/07/2020	5.25%	नही	नही	
		आईएनई020बी07केएम9		प्रतिभूत	31/08/2020	5.25%	नही	नही	
		आईएनई020बी07केएन7		प्रतिभूत	30/09/2020	5.25%	नही	नही	
		आईएनई020बी07केओ5		प्रतिभूत	31/10/2020	5.25%	नही	नही	
		आआईएनई020बी07केपी2		प्रतिभूत	30/11/2020	5.25%	नही	नही	
		आईएनई020बी07केक्यू0		प्रतिभूत	31/12/2020	5.25%	नही	नही	
		आईएनई020बी07केआर8		प्रतिभूत	31/01/2021	5.25%	नही	नही	
		आईएनई020बी07केएस6		प्रतिभूत	28/02/2021	5.25%	नही	नही	
		आईएनई020बी07केटी4		प्रतिभूत	31/03/2021	5.25%	नही	नही	
		आईएनई020बी08930	133	अप्रतिभूत	10/04/2025	8.30%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08948	134	अप्रतिभूत	14/08/2020	8.37%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08955	135	अप्रतिभूत	22/09/2020	8.36%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08963	136	अप्रतिभूत	07/10/2025	8.11%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08997	139	अप्रतिभूत	21/10/2021	7.24%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एए3	140	अप्रतिभूत	07/11/2026	7.52%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एबी1	141	अप्रतिभूत	09/12/2021	7.14%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एसी9	142	अप्रतिभूत	30/12/2026	7.54%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एडी7	143	अप्रतिभूत	29/06/2020	6.83%	हाँ	हाँ	
		आआईएनई020बी08एई5	144	अप्रतिभूत	21/09/2020	7.13%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एएफ2	145	अप्रतिभूत	28/02/2022	7.46%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एएच8	147	अप्रतिभूत	12/03/2027	7.95%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एआई6	148	अप्रतिभूत	17/06/2020	7.42%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एजे4	149	अप्रतिभूत	24/09/2020	6.87%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एके2	150	अप्रतिभूत	07/09/2022	7.03%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एएम8	152	अप्रतिभूत	17/10/2022	7.09%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एएन6	153	अप्रतिभूत	31/12/2020	6.99%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एओ4	154	अप्रतिभूत	21/05/2021	7.18%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एपी1	155	अप्रतिभूत	30/11/2022	7.45%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एक्यू9	156	अप्रतिभूत	10/12/2027	7.70%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एआर7	157	अप्रतिभूत	17/04/2021	7.60%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एएस5	158	अप्रतिभूत	15/03/2021	7.70%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एटी3	159	अप्रतिभूत	23/02/2023	7.99%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एयू1	160	अप्रतिभूत	16/09/2019	7.77%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एवी9	161-ए	अप्रतिभूत	13/03/2020	7.59%	हाँ	हाँ	

क्रम सं.	डिबेंचर न्यासी का नाम एवं पता	आईएसआईएन	श्रृंखला संख्या	प्रतिभूत/ अप्रतिभूत	विमोचन की तिथि (डीडी/ए मएम/वाईवाईवाईवाई)	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
							एनएसई	बीएसई	
	एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड छठा तल, अपीजे हाउस, 3, दिनशॉ वाछा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020 संपर्क : श्री अजीत जोशी दूरभाष : 022-43025566 फैक्स : 022-22040465 ई-मेल : corporate@sbicaptrustee.com, investor.cell@sbicaptrustee.com वेबसाईट : www.sbicaptrustee.com	आईएनई020बी08एडब्ल्यू7	161-बी	अप्रतिभूत	15/06/2021	7.73%	हाँ	हाँ	कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 संपर्क : श्री के. ब्रह्मानंदम दूरभाष : 040-67161598 ई-मेल : brahma.k@karvy.com
		आईएनई020बी08एएक्स5	जीओआई-I	अप्रतिभूत	21/03/2028	8.09%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एवाई3	जीओआई-II	अप्रतिभूत	24/03/2028	8.01%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एजेड0	जीओआई-III	अप्रतिभूत	27/03/2028	8.06%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07जीयू0	2012-13 प्राइवेट प्लेसमेंट	प्रतिभूत	21/11/2022	7.21%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07जीवी8		प्रतिभूत	22/11/2027	7.38%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07जीडब्ल्यू6	2012-13 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	19/12/2022	7.22%	हाँ	हाँ	
					19/12/2022	7.72%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07जीएक्स4		प्रतिभूत	20/12/2027	7.38%	हाँ	हाँ	
					20/12/2027	7.88%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07जीवाई2	2012-13 पब्लिक इश्यू भाग-2	प्रतिभूत	27/03/2023	6.88%	हाँ	हाँ	
					27/03/2023	7.38%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07जीजेड9		प्रतिभूत	27/03/2028	7.04%	हाँ	हाँ	
					27/03/2028	7.54%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचएम5	2013-14 प्राइवेट प्लेसमेंट-1	प्रतिभूत	29/08/2023	8.01%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचएन3		प्रतिभूत	29/08/2028	8.46%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचओ1	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	25/09/2023	8.01%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचआर4		प्रतिभूत	25/09/2023	8.26%	हाँ	हाँ	
		आआईएनई020बी07एचपी8		प्रतिभूत	25/09/2028	8.46%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचएस2		प्रतिभूत	25/09/2028	8.71%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचक्यू6		प्रतिभूत	26/09/2033	8.37%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचटी0		प्रतिभूत	26/09/2033	8.62%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचयू8	2013-14 प्राइवेट प्लेसमेंट-2	प्रतिभूत	11/10/2023	8.18%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचवी6		प्रतिभूत	11/10/2028	8.54%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07आईसी4	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-2	प्रतिभूत	22/03/2024	8.19%	हाँ	हाँ	
		आआईएनई020बी07आईएफ7		प्रतिभूत	22/03/2024	8.44%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07आईडी2		प्रतिभूत	23/03/2029	8.63%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07आईजी5		प्रतिभूत	23/03/2029	8.88%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07आईई0		प्रतिभूत	24/03/2034	8.61%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07आईएच3	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-2	प्रतिभूत	24/03/2034	8.86%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07जेओ7	2015-16 प्राइवेट प्लेसमेंट	प्रतिभूत	23/07/2025	7.17%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07जेपी4	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	05/11/2025	6.89%	नही	हाँ	
		आईएनई020बी07जेक्यू2		प्रतिभूत	05/11/2025	7.14%	नही	हाँ	
		आईएनई020बी07जेआर0		प्रतिभूत	05/11/2030	7.09%	नही	हाँ	
		आईएनई020बी07जेएस8		प्रतिभूत	05/11/2030	7.34%	नही	हाँ	
		आईएनई020बी07जेटी6		प्रतिभूत	05/11/2035	7.18%	नही	हाँ	
		आईएनई020बी07जेयू4		प्रतिभूत	05/11/2035	7.43%	नही	हाँ	

क्रम सं.	डिबेंचर न्यासी का नाम एवं पता	आईएसआईएन	श्रृंखला संख्या	प्रतिभूत/ अप्रतिभूत	विमोचन की तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
							एनएसई	बीएसई	
4	बीकॉन ट्रस्टीशिप लिमिटेड, एफ-801, जय बालाजी सीएचएस लि., प्लॉट नं. 26, सेक्टर-6, नेरुल, नवी मुंबई, मुंबई-400706 संपर्क : सुश्री जयश्री ककानी दूरभाष : 022-26558759 ई-मेल : jayshree@beacontrustee.co.in	आआईएनई020बी08बीए1	162	अप्रतिभूत	09/08/2028	8.55%	हाँ	हाँ	कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 संपर्क : श्री के. ब्रह्मानंदम दूरभाष : 040-67161598 ई-मेल : brahma.k@karvy.com
		आईएनई020बी08बीबी9	163	अप्रतिभूत	25/08/2028	8.63%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08बीसी7	जीओआई-IV	अप्रतिभूत	28/09/2028	8.70%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08बीडी5	165	अप्रतिभूत	21/01/2022	8.83%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08बीई3	जीओआई-V	अप्रतिभूत	15/11/2028	8.54%	हाँ	हाँ	
		आईईएनई020बी08बीएफ0	167	अप्रतिभूत	22/03/2022	8.45%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08बीजी8	168	अप्रतिभूत	29/11/2028	8.56%	हाँ	हाँ	
		आआईएनई020बी08बीएच6	169	अप्रतिभूत	07/12/2028	8.37%	हाँ	हाँ	
		आआईएनई020बी08बीजे2	जीओआई-VI	अप्रतिभूत	22/01/2029	8.80%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08बीके0	172	अप्रतिभूत	20/08/2020	8.57%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08बीएल8	जीओआई-VII	अप्रतिभूत	08/03/2029	8.60%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08बीएम6	173	अप्रतिभूत	11/03/2022	8.35%	हाँ	हाँ	
		-आईएनई020बी08बीएन4	174	अप्रतिभूत	18/06/2021	8.15%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08बीओ2	जीओआई-VIII	अप्रतिभूत	25/03/2029	8.30%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08बीपी9	175	अप्रतिभूत	28/03/2029	8.97%	हाँ	हाँ	

31 मार्च, 2019 के अनुसार तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
	परिसंपत्तियां				
(1)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**				
(क)	नकद एवं नकदी के समतुल्य	5	**342.94**	212.00	4,465.95
(ख)	अन्य बैंक शेष	6	**1,253.31**	1,570.07	28.44
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों	7	**1,802.58**	690.38	628.07
(घ)	ऋण	8	**270,450.92**	228,878.25	193,934.52
(च)	निवेशों	9	**2,397.62**	2,824.80	2,908.56
(छ)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	10	**18,342.48**	4,224.89	54.16
	कुल-वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		**294,589.85**	**238,400.39**	**202,019.70**
(2)	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां**				
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	11	**275.83**	21.02	38.97
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	**2,358.29**	2,904.11	2,187.88
(ग)	निवेश संपत्ति	13	**0.01**	0.01	0.01
(घ)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	14	**153.98**	123.19	120.81
(च)	पूंजीगत चालू कार्य	14	**196.94**	127.23	61.41
(छ)	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	14	**1.59**	1.46	1.46
(ज)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	14	**8.51**	5.15	0.43
(झ)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	15	**132.30**	86.63	57.98
	कुल - गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		**3,127.45**	**3,268.80**	**2,468.95**
	कुल परिसंपत्तियां (1+2)		**297,717.30**	**241,669.19**	**204,488.65**
	देयताएं और इक्विटी				
	देयताएं				
(1)	**वित्तीय देयताएं**				
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों	7	**159.40**	317.75	354.46
(ख)	ऋण प्रतिभूतियां	16	**192,839.79**	179,140.13	148,723.25
(ग)	उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	17	**46,662.54**	22,631.42	21,700.17
(घ)	अधीनस्थ देयताएं	18	**4,818.76**	2,667.36	2,667.21
(छ)	अन्य वित्तीय देयताएं	19	**18,751.75**	4,299.40	244.96
	कुल- वित्तीय देयताएं (1)		**263,232.24**	**209,056.06**	**173,690.05**
(2)	**गैर-वित्तीय देयताएं**				
(क)	प्रावधान	20	**99.58**	220.37	214.00
(ख)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	21	**82.54**	89.61	32.84
	कुल - गैर - वित्तीय देयताएं (2)		**182.12**	**309.98**	**246.84**
(3)	**इक्विटी**				
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	22	**1,974.92**	1,974.92	1,974.92
(ख)	अन्य इक्विटी	23	**32,328.02**	30,328.23	28,576.84
	जोड़ - इक्विटी (3)		**34,302.94**	**32,303.15**	**30,551.76**
	जोड़ - देयताएं और इक्विटी (1+2+3)		**297,717.30**	**241,669.19**	**204,488.65**

वित्तीय विवरणों पर साथ की टिप्पणियां 1 से 59 देखें

निदेशक बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 03464342

अजीत कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

हमारी इसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी.एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.: 008744एन

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. : 082023

कृते ए.आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.: 002744 सी

अनिल गौर
भागीदार
सदस्यता सं. : 017546

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
	प्रचालनों से राजस्व			
(i)	ब्याज आय	24	**24,971.02**	22,089.55
(ii)	लाभांश आय	25	**113.61**	65.68
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	26	**225.09**	299.39
I.	**प्रचालनों से कुल राजस्व (i से iii)**		**25,309.72**	**22,454.62**
II.	अन्य आय	27	**31.44**	12.73
III.	**कुल आय (I+II)**		**25,341.16**	**22,467.35**
	व्यय			
(i)	वित्तीय लागतें	28	**15,641.54**	13,337.11
(ii)	निवल अनुवाद/लेन-देन विनिमय हानि	29	**521.19**	19.37
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	30	**34.38**	24.58
(iv)	अंकित मूल्य परिवर्तनों संबंधी निवल हानि	31	**348.52**	573.37
(v)	वित्तीय लिखतों संबंधी हानि	32	**240.33**	2,297.12
(vi)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	33	**157.53**	172.42
(vii)	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	34	**7.17**	5.65
(viii)	कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	35	**103.39**	49.45
(ix)	अन्य व्यय	36	**186.61**	104.13
IV.	**कुल व्यय (i से ix)**		**17,240.66**	**16,583.20**
V.	**कर पूर्व लाभ (III-IV)**		**8,100.50**	5,884.15
VI.	**कर व्यय**	37		
(i)	वर्तमान कर		**1,791.64**	2,180.59
(ii)	आस्थगित कर		**545.14**	(716.33)
	कुल कर व्यय (i+ii)		**2,336.78**	**1,464.26**
VII.	**सतत प्रचालन से अवधि का लाभ**		**5,763.72**	4,419.89
(i)	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
(क)	परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनःमापन लाभ/(हानि)		**(19.37)**	(6.34)
(ख)	एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेजों के अंकित मूल्य में परिवर्तन		**(47.26)**	8.48
(ग)	इन मदों से संबंधित आय कर			
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनःमापन लाभ/(हानि)		**6.77**	2.20
	- एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेजों के अंकित मूल्य में परिवर्तन		**(0.68)**	(0.10)
VIII.	**अवधि के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) (क+ख +ग)**		**(60.54)**	4.24
IX.	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (VII+VIII)**		**5,703.18**	4,424.13
X.	**प्रत्येक ₹ 10 प्रति इक्विटी शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्जन (₹ में)-**	38		
(1)	जारी प्रचालनों के लिए		**29.18**	22.38
(2)	जारी एवं बंद प्रचालनों के लिए		**29.18**	22.38

वित्तीय विवरणों पर साथ की टिप्पणियां 1 से 59 देखें

निदेशक बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 03464342

अजीत कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

हमारी इसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी.एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.: 008744एन

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. : 082023

कृते ए.आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.: 002744 सी

अनिल गौर
भागीदार
सदस्यता सं. : 017546

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
आरंभिक शेष	**1,974.92**	**1,974.92**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
अंतिम शेष	**1,974.92**	**1,974.92**

ख अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष									कुल
	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत सृजित विशेष रिजर्व	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viiक) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋण	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत रिजर्व निधि	डिबेंचर मोचन रिजर्व	प्रतिभूति बट्टा खाता	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अनुवाद अंतर खाता	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी दस्तावेज	
01 अप्रैल, 2017 को शेष	**12,230.70**	**2,425.30**	**-**	**924.95**	**2,236.54**	**203.78**	**4,677.40**	**5,696.31**	**181.86**	**28,576.84**
अवधि के लिए लाभ								4,419.89		4,419.89
परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुन:मापन हानि								(4.14)		(4.14)
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी दस्तावेज								-	8.38	8.38
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,415.75**	**8.38**	**4,424.13**
प्रतिधारित अर्जन में/(से) अंतरण	1,582.49	335.80	-	196.59			500.00	(2,614.88)		-
लाभांश								(1,984.79)		(1,984.79)
लाभांश वितरण कर								(397.88)		(397.88)
अवधि के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अनुवाद हानि						(311.74)				(311.74)
अवधि के दौरान परिशोधन						21.67				21.67
31 मार्च, 2018 को शेष	**13,813.19**	**2,761.10**	**-**	**1,121.54**	**2,236.54**	**(86.29)**	**5,177.40**	**5,114.51**	**190.24**	**30,328.23**
अवधि के लिए लाभ								**5,763.72**		5,763.72
परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुन:मापन हानि								(12.60)		(12.60)
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी दस्तावेज								-	(47.94)	(47.94)
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,751.12**	(47.94)	**5,703.18**
प्रतिधारित अर्जन में/(से) अंतरण	1,323.59	273.62	1,153.00	196.59			-	(2,946.80)		-
लाभांश								(2,518.02)		(2,518.02)
लाभांश वितरण कर								(506.84)		(506.84)
एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज की बिक्री संबंधी लाभ/हानि का पुन:वर्गीकरण								5.42	(5.42)	-
अवधि के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अनुवाद हानि						(1,404.88)				(1,404.88)
अवधि के दौरान परिशोधन						726.35				726.35
31 मार्च, 2019 को शेष	**15,136.78**	**3,034.72**	**1,153.00**	**1,318.13**	**2,236.54**	**(764.82)**	**5,177.40**	**4,899.39**	**136.88**	**32,328.02**

वित्तीय विवरणों पर साथ की टिप्पणियां देखें 1 से 59

समान तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी.एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.: 008744एन

कृते ए.आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.: 002744सी

निदेशक बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

एस.सी. चौधरी
साझीदार
सदस्यता सं.: 082023

अनिल गौर
साझीदार
सदस्यता सं.: 017546

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 03464342

अजीत कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 को समाप्त वर्ष		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	
क.	**प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह:**				
	कर पूर्व निवल लाभ	**8,100.50**		**5,884.15**	
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:				
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (निवल) के मान्यता समाप्त करने पर हानि	**0.86**		0.56	
2.	अवमूल्यन एवं परिशोधन	**7.17**		5.65	
3.	वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि से संबंधित क्षति	**240.33**		2,297.12	
4.	ऋण के मामले में प्रभावी ब्याज दर के प्रति समायोजन	**1.33**		(37.70)	
5.	उधार के मामले में प्रभावी ब्याज दर के प्रति समायोजन	**(788.28)**		84.16	
6.	व्युत्पन्न में उचित मूल्य परिवर्तन	**351.52**		586.76	
7.	वाणिज्यिक दस्तावेज पर ब्याज	**402.84**		135.60	
8.	जीरो कूपन बॉण्ड पर उपचित ब्याज	**97.02**		89.54	
9.	विनिमय दर घटने-बढ़ने पर हानि/(लाभ)	**558.51**		(53.61)	
10.	लाभांश आय	**(113.61)**		(65.68)	
11.	निवेश पर ब्याज आय	**(193.31)**		(214.64)	
12.	अग्रिम आय कर पर ब्याज के लिए किया गया प्रावधान	**3.46**		5.53	
	प्रचालनात्मक परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ	**8,668.34**		**8,717.44**	
	निम्नलिखित के कारण अंतर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह) :				
1.	ऋण परिसंपत्तियां	**(41,760.36)**		(37,474.64)	
2.	व्युत्पन्न	**(1,622.07)**		(685.78)	
3.	अन्य प्रचालनात्मक परिसंपत्तियां	**(13,895.21)**		(5,437.99)	
4.	प्रचालनात्मक देयताएं	**14,639.43**		4,269.13	
	प्रचालनों से नकदी प्रवाह	**(33,969.87)**		**(30,611.84)**	
1.	भुगतान किया गया आयकर (टीडीएस सहित)	**(2,043.14)**		(2,168.60)	
2.	आयकर वापसी	**-**		2.57	
	प्रचालनात्मक गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**(36,013.01)**		**(32,777.87)**
ख.	**निवेशात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री	**0.10**		0.14	
2.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में निवेश (सीडब्ल्यूआईपी और पूंजीगत अग्रिम राशि सहित)	**(85.51)**		(73.31)	
3.	अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश (विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	**(5.00)**		(5.35)	
4.	पूंजीकृत वित्त लागतें	**(11.37)**		(6.32)	
5.	इक्विटी शेयरों /उद्यम पूंजी निधियों का बिक्री (निवेशों का निवल)	**24.39**		(2.08)	
6.	ऋण प्रतिभूतियों का विमोचन (निवेशों का निवल)	**398.17**		94.32	
7.	दीर्घावधिक निवेश से ब्याज आय	**150.68**		214.64	
8.	लाभांश आय	**113.61**		65.68	
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**585.07**		**287.72**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 को समाप्त वर्ष		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	
ग.	**वित्त संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
1.	रुपे ऋण प्रतिभूति का निर्गम (विमोचनों का निवल)	**4,220.72**		19,558.55	
2.	वाणिज्यिक दस्तावेज का निर्गम (चुकौतियों का निवल)	**4,143.04**		3,014.84	
3.	सरकार/बैंकों/वित्तीय संस्थानों से रुपे अवधि ऋण/डब्ल्यूसीडीएल जुटाना (चुकौतियों का निवल)	**24,350.00**		(350.00)	
4.	विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूति जुटाना (विमोचनों का निवल)	**3,718.78**		8,395.48	
5.	अधीनस्थ देयताओं को जुटाना (विमोचनों का निवल)	**2,151.20**		-	
6.	इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	**(2,518.02)**		(1,984.79)	
7.	कारपोरेट लाभांश कर का भुगतान	**(506.84)**		(397.88)	
	वित्त संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**35,558.88**		**28,236.20**
	नकदी एवं नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि/कमी		**130.94**		**(4,253.95)**
	इस अवधि के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्यता		**212.00**		**4,465.95**
	इस अवधि के अंत में नकदी एवं नकद समतुल्य		**342.94**		**212.00**

वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्यता के घटक निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार	
- हस्तगत रोकड़ (डाक एवं अग्रदाय सहित)		**0.01**		0.01
- बैंको में शेष		**339.97**		157.45
-अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा		**2.96**		54.54
कुल नकदी और नकदी समतुल्यता		**342.94**		**212.00**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

वित्त संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान नकदी प्रावाह (निवल)	उपचित ब्याज में संचलन*	गैर- नकदी परिवर्तन		इति शेष
				विनिमय अंतर	ईआईआर समायोजन	
वित्त वर्ष 2018-19						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	**168,517.14**	**4,220.72**	**124.83**	**-**	**108.71**	**172,971.40**
वाणिज्यिक दस्तावेज	**3,150.44**	**4,143.04**	**-**	**-**	**402.84**	**7,696.32**
रुपे आवधिक ऋण/ डब्ल्यूसीडीएल	**414.82**	**24,350.00**	**119.43**	**-**	**-**	**24,884.25**
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	**29,689.04**	**3,718.78**	**104.02**	**1,220.89**	**(782.48)**	**33,950.25**
अधीनस्थ देयताएं	**2,667.36**	**2,151.20**	**1.58**	**-**	**(1.38)**	**4,818.76**
कुल	**204,438.80**	**38,583.74**	**349.86**	**1,220.89**	**(272.31)**	**244,320.98**
वित्त वर्ष 2017-18						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	**148,723.25**	19,558.55	148.57	-	86.77	**168,517.14**
वाणिज्यिक दस्तावेज	**-**	3,014.84	-	-	135.60	**3,150.44**
रुपे दीर्घावधिक ऋण/ डब्ल्यूसीडीएल	**776.66**	(350.00)	(11.84)	-	-	**414.82**
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	**20,923.38**	8,395.48	46.98	235.32	87.88	**29,689.04**
अधीनस्थ देयताएं	**2,667.21**	-	-	-	0.15	**2,667.36**
कुल	**173,090.50**	**30,618.87**	**183.71**	**235.32**	**310.40**	**204,438.80**

* उपचित ब्याज में संचलन को प्रचालन संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह के रुप में / 'प्रचालन संबंधी देयताओं' में विचारा गया है।

टिप्पणी: जहां आवश्यक है, पिछली अवधि के आंकड़ों को फिर से व्यवस्थित किया गया है और उसे फिर से समूह में रखा गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन-03464342

अजीत कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)
डीआईएन-02231613

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी. एस. माथुर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 008744एन

कृते ए. आर. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 002744सी

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. : 082023

अनिल गौर
भागीदार
सदस्यता सं. : 017546

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई, 2019

लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. कंपनी सिंहावलोकन

आरईसी लिमिटेड (''आरईसी'' या ''कंपनी'') की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। कंपनी भारत में अधिवासित है एवं शेयरों द्वारा सीमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय एवं कारोबार का मुख्य स्थान कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत में स्थित है। कंपनी के देश भर में फैले 23 राज्य कार्यालय, मुख्यतः राज्यों की राजधानी में, हैं तथा इसका हैदराबाद में एक प्रशिक्षण केंद्र है।

यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है, जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है तथा यह भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत व्यवस्थित ढंग में एक महत्वपूर्ण (नॉन-डिपोजिट एक्सेप्टिंग या होल्डिंग) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है।

आरईसी, भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी है और आरईसी के प्रमुख उत्पादों में राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत विभागों एवं निजी क्षेत्र को विद्युत अवसंरचना के सभी अंगभूतों के लिए ब्याज-युक्त ऋण प्रदान करना शामिल है।

कंपनी का नाम रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेडट से आरईसी लिमिटेडट के रूप में परिवर्तित होने के फलस्वरूप, कंपनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा ने दिनांक 13 अक्टूबर, 2018 को नया निगमन प्रमाणपत्र जारी कर दिया है। इसके अलावा, उपरोक्त नाम में परिवर्तन होने के संबंध में कंपनी को विद्युत मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और स्टॉक एक्सचेंजों से अपेक्षित अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो गये हैं।

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) ने भारत के राष्ट्रपति के जरिए कंपनी के 103,93,99,343 इक्विटी शेयरों, जो शेयर पूंजी के 52.63% का प्रतिनिधित्व करता है, को अधिग्रहित कर लिया है। परिणामस्वरूप, पीएफसी आरईसी की होल्डिंग कंपनी बन गयी है।

कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।

2. अनुपालन का विवरण और तैयारी का आधार

कंपनी ने 01.04.2018 से कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (''इंड एएस'' के रुप में संदर्भित) को अंगीकृत कर लिया है। ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं। ये कंपनी के पहले भारतीय लेखाकरण मानक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण हैं और संक्रमण की तिथि 01.04.2017 है।

कंपनी ने 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को, पूर्व में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांत (पूर्व में जीएएपी), जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनाये गये नियमों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक (एएस) शामिल हैं, की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया है। कंपनी ने संक्रमणकाल की अद्यतन तिथि के अनुसार अपने प्रारंभिक भारतीय लेखाकरण मानक समेकित तुलन-पत्र को तैयार करने में 'भारतीय लेखाकरण मानक 101 - भारतीय लेखाकरण मानक का प्रथम बार अंगीकरण' के उपबंधों का पालन किया है तथा भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार प्रारंभिक शेष को पुनःप्रस्तुत करने के लिए समायोजन किए। संक्रमणकाल के प्रभाव को 01.04.2017 को प्रारंभिक आरक्षित में लेखाबद्ध किया गया है। तुलनात्मक आंकड़ों को उन्हीं लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है, जिनका उपयोग कंपनी के पहले भारतीय लेखाकरण मानक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में किया गया है।

प्रथम बार अंगीकरण पर कंपनी द्वारा उपयोग किए गए अनिवार्य अपवादों एवं वैकल्पिक अपवादों का ब्यारो नोट 54 में दिया गया है। इसके साथ, पिछले जीएएपी के तहत और 01 अप्रैल, 2017 एवं 31 मार्च, 2018 के अनुसार इंड-एएस के अंतर्गत कुल इक्विटी के मिलान तथा पिछले जीएएपी के अनुसार कर उपरांत लाभ और 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखाकरण मानक के तहत कुल विस्तृत आय को भी उक्त नोट में प्रस्तुत किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को जारी करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा 24 मई, 2019 को अधिकृत एवं अनुमोदित किया गया।

इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को लेखाकरण की निम्नलिखित उपचित प्रणाली के जारी सरोकार के आधार पर तैयार किया गया है तथा ये कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (''इंडएएस'' के रुप में संदर्भित), कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और अन्य लागू नियामक मानदंडों / दिशानिर्देशों के अनुरुप हैं।

2.1 मानक जारी किंतु अभी प्रभावी नहीं

भारतीय लेखाकरण मानक 116 - पट्टे:

30.03.2019 को, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने भारतीय लेखाकरण मानक 116, पट्टे अधिसूचित किए। भारतीय लेखाकरण मानक 116, भारतीय लेखाकरण मानक 17 और संबंधित व्याख्याओं को प्रतिस्थापित करेगा। मानकों ने पट्टों की मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांत निर्धारित किए हैं। भारतीय लेखाकरण मानक 116 ने एक एकल पट्टेदार लेखाकरण मॉडल को शुरू किया और इसमें 12 महीनों से अधिक अवधि के साथ सभी पट्टों के लिए परिसंपत्तियों एवं देयताओं की मान्यता हेतु एक पट्टेदार की आवश्यकता होती है, बशर्ते कि रेखांकित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो। मानक में पट्टेदारों के लिए संवर्धित प्रकटीकरण की आवश्यकताएं भी अंतर्निहित हैं।

भारतीय लेखाकरण मानक 12 - परिशिष्ट ग, आयकर व्यवहार पर अनिश्चितता:

30.03.2019 को, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने भारतीय लेखाकरण मानक 12, परिशिष्ट-ग, आयकर व्यवहार पर अनिश्चितता को अधिसूचित किया, जो कर योग्य लाभ (या हानि), कर आधारों, अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों और कर दरों का निर्धारण करने के दौरान तब लागू किया जाना है, जब भारतीय लेखाकरण मानक 12 के तहत आयकर व्यवहारों पर अनिश्चितता बनी हुई है। परिशिष्ट के अनुसार, कंपनियों को ऐसे प्रति कर व्यवहार, या कर व्यवहारों के समूह को स्वीकार करने वाले संबंधित कर प्राधिकरण की संभाव्यता को निर्धारित करने की आवश्यकता है, जिनका उपयोग कंपनियां अपने ऐसे आयकर को भरने में करती हैं या उनके उपयोग की योजना बनाती हैं, जिसे अत्यधिक संभावित राशि अथवा कर-योग्य लाभ (कर हानि), कर आधारों, अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों एवं कर दरों के निर्धारण के समय कर व्यवहार के प्रत्याशित मूल्य की गणना के लिए विचारा जाएगा।

भारतीय लेखाकरण मानक 12 - आयकर में संशोधन

30.03.2019 को, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने लाभांश वितरण करों की गणना के संबंध में भारतीय लेखाकरण मानक 12, 'आयकर' में मार्गदर्शन के लिए संशोधन जारी किए हैं। संशोधन स्पष्ट करता है कि कोई एंटिटी लाभ या हानि, अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में लाभांश के आयकर परिणामों को पहचानती है जहां इकाई मूल रुप से उन पिछले लेनदेन या घटनाओं को मान्यता देती है। संशोधन स्पष्ट करता है कि एक एंटिटी, जहां एंटिटी मूल रुप से उन पिछले लेनदेन या घटनाओं को मान्यकृत करने के अनुसार लाभ या हानि, अन्य व्यापक आय या इक्विटी में लाभांश के आयकर परिणामों की पहचान करेगी।

भारतीय लेखाकरण मानक 19 - योजना संशोधन, कटौती या समाधान के संबंध में संशोधन

30.03.2019 को, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने चालू सेवा लागत एवं किसी योजना संशोधन, कटौती या समाधान के उपरांत शेष अवधि हेतु निवल ब्याज को निर्धारित करने के लिए अद्यतित धारणाओं के उपयोग हेतु एक एंटिटी के लिए जरुरी योजना संशोधनों, कटौतियों और समाधानों के लेखांकन; और पिछली सेवा लागत के अंश के रुप में लाभ या हानि, या निपटान पर लाभ या हानि के रुप में पहचान करने, अधिशेष में कोई कमी, भले ही उस अधिशेष को परिसंपत्ति सीमा के प्रभाव के कारण पहले से मान्यता नहीं मिली हो, के संबंध में भारतीय लेखाकरण मानक 19, 'कर्मचारी हितलाभ' के लिए संशोधन जारी किए हैं।

इन संशोधनों के अनुप्रयोग हेतु प्रभावी तिथि 01.04.2019 को या उसके उपरांत प्रारम्भिक वार्षिक अवधि है। समूह वर्तमान में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर इन संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन कर रहा है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के तैयारी में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को नीचे दिया गया है:

3.1 तैयारी और मापन का आधार

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देनदारियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें संबंधित लेखाकरण नीतियों में यथा स्पष्टीकृत उचित मूल्यों पर मापा जाता है। इन नीतियों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए सतत् रुप से लागू किया गया है।

कार्यात्मक एवं प्रस्तुत मुद्रा

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों ('आईएनआर'), जोकि समूह की कार्यात्मक मुद्रा भी है, में प्रस्तुत किया जाता है।

3.2 आय मान्यता

ब्याज आय

ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर की गई है।

परिशोधन लागत पर मापी गई सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है, अर्थात वह दर जो वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल वहन राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति की प्रत्याशित अवधि के माध्यम से भविष्य की नकद प्राप्तियों का अनुमान लगाती है।

लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापी गई उत्तरवर्ती वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज को मान्यता संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपचित आधार पर दी जाती है।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज के सामयिक भुगतान के कारण छूट को मान्यता, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, संपूर्ण ब्याज राशि का समय पर प्राप्त होने पर दी जाती है और यह तदनुरुपी ब्याज आय के समक्ष शुद्ध आय है।

सरकारी योजनाओं से आय

सरकारी योजनाओं पर एजेंसी शुल्क की आय को मान्यता प्रस्तुत सेवाओं पर आधारित उपचित आधार पर दी जाती है।

लाभांश आय

कारपोरेट निकायों के शेयरों पर लाभांश और म्युच्युअल फंड की यूनिटों से आय को, आरईसी को भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर, उपचित आधार पर खाते में लिया जाता है।

बशर्ते कि अंतिम लाभांश के मामले में, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को, केवल वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश की मंजूरी प्रदान करने पर विचारा जाएगा।

अन्य सेवाएं

ऋण परिसंपत्तियों पर शुल्क/प्रभारों को, ईआईआर के लिए विचारित किसी समायोजन को छोड़कर, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पूर्व-भुगतान प्रीमियम का हिसाब प्राप्ति वर्ष में कंपनी द्वारा किया जाता है।

3.3 उधार लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और ऐसी अन्य लागतें शामिल होती हैं, जिन्हें समूह निधियों की उधारी के संबंध में खर्च करता है। उधार लेने की लागतें, जो एक अर्हकारी परिसंपत्ति के अधिग्रहण और/या निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रुप से तब तक जिम्मेदार हैं जब तक कि ऐसी अर्हकारी परिसंपत्ति अपने अभीष्ट उपयोग बिक्री के लिए तैयार नहीं हो जाती, पूंजीकृत होती हैं। एक अर्हकारी परिसंपत्ति वह है जो आवश्यक रुप से अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयारी के संबंध में पर्याप्त समय लेती है।

अन्य सभी उधार लागतें, प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार उपचित आधार पर लाभ और हानि के विवरण हेतु प्रभारित हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.4 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूलभूत आय की गणना, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों (आरोप्य करों की कटौती के उपरांत) के लिए देय अवधि के संबंध में निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर तनूकृत आय की गणना करने के लिए, अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी हेतु देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को सभी घटाने योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3.5 विदेशी मुद्रा रुपांतरण

विदेशी मुद्रा लेनदेन और संतुलन

विदेशी मुद्रा लेनदेन को, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करके समूह की कार्यात्मक मुद्रा में रुपांतरित किया जाता है।

इस तरह के लेन-देन के निपटान के फलस्वरुप विदेशी मुद्रा लाभ और हानियों और अवधि-अंत विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में विभाजित मौद्रिक वस्तुओं के पुनः माप को मान्यता लाभ या हानि विवरण में दी जाती है। हालांकि, 1 अप्रैल 2018 से पूर्व स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मान्यतकृत दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के लिए, इस तरह के लाभ और हानि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खातेड में संचित किया जाता है और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रुप में पहचान करने के द्वारा, इस प्रकार की दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

गैर-मौद्रिक वस्तुओं को अवधि के अंत में पुनःअंतरित नहीं किया जाता है और उनको ऐतिहासिक लागत (लेनदेन की तिथि को विनिमय दरों के उपयोग द्वारा रुपांतरित) पर मापा जाता है।

3.6 अमूर्त परिसंपत्तियां

मान्यता और प्रारंभिक मापन

अमूर्त संपत्ति में मुख्य रुप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल होता है, जिसे शुरू में लागत पर मापा जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है, जिनमें यह संभावना है कि परिसंपत्ति के कारण भावी आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे।

उत्तरवर्ती माप प्रक्रिया (परिशोधन विधि, उपयोगिता अवधि और शेष मूल्य)

परिमित उपयोगिता अवधि के साथ सभी अमूर्त परिसंपत्तियों को अनुमानित उपयोगिता अवधि से परे एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है, और यदि अमूर्त परिसंपत्ति को क्षति होने का संकेत होता है तो संभावित हानि का आकलन किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए शेष मूल्य और उपयोगिता अवधि की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो तो, का लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन के रुप में हिसाब लगाया जाता है। प्रबंधन का अनुमान है कि अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि पांच वर्ष होगी।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

ऐसे व्यय, जो अमूर्त परिसंपत्ति के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके अभीष्ट उपयोग हेतु तैयार होने तक 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति' के रुप में, रखा जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान के समय, या उसके उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ न होने की प्रत्याशा पर अमान्यकृत कर दिया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति के अमान्यकरण से व्युत्पन्न लाभ या हानि, निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रुप में मापित, को परिसंपत्ति को अमान्यकृत किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण को मान्यता दी जाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

मान्यता और प्रारंभिक मापन

भूमि

उपयोग के लिए रखी गई भूमि को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। भूमि के लिए, जैसा कि कोई परिमित उपयोगिता अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है, संबंधित वहन राशि का मूल्यह्रास नहीं होता है। भूमि में वित्तीय पट्टे के तहत रखी गई भूमि भी शामिल है, जिसका पट्टे की अवधि में मूल्यह्रास होता है।

अन्य मूर्त परिसंपत्ति

भूमि के अन्यत्र पीपीई को प्रारंभ में अधिग्रहण लागत या निर्माण लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें ऐसी लागतें जो परिसंपत्तियों को स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रुप से आरोप्य हैं और ऐसी शर्तें जो इसे कंपनी के प्रबंधन द्वारा अभीष्ट ढंग में प्रचालन करने में सक्षम हेतु अनिवार्य बनाती हैं, शामिल हैं।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्ति के रुप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। पीपीई के अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप (मूल्यह्रास पद्धति, उपयोगिता अवधि, शेष मूल्य और क्षति)

पीपीई को बाद में कम संचित मूल्यह्रास लागत और क्षतिपूर्ण हानियों पर मापा जाता है। पीपीई पर मूल्यह्रास को, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' के तहत निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी अवधि पर सीधी-रेखा पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को, उक्त के खरीद/बिक्री की तारीख से यथानुपात आधार पर प्रभारित करने के बजाय, परिसंपत्ति के 15 दिन से अधिक उपयोग होने पर पूरे महीने के लिए प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास ₹ 5,000 / - तक 100% की दर से प्रदान किया जाता है।

पट्टाकृत भूमि को पट्टा अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

शेष मूल्यों, उपयोगी अवधि और मूल्यह्रास की पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में की जाती है। भूमि के अन्यत्र पीपीई का क्षति के लिए परीक्षण तब किया जाता है, जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह इंगित होता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

अमान्यकरण

पीपीई की एक मद तथा प्रारंभ में मान्यता प्राप्त किसी महत्वपूर्ण अंश को, निपटान पर या भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। पीपीई की किसी मद के अमान्यकरण पर उत्पन्न किसी लाभ या हानि का निर्धारण, निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रुप में किया जाता है तथा उसे लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजीगत कार्य में प्रगति

रिपोर्टिंग तिथि को निर्माणाधीन पीपीई की लागत को 'पूंजीगत कार्य में प्रगति' के रुप में प्रकट किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, पूंजीकरण मानदंड पूर्ण होने पर उधार लागत और परिसंपत्ति को अभीष्ट उपयोग हेतु इसके कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रुप से आरोप्य लागत शामिल होती है। व्यापार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए प्रदत्त अग्रिम, जो तुलन-पत्र की तारीख को बकाया हैं, को "अग्रिम पूंजी" के तहत वर्गीकृत किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.8 पट्टे

एक पट्टेदार के रुप में कंपनी

प्रत्येक पट्टे की प्रारंभ में, पट्टा व्यवस्था को एक वित्तीय पट्टे या प्रचालन पट्टे के रुप में, पट्टा व्यवस्था के सार के आधार पर, वर्गीकृत किया जाता है।

वित्तीय पट्टे

पट्टेदार के रुप में कंपनी द्वारा अपनी क्षमता में की पट्टाकृत परिसंपत्तियों, जिसमें सभी जोखिम और पुरस्कार का स्वामित्व कंपनी में निहित होता है, को वित्तीय पट्टों के रुप में वर्गीकृत किया जाता है। एक वित्तीय पट्टे को, संपत्ति के उचित मूल्य और न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य के निचले स्तर पर, परिसंपत्ति और पट्टे के प्रारंभ में देयता के रुप में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय पट्टों के तहत किए गए न्यूनतम पट्टा भुगतानों को वित्तीय प्रभारों और पट्टा दायित्व की कटौती के बीच बांटा जाता है। वित्तीय व्यय को, देनदारी की शेष राशि पर ब्याज की सतत् आवधिक दर का उत्पादन करने के लिए पट्टा अवधि के दौरान प्रत्येक अवधि के लिए आवंटित किया जाता है।

एक पट्टाकृत परिसंपत्ति का मूल्यह्रास उस परिसंपत्ति की उपयोगिता अवधि से अधिक पर किया जाता है। हालांकि, पट्टा अवधि की समाप्ति पर समूह द्वारा स्वामित्व प्राप्त किए जाने की उपयुक्त सुनिश्चितता नहीं होने पर, परिसंपत्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति की अनुमानित उपयोगिता अवधि और पट्टा अवधि के अल्पतम पर किया जाता है।

प्रचालन पट्टे

ऐसे पट्टे जिनमें पट्टेदाता पर्याप्त रुप से सभी जोखिमों को हस्तांतरित नहीं करता है और पट्टेदार को परिसंपत्ति के स्वामित्व के पुरस्कारों को प्रचालन पट्टों के रुप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टा किराये को सीधी-पंक्ति के आधार पर लाभ एवं हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है, सिवाय इसके कि जहां किराए में एक अनुसूचित वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति लागतों के लिए पट्टादाता की भरपाई करती है।

3.9 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं जिनका भावी उपयोग अनपेक्षित होता है। लेन-देन की लागत सहित, निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास पर वर्णित किया जाता है। लागत में खरीद मूल्य, पूंजीकरण मानदंड की पूर्ति पर उधार लागत और अभीष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्ति को इसकी कार्यशील स्थिति में प्रत्यक्ष रुप से लाने के लिए आरोप्य लागत शामिल हैं। व्यापार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्ति के रुप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। अन्य सभी मरम्मत एवं अनुरक्षण लागतों को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती मापन (मूल्यह्रास और उपयोगिता अवधि)

निवेश संपत्ति के रुप में कंपनी के पास केवल भूमि है, जो कि मूल्यह्रास नहीं है।

अमान्यकरण

किसी निवेश संपत्ति को उसके निपटान पर या निवेश संपत्ति को उपयोग से स्थायी रुप से हटाने पर भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। संपत्ति के अमान्यकरण से व्युत्पन्न किसी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रुप में परिचालित) में उस अवधि का लाभ या हानि शामिल हैं, जिसमें संपत्ति को अमान्यकृत किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.10 वित्तीय लिखतें (इंस्ट्रूमेंट)

वित्तीय लिखतें (इंस्ट्रूमेंट) एक ऐसा अनुबंध है जो एक एंटिटी की वित्तीय परिसंपत्ति और अन्य एंटिटी की वित्तीय देयता या इक्विटी लिखतें (इंस्ट्रूमेंट) को जन्म देता है।

प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को मान्यता तब दी जाती है जब समूह, वित्तीय लिखतें (इंस्ट्रूमेंट) के संविदात्मक उपबंधों के लिए एक पार्टी बन जाता है और इसे प्रारंभ में लेन-देन की लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, इसमें वे शामिल नहीं है जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर शुरू में मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उत्तरवर्ती माप को नीचे वर्णित किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के प्रयोजनार्थ, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीओसीआई)
- अनुषंगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयर मे निवेश (भारतीय लेखाकरण मानक 27 के अनुरुप लागत पर किया गया)

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, एफवीटीपीएल पर या एफवीओसीआई में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़कर, पहचान के लिए न्यूनतम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में क्षति हेतु समीक्षा के अधीन हैं चाहे इसमें कोई वित्तीय साक्ष्य, जो किसी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह की क्षति हो। क्षति का निर्धारण करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक क्षेणी हेतु विभिन्न मानदंड लागू किए गए हैं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है।

परिशोधित लागत

एक वित्तीय परिसंपत्ति को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) के उपयोग द्वारा ऋण-परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों निम्न शर्तें पूर्ण होती हैं:

क) वित्तीय परिसंपत्ति को एक ऐसे बिजनेस मॉडल में रखा जाता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने हेतु संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना है; तथा

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाहों, जो बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान करते हैं, के लिए निर्दिष्ट तिथियों को प्रत्यक्ष करती हैं।

अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए क्षति भत्ते को मान्यता परिशोधित लागत पर ली गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर दी गई है।

नकदी प्रवाहों का संशोधन

जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक नकदी प्रवाह परिवर्तित या अन्यथा संशोधित किए जाते हैं, और परिवर्तन या संशोधन से उक्त वित्तीय परिसंपत्ति के अमान्यकरण में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की पुनःगणना करता है और लाभ या हानि में संशोधित लाभ या हानि की पहचान करता है। वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की, पुनर्निधारित या संशोधित संविदात्मक नकदी प्रवाहों की वर्तमान मूल्य के रुप में पुनःगणना की जाएगी, जो वित्तीय परिसंपत्ति के मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट प्रदान करती है। खर्च हुई लागतें या शुल्क संशोधित वित्तीय परिसंपत्ति की वहन राशि को समायोजित करते हैं और उनको संशोधित वित्तीय परिसंपत्ति की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों में, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो या तो परिशोधित लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या वे ट्रेडिंग हेतु रखे गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हैं अथवा जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और उन्हें प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट किया गया है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रूमेंट भी इस श्रेणी में आते हैं, नामोद्दिष्ट एवं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रुप में प्रभावी को छोड़कर, जिनके लिए हेज लेखांकन अपेक्षाएं लागू हो सकती हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को, लाभ या हानि में मान्यताकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को, सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या कोई सक्रिय बाजार न होने की स्थिति में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों में उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। एफवीओसीआई के रुप में वर्गीकृत एक इक्विटी निवेश को प्रारंभ में उचित मूल्य एवं लेनदेन लागतों पर मापा जाता है। लाभ एवं हानियों को, अन्य व्यापक आय और इक्विटी के तहत एफवीओसीआई आरक्षित के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि में मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें लाभांश आय, जिसकी पहचान लाभ या हानि में की गई है, शामिल नहीं है। ओसीआई से लाभ एवं हानि के विवरण, यहां तक कि निवेश के अमान्यकरण से भी ऐसे लाभों और हानियों का कोई पुनर्चक्रण नहीं है। हालांकि, समूह इक्विटी के अंतर्गत उक्त का हस्तांतरण कर सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

नियम एवं शर्तों के पर्याप्त संशोधन के कारण वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य करता है, जैसे कि ग्राहक को ऋण देना, जब नियम एवं शर्तों को इस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया जाता है कि, काफी हद तक, यह एक नया ऋण बन जाता है, और अंतर की एक अमान्यकरण लाभ या हानि के रुप में पहचान करना, जिसमें एक सीमा तक कि किसी क्षतिपूर्ण हानि को पूर्व में दर्ज नहीं किया गया है।

पर्याप्त संशोधन के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक अंश या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का अंश) को, वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह की प्राप्ति का संविदात्मक अधिकार समाप्त होने पर, या वित्तीय परिसंपत्ति एवं पर्याप्त रुप से सभी जोखिम और पुरस्कार अंतरित किए जाने पर, अमान्यकृत किया जाता है (अर्थात् समूह के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है)। समूह वित्तीय परिसंपत्ति को भी अमान्यकृत कर देता है, यदि उसने दोनों वित्तीय परिसंपत्ति को हस्तांतरित और अमान्यकरण के लिए अंतरण अर्हता प्राप्त कर ली हो।

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति के उपयोग द्वारा ऋण-परिशोधन लागत पर मापा जाता है, इसमें ट्रेडिंग या एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल नहीं हैं, जिन्हें लाभ या हानि में मान्यकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर बाद में ले जाया जाता है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यकरण

एक वित्तीय देयता को तब अमान्यकृत कर दिया जाता है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से मूलतः भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता के अमान्यकरण और नई देयता की मान्यता के रुप में विचारा जाता है। संबंधित वहन राशि में हुए अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रूमेंट और हेज लेखाकरण

व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का हिसाब एफवीटीपीएल में किया जाता है। समूह हेज लेखाकरण लागू नहीं करता है।

3.11 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

ऋण परिसंपत्तियां

कंपनी निम्न प्रकार से प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर क्षति के लिए "त्रि-स्तरीय" मॉडल का अनुसरण करता है:

- स्तर-1 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनकी रिपोर्टिंग तिथि में कम क्रेडिट जोखिम है।
- स्तर-2 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।
- स्तर-3 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें रिपोर्टिंग तिथि में क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को चरण-1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12-माह ईसीएल और चरण-2 के लिए लाईफटाइम ईसीएल और चरण-3 ऋण परिसंपत्तियों में मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और डिफॉल्ट के कारण हानि (लॉस गिवन डिफॉल्ट) का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

डिफॉल्ट की संभावना (पीडी) - डिफॉल्ट की संभावना एक उधारकर्ता के अपने वित्तीय दायित्व, चाहे अगले 12 महीनों (12 महीने पीडी) से अधिक हो, या दायित्व के शेष उपयोग-काल (लाईफटाइम पीडी), पर डिफ़ॉल्ट होने की संभावना को निरूपित करती है।

लॉस गिवन डिफाल्ट(एलजीडी) - एलजीडी एक डिफॉल्टेड एक्सपोज़र पर हानि की सीमा के संबंध में कंपनी की प्रत्याशा को निरूपित करता है। एलजीडी प्रतिपक्ष के प्रकार, और दावे की प्राथमिकता एवं संपार्श्विक या अन्य क्रेडिट सपोर्ट की उपलब्धता से भिन्न होता है।

एक्सपोज़र ऐट डिफॉल्ट (ईएडी) - ईएडी मूल्यांकन की तिथि, जिस पर लेटर्स ऑफ कंफर्ट के संबंध में असंवितरित राशि सहित ईसीएल की गणना की जाती है, पर बकाया एक्सपोज़र की राशि पर आधारित है।

दूरंदेशी (फारवर्ड लुकिंग) आर्थिक जानकारी को 12 महीने एवं लाईफटाइम पीडी, और एलजीडी के निर्धारण में शामिल किया जाता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि के मुख्य पूर्वानुमानों की निगरानी और समीक्षा सतत् आधार पर की जाती है।

ऋण के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियां

अपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, समूह यह आकलन करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से उन वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऋण जोखिम पर्याप्त रुप से बढ़ गया है। यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, तो समूह 12-महीने की प्रत्याशित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर, अथवा लाईफटाइम क्रेडिट हानियों के समतुल्य राशि पर नुकसान भत्ते को मापता है।

उक्त मूल्यांकन करने के लिए, समूह वित्तीय परिसंपत्ति पर होने वाले डिफ़ॉल्ट के जोखिम की तुलना, प्रारंभिक मान्यता की तारीख को वित्तीय परिसंपत्ति पर डिफ़ॉल्ट रुप से घटित होने वाले जोखिम के साथ तुलन-पत्र की तिथि से करता है। समूह उचित और सहायक जानकारी पर भी विचार करता है, जो अदेय लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध है, और जो प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचक है। समूह मानता है कि वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के उपरांत पर्याप्त रुप से बढ़ा नहीं है यदि वित्तीय परिसंपत्ति तुलन-पत्र की तारीख को निम्न क्रेडिट जोखिम का निर्धारण करती है।

बट्टे खाते डालना

वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक रुप से या संपूर्ण रुप से बट्टे खाते में तब डाला जाता है जब समूह ने वसूली करना बंद कर दिया हो।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.12 नकद और नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में नकद रुपया एवं मांग जमा, अन्य अल्पावधि सहित, अत्यधिक लिक्विड निवेश (तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता), जो नकदी की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के निरर्थक जोखिम के अधीन हैं, शामिल हैं।

3.13 लाभांश

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांशों और अंतरिम लाभांशों को उस अवधि, जिसमें उन्हें क्रमश: शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, के दौरान इक्विटी में हुए परिवर्तनों के रुप में मान्यता दी जाती है।

3.14 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियां

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत पूर्व अवधियों, जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों को पुन:प्रस्तुत करने के द्वारा पूर्वव्यापी ढंग में सही किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व की अवधि से पहले हुई है तो, पूर्व अवधि के लिए प्रस्तुत परिसंपत्तियों के प्रारंभिक शेष, देनदारियों और इक्विटी को पुन:प्रस्तुत किया जाता है।

3.15 पूर्वदत्त व्यय

₹ 1,00,000/- तक के पूर्वदत्त व्यय को प्रारंभिक मान्यता पर व्यय के रुप में मान्यता दी गई है।

3.16 कराधान

लाभ या हानि में मान्यककृत कर व्यय में आस्थगित कर और चालू कर का योग शामिल है। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है, सिवाय इसके कि जब यह एक ऐसी मद से संबंधित हो, जिसे ओसीआई में या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे मामले में, कर को ओसीआई में या इक्विटी में सीधे भी मान्यता प्रदान की जाती है।

चालू कर को, अधिनियमित या निश्चित रुप से अधिनियमित और रिपोर्टिंग तिथि को यथा लागू कर की दरों का उपयोग करते हुए, तथा पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के समायोजनों को देखते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय के संबंध में देय कर के रुप में निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर को, वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त तदनुरुपी कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर देयता को वहन राशि और अनुषंगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेशों के कर आधार के बीच अस्थायी अंतर पर सृजित किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की गणना, छूट के बिना, उन कर दरों पर की जाती है, जिनके संबंधित अवधि की प्राप्ति के लिए लागू होने की प्रत्याशा होती है, बशर्ते कि उन दरों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या निश्चित रुप से अधिनियमित किया जाए। आस्थगित कर परिसंपत्ति और देनदारियों ऑफसेट होती है यदि चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रुप से प्रवर्तनीय अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर देयता, सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यकृत है। एक आस्थगित कर परिसंपत्ति को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यकृत किया जाता है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उनको इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तनों को मान्यता लाभ या हानि में कर आय या व्यय के एक घटक के रुप में दी जाती है, सिवाय इसके कि वे उन मदों से संबंधित हैं जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में ऐसे मामले में मान्यता दी जाती है, जिनमें संबंधित आस्थगित कर को भी मान्यता क्रमश: अन्य व्यापक आय या इक्विटी में दी जाती है।

लाभांश वितरण कर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब लाभांश के भुगतान की देयता को मान्यता दी जाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.17 कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभों में, वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्थात् प्रदत्त वार्षिक अवकाश) जहां ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के अंतर्गत अनुपस्थितियों का घटित होना प्रत्याशित है, और ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के तहत देय लाभ सहभागिता एवं बोनस तथा वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर-वित्तीय लाभ प्रत्याशित हैं और उन्हें बिना छूट देने के आधार पर मापा जाता है, शामिल हैं।

रोजगार पर्यन्त हितलाभ योजनाओं को निम्नानुसार परिभाषित हितलाभ योजनाओं और परिभाषित अंशदान योजनाओं में वर्गीकृत किया गया है:

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना वह योजना है जिसके तहत समूह एक अलग निधि में कर्मचारियों के संबंध में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। समूह पर ऐसी कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता नहीं है कि वह अपने निर्धारित अंशदान के भुगतान के उपरांत कोई और अंशदान का भुगतान करे। परिभाषित अंशदान योजनाओं के समक्ष समूह द्वारा किए गए अंशदान को उस अवधि के लाभ या हानि से प्रभारित किया जाता है, जिससे अंशदान संबंधित हैं।

परिभाषित हितलाभ योजना

समूह के पास उपदान, सेवानिवृत्ति पर्यन्त चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व हैं, जिन्हें पात्र कर्मचारियों को शामिल करने वाली परिभाषित हितलाभ योजना के रुप में विचारा जा रहा है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के तहत, एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि को, कर्मचारी के सेवाकाल, अंतिम वेतन और अन्य निश्चित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व समूह का ही रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना के वित्तपोषण के लिए योजना परिसंपत्तियों को अलग किया गया हों।

परिभाषित हितलाभ योजनाओं के प्रति समूह के दायित्व को परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यकृत दायित्व, रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित हितलाभ लाभ (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है, जो योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य का कम है। प्रबंधन स्वतंत्र बीमांककों की सहायता से प्रतिवर्ष डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्ति के पुनःमापन के फलस्वरुप बीमांकिक लाभ/हानियां अन्य व्यापक आय में शामिल हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ:

तुलन-पत्र की तारीख के उपरांत एक-वर्ष से अधिक समय के लिए प्राप्त किए जाने वाले देय या प्रत्याशित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों के संबंध में देयता का अनुमान परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

पिछले अनुभव और बीमांकक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानियों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिसमें ऐसे लाभों और हानियों को निर्धारित किया गया है।

कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण

रियायती दर पर कर्मचारियों को दिए गए ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और तत्पश्चात उसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के प्रारंभिक उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर को आस्थगित कर्मचारी लागत के रुप में मान्यता दी गई है, जिसे

लेखा संबंधी टिप्पणियां

ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि से परे सीधी-रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि में परिवर्तन के मामले में, परिवर्तन की तिथि को अपरिशोधित आस्थगित कर्मचारी की लागत को संभावित आधार पर ऋण की अद्यतन प्रत्याशित शेष अवधि से अधिक पर परिशोधित किया जाता है।

3.18 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, और आकस्मिक परिसंपत्तियां

समूह के पास किसी पिछले वृत्तांत के परिणामस्वरुप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है; यह संभव है कि समूह से आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और धनराशि का अनुमान विश्वसनीय तौर पर लगाया जा सकता है। बहिर्वाह का समय या राशि अभी भी अनिश्चित हो सकती है। वर्तमान दायित्व के साथ जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं सहित, रिपोर्टिंग तिथि को उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर, प्रावधानों को वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित अनुमानित खर्च पर मापा जाता है। प्रावधानों में उनके वर्तमान मूल्यों, जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

निम्न हेतु आकस्मिक देयता को अनावृत किया गया है:

- संभावित दायित्व जिनकी पुष्टि केवल भावी घटनाओं द्वारा की जाएगी, समूह के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं हैं या
- अतीत की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे मामलों में, जहां वर्तमान दायित्वों के परिणामस्वरुप आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह असंभव या दूरस्थ माना जाता है, वहां किसी दायित्व को मान्यकृत या प्रकट नहीं किया जाता है।

ऐसी किसी प्रतिपूर्ति को, जिसे दायित्व (जैसे कि बीमा से) से संबंधित तीसरे पक्ष से एकत्र करने के लिए समूह को लगभग निर्धारित किया जा सकता है, एक पृथक परिसंपत्ति के रुप में मान्यता दी गई है। हालांकि, यह परिसंपत्ति संबंधित प्रावधान की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आर्थिक हितलाभों के अंतर्वाह की संभावना पर, संबंधित परिसंपत्ति को प्रकट किया जाता है।

3.19 उचित मूल्य मापन

समूह वित्तीय लिखतें, अर्थात् प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में उचित मूल्य पर व्युत्पन्नों को मापता है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त की जाएगी या जिसका भुगतान मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को अंतरित करने के लिए किया जाएगा। उचित मूल्य मापन ऐसे पूर्वानुमान पर आधारित है जो परिसंपत्ति को बेचने या निम्न हेतु देयता को अंतरित करने के संबंध में लेनदेन में होता है:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में।

समूह द्वारा मुख्य या सबसे लाभप्रद बाजार में अभिगम्य होना चाहिए।

किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को उन पूर्वानुमानों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें बाजार भागीदार परिसंपत्ति या देयता, जिसमें जोखिम के बारे में धारणाएं शामिल होती हैं, का मूल्य निर्धारण करने के समय उपयोग करते हैं, और यह मानते हैं कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। गैर-वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य मापन में एक बाजार प्रतिभागी की परिसंपत्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि परिसंपत्ति को उसके उच्चतम और श्रेष्ठतम उपयोग में अथवा उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी, जो इस परिसंपत्ति का उपयोग इसके उच्चतम एवं श्रेष्ठ समय में करेगा, को बेचने के द्वारा आर्थिक लाभ सृजित किया जा सके।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

समूह ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, जिसमें प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुटों के उपयोग को अधिकतम और अप्रचलित इनपुटों के उपयोग को कम किया जाता है।

सभी परिसंपत्तियां और देयताएं जिनके लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया हैं, जो निम्न स्तरीय इनपुट पर आधारित हैं, और जो संपूर्ण रुप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैं:

- स्तर 1 - समरुपी परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीकें जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से विचार योग्य है
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, अविचारणीय है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में नियमित रुप से मान्यकृत परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, समूह यह निर्धारित करता है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनर्मूल्यांकन (न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर, जो संपूर्ण मूल्य के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा अनुक्रम में स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

4. लेखांकन नीतियों और अनिश्चितता के आकलन को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

समूह के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, आकलन करने और ऐसे पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्टकृत राशियों और संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से अलग हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयता की मान्यता - आस्थगित कर परिसंपत्ति को किस सीमा तक मान्यता दी जा सकती है, यह भावी कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके समक्ष आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा, समूह के प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित विपरीत करने में सक्षम नहीं है। इसलिए, समूह ने उक्त आरक्षित पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं की है।

परिसंपत्तियों की क्षति के लिए संकेतकों का मूल्यांकन - परिसंपत्तियों की क्षति के संकेतकों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन करने के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन करने की आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरुप परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि में गिरावट हो सकती है।

क्रेडिट प्रभावित ऋणों पर ब्याज आय की गैर-मान्यता - क्रेडिट-प्रभावित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को, विवेकपूर्ण विषय, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधानों के लंबित परिणाम के रुप में मान्यता नहीं दी जा रही है।

महत्वपूर्ण आकलन

मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य परिसंपत्ति की उपयोगिता अवधि - प्रबंधन परिसंपत्ति की प्रत्याशित उपयोगिता के आधार पर, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य परिसंपत्ति की उपयोगिता अवधि के संबंध में अपने आकलन की समीक्षा करता है। इन आकलनों में अनिश्चितता, तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को परिवर्तित कर सकती है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व (डीबीओ) - डीबीओ के संबंध में प्रबंधन का आकलन कई अंतर्निहित पूर्वानुमानों जैसे मुद्रास्फीति, मृत्यु दर, छूट की दर और भावी वेतन-वृद्धियों की प्रत्याशा पर आधारित है। इन पूर्वानुमानों में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक सुनिश्चित हितलाभ व्ययों को महत्वपूर्ण रुप से प्रभावित कर सकती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

उचित मूल्य मापन - वित्तीय इंस्ट्रूमेंटों के उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार की भाव-दरें उपलब्ध नहीं हैं) निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है। इसमें ऐसे विकासशील आकलन और पूर्वानुमान शामिल हैं, जो बाजार भागीदारों इंस्ट्रूमेंट की कीमत तय करने के अनुरुप होंगे। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का आकलन करने में, समूह बाजार-अवलोकनीय डेटा का उपयोग उसके उपलब्ध होने की सीमा तक करता है। बाजार-अवलोकनीय डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, उचित मूल्यांकन के लिए स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है।

आयकर - आयकरों के प्रावधान को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण आकलन शामिल हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि/वसूल की जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्ति का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता भी शामिल है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि (**'ईसीएल'**) - परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि भत्ते के मापन में जटिल मॉडल और भावी आर्थिक स्थितियों एवं क्रेडिट व्यवहार (अर्थात् डिफ़ॉल्ट रुप से ग्राहकों की संभावना और परिणामी नुकसान) के बारे में महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है। ईसीएल का आकलन करने के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का मूल्यांकन करते हुए समूह निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है:

- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मापदंड का निर्धारण;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद/बाजार और संबद्ध ईसीएल के लिए दूरंदेशी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार की स्थापना करना; तथा
- ईसीएल को मापने के लिए समरुपी वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों की स्थापना करना;
- डिफ़ॉल्ट की संभाव्यता और डिफ़ॉल्ट फलस्वरुप हानि का आकलन करना (डिफॉल्ट के मामले में वसूलनीय राशि का आकलन करना)।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

5 नकद एवं नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-19 के अनुसार	31-03-18 के अनुसार	01-04-17 के अनुसार
-बैंको में शेष राशि	**339.97**	**157.45**	848.08
-कैश ऑन हैंड (पोस्टेज एवं अग्रदाय सहित)	**0.01**	**0.01**	-
उप-जोड़	**339.98**	**157.46**	**848.08**
-आवधिक जमा राशि एवं अन्य नकदी समतुल्य			
-अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा राशि	**2.96**	**54.54**	**2,457.87**
-ऋण म्यूचुअल फंड अल्पावधि निवेश	**-**	**-**	**1,160.00**
उप-जोड़	**2.96**	**54.54**	**3,617.87**
जोड़ (नकद एवं नकदी समतुल्य)	**342.94**	**212.00**	**4,465.95**

5.1 नकद और नकदी समतुल्य के संबंध में कोई रिपैट्रिएशन प्रतिबंध नहीं है क्योंकि प्रतिवेदन के वर्ष और पूर्व के वर्षों में प्रस्तुत कर दिए गए थे।

6 अन्य बैंकों में शेष राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-19 के अनुसार	31-03-18 के अनुसार	01-04-17 के अनुसार
-बैंको में चिन्हित शेष			
-अप्रदत्त लाभांश के लिए	**4.15**	3.49	2.75
-अनुदानों के लिए	**522.50**	56.02	0.51
- चिन्हित आवधिक जमा राशि			
-अनुदानों के लिए	**2.15**	39.02	23.20
-न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जमा राशि	**2.47**	2.31	1.98
-प्रतिभूतियों के लंबित आवंटन हेतु उपयोग के लिए अनुपलब्ध बैंकों में शेष राशि	**722.04**	**1,469.23**	**-**
जोड़ (अन्य बैंकों में शेष)	**1,253.31**	**1,570.07**	**28.44**

7. व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें

कंपनी ने विदेशी विनिमय जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों की बचाव व्यवस्था के लिए व्युत्पन्न अनुबंध किए हैं। जोखिम प्रबंधन के प्रयोजन से किए गए व्युत्पन्न अनुबंधों को हेज अकाउंटिंग अथवा आर्थिक हेज के अन्तर्गत शामिल किया जा सकता है। तथापि कंपनी ने हेज अकाउंटिंग को लागू न करने का निर्णय लिया है।

व्युत्पन्नों के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रकटनों के लिए नोट 44 देखें।

भाग I

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2019 के अनुसार			31.03.2018 के अनुसार			01.04.2017 के अनुसार		
		कल्पित राशि	उचित मूल्य - परिसंपत्तियां	उचित मूल्य - देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य - परिसंपत्तियां	उचित मूल्य - देयताए	कल्पित राशि	उचित मूल्य - परिसंपत्तिया	उचित मूल्य - देयताए
(i)	**मुद्रा व्युत्पन्न**									
	स्पॉट एवं अग्रिम	**518.78**	**-**	**10.26**	-	-			-	
	मुद्रा विनिमय	**5,701.69**	**419.05**	**0.41**	6,584.19	173.50	71.50	13,100.71	202.64	163.19
	-अन्य									
	कॉल स्प्रेड	**3,839.01**	**129.43**	**-**	6,049.10	70.76	161.17	6,029.99	168.11	126.05
	सीगुल विकल्प	**14,306.98**	**1,093.63**	**18.57**	2,821.78	209.35	-			
	उप जोड(i)	**24,366.46**	**1,642.11**	**29.24**	**15,455.07**	**453.61**	**232.67**	**19,130.70**	**370.75**	**289.24**
(ii)	**ब्याज दर व्युत्पन्न**									
	- अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर विनिमय	**21,436.70**	**160.47**	**130.16**	27,506.20	236.77	85.08	23,089.85	257.32	65.22
	उप जोड़ (ii)	**21,436.70**	**160.47**	**130.16**	**27,506.20**	**236.77**	**85.08**	**23,089.85**	**257.32**	**65.22**
	कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें (I + ii)	**45,803.16**	**1,802.58**	**159.40**	**42,961.27**	**690.38**	**317.75**	**42,220.55**	**628.07**	**354.46**

भाग - II

भाग- I में शामिल व्युत्पन्न ऐसे हैं जो हेजिंग और जोखिम प्रबंधन के प्रयोजन से धारित हैं, जो इस प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2019 के अनुसार			31.03.2018 के अनुसार			01.04.2017 के अनुसार		
		कल्पित राशि	उचित मूल्य - परिसंपत्तियां	उचित मूल्य - देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य - परिसंपत्तियां	उचित मूल्य - देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य - परिसंपत्तियां	उचित मूल्य - देयताएं
(i)	गैर-नामोद्दिष्ट व्युत्पन्न	**45,803.16**	**1,802.58**	**159.40**	42,961.27	690.38	317.75	42,220.55	628.07	354.46
	कुल- व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	**45,803.16**	**1,802.58**	**159.40**	**42,961.27**	**690.38**	**317.75**	**42,220.55**	**628.07**	**354.46**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

8. ऋण

कंपनी ने भारतीय- लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के अनुसार सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
		मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क)	**ऋण**						
(i)	आवधिक ऋण	**279,021.68**	**279,748.67**	233,801.39	234,480.65	198,339.82	199,285.98
(ii)	कार्यशील पूंजीगत ऋण	**2,188.00**	**2,200.18**	5,647.93	5,673.05	3,588.85	3,609.74
	कुल (क)- सकल ऋण	**281,209.68**	**281,948.85**	**239,449.32**	**240,153.70**	**201,928.67**	**202,895.72**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	**(11,497.93)**	**(11,497.93)**	(11,275.45)	(11,275.45)	(8,961.20)	(8,961.20)
	कुल (क) निवल ऋण	**269,711.75**	**270,450.92**	**228,173.87**	**228,878.25**	**192,967.47**	**193,934.52**
(ख)	**प्रतिभूति ब्यौरा**						
(i)	मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	**216,394.62**	**206,845.46**	198,454.16	199,024.92	170,201.07	171,043.22
(ii)	अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत						
(iii)	बैंक / सरकारी गारंटी के अंतर्गत वसूलनीय	**42,575.45**	**52,751.86**	26,915.40	27,005.32	22,156.38	22,251.13
(iv)	अप्रतिभूत	**22,239.61**	**22,351.53**	14,079.76	14,123.46	9,571.22	9,601.37
	कुल(ख)- सकल ऋण	**281,209.68**	**281,948.85**	**239,449.32**	**240,153.70**	**201,928.67**	**202,895.72**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	**(11,497.93)**	**(11,497.93)**	(11,275.45)	(11,275.45)	(8,961.20)	(8,961.20)
	कुल(ख) - निवल ऋण	**269,711.75**	**270,450.92**	**228,173.87**	**228,878.25**	**192,967.47**	**193,934.52**
(ग)(I)	**भारत में ऋण**						
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र	**247,719.13**	**248,463.55**	206,410.52	207,015.02	168,810.92	169,388.65
(ii)	निजी क्षेत्र	**33,490.55**	**33,485.30**	33,038.80	33,138.68	33,117.75	33,507.07
	कुल (ग) (I) - सकल ऋण	**281,209.68**	**281,948.85**	**239,449.32**	**240,153.70**	**201,928.67**	**202,895.72**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	**(11,497.93)**	**(11,497.93)**	(11,275.45)	(11,275.45)	(8,961.20)	(8,961.20)
	कुल (ग) (I)- निवल ऋण	**269,711.75**	**270,450.92**	**228,173.87**	**228,878.25**	**192,967.47**	**193,934.52**
(ग)(II)	**भारत से बाहर ऋण**						
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र	**-**	**-**		-		-
(ii)	निजी क्षेत्र	**-**	**-**		-		-
	कुल (ग) (II) - सकल ऋण	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	**-**	**-**		-		-
	कुल (ग) (II) - निवल ऋण	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	कुल (ग) (I) एवं (ग) (II)	**269,711.75**	**270,450.92**	**228,173.87**	**228,878.25**	**192,967.47**	**193,934.52**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

8.1 भारतीय-लेखांकन मानक के तहत सूचित किए गए आंकड़ों और ऋणों के संबंध में बकाया वास्तविक राशि के बीच सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-19 के अनुसार	31-03-18 के अनुसार	01-04-17 के अनुसार
निवल ऋण	**270,450.92**	**228,878.25**	**193,934.52**
घटाएं : भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बकाया राशि	**(445.05)**	(462.37)	(781.26)
घटाएं : भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बकाया राशि	**(341.01)**	(303.23)	(288.31)
जोड़ें : भारतीय- लेखांकन मानक के तहत बंद की गई संभावित ऋण हानि के लिए भत्ता	**11,497.93**	11,275.45	8,961.20
जोड़ें : प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर शुल्क आधारित आय के संबंध में भारतीय- लेखांकन मानक समायोजन	**46.89**	61.22	102.52
सकल ऋण	**281,209.68**	**239,449.32**	**201,928.67**

8.2 31 मार्च, 2019 के अनुसार कुल ऋण परिसंपत्तियों के लगभग 88.56% हेतु शेष ऋण की अभिपुष्टियाँ उधारकर्ताओं से प्राप्त कर ली गयी हैं। ₹ 32,163 करोड़ लागत की शेष 11.44% ऋण परिसंपत्तियों, जिनके लिए शेष अभिपुष्टियां प्राप्त नहीं हुई हैं, में से 72% ऋण परिसंपत्तियों के मालबंधन रखने के रूप में प्रतिभूत हैं, 25% सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण के रूप में प्रतिभूत हैं तथा 3% अप्रतिभूत ऋण हैं।

8.3 एक उधारकर्ता मैसर्स आरकेएम पावरजेन प्रा. लि. ने खाते को गैर-निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत न करने के लिए 18 सितंबर, 2015 को मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय से अंतिम आदेश प्राप्त किया है। तद्नुसार, उधारकर्ता का बकाया ऋण चरण-III परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, यद्यपि अतिदेय तीन माह से अधिक पुराने हैं और परिसंपत्ति ऋण हानि में हैं।

तथापि, कंपनी ने परियोजना के वित्तीय एवं प्रचालनात्मक मानदंडों पर विचार करने के बाद 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) के अनुसार लेखाबहियों में ₹ 942.67 करोड़ (31 मार्च, 2018 को - ₹ 942.67 करोड़, 1 अप्रैल, 2017 को - ₹ 942.67 करोड़), ₹ 2,302 करोड़ के बकाया ऋण के 40.95 प्रतिशत की दर से (31 मार्च, 2018 को - ₹ 2,302 करोड़, 1 अप्रैल, 2017 को - ₹ 2,302 करोड़) पर्याप्त प्रावधान बनाया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

9 निवेश

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2019 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				लागत के अनुसार	कुल
		अन्य व्यापक आय का माध्यम	लाभ और हानि के माध्यम	लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप- जोड़		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6)	(7=1+5+6)
सरकारी प्रतिभूतियां					-		
-मध्य प्रदेश सरकार के पावर बॉण्ड -II	47.16				-		47.16
(प्रत्येक ₹ 47.16 करोड़ का 1 बॉण्ड)							
उप-जोड़- सरकारी प्रतिभूतियां	47.16	-	-	-	-	-	47.16
ऋण प्रतिभूतियां							
-इंडियन बैंक का 11.15% बेमियादी बॉण्ड			500.31		500.31		500.31
(प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)							
विजया बैंक के 11.25% बेमियादी बॉण्ड			556.25		556.25		556.25
(प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)							
सिंडिकेट बैंक के 11.25% बेमियादी बॉण्ड			500.31		500.31		500.31
(प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)							
उप-जोड़-ऋण प्रतिभूतियां	-	-	1,556.87	-	1,556.87	-	1,556.87
इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट							
-एनएचपीसी लिमिटेड		433.00			433.00		433.00
(प्रत्येक ₹ 10 के 17,53,02,206 इक्विटी शेयर)							
-इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लि.		206.25			206.25		206.25
(प्रत्येक ₹ 1 के 1,25,00,000 इक्विटी शेयर)							
-हुडको लिमिटेड		1.56			1.56		1.56
(प्रत्येक ₹ 10 के 3,47,429 इक्विटी शेयर)							
-यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लि.		-			-		-
(प्रत्येक ₹ 10 के 1,60,00,000 इक्विटी शेयर)							
-लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर प्रा. लि.		-			-		-
(प्रत्येक ₹ 10 के 10,20,00,000 इक्विटी शेयर)							
उप-जोड़ - इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स	-	640.81	-	-	640.81	-	640.81
अनुषंगी कंपनियां							
-आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.					-	0.05	0.05
(प्रत्येक ₹ 10 के 50,000 इक्विटी शेयर)							

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2019 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				लागत के अनुसार	कुल
		अन्य व्यापक आय का माध्यम	लाभ और हानि के माध्यम	लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप- जोड़		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6)	(7=1+5+6)
-आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लि.					-	0.05	0.05
(प्रत्येक ₹ 10 के 50,000 इक्विटी शेयर)							
उप-जोड़ अनुषंगी कंपनियां	-	-	-	-	-	0.10	0.10
संयुक्त उद्यम							
-एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि.					-	146.50	146.50
(प्रत्येक ₹ 10 के 14,65,00,000 इक्विटी शेयर)							
उप-जोड़- संयुक्त उद्यम	-	-	-	-	-	146.50	146.50
अन्य							
'स्माल इज ब्यूटीफुल' निधि की यूनिट		6.18			6.18		6.18
(प्रत्येक ₹ 10 के 61,52,200 यूनिटें)							
उप-जोड़-अन्य	-	6.18	-	-	6.18	-	6.18
जोड़ - सकल (क)	47.16	646.99	1,556.87	-	2,203.86	146.60	2,397.62
(i) विदेशों में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
(i) भारत में निवेश	47.16	646.99	1,556.87	-	2,203.86	146.60	2,397.62
जोड़ (ख)	47.16	646.99	1,556.87	-	2,203.86	146.60	2,397.62
घटाएं : इंपेयरमेंट हानि के लिए भत्ते (ग)	-	-	-	-	-	-	-
जोड़ - निवल (घ = क-ग)	47.16	646.99	1,556.87	-	2,203.86	146.60	2,397.62

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2018 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				लागत के अनुसार	कुल
		अन्य व्यापक आय का माध्यम	लाभ और हानि के माध्यम	लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप- जोड़		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6)	(7=1+5+6)
सरकारी प्रतिभूतियां					-		
-मध्य प्रदेश सरकार के पावर बॉण्ड -II	141.48				-		141.48
(प्रत्येक ₹ 47.16 करोड़ का 3 बॉण्ड)							
उप-जोड़- सरकारी प्रतिभूतियां	141.48	-	-	-	-	-	141.48
ऋण प्रतिभूतियां							
-यूपी पावर कारपोरेशन लि. के बॉण्ड	317.47				-		317.47
(प्रत्येक ₹ 0.01 करोड़ के 30,385 बॉण्ड्स)							
-इंडियन बैंक के बेमियादी बॉण्ड			500.31		500.31		500.31

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2018 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				लागत के अनुसार	कुल
		अन्य व्यापक आय का माध्यम	लाभ और हानि के माध्यम	लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप- जोड़		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6)	(7=1+5+6)
(प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)							
विजया बैंक के बेमियादी बॉण्ड			500.00		500.00		500.00
(प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)							
सिंडिकेट बैंक के बेमियादी बॉण्ड			500.31		500.31		500.31
(प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)							
उप- जोड़ ऋण प्रतिभूतियां	**317.47**	**-**	**1,500.62**	**-**	**1,500.62**	**-**	**1,818.09**
इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट							
-एनएचपीसी लिमिटेड		509.71			509.71		509.71
(प्रत्येक ₹ 10 के 18,40,11,865 इक्विटी शेयर)							
-इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड		200.36			200.36		200.36
(प्रत्येक ₹ 10 के 12,50,000 इक्विटी शेयर)							
-हुडको लिमिटेड		2.30			2.30		2.30
(प्रत्येक ₹ 10 के 3,47,429 इक्विटी शेयर)							
-यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड		-			-		-
(प्रत्येक ₹ 10 के 1,60,00,000 इक्विटी शेयर)							
-लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर प्रा. लिमिटेड		-			-		-
(प्रत्येक ₹ 10 के 10,20,00,000 इक्विटी शेयर)							
उप-जोड़ - इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स	**-**	**712.37**	**-**	**-**	**712.37**	**-**	**712.37**
अनुषंगी कंपनियां							
-आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.					-	0.05	0.05
(प्रत्येक ₹ 10 के 50,000 इक्विटी शेयर)							
-आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लि.					-	0.05	0.05
(प्रत्येक ₹ 10 के 50,000 इक्विटी शेयर)							
उप-जोड़ अनुषंगी कंपनियां	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.10**	**0.10**
संयुक्त उद्यम							
-एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि.					-	146.50	146.50
(प्रत्येक ₹ 10 के 14,65,00,000 इक्विटी शेयर)							
उप-जोड़- संयुक्त उद्यम	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**146.50**	**146.50**
अन्य							
- 'स्माल इज ब्यूटीफुल' निधि की यूनिट		6.26			6.26		6.26
(प्रत्येक ₹ 10 के 61,52,200 यूनिटें)							
उप-जोड़-अन्य	**-**	**6.26**	**-**	**-**	**6.26**	**-**	**6.26**
जोड़ - सकल (क)	**458.95**	**718.63**	**1,500.62**	**-**	**2,219.25**	**146.60**	**2,824.80**
(i) विदेशों में निवेश	-	-	-	-	-	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2018 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				लागत के अनुसार	कुल
		अन्य व्यापक आय का माध्यम	लाभ और हानि के माध्यम	लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप- जोड़		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6)	(7=1+5+6)
(ii) भारत में निवेश	458.95	718.63	1,500.62	-	2,219.25	146.60	2,824.80
जोड़ (ख)	**458.95**	**718.63**	**1,500.62**	**-**	**2,219.25**	**146.60**	**2,824.80**
घटाएं : इंपेयरमेंट हानि के लिए भत्ते (ग)	-	-	-	-	-	-	-
जोड़ - निवल (घ = क-ग)	**458.95**	**718.63**	**1,500.62**	**-**	**2,219.25**	**146.60**	**2,824.80**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2017 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				लागत के अनुसार	कुल
		अन्य व्यापक आय का माध्यम	लाभ और हानि के माध्यम	लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप- जोड़		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6)	(7=1+5+6)
सरकारी प्रतिभूतियां					-		
-मध्य प्रदेश सरकार के पावर बॉण्ड -II	235.80				-		235.80
(प्रत्येक ₹ 47.16 करोड़ का 5 बॉण्ड)							
उप-जोड़- सरकारी प्रतिभूतियां	**235.80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**235.80**
ऋण प्रतिभूतियां							
-यूपी पावर कारपोरेशन लि. के बॉण्ड	317.47				-		317.47
(प्रत्येक ₹ 0.01 करोड़ के 30,385 बॉण्ड्स)							
-इंडियन बैंक के बेमियादी बॉण्ड			500.31		500.31		500.31
(प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)							
विजया बैंक के बेमियादी बॉण्ड			500.00		500.00		500.00
(प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)							
सिंडिकेट बैंक के बेमियादी बॉण्ड			500.31		500.31		500.31
(प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)							
उप- जोड़ ऋण प्रतिभूतियां	**317.47**	**-**	**1,500.62**	**-**	**1,500.62**	**-**	**1,818.09**
इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट							
-एनएचपीसी लिमिटेड		592.52			592.52		592.52
(प्रत्येक ₹ 10 के 18,40,11,865 इक्विटी शेयर)							
-इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड		109.25			109.25		109.25
(प्रत्येक ₹ 10 के 12,50,000 इक्विटी शेयर)							
-यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड		-			-		-
(प्रत्येक ₹ 10 के 1,60,00,000 इक्विटी शेयर)							

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2017 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				लागत के अनुसार	कुल
		अन्य व्यापक आय का माध्यम	लाभ और हानि के माध्यम	लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप- जोड़		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6)	(7=1+5+6)
-लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर प्रा. लिमिटेड		-			-		-
(प्रत्येक ₹ 10 के 10,20,00,000 इक्विटी शेयर)							
उप-जोड़ - इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स	**-**	**701.77**	**-**	**-**	**701.77**	**-**	**701.77**
अनुषंगी कंपनियां							
-आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.					-	0.05	0.05
(प्रत्येक ₹ 10 के 50,000 इक्विटी शेयर)							
-आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लि.					-	0.05	0.05
(प्रत्येक ₹ 10 के 50,000 इक्विटी शेयर)							
उप-जोड़ अनुषंगी कंपनियां	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.10**	**0.10**
संयुक्त उद्यम							
-एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि.					-	146.50	146.50
(प्रत्येक ₹ 10 के 14,65,00,000 इक्विटी शेयर)							
उप-जोड़- संयुक्त उद्यम	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**146.50**	**146.50**
अन्य							
- 'स्माल इज ब्यूटीफुल' निधि की यूनिट		6.30			6.30		6.30
(प्रत्येक ₹ 10 के 61,52,200 यूनिटें)							
उप-जोड़-अन्य	**-**	**6.30**	**-**	**-**	**6.30**	**-**	**6.30**
जोड़ - सकल (क)	**553.27**	**708.07**	**1,500.62**	**-**	**2,208.69**	**146.60**	**2,908.56**
(i) विदेशों में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
(ii) भारत में निवेश	553.27	708.07	1,500.62	-	2,208.69	146.60	2,908.56
जोड़ (ख)	**553.27**	**708.07**	**1,500.62**	**-**	**2,208.69**	**146.60**	**2,908.56**
घटाएं : इंपेयरमेंट हानि के लिए भत्ते (ग)	-	-	-	-	-	-	-
जोड़ - निवल (घ = क-ग)	**553.27**	**708.07**	**1,500.62**	**-**	**2,208.69**	**146.60**	**2,908.56**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

9.1 अनुषंगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यम में निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

कंपनियों के नाम	कारोबार के मुख्य स्थान/ निगमनों का देश	स्वामित्व हित के अनुपात के अनुसार		
		31-03-19 के अनुसार	31-03-18 के अनुसार	01-04-17 के अनुसार
अनुषंगी				
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.	भारत	**100.00%**	100.00%	100.00%
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लि.	भारत	**100.00%**	100.00%	100.00%
संयुक्त उद्यम				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि.	भारत	**21.70%**	31.71%	31.71%

अनुषंगी और संयुक्त उद्यमों में निवेशों को इंड एएस 27 'पृथक वित्तीय विवरणों' के प्रावधानों के अनुरूप लागत पर मापित किया गया है।

9.2 एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के राइट इश्यू ऑफर के तहत कंपनी ने 08 अप्रैल, 2019 को 71.60 करोड़ रूपए मूल्य के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के 7,16,00,000 शेयरों के लिए आवेदन किया है। आज की तारीख में शेयरों का अंतिम आबंटन लंबित है और इसके बाद कंपनी की शेयरधारिता ईईएसएल में बढ़ सकती है।

9.3 कंपनी ने एफवीओसीआई (अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य) पर कुछ इक्विटी दस्तावेज नामित करने के लिए अप्रतिसंहरणीय (इर्रिवोकेबल) विकल्प चुना है। कंपनी का मुख्य प्रचालन विद्युत क्षेत्र को सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार, इन दस्तावेजों के कीमत उतार-चढ़ाव से लाभ तथा हानि के अलग विवरण के लिए प्रबंधन विश्वास करता है कि यह उन्हें एफवीटीपीएल (लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य) पर वर्गीकृत करने के बजाए अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान डिरिकग्नाइज्ड एफवीओसीआई निवेशों का विवरण

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	वित्त वर्ष 2018-19			वित्त वर्ष 2017-18		
	डिरिकग्नाइज्ड शेयरों की संख्या	डिरिकग्नीशन के समय उचित मूल्य	डिरिकग्नीशन पर संचयी लाभ/हानि	डिरिकग्नाइज्ड शेयरों की संख्या	डिरिकग्नीशन के समय उचित मूल्य	डिरिकग्नीशन पर संचयी लाभ/हानि
एनएचपीसी	**0.87**	**24.39**	**5.42**	-	-	-

एनएचपीसी लिमिटेड के शेयर कंपनी की बायबैक पेशकश के तहत बेचे गए थे जिसके तहत शेयर विद्यमान बाजार कीमत से अधिक कीमत पर वापस खरीदे जाने की पेशकश की गई थी और कंपनी ने इसे कम कीमतों पर खुले बाजार में शेयर बेचने की बजाए इस पद्धति के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में इक्विटी शेयर बेचने के अवसर के रूप में स्वीकार किया गया।

इक्विटी शेयरों की वास्तविक बिक्री के निमित्त निवेशों को डिरिकग्नीशन के बाद कंपनी ने इस अवधि के दौरान इक्विटी के अंतर्गत इन शेयरों पर संचयी लाभ तथा हानि अंतरित की है।

9.4 इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड की बायबैक पेशकश के तहत कंपनी ने 10 अप्रैल, 2019 को ₹ 4.23 करोड़ के लिए 2,28,789 शेयरों को बेचा और परिणामस्वरूप अमान्य किया। शेयर विद्यमान बाजार कीमत से अधिक कीमत पर वापस खरीदे जाने की पेशकश की गई थी और कंपनी ने इसे कम कीमतों पर खुले बाजार में शेयर बेचने की बजाए इस पद्धति के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में इक्विटी शेयर बेचने के अवसर के रूप में स्वीकार किया गया।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

10. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप 'अन्य व्यापक परिसंपत्तियों' के अंतर्गत सभी घटकों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(क) **कार्मिकों को ऋण**	**28.80**	32.72	37.05
(ख) **कार्मिकों को अग्रिम**	**0.32**	0.16	0.09
(ग) **अनुषंगी कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम**	**1.72**	1.49	1.35
(घ) **प्रतिभूति जमा राशि**	**1.13**	0.98	0.73
(ङ) **भारत सरकार से वसूली योग्य**			
- भारत सरकार के पूर्णतया सेवा प्रदत्त बॉण्ड के संबंध में	**18,131.11**	4,011.23	-
- सरकारी योजनाओं पर एंजेसी प्रभार	**159.61**	161.01	-
- सरकारी योजनाओं पर व्यय की अदायगी	**0.91**	8.00	9.44
कुल - भारत सरकार से वसूली योग्य	**18,291.63**	**4,180.24**	**9.44**
(च) **राज्य विद्युत बोर्डों/ अन्यों से वसूली**	**6.17**	5.72	2.17
(छ) **अन्य वसूली योग्य राशि**	**39.40**	15.85	8.92
घटाएं : प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते	**(26.69)**	(12.27)	(5.59)
अन्य राशि वसूली योग्य (निवल)	**12.71**	3.58	3.33
कुल (क से छ)	**18,342.48**	**4,224.89**	**54.16**

10.1 कार्मिकों को ऋण के विवरण

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्मिकों के दिए जाने वाले सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(क) **प्रतिभूत ऋण**			
- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को	**-**	-	0.02
- अन्य को	**3.74**	4.14	4.45
उप - जोड़ (क)	**3.74**	**4.14**	**4.47**
(ख) **अप्रतिभूत ऋण**			
- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को	**0.46**	0.56	0.51
- अन्य को	**24.60**	28.02	32.07
उप-जोड (ख)	**25.06**	**28.58**	**32.58**
जोड़ (क + ख)	**28.80**	**32.72**	**37.05**

उपरोक्त आंकड़ों में ऐसे ऋणों पर उपचित ब्याज, जिसकी कुल राशि ₹ 5.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.45 करोड़) है, शामिल है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

11. चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.19 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार	01.04.17 के अनुसार
अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	**2,083.39**	2,199.97	2,653.30
घटाएं: आय कर हेतु प्रावधान	**(1,807.56)**	(2,178.95)	(2,614.33)
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	**275.83**	**21.02**	**38.97**

12. आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.19 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार	01.04.17 के अनुसार
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	**2,358.29**	2,904.11	2,187.88

12.1 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में रिकग्नाइज्ड	ओसीआई में रिकग्नाइज्ड	अन्य	समाप्ति पर शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,979.61	(12.89)			2,966.72
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	3.50	0.52			4.02
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	6.91	0.66			7.57
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**2,990.02**	**(11.71)**	**-**	**-**	**2,978.31**
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के विभिन्न कर आधार में देय	3.05	-			3.05
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ाव	30.15	237.11			267.26
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	(9.27)	21.31			12.04
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	61.88	275.01			336.89
निवेशों का उचित मूल्यांकन	0.10		0.68		0.78
कुल आस्थगित कर देयताएं	**85.91**	**533.43**	**0.68**	**-**	**620.02**
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**2,904.11**	**(545.14)**	**(0.68)**	**-**	**2,358.29**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में रिकग्नाइज्ड	ओसीआई में रिकग्नाइज्ड	अन्य	समाप्ति पर शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,272.18	707.43			2,979.61
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	10.77	(7.27)			3.50
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	6.67	0.24			6.91
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**2,289.62**	**700.40**	**-**	**-**	**2,990.02**
आस्थगित कर देयताएं					
मूल्यह्रास और परिशोधन	3.79	(0.74)			3.05
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ाव	(70.52)	100.67			30.15
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	91.23	(100.50)			(9.27)
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	77.24	(15.36)			61.88
निवेशों का उचित मूल्यांकन	-		0.10		0.10
कुल आस्थगित कर देयताएं	**101.74**	**(15.93)**	**0.10**	**-**	**85.91**
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**2,187.88**	**716.33**	**(0.10)**	**-**	**2,904.11**

13. निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	अवधि के दौरान अग्रिम	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	समाप्ति पर शेष राशि
वित्त वर्ष 2018-19	**0.01**	**-**	**-**	**0.01**
वित्त वर्ष 2017-18	0.01	-	-	0.01

13.1 कंपनी ने निवेश परिसंपत्ति के रूप में कम आंके गए भावी प्रयोग के लिए रखी गई भूमि वर्गीकृत की है और उस पर कोई किराये की आय अर्जित नहीं कर रही है।

13.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-19 के अनुसार	31-03-18 के अनुसार	01-04-17 के अनुसार
धारित मूल्य	**0.01**	0.01	0.01
उचित मूल्य	**0.61**	0.51	0.41

कंपनी कम से कम वार्षिक रूप से अपनी निवेश संपत्तियों के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन प्राप्त करती है। उचित मूल्य का सर्वोत्तम साक्ष्य उन संपत्तियों के लिए सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें हैं। जहां वह सूचना उपलब्ध नहीं है, वहां कंपनी विभिन्न स्रोतों से सूचना पर विचार करती है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- विभिन्न प्रकार की समान परिसंपत्तियों के सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें अथवा कम सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों की हाल की कीमतें जो उन अंतरों को दर्शाने के लिए समायोजित की गई हैं।

- जिस अधिकार क्षेत्र में निवेश संपत्ति स्थित है, वहां वर्तमान सर्किल दरें।

निवेश संपत्ति का उचित मूल्य स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया है और प्रयुक्त मुख्य इनपुट समान परिसंपत्तियों की सर्किल दरें और वर्तमान कीमतें हैं। निवेश संपत्ति के लिए सभी परिणामी उचित मूल्य आकलन लेवल-3 में शामिल हैं।

14. संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर								पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां
	फ्रीहोल्ड भूमि	लीजहोल्ड भूमि	भवन	फर्नीचर और फिक्सचर्स	ईडीपी उपस्कर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	कुल	अचल संपत्ति	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल धारित मूल्य											
01.04.2017 के अनुसार	**82.92**	**1.59**	**31.58**	**7.31**	**15.26**	**13.64**	**0.43**	**152.73**	**61.41**	**1.46**	**7.03**
परिवर्धन	-	-	0.16	1.95	2.64	3.34	-	**8.09**	**59.50**	**-**	**5.35**
पूंजीगत लागत उधारियां									**6.32**		
निपटान	-	-	-	0.15	2.10	0.76	0.03	**3.04**	**-**	**-**	**-**
31.03.2018 के अनुसार	**82.92**	**1.59**	**31.74**	**9.11**	**15.80**	**16.22**	**0.40**	**157.78**	**127.23**	**1.46**	**12.38**
परिवर्धन	27.47	-	-	1.75	4.97	3.22	-	**37.41**	**58.34**	**0.13**	**4.87**
पूंजीगत लागत उधारियां								**-**	**11.37**		
निपटान	-	-	-	0.21	0.85	0.94	-	**2.00**	**-**	**-**	**-**
31.03.2019 के अनुसार	**110.39**	**1.59**	**31.74**	**10.65**	**19.92**	**18.50**	**0.40**	**193.19**	**196.94**	**1.59**	**17.25**
संचित अवमूल्यन / परिशोधन											
01.04.2017 अनुसार *	**-**	**0.25**	**7.62**	**5.31**	**11.57**	**6.89**	**0.28**	**31.92**	**-**	**-**	**6.60**
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.04	0.48	0.56	2.04	1.88	0.02	**5.02**	**-**	**-**	**0.63**
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	0.08	1.92	0.32	0.03	**2.35**	**-**	**-**	**-**
31.03.2018 के अनुसार	**-**	**0.29**	**8.10**	**5.79**	**11.69**	**8.45**	**0.27**	**34.59**	**-**	**-**	**7.23**
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.02	0.48	0.59	2.27	2.27	0.03	**5.66**	**-**	**-**	**1.51**
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	0.06	0.59	0.39	-	**1.04**	**-**	**-**	**-**
31.03.2019 के अनुसार	**-**	**0.31**	**8.58**	**6.32**	**13.37**	**10.33**	**0.30**	**39.21**	**-**	**-**	**8.74**
01.04.2017 के अनुसार निवल ब्लॉक *	**82.92**	**1.34**	**23.96**	**2.00**	**3.69**	**6.75**	**0.15**	**120.81**	**61.41**	**1.46**	**0.43**
31.03.2018 के अनुसार निवल ब्लॉक	**82.92**	**1.30**	**23.64**	**3.32**	**4.11**	**7.77**	**0.13**	**123.19**	**127.23**	**1.46**	**5.15**
31.03.2019 के अनुसार निवल ब्लॉक	**110.39**	**1.28**	**23.16**	**4.33**	**6.55**	**8.17**	**0.10**	**153.98**	**196.94**	**1.59**	**8.51**

* भारतीय लेखांकन मानक में लेन-देन की तारीख को मानी गई लागत दर्शाता है। पूर्व जीएएपी से सकल ब्लॉक एवं संचित मूल्यह्रास/परिशोधन परिसंपत्तियों की मूल लागत बेहतर रूप से समझने के प्रयोजन के लिए प्रकट की गई है।

14.1 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी द्वारा अधिगृहीत कुछ अचल संपत्तियों के संबंध में कनवेंस डीड के पंजीकरण के संबंध में औपचारिकताएं अभी निष्पादित की जानी हैं। ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	भूमि	भवन	भूमि	भवन	भूमि	भवन
सकल धारित मूल्य	**68.31**	**4.59**	45.92	4.59	45.92	4.59
निवल धारित मूल्य	**68.31**	**2.20**	45.92	2.26	45.92	2.32

14.2 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार कंपनी के प्रतिभूति उधारों के विरुद्ध प्रतिभूति के रूप में रखे गए हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-19 के अनुसार	31-03-18 के अनुसार	01-04-17 के अनुसार
सकल धारित मूल्य	**3.45**	3.45	3.45
निवल धारित मूल्य	**2.46**	2.50	2.55

14.3 प्रबंधन के मत में उन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन अथवा कोई घटनाएं नहीं हैं जो भारतीय लेखांकन मानक 36 ''परिसंपत्तियों की हानि'' के संदर्भ में पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि दर्शाएं। तद्नुसार, हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

14.4 यद्यपि कंपनी ने योग्य परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कोई विशेष उधार नहीं किए हैं, तथापि कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 23 ''उधार लागत'' के संदर्भ में कंपनी के लिए उधारों की औसत दर पर सामान्य उधारों के निमित्त कुछ उधार लागतों को पूंजीकृत किया है।

14.5 भारतीय लेखांकन मानक 38 ''अमूर्त परिसंपत्तियां'' के तहत अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन

परिशोधन दर 20 % (परिसंपत्ति की कुल लागत के मामले में 100 %, ₹ 5,000 अथवा कम है)।

15. अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-19 के अनुसार	31-03-18 के अनुसार	01-04-17 के अनुसार
(क) **पूंजीगत अग्रिम**	**35.72**	45.96	40.23
(ख) **अन्य अग्रिम**	**28.86**	20.46	0.68
(ग) **सरकारी प्राधिकरण के पास शेष**	**48.00**	6.55	1.80
(घ) **पूर्वदत्त व्यय**	**7.51**	-	0.28
(ङ) **आस्थगित कार्मिक लागत**	**12.20**	13.60	14.89
(च) **अन्य परिसंपत्तियां**	**0.01**	0.06	0.10
कुल (क से च)	**132.30**	**86.63**	**57.98**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

16. ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
(क) प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ						
(i) संस्थागत बॉण्ड	**11,019.40**	**11,599.27**	22,138.60	23,099.72	27,591.90	28,818.34
(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	**23,157.88**	**24,010.13**	22,235.89	23,051.75	19,477.40	20,196.18
(iii) कर मुक्त बॉण्ड	**12,648.41**	**13,082.66**	12,648.41	13,078.66	12,648.41	13,075.50
(iv) बॉण्ड आवेदन राशि	**722.04**	**720.48**	1,469.23	1,469.23	-	-
उप - जोड़ (क)	**47,547.73**	**49,412.54**	**58,492.13**	**60,699.36**	**59,717.71**	**62,090.02**
(ख) अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां						
(i) संस्थागत बॉण्ड	**118,253.90**	**122,201.55**	103,069.70	106,530.16	82,284.40	85,437.09
(ii) अवसंरचना बॉण्ड	**91.43**	**98.75**	110.47	126.07	111.64	124.13
(iii) जीरो कूपन बॉण्ड	**1,259.57**	**1,258.56**	1,162.59	1,161.55	1,073.09	1,072.01
(iv) विदेशी मुद्रा बॉण्ड	**12,796.69**	**12,172.07**	7,480.06	7,472.55	-	-
उप-जोड (ख)	**132,401.59**	**135,730.93**	**111,822.82**	**115,290.33**	**83,469.13**	**86,633.23**
(ग) अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियां						
(i) वाणिज्यिक दस्तावेज	**7,975.00**	**7,696.32**	3,250.00	3,150.44	-	-
उप-जोड (ग)	**7,975.00**	**7,696.32**	**3,250.00**	**3,150.44**	**-**	**-**
कुल - ऋण प्रतिभूतियां (क+ख +ग)	**187,924.32**	**192,839.79**	**173,564.95**	**179,140.13**	**143,186.84**	**148,723.25**
भारत में/ से बाहर निर्गत ऋण प्रतिभूतियां						
(i) भारत में ऋण -प्रतिभूतियां	**175,127.63**	**180,667.72**	166,084.89	171,667.58	143,186.84	148,723.25
(ii) विदेशों में ऋण प्रतिभूतियां	**12,796.69**	**12,172.07**	7,480.06	7,472.55	-	-
जोड़- ऋण प्रतिभूतियां	**187,924.32**	**192,839.79**	**173,564.95**	**179,140.13**	**143,186.84**	**148,723.25**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

16.1 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ का विवरण - प्रतिभूती के विवरण के लिए टिप्पणी 17.8 का संदर्भ लें

(i) **संस्थागत बॉण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
123-III श्रृंखला - 9.34% सममूल्य पर दिनांक 23.08.2024 को विमोचनीय	**1,955.00**	**2,062.61**	1,955.00	2,063.48	1,955.00	2,063.36
123-I श्रृंखला - 9.40% सममूल्य पर दिनांक 17.07.2021 को विमोचनीय	**1,515.00**	**1,615.29**	1,515.00	1,615.16	1,515.00	1,614.64
92-II श्रृंखला - 8.65% सममूल्य पर दिनांक 22.01.2020 को विमोचनीय	**945.30**	**960.65**	945.30	960.53	945.30	960.42
91-II श्रृंखला - 8.80% सममूल्य पर दिनांक 18.11.2019 को विमोचनीय	**995.90**	**1,028.23**	995.90	1,028.09	995.90	1,027.98
90-ग-II श्रृंखला- 8.80% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2019 को विमोचनीय	**1,040.00**	**1,084.29**	1,040.00	1,084.13	1,040.00	1,083.98
90-ख-II श्रृंखला - 8.72% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2019 को विमोचनीय	**868.20**	**911.48**	868.20	911.34	868.20	911.21
90वीं श्रृंखला - 8.80% सममूल्य पर दिनांक 03.08.2019 को विमोचनीय	**2,000.00**	**2,116.21**	2,000.00	2,116.20	2,000.00	2,116.20
122वीं श्रृंखला - 9.02% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2019 को विमोचनीय	**1,700.00**	**1,820.51**	1,700.00	1,819.82	1,700.00	1,820.00
119वीं श्रृंखला - 9.63% सममूल्य पर दिनांक 05.02.2019 को विमोचित	**-**	**-**	2,090.00	2,121.40	2,090.00	2,119.20
88वीं श्रृंखला - 8.65% सममूल्य पर दिनांक 15.01.2019 को विमोचित	**-**	**-**	1,495.00	1,521.82	1,495.00	1,521.69
118वीं श्रृंखला - 9.61% सममूल्य पर दिनांक 03.01.2019 को विमोचित	**-**	**-**	1,655.00	1,693.23	1,655.00	1,692.88
117वीं श्रृंखला - 9.38% सममूल्य पर दिनांक 06.11.2018 को विमोचित	**-**	**-**	2,878.00	2,985.72	2,878.00	2,985.32
87-क-III श्रृंखला - 11.15% सममूल्य पर दिनांक 24.10.2018 को विमोचित	**-**	**-**	61.80	64.77	61.80	64.73
116-II श्रृंखला - 9.24% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2018 को विमोचित	**-**	**-**	850.00	885.63	850.00	885.48
87-II श्रृंखला - 10.85% सममूल्य पर दिनांक 01.10.2018 को विमोचित	**-**	**-**	657.40	693.12	657.40	693.04

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
86-ख-III श्रृंखला - 10.85% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2018 को विमोचित	-	-	432.00	460.50	432.00	461.78
86-क श्रृंखला - 10.70% सममूल्य पर दिनांक 30.07.2018 को विमोचित	-	-	500.00	536.06	500.00	536.05
85वीं श्रृंखला - 9.68% सममूल्य पर दिनांक 13.06.2018 को विमोचित	-	-	500.00	538.72	500.00	538.87
83वीं श्रृंखला - 9.07% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2018 को विमोचित	-	-	-	-	685.20	711.02
82वीं श्रृंखला - 9.85% सममूल्य पर दिनांक 28.09.2017 को विमोचित	-	-	-	-	883.10	933.81
124- I वीं श्रृंखला - 9.06% सममूल्य पर दिनांक 22.09.2017 को विमोचित	-	-	-	-	2,610.00	2,730.98
123- III क श्रृंखला - 9.25% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2017 को विमोचित	-	-	-	-	1,275.00	1,345.70
कुल संस्थागत बॉण्ड	**11,019.40**	**11,599.27**	**22,138.60**	**23,099.72**	**27,591.90**	**28,818.34**

(ii) **54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
श्रृंखला XII (2018-19) - 5.75% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विमोचनीय	**5,929.73**	**6,083.83**	-	-	-	-
श्रृंखला XI (2017-18) - 5.25% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान विमोचनीय	**9,565.23**	**9,934.60**	8,096.27	8,298.32	-	-
श्रृंखला X (2016-17) - 5.25%-6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान विमोचनीय	**7,662.92**	**7,991.70**	7,662.92	7,987.12	7,662.92	7,854.44
श्रृंखला X (2015-16) - 6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान विमोचनीय	-	-	6,476.70	6,766.31	6,476.70	6,764.10
श्रृंखला IX (2014-15) - 6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान विमोचित	-	-	-	-	5,337.78	5,577.64
जोड़-54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	**23,157.88**	**24,010.13**	**22,235.89**	**23,051.75**	**19,477.40**	**20,196.18**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iii) **कर मुक्त बॉण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
श्रृंखला 2015-16 भाग 1	**700.00**	**713.65**	700.00	713.50	700.00	713.40
वार्षिक रूप से 6.89% से 7.43% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.93 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2025 को विमोच्य हैं, ₹ 172.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2030 को विमोच्य है और ₹ 421.07 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोच्य हैं।						
श्रृंखला 2015-16 श्रृंखला 5क	**300.00**	**306.92**	300.00	306.89	300.00	306.87
7.17% के सममूल्य पर 23.07.2025 को विमोचनीय हैं।						
श्रृंखला 2013-14 भाग 2	**1,059.40**	**1,084.83**	1,059.40	1,084.41	1,059.40	1,084.06
वार्षिक रूप से 8.19% से 8.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 419.32 करोड़ के बॉण्ड 22.03.2024 को विमोच्य हैं, ₹ 530.42 करोड़ के बॉण्ड 23.03.2029 को विमोच्य है और ₹ 109.66 करोड़ के बॉण्ड 24.3.2034 को विमोच्य हैं।						
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 4क एवं 4ख	**150.00**	**155.64**	150.00	155.61	150.00	155.59
वार्षिक रूप से 8.18% से 8.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 11.10.2023 को विमोच्य हैं और ₹ 45.00 करोड़ के बॉण्ड 11.10.2028 को विमोच्य हैं।						
श्रृंखला 2013-14 भाग 1	**3,440.60**	**3,523.11**	3,440.60	3,521.95	3,440.60	3,521.01
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.71% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 575.06 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 25.09.2023 को विमोच्य हैं, ₹ 2,810.26 करोड़ 25.09.2028 को विमोच्य हैं और ₹ 55.28 करोड़ 26.09.2033 को विमोच्य हैं।						

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 3क एवं 3ख	**1,350.00**	**1,414.77**	1,350.00	1,414.61	1,350.00	1,414.47
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.46% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 209.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 29.08.2023 को विमोच्य हैं और ₹ 1,141.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2028 को विमोच्य हैं।						
श्रृंखला 2012-13 भाग 2	**131.06**	**133.84**	131.06	133.79	131.06	133.75
वार्षिक रूप से 6.88% से 7.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 81.35 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2023 को विमोचनीय हैं और ₹ 49.71 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय हैं।						
श्रृंखला 2012-13 भाग 1	**2,017.35**	**2,062.29**	2,017.35	2,061.43	2,017.35	2,060.74
वार्षिक रूप से 7.22% से 7.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 1,165.31 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 19.12.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 852.04 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 20.12.2027 को विमोचनीय हैं।						
श्रृंखला 2012-13 श्रृंखला 2क और 2ख	**500.00**	**512.92**	500.00	512.90	500.00	512.88
वार्षिक रूप से क्रमशः 7.21% तथा 7.38% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 255.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 21.11.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 245.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 22.11.2027 को विमोचनीय हैं।						
श्रृंखला 2011-12	**3,000.00**	**3,174.69**	3,000.00	3,173.57	3,000.00	3,172.73
वार्षिक रूप से 7.93% से 8.32% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 839.67 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 28.03.2022 को विमोच्य हैं और ₹ 2,160.33 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 29.03.2027 को विमोच्य हैं।						
जोड़ - कर-मुक्त बॉण्ड	**12,648.41**	**13,082.66**	**12,648.41**	**13,078.66**	**12,648.41**	**13,075.50**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iv) बॉण्ड आवेदन राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	**722.04**	**720.48**	1,469.23	1,469.23	-	-
5.75% आबंटन की डीम्ड तिथि से 5 वर्ष के बाद सममूल्य पर प्रतिदेय						
जोड़: बॉण्ड आवेदन राशि	**722.04**	**720.48**	**1,469.23**	**1,469.23**	**-**	**-**

16.2 अप्रतिभूत दीर्घावधिक ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
169वीं श्रृंखला - 8.37% सममूल्य पर दिनांक 07.12.2028 को विमोचनीय	**2,554.00**	**2,620.27**	-	-	-	-
168वीं श्रृंखला- 8.56% सममूल्य पर दिनांक 29.11.2028 को विमोचनीय	**2,552.40**	**2,624.99**	-	-	-	-
163वीं श्रृंखला- 8.63% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2028 को विमोचनीय	**2,500.00**	**2,627.34**	-	-	-	-
162वीं श्रृंखला- 8.55% सममूल्य पर दिनांक 09.08.2028 को विमोचनीय	**2,500.00**	**2,636.73**	-	-	-	-
156वीं श्रृंखला-7.70% सममूल्य पर दिनांक 10.12.2027 को विमोचनीय	**3,533.00**	**3,614.04**	3,533.00	3,613.97	-	-
147वीं श्रृंखला-7.95% सममूल्य पर दिनांक 12.03.2027 को विमोचनीय	**2,745.00**	**2,745.25**	2,745.00	2,745.17	2,745.00	2,754.66
142वीं श्रृंखला- 7.54% सममूल्य पर दिनांक 30.12.2026 को विमोचनीय	**3,000.00**	**3,055.73**	3,000.00	3,055.05	3,000.00	3,056.23
140वीं श्रृंखला- 7.52% सममूल्य पर दिनांक 07.11.2026 को विमोचनीय	**2,100.00**	**2,151.90**	2,100.00	2,151.81	2,100.00	2,161.69
136वीं श्रृंखला- 8.11% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2025 को विमोचनीय	**2,585.00**	**2,670.69**	2,585.00	2,670.51	2,585.00	2,670.34

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
95-II श्रृंखला - 8.75% सममूल्य पर दिनांक 14.07.2025 को विमोचनीय	**1,800.00**	**1,913.49**	1,800.00	1,913.51	1,800.00	1,911.93
94वीं श्रृंखला- 8.75% सममूल्य पर दिनांक 09.06.2025 को विमोचनीय	**1,250.00**	**1,339.00**	1,250.00	1,338.98	1,250.00	1,343.87
133वीं श्रृंखला- 8.30% सममूल्य पर दिनांक 10.04.2025 को विमोचनीय	**2,396.00**	**2,452.88**	2,396.00	2,452.71	2,396.00	2,452.55
131वीं श्रृंखला- 8.35% सममूल्य पर दिनांक 21.02.2025 को विमोचनीय	**2,285.00**	**2,303.12**	2,285.00	2,304.15	2,285.00	2,304.13
130वीं श्रृंखला- 8.27% सममूल्य पर दिनांक 06.02.2025 को विमोचनीय	**2,325.00**	**2,492.75**	2,325.00	2,492.58	2,325.00	2,491.89
129वीं श्रृंखला- 8.23% सममूल्य पर दिनांक 23.01.2025 को विमोचनीय	**1,925.00**	**2,063.19**	1,925.00	2,063.04	1,925.00	2,062.47
128वीं श्रृंखला-8.57% सममूल्य पर दिनांक 21.12.2024 को विमोचनीय	**2,250.00**	**2,418.29**	2,250.00	2,418.12	2,250.00	2,417.43
114वीं श्रृंखला- 8.82% सममूल्य पर दिनांक 12.04.2023 को विमोचनीय	**4,300.00**	**4,666.20**	4,300.00	4,665.88	4,300.00	4,665.58
159वीं श्रृंखला - 7.99% सममूल्य पर दिनांक 23.02.2023 को विमोचनीय	**950.00**	**957.07**	950.00	956.94	-	-
155वीं श्रृंखला - 7.45% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2022 को विमोचनीय	**1,912.00**	**1,958.62**	1,912.00	1,958.39	-	-
111-II श्रृंखला - 9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय	**2,211.20**	**2,283.10**	2,211.20	2,282.93	2,211.20	2,282.77
152वीं श्रृंखला- 7.09 % सममूल्य पर दिनांक 17.10.2022 को विमोचनीय	**1,225.00**	**1,263.82**	1,225.00	1,263.65	-	-
150वीं श्रृंखला- 7.03 % सममूल्य पर दिनांक 07.09.2022 को विमोचनीय	**2,670.00**	**2,774.70**	2,670.00	2,774.39	-	-
107वीं श्रृंखला- 9.35% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय	**2,378.20**	**2,554.12**	2,378.20	2,553.93	2,378.20	2,553.76
167वीं श्रृंखला- 8.45% सममूल्य पर दिनांक 22.03.2022 को विमोचनीय	**2,571.80**	**2,576.88**	-	-	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
173वीं श्रृंखला- 8.35% सममूल्य पर दिनांक 11.3.2022 को विमोचनीय	**2,500.00**	**2,509.41**	-	-	-	-
132वीं श्रृंखला- 8.27% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2022 को विमोचनीय	**700.00**	**750.61**	700.00	750.52	700.00	750.28
145वीं श्रृंखला - 7.46% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2022 को विमोचनीय	**625.00**	**628.75**	625.00	628.65	625.00	628.55
165वीं श्रृंखला - 8.83% सममूल्य पर दिनांक 21.01.2022 को विमोचनीय	**2,171.00**	**2,206.47**	-	-	-	-
141वीं श्रृंखला - 7.14% सममूल्य पर दिनांक 09.12.2021 को विमोचनीय	**1,020.00**	**1,037.69**	1,020.00	1,037.34	1,020.00	1,041.79
127वीं श्रृंखला- 8.44% सममूल्य पर दिनांक 04.12.2021 को विमोचनीय	**1,550.00**	**1,664.56**	1,550.00	1,664.41	1,550.00	1,663.91
105वीं श्रृंखला- 9.75% सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय	**3,922.20**	**4,069.16**	3,922.20	4,068.06	3,922.20	4,067.65
139वीं श्रृंखला - 7.24% सममूल्य पर दिनांक 21.10.2021 को विमोचनीय	**2,500.00**	**2,574.49**	2,500.00	2,574.18	2,500.00	2,578.86
101-III श्रृंखला - 9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय	**3,171.80**	**3,363.70**	3,171.80	3,363.38	3,171.80	3,363.10
100वीं श्रृंखला- 9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय	**1,500.00**	**1,602.90**	1,500.00	1,602.90	1,500.00	1,602.90
174वीं श्रृंखला - 8.15% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2021 को विमोचनीय	**2,720.00**	**2,727.18**	-	-	-	-
161ख श्रृंखला - 7.73% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2021 को विमोचनीय	**800.00**	**848.86**	800.00	802.50	-	-
154 श्रृंखला - 7.18% सममूल्य पर दिनांक 21.05.2021 को विमोचनीय	**600.00**	**636.89**	600.00	615.06	-	-
157वीं श्रृंखला - 7.60% सममूल्य पर दिनांक 17.04.2021 को विमोचनीय	**1,055.00**	**1,131.27**	1,055.00	1,070.69	-	-
158वीं श्रृंखला - 7.70% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	**2,465.00**	**2,473.14**	2,465.00	2,472.82	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
98वीं श्रृंखला- 9.18% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	**3,000.00**	**3,012.83**	3,000.00	3,012.83	3,000.00	3,012.83
153वी श्रृंखला- 6.99% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2020 को विमोचनीय	**2,850.00**	**2,898.98**	2,850.00	2,898.63	-	-
97वीं श्रृंखला- 8.80% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2020 को विमोचनीय	**2,120.50**	**2,183.11**	2,120.50	2,182.96	2,120.50	2,182.83
96वीं श्रृंखला- 8.80% सममूल्य पर दिनांक 26.10.2020 को विमोचनीय	**1,150.00**	**1,193.81**	1,150.00	1,193.78	1,150.00	1,193.79
149वीं श्रृंखला - 6.87% सममूल्य पर दिनांक 24.09.2020 को विमोचनीय	**2,485.00**	**2,572.86**	2,485.00	2,572.53	-	-
135वीं श्रृंखला -8.36% सममूल्य पर दिनांक 22.09.2020 को विमोचनीय	**2,750.00**	**2,817.11**	2,750.00	2,816.94	2,750.00	2,816.78
144वीं श्रृंखला -7.13% सममूल्य पर दिनांक 21.09.2020 को विमोचनीय	**835.00**	**840.00**	835.00	839.87	835.00	841.05
172वीं श्रृंखला - 8.57% सममूल्य पर दिनांक 20.08.2020 को विमोचनीय	**1,790.00**	**1,806.05**	-	-	-	-
134वीं श्रृंखला-8.37% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2020 को विमोचनीय	**2,675.00**	**2,740.10**	2,675.00	2,739.75	2,675.00	2,739.43
143वीं श्रृंखला-6.83% सममूल्य पर दिनांक 29.06.2020 को विमोचनीय	**1,275.00**	**1,289.08**	1,275.00	1,288.90	1,275.00	1,288.73
148वीं श्रृंखला-7.42% सममूल्य पर दिनांक 17.06.2020 को विमोचनीय	**1,200.00**	**1,203.42**	1,200.00	1,203.24	1,200.00	1,203.08
161वां क श्रृंखला -7.59% सममूल्य पर दिनांक 13.03.2020 को विमोचनीय	**3,000.00**	**3,010.44**	3,000.00	3,010.27	-	-
113वीं श्रृंखला- 8.87% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2020 को विमोचनीय	**1,542.00**	**1,550.86**	1,542.00	1,550.72	1,542.00	1,550.60
111-I श्रृंखला - 9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2019 को विमोचनीय	**452.80**	**467.65**	452.80	467.61	452.80	467.57
126वीं श्रृंखला- 8.56% सममूल्य पर दिनांक 13.11.2019 को विमोचनीय	**1,700.00**	**1,755.25**	1,700.00	1,754.99	1,700.00	1,753.95

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
125वीं श्रृंखला - 9.04% सममूल्य पर दिनांक 11.10.2019 को विमोचनीय	**3,000.00**	**3,124.59**	3,000.00	3,125.66	3,000.00	3,125.27
160वीं श्रृंखला- 7.77% सममूल्य पर दिनांक 16.09.2019 को विमोचनीय	**1,450.00**	**1,510.68**	1,450.00	1,459.49	-	-
108-II श्रृंखला - 9.39% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2019 को विमोचनीय	**960.00**	**1,022.94**	960.00	1,022.83	960.00	1,022.73
95-I श्रृंखला - 8.70% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2019 को विमोचनीय	**200.00**	**212.54**	200.00	212.54	200.00	210.11
151वीं श्रृंखला- 6.75% सममूल्य पर दिनांक 26.03.2019 को विमोचनीय	**-**	**-**	1,150.00	1,151.02	-	-
137वीं श्रृंखला- 8.05% सममूल्य पर दिनांक 07.12.2018 को विमोचनीय	**-**	**-**	2,225.00	2,268.92	2,225.00	2,269.08
146वीं श्रृंखला- 6.88% सममूल्य पर दिनांक 03.09.2018 को विमोचनीय	**-**	**-**	3,300.00	3,430.46	3,300.00	3,317.51
112वीं श्रृंखला- 8.70% सममूल्य पर दिनांक 01.02.2018 को विमोचित	**-**	**-**	-	-	1,500.00	1,520.94
109वीं श्रृंखला- 9.25% सममूल्य पर दिनांक 28.08.2017 को विमोचित	**-**	**-**	-	-	1,734.70	1,830.00
108-I श्रृंखला - 9.40% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2017 को विमोचित	**-**	**-**	-	-	2,125.00	2,264.47
जोड़ - संस्थागत बॉण्ड	**118,253.90**	**122,201.55**	**103,069.70**	**106,530.16**	**82,284.40**	**85,437.09**

(ii) **अवसंचरना बॉण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
श्रृंखला-II (2011-12) - सममूल्य पर विमोचनीय	**11.07**	**18.37**	29.50	45.09	29.50	41.97
श्रृंखला-I (2010-11) - सममूल्य पर विमोचनीय	**80.36**	**80.38**	80.97	80.98	82.14	82.16
कुल : अवसंरचना बॉण्ड	**91.43**	**98.75**	**110.47**	**126.07**	**111.64**	**124.13**

जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों का विवरण इस प्रकार है:

लेखा संबंधी टिप्पणियां

15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला I I (2011-12)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	विमोचन का विवरण
9.15% संचयी	-	13.44	13.44	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 7 वर्ष बाद बॉण्डधारक से पुनः खरीद का विकल्प
9.15% वार्षिक	-	5.00	5.00	
8.95% संचयी	**5.73**	5.72	5.72	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95% वार्षिक	**1.38**	1.38	1.38	
9.15% संचयी	**2.83**	2.83	2.83	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15% वार्षिक	**1.13**	1.13	1.13	
Total	**11.07**	**29.50**	**29.50**	

राशि को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।

31.03.2011 को आबंटित श्रृंखला I (2010-11)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	विमोचन का विवरण
8.00%	**16.92**	17.07	17.40	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5/6/7/8/9 वर्ष के बाद बॉण्डधारक से पुनः खरीद का विकल्प
8.20%	**58.04**	58.50	59.34	
8.10%	**1.61**	1.61	1.61	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.20%	**3.79**	3.79	3.79	
जोड़	**80.36**	**80.97**	**82.14**	

राशि को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iii) **जीरो कूपन बॉण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य*	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य*	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य*	परिशोधित मूल्य
जेडसीबी - श्रृंखला II	**230.11**	**229.95**	211.59	211.43	194.57	194.40
(अपरिशोधित निवल बट्टे पर 89,510 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय हैं)।						
जेडसीबी - श्रृंखला I	**1,029.46**	**1,028.61**	951.00	950.12	878.52	877.61
(अपरिशोधित निवल बट्टे पर 3,92,700 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय हैं)।						
कुल: जीरो कूपन बॉण्ड	**1,259.57**	**1,258.56**	**1,162.59**	**1,161.55**	**1,073.09**	**1,072.01**

* जीरो कूपन बाण्ड्स के जारी होने पर अपरिशोधित निवल अंकित मूल्य को दर्शाता है।

(iv) **विदेशी मुद्रा बॉण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य*	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य*	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य*	परिशोधित मूल्य
5.250% यूएस $700 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 13.11.2023 को विमोचनीय	**4,841.99**	**4,882.85**	-	-	-	-
4.625% यूएस $300 मिलियन बॉण्ड -सममूल्य पर दिनांक 22.03.2028 को विमोचनीय	**2,075.14**	**1,848.33**	1,951.32	1,921.19	-	-
3.875% यूएस $450 मिलियन ग्रीन बॉण्ड -सममूल्य पर दिनांक 07.07.2027 को विमोचनीय	**3,112.71**	**2,693.94**	2,926.98	2,930.28	-	-
3.068% यूएस $400 मिलियन बॉण्ड -सममूल्य पर दिनांक 18.12.2020 को विमोचनीय	**2,766.85**	**2,746.95**	2,601.76	2,621.08	-	-
उप-जोड़- विदेशी मुद्रा बॉण्ड	**12,796.69**	**12,172.07**	**7,480.06**	**7,472.55**	**-**	**-**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

16.3 अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(i) **वाणिज्यिक दस्तावेज**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.18 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
वाणिज्यिक दस्तावेज	**7,975.00**	**7,696.32**	3,250.00	3,150.44	-	-

बकाया वाणिज्यिक दस्तावेज का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.18 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
51वीं श्रृंखला - 7.43% दिनांक 04.09.2018 को प्रदत्त	**-**	**-**	3,250.00	3,150.44	-	-
57वीं श्रृंखला - 8.04% दिनांक 30.04.2019 को प्रतिदेय	**2,750.00**	**2,732.99**	-	-	-	-
58वीं श्रृंखला - 7.60% दिनांक 27.09.2019 को प्रतिदेय	**1,875.00**	**1,808.27**			-	-
59वीं श्रृंखला - 7.72% दिनांक 30.12.2019 को प्रतिदेय	**2,350.00**	**2,222.86**			-	-
60वीं श्रृंखला - 7.90% दिनांक 04.03.2020 को प्रतिदेय	**1,000.00**	**932.20**	-	-	-	-
कुल	**7,975.00**	**7,696.32**	**3,250.00**	**3,150.44**	**-**	**-**

17. उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी उधारियों (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क) प्रतिभूत दीर्घावधि उधारियाँ						
(i) अन्य से आवधिक ऋण - वित्तीय लिखतें	**200.00**	**207.33**	400.00	414.82	750.00	776.66
उप-जोड़ (क)	**200.00**	**207.33**	**400.00**	**414.82**	**750.00**	**776.66**
(ख) अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियाँ						
(i) वित्त लीज बाध्यताएं	**0.11**	**0.11**	0.11	0.11	0.13	0.13
(ii) भारत सरकार से आवधिक ऋण	**5,000.00**	**5,121.84**	-	-	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
		मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(iii)	बैंकों से आवधिक ऋण	**18,550.00**	**18,555.08**	-	-	-	-
(iv)	वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण	**1,000.00**	**1,000.00**	-	-	-	-
(v)	विदेशी मुद्रा उधारियाँ	**17,637.62**	**17,450.46**	18,515.81	18,404.43	21,080.55	20,923.38
(vi)	एफसीएनआर (बी) ऋण	**933.81**	**936.96**	1,534.18	1,534.57	-	-
	उप-जोड़ (ख)	**43,121.54**	**43,064.45**	**20,050.10**	**19,939.11**	**21,080.68**	**20,923.51**
(ग)	**अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ**						
(i)	एफसीएनआर (बी) ऋण	**3,389.39**	**3,390.76**	2,276.54	2,277.49	-	-
	उप-जोड़ (ग)	**3,389.39**	**3,390.76**	**2,276.54**	**2,277.49**	**-**	**-**
	कुल- उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) (क से ग)	**46,710.93**	**46,662.54**	**22,726.64**	**22,631.42**	**21,830.68**	**21,700.17**
	भारत में / से बाहर उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)						
(i)	भारत में उधारियाँ	**29,073.31**	**29,212.08**	4,210.83	4,226.99	750.13	776.79
(ii)	भारत से बाहर उधारियाँ	**17,637.62**	**17,450.46**	18,515.81	18,404.43	21,080.55	20,923.38
	कुल - उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा	**46,710.93**	**46,662.54**	**22,726.64**	**22,631.42**	**21,830.68**	**21,700.17**

17.1 - प्रतिभूत दीर्घावधि उधारियों का विवरण - प्रतिभूति के विवरण के लिए टिप्पणी 17.8 का संदर्भ देंखे

(i) अन्य से प्रतिभूत आवधिक ऋण - वित्तीय संस्थाए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	**200.00**	**207.33**	400.00	414.82	750.00	776.66
ऋण ₹ 200 करोड़ की समान वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय, अगली किश्त दिनांक 01.10.2019 को देय है।						
जोड़ - अन्य से आवधिक ऋण - वित्तीय संस्थाएं	**200.00**	**207.33**	**400.00**	**414.82**	**750.00**	**776.66**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

17.2 अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियों के विवरण

(i) अन्य से प्रतिभूत आवधिक ऋण - वित्तीय संस्थाएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- नेशनल स्माल सेविंग्स फंड (एनएसएसएफ) से ऋण	**5,000.00**	**5,121.84**	-	-	-	-
ऋण 13.12.2028 को प्रतिदेय						
जोड़ - सरकार से आवधिक ऋण	**5,000.00**	**5,121.84**	**-**	**-**	**-**	**-**

(ii) बैंकों से अप्रतिभूत आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- केनरा बैंक	**500.00**	**500.12**	-	-	-	-
ऋण 05.03.2024 को प्रतिदेय						
- कारपोरेशन बैंक	**1,000.00**	**1,000.00**	-	-	-	-
ऋण 6 अर्धवार्षिक किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त 06.09.2021 को देय है।						
- एचडीएफसी बैंक	**2,000.00**	**2,000.46**	-	-	-	-
29.04.2020 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय, 29.09.2023 को ₹ 300 करोड़ प्रतिदेय, 11.10.2023 को ₹ 350 करोड़ प्रतिदेय, 06.11.2023 को ₹ 350 करोड़ प्रतिदेय, 15.01.2024 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय						
-युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	**1,000.00**	**1,004.50**	-	-	-	-
ऋण 4 अर्धवार्षिक किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त 13.09.2022 को देय है।						
-बैंक ऑफ इंडिया	**2,000.00**	**2,000.00**	-	-	-	-
ऋण 8 तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त 05.05.2022 को देय है।						

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
-पंजाब नेशनल बैंक	**3,500.00**	**3,500.00**	-	-	-	-
₹ 2,000 करोड़ 3 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त 14.09.2021 को देय है। ₹ 1,500 करोड़ 3 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय और पहली किश्त 20.02.2022 को देय है।						
-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	**7,300.00**	**7,300.00**	-	-	-	-
₹ 5,000 करोड़ 3 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय तथा पहली किश्त 15.10.2021 को देय है, ₹ 2,300 करोड़ 5 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय तथा पहली किश्त 05.09.2020 को देय है।						
-ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	**750.00**	**750.00**	-	-	-	-
ऋण 8 अर्ध-वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त 05.09.2021 को देय हो रही है।						
-यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	**500.00**	**500.00**	-	-	-	-
ऋण 6 अर्ध-वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त 31.07.2021 को देय हो है।						
जोड़ - बैंकों से अप्रतिभूत आवधिक ऋण	**18,550.00**	**18,555.08**	**-**	**-**	**-**	**-**

(iii) **अन्य से अप्रतिभूत आवधिक ऋण - वित्तीय संस्थाए**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	**1,000.00**	**1,000.00**	-	-	-	-
04.06.2022 को प्रतिदेय						
जोड़ - अन्य से आवधिक ऋण - वित्तीय संस्थाएं	**1,000.00**	**1,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iv) **विदेशी मुद्रा उधारियाँ**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(1) **ओडीए ऋण** - भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत						
जेआईसीए ऋण - 0.75% जेआईसीए-I ऋण दिनांक 20.03.2021 तक छमाही किश्तों में प्रतिदेय, अगली किश्त दिनांक 20.09.2019 को देय ही रही है और 0.65% जेआईसीए -II ऋण 20.03.2023 तक छमाही किश्तों में प्रतिदेय, अगली किश्त 20.09.2019 को देय हो रही है।	**131.40**	**131.43**	252.32	252.62	407.49	407.93
3.73% केएफडब्ल्यू ऋण - €3.68 मिलियन की छमाही किश्तों में प्रतिदेय कर दिया गया। अंतिम किश्त 30.06.2018 को भुगतान कर दी गयी।	**-**	**-**	59.41	59.96	102.05	102.91
2.89% केएफडब्ल्यू-II ऋण - €3.88 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय, अगली किश्त 30.06.2019 को देय है।	**120.87**	**121.66**	188.12	189.24	215.44	216.58
1.86% केएफडब्ल्यू-III ऋण - €5.26 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 30.06.2019 को देय है।	**449.87**	**449.13**	551.63	549.71	546.70	543.78
उप - जोड़ (1)	**702.14**	**702.22**	**1,051.48**	**1,051.53**	**1,271.68**	**1,271.20**
(2) **द्विपक्षीय/सिंडिकेट ऋण**						
¥ 19.029 बिलियन - दिनांक 10.04.2017 को प्रदत्त	**-**	**-**	-	-	1,102.92	1,102.93
यूएस $285 मिलियन- 02.12.2018 को प्रदत्त	**-**	**-**	1,853.76	1,865.63	1,847.90	1,847.11
यूएस $250 मिलियन-** 26.11.2017 को **$ 57.5 प्रदत्त तथा **$**192.5 मिलियन 29.05.2019 को प्रतिदेय	**1,331.55**	**1,346.66**	1,252.10	1,253.95	1,620.97	1,621.87
यूएस $400 मिलियन- 27.12.2017 को प्रदत्त	**-**	**-**	-	-	2,593.54	2,591.16

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस $400 मिलियन- 26.03.2018 को प्रदत्त	**-**	**-**	-	-	2,593.54	2,577.57
यूएस $300 मिलियन - दिनांक 29.07.2020 को प्रतिदेय	**2,075.14**	**2,076.19**	1,951.32	1,941.05	1,945.16	1,924.40
यूएस $250 मिलियन- $**150 मिलियन और यूएस **$100 मिलियन क्रमशः दिनांक 18.09.2018 तथा 19.11.2018 को प्रदत्त	**-**	**-**	1,626.10	1,623.66	1,620.97	1,610.80
यूएस $300 मिलियन- दिनांक 01.12.2020 को प्रतिदेय	**2,075.14**	**2,067.94**	1,951.32	1,935.58	1,945.16	1,920.94
यूएस $250 मिलियन- दिनांक 05.02.2019 को प्रदत्त	**-**	**-**	1,626.10	1,622.35	1,620.97	1,608.53
यूएस $120 मिलियन- 21.03.2019 को प्रदत्त	**-**	**-**	780.53	777.67	778.06	771.32
यूएस $100 मिलियन- 05.10.2021 को प्रतिदेय।	**691.71**	**678.55**	650.44	641.64	648.39	634.81
यूएस $230 मिलियन- 19.01.2022 को प्रतिदेय	**1,590.94**	**1,551.91**	1,496.01	1,456.23	1,491.29	1,440.74
यूएस $200 मिलियन- 28.07.2022 को प्रतिदेय	**1,383.43**	**1,365.67**	1,300.88	1,275.14	-	-
यूएस $57.50 मिलियन- 29.05.2019 को प्रतिदेय	**397.73**	**396.82**	374.00	374.48	-	-
यूएस $240 मिलियन- 26.03.2021 को प्रतिदेय	**1,660.11**	**1,631.60**	1,561.06	1,551.38	-	-
यूएस $160 मिलियन- 26.03.2021 को प्रतिदेय	**1,106.74**	**1,087.77**	1,040.71	1,034.14	-	-
यूएस $250 मिलियन- 08.08.2023 को प्रतिदेय	**1,729.28**	**1,721.63**	-	-	-	-
¥10,327.12 मिलियन - 31.08.2023 को प्रतिदेय	**645.65**	**624.64**	-	-	-	-
यूएस $250 मिलियन - 27.03.2024 को प्रतिदेय	**1,729.28**	**1,696.87**	-	-	-	-
यूएस $75 मिलियन - 29.03.2024 को प्रतिदेय	**518.78**	**501.99**	-	-	-	-
उप-जोड़ (2)	**16,935.48**	**16,748.24**	17,464.33	17,352.90	19,808.87	19,652.18
उप-जोड़: विदेशी मुद्रा उधारियां (1+2)	**17,637.62**	**17,450.46**	**18,515.81**	**18,404.43**	**21,080.55**	**20,923.38**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(v) **एफसीएनआर (ख) ऋण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस $ 235.87 मिलियन- 12.02.2019 को प्रदत्त	**-**	**-**	1,534.18	1,534.57	-	-
यूएस $135 मिलियन - $60 मिलियन 04.09.2021 को प्रतिदेय तथा $75 मिलियन दिनांक 22.10.2021 को प्रतिदेय	**933.81**	**936.96**	-	-	-	-
जोड़ -एफसीएनआर (ख) ऋण	**933.81**	**936.96**	**1,534.18**	**1,534.57**	**-**	**-**

17.3 अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ

(i) **एफसीएनआर (ख) ऋण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस $ 100 मिलियन- 21.09.2018 को प्रदत्त	**-**	**-**	650.44	650.72	-	-
यूएस $ 100 मिलियन- दिनांक 07.12.2018 को प्रदत्त	**-**	**-**	650.44	650.71	-	-
यूएस $ 150 मिलियन- दिनांक 28.03.2019 को प्रदत्त	**-**	**-**	975.66	976.06	-	-
यूएस $ 150 मिलियन- 31.08.2019 को प्रतिदेय	**1,037.57**	**1,037.97**	-	-	-	-
यूएस $ 100 मिलियन- 09.12.2019 को प्रतिदेय	**691.71**	**691.99**	-	-	-	-
यूएस $ 100 मिलियन- 19.12.2019 को प्रतिदेय	**691.71**	**692.00**	-	-	-	-
यूएस $ 140 मिलियन- 11.01.2020 को प्रतिदेय	**968.40**	**968.80**	-	-	-	-
जोड़ -एफसीएनआर (ख) ऋण	**3,389.39**	**3,390.76**	**2,276.54**	**2,277.49**	**-**	**-**

17.4 उधारियों और ब्याज की अदायगी में तुलन पत्र की तिथि के अनुसार कोई त्रुटि नहीं है।

17.5 टिप्पणी संख्या 17.1 (i) एवं 17.2 (i) से (ii) में उल्लिखित है कि सरकार/ बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण 8.15% से 9.20% की मासिक/तिमाही/अर्धवार्षिक ब्याज दरों पर प्रतिदेय है।

17.6 टिप्पणी संख्या 17.2 (iv)(2) में विदेशी मुद्रा उधार 6 माह के अमेरिकी डॉलर/जेपीवाई एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक द्वारा पेशकश की गई दर) के लिए 65 बीपीएस से 150 बीपीएस की ब्याज दर पर लिए गए हैं।

17.7 पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) को आरईसी लिमिटेड में कुल प्रदत्त इक्विटी शेयरधारिता के भारत सरकार की विद्यमान 52.63 प्रतिशत की नीतिगत बिक्री की घोषणा के बाद कंपनी ने कुछ भारी वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) का 'चेंज ऑफ कंट्रोल' घटक के संशोधन के लिए 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान सहमति मांगने का कार्य किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अनुसार और विद्यमान ईसीबी

लेखा संबंधी टिप्पणियां

कार्यढांचे के अनुपालन में संबंधित उधारों की शेष परिपक्वताओं पर विचार करते हुए निर्धारित वार्षिक समस्त लागत सीमा के अंतर्गत आने वाले ऐसे संशोधन पर सहमति लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय बांडधारकों/उधारदाताओं को सहमति शुल्क दे दिया है। कंपनी ने ईसीबी की शेष परिपक्वताओं में भारतीय लेखांकन मानक 109 के तहत प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति के अनुसार सहमति शुल्क तद्नुसार परिशोधित कर दिया है।

17.8 ऋण प्रतिभूतियों एवं उधारियों की प्रतिभूति का विवरण

कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी प्रतिभूतियुक्त बॉण्डों और 31 मार्च, 2019 को बकाया के लिए कुछ अचल परिसंपत्तियों और/अथवा कंपनी के प्राप्य पर प्रभार पर 100% मार्टगेज करके प्रतिभूति कवर रखा गया है।.

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला 90, 90 बी- I I, 90 सी- I I, 91- I I और 92- I I, बॉण्डों का (क) फ्लैट नंबर 640, एशियाड विलेज, नई दिल्ली- को बंधक रखकर और (ख) हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्य रकमों के आधार पर समरूप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 24 सितंबर, 2010 को संयुक्त मालबंधन करार के आधार पर विस्ट्रा आईटीसीएल (भारत) लिमिटेड (जिसे पहले आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड नाम से जाना जाता था।) को मालबंधित रखकर प्राप्त होने वाली राशि शामिल नहीं है।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखलाएं 122 वर्तमान और भावी दोनों जारीकर्ता के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत हैं, जो दूसरे साहूकारों/न्यासियों पर प्रभारित हैं तथा जैसा भी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सेवा लि. के पक्ष में सभी मदों पर बकाया बॉण्डों की समग्र अंकित मूल्य राशि के एक बारगी न्यूनतम प्रतिभूति बीमा के साथ डिबेंचर/बॉण्ड ट्रस्ट सह मालबंधन विलेख की शर्तों के अनुपालन में निर्गमकर्ता और न्यासी के बीच सहमति हुई हो।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखलाएं 123-I, 123-IIIबी, विशिष्ट अचल संपत्ति तथा जारीकर्ता के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार पर प्रभारित करने के रूप में प्रतिभूत हैं, जो दूसरे साहूकारों / न्यासियों पर प्रभारित हैं तथा जैसा भी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सेवा लि. के पक्ष में सभी मदों पर बकाया बॉण्डों की समग्र अंकित मूल्य राशि के एक बारगी न्यूनतम प्रतिभूति बीमा के साथ बॉण्ड ट्रस्ट विलेख की शर्तों के अनुपालन में निर्गमकर्ता और न्यासी के बीच सहमति हुई हो।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए कर-मुक्त बॉण्ड, शॉप नं. 12, भूतल, ब्लॉक नं. 35, चर्च रोड, माइलापोर, चेन्नई में परिसरों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं और विस्ट्रा आईटीसीएल (भारत) लिमिटेड (जिसे पहले आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड नाम से जाना जाता था।) के पक्ष में एमएसईडीसीएल के ₹ 4,998.66 करोड़ की प्राप्यों पर मालबंधन हैं।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड एसबीआई कैप न्यासी कंपनी लि. के पक्ष में कंपनी के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं (उनसे भिन्न जो विशेष रूप से साहूकारों/अन्य न्यासियों के लिए प्रभारित/निर्दिष्ट हैं)।

वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान जारी किए गए 54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड की शृंखला X,XI और XII तथा कर मुक्त बॉण्ड (क) सब प्लाट नं. 8, टीपीएस सं. 2, एफपी सं. 584पी, जो गांव सुभानपुरा, जिला बड़ोदरा में स्थित है, परिसर के मार्टगेज और (ख) एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि. के पक्ष में प्राप्यों पर मालबंधन हैं (उनसे भिन्न जो विशेष रूप से साहूकारों /अन्य न्यासियों के लिए प्रभारित/निर्दिष्ट हैं)। पर समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया के आवधिक ऋणों को हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्य रकमों के आधार पर समरूप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 24 सितंबर, 2010 को संयुक्त मालबंधन करार के आधार पर विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड) को मालबंधित रखकर प्राप्त होने वाली राशि शामिल नहीं है।

प्रतिभूति के रूप में प्रतिज्ञापित प्राप्यों और संपत्ति, संयंत्र तथा संयंत्र एवं उपस्कर (पीपीई) के वहनीय मूल्य के लिए टिप्पणी 8 एवं 14.2 का संदर्भ लें।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

18. अधीनस्थ देयताएं

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(i) **175वीं श्रृंखला- अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स -** 8.97% सममूल्य पर 28.03.2029 को विमोचनीय	**2,151.20**	**2,151.24**	-	-	-	-
(ii) **115वीं श्रृंखला- अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स -** 8.06% सममूल्य पर 31.05.2023 को विमोचनीय	**2,500.00**	**2,667.52**	2,500.00	2,667.36	2,500.00	2,667.21
जोड़ - अधीनस्थ देयताएं	**4,651.20**	**4,818.76**	**2,500.00**	**2,667.36**	**2,500.00**	**2,667.21**
भारत के बाहर / में अधीनस्थ देयताएं						
(i) भारत में उधारियाँ	**4,651.20**	**4,818.76**	2,500.00	2,667.36	2,500.00	2,667.21
(ii) भारत के बाहर उधारियाँ						
जोड़ - अधीनस्थ देयताएं	**4,651.20**	**4,818.76**	**2,500.00**	**2,667.36**	**2,500.00**	**2,667.21**

18.1 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग तथा वर्ष के दौरान रेटिंग में बदलाव

घरेलू क्रेडिट रेंटिंग

विवरण	दीर्घावधि दरें	अल्पावधि दरें
क्रिसिल	क्रिसिल एएए	क्रिसिल ए1+
इक्रा	इक्रा एएए	इक्रा ए1+
केयर	केयर एएए	केयर ए1+
इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च	आईएनडी एएए	इंड ए1+

अंतराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

विवरण	रेटिंग	आउटलुक
फिच रेंटिंग	बीबीबी-	स्थिर (स्टेबल)
मूडीज	बीएए3	स्थिर (स्टेबल)

वर्ष के दौरान रेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

18.2 उधारियों के संबंध में वहनीय मूल्य और बकाया वास्तविक राशि के बीच सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण प्रतिभूतियां	अन्य उधारियां	अधीनस्थ देयताएं	कुल
31 मार्च 2019 के अनुसार				
भारतीय- लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	**192,839.79**	**46,662.54**	**4,818.76**	**244,321.09**
घटाएं: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	**(6,061.84)**	**(207.10)**	**(169.96)**	**(6,438.90)**
जोड़ें: प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर अंतरण लागत के संबंध में भारतीय- लेखांकन मानक समायोजन	**1,146.37**	**255.49**	**2.40**	**1,404.26**
कुल बकाया उधारियां	**187,924.32**	**46,710.93**	**4,651.20**	**239,286.45**
31 मार्च 2018 के अनुसार				
भारतीय- लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	179,140.13	22,631.42	2,667.36	204,438.91
घटाएं: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(5,836.08)	(84.64)	(168.38)	(6,089.10)
जोड़ें: प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर अंतरण लागत के संबंध में भारतीय- लेखांकन मानक समायोजन	260.90	179.86	1.02	441.78
कुल बकाया उधारियां	**173,564.95**	**22,726.64**	**2,500.00**	**198,791.59**
01 अप्रैल 2017 के अनुसार				
भारतीय- लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	148,723.25	21,700.17	2,667.21	173,090.63
घटाएं: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर उपचित ब्याज	(5,635.15)	(101.81)	(168.38)	(5,905.34)
जोड़ें: प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर अंतरण लागत के संबंध में भारतीय- लेखांकन मानक समायोजन	98.74	232.32	1.17	332.23
कुल बकाया उधारियां	**143,186.84**	**21,830.68**	**2,500.00**	**167,517.52**

19. अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(क) **अप्रदत्त लाभांश**	**4.15**	3.49	2.75
(ख) **वापसी योग्य बॉण्ड आवेदन राशि तथा इस पर उपचित ब्याज**	**0.05**	-	-
(ग) **अप्रदत्त मूलधन एवं बॉण्डों पर ब्याज**			
-परिपक्व बॉण्ड एवं उन पर उपचित ब्याज	**39.52**	47.03	51.54
-बॉण्डों पर ब्याज	**15.91**	14.27	15.19
उप-जोड (ग)	**55.43**	**61.30**	**66.73**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(घ)	**सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (संचयी)**	**77,352.65**	56,780.96	46,154.67
	जोड़ें: सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज (वापसी का निवल)	**17.23**	11.13	2.18
	घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित (संचयी)	**(76,843.10)**	(56,694.92)	(46,131.01)
	सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधि	**526.78**	**97.17**	**25.84**
(च)	**भारत सरकार द्वारा पूर्णतया सेवा प्रदत्त बाण्ड्स हेतु देय**	**17,996.06**	4,007.17	-
(छ)	निधिपोषित कार्मिक हितलाभों के लिए देय राशियां	**31.78**	2.84	13.63
(ज)	अन्य देयताएं	**137.50**	127.43	136.01
	जोड़ (क से ज तक)	**18,751.75**	**4,299.40**	**244.96**

19.1 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत सब्सिडी:

कंपनी एक ब्याज संबंधी सब्सिडी निधि खाते का रखरखाव कर रही है तथा उसे पात्र योजनाओं की वास्तविक प्रतिदेय समय अनुसूची, ऋण स्थगन वर्ष और प्रतिदेय अवधि की परवाह किए बिना भारत सरकार के पत्र सं. अ.शा. 32024/17/97-पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा ओ.एम.सं. 32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों एवं वर्ष के अनुसार परिकल्पित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एवं एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण हेतु) दी गयी थी। आहरण के समय विचार में ली गयी विनिर्दिष्ट दर एवं वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.63 करोड़ (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.53 करोड़, 1 अप्रैल 2017 के अनुसार ₹ 0.86 करोड़) की निवल राशि ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि को निरुपित करती है, जिसे त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के लिए दी जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक शेष	**0.53**	0.86
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	**0.11**	0.02
घटाएं: उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी सहायता	**0.01**	0.35
ब्याज सब्सिडी निधि का वर्ष के अंत में शेष	**0.63**	0.53

19.2 भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के क्रियान्वयन के लिए आरईसी लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों का संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों पृथक बैंक खाते में रखी जाती है। स्कीम (पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों सहित) की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित शीर्ष 'अन्य चालू देयताएं' के तहत 'असंवितरित सब्सिडी/अनुदान' के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई के खाते में ₹ 25.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 18.15 करोड़) की अर्जित ब्याज सब्सिडी जमा की गयी है। इसके अलावा वर्ष के दौरान विद्युत मंत्रालय को सब्सिडी पर कुल ब्याज में से ₹ 23.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 10.33 करोड़) की राशि वापस की गई है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

19.3 वर्ष की सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
आरंभिक शेष	**11.13**	2.18
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित व्यय	**70.21**	20.49
घटाएं: वर्ष के दौरान सरकार को वापस की गई राशि	**64.10**	11.32
घटाएं: एजी एवं एसपी अनुदान के खाते पर अर्जित ब्याज में से संवितरण	**0.01**	0.22
वर्ष के अंत में शेष	**17.23**	11.13

19.4 वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई स्कीम के लिए भारत सरकार की निधियन आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर सममूल्य ₹ 10 लाख के अंकित मूल्य के डिबेंचर के रूप में अप्रतिभूत, विमोचन, अपरिवर्तनीय, कर योग्य बॉण्ड के माध्यम से कुल ₹ 13,827 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4,000 करोड़) राशि जुटाई गई है। दिनांक 16 जुलाई, 2018 और 19 जुलाई 2018 को विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के पत्र के अनुसार उपर्युक्त बॉण्ड के मूल और ब्याज के अदायगी, विद्युत मंत्रालय की मांग पर भारत सरकार द्वारा बजट प्रावधान में की जाएगी । तदनुसार ब्याज के साथ-साथ इस प्रकार के बॉण्ड की राशि भी कंपनी द्वारा भारत सरकार से वसूली योग्य राशि के रूप में शामिल की गई है।

भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवाप्रदत्त जुटाये गए बॉण्ड्स का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	कूपन दर	ब्याज की आवृत्ति	विमोचन का दिनांक	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
जीओआई -I श्रृंखला	8.09%	अर्द्ध- वार्षिक	21/03/2028	**1,837.00**	1,837.00	-
जीओआई -II श्रृंखला	8.01%	अर्द्ध- वार्षिक	24/03/2028	**1,410.00**	1,410.00	-
जीओआई -III श्रृंखला	8.06%	अर्द्ध-वार्षिक	27/03/2028	**753.00**	753.00	-
जीओआई -IV श्रृंखला	8.70%	अर्द्ध- वार्षिक	28/09/2028	**3,000.00**	-	-
जीओआई -V श्रृंखला	8.54%	अर्द्ध- वार्षिक	15/11/2028	**3,600.00**	-	-
जीओआई -VI श्रृंखला	8.80%	अर्द्ध-वार्षिक	22/01/2029	**2,027.00**	-	-
जीओआई -VII श्रृंखला	8.60%	अर्द्ध- वार्षिक	08/03/2029	**1,200.00**	-	-
जीओआई - VIII श्रृंखला	8.30%	अर्द्ध- वार्षिक	25/03/2029	**4,000.00**	-	-
जोड़				**17,827.00**	**4,000.00**	**-**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

20. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
	निम्न के लिए प्रावधान			
(क)	**कार्मिक हितलाभ**			
	अर्जित अवकाश देयता	**11.51**	10.01	31.13
	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	**-**	105.19	97.15
	चिकित्सा अवकाश देयता	**21.67**	19.77	19.27
	निपटान भत्ता	**1.42**	1.24	1.27
	आर्थिक पुनर्वास योजना	**3.69**	3.34	3.45
	दीर्घ सेवा अवार्ड	**1.24**	2.57	2.83
	प्रोत्साहन	**46.99**	19.19	20.34
	वेतन पुनर्निर्धारण	**13.06**	58.90	14.59
	उप-जोड़ (क)	**99.58**	220.21	190.03
(ख)	**अन्य**			
	सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	**-**	0.16	23.97
	उप-जोड़ (ख)	**-**	**0.16**	**23.97**
	जोड़ (क + ख)	**99.58**	**220.37**	**214.00**

21. अन्य गैर - वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(क)	अग्रिम रूप से प्राप्त आय	**-**	-	0.08
(ख)	संड्री देयताओं का लेखा (ब्याज पूंजीकरण)	**21.99**	45.99	-
(ग)	असंवितरित ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	**25.76**	10.10	6.50
(घ)	भारत सरकार की तरफ से सरकारी योजनाओं के संबंध में अग्रिम प्राप्य	**5.17**	-	-
(च)	सांविधिक देय	**29.62**	33.52	26.26
	जोड़ (क से च)	**82.54**	**89.61**	**32.84**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

22. इक्विटी शेअर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत:						
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	**5,000,000,000**	**5,000.00**	5,000,000,000	5,000.00	5,000,000,000	5,000.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त:	**1,974,918,000**	**1,974.92**	1,974,918,000	1,974.92	1,974,918,000	1,974.92
प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर	**1,974,918,000**	**1,974.92**	**1,974,918,000**	**1,974.92**	**1,974,918,000**	**1,974.92**
जोड़						

22.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का सामंजस्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19		वित्तीय वर्ष 2017-18	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
वर्ष के प्रारंभ में पूंजीगत शेयरों की संख्या	**1,974,918,000**	**1,974.92**	1,974,918,000	1,974.92
जोड़े: वर्ष के दौरान जारी एवं आबंटित बोनस शेयर	**-**	**-**	-	-
वर्ष के अंत में पूंजीगत शेयरों की संख्या	**1,974,918,000**	**1,974.92**	**1,974,918,000**	**1,974.92**

22.2 पिछल वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान बोनस शेयरों का आबंटन

वित्तीय वर्ष 2016-17 को छोड़कर, जब कंपनी ने बोनस शेयरों के द्वारा पूर्णतया प्रदत्त के रूप में 98,74,59,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए थे, पिछल वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी बोनस शेयर जारी नहीं किया गया था।

22.3 कंपनी ने नकद में प्राप्त किए जा रहे भुगतान के बिना ठेके के अनुसरण में न तो कोई इक्विटी शेयर जारी किया है और न ही वर्तमान वर्ष और तुलन-पत्र की तिथि के पूर्व के पांच वर्षों में शेयरों की कोई बायबैक की है।

22.4 इक्विटी शेयर से जुड़े अधिकार, वरीयताएं और प्रतिबंध

कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें आनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को, कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों (लागू सीमा में), कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और संस्था के ज्ञापन तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

22.5 तुलन पत्र की तिथि के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारक:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.18 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
भारत के राष्ट्रपति	**-**	**0.00%**	1,151,678,783	58.32%	1,162,504,472	58.86%
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	**1,039,495,247**	**52.63%**	95,904	0.00%	95,904	0.00%
एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी ए/सी एचडीएफसी हाइब्रिड ऋण निधि	**114,683,937**	**5.81%**	46,084,438	2.33%	34,722,538	1.76%
भारतीय जीवन बीमा निगम	**54,913,706**	**2.78%**	55,151,984	2.79%	126,322,504	6.40%

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत के राष्ट्रपति ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए कम्पनी की निम्न शेयरधारिता का विनिवेश/बिक्री की।

विवरण	अवधि	शेयरों की संख्या	प्रतिशतता
01.04.2018 की स्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की होल्डिंग		1,151,678,783	58.32%
भारत 22 ईटीएफ के जरिए विनिवेश	जून 2018	(6,473,244)	-0.33%
सीपीएसई ईटीएफ फर्दर फंड ऑफर 3 (एफएफओ 3) के जरिए विनिवेश	दिसंबर 2018	(101,470,139)	-5.14%
भारत 22 ईटीएफ अतिरिक्त ऑफरिंग पीरियड (एओपी) के जरिए विनिवेश	फरवरी 2019	(4,336,057)	-0.22%
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड को स्टेक की बिक्री	मार्च 2019	(1,039,399,343)	-52.63%
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रपति होल्डिंग		-	0.00%

22.6 अनुषंगी और संबद्ध कंपनियों सहित कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	31.03.2019 के अनुसार		31.03.18 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	**1,039,495,247**	**52.63%**	95,904	0.00%	95,904	0.00%

23. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(क)	**अन्य आरक्षित निधि**			
(i)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	**15,136.78**	13,813.19	12,230.70
(ii)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	**3,034.72**	2,761.10	2,425.30
(iii)	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अधीन आरक्षित निधि	**1,153.00**	-	-
(iv)	डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि	**1,318.13**	1,121.54	924.95

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(v)	प्रतिभूति प्रीमियम	**2,236.54**	2,236.54	2,236.54
(vi)	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता	**(764.82)**	(86.29)	203.78
(vii)	सामान्य आरक्षित निधि	**5,177.40**	5,177.40	4,677.40
(ख)	**बरकरार रखा गया अर्जन**	**4,899.39**	5,114.51	5,696.31
(ग)	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**			
	- अन्य व्यापक आय के जरिए इक्विटी लिखतें	**136.88**	190.24	181.86
	जोड़ - अन्य इक्विटी	**32,328.02**	**30,328.23**	**28,576.84**

'अन्य इक्विटी' के घटक में जोड़ या कटौती का प्रकटन 'इक्विटी में परिवर्तन के विवरण' में किया गया है।.

23.1 आरक्षित निधि से ड्रॉ-डाउन

2018-19 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 को समाप्त वर्ष के दौरान रिजर्व से कोई धनराशि आहरित नहीं की गई है।

23.2 प्रतिभूति प्रीमियम

प्रतिभूत प्रीमियम कंपनी द्वारा शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है। इसका प्रयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

23.3 ऋण विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71(4) के उपबंधों के अनुसार, जिसे कारपोरेट कार्यालय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर्स) नियम, 2014 के अंतर्गत और स्पष्ट किया गया है, कंपनी ने ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता अवधि के दौरान, वर्तमान सेबी (ऋण परतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2008 के अनुसार पब्लिक इश्यू के मध्यम से डिबेंचरों के मूल्य के 25% तक डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) सृजित की है तथा निजी रूप से प्रतिस्थापित डिबेंचरों के मामले में डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि अपेक्षित नहीं है। डीआरआर में जमा राशि को डिबेंचर को रिडीम करने अतिरिक्त उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। डिबेंचर को रिडीम करने पर यह राशि डीआरआर से बरकरार रखे गए अर्जन में अंतरित की जाएगी।

23.4 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता

कंपनी ने पूर्व में लागू लेखांकन मानक 11 'विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों का प्रभाव' के पैरा 46ए के अनुसार ऐसी मदों की शेष अवधि की तुलना में दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विदेशी विनिमय उतार-चढ़ाव हानि/लाभ को परिशोधित करने के लिए एक ऐसे विकल्प को चुना है जिसे रद्द नहीं किया जा सकता है। भारतीय लेखांकन मानक 101 किसी कंपनी को पूर्व के जीएएपी के अनुसार पहली भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय संसूचन अवधि के आरंभ होने के तत्काल पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के लिए वित्तीय विवरणी में मान्यता प्राप्त दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के अंतरण के कारण होने वाले विनिमय अंतरों के लिए लेखांकन हेतु अपनाई गई नीति को जारी रखने की अनुमति देता है। इस खाते में शेष राशि अपरिशोधित लाभ (हानि) को दर्शाता है जिसका परिशोधन पात्र दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयताओं की शेष अवधि के दौरान किया जाएगा।

23.5 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, कंपनी दीर्घावधि वित्तीय क्रियाकलाप से प्राप्त होने वाले लाभ का अधिकतम 20 प्रतिशत तक कटौती के लिए पात्र है बशर्ते ऐसी राशि का अंतरण तथा उसे विशेष रिजर्व खाते में अंकित किया गया हो।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

23.6 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए रिजर्व, कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अनुसार कंपनी आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय का अधिकतम पांच प्रतिशत तक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी प्रावधान/रिजर्व के संबंध में कटौती प्राप्त करने के लिए पात्र है। इस प्रकार से रखे गए रिजर्व का प्राथमिक रूप से उपयोग वास्तविक अशोध्य ऋण अथवा उसके किसी हिस्से के समायोजन के लिए किया जाएगा।

23.7 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत रिजर्व निधि

वित्तीय वर्ष 2017-18 तक, एक सरकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के कारण इस कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत यथा उल्लिखित रिजर्व निधि का सृजन करने और उसे रखने से छूट प्राप्त थी। हालांकि, उक्त छूट को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अधिसूचना संख्या डीएनबीआर (पीडी) सीसी नं. 092/03.10.001/2017-18 दिनांक 31 मई, 2018 की अधिसूचना के माध्यम से वापस ले लिया गया था। तद्नुसार, कंपनी अब आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत यथाअपेक्षित रिजर्व निधि सृजित कर रही है जिसमें प्रत्येक वर्ष निवल लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत लाभांश की घोषणा किए जाने से पूर्व अंतरित किया जाएगा। सिर्फ उस उद्देश्य जिसका उल्लेख बैंक द्वारा समय-समय पर किया जाए, को छोड़कर रिजर्व निधि से कोई विनियोजन किए जाने की अनुमति नहीं दी गई है और इसके अलावा इस प्रकार का कोई विनियोजन भी इसे वापस लिए जाने की तिथि से 21 दिनों के भीतर बैंक को सूचित किया जाना अपेक्षित है।

23.8 सामान्य रिजर्व

कंपनी अधिनियम, 1956 के पूर्व के प्रावधानों को देखते हुए, कंपनी ने लाभांश की घोषणा के पूर्व सामान्य रिजर्व में इन लाभों का कुछ प्रतिशत अंतरित किया था। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 लाभांश की घोषणा किए जाने के पूर्व सामान्य रिजर्व में लाभों को अंतरित करने का अधिकार नहीं देता है।

23.9 अन्य व्यापक आय (ओसीआई)

कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी प्रतिभूति में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों की पहचान करने के लिए चयन किया है। इन परिवर्तनों को इक्विटी के भीतर अन्य व्यापक आय रिजर्व में संचित किया जाता है। यह समूह इस रिजर्व से धारित आय में राशियों का तब अंतरण करता है जब संबंधित इक्विटी प्रतिभूति की मान्यता समाप्त की जाती है।

23.10 कंपनी द्वारा प्रत्येक 10/- रुपए के इक्विटी शेयरों के लिए प्रस्तावित/घोषित लाभांश

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	
	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश	लाभांश राशि	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश	लाभांश राशि
	(₹)	(₹ करोड़ में)	(₹)	(₹ करोड़ में)
अंतरिम लाभांश	**11.00**	**2,172.41**	7.40	1,461.44
अंतिम प्रस्तावित लाभांश	**-**	**-**	1.75	345.61
वर्ष के लिए कुल लाभांश	**11.00**	**2,172.41**	**9.15**	**1,807.05**

भारतीय लेखांकन मानक 10 की अपेक्षाओं के अनुसार 'संसूचन अवधि के बाद की घटनाएं', इस कंपनी को वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात निदेशक बोर्ड द्वारा प्रस्ताव किए गए लाभांश के लिए प्रावधान करने हेतु अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार का विनियोजन अंतिम लाभांश के मामले में वार्षिक आम सभा (एजीएम) में अनुमोदन के पश्चात किया जाता है। लाभांश वितरण कर के प्रभाव सहित अंतिम प्रस्तावित लाभांश के कारण कुल भुगतान नीचे दिया गया है:

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
अंतिम प्रस्तावित लाभांश	-	345.61
अंतिम प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	71.04
अंतिम प्रस्तावित लाभांश के कारण कुल अदायगी	**-**	**416.65**

24. ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष			31.03.2018 को समाप्त वर्ष		
	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर	परिशोधित पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्यों पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर	परिशोधित पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्यों पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर
(क) ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज						
(i) दीर्घावधि वित्तपोषण	-	24,405.17	-	-	21,386.39	-
घटाएं: समय पर अदायगी/ कार्य पूरा करने आदि के लिए छूट		(6.11)			(16.43)	
दीर्घावधि वित्तपोषण (निवल)	-	24,399.06	-	-	21,369.96	-
(ii) अल्पावधि वित्तपोषण	-	328.84	-		426.61	
उप-जोड़ (क)	**-**	**24,727.90**	**-**	**-**	**21,796.57**	**-**
(ख) निवेशों पर ब्याज आय						
(i) सीपी/ आईसीडी पर ब्याज	-	0.67	-		0.98	
(ii) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	-	9.43	-		16.98	
(iii) दीर्घावधि निवेशों पर ब्याज	-	15.63	168.25		29.41	168.25
उप-जोड़ (ख)	**-**	**25.73**	**168.25**	**-**	**47.37**	**168.25**
(ग) बैंकों के पास जमाओं पर ब्याज						
(i) जमाओं पर ब्याज	-	42.40	-		68.66	
उप-जोड़ (ग)	**-**	**42.40**	**-**	**-**	**68.66**	**-**
(घ) अन्य आय पर ब्याज						
(i) आयकर वापसी पर ब्याज	-	-	-		0.62	
(ii) कार्मिकों को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज	-	3.89	-		4.33	
(iii) अनुषंगी कंपनियों पर ब्याज	-	-	-		0.03	
(iv) मोबलाइजेशन अग्रिमों पर ब्याज	-	2.80	-		3.68	
(V) अनविन्डिंग ऑफ डिस्काउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स		0.05			0.04	
उप-जोड़ (घ)	**-**	**6.74**	**-**	**-**	**8.70**	**-**
जोड़ (क से घ)	**-**	**24,802.77**	**168.25**	**-**	**21,921.30**	**168.25**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

25. लाभांश आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
-अनुषंगी कंपनियों पर लाभांश	**90.84**	25.91
-म्यूचुअल फंड्स पर लाभांश	**-**	-
-अन्य निवेशों पर लाभांश	**22.77**	39.77
जोड़-लाभांश आय	**113.61**	**65.68**

25.1 एफवीओसीआई में नामोद्दिष्ट इक्विटी निवेशों पर मान्य लाभांश का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
निम्न पर लाभांश:		
-वर्ष के अंत में धारित निवेशों पर	**22.53**	39.77
-वर्ष के दौरान अमान्य किए गए निवेशों पर	**0.24**	-
जोड़	**22.77**	**39.77**

26. शुल्क एवं कमीशन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
शुल्क आधारित आय	**2.78**	5.19
पूर्व अदायगी प्रीमियम	**139.29**	106.41
सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शुल्क	**83.02**	187.79
जोड़- शुल्क एवं कमीशन आय	**225.09**	**299.39**

27. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
-रिटेन बैक किया गया प्रावधान	**10.37**	-
-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से शुल्क	**8.69**	6.85
-विविध आय	**12.38**	5.88
जोड़	**31.44**	**12.73**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

28. वित्तीय लागत

वित्तीय लागतें वित्तीय देयताओं पर खर्च की गई हैं और इनका मापन परिशोधित लागत पर किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
(i) **ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज**		
-घरेलू ऋण प्रतिभूतियां	**12,971.21**	11,901.20
-विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां	**441.83**	124.01
-वाणिज्यिक दस्तावेज	**402.84**	135.60
उप-जोड़ (i)	**13,815.88**	**12,160.81**
(ii) **उधारियों पर ब्याज**		
-भारत सरकार से ऋण	**121.84**	-
-बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण	**594.29**	87.33
-बाह्य वाणिज्यिक दस्तावेज	**914.19**	888.11
उप-जोड़ (ii)	**1,630.32**	**975.44**
(iii) **अधीनस्थ देयताओं पर ब्याज**		
-अधीनस्थ बॉण्ड	**203.25**	201.65
उप-जोड़ (iii)	**203.25**	**201.65**
(iv) **अन्य ब्याज व्यय**		
-अग्रिम आयकर पर ब्याज	**3.46**	5.53
उप-जोड़ (iv)	**3.46**	**5.53**
जोड़ - वित्तीय लागत	**15,652.91**	**13,343.43**
घटाएं: पूंजीकृत वित्तीय लागत	**(11.37)**	(6.32)
जोड़- वित्तीय लागत (निवल)	**15,641.54**	**13,337.11**

29. निवल ट्रांसलेशन / लेन-देन विनिमय हानि / (लाभ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
निवल ट्रांसलेशन / लेन-देन विनिमय हानि / (लाभ)	**521.19**	19.37
जोड़	**521.19**	**19.37**

ऊपर दिए गए आंकड़ों में 1 अप्रैल 2018 से पहले वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर निवल ट्रांसलेशन/लेन-देन विनिमय हानि / (लाभ) का परिशोधन शामिल है, जिसकी कुल राशि ₹726.35 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष ₹ 21.67 करोड़) है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

29.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड) की संदर्भ दरों पर अंतरित की जाती हैं अथवा जहां एफबीआईएल संदर्भ दरें किसी मुद्रा के लिए उपलब्ध न हों, वहां ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसी दर के लिए अंतिम दर पर अंतरित की जाती है। रिपोर्ट करने की तारीख को संबंधित दरें निम्नलिखितानुसार हैं:

विनिमय दरें	यूएसडी / आईएनआर	जेपीआई/ आईएनआर	यूरो/ आईएनआर
31 मार्च 2019 के अनुसार	**69.1713**	**0.6252**	**77.7024**
31 मार्च 2018 के अनुसार	65.0441	0.6154	80.6222
1 अप्रैल 2017 के अनुसार	64.8386	0.5796	69.2476

* एफबीआईएल संदर्भ दरों की शुरुआत से पहले, कंपनी द्वारा आरबीआई की संदर्भ दरों का उपयोग किया जा रहा था। आरबीआई ने 10 जुलाई, 2018 से यूएसडी/आईएनआर के लिए संदर्भ दरों की गणना और प्रसार तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर का दायित्व एफबीआईएल को सौंप दिया है।

30. शुल्क एवं कमीशन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
(i) गारंटी शुल्क	**11.06**	13.81
(ii) सूचीकरण एवं ट्रस्टीशिप शुल्क	**1.67**	1.54
(iii) एजेंसी शुल्क	**0.78**	1.65
(iv) क्रेडिट रेटिंग व्यय	**2.85**	5.95
(v) अन्य वित्तीय प्रभार	**18.02**	1.63
जोड़ (i से iv)	**34.38**	**24.58**

31. उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल प्राप्ति/ (हानि)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
(क) लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय उपस्करों पर निवल प्राप्ति/ (हानि)		
(i) ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर	**-**	-
(ii) लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट वित्तीय उपस्करों पर		
- व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तन	**(351.52)**	(586.76)
- म्यूचुअल फंड में अतिरिक्त निधि के अल्पावधि निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन	**3.00**	13.39
उप-जोड़ (ii)	**(348.52)**	(573.37)
जोड़ (क)	**(348.52)**	**(573.37)**
उचित मूल्य परिवर्तनों का ब्यौरा		
- प्राप्त	**(619.05)**	(817.51)
- अप्राप्त	**270.53**	244.14
उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल निवल प्राप्ति/ (हानि)	**(348.52)**	**(573.37)**

* इस सिड्यूल में उचित मूल्य परिवर्तन उनसे अलग हैं, जिनकी उपज उपचित ब्याज आय/व्यय के कारण हुई हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

32. वित्तीय लिखतों पर हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	
	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर
(i) - ऋण	**-**	**222.32**	-	2,290.43
(ii) - अन्य	**-**	**18.01**	-	6.69
जोड़ (i+ii+iii)	**-**	**240.33**	**-**	**2,297.12**

33. कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
- वेतन और भत्ते	**111.39**	128.65
- भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	**14.65**	13.96
- उपदान	**2.89**	1.63
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा संबंधी व्यय	**8.81**	9.24
- कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा संबंधी किराया	**0.69**	1.64
- कार्मिक कल्याण व्यय	**19.10**	17.30
जोड	**157.53**	**172.42**

33.1 कार्मिकों के आवासीय निवास के लिए किराए के आवासों, जो कार्मिकों के आवासीय प्रयोग के लिए, लिए उपयोग में लाए जाते हैं, और सामान्यतः पारस्परिक सहमति की शर्तों पर नवीकरणीय हैं तथा रद्द किए जा सकते हैं, के लिए पट्टा व्यवस्था पर किराये (निवल वसूलियों) के निमित्त हैं।

33.2 कंपनी के कार्मिकों का वेतन निर्धारण

कंपनी के कार्मिकों का वेतन निर्धारण 1 जनवरी 2017 से लंबित था। कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा गठित तीसरे वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालक स्तर के कार्मिकों के वेतनमान में संशोधन को क्रियान्वित कर दिया था। इसके अलावा, गैर- कार्यपालक कार्मिकों के वेतन संशोधन को भी मार्च 2019 में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और इस संबंध में बकाया राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कर जाएगा।

34. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
- संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर पर मूल्यह्रास	**5.66**	5.02
- मूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन	**1.51**	0.63
जोड़	**7.17**	**5.65**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

35. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
- प्रत्यक्ष व्यय	**98.83**	46.67
- ओवरहेड्स	**4.56**	2.78
जोड़	**103.39**	**49.45**

35.1 सीएसआर व्यय के संबंध में प्रकटीकरण:

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	**157.29**	161.95
पिछले वर्ष से अग्रेषित	**189.27**	76.77
खर्च की जाने वाली सकल अपेक्षित राशि	**346.56**	238.72
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	**103.39**	49.45
खर्च नहीं की गई राशि	**243.17**	189.27

(ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 को समाप्त वर्ष			31.03.2018 को समाप्त वर्ष		
		नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल
(i)	**किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण**	**-**	**-**	**-**	-	-	-
(ii)	**उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजन पर**						
	स्वच्छता / अपशिष्ट प्रबंधन / पेयजल			**-**			-
	शिक्षा / व्यावसायिक / कौशल विकास			**-**			-
	पर्यावरणीय संधारणीयता (सौर अनुप्रयोग / वनीकरण / ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	**98.83**		**98.83**	45.86	0.81	46.67
	प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक ऊपरी खर्चे	**4.56**	**-**	**4.56**	2.78	-	2.78
	जोड़ (ii)	**103.39**	**-**	**103.39**	**48.64**	**0.81**	**49.45**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

36. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
- यात्रा एवं वाहन सुविधा	**14.99**	12.59
- प्रचार एवं प्रोन्नति व्यय	**81.72**	8.56
- मरम्मत और अनुरक्षण	**6.91**	8.96
-किराया, दरें एवं ऊर्जा लागतें	**13.91**	10.67
-बीमा प्रभार	**0.05**	0.16
-संप्रेषण लागत	**2.51**	2.44
-प्रिंटिंग और स्टेशनरी	**3.72**	3.26
-निदेशकों के बैठक शुल्क	**0.24**	0.18
-लेखा परीक्षकों का शुल्क एवं व्यय	**1.58**	1.24
-विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	**11.47**	6.75
-डोनेशन एंड चैरिटी	**2.00**	-
-संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के निपटान पर निवल हानि	**0.86**	0.56
-मॉनिटरिंग व्यय	**19.29**	28.25
-विविध व्यय	**27.36**	20.51
जोड़	**186.61**	**104.13**

36.1 लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय के संबंध में प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिया गया शुल्क:		
-लेखापरीक्षक के रूप में	**0.44**	0.40
-कराधान मामलों के लिए*	**0.28**	0.11
-कंपनी के कानूनी मामलों के लिए (सीमित समीक्षा शुल्क सहित)	**0.45**	0.26
-अन्य सेवाओं के लिए		
(i) एमटीएन ऑफर दस्तावेज / कम्फर्ट लेटर का प्रमाणन	**0.20**	0.30
(ii) अन्य प्रमाणन	**0.08**	0.05
- व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	**0.03**	0.02
उप-जोड़	**1.48**	**1.14**
लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क के संबंध में गैर-वसूली योग्य कर जमा	**0.10**	0.10
जोड़- लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय	**1.58**	**1.24**

* पिछले वर्षों से संबंधित कर लेखापरीक्षा शुल्क रु 0.09 करोड़ (पिछले वर्ष रु 0.02 करोड़) शामिल है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

37. कर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
- चालू कर व्यय	**1,805.65**	2,170.40
- पिछले वर्षों से संबंधित चालू कर व्यय/ (लाभ)	**(14.01)**	10.19
- उप-जोड़ - चालू कर	**1,791.64**	**2,180.59**
- आस्थगित कर व्यय /(क्रेडिट)	**545.14**	(716.33)
जोड़	**2,336.78**	**1,464.26**

37.1 प्रभावी कर दर का सामंजस्य

लाभ एवं हानि विवरण में सूचित किए गए आयकर व्यय की सांविधिक आयकर दर पर अनुमानित आयकर व्यय का पुनर्समाधान निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	**8,100.50**	5,884.15
सांविधिक आयकर व्यय	**34.944%**	**34.608%**
प्रत्याशित आयकर व्यय	**2,830.64**	2,036.39
आयकर समायोजनों का कर प्रभाव:		
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती के लाभ	**(462.51)**	(542.45)
सीएसआर व्यय की अनुमति न होना	**19.08**	10.15
गैर-कटौती योग्य अन्य कर व्यय	**0.43**	2.14
अग्रिम आयकर पर ब्याज जिसकी अनुमति नहीं दी गई	**1.20**	1.91
आय में छूट	**(38.05)**	(20.79)
पूर्व वर्षों का आयकर	**(14.01)**	10.19
भिन्न कर दरों का प्रभाव	**-**	(33.28)
कर व्यय	**2,336.78**	**1,464.26**

37.2 लागू कर दर शिक्षा उप कर में 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत की वृद्धि के कारण चालू वित्तीय वर्ष में 34.608 प्रतिशत से बढ़कर 34.944 प्रतिशत हो गई है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

38. अर्जन प्रति शेयर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
गुणक (न्यूमरेटर)		
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ (करोड़ ₹ में)	**5,763.72**	**4,419.89**
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत तथा बंद प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ (करोड़ ₹ में)	**5,763.72**	4,419.89
हर (डिनोमिनेटर)		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**1,974,918,000**	1,974,918,000
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (10/- ₹ प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (सतत प्रचालनों के लिए)	**29.18**	22.38
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (सतत तथा बंद प्रचालनों के लिए)		
	29.18	22.38

39. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

39.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्न के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(क) **कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है**	**0.08**	0.08	2.37
(ख) **कराधान मांग**			
-आयकर विभाग द्वारा की गई मांग	**86.01**	57.16	42.77
-कंपनी को दी गई राहत के विरुद्ध आयकर विभाग द्वारा दायर अपीलों के विरुद्ध मांग	**30.42**	37.07	40.18
-सेवा कर के संबंध में की गई मांग	**0.36**	0.36	0.36
(ग) **अन्य**			
- सुविधा पत्र	**-**	13.51	173.36

उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित राशि जो माध्यस्थ मामलों सहित विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में है और न्यायालय/माध्यस्थ के मामलों के निपटान के परिणाम पर निर्भर करती है।

उपर्युक्त 'ख' में उल्लिखित राशि दिल्ली उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों सहित आयकर विभाग/सेवा कर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों के विरुद्ध है। कंपनी इन कर मांगों का विरोध कर रही है और प्रबंधन का विश्वास है कि उसकी स्थिति अपील प्रक्रिया में माने जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम से कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणामों पर वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

39.2 प्रतिबद्धताएं जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
- पूंजीगत लेखे में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाएं			
- संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के संबंध में	**362.23**	403.75	272.33
- अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	**2.82**	1.93	2.60
- अन्य प्रतिबद्धताएं			
- सीएसआर प्रतिबद्धताएं	**299.16**	260.12	143.98

40. वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण /लाइसेंस / प्राधिकार का ब्योरा:

विवरण		नियामक का नाम	पंजीकरण का ब्योरा
(i)	कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	L40101DL1969GOI005095
(ii)	पंजीकरण संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक	14.000011
(iii)	लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर (एलईआई) कोड	ग्लोबल लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ)	335800B4YRYWAMIJZ374

41. सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

41.1 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

भारत सरकार ने देश में सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण के लिए ''प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना'' - सौभाग्य स्कीम शुरूकी है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों को और शहरी क्षेत्रों में गरीब घरों को 31 मार्च, 2019 तक अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत के कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है। सौभाग्य स्कीम का पूंजीगत परिव्यय पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान ₹ 12,320 करोड़ की कुल बजटीय सहायता सहित 16,320 करोड़ रूपए है। विद्युत मंत्रालय ने सौभाग्य स्कीम के प्रचालन के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। राज्यों/विद्युत यूटिलिटियों और अन्य दावेदारों के सक्रिय सहयोग एवं सहायता से सौभाग्य स्कीम की शुरूआत से 31 मार्च, 2019 तक संचयी रूप से 2.62 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, 2.22 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। तद्नुसार, सभी राज्यों (18,734 गैर-विद्युतीकृत घरों वाले छत्तीसगढ़ को छोड़कर) ने घरों का विद्युतीकरण पूरा करने में अपनी उपलब्धि घोषित कर दी है।

41.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) ग्रामीण विद्युत वितरण की सभी पहलों को शामिल करने वाली भारत सरकार की अग्रणी योजना है। इस स्कीम के तहत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) भारत सरकार के अनुदान के रूप में और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर 15 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। डीडीयूजीजेवाई निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से देश में 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' हासिल करने के लिए सुविधा प्रदान करती है:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति तथा गैर-कृषि उपभोक्ताओं को सतत विद्युत आपूर्ति सुकर बनाने के लिए कृषि तथा गैर-कृषि फीडरों को पृथक करना;

(ii) वितरण ट्रांसफार्मर/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण तथा वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना और उसकी वृद्धि करना;

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iii) माइक्रो-ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क;

(iv) डीडीयूजीजेवाई में समाहित आरजीजीवीवाई 12वीं एवं 13वीं योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण घटक।

उपर्युक्त योजना के (i) तथा (ii) पर घटकों का अनुमानित परिव्यय ₹ 43,033 करोड़ होगा जिसमें पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से ₹ 33,453 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है। 12वीं तथा 13वीं योजना में जारी रखने के लिए सीसीईए द्वारा अनुमोदित आरजीजीवीवाई की स्कीम पृथक ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक के रूप में इस योजना में मिला दी गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पूरे देश में राज्य विद्युत यूटिलिटियों/डिस्कॉमों द्वारा सरकारी कार्यक्रमों (डीडीयूजीजेवाई तथा सौभाग्य) कार्यान्वित करने के उपयोग के लिए विद्युत मंत्रालय से ₹ 20,593 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ है।

41.3 ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को विद्युत क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरूकिया गया। यह योजना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों से अधिक में विस्तारित रु 8,466 करोड़ की समग्र रूप पर ब्याज सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांककों को भुगतान तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

42. पूंजी प्रबंधन

यह समूह यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूंजी का प्रबंधन करता है कि वह दावेदारों को अधिकतम आय करते हुए एक चलती हुई संस्था के रूप में जारी रहेगा। समूह की पूंजीगत संरचना में समूह द्वारा किए गए दीर्घावधि उधार तथा इक्विटी शामिल हैं।

प्रबंधन अत्यधिक वृद्धि से बचते हुए दक्ष समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने के लिए समूह की पूंजीगत आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। यह समूह पूंजीगत संरचना का प्रबंधन करता है और गतिशील व्यापारिक पर्यावरण तथा क्षेत्र के अंतर्गत परिसमाप्यता की स्थिति के आलोक में उपयुक्त साधनों के माध्यम से निधियां जुटाता है। इसके अतिरिक्त, पूंजी पुनर्गठन के संबंध में समूह को अन्य बातों के साथ-साथ विनिवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा बोनस शेयर, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों की वापसी आदि जारी करने के संबंध में जारी किए गए ''केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूंजी पुनर्गठन'' के संबंध में दिशा-निर्देशों से भी दिशानिर्देशित होता है। इस समूह ने बाहरी रूप से लगाई गई सभी पूंजीगत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

समूह का इक्विटी अनुपात निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
कुल ऋण	**239,286.45**	198,791.59	167,517.52
निवल कीमत	**34,302.94**	32,303.15	30,551.76
ऋण - इक्विटी अनुपात	**6.98**	6.15	5.48

कुल ऋण बकाया मूल को दर्शाता है।

लाभांश वितरण नीति

निदेशक बोर्ड कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश भुगतान की मॉनीटरिंग करता है। कंपनी की लाभांश वितरण नीति विभिन्न कारकों पर जोर देती है जिनमें वर्तमान एवं भावी पूंजीगत आवश्यकताएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

की पूंजी, वैकल्पिक स्रोतों से निधियां जुटाने की लागत, नकद प्रवाह स्थिति और समय-समय पर लागू दिशा-निर्देशों के अधीन लाभांश पर कर सहित लागू कर नकद प्रवाह स्थिति और समय-समय पर लागू दिशा-निर्देशों के अधीन कंपनी का निवल मूल्य शामिल है, परंतु यह यहीं तक सीमित नहीं है।

डीआईपीएएम, भारत सरकार द्वारा जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी को पीएटी का 30 प्रतिशत, न्यूनतम वार्षिक लाभांश अथवा निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, देना अपेक्षित होता है। यद्यपि, कंपनी इन दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है, तथापि, विभिन्न वित्तीय मानदंडों, नकद प्रवाह स्थिति और भावी वृद्धि के लिए अपेक्षित निधियों के विश्लेषण के बाद कम लाभांश प्रस्तावित कर सकती है।

कंपनी ने अपने प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियां भी अपनाई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति, व्हीसल ब्लोअर नीति, आरईसी इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में भीतरी व्यापार के निरोध के लिए संहिता, धोखाधड़ी रोकने के लिए नीति, व्यापक व्यवहार संहिता, बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नीतियां, उचित परिपाटी संहिता आदि शामिल हैं।

43. जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात में पूंजी

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं का पालन कर रही है। एक एनबीएफसी और अवसंरचना वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) होने के नाते आरईसी को 15 प्रतिशत (न्यूनतम 10 प्रतिशत टियर-1 पूंजी के साथ) के जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) में पूंजी बनाए रखना अपेक्षित होता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(i)	सीआरएआर (%)	**17.77%**	17.00%	18.97%
(ii)	सीआरएआर- टियर I पूंजी (%)	**14.44%**	14.40%	16.16%
(iii)	सीआरएआर- टियर II पूंजी (%)	**3.33%**	2.60%	2.81%

वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाई टियर-।। पूंजी एवं बेमियादी ऋण लिखत का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18
टियर-।। पूंजी के रूप में जुटाये गए अधीनस्थ ऋण की राशि	**2,151.20**	-
बेमियादी ऋण लिखत के निर्गम द्वारा जुटायी गयी राशि	**-**	-

44. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

इस समूह के निदेशक बोर्ड की कंपनी जोखिम प्रबंधन कार्य ढांचे की स्थापना और नजर रखने की समग्र जिम्मेदारी है। इस समूह ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋण जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम और संगठन का बाजार जोखिम शामिल है। इस समूह की जोखिम प्रबंधन नीतियां विभिन्न जोखिम श्रेणियों, स्वतंत्र जोखिम दृष्टि और आवधिक मॉनीटरिंग के लिए उपयुक्त सुपरिभाषित नीतियों द्वारा दिशा-निर्देशित होती हैं। एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का भी गठन किया गया है जिसका मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उनकी मॉनीटरिंग करना तथा उन्हें कम करने के लिए कार्रवाई सुझाव देना है।

इस टिप्पणी में जोखिम के स्रोतों को स्पष्ट किया गया है जिनमें कंपनी सामने आती है और कंपनी कैसे वित्तीय विवरण में जोखिम तथा संबंधित प्रभाव का प्रबंधन करती है:

लेखा संबंधी टिप्पणियां

जोखिम	से उत्पन्न होने वाली स्थिति	माप	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद एवं नकद समतुल्य, ऋण, व्यापार प्राप्य, परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां, ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	पुराना विश्लेषण	बैंक जमा, परिसमाप्त निधियां, परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण, ऋण सीमाएं एवं पार्श्विक
तरलता जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां, सहायक देयताएं एवं अन्य वित्तीय देयताएं	चल रहे नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम - मुद्रा जोखिम	मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां तथा भारतीय ₹ (आईएनएआर) में न बताई गई देयताएं	नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	व्युत्पन्न संविदाएं/हेजिंग, यदि आवश्यकता हो
बाजार जोखिम - ब्याज दर जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां और परिवर्तनीय ब्याज दरों पर सहायक देयाताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम - इक्विटी कीमत जोखिम	उल्लिखित इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	नीतिगत निवेशों पर जोर देकर पोर्टफोलियो का विविधीकरण

जोखिम के अत्यधिक संकेंद्रण से बचने के लिए समूह की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविधीकृत पोर्टफोलियो बनाए रखने पर जोर देने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश शामिल हैं। ऋण जोखिमों के अभिज्ञात संकेंद्रणों का नियंत्रण एवं प्रबंधन तद्नुसार किया जाता है:

44.1 ऋण जोखिम

ऋण जोखिम उस जोखिम से संबंधित है जिसे प्रतिपक्ष अपने संविदागत दायित्वों के संबंध में चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप समूह को वित्तीय हानियां होती हैं। ऋण जोखिम में समूह की स्थिति मुख्य रूप से नकद एवं नकद समतुल्य, अन्य बैंक शेषों, निवेशों, ऋण परिसंपत्तियों, व्यापार प्राप्यों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से प्रभावित होती है। यह समूह ग्राहकों तथा अन्य प्रतिपक्षकारों की चूकों की निरंतर मॉनीटरिंग करता है और इस सूचना को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल करता है।

44.1.1 वित्तीय परिसंपत्तियां जो एंटिटी को ऋण जोखिम में दर्शाती हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(i) वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि पर कम ऋण जोखिम			
नकद और नकद समतुल्य	**342.94**	212.00	4,465.95
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	**1,253.31**	1,570.07	28.44
ऋण *	**256,448.62**	207,067.88	184,379.61
निवेश **	**1,604.03**	1,959.57	2,053.89
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**18,369.17**	4,237.16	59.75
(ii) मध्यम ऋण जोखिम			
ऋण *	**4,412.62**	15,266.53	12,850
(iii) उच्च ऋण जोखिम			
ऋण *	**20,348.44**	17,128.42	4,872.69

* प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूलधन (सुविधा पत्रों के संवितरित न किए गए सहित) दर्शाता है।

** इसमें उल्लिखित इक्विटी निवेशों और उद्यम पूंजी निधियों में निवेश शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें एफवीओसीआई पर लिया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

नकद एवं नकद समतुल्य तथा बैंक जमा

नकद एवं नकद समतुल्यों और बैंक जमाओं से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन निवेश ग्रेड रेटेड दस्तावेजों तथा अत्यधिक रेटेड बैंकों और पूरे देश में विभिन्न दस्तावेजों/बैंकों में निवेश कर जमा आधार का विविधीकरण करके भी पार्किंग निधियों से किया जाता है।

ऋण

उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण जोखिम भावी परियोजना ऋण परिसंपत्तियों, प्राप्य, मालसूची अथवा अन्य किसी परिसंपत्ति, सरकारी गारंटी, निगम गारंटी आदि और अतिरिक्त रूप से सहायकों, जहां भी अपेक्षित हो, के हाइपोथिकेशन द्वारा ऋणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से कम किए जाते हैं। यह कंपनी उधारकर्ता की ऋण सीमाओं को परिभाषित करने और ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत तथा परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया विश्लेषण से बनाए गए सुपरिभाषित कंपनी मूल्यांकन दिशा-निर्देशों के माध्यम से संवर्धकों की ऋण योग्यता का बारीकी से मूल्यांकन करती है जिससे पूर्व परिकलित धनराशि का ऋण जोखिम सीमित होता है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन सिद्धांत, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा ऋण जोखिम कम करने के उपाय, पूर्व संवितरण शर्तों के रूप में शामिल होते हैं।

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कार्मिकों तथा सहायक कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम, प्रतिभूति जमा तथा अन्य वसूली योग्य धनराशि, भारत सरकार से ली गई राशि सहित शामिल होते हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी धनराशि को वसूल करने की क्षमता का निरंतर मॉनीटरिंग कर प्रबंधन किया जाता है।

44.1.2 ऋणों एवं व्यापार प्राप्यों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानियां (ईसीएल)

कंपनी में किसी भी ऋण हानि की प्रत्याशा के लिए अलग वित्तीय दस्तावेज का मूल्यांकन कर ऋण एवं व्यापार प्राप्यों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए प्रावधान है:

- **नकद एवं नकद समतुल्यों और अन्य बैंक शेषों के लिए -** चूंकि, कंपनी बैंकिंग प्रचालनों के लिए केवल हाई रेटेड बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ कार्य करती है तथा निधियों की श्रेणी को अधिशेष निधियों के अल्पकालिक निवेश के लिए निरंतर उच्च रिकार्ड के साथ ऋण निधियों में परिसमाप्त करती है, अतः नकद एवं नकद समतुल्यों, अन्य बैंक शेषों और बैंक जमाओं के संबंध में ऋण जोखिम बहुत कम मूल्यांकित किया जाता है।
- **निवेश के लिए -** यह मानते हुए कि राज्य सरकार/न्यूनतम निवेश ग्रेड वाली सरकारी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऋण प्रतिभूतियों में निवेश है, ऋण जोखिम कम माना जाता है।
- **अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए -** ऋण जोखिम का मूल्यांकन उन पक्षकारों की ऋण योग्यता के संबंध में कंपनी की जानकारी के आधार पर किया जाता है और हानि भत्ता आरंभिक माने गए आधार पर 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए मापा जाता है तथा ऋण जोखिम में काफी वृद्धि पर जीवन पर्यन्त प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए प्रावधान होता है।

ऋण एवं व्यापार प्राप्य को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का ब्यौरा निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है:

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल भार राशि	ईसीएल	निवल भार राशि
31 मार्च 2019 के अनुसार			
नकद और नकद समतुल्य	342.94	-	342.94
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	1,253.31	-	1,253.31
निवेश	1,604.03	-	1,604.03
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ *	18,369.17	26.69	18,342.48
31 मार्च 2018 के अनुसार			
नकद और नकद समतुल्य	212.00	-	212.00
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	1,570.07	-	1,570.07
निवेश	1,959.57	-	1,959.57
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ *	4,237.16	12.27	4,224.89
1 अप्रैल 2017 के अनुसार			
नकद और नकद समतुल्य	4,465.95	-	4,465.95
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	28.44	-	28.44
निवेश	2,053.89	-	2,053.89
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ *	59.75	5.59	54.16

* हानिग्रस्त क्रेडिट के रूप में स्वीकार की गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि भत्ते पूर्ण रूप में प्रदत्त हैं।

44.1.3 ऋणों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि

जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट करने के प्रयोजनों के लिए कंपनी ऋण जोखिम के निम्नलिखित तत्वों पर विचार करती है और समेकन करती है:

(i) **ऋण चूक हानि:** ऋणदाता के कारण होने वाले ऋण के जोखिम, जिसे उसके ऋण दायित्वों को पूरी तरह से देने की संभावना नहीं है अथवा किसी वास्तविक ऋण दायित्व के कारण पिछले 90 दिन से अधिक का ऋणदाता है; चूक जोखिम ऋणों एवं प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण संवेदी लेन-देनों पर प्रभाव डाल सकता है।

(ii) **संकेंद्रण जोखिम:** किसी एकल निष्पादन से संबंधित जोखिम अथवा कंपनी के प्रमुख प्रचालनों को खतरा पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा हानियां करने की संभावना वाले निष्पादन का समूह।

ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम कंपनी के व्यापार का एक मात्र सबसे बड़ा जोखिम होता है और इसीलिए कंपनी ने इसका प्रबंधन करने के लिए कई प्रक्रियाएं और नियंत्रण विकसित किए हैं। ऋण जोखिम का प्रबंधन मूल्यांकन, संवितरण तथा संवितरण के बाद मॉनीटरिंग सहित विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। इस जोखिम को कम करने के लिए कंपनी ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित, संस्थागत एवं परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाती है। इन प्रक्रियाओं में विस्तृत मूल्यांकन पद्धति जोखिमों की पहचान एवं उपयुक्त गठन तथा ऋण जोखिम को कम करने के उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, परियोजना जोखिम की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है और परियोजना जोखिम श्रेणीकरण कार्यढांचे के अनुसार परियोजना के विभिन्न जोखिम मानदंडों और निष्पादन के आधार पर उसे उच्च/ सामान्य/कम की श्रेणी में रखा जाता है। ऋण जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

(i) कंपनी में एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश'' और व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति'' है जिसमें ऋण मूल्यांकन, जोखिम ग्रेडिंग, समपार्श्विक अपेक्षाएं,

लेखा संबंधी टिप्पणियां

रिपोर्टिंग, निधियों के अंतिम प्रयोग की मॉनीटरिंग आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र ऋणदाता, विधिक सलाहकार, कानूनी जोखिम का प्रभावी दस्तावेजीकरण और न्यूनीकरण सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

(ii) सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए जिनमें कंपनी प्रमुख वित्तीय संस्था है, कंपनी ऋणदाता के इंजीनियरों, वित्तीय सलाहकारों और बीमा सलाहकारों की नियुक्ति करती है जो कि स्वतंत्र एजेंसियां होती हैं जो विभिन्न ऋणदाताओं और कंसोर्टियम सदस्यों की ओर से कार्य करते हैं। ऋणदाता के इंजीनियर आवधिक स्थल दौरे करते हैं और लेनदार के साथ विचार-विमर्श तथा संगत दस्तावेजों के निरीक्षण/समीक्षा के बाद परियोजना की प्रगति की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार आवधिक रूप से परियोजना में निधियों के प्रवाह और निधियों के उपयोग का विवरण प्रस्तुत करते हैं। जिन मामलों में कंपनी अग्रणी वित्तीय संस्था नहीं है, उनमें एलई और एलएफए सेवाओं से संबंधित कार्यों का समन्वय प्रमुख ऋणदाता के साथ किया जा रहा है।

एक पृथक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) आरईसी द्वारा वित्तपोषित की जा रही प्रत्येक नई परियोजना के लिए नियुक्त की जा रही है जो परियोजना के लिए बीजकों की समीक्षा, निधियों के उपयोग और बीमा की समीक्षा सहित विभिन्न परियोजना निष्पादन क्रियाकलापों की बारीकी से मॉनीटरिंग करने के लिए परियोजना स्थल पर रखी जाएगी। पीएमए मूल उपस्कर विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता, संयुक्त कार्य संविदाकार के बिलों का सत्यापन करेगी और संवितरण के लिए अपनी सिफारिश देगी।

(iii) कंपनी में ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए एक प्राधिकार संरचना है। प्राधिकार सीमाएं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यकारी समिति/ऋण समिति/निदेशक बोर्ड के स्तर पर यथा उपयुक्त जांच समिति की सिफारिश के आधार पर व्यापारिक प्रस्ताव के आकार के अनुरूप स्थापित की गई है।

(iv) कंपनी में उपयुक्त ब्याज दरें और प्रतिभूति पैकेज लगाकर चूक के जोखिम की मात्रा के अनुसार उसके निष्पादनों की श्रेणी बनाने के लिए जोखिम ग्रेडिंग संरचना विकसित की है।

(v) ऋण पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता संबंधी रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति तथा बोर्ड को दी जाती हैं जो की जाने वाली उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की मांग कर सकता है।

(vi) ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए पूरी कंपनी में सर्वोत्तम परिपाटी संवर्धित करने के लिए विशेषज्ञ कौशल प्रदान करने के साथ-साथ व्यापारिक यूनिटों द्वारा अपनाए जा रहे दिशा-निर्देशों, नीति और विद्यमान परिपाटियों की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर बाहरी एजेंसियां नियुक्त की जाती हैं।

(vii) अलग-अलग और समूह ऋण निष्पादनों का मूल्यांकन संबंधित व्यापारिक यूनिट द्वारा लेनदारों को सुविधाएं प्रतिबद्ध करने से पूर्व निर्धारित सीमाओं के विरुद्ध किया जाता है। अतिरिक्त सुविधाओं की स्वीकृति भी उसी समीक्षा प्रक्रिया के अध्यधीन होती है।

(viii) कंपनी लेनदारों तथा अन्य प्रतिपक्षकारों की चूकों और/अथवा विलंबों तथा उनकी वसूली करने की योग्यता की निरंतर मॉनीटरिंग करती है। लेनदार के खाते में कमी पाए जाने होने पर कंपनी चूक को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है जिसमें विशेष उल्लेख खाता की रिपोर्टिंग आरबीआई को करना, ऋण सूचना की रिपोर्टिंग भारी ऋणों संबंधी सूचना की केंद्रीय डिपॉजिटरी को रिपोर्ट देना आदि सभी अतिदेयों की वसूली कर खाते का नियमितीकरण करना, देयों की वसूली के लिए गारंटी/प्रतिभूतियों को लेना, ऋण को ऋण करार के अनुसार इक्विटी में बदलना, ऋण खाते का पुनर्गठन करना, लेनदार के साथ समाधान योजना तैयार करना, स्वामित्व में परिवर्तन, निगम दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) दूसरी कंपनियों/निवेशकों को निष्पादनों की बिक्री और अन्य वसूली तंत्रों सहित कार्रवाई (कार्रवाईयां) शामिल हो सकती है, परंतु यह यहीं तक सीमित नहीं है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ख) ऋण जोखिम माप

आरईसी ने भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार ईसीएल के सिद्धांत, मूल्यांकन और परिकलन विकसित करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी आईआरआर एडवाइजरी सर्विसेज प्रा. लि. को नियुक्त किया है। ऋण जोखिम के मापन के लिए एक व्यापक मॉडल ऋण गुणवत्ता में सुधार/ ह्रास का मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख वित्तीय एवं प्रचालनात्मक मानदंडों के आधार पर विकसित किया गया है। ऋण जोखिम मॉडल में रेटिंग तथा चूक के मामले में प्रत्याशित हानि का भी प्रावधान है। कंपनी ने इस मॉडल में निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया है:

मात्रात्मक कारक

ऋण/ईबीआईटीडीए (20% भार)

नियोजित पूंजी पर रिर्टन (30% भार)

ब्याज कवरेज (20% भार)

नकद ब्याज कवरेज (30% भार)

गुणात्मक कारक

(i) तिमाही-वार प्रचालनात्मक मानदंड, यथा पीपीए, पीएलएफ, एसीएस - एआरआर अंतर और एलएएफ

(ii) वास्तविक चूक तिथियाँ, ऋण पुनर्गठन के ब्यौरे

(iii) निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए परियोजना शुरू करने में हुई अधिक लागत तथा समय की देरी

(iv) पैरेंट सपोर्ट

(v) टर्नओवर कैप्स

(vi) लेखा संचालन

(ग) प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) की माप

भारतीय लेखांकन मानक 109 में नीचे दिए गए अनुसार आरंभिक मान्यता से ऋण गुणवत्ता में परिवर्तनों के आधार पर हानि के लिए एक 'त्रि-स्तरीय' मॉडल उल्लिखित है:

- वित्तीय दस्तावेज जो आरंभिक मान्यता पर ऋण हानि नहीं है और जिसका ऋणजोखिम काफी नहीं बढ़ा है क्योंकि आरंभिक मान्यता 'स्तर-1' के रूप में वर्गीकृत है।

- यदि आरंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में काफी वृद्धि का पता चलता है तो वित्तीय दस्तावेज 'स्तर-2' में ले जाया जाता है, परंतु फिर भी हुई हानि नहीं माना जाता।

- यदि कोई वित्तीय दस्तावेज हुई हानि का है तो उसे 'स्तर-3' में ले जाया जाता है।

- स्तर-1 में वित्तीय दस्तावेज में प्रत्याशित ऋण हानि के बराबर राशि पर मापा गया उनका ईसीएल होता है जो अगले 12 माह के भीतर संभावित चूक की घटनाओं के परिणामस्वरूप होता है। स्तर-2 अथवा स्तर-3 मानदंड में दस्तावेजों में जीवनकाल के आधार पर मापे गए उनके ईसीएल होते हैं।

(घ) ऋण जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर)

कंपनी मानती है कि किसी वित्तीय दस्तावेज में उस समय ऋण जोखिम में काफी वृद्धि हो गई है जब निम्नलिखित एक या अधिक गुणात्मक अथवा मात्रात्मक मानदंड पूरे हो जाएं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

मात्रात्मक मानदंड

कंपनी ने माना है कि क्रेडिट रेटिंग में ऋण जोखिम में काफी वृद्धि के रूप में मानी जाने वाली ऋण रेटिंग में आरंभ से दो स्तरीय डाउन ग्रेड हैं।

गुणात्मक मानदंड

निर्माणाधीन परियोजनाओं में शुरू करने में काफी विलंब के मामले में यह माना जाता है कि जोखिम में काफी वृद्धि है और ग्रिड को स्तर-2 में ले जाया जाता है।

बैकस्टॉप

यदि भुगतान एक करोड़ ₹ से अधिक अथवा उसके बराबर है और लेनदार अपने सांविधिक भुगतानों पर देय विगत तीस दिनों से अधिक का है तो कंपनी द्वारा किसी भी वित्तीय दस्तावेज पर बैकस्टॉप लागू किया जाता है। तथापि, ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी में आया है कि 30 दिनों से अधिक की ऐसी अतिदेय धनराशि राज्य यूटिलिटियों के लिए ऋण जोखिम में काफी वृद्धि नहीं दर्शाती। अतः कंपनी में इस मानदंड को केवल निजी कंपनियों के लिए लागू किया है।

(ङ) कम ऋण जोखिम छूट

भारतीय लेखांकन मानक में यह मानने के लिए वैकल्पिक सामान्यकरण का प्रावधान है कि वित्तीय परिसंपत्ति पर ऋण जोखिम में आरंभिक मान्यता से काफी वृद्धि नहीं हुई है (और इस प्रकार स्तर-1 में रहती है), यदि वित्तीय परिसंपत्ति रिपोर्ट करने की तारीख को कम ऋण जोखिम वाली मानी जाए।

ऋण जोखिम उस समय 'कम' माना जाता है जब वित्तीय दस्तावेज में चूक का कम जोखिम हो, लेनदार की निकट अवधि में अपने संविदागत नकद प्रवाह दायित्वों को पूरा करने में प्रबल क्षमता हो तथा दीर्घावधि में आर्थिक एवं व्यापारिक स्थितियों में प्रतिकूल परिवर्तन लेनदार की अपनी संविदागत नकद प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की क्षमता कम कर सकते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है।

कंपनी कम ऋण जोखिम लेने के लिए एएए से ए के बीच बाह्य ऋण रेटिंग वाली ऋण परिसंपत्तियों पर विचार करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने सभी राज्य यूटिलिटियों के लिए कम ऋण जोखिम छूट ली है क्योंकि कंपनी मानती है कि राज्य क्षेत्र को ऋणों में राज्य क्षेत्र में कम चूक/हानि के इतिहास के कारण और कुछ ऋणों में सरकारी गारंटी की उपलब्धता के कारण मुख्य रूप से निजी क्षेत्र को उधार देने की तुलना में कम ऋण जोखिम होता है। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं में सरकार की स्वीच होने से देयों की वसूली न होने का जोखिम कम हो जाता है।

(च) चूक तथा हानि वाले ऋण की परिसंपत्तियों की परिभाषा

कंपनी चूक के रूप में वित्तीय दस्तावेज को परिभाषित करती है जो पूर्णतः हानियों वाले ऋण की परिभाषा के अनुरूप है जब ऋणखाता अपने संविदागत भुगतानों पर देय पिछले 90 दिनों से अधिक का हो।

(छ) ईसीएल का मापन - इनपुट, अवधारणाओं और अनुमान तकनीकों की व्याख्या

प्रत्याशित ऋण हानियां चूक की संभावना (पीडी), चूक पर प्रकटन (ईएडी) और हानि देने वाली चूक (एलजीडी) का परिणाम होती हैं जो निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैं:

- पीडी या तो अगले 12 माह में अथवा दस्तावेज के शेष जीवनकाल में उसके दायित्वों के संबंध में चूक करने वाले लेनदान की संभावना दर्शाता है।
- ईएडी उस धनराशि पर आधारित है जो कंपनी अगले 12 माह में अथवा दस्तावेज के शेष जीवनकाल में चूक के समय ली गई राशि की उम्मीद करती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

- एलजीडी कंपनी की उस हानि की प्रत्याशा दर्शाती है जो चूक दर्शाती है। एलजीडी प्रतिशतता में व्यक्त की जाती है और इस तथ्य से अप्रभावित रहती है कि चाहे वित्तीय दस्तावेज स्तर-1 परिसंपत्ति है अथवा स्तर-2 परिसंपत्ति है अथवा यहां तक कि स्तर-3 परिसंपत्ति है। तथापि, यह लेनदार की किस्म समपार्श्विक अथवा अन्य ऋण सहायता की उपलब्धता की किस्म से अलग-अलग होती है।

चूक की संभावना (पीडी) का निर्धारण

कंपनी ने विभिन्न रेटिंग एजेंसियों (क्रिसिल, केयर और इंडिया रेटिंग) के ट्रांजिशन मैट्रिक्स का विश्लेषण किया है और वार्षिक औसत ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालने के लिए इन रेटिंग एजेंसियों के ट्रांजिशन मैट्रिक्स का औसत लिया है। यह औसत वार्षिक ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऋण अवधि/परिपक्वता प्रोफाइल अर्थात जीवन पर्यन्त पीडी द्वारा विभिन्न रेटिंग ग्रेडों की चूक की जीवन पर्यन्त संभावना निकालने के लिए बहिर्वेशित किया गया था।

हानि देने वाली चूक (एलजीडी) गणना मॉडल

ऐतिहासिक प्रवृत्ति अनुसंधान और उद्योग निर्धारण के आधार पर कंपनी ने एक एलजीडी मॉडल निर्मित किया है। एलजीडी मॉडल में जिन कारकों की समीक्षा की गई है, उनमें प्रति यूनिट परियोजना लागत, वर्तमान पीएलएफ, मूल/राज्य सहायता, पीपीए स्तर, एफएसए, स्तर के माध्यम से ईंधन लागत, मौजूदा चूक के वर्ष आदि शामिल हैं। ताप विद्युत संयंत्रों के लिए आंतरिक अनुसंधान के आधार पर कंपनी ने प्रचालन लाभप्रदता के लिए अर्थक्षम परिदृश्य का आकलन करने हेतु परियोजना लागत तथा पीएलएफ स्तर का निर्धारण किया है और वसूली की क्षमता का तद्नुसार परिकलन किया गया है। इसी प्रकार, कंपनी मानती है कि यद्यपि, नवीकरणीय कंपनियों और पारेषण कंपनियों के सामने वितरण कंपनियों से एकत्रित करने के मुद्दे आते हैं जिससे लंबी कार्यशील पूंजी का चक्र बनता है, परंतु वे दीर्घावधि आधार पर संधारणीय हैं। राज्य यूटिलिटियों के लिए कंपनी ने राज्य सहायता में कारक बनाया है और माना है कि राज्य सरकारें राज्य यूटिलिटियों के ऋण दायित्वों का पुनर्भुगतान करने के लिए कदम उठाएंगी। जैसा कि, उदय स्कीम के दौरान विगत में हुआ है, इस प्रकार, एलजीडी की गणना करने के लिए राज्य ऋण रेटिंग तथा तद्नुरूपी पीडी पर विचार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, जहां आरईसी और पीएफसी (समूह कंपनियां) स्तर-3 के ऋण खातों के लिए कंसोर्टियम में हैं, वहां एलजीडी निम्नलिखित आधार पर लिया जाता है:

(**क**) जिन मामलों में या तो आरईसी अथवा पीएफसी प्रमुख ऋणदाता है, वहां प्रमुख ऋणदाता द्वारा परिकलित एलजीडी प्रतिशत अपनाया जाता है।

(**ख**) जिन मामलों में न तो आरईसी और न ही पीएफसी प्रमुख ऋणदाता है, वहां आरईसी और पीएफसी द्वारा निकाला गया उच्चतर एलजीडी प्रतिशत अपनाया जाता है।

(ज) **ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख अवधारणाएं**

(**i**) कंपनी उस आधार वर्ष के रूप में आरंभिक मान्यता की तारीख मानती है जिससे ऋण जोखिम में काफी वृद्धि निर्धारित की जाती है।

(**ii**) आरंभ करने में लागत आधिक्य और विलंब समय पर निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए ऋण रेटिंग का परिकलन करने हेतु विचार किया जाता है।

(**iii**) अंतिम रेटिंग लेने के लिए कारोबार कैप और मूल सहायता पर विचार किया जाता है।

(**iv**) चूंकि कंपनी को अपने किसी भी लेनदार को स्वीकृत परंतु ली नई सीमाओं को रद्द करने का अधिकार है, अतः ईएडी रिपोर्टिंग तारीख को बकाया शेष माना जाता है।

(झ) **ईसीएल मॉडलों में शामिल भावी दृष्टिकोण वाली सूचना**

जोखिम में काफी वृद्धि का मूल्यांकन और ईसीएल का परिकलन, दोनों में प्रगतिशील सूचना शामिल होती है। इसके अतिरिक्त, ऋण रेटिंग मॉडल भी परियोजना की पूर्णता के विस्तार और विभिन्न वित्तीय अनुपातों पर ध्यान देते हुए लेनदार को दी जाने वाली ऋण रेटिंग के निर्धारण

लेखा संबंधी टिप्पणियां

में प्रगतिशील सूचना पर विचार करते हैं। इस प्रकार, आधार मामला परिदृश्य कंपनी के लिए ईसीएल के परिकलन हेतु सबसे उपयुक्त आधार दर्शाता है। प्रगतिशील सूचना और आर्थिक स्थिति के विश्लेषण के बाद ईसीएल की गणना के लिए प्रयुक्त इनपुट में अथवा किसी विचार की अपेक्षा होने के लिए ऊपरी/निचला कोई परिदृश्य लागू होना प्रतीत नहीं होता।

(ट) **ऋण जोखिम अनावरण**

भिन्न क्रेडिट रेटिंग के साथ उधारकर्ताओं के संबंध में ऋण जोखिम अनावरण निम्न है:

31 मार्च 2019 के अनुसार (₹ करोड़ में)

बाह्य रेटिंग की परिसीमा	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
एएए	-	-	-	-
एए	3,239.02	-	-	3,239.02
ए	56,158.84	-	-	56,158.84
बीबीबी	40,834.51	-	-	40,834.51
बीबी	57,967.67	519.32	-	58,486.99
बी	47,683.74	1,030.31	-	48,714.05
सी	46,119.65	2,862.99	-	48,982.64
डी	-	-	20,348.44	20,348.44
सरकारी ऋण	4,445.19	-	-	4,445.19
कुल धारित राशि	256,448.62	4,412.62	20,348.44	281,209.68
हानि भत्ते	525.26	1,273.72	9,698.95	11,497.93
धारित राशि	255,923.36	3,138.90	10,649.49	269,711.75

31 मार्च 2018 के अनुसार (₹ करोड़ में)

बाह्य रेटिंग की परिसीमा	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
एएए	-	-	-	-
एए	3,198.11	-	-	3,198.11
ए	51,693.57	-	-	51,693.57
बीबीबी	17,974.14	-	-	17,974.14
बीबी	53,056.43	10,594.28	-	63,650.71
बी	30,981.40	-	-	30,981.40
सी	46,596.39	4,672.25	-	51,268.64
डी	-	-	17,128.42	17,128.42
सरकारी ऋण	3,567.83	-	-	3,567.83
कुल धारित राशि	207,067.88	15,266.53	17,128.42	239,462.83
हानि भत्ते	1,090.78	1,694.30	8,490.53	11,275.61
धारित राशि	205,977.10	13,572.23	8,637.89	228,187.22

लेखा संबंधी टिप्पणियां

1 अप्रैल 2017 के अनुसार (₹ करोड़ में)

बाह्य रेटिंग की परिसीमा	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
एएए	-	-	-	-
एए	3,371.83	-	-	3,371.83
ए	32,324.46	-	-	32,324.46
बीबीबी	21,635.16	-	-	21,635.16
बीबी	51,057.87	-	-	51,057.87
बी	34,743.10	-	-	34,743.10
सी	37,949.19	12,849.73	-	50,798.92
डी	-	-	4,872.69	4,872.69
सरकारी ऋण	3,298.00	-	-	3,298.00
कुल धारित राशि	**184,379.61**	**12,849.73**	**4,872.69**	**202,102.03**
हानि भत्ते	1,324.86	5,011.36	2,648.95	8,985.17
धारित राशि	**183,054.75**	**7,838.37**	**2,223.74**	**193,116.86**

(ठ) संपार्श्विक तथा अन्य ऋण वृद्धियां

कंपनी ऋण जोखिम को कम करने के लिए कई नीतियां और परिपाटियां लगाती है। इनमें से सबसे सामान्य संवितरित निधियों के लिए समपार्श्विक को स्वीकार करना है। कंपनी में समपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम को कम करने की विशेष श्रेणियों की स्वीकार्यता के संबंध में आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रमुख समपार्श्विक किस्में निम्नलिखित हैं:

- अचल परिसंपत्तियों का मोर्टगेज
- चल संपत्ति का हाइपोथिकेशन
- परियोजना संविदा दस्तावेजों को सौंपना
- उपस्करों की प्लेज जिसके माध्यम से प्रमोटर का अंशदान परियोजना में लगाया जाता है
- प्रमोटर की शेयरधारिता की प्लेज
- प्रमोटर की व्यक्तिगत तथा कारपोरेट गारंटी

(ड) हानि भत्ते

उस अवधि में माना गया हानि भत्ता कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

- ऋण जोखिम की काफी वृद्धि (अथवा कमी का अनुभव करने वाले) अथवा उस अवधि में ऋण हानि होने वाले वित्तीय दस्तावेजों के कारण स्तर-1 और स्तर -2 अथवा 3 के बीच अंतरण, और 12 माह तथा जीवन पर्यन्त ईसीएल के बीच परिणामी 'स्टेप अप' (अथवा स्टेप डाउन)।

- उस अवधि के दौरान माने गए नए वित्तीय दस्तावेजों के लिए अतिरिक्त भत्ते तथा उस अवधि में न माने गए वित्तीय दस्तावेजों के लिए जारी राशियां।

- मॉडल में इनपुट के नियमित नवीनीकरण से उत्पन्न होने वाली, उस अवधि में पीडी, ईएडी और एलजीडी में परिवर्तनों के कारण ईसीएल के मापन पर प्रभाव।

- उस अवधि के दौरान अस्वीकृत वित्तीय परिसंपत्तियां और उस अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियों सहित भत्तों को बट्टे खाते में डालना।

निम्नलिखित तालिकाएं ऋण परिसंपत्तियों में परिवर्तन (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित) और रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ तथा अंत के बीच तद्नुरूपी ईसीएल भत्ते को स्पष्ट करती हैं।

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2018-19	स्तर 1		स्तर 2		स्तर 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	पूर्ण जीवनकालिक ईसीएल	सकल राशि	पूर्ण जीवनकालिक ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	**207,067.88**	**1,090.78**	**15,266.52**	**1,694.30**	**17,128.43**	**8,490.53**	**239,462.83**	**11,275.61**
12 महीने के ईसीएल ईसीएल में अंतरण	**10,594.28**	**21.95**	**(10,594.28)**	**(21.95)**	**-**	**-**	**-**	**-**
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त नहीं	**(549.56)**	**(4.38)**	**1,775.34**	**372.11**	**(1,225.78)**	**(367.73)**	**-**	**-**
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त	**(2,763.00)**	**(625.75)**	**(1,865.40)**	**(527.07)**	**4,628.40**	**1,152.82**	**-**	**-**
पीडी / एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	**-**	**(16.82)**	**-**	**(266.20)**	**-**	**423.75**	**-**	**140.73**
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां (मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितरण सहित)	**56,669.38**	**78.30**	**63.82**	**22.54**	**-**	**-**	**56,733.20**	**100.84**
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें अमान्य कर दिया है(मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	**(14,570.35)**	**(18.83)**	**(233.39)**	**-**	**(182.61)**	**(0.42)**	**(14,986.35)**	**(19.25)**
अंतिम शेष	**256,448.63**	**525.25**	**4,412.61**	**1,273.73**	**20,348.44**	**9,698.95**	**281,209.68**	**11,497.93**

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2017-18	स्तर 1		स्तर 2		स्तर 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	पूर्ण जीवनकालिक ईसीएल	सकल राशि	पूर्ण जीवनकालिक ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	**184,379.60**	**1,324.86**	**12,849.73**	**5,011.36**	**4,872.69**	**2,648.95**	**202,102.02**	**8,985.17**
12 महीने के ईसीएल ईसीएल में अंतरण	217.78	43.56	-	-	(217.78)	(43.56)	-	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त नहीं	(11,127.58)	(70.64)	11,127.58	70.64	-	-	-	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त	(3,473.14)	(446.62)	(8,504.68)	(3,455.79)	11,977.82	3,902.41	-	-
पीडी / एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	112.07	-	16.23	-	1,982.73	-	2,111.03
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां	43,799.44	150.11	289.57	52.15	593.02	-	44,682.03	202.26
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें अमान्य कर दिया है	(6,728.22)	(22.56)	(495.68)	(0.29)	(97.32)	-	(7,321.22)	(22.85)
अंतिम शेष	**207,067.88**	**1,090.78**	**15,266.52**	**1,694.30**	**17,128.43**	**8,490.53**	**239,462.83**	**11,275.61**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ढ) **स्तर वार एक्सपोजर और हानिभत्ते का विवरण:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर I	स्तर II	स्तर III	संपूर्ण
1 अप्रैल 2017 के अनुसार				
कुल एक्सपोजर	184,379.61	12,849.73	4,872.69	202,102.03
हानि भत्ता	1,324.86	5,011.36	2,648.95	8,985.17
ईसीएल%	0.72%	39.00%	54.36%	4.45%
31 मार्च 2018 के अनुसार				
कुल एक्सपोजर	207,067.88	15,266.53	17,128.42	239,462.83
हानि भत्ता	1,090.78	1,694.30	8,490.53	11,275.61
ईसीएल%	0.53%	11.10%	49.57%	4.71%
31 मार्च 2019 के अनुसार				
कुल एक्सपोजर	**256,448.62**	**4,412.62**	**20,348.44**	**281,209.68**
हानि भत्ता	**525.26**	**1,273.72**	**9,698.95**	**11,497.93**
ईसीएल%	**0.20%**	**28.87%**	**47.66%**	**4.09%**

(ण) **ऋण जोखिम का संकेंद्रण**

कंपनी उस किस्म के उद्योग द्वारा ऋण जोखिम (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित ऋण परिसंपत्तियां) के संकेंद्रण की मॉनीटरिंग करती है जिसमें लेनदार प्रचालन करते हैं जिसे लेनदार के प्रकार में आगे बांटा जाता है, भले ही वह सरकारी हो या निजी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.18 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	सकल राशि	ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
उद्योग द्वारा संकेंद्रण						
उत्पादन	**131,019.56**	**10,730.93**	112,763.35	10,357.10	99,789.89	8,222.57
नवीकरणीय ऊर्जा	**4,463.99**	**74.13**	3,276.99	63.17	2,119.13	53.64
ट्रांस्कोज	**51,995.18**	**429.47**	43,432.91	624.88	40,228.28	505.43
डिस्कॉम्स	**89,285.76**	**262.07**	76,421.75	229.39	56,666.73	202.27
सरकारी ऋण	**4,445.19**	**1.33**	3,567.83	1.07	3,298.00	1.26
जोड़	**281,209.68**	**11,497.93**	239,462.83	11,275.61	202,102.03	8,985.17
स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण						
राज्य	**247,719.13**	**445.42**	206,410.51	403.70	168,810.92	317.77
निजी	**33,490.55**	**11,052.51**	33,052.32	10,871.90	33,291.10	8,667.40
जोड़	**281,209.68**	**11,497.93**	**239,462.83**	**11,275.61**	**202,102.03**	**8,985.17**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ण) क्षेत्रवार हानिग्रस्त परिसंपत्तियाँ - उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के चरण-III आस्तियों का प्रतिशत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.18 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
विद्युत क्षेत्र		**7.24%**		7.15%		2.41%

(त) क्रेडिट-हानिग्रस्त परिसंपत्तियों का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
(i) सकल अग्रिमों हेतु सकल क्रेडिट हानिग्रस्त परिसंपत्तियाँ (%)	**7.24%**	7.15%
(ii) निवल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट हानिग्रस्त परिसंपत्तियाँ (%)	**3.95%**	3.79%
(iii) क्रेडिट हानिग्रस्त परिसंपत्तियों का संचलन (सकल)		
(क) वर्ष के प्रारंभ में शेष	**17,128.43**	4,872.69
(ख) वर्ष के दौरान जुड़ाव	**4,628.40**	12,570.84
(ग) वर्ष के दौरान कटौतियां	**(1408.39)**	(315.10)
(घ) वर्ष के अंत में शेष	**20,348.44**	**17,128.43**
(iv) क्रेडिट हानिग्रस्त परिसंपत्तियों का संचलन (निवल)		
(क) वर्ष के प्रारंभ में शेष	**8,637.90**	2,223.74
(ख) वर्ष के दौरान जुड़ाव	**3,051.83**	6,685.70
(ग) वर्ष के दौरान कटौतियां	**(1040.24)**	(271.54)
(घ) वर्ष के अंत में शेष	**10,649.49**	**8,637.90**
(v) क्रेडिट हानिग्रस्त परिसंपत्तियों हेतु प्रावधानों का संचलन		
(क) वर्ष के प्रारंभ में शेष	**8,490.53**	2,648.95
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**1,576.57**	5,885.14
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ/राइट बैक करना	**(368.15)**	(43.56)
(घ) वर्ष के अंत में शेष	**9,698.95**	**8,490.53**

(द) राइट ऑफ करने से संबंधित नीति

कंपनी उस समय समग्र रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्तीय परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालती है जब उसके सभी व्यावहारिक वसूली प्रयास समाप्त हो गए हों और इस निष्कर्ष पर पहुँच गई हो कि वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है। वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है, इसके संकेतकों में परिवर्तन क्रियाकलाप को बंद करना शामिल है अथवा जहां कंपनी की वसूली पद्धति समपार्श्विक पर पहले ही बंद हो तथा समपार्श्विक का मूल्य इतना हो कि पूरी तरह से वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

44.2 तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी उन वित्तीय देयताओं से संबद्ध दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना होगा जिनका निपटान नकद अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति की सुपुर्दगी कर किया जाता है। परिसमापन का प्रबंधन करने में कंपनी का दृष्टिकोण यथासंभव सुनिश्चित करना है कि उसकी देयताएं देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए उसमें पर्याप्त समापन हो।

कंपनी मिश्रित कार्यनीतियों के माध्यम से अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है जिनमें प्रस्तावित संवितरणों के आधार पर अग्रवर्ती संसाधन जुटाना और दायित्वों को पूरा करना शामिल है। कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ('एएलसीओ') भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की मॉनीटरिंग करती है।

कंपनी पर्याप्त बैंक शेष, अल्पावधि निवेश बनाए रखती है जो नकद तथा पर्याप्त उधार और निरंतर पूर्वानुमान तथा वास्तविक नकद प्रवाह की मॉनीटरिंग करके ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में तैयार रूप से बदले जा सकते हैं।

44.2.1 भविष्य के अनडिस्काउंटेड नकदी प्रवाह का परिपक्वता प्रतिरूप

वित्तीय देनदारियों की मदों (मूल और ब्याज के संबंध में भविष्य के अनडिस्काउंटेड नकदी प्रवाह को दर्शाते) के संबंध में नकदी प्रवाह निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2019 के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं:									
रूपी उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां									
-मूल	3,256.39	525.21	2,294.33	9,272.90	20,218.27	65,194.54	25,107.93	49,258.06	175,127.63
-ब्याज	484.75	912.75	1,840.88	2,754.00	6,879.70	19,633.29	11,001.43	13,288.00	56,794.80
अन्य उधारियाँ									
- मूल	-	350.00	500.00	850.00	200.01	4,257.52	13,405.02	5,187.59	24,750.14
-ब्याज	133.77	129.71	355.81	388.00	975.00	3,673.00	2,176.00	2,055.00	9,886.29
अधीनस्थ देयताएं									
- मूल	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,151.20	4,651.20
-ब्याज	-	201.50	-	-	189.26	782.00	782.00	945.00	2,899.76
विदेशी मुद्रा उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां									
- मूल	-	-	-	-	-	2,766.85	4,841.99	5,187.85	12,796.69
-ब्याज	-	126.06	42.33	108.00	279.00	1,052.00	1,281.00	807.00	3,695.39
अन्य उधारियाँ									
- मूल	-	1,729.28	71.11	1,058.63	2,444.00	10,423.28	6,234.49	-	21,960.79
-ब्याज	43.40	54.77	42.07	229.00	290.00	734.00	278.00	-	1,671.24
व्युत्पन्न देयताएं:									
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	0.59	6.26	10.19	110.01	3.11	130.16
मुद्रा स्वैप	-	-	-	-	-	0.40	-	-	0.40
अग्रवर्ती अनुबंध	10.27	-	-	-	-	-	-	-	10.27
अन्य -									
सीगुल विकल्प	-	-	-	0.37	18.20	-	-	-	18.57

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2018 के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं:									
रूपी उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां									
-मूल	312.36	427.89	940.89	9,610.60	16,323.17	61,056.11	32,653.85	44,760.03	**166,084.90**
-ब्याज	415.74	777.17	1,636.05	2,475.00	7,220.00	19,907.58	11,268.40	12,649.00	**56,348.94**
अन्य उधारियाँ									
- मूल	-	-	-	-	200.00	200.00	-	-	**400.00**
-ब्याज	-	-	-	-	29.00	15.00	-	-	**44.00**
अधीनस्थ देयताएं									
- मूल	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	**2,500.00**
-ब्याज	-	201.50	-	-	-	403.00	403.00	201.00	**1,208.50**
विदेशी मुद्रा उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां									
- मूल	-	-	-	-	-	2,601.76	-	4,878.30	**7,480.06**
-ब्याज	-	-	39.80	102.00	142.00	568.00	407.00	962.00	**2,220.80**
अन्य उधारियाँ									
- मूल	-	-	103.49	1,698.16	8,225.52	8,508.57	3,663.49	127.44	**22,326.67**
-ब्याज	33.87	42.91	63.03	151.00	270.00	541.00	101.00	2.00	**1,204.81**
व्युत्पन्न देयताएं:									
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	2.18	9.70	0.11	-	73.08	**85.07**
मुद्रा स्वैप	-	-	-	5.35	3.08	63.07	-	-	**71.50**
अन्य -									
कॉल स्प्रैड	-	-	-	1.37	37.98	43.05	78.77	-	**161.17**

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2017 के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं:									
रूपी उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां									
-मूल	402.64	365.98	326.16	9,853.96	5,278.77	46,206.46	33,434.77	47,318.10	**143,186.84**
-ब्याज	399.38	752.39	1,383.18	2,760.00	6,197.00	19,114.43	12,396.19	15,291.00	**58,293.57**
अन्य उधारियाँ									
- मूल	-	-	-	-	350.00	400.00	-	-	**750.00**
-ब्याज	-	-	-	-	53.46	45.00	-	-	**98.46**
अधीनस्थ देयताएं									
- मूल	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	**2,500.00**
-ब्याज	-	201.50	-	-	-	403.00	403.00	403.00	**1,410.50**
विदेशी मुद्रा उधारियाँ									
अन्य उधारियाँ									
- मूल	1,102.92	-	88.89	101.98	156.76	13,135.37	6,290.56	204.19	**21,080.67**
-ब्याज	13.21	33.35	45.40	136.00	196.00	579.00	129.00	5.00	**1,136.96**
व्युत्पन्न देयताएं:									
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	-	-	0.82	-	64.40	**65.22**
मुद्रा स्वैप	79.25	-	2.11	4.51	-	29.66	42.22	5.45	**163.20**
अन्य -									
कॉल स्प्रैड	-	-	-	-	-	55.46	70.59	-	**126.05**
सीगुल विकल्प	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**

पुट एंड कॉल ऑप्शन वाले बॉण्ड्स को सबसे जल्दी क्रियान्वित की जाने वाली तारीख पर विचार करते हुए दर्शाया गया है। व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के लिए तरलता विश्लेषण व्युत्पन्न अनुबंध के उचित मूल्यों पर आधारित है और परिपक्वता बकेट, संबंधित व्युत्पन्न उपस्करों के शेष कार्यकाल के आधार पर निकाली गई है।

वित्तीय देयताओं के लिए अपेक्षित पर्याप्त नकद प्रवाह का वित्तपोषण निम्नलिखित रूप में ऋणों से छूटहीन नकद प्रवाहों (मूल तथा ब्याज) के माध्यम से किया जाएगा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2019 के अनुसार									
- मूल	**1,654.88**	**1,316.82**	**3,073.31**	**7,365.12**	**13,781.11**	**55,904.77**	**50,995.33**	**135,620.42**	**269,711.76**
-ब्याज	**866.67**	**684.94**	**5,324.18**	**6,853.48**	**12,557.11**	**43,097.02**	**31,940.32**	**53,720.12**	**155,043.84**
31 मार्च 2018 के अनुसार									
-मूल	1,230.83	1,492.35	3,293.35	8,191.72	12,150.11	48,496.92	41,862.39	111,456.20	**228,173.87**
-ब्याज	531.59	532.53	4,795.14	6,201.87	10,813.02	37,162.38	27,418.33	53,753.31	**141,208.17**
1 अप्रैल 2017 के अनुसार									
- मूल	1,001.24	893.61	2,277.07	5,717.85	9,745.28	38,401.16	35,944.37	98,986.89	**192,967.47**
-ब्याज	329.97	372.01	4,903.23	6,344.17	10,568.49	37,093.49	28,347.84	48,660.08	136,619.28

स्तर III की परिसंपत्तियों से संबंधित मूल नकदी प्रवाह, प्रत्याशित क्रेडिट हानि के निवल को परिपक्वता तिथि के बावजूद 5 वर्ष से अधिक के बकेट में विचार किया गया है।

44.2.2 आरबीआई द्वारा यथानिर्धारित, महत्वपूर्ण वित्तीय आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2019 के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	**1,850.88**	**1,316.82**	**3,401.32**	**7,627.17**	**13,781.11**	**55,904.77**	**50,995.33**	**135,573.52**	**270,450.92**
निवेश	**56.25**	**-**	**-**	**-**	**47.78**	**1,500.00**	**-**	**793.59**	**2,397.62**
रूपी उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां	**3,781.97**	**621.87**	**3,645.36**	**11,092.27**	**22,326.89**	**65,199.36**	**25,107.93**	**48,892.09**	**180,667.74**
अन्य उधारियाँ	**126.93**	**350.00**	**500.00**	**850.00**	**207.34**	**4,257.52**	**13,405.02**	**5,187.59**	**24,884.40**
अधीनस्थ देयताएं	**-**	**168.38**	**-**	**-**	**1.59**	**-**	**2,499.15**	**2,149.65**	**4,818.77**
विदेशी मुद्रा उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां	**-**	**98.15**	**24.29**	**30.88**	**-**	**2,722.66**	**4,784.70**	**4,511.39**	**12,172.07**
अन्य उधारियाँ	**27.10**	**1,750.21**	**74.77**	**1,079.80**	**2,444.00**	**10,167.79**	**6,234.49**	**-**	**21,778.16**
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
विदेशी मुद्रा देयताएं (उधारियों के अलावा)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2018 के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	**1,252.83**	**1,492.35**	**3,574.58**	**8,654.08**	**12,150.11**	**48,496.92**	**41,862.39**	**111,394.99**	**228,878.25**
निवेश	13.62	-	-	-	351.63	1,594.32	-	865.23	2,824.80
रूपी उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां	754.75	427.89	2,221.69	11,302.89	18,685.43	61,056.11	32,657.81	44,561.01	**171,667.58**
अन्य उधारियाँ	-	-	-	-	214.82	200.00	-	-	414.82
अधीनस्थ देयताएं	-	168.38	-	-	-	-	-	2,498.98	**2,667.36**
विदेशी मुद्रा उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	52.35	2,601.76	-	4,818.44	7,472.55
अन्य उधारियाँ	-	-	103.49	1,710.42	8,283.07	8,508.59	3,483.65	127.40	**22,216.62**
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
विदेशी मुद्रा देयताएं (उधारियों के अलावा)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2017 के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	**1,020.74**	**893.61**	**2,545.88**	**6,499.11**	**9,745.28**	**38,401.16**	**35,944.37**	**98,884.37**	**193,934.52**
निवेश	13.62	-	-	-	47.78	492.49	1,500.00	854.67	2,908.56
रूपी उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां	828.77	365.98	1,508.30	11,689.95	7,464.92	46,209.63	33,434.77	47,220.94	**148,723.26**
अन्य उधारियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अधीनस्थ देयताएं	-	168.38	-	-	-	-	-	2,498.83	**2,667.21**
विदेशी मुद्रा उधारियाँ									
ऋण उधारियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य उधारियाँ	1,103.12	-	88.89	127.35	583.03	13,535.37	6,058.25	204.18	**21,700.19**
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
विदेशी मुद्रा देयताएं (उधारियों के अलावा)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

44.2.3 वित्तपोषण उपाय

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के पास अनाहरित उधारी सुविधाओं तक पहुंच थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
एक वर्ष के अंदर समाप्त हो रही अवधि (नकद ऋण और अन्य सुविधाएं)			
- अस्थाई दर	**11,440.00**	10,340.00	5,710.00
एक वर्ष के बाद समाप्त हो रही अवधि (ऋण/उधार)			
- अस्थाई दर	**1,577.11**	-	-

44.3 बाजार जोखिम - मुद्रा जोखिम

कंपनी विदेशी मुद्रा लेन-देनों, प्रमुख रूप से अमेरिकी डॉलर, यूरो और जेपीवाई के संबंध में, से उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय जोखिम में है। विदेशी मुद्रा जोखिम कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा को छोड़कर, मुद्रा में दर्शाई गई मान्यता प्राप्त देयताओं से उत्पन्न होता है। कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम में होने को कम करने के लिए गैर-आईएनआर नकद प्रवाह की मॉनीटरिंग की जाती है और कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार व्युत्पन्नात्मक संविदाएं की जाती हैं।

कंपनी में एक बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी मुद्रा उधार से जुड़े जोखिमों का प्रबंधन करना है। हेज अनुपात, अन-हेज्ड स्थिति, मार्क-टू मार्केट स्थिति, बैंकों में स्थिति की सीमा आदि जैसे मानदंडों की विदेशी मुद्रा जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में मॉनीटरिंग की जाती है। इस नीति में उन मानदंडों का दिशा-निर्देश करने का प्रावधान है जिनके अंतर्गत कंपनी मुद्रा जोखिम तथा ब्याज जोखिम के प्रबंधन के लिए निर्णय ले सकती है जो कि विदेशी मुद्रा ऋण के कारण होती है जिसमें ऋण प्रतिभूतियां शामिल हैं। इस नीति का उद्देश्य कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने के लिए कंपनी को एक कार्यढांचा प्रदान करना है।

वर्तमान में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में सदस्यों के रूप में निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी), वित्त एवं प्रचालन प्रभागों से कार्यकारी निदेशक और महाप्रबंधकों के साथ कार्य कर रही है। एएलसीओ विभिन्न व्युत्पन्नात्मक दस्तावेजों के माध्यम से प्रबंधित विनिमय दर और ब्याज दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम की मॉनीटरिंग करती है। कंपनी विदेशी मुद्रा अग्रवर्ती संविदाओं, मुद्रा विकल्पों, केवल मूल स्वैप्स और अग्रवर्ती दर करारों जैसे विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से विनिमय दर शामिल करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्नात्मक लेन-देन करती है। ये व्युत्पन्नात्मक लेन-देन हेजिंग प्रयोजन के लिए किए जाते हैं न कि व्यापार अथवा सट्टा प्रयोजन के लिए।

विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियों और उधार के संबंध में कंपनी ने विदेशी मुद्रा स्थिति की हेजिंग के लिए क्रॉस करेंसी स्वैप (मूल और/अथवा ब्याज) भी निष्पादित किया है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा स्थिति की बकाया स्थिति निम्नलिखित ह

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में, भारतीय ₹ करोड़ के समतुल्य)

मुद्रा	31.03.2019 के अनुसार			31.03.2018 के अनुसार			01.04.2017 के अनुसार		
	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्नों के माध्यम से हेजेड	अनहेजेड एक्सपोजर	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्नों के माध्यम से हेजेड	अनहेजेड एक्सपोजर	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्नों के माध्यम से हेजेड	अनहेजेड एक्सपोजर
यूएस डॉलर $	**4,830.00**	**3,370.00**	**1,460.00**	4,420.87	2,680.00	1,740.87	2,885.00	2,530.00	355.00
भारतीय ₹ के समतुल्य	**33,409.74**	**23,310.73**	**10,099.01**	28,755.15	17,431.82	11,323.33	18,705.94	16,404.17	2,301.77
जेपीवाई ¥	**12,428.85**	**10,920.22**	**1,508.63**	4,100.17	2,214.38	1,885.79	26,059.52	23,985.15	2,074.37
भारतीय ₹ के समतुल्य	**777.05**	**682.73**	**94.32**	252.32	136.27	116.05	1,510.41	1,390.18	120.23
यूरो €	**73.45**	**48.00**	**25.45**	99.13	73.68	25.45	124.80	99.35	25.45
भारतीय ₹ के समतुल्य	**570.74**	**373.00**	**197.74**	799.21	594.02	205.19	864.21	687.97	176.24
कुल	**34,757.53**	**24,366.46**	**10,391.07**	**29,806.68**	**18,162.11**	**11,644.57**	**21,080.56**	**18,482.32**	**2,598.24**

44.3.1 संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका अनहेजेड स्थितियों पर आईएनआर के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनिमय में 5 % परिवर्तन के लिए एफसीएमआईटीडीए (+लाभ/(हानि)) सहित लाभ एवं हानि पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.18 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अनुकूल	प्रतिकूल	अनुकूल	प्रतिकूल	अनुकूल	प्रतिकूल
अमेरिकी डॉलर/ भारतीय रुपया	**328.50**	**(328.50)**	368.33	(368.33)	75.26	(75.26)
जापानी येन/ भारतीय रुपया	**4.72**	**(4.72)**	5.80	(5.80)	6.01	(6.01)
यूरो/ भारतीय रुपया	**1.27**	**(1.27)**	10.26	(10.26)	8.81	(8.81)

* अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए

44.4 बाजार जोखिम - ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें वित्तीय दस्तावेज के भावी नकद प्रवाह में ब्याज दरों में परिवर्तनों के कारण उतार-चढ़ाव आएगा।

कंपनी ब्याज दर स्वैप संविदाओं तथा अग्रवर्ती ब्याज दर संविदाओं के प्रयोग जैसी विभिन्न व्युत्पन्नात्मक संविदाएं करके ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है। हेजिंग क्रियाकलापों का मूल्यांकन ब्याज दर दृष्टिकोण को ठीक करने के लिए नियमित रूप से किया जाता है और सर्वाधिक लागत प्रभावी हेजिंग नीतियां सुनिश्चित करके

परिभाषित जोखिम इच्छा लागू की जाती है।

निम्नलिखित तालिका निम्नलिखित रूप में 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार हेज्ड/ अन-हेज्ड श्रेणी के तहत विभाजन सहित अस्थिर दर देयताओं पर ब्याज दर जोखिम में कंपनी की समग्र स्थिति दर्शाती है:

(विदेशी मुद्रा राशियां मिलियन में, भारतीय ₹ के समतुल्य करोड़ रू पए में)

मुद्रा	31.03.2019 के अनुसार			31.03.18 के अनुसार			01.04.2017 के अनुसार		
	स्थिर ब्याज दर एक्सपोज़र	व्युत्पन्नों के माध्यम से हेजेड	अनहेजेड एक्सपोजर	स्थिर ब्याज दर एक्सपोज़र	व्युत्पन्नों के माध्यम से हेजेड	अनहेजेड एक्सपोजर	स्थिर ब्याज दर एक्सपोज़र	व्युत्पन्नों के माध्यम से हेजेड	अनहेजेड एक्सपोजर
आईएनआर उधारियाँ	**19,550.00**	**-**	**19,550.00**	-	-	-	-	-	-
यूएस $	**2,980.00**	**2,005.00**	**975.00**	3,270.87	2,335.00	935.87	2,885.00	2,085.00	800.00
भारतीय ₹ के समतुल्य	**20,613.05**	**13,868.85**	**6,744.20**	21,275.07	15,187.80	6,087.27	18,765.22	13,561.69	5,203.53
जापानी येन ¥	**10,327.12**	**10,327.12**	**-**	-	-	-	19,029.00	-	19,029.00
भारतीय ₹ के समतुल्य	**645.65**	**645.65**	**-**	-	-	-	1,102.92	-	1,102.92
यूरो €	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-
भारतीय ₹ के समतुल्य	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**
कुल भारतीय ₹ के समतुल्य	**40,808.70**	**14,514.50**	**26,294.20**	**21,275.07**	**15,187.80**	**6,087.27**	**19,868.14**	**13,561.69**	**6,306.45**

कंपनी का ऋण देने के पोर्टफोलियो में अर्ध-निर्धारित दर पर ब्याज देना शामिल है अर्थात लेनदार के 3/10 वर्ष के पुनःनिर्धारित विकल्प के साथ ब्याज की निर्धारित कंपनी विद्यमान बाजार स्थितियों, उधार लागत, उत्पादन, फैलाव, प्रतिस्पर्द्धियों की दरों, स्वीकृतियों और संवितरणों आदि के आधार पर आवधिक रूप से अपनी उधार दरों की समीक्षा करती है। पूर्व भुगतान के जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी ऋण के पूर्व भुगतान के मामले में लेनदारों से पूर्व भुगतान किश्त लेती है। ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन ब्याज दर संवेदनशीलता अंतराल विवरणों का विश्लेषण करके और निर्धारित तथा अस्थिर ब्याज दरों के मिश्रण से परिसंपत्तियों और देयताओं के सृजन का मूल्यांकन करके किया जाता है।

कंपनी निम्नलिखित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दर जोखिम की स्थिति में है जो कि अर्ध-निर्धारित दरों पर हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
रूपी ऋण	**279,021.68**	233,801.39	198,339.83

संवेदी विश्लेषण

लेखा संबंधी टिप्पणियां

निम्नलिखित तालिका 50 आधार अंकों की वृद्धि अथवा कमी के लिए अथवा अन-हेज्ड स्थितियों पर कंपनी की अस्थिर दर परिसंपत्तियों और देयताओं पर ब्याज दर में लाभ एवं हानि (/प्राप्ति(हानि) पर प्रभाव दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अस्थिर दर ऋण देयताएं	**(85.53)**	**85.53**	(19.80)	19.80	(20.62)	20.62
अस्थिर/अर्ध-निर्धारित दर ऋण परिसंपत्तियां	**907.60**	**(907.60)**	760.51	(760.51)	648.49	(648.49)

* अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए

उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया धनराशि पूरे वर्ष के लिए बकाया रहती है। 50 आधार अंक की वृद्धि अथवा गिरावट ब्याज दर में उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तन के प्रबंधन का मूल्यांकन दर्शाती है।

44.5 बाजार जोखिम - कीमत जोखिम

कंपनी उल्लिखित इक्विटी शेयरों और उद्यम पूंजीगत निधियों में निवेशों से उत्पन्न होने वाले इक्विटी कीमत जोखिमों की स्थिति में है। कंपनी के इक्विटी निवेश व्यापारिक प्रयोजनों के बजाए नीतिगत प्रयोजनों के लिए रखे जाते हैं।

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका, समूह से बाहर कंपनी के इक्विटी निवेशों पर संबंधित कीमतों में 5 प्रतिशत की वृद्धि अथवा गिरावट के लिए ओसीआई लाभ/(हानि) को पर प्रभाव दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अन्य व्यापक आय पर प्रभाव (ओसीआई)	**32.35**	**(32.35)**	35.93	(35.93)	35.40	(35.40)

45. व्युत्पन्नों से संबंधित अतिरिक्त प्रकटन

45.1 अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(i)	स्वैप अनुबंधों का कल्पित मूल	**45,803.16**	42,961.27	42,220.55
(ii)	हानियां, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी बाध्यताओं को पूरा करनेमें प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी	**1,802.58**	690.38	628.07
(iii)	स्वैप में प्रविष्ट करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित कोलेटरल	**शून्य**	शून्य	शून्य
(iv)	स्वैपों के कारण उत्पन्न हुए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	**कृपया निम्न का संदर्भ लें**	कृपया निम्न का संदर्भ लें	कृपया निम्न का संदर्भ लें
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	**1,643.18**	372.63	273.61

* कंपनी द्वारा किए गए सभी मुद्रा व्युत्पन्न और ब्याज व्युत्पन्न शामिल हैं। आरईसी ने एक एनबीएफसी होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रेणी-1, प्राधिकृत डीलर बैंकों के साथ ही स्वैप करार किया है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप करार बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित ऋण जोखिम सीमा के अंतर्गत हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

45.2 कंपनी ने किसी भी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों को नहीं किया है।

45.3 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		मुद्रा व्युत्पन्न*			ब्याज दर व्युत्पन्न**		
		31.03.19 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार	01.04.17 के अनुसार	31.03.19 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार	01.04.17 के अनुसार
(i)	व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि) हेजिंग के लिए	**24,366.46**	**15,455.07**	**19,130.70**	21,436.70	27,506.20	23,089.85
(ii)	मार्केट टु मार्केट स्थितियां						
क)	परिसंपत्ति (+)	**1,642.11**	**453.61**	**370.75**	160.47	236.77	257.32
ख)	देयता (-)	**29.24**	**232.67**	**289.24**	130.16	85.08	65.22
(iii)	क्रेडिट एक्सपोज़र	**24,366.46**	**15,455.07**	**19,130.70**	21,436.70	27,506.20	23,089.85
(iv)	अनहेजेड एक्सपोजर	**10,391.07**	**11,644.57**	**2,598.24**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

*इसमें पूरा हेज, मूल केवल स्वैप और कॉल स्प्रैड शामिल हैं।

**इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में ब्याज दर व्युत्पन्न शामिल हैं।

46. एक्सपोजर संबंधित से प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 12 फरवरी, 2010 के आरबीआई परिपत्र सीसी नं. 168 में निहित अनुदेशों के अनुसार आरईसी को 17 सितंबर, 2010 के अपने पत्र द्वारा एक अवसंरचना वित्तीय कंपनी (आईएफसी) के रूप में श्रेणीकृत किया था। एक आईएफसी के रूप में निजी क्षेत्र में उधार लेने के लिए कुल अनुमत्य ऋण जोखिम एक लेनदार के मामले में ली गई निधियों का 25% और लेनदारों के समूहों के मामले में 40 प्रतिशत है तथा उधार देने एवं निवेश करने के लिए एक साथ लिया गया ऋण जोखिम ली गई निधियों का क्रमशः 30% तथा 50% तक हो सकता है।

केंद्र/राज्य सरकार की कंपनियों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरईसी को 31 मार्च, 2022 तक ऋण/निवेश मानदंडों के आरबीआई का संकेंद्रण लागू होने से 16 जून, 2016 के पत्र संख्या डीएनबीआर.पीडी.सीओ.नं.2184/03.10.001/2015-16 द्वारा छूट दी है। उपर्युक्त के मद्देनजर, केंद्रीय एवं राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए हमारी अधिकतम ऋण जोखिम सीमाएं कंपनी मूल्यांकन के आधार पर स्वामित्व निधियों का 50 प्रतिशत से लेकर 250 प्रतिशत तक परिवर्तन जारी है।

निजी क्षेत्र के कंपनियों के संबंध में, एकल लेनदारों और समूह लेनदारों के लिए कंपनी का ऋण जोखिम 31 मार्च, 2019, 31 मार्च, 2018 और 01 अप्रैल, 2017 को आरबीआई प्रूडेंशियल ऋण जोखिम से अधिक नहीं रहा।

46.1 रियल एस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोजर

कंपनी का 31 मार्च, 2019 को रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई ऋण जोखिम नहीं है (31 मार्च, 2018 को शून्य, 1 अप्रैल, 2017 को शून्य)।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

46.2 पूंजीगत बाजार हेतु एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों, जिनका निगमित ऋण में अनन्य रूप से निवेश नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश;	**787.41**	858.97	848.37
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड में निवेश हेतु व्यक्ति विशेषों के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अग्रिम;	**-**	-	-
(iii)	अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों को मुख्य प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	**-**	-	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत की सीमा तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों के अन्यत्र मुख्य प्रतिभूति, पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती है;	**-**	-	-
(v)	स्टॉकब्रोकरों के लिए प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉकब्रोकरों तथा बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	**-**	-	-
(vi)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी के प्रति प्रोमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष कारपोरेटों को स्वीकृत ऋण;	**-**	-	-
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/मामलों के समक्ष कंपनियों को ब्रिज ऋण;	**-**	-	-
(viii)	उपक्रम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए समस्त एक्सपोज़र	**6.18**	6.26	6.30
	पूंजीगत बाजार हेतु कुल एक्सपोज़र	**793.59**	**865.23**	**854.67**

46.3 अग्रिमों, प्रकटनों और क्रेडिट इम्पेयर्ड हानियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(i)	अग्रिमों का संकेंद्रण			
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	**1,58,931.60**	1,36,285.52	1,11,916.90
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	**56.52%**	56.92%	55.42%
(ii)	एक्सपोजर का संकेंद्रण			

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	**2,54,896.66**	2,36,006.27	1,97,327.07
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर का प्रतिशत	**59.46%**	59.25%	60.34%
(iii)	क्रेडिट इम्पेयर्ड हानियों का संकेंद्रण			
	शीर्ष चार क्रेडिट - इंपेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए कुल बकाया (₹ करोड़ में)	**8,502.74**	8,558.91	3,444.72
	उपरोक्त चार क्रेडिट - इंपेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	**8,502.74**	8,558.91	3,444.72

47. कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, किसी प्रतिभूतिकरण/समनुदेशन लेन-देनों में प्रविष्टि नहीं की है (पिछले वर्ष शून्य है)। इसके अलावा, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए किसी परिसंपत्ति को प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी हेतु बेचा नहीं गया है। कंपनी ने गैर-निष्पादित वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद और बिक्री संबंधी कोई लेन-देन भी नहीं किया है।

48. उचित मूल्य प्रकटीकरण

परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय दस्तावेजों का उचित मूल्य और श्रेणी द्वारा उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय दस्तावेजों की ली गई लागत निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण		टिप्पणी सं.	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
	वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर मापन				
	व्युत्पन्न वित्तीय साधन	7	**1,802.58**	690.38	628.07
	निवेश* पर मापा गया				
(i)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	9	**646.99**	718.63	708.07
(ii)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	9	**1,556.87**	1,500.62	1,500.62
	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां				
	नकद और नकद समतुल्य	5	**342.94**	212.00	4,465.95
	अन्य बैंक शेष	6	**1,253.31**	1,570.07	28.44
	ऋण परिसंपत्तियां	8	**270,450.92**	228,878.25	193,934.52
	निवेश*	9	**47.16**	458.95	553.27
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	10	**18,342.48**	4,224.89	54.16
	जोड़		**294,443.25**	**238,253.79**	**201,873.10**
	उचित मूल्य पर मापित वित्तीय देयताएं				
	व्युत्पन्न वित्तीय साधन	7	**159.40**	317.75	354.46
	परिशोधितलागतपर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां				
	ऋण प्रतिभूतियां	16	**192,839.79**	179,140.13	148,723.25
	उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	17	**46,662.54**	22,631.42	21,700.17

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
अधीनस्थ देयताएं	18	**4,818.76**	2,667.36	2,667.21
अन्य वित्तीय देयताएं	19	**18,751.75**	4,299.40	244.96
जोड		**263,232.24**	**209,056.06**	**173,690.05**

* अनुषंगी और संयुक्त उद्यमों में निवेश इंड एस 27, 'पृथक वित्तीय विवरणों' की लागत पर मापित किया गया है, इसलिए यहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

48.1 उचित मूल्य अनुक्रम

ऊपर उल्लिखित वित्तीय दस्तावेजों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीक में प्रयुक्त इनपुट के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह अनुक्रम समान परिसंपत्तियों अथवा देयताओं (चरण-1 मापने) के लिए सक्रिय बाजारों में उल्लिखित कीमतों को उच्चतम प्राथमिकता और न लेने योग्य इनपुट (चरण-3 मापने) को निम्न प्राथमिकता देता है।

प्रयुक्त श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

चरण 1: सक्रिय बाजार में समान दस्तावेजों के लिए उल्लिखित कीमतें (असमायोजित);

चरण 2: चरण-1 इनपुट को छोड़कर प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों से व्युत्पन्न) लेने योग्य बाजार रिपोर्ट

चरण 3: वे इनपुट जो लेने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (न लेने योग्य इनपुट)।

कंपनी की नीति क्रियाकलाप अथवा अंतरण के कारण हुए परिस्थितियों में परिवर्तन की तारीख को उचित मूल्य अनुक्रम में अंतरण और उससे बाहर अंतरण को मान्यता देना है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं - आवर्ती उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार			31.03.2018 के अनुसार			01.04.2017 के अनुसार		
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	चरण 1	चरण 2	चरण 3	चरण 1	चरण 2	चरण 3
एफवीओसीआई पर निवेश									
इक्विटी निवेश	**640.81**	**6.18**	**-**	712.37	6.26	-	592.52	6.30	109.25
एफवीटीपीएल पर निवेश									
परपेचुअल बॉण्ड	**-**	**-**	**1,556.87**	-	-	1,500.62	-	-	1,500.62
एफवीटीपीएल पर निवेश									
व्युत्पन्न वित्तीय निवेश	**-**	**1,802.58**	**-**	**-**	**690.38**	**-**	**-**	**628.07**	**-**
एफवीटीपीएल पर देयताएँ									
व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	**-**	**159.40**	**-**	**-**	**317.75**	**-**	**-**	**354.46**	**-**

उचित मूल्य प्रकटीकरण के लिए मूल्यांकन तकनीक (चरण 1, चरण 2, चरण 3)

(क) **उल्लिखित इक्विटी निवेशों में निवेश - चरण 1 - सूचीबद्ध इक्विटी निवेशों में निवेश का मापन बाजार में उनकी तैयार रूप में उपलब्ध उल्लिखित कीमत पर किया जाता है।**

(ख) **उद्यम पूंजी निधि में निवेश - चरण 2 -** उद्यम पूंजी निधि में निवेश का मापन निधि से बांटे गए निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) प्रमाण-पत्र के अनुसार उनके उचित मूल्य पर किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ग) **व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज - चरण 2 -** उचित मूल्य का निर्धारण अग्रवर्ती विनिमय दरों, संविदा की परिपक्वता के तद्नुरूपी ब्याज दरों, स्पष्ट अस्थिरताओं आदि सहित लेने योग्य इनपुट का प्रयोग करके स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाता है।

(घ) **बेमियादी (परपेचुअल) बॉण्ड निवेशों में निवेश - चरण 3 -** कंपनी ने यूनियन बैंक, विजया बैंक और सिंडिकेट बैंक के परपेचुअल बॉण्डों में निवेश किए हैं जो एनएसई और बीएसई में उल्लिखित हैं। कंपनी इन बांडों के लिए सक्रिय बाजार लेन-देनों के लिए जांच करती है। कंपनी द्वारा धारित इन निवेशों में, इन बांडों में किसी बाजार क्रियाकलाप का कोई इतिहास नहीं है और इसीलिए इन बांडों के लिए उल्लिखित कीमत उपलब्ध नहीं है। कंपनी लेनदार बैंक की ऋण रेटिंग में किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों की जांच करती है और यदि कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है तो फिर छूटशुदा नकद प्रवाह पद्धति का प्रयोग करके उचित मूल्य की गणना करने हेतु कूपन दर पर विचार किया जाता है।

(ङ) **अनुल्लिखित इक्विटी निवेशों में निवेश - चरण - 3 -** यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लि. (यूसीएक्स) और लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर प्रा. लि. के अनुल्लिखित इक्विटी दस्तावेजों में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और कंपनी के विशेष कारणों से कंपनी द्वारा शून्य मूल्य पर लिया गया है। यूसीएक्स 2014 में बंद हो गई थी जिससे एक चालू कंपनी के रूप में रहनी बंद हो गई। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अपने ऋण हानि लोन के परिवर्तन पर लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर प्रा. लि. ने निवेश प्राप्त किए थे। चूंकि, कंपनी ने पहले ही ऋण पर जीवन पर्यन्त प्रत्याशित ऋण हानि मानी है, अतः इक्विटी मूल्य शून्य माना जाता है।

48.2 चरण 3 इनपुट के माध्यम से वित्तीय लिखते के उचित मूल्य का पुनर्समाधान

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर मापी गई चरण 3 वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की आरंभिक तथा अंतिम राशि का पुनर्समाधान दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	एफवीटीपीएल		एफवीओसीआई		कुल	
	बेमियादी (परपेचुअल) बॉण्ड में निवेश		इक्विटी बॉण्ड में निवेश			
वित्तीय वर्ष 2017-18						
वर्ष के प्रारंभ शेष		1,500.62		109.25		1,609.87
समायोजन		(168.25)				(168.25)
चरण 3 से अंतरण				(109.25)		(109.25)
निवल ब्याज आय, निवल ट्रेडिंग आय और अन्य आय		168.25				168.25
वर्ष के अंत में शेष		1,500.62		-		1,500.62
अवधि के अंत में धारित शेष पर अनरियलाइज्ड प्राप्ति / (हानि)		0.62				0.62
वित्तीय वर्ष 2018-19		**-**		**-**		
वर्ष के प्रारंभ शेष		**1,500.62**		**-**		**1,500.62**
समायोजन		**(112.00)**				**(112.00)**
निवल ब्याज आय, निवल ट्रेडिंग आय और अन्य आय		**168.25**				**168.25**
समाप्ति पर शेष		**1,556.87**		**-**		**1,556.87**
अवधि के अंत में धारित शेष पर अनरियलाइज्ड प्राप्ति / (हानि)		**56.87**		**-**		**56.87**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

48.3 परिशोधित लागत पर मापे गए लिखतें का उचित मूल्य

परिशोधित लागत जिसके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है, पर मापे गए दस्तावेजों का उचित मूल्य निम्नलिखितानुसार है। यह उचित मूल्य लेवल 3 इनपुट का प्रयोग करके परिकलित किए जाते हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां						
नकद एवं नकदी समतुल्य	**342.94**	**342.94**	212.00	212.00	4,465.95	4,465.95
उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक शेष	**1,253.31**	**1,253.31**	1,570.07	1,570.07	28.44	28.44
ऋण	**270,450.92**	**267,598.29**	228,878.25	226,731.59	193,934.52	193,558.09
निवेश	**47.16**	**47.16**	458.95	458.95	553.27	553.27
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**18,342.48**	**18,344.15**	4,224.89	4,225.71	54.16	53.71
कुल	**290,436.81**	**287,585.85**	**235,344.16**	**233,198.32**	**199,036.34**	**198,659.46**
वित्तीय देयताएं						
ऋण प्रतिभूतियां	**192,839.79**	**194,459.71**	179,140.13	183,576.03	148,723.25	156,199.56
उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	**46,662.54**	**46,595.46**	22,631.42	22,623.10	21,700.17	21,671.66
अधीनस्थ देयताएं	**4,818.76**	**4,748.14**	2,667.36	2,701.11	2,667.21	2,723.89
अन्य वित्तीय देयताएं	**18,751.75**	**18,751.75**	4,299.40	4,299.40	244.96	244.96
कुल	**263,072.84**	**264,555.06**	**208,738.31**	**213,199.64**	**173,335.59**	**180,840.07**

उचित मूल्य पर न मापे गए वित्तीय दस्तावेजों की मूल्यांकन पद्धतियां

उपर्युक्त वित्तीय दस्तावेजों, जो रिकार्ड नहीं किए गए हैं और कंपनी के वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर नहीं मापे गए हैं, के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त सिद्धांत तथा अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। ये उचित मूल्य केवल प्रकटन प्रयोजन के लिए परिकलित किए गए थे। निम्नलिखित सिद्धांत तथा अवधारणाएं केवल उपर्युक्त तालिकाओं में दस्तावेजों से संबंधित हैं।

वित्तीय परिसंपत्ति और देयताएं

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, जिनकी अल्पावधि परिपक्वता (बारह माह से कम) है, के लिए ली जाने वाली धनराशि जो हानि का निवल हैं, उनके उचित मूल्य के उपयुक्त लगभग हैं। इन दस्तावेजों में नकद एवं शेष, व्यापार प्राप्य, संविदा परिसंपत्तियां, नकद एवं नकद समतुल्य को छोड़कर, शेष व्यापार प्राप्य और विशिष्ट परिपक्वता के बिना संविदा देयता शामिल हैं।

ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम

ऋण परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य का परिकलन पोर्टफोलियो आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग करके, समान विशेषताओं पर आधारित समान समूहों में यथा संभव ऋणों का समूह बनाकर परिकलित किया जाता है। कंपनी फिर छूटशुदा नकद प्रवाह मॉडलों, जो ऋणों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर विचार करके ब्याज दर अनुमानों को शामिल करते हैं, का प्रयोग करके पूरे पोर्टफोलियो में उचित मूल्य का परिकलन एवं बहिर्वेशन करती है। जहां यह सूचना उपलब्ध नहीं होती है, कंपनी ऐतिहासिक अनुभव तथा अपने सामूहिक हानि मॉडलों में प्रयुक्त अन्य सूचना का प्रयोग करती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई ऋण प्रतिभूतियों के मूल्य वास्तविक अथवा अनुमानित राशियों का प्रयोग करते हुए और प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम को शामिल करते हुए उन राशियों में से घटाकर संविदागत नकद प्रवाह पर आधारित छूटशुदा नकद प्रवाह मॉडल का प्रयोग कर अनुमानित किए जाते हैं।

जारी किए गए ऋण

कंपनी की निर्धारित ब्याज वाली ऋण प्रतिभूतियों, उधारों और सहायक देयताओं का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जारीकर्ता की उधार दर दर्शाने वाली छूट दर का प्रयोग कर छूटशुदा नकद प्रवाह ('डीसीएफ') पद्धति लागू कर निर्धारित किया जाता है। 31 मार्च, 2019 को निजी गैर-निष्पादक जोखिम अपर्याप्त मूल्यांकित किया गया था।

कंपनी द्वारा ली गई अन्य सभी ऋण प्रतिभूतियां, उधार और सहायक देयताएं परिवर्ती दर सुविधाएं हैं जो उल्लिखित ब्याज दर तत्वों में परिवर्तन के अधीन हैं। इसके अधीन, इन सुविधाओं पर पहला ऋण कंपनी के ऋण योग्यता में परिवर्तनीय से परिवर्तन के अधीन है। प्रबंधन का विश्वास है कि इन ऋणों पर ब्याज की वर्तमान दर कंपनी पर लागू बाजार दरों से अनुमानित रूप से निकट हैं। अत: प्रबंधन यह आकलन करता है कि इन उधारों का उचित मूल्य उनके संबंधित लिए जाने वाले मूल्यों के लगभग है।

49. ऐसा कोई भी सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं है, जिनका कंपनी पर ऐसा कोई बकाया है, जो 31 मार्च 2019 के अनुसार 45 से अधिक दिनों तक बकाया रहे हों । इस सूचना को कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे चिन्हित पक्षों की स्थिति को सभी स्तर पर निर्धारित किया गया है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट किए जाने के लिए यथा अपेक्षित है।

50. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

50.1 संबंधित पक्षकारों की सूची

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

डॉ. पी. वी. रमेश	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (5 मार्च 2019 तक)
श्री अजीत कुमार अग्रवाल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (6 मार्च 2019 से) एवं निदेशक (वित्त)
श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)
डॉ. अरुण कुमार वर्मा	सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी निदेशक)
श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती आशा स्वरूप	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
डॉ. भागवत किशनराव कराड	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (17 जुलाई 2018 से)
प्रोफेसर टी. टी. राम मोहन	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्री जे.एस. अमिताभ	महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

(2) होल्डिंग कंपनी

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (28 मार्च 2019 से)

(3) अनुषंगी कंपनियां

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)

(4) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनियां

दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड

लेखा संबंधी टिप्पणियां

घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड- आरईसीटीपीसीएल, घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड और मेसर्स अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड (एटीएल) के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलत: 19.06.2018 को यह कंपनी, मेसर्स अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड (एटीएल) को हस्तांतरित की गयी।

चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड

कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड

दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड

मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड

जवाहरपुर - फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड - 20.08.2018 को निगमित की गयी और आरईसीटीपीसीएल, जवाहरपुर - फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड और पीजीसीआईएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलत: 21.12.2018 को यह कंपनी, मेसर्स पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को हस्तांतरित की गयी।

भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड - 18.09.2018 को निगमित

उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड - 29.11.2018 को निगमित

जाम खंबालिया ट्रांस्को लिमिटेड - 11.03.2019 को निगमित

खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड - 12.03.2019 को निगमित

अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड - 19.03.2019 को निगमित

लकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड - 19.03.2019 को निगमित

डब्ल्यूआरएसएस XXI (ए) ट्रांस्को लिमिटेड - 26.03.2019 के निगमित

(5) संयुक्त उपक्रम

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)

क्रेगटन एनर्जी लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

ईईएसएल एनर्जीप्रो असेस्ट्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना एक्विजिशन लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एनेस्को एनर्जी सर्विसेज साउथ लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

ईपीएएल होल्डिंग्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना आस्ट्रेलिया पीटीवाई लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

स्टेनबैक लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना यूके लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना पावर लिमिटेड लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

अरमौरा होल्डिंग्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

(6) नियोजन-उपरांत हितलाभ योजना ट्रस्ट

आरईसी लिमिटेड अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

लेखा संबंधी टिप्पणियां

आरईसी ग्रैच्युटी निधि

आरईसी कर्मचारी अधिवर्षिता ट्रस्ट

आरईसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा ट्रस्ट

(7) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी

आरईसी फाउंडेशन

नियंत्रक कंपनी की जुड़े निम्नलिखित पक्षकार भी 28 मार्च, 2019 से आरईसी से जुड़े पक्षकार माने जाएंगे।

(1) होल्डर कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एन. बी. गुप्ता	निदेशक (वित्त)
श्री चिनमॉय गंगोपाध्याय	निदेशक (परियोजना)
श्री प्रवीण कुमार सिंह	निदेशक (वाणिज्यिक)
श्री सीताराम पारिक	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती गौरी चौधरी	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्री मनोहर बलवानी	कंपनी सचिव

(2) होल्डर कंपनी की अनुषंगी कंपनियां

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)

पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स (प्रा.) लिमिटेड (पीईसीएपी) (पीईसीएपी का स्वैच्छिक समापन विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है।)

(3) होल्डर कंपनी की संबद्ध कंपनियां

साक्षीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड

घोगरापल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड

तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड

देवघर मेगा पावर लिमिटेड

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड

चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड

छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड

ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड

देवघर इंफ्रा लिमिटेड

बिहार मेगा पावर लिमिटेड

बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड

लेखा संबंधी टिप्पणियां

झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड

टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)

शोंगटोंग-करछम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)

बल्लभगढ़-जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)

मोहिंदरगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)

बीकानेर-खेतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)

साउथ-सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)

भुज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)

फतेहगढ़-II ट्रांस्को लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)

बीजावाड़-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)

वापी-II नॉर्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)

लकड़िया-वड़ोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)

(4) होल्डर कंपनी की नियोजन पश्चात हितलाभ योजना

पीएफसी कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट

पीएफसी कर्मचारी उपदान ट्रस्ट

पीएफसी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2007

पीएफसी लि. अधिवर्षिता चिकित्सा निधि

50.2 संबद्ध पक्षकारों से/को बकाया राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
आरईसीपीडीसीएल			
ऋण प्रतिभूतियां	**10.44**	10.44	10.44
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**1.37**	1.23	1.07
अन्य वित्तीय देयताएं	**0.49**	4.35	1.51
आरईसी टीपीसीएल			
ऋण प्रतिभूतियां	**60.00**	60.00	60.00
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**0.36**	0.27	0.27
नियोजन पश्चात हितलाभ योजना ट्रस्ट			
ऋण प्रतिभूतियां	**3.00**	3.00	3.00
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**31.78**	2.84	13.63
अन्य वित्तीय देयताएं	**2.77**	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
होल्डर कंपनी का नियोजन पश्चात हितलाभ योजना ट्रस्ट			
ऋण प्रतिभूतियां	**1.20**	-	-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
ऋण प्रतिभूतियां	**1.00**	0.25	0.25
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	**0.46**	0.56	0.53
होल्डर कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
ऋण प्रतिभूतियां	**0.10**	-	-

50.3 वर्ष के दौरान अनुषंगी कंपनियों के संबंध में ऋणों / अग्रिमों /बकाया निवेशों की अधिकतम राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण एवं अग्रिम		निवेश	
	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18
आरईसीटीपीसीएल	**1.16**	0.32	**0.05**	0.05
आरईसीपीडीसीएल	**3.08**	2.50	**0.05**	0.05

50.4 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18
आरईसी पीडीसीएल		
सब्सिडी से संवितरण / भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	**0.62**	0.06
कार्मिक हितलाभ एवं अन्य व्यय	**8.94**	5.34
लाभांश आय	**22.55**	12.11
वित्तीय लागत - ब्याज भुगतान	**0.84**	0.84
सीएसआर व्यय	**-**	0.19
अन्य व्यय	**10.56**	16.58
आरईसी टीपीसीएल		
सब्सिडी से संवितरण / भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	**11.35**	1.52
कार्मिक हितलाभ एवं अन्य व्यय	**4.39**	2.72
लाभांश आय	**68.29**	13.80
वित्तीय लागत - ब्याज भुगतान	**4.70**	4.70
अन्य व्यय	**0.77**	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18
नियोजन पश्चात लाभ योजना ट्रस्ट		
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया अंशदान	**99.58**	13.63
भारत सरकार द्वारा दिए गए बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	**29.30**	-
वित्त लागत - प्रदत्त ब्याज	**0.27**	0.27
होल्डर कंपनी के नियोजन पश्चात लाभ योजना ट्रस्ट		
कंपनी के बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	**1.20**	
मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	**-**	0.20
कर्मचारी ऋणों पर ब्याज आय	**0.09**	0.04
वित्त लागत	**0.02**	0.01
कर्मचारी लाभ व्यय - प्रबंधकीय पारिश्रमिक	**2.65**	2.07
निदेशकों का बैठक शुल्क	**0.24**	0.18

50.5 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन के नियम और शर्तें

कंपनी संबंधित पक्षकारों के साथ आर्म्स लेंथ आधार पर लेन-देन करती है। प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक और ऋण कंपनी के सेवा नियमावली के अनुरूप हैं। इसके अलावा, संबंधित पक्षों को भुगतान की गई वित्त लागत कंपनी के ऋण प्रतिभूतियों में उनके निवेश के कारण होती है और ऐसी ऋण प्रतिभूतियों पर देय ब्याज दर सभी बॉन्डधारकों के लिए समान रूप से लागू होती है।

कंपनी अपनी अनुषंगी कंपनियों को स्थापना और प्रशासनिक खर्चों के अपवर्जन (एपोर्शनमेंट) के कारण अग्रिम भुगतान करती है, जो मासिक आधार पर वसूल किए जाते हैं। हालांकि, वर्ष के अंत में सहायक कंपनियों के बकाया शेष अप्रतिभूत हैं, कंपनी ने संबंधित पक्षों द्वारा बकाया राशि से संबंधित प्राप्तियों की कोई हानि दर्ज नहीं की है। यह आकलन आगे दिए गए अग्रिमों की अल्पकालिक प्राप्ति के आधार पर किया गया है।

50.6 प्रबंधकीय पारिश्रमिक

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18
(i) अल्पावधि कार्मिक लाभ	**2.44**	1.93
(ii) नियोजन पश्चात लाभ	**0.21**	0.14
कुल	**2.65**	**2.07**

चूंकि, उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति के लिए देयताएं प्रत्येक अलग-अलग कर्मचारी के बजाए समग्र रूप से कंपनी के लिए वास्तविक आधार पर लिए जाते हैं, अत: विशेष रूप से केएमपी से संबंधित धनराशि ज्ञात नहीं है और इसीलिए उपर्युक्त तालिका में शामिल नहीं की गई है। उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति उपर्युक्त तालिका में संबंधित वर्ष में वास्तविक भुगतान के आधार पर शामिल की गई है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

50.7 उसी सरकार के नियंत्रणाधीन कंपनियों के संबंध में प्रकटन (सरकारी कंपनियां)

सरकार से संबंधित एंटिटियों की सूची

कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्न सरकार से संबंधित एंटिटियों से लेन-देन किया है:

भारतीय रेल बिजली कंपनी लि.

भिलाई इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड

बिहार ग्रिड कंपनी लि.

दामोदर घाटी निगम

नबीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड

नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लि.

एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लि.

पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

टीएचडीसी इंडिया लि.

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

सरकार से संबंधित ऐसी एंटिटियों से कुल शेष बकाया निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18
ऋण का संवितरण	**3,583.67**	4,193.05
मान्य की गयी ब्याज आय	**1,935.27**	1,877.35

सरकार से संबंधित ऐसी एंटिटियों से कुल शेष बकाया निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
ऋण परिसंपत्तियां	**21,034.76**	19,879.42	16,727.92
ब्याज उपचित	**15.88**	12.60	11.60

सरकार के साथ वास्तविक लेन-देन के संबंध में टिप्पणी संख्या 10, 19 और 22 देखें।

51. भारतीय लेखांकन मानक 19 कर्मचारी लाभ' के तहत अपेक्षित कर्मचारी लाभों के लिए प्रकटन

51.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

आरईसी भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत पंजीकृत पृथक ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि का निर्धारित अंशदान देता है जो निधियों को अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वह ट्रस्ट वर्ष के दौरान निवेशों पर अर्जित आय पर आधारित निधि के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज की दर निर्धारित करता है। चूंकि, अधिनियम में निधि के सदस्यों को दिया जाने वाला न्यूनतम ब्याज निर्धारित नहीं है, अतः वह भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के अनुसार परिभाषित अंशदान योजना मानी जाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

ख. परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना

कंपनी एनपीएस ट्रस्ट/पृथक ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर अधिवर्षिता योजना के निमित्त निर्धारित अंशदान देती है जो निधियों का अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। एनपीएस ट्रस्ट/पृथक ट्रस्ट में शेष में संचित आय सहित सदस्यों के खाते में मासिक अंशदान शामिल होता है। जब सदस्य को पेंशन देय होती है तो सदस्य के खाते में रही राशि का विनियोजन सदस्य के संचय के निमित्त किया जाता है और सदस्य द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार वार्षिकी आबंटित की जाती है।

कंपनी ने परिभाषित अंशदान योजनाओं के निमित्त ₹ 14.59 करोड़ (पूर्व वर्ष ₹ 13.88 करोड) का व्यय माना है।

51.2 परिभाषित लाभ योजनाएं - नियोजन पश्चात लाभ

क. उपदान

कंपनी में एक परिभाषित उपदान योजना है जिसका प्रबंधन एक पृथक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष अथवा उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, यथासंशोधित उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों पर विचार करते हुए अधिवर्षिता, त्याग पत्र, सेवा समाप्ति, अपंगता अथवा मृत्यु पर अधिकतम ₹ 0.20 करोड़ के अधीन पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन पर उपदान का हकदार होता है।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**42.41**	52.59	50.61
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**44.15**	48.66	35.69
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं	**(1.74)**	3.93	14.92

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
आरंभिक शेष	**52.59**	50.61	**48.66**	35.69	**3.93**	14.92
लाभ अथवा हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	**2.59**	2.11	**-**	-	**2.59**	2.11
विगत सेवा लागत	**-**	-	**-**	-	**-**	-
ब्याज लागत/आय	**4.00**	3.80	**3.71**	2.67	**0.29**	1.13
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	**6.59**	5.91	**3.71**	2.67	**2.88**	3.24
ओसीआई में शामिल						
पुन:मापन हानि (प्राप्ति)						
-वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	**(0.31)**	0.27	**-**	-	**(0.31)**	0.27
-जनसांख्यिकीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	**(1.44)**	-	**-**	-	**(1.44)**	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
-अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	**(3.69)**	(0.39)	**-**	-	**(3.69)**	(0.39)
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर लाभ	**-**	-	**0.22**	0.27	**(0.22)**	(0.27)
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	**(5.44)**	(0.12)	**0.22**	0.27	**(5.66)**	(0.39)
भागीदारों द्वारा अंशदान			**2.84**	13.63	**(2.84)**	(13.63)
कर्मचारियों द्वारा अंशदान			**0.05**	0.21	**(0.05)**	(0.21)
भुगतान किए गए हितलाभ	**(11.33)**	**(3.81)**	**(11.33)**	**(3.81)**	**-**	**-**
समाप्ति पर शेष	**42.41**	**52.59**	**44.15**	**48.66**	**(1.74)**	**3.93**

ख. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी में सेवानिवृत्त के बाद चिकित्सा सुविधा है जिसके तहत पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को कंपनी के नियमों के अनुसार शामिल किया जाता है। इस योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और वित्तीय वर्ष 2018-19 से एक पृथक ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। इसके निमित्त देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**129.77**	105.19	97.15
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**97.99**	-	-
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं	**31.78**	105.19	97.15

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
आरंभिक शेष	**105.19**	97.15	**-**	-	**105.19**	97.15
लाभ अथवा हानि में शामिल	**-**	-	**-**	-	**-**	-
वर्तमान सेवा लागत	**2.06**	1.96	**-**	-	**2.06**	1.96
विगत सेवा लागत	**-**	-	**-**	-	**-**	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
ब्याज लागत/आय	**7.99**	7.28	**1.25**	-	**6.74**	7.28
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	**10.05**	9.24	**1.25**	-	**8.80**	9.24
ओसीआई में शामिल						
पुन:मापन हानि (प्राप्ति)						
-वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	**(6.34)**	4.39	**-**	-	**(6.34)**	4.39
-जनसांख्यिकीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	**1.20**	-			**1.20**	-
-अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	**29.44**	2.07	**-**	-	**29.44**	2.07
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर लाभ	**-**	-	**-**	-	**-**	-
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	**24.30**	6.46	**-**	-	**24.30**	6.46
भागीदारों द्वारा अंशदान	**-**	-	**96.74**	-	**(96.74)**	-
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	**-**	-	**-**	-	**-**	-
भुगतान किए गए हितलाभ	**(9.77)**	**(7.66)**	**-**	**-**	**(9.77)**	**(7.66)**
समाप्ति पर शेष	**129.77**	**105.19**	**97.99**	**-**	**31.78**	**105.19**

ग. आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस)

कंपनी में सेवा काल के दौरान किसी कर्मचारी की स्थायी अपंगता/मृत्यु के मामले में परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए एक आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) है। यह योजना वित्तपोषणरहित है और देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य			
-ईआरएस	**3.69**	3.34	3.45

लेखा संबंधी टिप्पणियां

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
आरंभिक शेष	**3.34**	3.45
लाभ अथवा हानि में शामिल		
वर्तमान सेवा लागत	**0.18**	0.16
ब्याज लागत/आय	**0.25**	0.27
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	**0.43**	0.43
ओसीआई में शामिल		
पुनःमापन हानि (प्राप्ति)		
-वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	**(0.02)**	(0.02)
-अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	**0.75**	0.30
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	**0.73**	0.28
भुगतान किए गए हितलाभ	**(0.81)**	(0.82)
समाप्ति पर शेष	**3.69**	**3.34**

51.2.1 जोखिम प्रकटन

कंपनी अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से कई जोखिमों को लेती है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नीचे दिए गए हैं:

(i) **परिसंपत्ति अस्थिरता**

अधिकतर योजना परिसंपत्ति निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च दर वाली ग्रेडों और म्युच्युअल फंडों के साथ अन्य निर्धारित आय प्रतिभूतियों में है। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ब्याज दरों तथा अन्य बाजार और सूक्ष्म आर्थिक कारकों में परिवर्तन के कारण अस्थिरता के अधीन होता है।

(ii) **छूट दर में परिवर्तन**

परिभाषित लाभ योजना देयताओं का वर्तमान मूल्य छूट दर का प्रयोग करके परिकलित किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार परिणामों के संदर्भ द्वारा निर्धारित किया जाता है। छूट दर में कमी से परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में वृद्धि होगी, यद्यपि यह योजनाओं के निवेशों के मूल्य में वृद्धि से आंशिक रूप से ऑफसेट होगी।

(iii) **दीर्घता जोखिम**

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य वर्ष के दौरान योजनागत प्रतिभागियों की मृत्यु और उनके नियोजन के बाद सर्वोत्तम आकलन के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। योजनागत प्रतिभागियों की जीवन आशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

(iv) **वेतन जोखिम**

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य योजनागत प्रतिभागियों के भावी वेतनों के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। इस प्रकार, योजनागत प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

51.2.2 योजनागत परिसंपत्तियां

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान			पीआरएमएफ		
	31.03.2019 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
नकद एवं नकदी समतुल्य	**0.61**	0.39	0.78	**0.65**		
अनुद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां						
कारपोरेट बॉण्ड्स / डिबेंचर				**97.34**		
अन्य - बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित फंड एवं टी-बिल	**43.54**	48.27	34.91			
उप-जोड़ - अनुद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां	**43.54**	48.27	34.91	**97.34**	-	-
जोड़	**44.15**	48.66	35.69	**97.99**	-	-

योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक आय ₹ 5.16 करोड़ (पूर्व वर्ष ₹ 2.94 करोड़) है।

51.2.3 महत्वपूर्ण बीमांकिक अवधारणाएं

योजनागत परिसंपत्तियों का सबसे हाल का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य मैसर्स ट्रांसवेल्यू कंसल्टेंट्स द्वारा 31 मार्च, 2019 के अनुसार दिया गया था। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत तथा विगत सेवा लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके मापी गई थी। बीमांकिक मूल्यांकनों के लिए प्रयुक्त मूल अवधारणाएं निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18
विधि का उपयोग	**पीयूसीएम**	पीयूसीएम	**पीयूसीएम**	पीयूसीएम	**पीयूसीएम**	पीयूसीएम
योजनागत परिसंपत्तियों पर रियायती दर और प्रत्याशित प्रतिफल, यदि वित्त पोषित है	**7.71%**	7.60%	**7.71%**	7.60%	**7.71%**	7.60%
भविष्य की वेतन वृद्धि / चिकित्सा मुद्रास्फीति	**6.00%**	**6.50%**	**6.00%**	**6.50%**	**6.00%**	**6.50%**
कर्मचारियों के काम के औसत शेष जीवन (वर्ष)	**13.12**	**12.82**	**13.12**	**12.82**	**13.12**	**12.82**

अवधारणाएं छूट दर, वेतन वृद्धि दर और कर्मचारियों के प्रत्याशित औसत शेष कार्यशील जीवन हैं। छूट दर सामान्यतः उस अवधि में रिपोर्टिंग तारीख को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार परिणामों के आधार पर होती है जो देयताओं के अनुरूप होती है और वेतन वृद्धि दर दीर्घावधि आधार पर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों ध्यान में रखती है। उपर्युक्त सूचना बीमांकन द्वारा प्रमाणित है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

51.2.4 संवेदी विश्लेषण

एक संगत बीमांकिक अवधारणा में रिपोर्टिंग तारीख को उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तनों को अन्य अवधारणाओं को स्थिर रखने से नीचे दर्शाई गई राशि तक परिभाषित लाभ दायित्व प्रभावित हुआ होता।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.18 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	वृद्धि	गिरावट	वृद्धि	गिरावट	वृद्धि	गिरावट
छूट दर (0.50% संचलन)						
-उपदान	**(0.89)**	**1.10**	(1.12)	1.19	(1.16)	1.23
-पीआरएमएस	**(0.77)**	**0.84**	(0.43)	0.46	(4.83)	5.07
-ईआरएस	**(0.13)**	**0.15**	(0.12)	0.13	(0.12)	0.14
वेतन वृद्धि दर (0.50% संचलन)						
-उपदान	**0.15**	**(0.12)**	0.46	(0.50)	0.62	(0.69)
-पीआरएमएस	**-**	**-**	-	-	-	-
-ईआरएस	**0.14**	**(0.12)**	0.12	(0.11)	0.13	(0.11)
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% संचलन)						
-पीआरएमएस	**6.31**	**(5.92)**	-	-	-	-
चिकित्सा लागत (0.50% संचलन)						
-पीआरएमएस	**12.98**	**(12.98)**	-	-	-	-

उपर्युक्त प्रस्तुत संवेदी विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी संभावना नहीं है कि अवधारणाओं में परिवर्तन एक-दूसरे के अलग होने में होंगे क्योंकि कुछ अवधारणाएं सह-संबंधित हो सकती हैं।

कंपनी इस बात की सक्रिय रूप से मॉनीटरिंग करती है कि निवेशों की अवधि तथा प्रत्याशित परिणाम कर्मचारी लाभ दायित्वों से उत्पन्न होने वाले प्रत्याशित नकद बहिर्प्रवाह से मेल खा रहे हैं। निवेश ऐसे अच्छे प्रकार से विविधीकृत हैं कि किसी भी एक निवेश की विफलता का परिसंपत्तियों के समग्र स्तर पर वास्तविक प्रभाव नहीं होगा। पूर्व अवधियों से अपने जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी द्वारा उपयुक्त प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

51.2.5 भावी वर्षों में परिभाषित लाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान			पीआरएमएफ			ईआरएस		
	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
एक वर्ष से कम	**12.16**	**12.62**	**7.42**	9.64	5.39	4.66	0.82	0.01	0.03
1 से 5 वर्ष तक	**21.13**	**28.08**	**26.03**	49.25	25.53	23.39	2.12	1.73	1.80
5 वर्ष से परे	**9.12**	**11.89**	**17.16**	70.88	74.27	69.10	0.75	1.60	1.62
कुल	**42.41**	**52.59**	**50.61**	**129.77**	**105.19**	**97.15**	**3.69**	**3.34**	**3.45**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

51.2.6 अगले वर्ष के लिए प्रत्याशित अंशदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18
प्रत्याशित अंशदान	**1.72**	2.89	**34.74**	4.98	**-**	-

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 12.76 वर्ष है (31.03.2018 को - 12.82 वर्ष, 01 अप्रैल, 2017 को - 13.08 वर्ष)।

51.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

51.3.1 अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश

आरईसी में कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश लाभ तथा अर्धवेतन अवकाश लाभ के लिए प्रावधान है जो अर्धवार्षिक आधार पर क्रमशः 15 दिन और 10 दिन मिलती है। सेवाकाल के दौरान एक समय में अधिकतम 300 दिन का अर्जित अवकाश ही संचित किया जा सकता है। यद्यपि, अर्धवेतन अवकाश को संचित करने की कोई सीमा नहीं है। इन कर्मचारी लाभों के निमित्त कुल ₹ 7.26 करोड़ की व्यय राशि (पिछले वर्ष ₹ 8.43 करोड़) दी गई है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ तथा हानि विवरण से इसकी कटौती की गई है।

51.3.2 अन्य कर्मचारी लाभ

दीर्घ अवधि सेवा पुरस्कार और निपटान भत्ता के निमित्त ₹ 1.43 करोड़ (पूर्व वर्ष ₹-0.41 करोड़) राशि की बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में से कटौती की गयी है।

51.4 कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में इसकी पूर्णतया अनुषंगी कंपनियों में प्रतिनियुक्ति/सेकेंडमेंट आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के कर्मचारी लाभ (अर्थात ग्रेच्युटी, पीआरएमएफ, टर्मिनल लाभ, अवकाश नकदीकरण और अन्य कर्मचारी लाभ) के संबंध में कर्मचारी लागत के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर आवंटित किए जा रहे हैं।

52. राज्य विद्युत बोर्डों के खुलने के परिणामस्वरू प प्रलेखीकरण की स्थिति

कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय में नए एंटिटियों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों की देयताएं नई एंटिटियों में अंतरित कर दी गई हैं। हालांकि, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी), के मामले में इस कंपनी, नई एंटिटियों और राज्य सरकारों के बीच अंतरण करार निष्पादित किए जाने हैं।

तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) के मामले में करार, तमिलनाडु विद्युत (पुनर्गठन और सुधार) अंतरण योजना, 2010 के अनंतिम उपबंधों के आधार पर निष्पादित किए गए हैं। हालांकि इस संबंध में अन्य अंतरण करार तमिलनाडु के साथ विचार- विमर्श के आधार पर एक बार अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप, 02 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि, परिसंपत्तियों और देयताओं को एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संबंधित विद्युत यूटिलिटियों को अंतरित किया जाना है।

प्रलेखीकरण की स्थिति इस प्रकार है:

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(i) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण का कार्य नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नव-निर्मित यूटिलिटियों के नाम से पुनःस्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं और तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रभार को पंजीकृत किया गया है।

(ii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी और ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां इन योजनाओं के संबंध में परिवर्तित नाम वाली/नव-निर्मित यूटिलिटी से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गयी है तथा परिवर्तित नाम वाली/ नव-निर्मित यूटिलिटी के नाम में उधारकर्ता के नाम का परिवर्तन करते हुए नव-निर्मित यूटिलिटी को संवितरण कर दिया गया है।

(iii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, प्रलेखीकरण औपचारिकताएं सरकारी गारंटी के साथ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां आगे इन योजनाओं के लिए राजपत्र अधिसूचना का कार्य किया जाएगा।

(iv) एक बार अंतिम अंतरण योजना के सभी विद्युत यूटिलिटियों को परिसंपत्तियों और देयताओं के विधिवत अंतरण को इंगित करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाने पर, सभी नाम परिवर्तित/नव-निर्मित यूटिलिटियों पर बकाया ऋण के संबंध में प्रलेखीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। उस समय तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान हेतु मांग यूटिलिटियों को अलग-अलग भेजा जा रही है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूटिलिटियों द्वारा ऋण के संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

53. कंपनी के प्रचालनों में केवल एक क्षेत्र आता है - विद्युत संयंत्रों के निर्माण और विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और पारेषण में लगी विद्युत क्षेत्र के कंपनियों को भारतीय लेखांकन मानक 108 - प्रचालन खंड द्वारा अपेक्षित व्यापार/भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में ऋण उधार देना। भारतीय लेखांकन मानक 108 - प्रचालन खंड में परिभाषित 'प्रबंधन दृष्टिकोण' के आधार पर मुख्य प्रचालन प्रभार निर्माता एक व्यापारिक क्षेत्र के विभिन्न कारकों के विश्लेषण के आधार पर कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करता है।

53.1 प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से राजस्व के संबंध में सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण		वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18
(क)	ऋण परिसंपत्तियों से आय	**24,869.97**	21,908.17
(ख)	सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शुल्क	**83.02**	187.79
(ग)	अल्पावधि अधिशेष निधि के प्रबंधन से आय	**46.07**	83.03
	कुल	**24,999.06**	**22,178.99**

53.2 इस समूह में कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र नहीं है क्योंकि समूह के प्राथमिक प्रचालन देश के भीतर किए जाते हैं।

53.3 किसी भी लेनदार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2017-18 के दौरान समूह के राजस्व में 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंशदान नहीं किया है।

54. भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाना

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ये वित्तीय विवरण वे पहले वित्तीय विवरण हैं जिन्हें कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किया है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष तक की अवधि तथा उसके सहित के लिए कंपनी ने कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 (भारतीय जीएएपी अथवा पूर्व जीएएपी) के पैरा 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

तद्नुसार, कंपनी ने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं जो महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार में वर्णितानुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए तथा उस तिथि को तुलनात्मक अवधि के आंकड़ों के साथ 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अनुपालन में है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कंपनी का आरंभिक शेष पत्रक 01 अप्रैल, 2017 के अनुसार तैयार किया गया था जो कि कंपनी की भारतीय लेखांकन मानक में लेन-देन की तारीख है। इस टिप्पणी में 1 अप्रैल, 2017 को तुलन पत्रक तथा 31 मार्च, 2018 को और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों सहित अपने भारतीय जीएएपी वित्तीय विवरणों का पुनः उल्लेख करने में कंपनी द्वारा किए गए मूल समायोजन स्पष्ट किए गए हैं।

54.1 भारतीय लेखांकन मानक वैकल्पिक छूट

संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों, निवेश संपत्ति और अमूर्ति परिसंपत्तियों की मानी गई लागत

भारतीय लेखांकन मानक 101 में पूर्व जीएएपी के अनुसार मापे गए भारतीय लेखांकन मानक में पारगमन की तारीख को वित्तीय विवरणों में माने गए अनुसार उसकी संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के लिए लिए जाने वाले मूल्य के साथ जारी रहने और उसका प्रयोग प्रारंभ बंद करने की देयताओं के लिए आवश्यक समायोजन करने के बाद पारगमन की तारीख को उसकी मानी गई लागत के रूप में प्रयोग करने के लिए चुनने हेतु प्रथम बार अपनाने की अनुमति है। इस छूट का प्रयोग भारतीय लेखांकन मानक 38 अमूर्त परिसंपत्तियां में अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए और भारतीय लेखांकन मानक 40 निवेश संपत्ति में शामिल निवेश संपत्ति के लिए भी किया जा सकता है। तद्नुसार, समूहों ने अपनी पूर्व जीएएपी लिए जाने वाले मूल्य पर अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर अमूर्त परिसंपत्तियों और निवेश परिसंपत्तियों को मापने का चयन किया है।

पूर्व में मान्यता प्राप्त वित्तीय दस्तावेजों का नाम

भारतीय लेखांकन मानक 101 भारतीय लेखांकन मानक में पारगमन की तारीख को तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर एफवीओसीआई में इक्विटी दस्तावेजों में निवेशों का नाम देने के लिए कंपनी को अनुमति देता है। कंपनी ने इक्विटी निवेशों में अपने निवेश के लिए इस छूट को लागू करने का चयन किया है।

विद्यमान दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों का परिशोधन

कंपनी ने 31.03.2018 तक वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के अंतरण से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों के परिशोधन के संबंध में पूर्व जीएएपी के अनुसार नीति को जारी रखने के लिए छूट प्राप्त की है।

54.2 भारतीय लेखांकन मानक अनिवार्य अपवाद

(i) प्राक्कलन

भारतीय लेखांकन मानक में पारगमन की तारीख को भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार किसी कंपनी के प्राक्कलन, जब तक कोई वस्तुपरक साक्ष्य न हो कि वे प्राक्कलन त्रुटिपूर्ण थे, पूर्व जीएएपी (लेखांकन नीतियों में किसी अंतर को दर्शाने के लिए समायोजनों के बाद) के अनुसार उसी तारीख के लिए किए गए प्राक्कलनों के अनुरूप होंगे।

1 अप्रैल, 2017 को भारतीय लेखांकन मानक प्राक्कलन पूर्व जीएएपी के अनुरूप किए गए उसी तारीख को प्राक्कलनों के अनुरूप हैं। कंपनी ने पारगमन की तारीख को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार प्रत्याशित ऋण हानि मॉडल के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए प्राक्कलन किए क्योंकि उनकी पूर्व जीएएपी के तहत अपेक्षा नहीं थी।.

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण तथा मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और मापन यह विचार करते हुए किया जाएगा कि क्या भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार शर्तें पारगमन की तारीख को विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर पूरी की गई हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन पारगमन की तारीख को विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर केवल उसके संविदागत नकद प्रवाह संबंधी विशेषताओं का मूल्यांकन कर प्रभावी ब्याज पद्धति का प्रयोग करके किया जाता है और यदि प्रभावी ब्याज पद्धति के प्रयोग का मूल्यांकन करना व्यावहारिक न हो तो पारगमन की तारीख को वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य उस परिसंपत्ति की नई ली जाने वाली राशि होगी। मापन छूट वित्तीय देयताओं के लिए भी लागू होती है।

(iii) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

भारतीय लेखांकन मानक में पारगमन की तारीख को यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी वित्तीय दस्तावेज की आरंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में काफी वृद्धि हुई है, अदेय लागत अथवा प्रयास की अपेक्षा होगी, कंपनी में उस वित्तीय दस्तावेज की मान्यता समाप्त करने तक प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को जीवन पर्यन्त प्रत्याशित ऋण हानियों के बराबर राशि पर हानि भत्ता को मान्यता दी है।

(iv) वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की अमान्यता

भारतीय लेखांकन मानक 101, भारतीय लेखांकन मानक में पारगमन की तारीख को अथवा उसके बाद होने वाले लेन-देनों के लिए भारतीय लेखांकन मानक 109 के प्रावधानों की अमान्यता उसी तारीख से लागू करने के लिए प्रथम बार अपनाने वाले की अपेक्षा रखता है। तथापि, भारतीय लेखांकन मानक 101 प्रथम बार अपनाने वाले को कंपनी के विकल्प लेने की तारीख से पूर्व की तारीख से भारतीय लेखांकन मानक 109 में अमान्यता की अपेक्षाओं को लागू करने के लिए प्रथम बार अपनाने वाले को अनुमति देता है, बशर्ते कि विगत लेन-देनों के परिणामस्वरूप अमान्य वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं पर भारतीय लेखांकन मानक 109 लागू करने के लिए अपेक्षित सूचना उन लेन-देनों के लिए आरंभिक लेखांकन के समय प्राप्त की गई हो। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक में पारगमन की तारीख से भारतीय लेखांकन मानक 109 के प्रावधानों को उसी तारीख से अमान्यता लागू करने के लिए चुना है।

54.3 पूर्व जीएएपी और भारतीय लेखांकन मानक के बीच पुनर्समाधान

भारतीय लेखांकन मानक 101 में कंपनी से पूर्व अवधियों के लिए इक्विटी, कुल व्यापक आय और नकद प्रवाह का पुनर्समाधान करने की अपेक्षा है। निम्नलिखित तालिकाएं पूर्व जीएएपी से भारतीय लेखांकन मानक में पुनर्समाधान दर्शाती हैं:

31 मार्च, 2018 को कुल इक्विटी का पुनर्समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रथम बार अपनाने से संबंधित टिप्पणियां	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
पूर्व जीएएपी के अनुसार कुल इक्विटी (शेयरधारकों की निधियां)		35,490.51	33,325.59
समायोजन:			
आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर और बाद में परिशोधित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	**Note - 1**	(71.32)	(109.02)
आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर और बाद में परिशोधित मूल्य पर वित्तीय देयताओं का मापन	**Note - 2**	248.07	332.23
उचित मूल्य पर निवेशों का मापन	**Note - 3**	239.71	201.82
ऋण परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानि की मान्यता	**Note - 4**	(6,405.99)	(5,501.19)
मार्क टू मार्केट पर व्युत्पन्नों का मापन	**Note - 6**	(178.21)	71.50
अन्य विविध समायोजन		9.32	2.69
बुरे और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से अधिक संचित हानि भत्ते पर कर प्रभाव	**Note - 5**	2,979.61	2,272.18
भारतीय लेखांकन मानक समायोजनों का आय कर प्रभाव	**Note - 5**	(8.55)	(44.04)
कुल समायोजन		(3,187.36)	(2,773.83)
भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कुल इक्विटी		32,303.15	30,551.76

पूर्व वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए पुनः वर्गीकृत/पुनःसमूहित किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय का पुनर्समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रथम बार अपनाने से संबंधित टिप्पणियां	वित्तीय वर्ष 2017-18
पूर्व जीएएपी के अनुसार कर पश्चात लाभ		4,647.00
समायोजन:		
आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर और बाद में परिशोधित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	**Note 1**	37.70
आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर और बाद में परिशोधित मूल्य पर वित्तीय देयताओं का मापन	**Note 2**	(84.16)
प्रत्याशित ऋण हानि के लिए भत्ता	**Note 4**	(875.38)
मार्क टू मार्केट पर व्युत्पन्नों का मापन	**Note 6**	(59.06)
अन्य विविध समायोजन	**Note 5**	12.96
कुल समायोजन		(967.94)
बुरे और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से अधिक संचित हानि भत्ते पर कर प्रभाव		707.43
भारतीय लेखांकन मानक समायोजनों का आय कर प्रभाव	**Note 5**	33.40
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार लाभ		4,419.89
अन्य व्यापक आय	**Note 3**	4.24
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कुल व्यापक आय		4,424.13

पूर्व वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए पुनः वर्गीकृत/पुनःसमूहित किया गया है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाहों के विवरण पर भारतीय लेखांकन मानक अपनाने का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूर्व जीएएपी के अनुसार	भारतीय लेखांकन मानक समायोजन*	भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार
प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से निवल नकद प्रवाह	(31,283.32)	(1,494.55)	(32,777.87)
निवेशात्मक क्रियाकलापों से निवल नकद प्रवाह	294.04	(6.32)	287.72
वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकद प्रवाह	28,272.46	(36.26)	28,236.20
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि	**(2,716.82)**	**(1,537.13)**	**(4,253.95)**
1 अप्रैल, 2017 को नकद एवं नकद समतुल्य	4,488.04	(22.09)	4,465.95
31 मार्च, 2018 को नकद एवं नकद समतुल्य	1,771.22	(1,559.22)	212.00

पूर्व जीएएपी से भारतीय लेखांकन मानक में पारगमन से निम्नलिखित को छोड़कर नकद प्रवाह के विवरण पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ा है:

(1) निर्धारित बैंक शेष 'नकद एवं नकद समतुल्य' के बजाए 'अन्य बैंक शेष' के रूप में वर्गीकृत किए जा रहे हैं। तद्नुसार, अनुदानों के संबंध में बैंक शेष 'प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकद प्रवाह' के तहत समायोजित किए जा रहे हैं। इन शेषों में संचलन के प्रभाव को नकारने के लिए यहां 'वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह' के तहत वर्गीकृत अनुदानों की प्राप्ति एवं संवितरण से निवल नकद प्रवाह को अब 'प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकद प्रवाह' के रूप में समायोजित किया जा रहा है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(2) आवधिक जमाओं पर हुए ब्याज को मूल आवधिक जमा के शीर्ष की तरह उसी शीर्ष में वर्गीकृत किया जाता है।

(3) यहां 'वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह' के रूप में वर्गीकृत व्युत्पन्नों के संबंध में नकद प्रवाह अब एनबीएफसी के लिए अधिसूचित अनुसूची-III प्रभाग-III के तहत प्रस्तुती पर विचार करते हुए 'प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकद प्रवाह' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिसमें व्युत्पन्नों के परिवर्तनों में उचित मूल्य 'प्रचालनों से राजस्व' का भाग बनता है।

(4) अर्हक परिसंपत्तियों के निमित्त पूंजीकृत मात्रा तक वित्तीय लागतें अब 'निवेशात्मक क्रियाकलापों से नकद प्रवाह' के रूप में वर्गीकृत की जा रही है।

31 मार्च, 2018 और 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार पूर्व जीएएपी के अनुसार तैयार किए गए तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं का पुनर्गठन

(₹ करोड़ में)

विवरण		प्रथम बार अपनाने के लिए टिप्पणियां	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार			01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार		
			पूर्व जीएएपी*	इंड-एएस में लेन-देन संबंधी समायोजन	इंड-एएस राशि	पूर्व जीएएपी*	इंड-एएस में लेन-देन संबंधी समायोजन	इंड-एएस राशि
	परिसंपत्तियां							
(1)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**							
(क)	नकद एवं नकद समतुल्य		212.00	-	212.00	4,465.95	-	4,465.95
(ख)	अन्य बैंक शेष		1,570.07	-	1,570.07	28.44	-	28.44
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	6	465.25	225.13	690.38	335.89	292.18	628.07
(घ)	ऋण	1	235,345.62	(6,467.37)	228,878.25	199,514.26	(5,579.74)	193,934.52
(ङ)	निवेश	3	2,585.09	239.71	2,824.80	2,706.74	201.82	2,908.56
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		4,238.15	(13.26)	4,224.89	69.15	(14.99)	54.16
	जोड़ - वित्तीय परिसंपत्तियां		244,416.18	(6,015.79)	238,400.39	207,120.43	(5,100.73)	202,019.70
(2)	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां**							
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)		21.02	-	21.02	38.97	-	38.97
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	5	(66.95)	2,971.06	2,904.11	(40.26)	2,228.14	2,187.88
(ग)	निवेश संपत्ति		0.01	-	0.01	0.01	-	0.01
(घ)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर		123.08	0.11	123.19	120.68	0.13	120.81
(ङ)	चल रहे पूंजीगत कार्य		118.19	9.04	127.23	58.69	2.72	61.41
(च)	विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां		1.46	-	1.46	1.46	-	1.46
(छ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां		5.15	-	5.15	0.43	-	0.43
(ज)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां		342.78	(256.15)	86.63	42.99	14.99	57.98
	जोड़ -गैर -वित्तीय परिसंपत्तियां(2)		544.74	2,724.06	3,268.80	222.97	2,245.98	2,468.95
	कुल परिसंपत्तियां (1+2)		**244,960.92**	**(3,291.73)**	**241,669.19**	**207,343.40**	**(2,854.75)**	**204,488.65**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रथम बार अपनाने के लिए टिप्पणियां	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार			01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार		
		पूर्व जीएएपी*	इंड-एएस में लेन-देन संबंधी समायोजन	इंड-एएस राशि	पूर्व जीएएपी*	इंड-एएस में लेन-देन संबंधी समायोजन	इंड-एएस राशि
देयताएं और इक्विटी							
देयताएं							
(1) वित्तीय देयताएं							
(क) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज	6	-	317.75	317.75	-	354.46	354.46
(ख) ऋण प्रतिभूतियां	2	179,301.47	(161.34)	179,140.13	148,821.99	(98.74)	148,723.25
(ग) उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	2	22,901.24	(269.82)	22,631.42	22,066.15	(365.98)	21,700.17
(घ) अधीनस्थ देयताएं	2	2,668.38	(1.02)	2,667.36	2,668.38	(1.17)	2,667.21
(ङ) अन्य वित्तीय देयताएं		4,299.40	-	4,299.40	244.96	-	244.96
कुल - वित्तीय देयताएं (1)		209,170.49	(114.43)	209,056.06	173,801.48	(111.43)	173,690.05
(2) गैर-वित्तीय देयताएं							
(क) प्रावधान	4	220.21	0.16	220.37	190.03	23.97	214.00
(ख) अन्य गैर-वित्तीय देयताएं		79.71	9.90	89.61	26.30	6.54	32.84
कुल - गैर-वित्तीय देयताएं (2)		299.92	10.06	309.98	216.33	30.51	246.84
(3) इक्विटी							
(क) इक्विटी शेयर पूंजी		1,974.92	-	1,974.92	1,974.92	-	1,974.92
(ख) अन्य इक्विटी		33,515.59	(3,187.36)	30,328.23	31,350.67	(2,773.83)	28,576.84
कुल - इक्विटी (3)		35,490.51	(3,187.36)	32,303.15	33,325.59	(2,773.83)	30,551.76
कुल - देयताएं और इक्विटी (1+2+3)		**244,960.92**	**(3,291.73)**	**241,669.19**	**207,343.40**	**(2,854.75)**	**204,488.65**

पूर्व वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए पुनः वर्गीकृत/पुनःसमूहित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार और भारतीय जीएएपी के अनुसार तैयार लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में प्रस्तुत आय एवं व्यय का पुनर्गठन

विवरण	प्रथम बार अपनाने के लिए टिप्पणियां	पूर्व जीएएपी	इंड-एएस में लेन-देन संबंधी समायोजन	इंड-एएस राशि
प्रचालनों से राजस्व				
(i) ब्याज आय	1	22,039.25	50.30	22,089.55
(ii) लाभांश आय		65.68	-	65.68
(iii) शुल्क एवं कमीशन आय	1	309.31	(9.92)	299.39
I. प्रचालनों से कुल राजस्व		**22,414.24**	**40.38**	**22,454.62**
II. अन्य आय		12.73	-	12.73
III. कुल आय (I+II)		**22,426.97**	**40.38**	**22,467.35**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण		प्रथम बार अपनाने के लिए टिप्पणियां	पूर्व जीएएपी	इंड-एएस में लेन-देन संबंधी समायोजन	इंड-एएस राशि
	व्यय				
(i)	वित्तीय लागतें	2	13,769.54	(432.43)	13,337.11
(ii)	निवल अनुवाद/लेन-देन विनिमय हानि	2	41.38	(22.01)	19.37
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	2	73.10	(48.52)	24.58
(iv)	अंकित मूल्य परिवर्तनों संबंधी निवल हानि	6	(66.49)	639.86	573.37
(v)	वित्तीय लिखतें संबंधी हानि	4	1,421.74	875.38	2,297.12
(vi)	कर्मचारी हितलाभ व्यय		176.45	(4.03)	172.42
(vii)	मूल्यह्रास एवं परिशोधन एवं हानि		5.61	0.04	5.65
(viii)	निगम सामाजिक दायित्व व्यय		49.45	-	49.45
(ix)	अन्य व्यय		104.10	0.03	104.13
IV.	**कुल व्यय**		**15,574.88**	**1,008.32**	**16,583.20**
V.	**कर पूर्व लाभ**		**6,852.09**	**(967.94)**	**5,884.15**
VI.	**कर व्यय**				
(i)	वर्तमान कर		2,178.39	2.20	2,180.59
(ii)	आस्थगित कर	5	26.70	(743.03)	(716.33)
	कुल कर व्यय		**2,205.09**	**(740.83)**	**1,464.26**
VII.	**निरंतर राजस्व से अवधि के लिए लाभ**		**4,647.00**	**(227.11)**	**4,419.89**
VIII.	**अन्य व्यापक आय/(हानि)**				
(क)	**ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा**				
	परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनःमापन लाभ/(हानि)		-	(6.34)	(6.34)
	एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेजों के अंकित मूल्य में परिवर्तन	3	-	8.48	8.48
(ख)	**इन मदों से संबन्धित आयकर**				
	परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनःमापन लाभ/(हानि)		-	2.20	2.20
	एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेजों के अंकित मूल्य में परिवर्तन		-	(0.10)	(0.10)
IX.	**अवधि के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि)**		**-**	**4.24**	**4.24**
X.	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय**		**4,647.00**	**(222.87)**	**4,424.13**

पूर्व वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए पुनः वर्गीकृत/पुनःसमूहित किया गया है।

54.4 प्रथम बार अपनाने से संबंधित टिप्पणियां

पारगमन की तारीख को कंपनी के सूचित एकल वित्तीय विवरणों पर भारतीय लेखांकन मानक अपनाने संबंधी प्रमुख प्रभाव की व्याख्या निम्नलिखित है:

(1) ऋण परिसंपत्तियां और ब्याज आय

पारगमन की तारीख को संविदागत नकद प्रवाह एवं एसपीपीआई (मूल एवं ब्याज के पूर्ण भुगतान) एकत्रित करने के लिए रखे गए व्यापारिक मॉडल परीक्षण पूरा करने वाली कंपनी की ऋण परिसंपत्तियां प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापी गई हैं। ये ऋण पूर्व जीएएपी के अंतर्गत लागत पर मापे गए थे।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

ईआईआर पद्धति के प्रभावी तारीख से अनुप्रयोग के समायोजन से पारगमन की तारीख को ऋण परिसंपत्तियों के मूल्य में तद्नुरूपी करने के साथ ₹ 109.02 करोड़ तक रखी गई आय में कमी हुई है। पारगमन की तारीख के बाद 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि पर प्रभाव ₹ 37.70 करोड़ का है।

(2) वित्तीय देयताएं और ब्याज व्यय

व्युत्पन्नों के सिवाय सभी वित्तीय देयताओं का मापन बाद में ईआईआर पद्धति का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया गया है। समायोजनों के प्रभाव से पारगमन की तारीख को वित्तीय देयताओं के मूल्य में तद्नुरूपी कमी के साथ रखी गई आय में ₹ 332.10 करोड़ तक वृद्धि हुई है। पारगमन की तारीख के बाद 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि पर प्रभाव ₹ 84.16 करोड़ का है। लाभ एवं हानि पर प्रभाव में विदेशी मुद्रा राशि के पुनः विवरण के प्रभावों के कारण ₹ 1.14 करोड़ शामिल हैं।

(3) निवेश

भारतीय लेखांकन मानक के तहत अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर मापे गए अनुसार सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश को छोड़कर कंपनी ने इक्विटी निवेशों को नामित किया है। इन निवेशों में परिणामी उचित मूल्य परिवर्तनों को पारगमन की तारीख को तथा बाद में अन्य व्यापक आय में ओसीआई रिजर्व में मान्यता दी गई है।

इसके परिणामस्वरूप, पारगमन की तारीख को इक्विटी दस्तावेजों में निवेशों के मूल्य में तद्नुरूपी वृद्धि के साथ ₹ 201.82 करोड़ तक रखी गई आय में वृद्धि हुई। पारगमन की तारीख के बाद 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 'अन्य व्यापक आय' पर ₹ 37.89 करोड़ का प्रभाव है।

(4) प्रत्याशित ऋण हानि

पूर्व जीएएपी के तहत, ऋण परिसंपत्तियों का प्रावधान आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार रखा जाता था। तथापि, कंपनी अब भारतीय लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के अनुसार ऋण परिसंपत्तियों के बकाया शेष और संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों (एलओसी) पर प्रत्याशित ऋण हानि भत्ता सृजित कर रही है। ईसीएल मॉडल में पारगमन के परिणामस्वरूप, पारगमन की तारीख को रखी गई आय में ₹ 5,501.19 करोड़ तक कमी आई है। पारगमन की तारीख के बाद 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ऋण परिसंपत्तियों की हानि के कारण लाभ एवं हानि पर प्रभाव ₹ 904.79 करोड़ का है।

(5) आस्थगित कर

पूर्व जीएएपी के तहत, आस्थगित कर लेखांकन आय विवरण दृष्टिकोण अपनाकर किया जाता था। तथापि, भारतीय लेखांकन मानक में तुलन-पत्र दृष्टिकोण अपनाकर आस्थगित करों का लेखांकन करने की अपेक्षा है जिसमें एकल तुलन-पत्र तथा उसके कर आधार में परिसंपत्ति/देयता की ली जाने वाली राशि में अंतर पर आधारित अस्थायी अंतरों की पहचान शामिल है। ये अंतर वित्तीय विवरणों में उपयुक्त रूप से माने गए हैं। सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों की ली जाने वाली राशि तथा कर आधार के बीच अस्थायी अंतर पर आस्थगित कर देयता भी सृजित की गई है।

(6) व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें

भारतीय जीएएपी के तहत, कंपनी ने मार्क टू मार्केट पर ब्याज दर स्वैप व्युत्पन्नों का मापन किया है और क्रॉस करेंसी स्वैप का दस्तावेज के शेष जीवनकाल पर परिशोधित पुनः विवरण पर लाभ/हानि के साथ एफसीएमआईटीडी खाता के माध्यम से रिपोर्टिंग तारीख को विनिमय दर पर मापन किया है।

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार सभी व्युत्पन्नों का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है और कोई भी लाभ/हानि, हेज प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त व्युत्पन्नों पर लाभ/हानि के सिवाय, लाभ अथवा हानि में माना जाता है।

भारतीय लेखांकन मानक अपनाने के कारण इन समायोजनों और परिणामी प्रभाव के परिणामस्वरूप, 1 अप्रैल, 2017 को रखी गई आय में ₹ 95.97 करोड़ तक वृद्धि हुई है और 31 मार्च, 2018 को रखी गई आय में ₹ 155.02 करोड़ तक की वृद्धि हुई है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

55. परिसंपत्ति एवं देयताओं के अंतर्गत प्रत्येक श्रृंखलाबद्ध मद के लिए 12 माह या इससे अधिक समय के भीतर वसूली/निपटान की जाने वाली संभावित राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	12 महीनों में	12 महीने से अधिक	12 महीनों में	12 महीने से अधिक	12 महीनों में	12 महीने से अधिक
परिसंपत्तियां						
(1) वित्तीय परिसंपत्तियां						
(क) नकद एवं नकद समतुल्य	**342.94**	**-**	212.00	-	4,465.95	-
(ख) अन्य बैंक शेष	**1,253.31**	**-**	1,570.07	-	28.44	-
(ग) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज	**325.46**	**1,477.12**	128.89	561.49	13.10	614.97
(घ) ऋण	**27,977.30**	**242,473.62**	27,123.95	201,754.30	20,704.62	173,229.90
(ङ) निवेश	**104.03**	**2,293.59**	365.25	2,412.39	61.40	2,496.15
(च) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**515.48**	**17,827.00**	224.89	4,000.00	54.16	-
कुल - वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	**30,518.52**	**264,071.33**	**29,625.05**	**208,728.18**	**25,327.67**	**176,341.02**
(2) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां						
(क) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	**-**	**275.83**	-	21.02	-	38.97
(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**-**	**2,358.29**	-	2,904.11	-	2,187.88
(ग) निवेश संपत्ति	**-**	**0.01**	-	0.01	-	0.01
(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	**-**	**153.98**	-	123.19	-	120.81
(ङ) चल रहे पूंजीगत कार्य	**-**	**196.94**	-	127.23	-	61.41
(च) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	**-**	**1.59**	-	1.46	-	1.46
(छ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	**-**	**8.51**	-	5.15	-	0.43
(ज) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	**96.58**	**35.72**	40.67	45.96	17.75	40.23
कुल - गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	**96.58**	**3,030.87**	**40.67**	**3,228.13**	**17.75**	**2,451.20**
कुल परिसंपत्तियां (1+2)	**30,615.10**	**267,102.20**	**29,665.72**	**211,956.31**	**25,345.42**	**178,792.22**
देयताएं						
(1) वित्तीय देयताएं						
(क) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज	**35.69**	**123.71**	59.67	258.08	85.86	268.60
(ख) ऋण प्रतिभूतियां	**41,346.94**	**151,492.85**	33,347.62	145,792.51	21,878.98	126,844.27
(ग) उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	**7,202.91**	**39,459.63**	10,289.52	12,341.90	1,901.38	19,798.79
(घ) अधीनस्थ देयताएं	**169.96**	**4,648.80**	168.38	2,498.98	168.38	2,498.83
(ङ) अन्य वित्तीय देयताएं	**924.75**	**17,827.00**	299.40	4,000.00	244.96	-
कुल - वित्तीय देयताएं (1)	**49,680.25**	**213,551.99**	**44,164.59**	**164,891.47**	**24,279.56**	**149,410.49**
(2) गैर-वित्तीय देयताएं						
(क) प्रावधान	**60.05**	**39.53**	78.25	142.12	58.89	155.11

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
		12 महीनों में	12 महीने से अधिक	12 महीनों में	12 महीने से अधिक	12 महीनों में	12 महीने से अधिक
(ख)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	**82.54**	**-**	67.62	21.99	32.84	-
	कुल - गैर-वित्तीय देयताएं (2)	**142.59**	**39.53**	**145.87**	**164.11**	**91.73**	**155.11**
	कुल देयताएं (1+2)	**49,822.84**	**213,591.52**	**44,310.46**	**165,055.58**	**24,371.29**	**149,565.60**

पूर्व वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए पुनः वर्गीकृत/पुनःसमूहित किया गया है।

56. इसमें कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन-पत्र से बाहर कुछ नहीं है, जिसे लेखाकरण प्रतिमानकों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है।

57. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी नियामक द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है (पिछले वर्ष शून्य)।

58. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान उचित संव्यवहार संहिता के अंतर्गत उधारकर्ताओं से कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है (पिछले वर्ष शून्य)।

59. जब तक स्पष्ट रूप से व्यक्त न हो, ₹ में अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।

लेखा संबंधी 1 से 59 तक टिप्पणियां तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि के विवरण की अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन-03464342

अजीत कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)
डीआईएन-022311613

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी. एस. माथुर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 008744एन

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. 082023

कृते ए. आर. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002744सी

अनिल गौर
भागीदार
सदस्यता सं. 017546

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई, 2019

लेखा संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुबंध

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित)

(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- क्रमागत रुप से महत्त्वपूर्ण गैर-जमा करने वाली कंपनी और जमा करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 2016 के पैराग्राफ 18, जहां तक आरईसी लिमिटेड पर इसे लागू करने का संबंध है, के अनुसार अपेक्षित ब्योरे)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
		बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि
	देयता पक्ष:						
(1)	**एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम,**						
	जिसमें उस पर उपचित लेकिन अदा न किया गया ब्याज शामिल हैं:						
	(क) डिबेंचर/बॉण्ड :						
	- प्रतिभूत	**49,470.47**	**-**	60,764.33	-	62,157.02	-
	- अप्रतिभूत	**1,41,361.86**	**-**	1,18,055.08	-	89,333.36	-
	(ख) आस्थगित क्रेडिट	**-**	**-**	-	-	-	-
	(ग) सावधिक ऋण						
	-वित्तीय संस्थाओं से प्रतिभूत ऋण	**207.33**	**-**	414.82	-	776.66	-
	-भारत सरकार से अप्रतिभूत ऋण	**5,121.84**		-		-	
	-बैंको से अप्रतिभूत ऋण	**18,555.08**		-		-	
	-वित्तीय संस्थाओं से अप्रतिभूत ऋण	**1,000.00**		-		-	
	(घ) कमर्शियल पेपर	**7,975.00**	**-**	3,250.00	-	-	-
	(च) अन्य ऋण						
	- विदेशी मुद्रा उधारियां	**17,705.96**	**-**	18,584.29	-	21,155.72	-
	- एफसीएनआर (बी) ऋण	**4,327.72**	**-**	3,812.07	-	-	-
	- फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन	**0.11**		0.11		0.13	

	विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
	परिसंपत्ति पक्ष:			
(2)	**प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं पेशगियों का ब्योरा**			
	(क) प्रतिभूत	**2,05,679.19**	1,88,536.81	1,62,535.61
	(ख) अप्रतिभूत	**64,127.98**	40,442.23	31,478.31
(3)	**निवेश :**			
	दीर्घकालिक निवेश :			
	उद्धृत:			
	(i) शेयर: इक्विटी	**640.81**	712.37	592.52
	(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	**1,556.87**	1,500.62	1,500.62
	अनुद्धृत:			
	(i) शेयर: इक्विटी	**146.60**	146.60	255.85
	(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	**-**	317.47	317.47
	(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	**6.18**	6.26	6.30
	(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	**47.16**	141.48	235.80

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(4) उपरोक्त (2) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों के उधारकर्ता का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रावधानों की निवल राशि		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	योग
31 मार्च 2019 के अनुसार			
1. संबंधित पक्षकार			
(क) अनुषंगी कंपनियां	**-**	1.72	1.72
(ख) उसी समूह की कंपनियां	**-**	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	**-**	0.46	0.46
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	**2,05,679.19**	64,125.80	2,69,804.99
जोड़	**2,05,679.19**	**64,127.98**	**2,69,807.17**
31 मार्च 2018 के अनुसार			
1. संबंधित पक्षकार			
(क) अनुषंगी कंपनियां	**-**	1.49	1.49
(ख) उसी समूह की कंपनियां	**-**	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	**-**	0.56	0.56
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	**1,88,536.81**	40,440.18	2,28,976.99
जोड	**1,88,536.81**	**40,442.23**	**2,28,979.04**
01 अप्रैल 2017 के अनुसार			
2. संबंधित पक्षकार			
(क) अनुषंगी कंपनियां	**-**	1.35	1.35
(ख) उसी समूह की कंपनियां	**-**	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	**0.02**	0.51	0.53
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	**1,62,535.59**	31,476.45	1,94,012.04
जोड़	**1,62,535.61**	**31,478.31**	**1,94,013.92**

(5) शेयर एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में निवेशों (चालू और दीर्घावधि) के निवेशक का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	**31.03.2019 के अनुसार**		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	बाजार मूल्य/ विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	**अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)**	बाजार मूल्य/ विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)	बाजार मूल्य/ विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)
1. संबंधित पक्षकार						
(क) अनुषंगी कंपनियां	**0.10**	**0.10**	0.10	0.10	0.10	0.10
(ख) उसी समूह की कंपनियां	**-**	**-**	-	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	**146.50**	**146.50**	146.50	146.50	146.50	146.50
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	**2,251.02**	**2,251.02**	2,678.20	2,678.20	2,761.96	2,761.96
जोड़	**2,397.62**	**2,397.62**	**2,824.80**	**2,824.80**	**2,908.56**	**2,908.56**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(6) अन्य सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2019 के अनुसार**	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(i) सकल अनर्जक परिसंपत्तियां			
(क) संबंधित पक्षकार	**-**	-	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	**20,348.44**	17,128.43	4,872.69
(ii) निवल अनर्जक परिसंपत्तियां			
(क) संबंधित पक्षकार	**-**	-	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	**10,649.49**	8,637.90	2,223.74
(iii) ऋण के समाधान हेतु अधिगृहीत परिसंपत्तियाँ	**-**	-	-

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन-03464342

अजीत कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)
डीआईएन-02231613

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी. एस. माथुर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 008744एन

कृते ए. आर. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 002744सी

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. : 082023

अनिल गौर
भागीदार
सदस्यता सं. : 017546

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई, 2019

स्वतंत्र लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) के सदस्य

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के संबंध में रिपोर्ट

राय

हमने आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) ("कंपनी") के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन तुलन पत्र तथा लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं सहित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर नोट शामिल हैं।

हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित और जिस रुप में यह जरुरी हैं उसको सूचना देते हैं तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015, यथा संशोधित (इंड एस) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक और भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुपालन में 31 मार्च 2019 के स्थिति के अनुसार कंपनी के मामले की स्थिति, लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), तथा इक्विटी में परिवर्तन और उस स्थिति को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह का एक सही और सटीक स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

विचार बिन्दु का आधार

हमने कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी आगे हमारी रिपोर्ट स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्वों में उल्लेख किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता और इसके साथ ही अधिनियम के प्रवाधानों तथा उसके अंतर्गत दिए गए नियमों के तहत स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय मानकों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए संगत नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार इस कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुरुप अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य को हमने प्राप्त किया है तथा हमारे विचार के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में, वर्तमान अवधि की स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे। इन मामलों का समाधान सम्पूर्ण रुप में स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उसके संबंध में अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग से कोई विचार नहीं रखते हैं। हमने नीचे उल्लिखित निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अपनी रिपोर्ट में संसूचित किए जाने के लिए लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामलों के रुप में किया है:

क्रम सं.	लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	**ऋण परिसंपत्तियों की क्षति - प्रत्याशित ऋण हानि** (लेखांकन नीति संख्या 3.11 के साथ पठित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के नोट संख्या 44.1.3 का संदर्भ लें) यह कंपनी नीचे दिए गए सार के अनुसार आरंभिक पहचान से ऋण की गुणवत्ता में परिवर्तनों के आधार पर क्षति के लिए "तीन-चरणों वाले" मॉडल को अपनाती है: • चरण 1 में वे ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं जिनकी आरंभिक पहचान से ऋण जोखिम में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है अथवा जिनका रिपोर्ट करने की तिथि को बहुत कम ऋण जोखिम है। • चरण 2 में वे ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं जिनकी आरंभिक पहचान से ऋण जोखिम में बहुत अधिक वृद्धि हुई है लेकिन जिसके बारे में क्षति का वस्तुपरक साक्ष्य नहीं है।	**लेखापरीक्षा संबंधी हमारी प्रक्रिया:** हमने प्रत्याशित ऋण हानि के संबंध में उल्लिखित भारतीय लेखांकन मानक 109 "वित्तीय विवरणी" विभिन्न विनियामक संबंधी अद्यतन जानकारी और कंपनी के आंतरिक अनुदेशों और प्रक्रियाओं के अनुसार दिशा-निर्देशों को समझा है और लेखापरीक्षा के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं को अपनाया है: ऋण परिसंपत्तियों की मॉनीटरिंग, ऋण की हानि का आकलन जिसमें संगत आंकड़ों की गुणवत्ता का परीक्षण और अंकित किए गए वास्तविक आंकड़ों की समीक्षा शामिल है, के संबंध में प्रमुख आंतरिक नियंत्रण तंत्रों का मूल्यांकन और परीक्षण।

क्रम सं.	लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
	• चरण 3 में वे ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं जिनके बारे में सूचना देने की तिथि को क्षति का वस्तुपरक साक्ष्य है।	किसी ऋण परिसंपत्ति लेखा में बहुत अधिक समय से बकाया कोई राशि, असंतोषजनक व्यवहार अथवा किसी कमियों का पता लगाने के लिए वृहद और संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का परीक्षण जांच आधार पर दस्तावेजों का सत्यापन/समीक्षा, ऋण परिसंपत्ति लेखाओं का प्रचालन/कार्य निष्पादन और निगरानी।
	प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) की माप चरण 1 की ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12 महीने के ईसीएल और चरण 2 के लिए पूरे जीवनकाल एवं चरण 3 के लिए ऋण परिसंपत्तियों के रुप में की जाती है। ईसीएल चूक की संभावना, चूक के लिए ऋण जोखिम और चूक के आधार पर दी गई हानि जिसे नीचे परिभाषित किया गया है, का उत्पाद है:	उन ऋण परिसंपत्तियों जिनका कोई प्रतिकूल संकेत/टिप्पणियां हों, का पता लगाने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्टों और किसी अन्य लेखापरीक्षा और निरीक्षण तंत्रों की समीक्षा और इस प्रकार की ऋण परिसंपत्तियों के उचित वर्गीकरण तथा उसकी प्रत्याशित ऋण हानि के वर्गीकरण को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के नियंत्रण तंत्रों की समीक्षा।
1.	**ऋण परिसंपत्तियों की क्षति - प्रत्याशित ऋण हानि** **चूक की संभावना (पीडी) -** यह पीडी दायित्व के अगले 12 महीने (12 महीने पीडी) अथवा शेष जीवनकाल (जीवनकाल पीडी) के दौरान इसके वित्तीय दायित्व पर ऋण प्राप्त करने वाले के द्वारा ऋण न चुकाने की संभावना को दर्शाता है। **चूक को देखते हुए हानि (एलजीडी)** - एलजीडी चूक किए गए ऋण जोखिम पर हानि की सीमा की कंपनी की प्रत्याशा को दर्शाता है। एलजीडी प्रतिपक्षकार के प्रकार, दावे के प्रकार और वरीयता तथा समानांतर अथवा अन्य ऋण सहायता की उपलब्धता के मामले में अलग-अलग हैं। इसके अलावा, जहां आरईसी और पीएफसी (होल्डिंग कंपनी) चरण 3 के ऋण लेखाओं के लिए संघ में हैं, एलजीडी निम्नलिखित आधार पर तय किया जाता है: • उन मामलों में जहां या ता आरईसी अथवा पीएफसी एक अग्रणी ऋणदाता है, अग्रणी ऋणदाता द्वारा परिकलित एलजीडी प्रतिशत अपनाया जाता है। • उन मामलों में जहां न तो आरईसी और न ही पीएफसी अग्रणी ऋणदाता है, आरईसी और पीएफसी द्वारा तय किए गए एलजीडी प्रतिशत का अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत अपनाया जाता है। **चूक के लिए ऋण जोखिम (ईएडी)** - ईएडी आकलन की तिथि के अनुसार शेष ऋण जोखिम की राशि पर आधारित है जिस पर ईसीएल की गणना राहत पत्रों के संबंध में अवितरित राशियों सहित की जाती है। **ईसीएल की माप में प्रयुक्त प्रमुख पूर्वानुमान** • कंपनी आरंभिक पहचान की तिथि को आधार तिथि के रुप में मानती है जिससे ऋण जोखिम में बहुत अधिक वृद्धि का निर्धारण किया जाता है।	**लेखापरीक्षा संबंधी हमारी प्रक्रिया:**

क्रम सं.	लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
	• चालू करने में लागत आधिक्य और समय में विलंब पर विचार निर्माण परियोजनाओं के अंतर्गत ऋण की रेटिंग की गणना करने के लिए किया जाता है। • कारोबार की सीमा और मूल कंपनी के समर्थन पर विचार अंतिम रेटिंग किए जाने के लिए किया जाता है। • चूंकि कंपनी के पास अपने ऋण प्राप्तकर्ताओं की किसी भी सीमाओं तक न निकाली गई राशि को छोड़कर किसी स्वीकृत सीमा को रद्द करने का अधिकार है, अतः ईएडी को संसूचित करने की तिथि के अनुसार देय बकाया राशि के रुप में माना जाता है।	
	ऋण की प्रत्याशित हानि में अंतर्निहित अनुमानों की निगरानी और समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। ऊपर में उल्लेख किए गए अनुमानों का कोई अनुचित उपयोग किए जाने की स्थिति में, ऋण परिसंपत्तियों के मूल्य का या तो अलग-अलग अथवा सामूहिक रुप से और कुल परिसंपत्तियों का स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी में ऋण परिसंपत्तियों की राशि अर्थात 90.84 प्रतिशत के औचित्य को देखते हुए वस्तुपरक रुप से गलत तरीके से उल्लेख किया जा सकता है, इस पर ऋण परिसंपत्तियों की हानि पर विचार हमारी लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले के रुप में किया गया है।	
2.	**व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों का निष्पक्ष मूल्यांकन** (लेखांकन नीति संख्या 3.10 के साथ पठित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के नोट संख्या 7 का संदर्भ लें) चूंकि आरईसी लिमिटेड एनबीएफसी-आईएफसी है, अतः इसका प्रमुख कार्य विद्युत क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना है। इसके लिए आरईसी अपने निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वार्षिक बाजार ऋण देने संबंधी कार्यक्रम के आधार पर विभिन्न परिपक्वता अवधियों पर निर्भर करते हुए विभिन्न साधनों के मिश्रण जैसे संस्थागत बांड, पूंजी लाभ छूट बांड, सावधि ऋण, वाणिज्यिक पेपर, विदेशी मुद्रा सावधि ऋण/बांड, एफसीएनआर (बी), ओडीए ऋण आदि के माध्यम से निधियां जुटाता है। इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में, आरईसी को प्राथमिक रुप से अमेरिकी डॉलर, यूरो और जेपीवाई के संबंध में विदेशी मुद्रा कारोबारों से विदेशी विनिमय जोखिम और ब्याज दर जोखिम होने की संभावना रहती है।	**लेखापरीक्षा संबंधी हमारी प्रक्रिया:** व्युत्पन्न साधनों के वर्गीकरण, मूल्यांकन और मूल्यांकन संबंधी मॉडलों पर प्रबंधन के महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता का आकलन करना। प्रबंधन से 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार भुगतान के लिए देय/लंबित के रुप में विभिन्न वित्तीय व्युत्पन्न संविदाओं का ब्यौरा प्राप्त किया। हमने उन वित्तीय व्युत्पन्न संविदाओं के बारे में तय किए गए उचित मूल्यांकन और कंपनी की किसी लाभ अथवा हानि के बारे में बढ़ने वाले अंतर्निहित ठेकाओं के संभावित परिणाम का आकलन करने में प्रबंधन के अंतर्निहित अनुमानों की समीक्षा करने के लिए अपने दल को शामिल किया है। हमारे दल ने 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार भुगतान के लिए देय/लंबित राशि के रुप में वित्तीय व्युत्पन्न ठेकाओं के इस प्रकार का उचित मूल्यांकन निर्धारित करने में सामान्य बाजार प्रथाओं और अन्य अंतर्निहित मान्यताओं पर भी विचार किया।

क्रम सं.	लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
	विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम के प्रति कंपनी की अरक्षितता को कम करने के लिए, गैर आईएनआर नकदी प्रवाह की निगरानी की जाती है और व्युत्पन्न संविदा कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियों और आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है। व्युत्पन्न की गणना लेखांकन भारतीय लेखांकन मानक द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार लेखा बुक में उचित मूल्य (मार्क टू मार्केट) पर की जाती है। हमने कुछ व्युत्पन्न साधनों का मूल्यांकन करने के लिए निहित जटिलताओं की सीमा के कारण लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मामले के रुप में व्युत्पन्न के उचित मूल्य के आकलन की पहचान की।	हमने प्रतिपक्षकार पुष्टि भी प्राप्त की है जो इस मामले में अधिकांशतः बैंक से जिसके साथ इस प्रकार के वित्तीय व्युत्पन्न ठेके किए गए हैं, को प्राप्त किया है और हमने स्वतंत्र रुप से इस प्रकार से तय किए गए मूल्यांकन की तुलना ठेका देने वाले बैंकों से की है। इसके अलावा, हमने निकट भविष्य में कंपनी के लाभ और हानि के विवरण के किए जा रहे इस प्रकार के उचित मूल्यांकन (बाजार से बाजार) के प्रभाव पर विचार किया। यह आकलन करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरणी को प्रकट करने से भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों और प्रचलित लेखांकन मानदंडों की अपेक्षाओं के संदर्भ में कंपनी के व्युत्पन्न मूल्यांकन जोखिमों के प्रति अरक्षितता उपयुक्ता रुप से दर्शाई जाती है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की से भिन्न सूचना

कंपनी का निदेशक मण्डल अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में शामिल की गई सूचना और निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुबंध शामिल है, परंतु उसमें स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुबंध इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के संबंध में हमारे विचार में अन्य सूचना शामिल नहीं होती है और हम उस पर आश्वासन संबंधी निष्कर्ष के किसी रुप को व्यक्त नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर में पहचान की गई अन्य सूचना, जब यह उपलब्ध हो जाए, को पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस तथ्य पर भी विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वास्तविक रुप से स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के अनुरुप है अथवा इस लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई जानकारी अथवा अन्य प्रकार से उसका वस्तुगत रुप से गलत उल्लेख किया गया प्रतीत होता हो।

जब हम निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और निदेशक मण्डल के रिपोर्ट के अनुबंध को पढ़ते हैं तब यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें वस्तुगत रुप से गलत उल्लेख किया गया है तब यह अपेक्षित होता है कि हम इस मामले को शासन जिसे यह जिम्मेदारी दी गई है, को सूचित करें।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का निदेशक मण्डल इन स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो यथासंशोधित कंपनी ("भारतीय लेखांकन मानक") नियमावली 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखाकरण मानकों तथा भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में कंपनी वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह की एक पारदर्शी और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस दायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने, जालसाजी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करने और उनका प्रयोग करने; उन निर्णयों और अनुमानों जो उचित और विवेकपूर्ण हो, को तय करने; और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करने और इसका अनुरक्षण करने, जो वित्तीय दस्तावेजों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रुप में कार्य कर रहे हों, और जो स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी को तैयार करने और प्रस्तुत करने में संगत हों, जो एक सही और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, तथा जो वास्तविक गलत कथन से मुक्त हों, चाहे वह जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, की सुरक्षा के लिए

अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप समुचित वित्तीय रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी को तैयार करने में, कंपनी की वर्तमान चिंता के रुप में जारी रखने के लिए, जहां भी लागू हो, उसका खुलासा करने के लिए, वर्तमान चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार का उपयोग करते हुए इस समूह की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं, यदि प्रबंधन का उद्देश्य इस समूह का परिसमापन नहीं करने का हो अथवा इसके प्रचालनों को बंद करने का हो अथवा ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

निदेशक मण्डल कंपनी की वित्तीय संसूचन की प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य इसके संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या सम्पूर्ण रुप में स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी वस्तुपरक गलत सूचना से मुक्त हैं, चाहे वह जालसाजी अथवा किसी त्रुटि के कारण हुआ हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, जिसमें हमारा विचार शामिल है, को जारी करने के लिए स्वतंत्र है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा वस्तुपरक गलत सूचना का पता लगा लिया जाएगा जब यह होता हो। गलत कथन जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण होता है और इसे वास्तविक माना जाता है यदि इसे अलग-अलग रुप में अथवा कुल मिलाकर देखा जाए, उसके कारण उचित रुप से उन स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रुप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशयवाद बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के वस्तुपरक गलत कथन के जोखिमों चाहे वह किसी जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, की पहचान करते हैं और उसका आकलन करते हैं, उन जोखिमों पर प्रभाव डालने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन बनाते हैं और उसका कार्य निष्पादन करते हैं तथा लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य, जो हमारे विचार के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों, प्राप्त करते हैं। किसी जालसाजी के कारण उत्पन्न होने वाले वस्तुपरक गलत कथन का पता नहीं लगाने का खतरा उस खतरे की तुलना में अधिक होता है जो किसी त्रुटि के कारण होता हो क्योंकि जालसाजी में मिलीभगत, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना, जानबूझकर चूक करना, गलत बयानी करना अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकते हैं।
- लेखापरीक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हों, का डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इस अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत, हम इसके संबंध में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली सक्रिय है और इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता कार्य कर रही है।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता और उसके संबंध में कि किया गया खुलासा तथा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन की उपयुक्तता के बारे में निष्कर्ष निकालना, चाहे कोई वास्तविक अनिश्चितता उन घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में मौजूद हो, जो वर्तमान चिंता के रुप में जारी रखने के लिए इस समूह अथवा इसकी संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनी की क्षमता पर बहुत अधिक संदेह उत्पन्न करता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है तब यह अपेक्षित है कि हम स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी में संबंधित खुलासों के बारे में अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें और यदि इस प्रकार का खुलासा हमारे विचार में संशोधन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तब भी हम उनका ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर हैं। हालांकि, भावी घटनाएं अथवा स्थितियां इस समूह और इसकी संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनी के लिए वर्तमान चिंता के रुप में जारी रहने से रोकने के लिए स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं।

- खुलासों सहित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की समग्र प्रस्तुती, ढांचा और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना और यह कि स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी अंतर्निहित कारोबारों को दर्शाती हो और इसके साथ ही उस तरीके से घटनाओं को दर्शाती हो जिसे उचित रुप में प्रस्तुत किया जा सके।

हम शासन का उत्तरदायित्व दिए गए सभी व्यक्तियों को, अन्य मामलों के साथ-साथ, योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा की अवधि और आंतरिक नियंत्रण संबंधी महत्वपूर्ण खामियों जिनकी हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं सहित, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा संबंधी निष्कर्षों की सूचना देते हैं।

हम उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को ऐसा कथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उन्हें सभी संबंधों और अन्य मामलों जिनके बारे में उचित रुप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ने के बारे में सोचा जा सकता हो और जहां भी लागू हो, उससे संबंधित सुरक्षात्मक उपायों की भी सूचना देते हैं।

उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को सूचित किए गए मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि की स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व रखते थे और इस कारण से पूरी लेखापरीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले होते हैं। हम इन मामलों का उल्लेख अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में करते हैं, यदि कानून अथवा विनियमन उस मामले के बारे में सार्वजनिक रुप से खुलासा करने पर रोक लगाता हो अथवा जब अत्यधिक असाधारण परिस्थितियों में हम यह निर्धारण करते हैं कि इस मामले की सूचना अपनी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का प्रतिकूल परिणाम इस प्रकार की सूचना के सार्वजनिक हित से संबंधित लाभों पर उचित रुप से और अधिक भारी होने की आशा होगी।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश"), द्वारा अपेक्षित है, हम अनुबंध-क में आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट विषयों पर, जहां तक यह लागू होता है, अपनी टिप्पणी देते हैं।

हम, कंपनी की बही और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर जैसा कि हमने उचित समझा है और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार अधिनियम की धारा 143 (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देश पर, अनुबंध- ख पर अपनी रिपोर्ट संलग्न करते हैं।

अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं कि:

(क) हमने उन समस्त जानकारियों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं।

(ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) इक्विटी और नकद प्रवाह विवरण में परिवर्तन के विवरण, जिन पर इस रिपोर्ट में विचार किया गया है, वे लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखाकरण वित्तीय विवरण, संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।

(च) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के तहत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के उपबंधों की अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में, "अनुबंध-ग" पर हमारी रिपोर्ट देखें; तथा

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार:

(i) कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी स्टैंडअलोन भारतीय लेखाकरण वित्तीय विवरणों में, अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है - स्टैंडअलोन भारतीय लेखाकरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 39.1 के संदर्भ में;

(ii) कंपनी के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक ठेके नहीं हैं जिसमें कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य क्षतियां हों;

(iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में, हस्तांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित अंतरण राशियों में कोई विलंब नहीं किया गया है।

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 008744एन

कृते ए. आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002744सी

एस.सी. चौधरी
साझीदार
सदस्य सं. 082023

अनिल गौर
साझीदार
सदस्य सं. 017546

स्थान: नई दिल्ली
दनांक: 24 मई, 2019

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-क

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) के लेखाओं पर हमारी उसी दिनांक की रिपोर्ट के खंड अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 1 के संदर्भ में।

(i) (क) कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के प्रमात्रात्मक ब्योरों तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण को दर्शाने के लिए अचल परिसंपत्ति अभिलेखों (संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर) का रखरखाव किया है।

(ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी में अचल परिसंपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर) को एक चरणबद्ध तरीके से सत्यापन करने संबंधी नीति है। ऐसे वास्तविक सत्यापन में पायी गयी विसंगतियों का लेखा बहियों में उपयुक्त रूप से हिसाब दिया गया है। हमारी राय में, वास्तविक सत्यापन की आवधिकता, कंपनी के आकार और इसकी परिसंपात्तियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त है।

(ग) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, निम्नलिखित को छोड़कर अचल संपत्तियों के विलेख कंपनी के नाम पर हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	मामलों की सं.	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	अभ्युक्ति
फ्रीहोल्ड भूमि	1	68.31	68.31	अभी हस्तांतरण विलेख हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया जाना है।
बिल्डिंग	1	4.59	2.20	अभी हस्तांतरण विलेख सार्वजनिक उद्यमों की स्थायी समिति द्वारा निष्पादित किया जाना है।

(ii) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते कंपनी की कोई फेहरिस्त (इनवेंटरी) नहीं है; इस प्रकार यह खंड लागू नहीं है।

(iii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी, फर्म या अन्य पक्ष को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश का खंड 3(iii)(क), (ख) और (ग) लागू नहीं है।

(iv) हमारी राय में, तथा अधिनियम की धारा 185 के उपबंधों के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने धारा 185 के अनुसार किसी भी प्रकार का ऋण या गारंटी प्रदान नहीं किया है।

इसके अलावा, हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी को एक गैर बैंकिग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के कारण, ऋणों एवं गारंटियों के संबंध में अधिनियम की धारा 186 के उपबंधों तथा अन्य लागू नियमों से छूट प्राप्त है तथा कंपनी ने निवेशों के संबंध में, अधिनियम की धारा 186 (1) उपबंधों का अनुपालन किया है।

(v) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लोगों से ऐसी कोई जमा राशियों को स्वीकार नहीं किया है, जिन पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के उपबंध या अन्य संगत उपबंध और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम लागू होते हों।

(vi) हमारी पूर्ण जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के तहत लागत अभिलेखों का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(vii) (क) कंपनी सामान्यतया, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय-कर, वस्तु एवं सेवा कर, उपकर तथा इस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियों सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करा रही है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कोई अविवादित सांविधिक देय बकाया राशियां, उनके देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, लगभग 19.07 करोड़ रुपए की अविवादित सांविधिक देय राशि, जिसे उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष मामलों के लंबित होने के कारण जमा नहीं किया गया है, का ब्योरा निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

अधिनियम का नाम	देय राशियों का स्वरूप	जमा की गयी राशि	प्रदत्त/ वापसी समायोजित राशि	अप्रदत्त निवल राशि	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	फ्रिंज लाभ कर	0.48	-	0.48	मूल्यां. वर्ष 2008-09	आयकर आयुक्त (अपील) दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	84.70	84.70	-	मूल्यां. वर्ष 2006-07 मूल्यां. वर्ष 2009-10 मूल्यां. वर्ष 2011-12 मूल्यां. वर्ष 2012-13 मूल्यां. वर्ष 2013-14 मूल्यां. वर्ष 2014-15 मूल्यां. वर्ष 2015-16 मूल्यां. वर्ष 2016-17	आयकर आयुक्त (अपील) दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	12.19	4.11	8.09*	मूल्यां. वर्ष 2008-09 मूल्यां. वर्ष 2012-13	आयकर अपिल अधिकरण, दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	2.01	0.67	1.33*	मूल्यां. वर्ष 2006-07 मूल्यां. वर्ष 2009-10	दिल्ली उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	17.06	8.31	8.75*	मूल्यां. वर्ष 1999-00 मूल्यां. वर्ष 2003-04 मूल्यां. वर्ष 2004-05	सर्वोच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कर कटौती	0.06	-	0.06	वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2018-19	सीपीसी, टीडीएस
वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय V	सेवा कर, धारा 73(4क) के तहत दंडात्मक ब्याज	0.36	-	0.36	वित्त वर्ष 2008-09 से वित्त वर्ष 2011-12	सीईएसटीएटी, दिल्ली
मूल्यां. वर्ष 2013-14	**योग**	**116.86**	**97.79**	**19.07**		

* यद्यपि विभिन्न अपीलिय फोरम के अनुकूल निर्णय के अपील प्रभाव के कारण कंपनी द्वारा ₹ 18.17 करोड़ प्राप्त किए गए हैं तथापि उच्चतर प्राधिकारियों को आयकर विभाग द्वारा किए गए अन्य अपील के कारण इसे अप्रदत्त माना गया है।

(viii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने तुलनपत्र की तिथि के अनुसार किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों को देय राशियों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।

(ix) कंपनी ने प्रारम्भिक पब्लिक ऑफर या अगले पब्लिक ऑफर के लिए किसी प्रकार की कोई राशि नहीं जुटायी थी। वर्ष के दौरान ऋण लिखतों एवं आवधिक ऋण के जरिए कंपनी द्वारा एकत्र धनराशि उसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की गई जिसके लिए एकत्र किया गया था।

(x) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षा परिपाटियों के अनुसार हमारे द्वारा की गई कंपनी की बहियों और रिकार्डों की जांच के दौरान तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी जानकारी में कंपनी द्वारा किसी वास्तविक धोखाधड़ी का अथवा उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के संबंध में की गई कोई धोखाधड़ी का कोई उदाहरण वर्ष के दौरान नहीं आया है और न ही सूचित किया गया है तथा न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है।

(xi) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनियों को धारा 197 के उपबंधों से छूट प्रदान की है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(xii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(xiii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, यथा लागू संबंधित पक्षों के लेन-देन में अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन किया गया है तथा वित्तीय विवरणों आदि में आवश्यक प्रकटन किए गए हैं, जैसा कि लागू स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानकों में अपेक्षित है।

(xiv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरो या परिवर्तनीय डिबेंचरों का पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

(xv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेन-देन नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(xvi) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते कंपनी का, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है। कंपनी का नाम रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड से आरईसी लिमिटेड कर दिए जाने के फलस्वरूप कंपनी को आरबीआई द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2018 को पंजीकरण संख्या 14.000011 जारी कर दिया गया है।

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 008744एन

कृते ए. आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002744सी

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. 082023

अनिल गौर
भागीदार
सदस्य सं. 017546

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई, 2019

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-ख

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) के लेखाओं पर हमारी उसी दिनांक की रिपोर्ट के खंड अन्य 'विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ के संदर्भ में।

क्रम सं.	निर्देश	कृत कार्रवाई	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
क़.	दिशानिर्देश		
1.	क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देनों की प्रक्रिया करने के लिए कोई प्रणाली है ? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव सहित लेखाओं की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली से बाहर लेखांकन लेन-देनों की प्रक्रियाओं के प्रभाव बताए जाएं।	कंपनी ने वर्तमान वर्ष के दौरान ईआरपी आर12 रुपांतर को उन्नत किया है। क्षेत्रीय और राज्य कार्यालयों सहित पूरा लेखांकन केंद्रीकृत ईआरपी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
2.	क्या ऋण का पुनर्भुगतान करने में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को उधारदाता द्वारा दिए गए मौजूदा ऋण/ब्याज की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामलों का कोई पुनर्निधारण है ? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए।	ऐसा कोई मामला नहीं था और कंपनी अपने ऋण तथा उधार के दायित्वों को पूरा करती आ रही है।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का समुचित रूप से हिसाब रखा गया था/निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उसका उपयोग किया गया था ? विचलन के मामलों की सूची	कंपनी ने उपयोग के लिए केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त नहीं की हैं।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 008744एन

कृते ए. आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002744सी

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. 082023

अनिल गौर
भागीदार
सदस्य सं. 017546

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई, 2019

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-ग

अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने, वर्ष समाप्ति की तिथि के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर की गयी हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में 31 मार्च, 2019 के अनुसार कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना करने एवं उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके कारोबार का सुव्यवस्थित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इसमें, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उनका निवारण करना, लेखांकन अभिलेखों परिशुद्धता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग-निर्देशन टिप्पणी (''मार्ग-निर्देशन टिप्पणी'') तथा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझे गए लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लागू सीमा तक, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में दोनों के लिए लागू है तथा, दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, क्रियान्वित की है। इन मानकों और मार्ग-दर्शन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया गया था तथा यदि ऐसे नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग में प्रचालित किया गया, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वचनबद्धता प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद हो, तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सामान्यतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाइन की गयी एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और क्रियाविधियां शामिल हैं जोकि:

(1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देनों और स्वभावों का उपयुक्त ब्योरा, परिशुद्धता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित करती है;

(2) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं जो साधारणतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति हेतु अनिवार्य रूप से अभिलेखबद्ध हैं, तथा जिनकी प्राप्तियों और कंपनी के व्ययों को केवल कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(3) कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनसे वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के उपयोग या प्रकृति, अनधिकृत अधिग्रहण का सामयिक पता लगाने अथवा निवारण करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, कपटवश या भूलवश महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हुए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण ऐसे जोखिम के अधीन हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितयों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाता है, या नीतियों अथवा क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर बढ़ जाता है।

राय

हमारे राय में, कंपनी का सभी वास्तविक पहलुओं में (i) उधारकर्ताओं को संवितरित निधियों के उपयोग की मॉनीटरिंग के लिए प्रक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण, तथा (ii) मानव संसाधन नीति के अनुसार कुछ कार्मिकों की ड्यूटी को रोटेशन का क्रियान्वयन, छोड़कर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग में ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से प्रचालित हो रहे थे।

हमने सुधार के क्षेत्रों की पहचान की है, जिनको कंपनी के 31 मार्च, 2019 के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय अवधि और परिसीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताये गये अनुसार और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, सुधार के ये क्षेत्र, कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 008744एन

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. 082023

कृते ए. आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002744सी

अनिल गौर
भागीदार
सदस्य सं. 017546

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक मण्डल,
आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रु रल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)
कोर-4, स्कोप काम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा, उक्त निर्देशों के अध्याया-II में निर्दिष्ट मामलों पर जारी "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) 2016" जो एक सीमा तक आरईसी लिमिटेड (आरईसी) पर लागू हैं, और लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार यथाअपेक्षित है, हम सूचित करते हैं कि:

1. कंपनी को 10 फरवरी, 1998 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकरण की स्वीकृति दी गई थी और इसकी पंजीकरण संख्या 14.000011 है। आरबीआई ने दिनांक 12 फरवरी, 2010 के आरबीआई परिपत्र सीसी संख्या 168 में निहित अनुदेशों के संबंध में एक अवसंरचना वित्त कंपनी के रुप में आरईसी लिमिटेड को श्रेणीबद्ध करने के बाद पूर्व के प्रमाण-पत्र के बदले में दिनांक 17 सितंबर, 2010 को एक अतिरिक्त प्रमाण-पत्र जारी किया। रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड से आरईसी लिमिटेड के रुप में कंपनी के नाम में परिवर्तन के उपरांत, आरबीआई ने आरईसी लिमिटेड के नाम से दिनांक 28 नवंबर, 2018 को एक नया पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया है और इसकी पंजीकरण संख्या 14.000011 है। कंपनी को दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार अपनी परिसंपत्ति/आय के पैटर्न के संबंध में इस प्रकार के पंजीकरण को धारित करने के लिए जारी रखने का अधिकार प्राप्त है।
2. कंपनी, मास्टर डायरेक्शन - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) डायरेक्शन, 2016 में यथानिहित एक अवसंरचना वित्त कंपनी के लिए लागू निवल स्वप्राप्त निधियों की अपेक्षा अपेक्षाओं को पूरा कर रही है।
3. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, जमा राशियों के संबंध में आरबीआई के निर्देश कंपनी पर लागू नहीं हैं। इसलिए, 2018-19 के दौरान कंपनी के निदेशक-मंडल ने किसी सरकारी जमा राशियों की गैर-स्वीकृति हेतु कोई संकल्प पारित नहीं किया है।
4. कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान किसी भी प्रकार की सरकारी जमा राशि को स्वीकार नहीं किया है।
5. कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित रोडमैप के अनुसार, कंपनी 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार भारतीय लेखांकन मानकों (भारतीय लेखांकन मानक) का पालन कर रही है है और कंपनी के वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और इसके अंतर्गत जारी की गई संबंधित नियमावली के साथ पठित निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक की मान्यता और मापन से संबंधित सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

   चूंकि यह कंपनी भारतीय लेखांकन मानक का पालन कर रही है, अत: कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी - प्रणालीगत रूप से गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) डायरेक्शन, 2016 के संबंध में अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करने तथा आय की पहचान, लेखांकन मानक, परिसंपत्ति के वर्गीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन नहीं किया है। भारतीय लेखांकन मानक के संबंध में कंपनी ऋण परिसंपत्तियों के वर्गीकरण और प्रावधान के लिए प्रत्याशित ऋण हानि कार्यपद्धति का पालन कर रही है।
6. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, पूंजीगत निधियां, जोखिम वाली परिसंपत्तियों/अरक्षितता तथा जोखिम परिसंपत्ति अनुपात (एनबीएस-7 विवरणी) का विवरण कंपनी द्वारा अनंतिम वित्तीय परिणामों के आधार पर 31.03.2019 को समाप्त तिमाही के लिए 15.04.2019 को प्रस्तुत किया गया है।
7. फॉर्म एनबीएस-7 में आरबीआई को प्रस्तुत विवरणी में प्रकट किए गए अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात सही-सही निकाला गया है जो अस्थाई वित्तीय विवरणों पर आधारित है और यह अनुपात आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर के अनुपालन में है।

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजी. सं. 008744एन

कृते ए. आर. एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजी. सं. 002744सी

एस. सी. चौधरी
साझीदार
सदस्य सं. 082023

पवन के. गोयल
साझीदार
सदस्य सं. 072209

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई, 2019

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के तहत 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 24.05.2019 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट रिपोर्ट में व्यक्त है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर्स तक पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछ-ताछ तथा कुछ लेखाकरण दस्तावेजों की चयनित जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ ऐसा महत्त्वपूर्ण बिन्दु नहीं आया है जिसके कारण अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जानी आवश्यक हो।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

(राज कुमार)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 जुलाई, 2019

31 मार्च, 2019 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(₹ करोड में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
	परिसंपत्तियां				
(1)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**				
(क)	नकदी एवं नकदी के समतुल्य	5	381.99	248.43	4,468.51
(ख)	अन्य बैंक शेष	6	1,733.08	1,946.84	72.98
(ग)	ट्रेड प्राप्य	7	137.72	133.76	131.33
(घ)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	8	1,802.58	690.38	628.07
(च)	ऋण	9	270,450.92	228,878.25	193,934.52
(छ)	निवेश	10	2,283.13	2,775.15	2,829.08
(ज)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	18,363.99	4,281.53	62.65
	कुल-वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		**295,153.41**	**238,954.34**	**202,127.14**
(2)	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां**				
(क)	इनवेंट्रीज	12	-	-	0.04
(ख)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	13	293.17	32.22	48.43
(ग)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	14	2,305.93	2,842.43	2,134.12
(घ)	निवेश संपत्ति	15	0.01	0.01	0.01
(च)	संपत्तियां, संयंत्र एवं उपस्कर	16	156.63	126.59	124.23
(छ)	पूंजीगत चालू कार्य	16	196.94	127.23	61.41
(ज)	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	16	1.59	1.46	1.46
(झ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	16	8.55	5.16	0.45
(ट)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	17	148.41	100.01	72.56
(ठ)	इक्विटी विधि के उपयोग के लिए लेखाकृत निवेश	10	179.63	172.63	176.07
	कुल - गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		**3,290.86**	**3,407.74**	**2,618.78**
(3)	**बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियां**	18	9.56	7.68	3.08
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)		**298,453.83**	**242,369.76**	**204,749.00**
	देयताएं और इक्विटी				
	देयताएं				
(1)	**वित्तीय देयताएं**				
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	8	159.40	317.75	354.46
(ख)	ट्रेड प्राप्य	19			
	(i) एमएसएमई का कुल बकाया देय		2.65	1.83	0.30
	(ii) एमएसएमई से भिन्न ऋणकर्ताओं का कुल बकाया देय		64.64	61.31	42.89
(ग)	ऋण प्रतिभूतियां	20	192,767.51	179,067.85	148,650.96
(घ)	उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	21	46,662.54	22,631.42	21,700.17
(च)	अधीनस्थ देयताएं	22	4,818.76	2,667.36	2,667.21
(छ)	अन्य वित्तीय देयताएं	23	19,227.07	4,703.05	260.08
	कुल- वित्तीय देयताएं (1)		**263,702.57**	**209,450.57**	**173,676.07**
(2)	**गैर-वित्तीय देयताएं**				
(क)	चालू कर देयताएं (निवल)	24	-	0.51	0.55
(ख)	प्रावधान	25	100.24	220.74	214.27
(ग)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	26	104.60	110.33	48.68
	कुल - गैर - वित्तीय देयताएं (2)		**204.84**	**331.58**	**263.50**
(3)	**बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियों के साथ प्रत्यक्ष रू प से संबद्ध देयताएँ**	18	0.08	-	-
(4)	**इक्विटी**				
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	27	1,974.92	1,974.92	1,974.92
(ख)	अन्य इक्विटी	28	32,571.42	30,612.69	28,834.51
	कुल - इक्विटी (4)		**34,546.34**	**32,587.61**	**30,809.43**
	कुल - देयताएं और इक्विटी (1+2+3+4)		**298,453.83**	**242,369.76**	**204,749.00**

वित्तीय विवरणों पर साथ की टिप्पणियां देखें 1 से 70

निदेशक बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 03464342

अजीत कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

समान तारीख की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी.एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.: 008744एन

कृते ए.आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.: 002744 सी

एस. सी. चौधरी
साझीदार
सदस्यता सं. : 082023

प्रियांशु जैन
साझीदार
सदस्यता सं. : 530262

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड में)

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
	प्रचालनों से राजस्व			
(i)	ब्याज आय	29	**24,983.62**	22,098.31
(ii)	लाभांश आय	30	**20.38**	26.85
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	31	**225.09**	299.39
(iv)	सेवाओं की बिक्री	32	**169.93**	227.05
I.	**प्रचालनों से कुल राजस्व (i से iv)**		**25,399.02**	**22,651.60**
II.	अन्य आय	33	**32.31**	14.79
III.	**कुल आय (I+II)**		**25,431.33**	**22,666.39**
	व्यय			
(i)	वित्तीय लागतें	34	**15,639.20**	13,332.94
(ii)	निवल अनुवाद/लेन-देन विनिमय हानि	35	**521.19**	19.37
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	36	**34.38**	24.58
(iv)	अंकित मूल्य परिवर्तनों संबंधी निवल हानि	37	**348.52**	573.37
(v)	वित्तीय दस्तावेजों संबंधी हानि	38	**243.49**	2,300.53
(vi)	प्रदान की गई सेवाओं की लागत	39	**85.15**	119.80
(vii)	खपत की गई सामग्री की लागत	40	**-**	7.95
(viii)	तैयार वस्तुओं की मालसूचियों में परिवर्तन और कार्य प्रगति पर	41	**-**	0.04
(ix)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	42	**177.37**	184.04
(x)	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	43	**8.29**	6.93
(xi)	निगम सामाजिक दायित्व व्यय	44	**104.49**	50.94
(xii)	अन्य व्यय	45	**188.76**	99.05
IV.	**कुल व्यय (i से xii)**		**17,350.84**	**16,719.54**
V.	**इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम के लाभ/हानि का हिस्सा**	64	**9.95**	10.67
VI.	**कर पूर्व लाभ (III-IV+V)**		**8,090.44**	5,957.52
VII.	**कर व्यय**	46		
(i)	वर्तमान कर		**1,813.23**	2,215.43
(ii)	आस्थगित कर		**535.83**	(708.43)
	कुल कर व्यय (i+ii)		**2,349.06**	**1,507.00**
VIII.	**वर्ष के लिए लाभ**		**5,741.38**	4,450.52
IX.	**अन्य व्यापक आय/(हानि)**			
(i)	**ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा**			
(क)	परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुन:मापन लाभ/(हानि)		**(19.37)**	(6.34)
(ख)	एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेजों के अंकित मूल्य में परिवर्तन		**(47.26)**	8.48
(ग)	इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/हानि का हिस्सा	64	**(0.05)**	(0.03)
(घ)	इन मदों से संबंधित आय कर			
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुन:मापन लाभ/(हानि)		**6.77**	2.20
	- एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेजों के अंकित मूल्य में परिवर्तन		**(0.68)**	(0.10)
	- इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/हानि का हिस्सा		**-**	-
	उप-जोड़ (i)		**(60.59)**	4.21
(ii)	**ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत किया जाएगा**			
(a)	इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/हानि का हिस्सा	64	**-**	1.46
	उप-जोड (ii)		**-**	1.46
	अवधि के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) (i+ii)		**(60.59)**	5.67
X.	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (VIII+IX)**		**5,680.79**	4,456.19
XI.	**प्रत्येक 10 रु पए प्रति इक्विटी शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्जन (रुपये में)**	47		
(1)	जारी प्रचालनों के लिए		**29.07**	22.54
(2)	जारी एवं बंद प्रचालनों के लिए		**29.07**	22.54

वित्तीय विवरणों पर साथ की टिप्पणियां देखें 1 से 70

निदेशक बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 03464342

अजीत कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

समान तारीख की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी.एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.: 008744एन

कृते ए.आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.: 002744 सी

एस. सी. चौधरी
साझीदार
सदस्यता सं. : 082023

प्रियांशु जैन
साझीदार
सदस्यता सं. : 530262

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी (करोड़ रुपये में)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
आरंभिक शेष	**1,974.92**	**1,974.92**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	**-**	-
अंतिम शेष	**1,974.92**	**1,974.92**

ख अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष							अन्य व्यापक आय			कुल
	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष रिजर्व	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiक) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋण	1934 की धारा 45-आईसी के तहत रिजर्व निधि	डिबेंचर मोचन रिजर्व	प्रतिभूति बट्टा खाता	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अनुवाद अंतर खाता	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित अर्जन	इक्विटी मेथड का प्रयोग करने के लिए लेखाकृत संयुक्त उद्यमों के (हानि)/ अन्य व्यापक आय का शेयर	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी दस्तावेज	
01 अप्रैल, 2017 को शेष	**12,230.70**	**2,425.30**	**-**	**924.95**	**2,236.54**	**203.78**	**4,730.54**	**5,900.84**	**-**	**181.86**	**28,834.51**
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	4,450.52	-	-	4,450.52
परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुन:मापन हानि	-	-	-	-	-	-	-	(4.14)	-	-	(4.14)
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	(0.03)	1.46	8.38	9.81
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,446.35**	**1.46**	**8.38**	**4,456.19**
प्रतिधारित अर्जन में/(से) अंतरण	1,582.49	335.80	-	196.59	-	-	500.00	(2,614.88)	-	-	-
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(1,984.79)	-	-	(1,984.79)
लाभांश वितरण कर	-	-	-	-	-	-	-	(403.15)	-	-	(403.15)
अवधि के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अनुवाद हानि	-	-	-	-	-	(311.74)	-	-	-	-	(311.74)
अवधि के दौरान परिशोधन	-	-	-	-	-	21.67	-	-	-	-	21.67
31 मार्च, 2018 को शेष	**13,813.19**	**2,761.10**	**-**	**1,121.54**	**2,236.54**	**(86.29)**	**5,230.54**	**5,344.37**	**1.46**	**190.24**	**30,612.69**
अवधि के लिए लाभ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,741.38**		**-**	5,741.38
परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुन:मापन हानि	-	-	-	-	-	-	-	(12.60)		-	(12.60)
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	(0.05)		(47.94)	(47.99)
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,728.73**		**(47.94)**	**5,680.79**
प्रतिधारित अर्जन में/(से) अंतरण	1,323.59	273.62	1,153.00	196.59	-	-	-	(2,946.80)		-	-
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(2,518.02)		-	(2,518.02)
लाभांश वितरण कर	-	-	-	-	-	-	-	(525.51)		-	(525.51)
एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज की बिक्री संबंधी लाभ/ हानि का पुन:वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	5.42		(5.42)	-
अवधि के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अनुवाद हानि	-	-	-	-	-	(1,404.88)	-	-		-	(1,404.88)
अवधि के दौरान परिशोधन	-	-	-	-	-	726.35	-	-		-	726.35
31 मार्च, 2019 को शेष	**15,136.78**	**3,034.72**	**1,153.00**	**1,318.13**	**2,236.54**	**(764.82)**	**5,230.54**	**5,088.19**	**1.46**	**136.88**	**32,571.42**

वित्तीय विवरणों पर साथ की टिप्पणियां 1 से 70 देखें
समान तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी.एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.: 008744एन

कृते ए.आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.: 002744सी

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

एस.सी. चौधरी
साझीदार
सदस्यता सं.: 082023

प्रियांशु जैन
साझीदार
सदस्यता सं.: 530262

जे. एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 03464342

अजीत कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 मई, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 को समाप्त वर्ष		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह:					
	कर पूर्व निवल लाभ	**8,090.44**		**5,957.52**	
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:				
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (निवल) को अमान्य करने पर हानि	**0.86**		0.56	
2.	अवमूल्यन एवं परिशोधन	**8.29**		6.93	
3.	वित्तीय परिसंपत्तियों पर इंपेयरमेंट हानियां	**243.49**		2,300.53	
4.	ऋण के मामले में प्रभावी ब्याज दर के प्रति समायोजन	**1.33**		(37.70)	
5.	उधारियों के मामले में प्रभावी ब्याज दर के प्रति समायोजन	**(788.28)**		84.16	
6.	व्युत्पन्नों में उचित मूल्य परिवर्तन	**351.52**		586.76	
7.	वाणिज्यिक दस्तावेज पर ब्याज	**402.84**		135.60	
8.	अन्य उधारियों पर ब्याज	**0.01**		-	
9.	जीरो कूपन बॉण्ड पर उपचित ब्याज	**97.02**		89.54	
10.	विनिमय दर घटने-बढ़ने पर हानि/(लाभ)	**558.51**		(53.61)	
11.	लाभांश आय	**(20.38)**		(26.85)	
12.	निवेशों पर ब्याज आय	**(205.88)**		(223.40)	
13.	अग्रिम आय कर पर ब्याज के लिए किया गया प्रावधान	**3.70**		5.68	
14.	देयताएँ जिन्हें अब राइट बैक करने की आवश्यकता नहीं है	**(0.46)**		(0.71)	
15.	इक्विटी मेथड प्रयोग करने के लिए लेखाकृत संयुक्त उद्यमों के लाभ/हानि का शेयर	**(9.95)**		(10.67)	
	प्रचालनात्मक परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ	**8,733.06**		**8,814.34**	
	निम्नलिखित के कारण अंतर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह) :				
1.	**ऋण परिसंपत्तियां**	**(41,760.36)**		(37,474.64)	
2.	**व्युत्पन्न**	**(1,622.07)**		(685.78)	
3.	अन्य प्रचालनात्मक परिसंपत्तियां	**(13,856.90)**		(5,643.79)	
4.	प्रचालनात्मक देयताएं	**14,711.38**		4,680.09	
	प्रचालनों से नकदी प्रवाह	**(33,794.89)**		**(30,309.78)**	
1.	भुगतान किया गया आयकर (टीडीएस सहित)	**(2,070.91)**		(2,202.60)	
2.	आयकर वापसी	**0.00**		2.57	
	प्रचालनात्मक गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**(35,865.80)**		**(32,509.81)**
ख. निवेशात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री	**0.10**		0.15	
2.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में निवेश (सीडब्ल्यूआईपी और पूंजीगत अग्रिम राशि सहित)	**(85.88)**		(74.56)	
3.	अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश (विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	**(5.04)**		(5.35)	

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 को समाप्त वर्ष		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	
4.	पूंजीकृत वित्त लागतें	**(11.37)**		(6.32)	
5.	इक्विटी शेयरों/उद्यम पूंजी निधियों में निवेश	**24.39**		(2.08)	
6.	इक्विटी शेयरों/वेंचर पूजीगत निधियों में बिक्री /(निवेश)	**(0.40)**		0.10	
7.	ऋण प्रतिभूतियों में निवेश (ब्याज आय सहित)	**399.45**		95.58	
8.	दीर्घावधिक निवेश से ब्याज आय	**156.79**		221.21	
9.	आवधिक जमाओं में निवेश (ब्याज सहित)	**(106.64)**		(208.62)	
10.	कारपोरेट और आवधिक जमाओं की परिपक्वता/(निवेश)	**64.99**		(1.08)	
11.	लाभांश आय	**20.38**		26.85	
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**456.77**		**45.88**
ग. वित्त संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
1.	रूपी ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम (विमोचनों का निवल)	**4,220.72**		19,558.55	
2.	वाणिज्यिक दस्तावेजों का निर्गम (चुकौतियों का निवल)	**4,143.04**		3,014.84	
3.	सरकार/बैंकों/वित्तीय संस्थानों से रूपी आवधिक ऋण/डब्ल्यूसीडीएल जुटाना (चुकौतियों का निवल)	**24,350.00**		(350.00)	
4.	विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूति जुटाना (विमोचनों का निवल)	**3,718.78**		8,395.48	
5.	अधीनस्थ देयताओं को जुटाना (विमोचनों का निवल)	**2,151.20**		-	
6.	इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	**(2,515.63)**		(1,971.87)	
7.	कारपोरेट लाभांश कर का भुगतान	**(525.52)**		(403.15)	
	वित्त संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**35,542.59**		**28,243.85**
	नकदी एवं नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि/कमी		**133.56**		**(4,220.08)**
	इस अवधि के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्यता		**248.43**		**4,468.51**
	इस अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**381.99**		**248.43**

वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्यता के घटक निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	
- हस्तगत रोकड़ (डाक एवं अग्रदाय सहित)		**0.01**		0.01
- बैंको में शेष		**343.60**		186.92
-अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा		**38.38**		61.50
कुल नकदी और नकदी समतुल्यता		**381.99**		**248.43**
		-		-

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

वित्त संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं का सामंजस्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान नकदी प्रावाह (निवल)	उपचित ब्याज में संचलन*	गैर- नकदी परिवर्तन		अंतिम शेष
				विनिमय अंतर	ईआईआर समायोजन	
वित्त वर्ष 2018-19						
रूपी ऋण प्रतिभूतियां	**168,444.86**	**4,220.72**	**124.83**	**-**	**108.71**	**172,899.12**
वाणिज्यिक दस्तावेज	**3,150.44**	**4,143.04**	**-**	**-**	**402.84**	**7,696.32**
रूपी आवधिक ऋण/ डब्ल्यूसीडीएल	**414.82**	**24,350.00**	**119.43**	**-**	**-**	**24,884.25**
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	**29,689.04**	**3,718.78**	**104.02**	**1,220.89**	**(782.48)**	**33,950.25**
अधीनस्थ देयताएं	**2,667.36**	**2,151.20**	**1.58**	**-**	**(1.38)**	**4,818.76**
कुल	**204,366.52**	**38,583.74**	**349.86**	**1,220.89**	**(272.31)**	**244,248.70**
वित्त वर्ष 2017-18						
रूपी ऋण प्रतिभूतियां	**148,650.96**	19,558.55	148.58	-	86.77	**168,444.86**
वाणिज्यिक दस्तावेज	**-**	3,014.84	-	-	135.60	**3,150.44**
रूपी आवधिक ऋण/ डब्ल्यूसीडीएल	**776.66**	-350.00	-11.84	-	-	**414.82**
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं बाण्ड्स	**20,923.38**	8,395.48	46.98	235.32	87.88	**29,689.04**
अधीनस्थ देयताएं	**2,667.21**	-	-	-	0.15	**2,667.36**
कुल	**173,018.21**	**30,618.87**	**183.72**	**235.32**	**310.40**	**204,366.52**

* उपचित ब्याज में संचलन को प्रचालन संबंधी क्रिया-कलापों से नकदी प्रवाह के रूप में 'प्रचालन संबंधी देयताओं' में शामिल किया गया है।

टिप्पणी: जहां आवश्यक है, पिछली अवधि के आंकड़ों को फिर से व्यवस्थित किया गया है और उसे फिर से समूह में रखा गया है।

हमारी उसी तिथि की रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते जी. एस. माथुर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 008744एन

कृते ए. आर. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 002744सी

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. : 082023

प्रियांशु जैन
भागीदार
सदस्यता सं. : 530262

जे. एस. अमिताभ
महाप्रबंधक और कंपनी सचिव

संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन-03464342

अजीत कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
तथा निदेशक (वित्त)
डीआईएन-2231613

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई, 2019

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. कंपनी सिंहावलोकन

आरईसी लिमिटेड (''आरईसी'' या ''कंपनी'') की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। कंपनी भारत में अधिवासित है एवं शेयरों द्वारा सीमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय एवं कारोबार का मुख्य स्थान कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत में स्थित है। कंपनी के देश भर में फैले 23 राज्य कार्यालय, मुख्यतः राज्यों की राजधानी में, हैं तथा इसका हैदराबाद में एक प्रशिक्षण केंद्र है।

यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है, जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है तथा यह भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रुप में पंजीकृत व्यवस्थित ढंग में एक महत्वपूर्ण (नॉन-डिपोसिट एक्सेप्टिंग या होल्डिंग) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है।

आरईसी, भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी है और आरईसी के प्रमुख उत्पादों में राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत विभागों एवं निजी क्षेत्र को विद्युत अवसंरचना के सभी अंगभूतों के लिए ब्याज-युक्त ऋण प्रदान करना शामिल है।

कंपनी का नाम 'रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड' से 'आरईसी लिमिटेड' के रूप में परिवर्तित होने के फलस्वरूप, कंपनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा ने दिनांक 13 अक्तूबर, 2018 को नया निगमन प्रमाणपत्र जारी कर दिया है। इसके अलावा, उपरोक्त नाम में परिवर्तन होने के संबंध में कंपनी को विद्युत मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और स्टॉक एक्सचेंजों से अपेक्षित अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो गये हैं।

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) ने भारत के राष्ट्रपति के जरिए कंपनी के 103,93,99,343 इक्विटी शेयरों, जो शेयर पूंजी के 52.63% का प्रतिनिधित्व करता है, को अधिग्रहित कर लिया है। परिणामस्वरूप, पीएफसी आरईसी की होल्डिंग कंपनी बन गयी है।

कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।

अपनी अनुषंगी कंपनियों के साथ कंपनी को यहां इसके उपरांत ''समूह'' के रूप में संदर्भित किया गया है।

2. अनुपालन का विवरण और तैयारी का आधार

कंपनी समूह ने 01.04.2018 से कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (''इंड एएस'' के रूप में संदर्भित) को अंगीकृत कर लिया है। ये समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं। ये समूह के पहले भारतीय लेखाकरण मानक समेकित वित्तीय विवरण हैं और संक्रमण की तिथि 01.04.2017 है।

समूह ने 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए अपने समेकित वित्तीय विवरणों को, पूर्व में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांत (पूर्व में जीएएपी), जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनाये गये नियमों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक (एएस) शामिल हैं, की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया है। समूह ने संक्रमणकाल की अद्यतन तिथि के अनुसार अपने प्रारंभिक भारतीय लेखाकरण मानक समेकित तुलन-पत्र को तैयार करने में भारतीय लेखाकरण मानक 101 - 'भारतीय लेखाकरण मानक का प्रथम बार अंगीकरण' के उपबंधों का पालन किया है तथा भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार प्रारंभिक शेष को पुनःप्रस्तुत करने के लिए समायोजन किए। संक्रमणकाल के प्रभाव को 01.04.2017 को प्रारंभिक आरक्षित में लेखाबद्ध किया गया है। तुलनात्मक आंकड़ों को उन्हीं लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है, जिनका उपयोग कंपनी के पहले भारतीय लेखाकरण मानक समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में किया गया है।

प्रथम बार अंगीकरण पर समूह द्वारा उपयोग किए गए अनिवार्य अपवादों एवं वैकल्पिक अपवादों का ब्यारो नोट 63 में दिया गया है। इसके साथ, पिछले जीएएपी के तहत और 01 अप्रैल, 2017 एवं 31 मार्च, 2018 के अनुसार इंड-एएस के अंतर्गत कुल इक्विटी के मिलान तथा पिछले जीएएपी के अनुसार कर उपरांत लाभ और 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखाकरण मानक के तहत कुल विस्तृत आय को भी उक्त नोट में प्रस्तुत किया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को जारी करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा 24 मई, 2019 को अधिकृत एवं अनुमोदित किया गया।

इन समेकित वित्तीय विवरणों को लेखाकरण की निम्नलिखित उपचित प्रणाली के जारी सरोकार के आधार पर तैयार किया गया है तथा ये कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (''इंड एएस'' के रूप में संदर्भित), कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और अन्य लागू नियामक मानदंडों / दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

2.1 निर्गत मानक किंतु अभी प्रभावी नही

भारतीय लेखाकरण मानक - लीसेज:

30.03.2019 को, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने भारतीय लेखाकरण मानक 116, लीसेज अधिसूचित किए। भारतीय लेखाकरण मानक 116, भारतीय लेखाकरण मानक 17 और संबंधित व्याख्याओं को प्रतिस्थापित करेगा। मानकों ने लीसेज की मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांत निर्धारित किए हैं। भारतीय लेखाकरण मानक 116 ने एक एकल लेसर लेखाकरण मॉडल को शुरूकिया और इसमें 12 महीनों से अधिक अवधि के साथ सभी लीसेज के लिए परिसंपत्तियों एवं देयताओं की मान्यता हेतु एक लेसर की आवश्यकता होती है, बशर्ते कि रेखांकित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो। मानक में लेसर के लिए संवर्धित प्रकटीकरण की आवश्यकताएं भी अंतर्निहित हैं।

भारतीय लेखाकरण मानक 12 - परिशिष्ट ग, आयकर व्यवहार पर अनिश्चितता:

30.03.2019 को, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने भारतीय लेखाकरण मानक 12, परिशिष्ट-ग, आयकर व्यवहार पर अनिश्चितता को अधिसूचित किया, जो कर योग्य लाभ (या हानि), कर आधारों, अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों और कर दरों का निर्धारण करने के दौरान तब लागू किया जाना है, जब भारतीय लेखाकरण मानक 12 के तहत आयकर व्यवहारों पर अनिश्चितता बनी हुई है। परिशिष्ट के अनुसार, कंपनियों को ऐसे प्रति कर व्यवहार, या कर व्यवहारों के समूह को स्वीकार करने वाले संबंधित कर प्राधिकरण की संभाव्यता को निर्धारित करने की आवश्यकता है, जिनका उपयोग कंपनियां अपने ऐसे आयकर को भरने में करती हैं या उनके उपयोग की योजना बनाती हैं, जिसे अत्यधिक संभावित राशि अथवा कर-योग्य लाभ (कर हानि), कर आधारों, अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों एवं कर दरों के निर्धारण के समय कर व्यवहार के प्रत्याशित मूल्य की गणना के लिए विचारा जाएगा।

भारतीय लेखाकरण मानक 12 - आयकर में संशोधन

30.03.2019 को, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने लाभांश वितरण करों की गणना के संबंध में भारतीय लेखाकरण मानक 12, 'आयकर' में मार्गदर्शन के लिए संशोधन जारी किए हैं। संशोधन स्पष्ट करता है कि कोई एंटिटी लाभ या हानि, अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में लाभांश के आयकर परिणामों को पहचानती है जहां इकाई मूल रूप से उन पिछले लेनदेन या घटनाओं को मान्यता देती है। संशोधन स्पष्ट करता है कि एक एंटिटी, जहां एंटिटी मूल रूप से उन पिछले लेनदेन या घटनाओं को मान्यकृत करने के अनुसार लाभ या हानि, अन्य व्यापक आय या इक्विटी में लाभांश के आयकर परिणामों की पहचान करेगी।

भारतीय लेखाकरण मानक 19 - योजना संशोधन, कटौती या समाधान के संबंध में संशोधन

30.03.2019 को, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने चालू सेवा लागत एवं किसी योजना संशोधन, कटौती या समाधान के उपरांत शेष अवधि हेतु निवल ब्याज को निर्धारित करने के लिए अद्यतित धारणाओं के उपयोग हेतु एक एंटिटी के लिए जरूरी योजना संशोधनों, कटौतियों और समाधानों के लेखांकन; और पिछली सेवा लागत के अंश के रूप में लाभ या हानि, या निपटान पर लाभ या हानि के रूप में पहचान करने, अधिशेष में कोई कमी, भले ही उस अधिशेष को परिसंपत्ति सीमा के प्रभाव के कारण पहले से मान्यता नहीं मिली हो, के संबंध में भारतीय लेखाकरण मानक 19, 'कर्मचारी हितलाभ' के लिए संशोधन जारी किए हैं।

इन संशोधनों के अनुप्रयोग हेतु प्रभावी तिथि 01.04.2019 को या उसके उपरांत शुरू वार्षिक अवधि है। समूह वर्तमान में समेकित वित्तीय विवरणों पर इन संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन कर रहा है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

समेकित वित्तीय विवरणों के तैयारी में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को नीचे दिया गया है:

3.1 समेकन का आधार

अनुषंगी कंपनी

अनुषंगी कंपनी, समूह द्वारा नियंत्रित एक एंटिटी है। समूह एक एंटिटी को उस समय नियंत्रित करता है जब वह, एंटिटी के साथ उसकी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्नों को प्रकट करती है, या उसके पास ऐसा करने के अधिकार होते हैं तथा एंटिटी पर अपनी शक्ति के जरिए ऐसी रिटर्नों को प्रभावित करने की योग्यता होती है। अनुषंगी कंपनी के वित्तीय विवरणों को, नियंत्रण शुरूहोने की तिथि से नियंत्रण समाप्त होने की तिथि तक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। समूह, होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक लाइन के वित्तीय विवरणों को परिसंपत्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय एवं व्यय जैसी मदों के साथ जोड़ता है।

इक्विटी लेखाकृत निवेश

इक्विटी लेखाकृत निवेशों में समूह के हितों में एसोसिएटों एवं संयुक्त उद्यम में हित शामिल हैं।

एक एसोसिएट एक एंटिटी है, एक अनिगमित एंटिटी सहित, जिस पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और यह न तो एक अनुषंगी कंपनी है और न ही यह संयुक्त उद्यम में एक हित है। इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए एसोसिएटों में इंटरेस्ट का हिसाब किया जाता है। शुरूमें इनकी पहचान लागत पर की जाती है, जिसमें लेनदेन लागतें भी शामिल है। प्रारंभिक मान्यता के उपरांत, समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी-लेखाकृत निवेशों के समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) का शेयर उस तिथि तक शामिल है जब तक महत्वपूर्ण प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है। हालांकि, ऐसे मामले में जहां यह माना जाता है कि एसोसिएटों में निवेश/ब्याज को बिक्री के लिए रखा जाता है, तो एसोसिएटों में इंटरेस्ट का हिसाब भारतीय लेखाकरण मानक 105 के तहत किया जाता है।

एक संयुक्त उद्यम एक व्यवस्था है, जिसमें समूह के पास संयुक्त नियंत्रण होता है और उसे अपनी देनदारियों के लिए अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अधिकारों की बजाय, व्यवस्था की निवल परिसंपत्तियों के संबंध में अधिकार होते हैं।

संयुक्त उद्यम में ब्याज की गणना इक्विटी पद्धति के उपयोग द्वारा की जाती है। प्रारंभ में इनकी पहचान उस लागत पर की जाती है जिसमें लेनदेन लागतें भी शामिल हैं। प्रारंभिक मान्यता के उपरांत, समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी-लेखाकृत निवेशकर्ताओं के समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) का शेयर उस तिथि तक शामिल है जब तक महत्वपूर्ण प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है।

समेकन पर लेनदेन को हटाना

अंतरा-समूह शेष राशि और लेनदेन, और अप्राप्त आय एवं अंतरा-समूह लेनदेन से हुए व्यय को समाप्त किया जाता है। इक्विटी लेखाकृत निवेशों के साथ लेनदेन से उत्पन्न अप्राप्त लाभों को निवेश में समूह के हित की सीमा तक निवेश के समक्ष हटाया जाता है। अप्राप्त हानियों को भी अप्राप्त लाभों की तरह हटाया जाता है, किंतु केवल इस सीमा तक कि इसमें क्षति का कोई साक्ष्य नहीं है।

3.2 तैयारी और माप का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देनदारियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें संबंधित लेखाकरण नीतियों में यथा स्पष्टीकृत उचित मूल्यों पर मापा जाता है। इन नीतियों को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए सतत् रूप से लागू किया गया है।

कार्यात्मक एवं प्रस्तुत मुद्रा

समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों ('आईएनआर'), जोकि समूह की कार्यात्मक मुद्रा भी है, में प्रस्तुत किया जाता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.3 आय मान्यता

ब्याज आय

ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर की गई है।

परिशोधन लागत पर मापी गई सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है, अर्थात वह दर जो वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल वहन राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति की प्रत्याशित अवधि के माध्यम से भविष्य की नकद प्राप्तियों का अनुमान लगाती है।

लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापी गई उत्तरवर्ती वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज को मान्यता संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपचित आधार पर दी जाती है।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज के सामयिक भुगतान के कारण छूट को मान्यता, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, संपूर्ण ब्याज राशि का समय पर प्राप्त होने पर दी जाती है और यह तदनुरूपी ब्याज आय के समक्ष शुद्ध आय है।

सरकारी योजनाओं से आय

सरकारी योजनाओं पर एजेंसी शुल्क की आय को मान्यता प्रस्तुत सेवाओं पर आधारित उपचित आधार पर दी जाती है।

लाभांश आय

कारपोरेट निकायों के शेयरों पर लाभांश और म्युच्युअल फंड की यूनिटों से आय को, आरईसी को भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर, उपचित आधार पर खाते में लिया जाता है।

बशर्ते कि अंतिम लाभांश के मामले में, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को, केवल वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश की मंजूरी प्रदान करने पर विचारा जाएगा।

अन्य सेवाएं

ऋण परिसंपत्तियों पर शुल्क/प्रभारों को, ईआईआर के लिए विचारित किसी समायोजन को छोड़कर, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पूर्व-भुगतान प्रीमियम का हिसाब प्राप्ति वर्ष में समूह द्वारा किया जाता है।

सेवाओं की बिक्री से राजस्व

राजस्व की पहचान उस सीमा तक की जाती है कि संभवता आर्थिक हितलाभ का प्रवाह समूह को मिले और राजस्व को विश्वसनीय ढंग में मापा जा सके। राजस्व को प्राप्त या प्राप्य विचारण, छूट के निवल एवं अन्य अप्रत्यक्ष करों, के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

लागत सह संविदा में - राजस्व की पहचान संविदा के अनुसार व्ययों की पात्र संविदात्मक मदों एवं यथानुपात मार्जिन सहित की जाती है;

निर्धारित मूल्य संविदा में - राजस्व की पहचान, संविदा के समापन स्तर के आधार पर की जाती है। समूह ने मूल्यांकन किया है कि समापन के स्तर को निर्धारित किया जाता है क्योंकि निष्पादन दायित्व को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित कुल समय का अनुपात, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीत गया है, भारतीय लेखाकरण मानक 115 के तहत इन निष्पादन देनदारियों की पूर्ण संतुष्टि के लिए प्रगति का एक उपयुक्त परिमाण है।

परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर, राजस्व, लागत या समापन के समक्ष प्रगति की सीमा के आकलनों को संशोधित किया जाता है। अनुमानित राजस्व या लागतों में किसी भी परिणामी बढ़ोतरी या कमी को, उस अवधि में लाभ या हानि दर्शाया जाता है, जिसमें संशोधन को जन्म देने वाली परिस्थितियां प्रबंधन को ज्ञात होती हैं।

प्रशुल्क आधारित बोली पर पारेषण परियोजनाओं के लिए चयनित बोलीदाताओं/विकासकर्ताओं से प्रभारित किए जाने वाले व्यावसायिक शुल्क का हिसाब उस वर्ष में किया जाता है, जिसमें यह उपयुक्त रूप से सुनिश्चित हो सके कि व्यावसायिक शुल्कों की अंतिम उगाही की जाएगी।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेजों की विक्रय कार्यवाही को संबंधित एसपीवी को क्रेडिट किया गया है और अनुरोध हेतु अर्हता (आरएफक्यू) दस्तावेजों की विक्रय कार्यवाही को समूह द्वारा बरकरार रखा जाता है और उसे समूह की आय के रूप में हिसाब लगाया जाता है।

3.4 उधार लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और ऐसी अन्य लागतें शामिल होती हैं, जिन्हें समूह निधियों की उधारी के संबंध में खर्च करता है। उधार लेने की लागतें, जो एक अर्हकारी परिसंपत्ति के अधिग्रहण और/या निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से तब तक जिम्मेदार हैं जब तक कि ऐसी अर्हकारी परिसंपत्ति अपने अभीष्ट उपयोग बिक्री के लिए तैयार नहीं हो जाती, पूंजीकृत होती हैं। एक अर्हकारी परिसंपत्ति वह है जो आवश्यक रूप से अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयारी के संबंध में पर्याप्त समय लेती है।

अन्य सभी उधार लागतें, प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार उपचित आधार पर लाभ और हानि के विवरण हेतु प्रभारित हैं।

3.5 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूलभूत आय की गणना, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों (आरोप्य करों की कटौती के उपरांत) के लिए देय अवधि के संबंध में निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर डायल्यूटेड आय की गणना करने के लिए, अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी हेतु देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को सभी घटाने योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3.6 विदेशी मुद्रा रू पांतरण

विदेशी मुद्रा लेनदेन और संतुलन

विदेशी मुद्रा लेनदेन को, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करके समूह की कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है।

इस तरह के लेन-देन के निपटान के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा लाभ और हानियों और अवधि-अंत विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में विभाजित मौद्रिक वस्तुओं के पुनः माप को मान्यता लाभ या हानि विवरण में दी जाती है। हालांकि, 1 अप्रैल 2018 से पूर्व समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यतकृत दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के लिए, इस तरह के लाभ और हानि को "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाते" में संचित किया जाता है और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में पहचान करने के द्वारा, इस प्रकार की दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

गैर-मौद्रिक वस्तुओं को अवधि के अंत में पुनःअंतरित नहीं किया जाता है और उनको ऐतिहासिक लागत (लेनदेन की तिथि को विनिमय दरों के उपयोग द्वारा रूपांतरित) पर मापा जाता है।

3.7 अमूर्त परिसंपत्तियां

मान्यता और प्रारंभिक माप

अमूर्त संपत्ति में मुख्य रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल होता है, जिसे शुरूमें लागत पर मापा जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है, जिनमें यह संभावना है कि परिसंपत्ति के कारण भावी आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे।

उत्तरवर्ती माप प्रक्रिया (परिशोधन विधि, उपयोगिता अवधि और शेष मूल्य)

परिमित उपयोगिता अवधि के साथ सभी अमूर्त परिसंपत्तियों को अनुमानित उपयोगिता अवधि से परे एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है, और यदि अमूर्त परिसंपत्ति को क्षति होने का संकेत होता है तो संभावित हानि का आकलन किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए शेष मूल्य और उपयोगिता अवधि की समीक्षा की जाती हैं। परिवर्तन, यदि कोई हो तो, का लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन के रुप में हिसाब लगाया जाता है। प्रबंधन का अनुमान है कि अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि पांच वर्ष होगी।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

ऐसे व्यय, जो अमूर्त परिसंपत्ति के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके अभीष्ट उपयोग हेतु तैयार होने तक 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति' के रूप में, रखा जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान के समय, या उसके उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ न होने की प्रत्याशा पर अमान्यकृत कर दिया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति के अमान्यकरण से व्युत्पन्न लाभ या हानि, निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापित, को परिसंपत्ति को अमान्यकृत किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण को मान्यता दी जाती है।

3.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

मान्यता और प्रारंभिक माप

भूमि

उपयोग के लिए रखी गई भूमि को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। भूमि के लिए, जैसा कि कोई परिमित उपयोगिता अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है, संबंधित वहन राशि का मूल्यह्रास नहीं होता है। भूमि में वित्तीय पट्टे के तहत रखी गई भूमि भी शामिल है, जिसका पट्टे की अवधि में मूल्यह्रास होता है।

अन्य मूर्त परिसंपत्ति

भूमि के अन्यत्र पीपीई को प्रारंभ में अधिग्रहण लागत या निर्माण लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें ऐसी लागतें जो परिसंपत्तियों को स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य हैं और ऐसी शर्तें जो इसे समूह के प्रबंधन द्वारा अभीष्ट ढंग में प्रचालन करने में सक्षम हेतु अनिवार्य बनाती हैं, शामिल हैं।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक समूह में प्रवाहित होंगे। पीपीई के अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप (मूल्यह्रास पद्धति, उपयोगिता अवधि, शेष मूल्य और क्षति)

पीपीई को बाद में कम संचित मूल्यह्रास लागत और क्षतिपूर्ण हानियों पर मापा जाता है। पीपीई पर मूल्यह्रास को, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' के तहत निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी अवधि पर सीधी-रेखा पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को, उक्त के खरीद/बिक्री की तारीख से यथानुपात आधार पर प्रभारित करने के बजाय, परिसंपत्ति के 15 दिन से अधिक उपयोग होने पर पूरे महीने के लिए प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 5,000 / - रुपए तक 100% की दर से प्रदान किया जाता है।

पट्टाकृत भूमि को पट्टा अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

शेष मूल्यों, उपयोगी अवधि और मूल्यह्रास की पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में की जाती है। भूमि के अन्यत्र पीपीई का क्षति के लिए परीक्षण तब किया जाता है, जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह इंगित होता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

अमान्यकरण

पीपीई की एक मद तथा प्रारंभ में मान्यता प्राप्त किसी महत्वपूर्ण अंश को, निपटान पर या भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। पीपीई की किसी मद के अमान्यकरण पर उत्पन्न किसी लाभ या हानि का निर्धारण, निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है तथा उसे लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

पूंजीगत कार्य में प्रगति

रिपोर्टिंग तिथि को निर्माणाधीन पीपीई की लागत को 'पूंजीगत कार्य में प्रगति' के रूप में प्रकट किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, पूंजीकरण मानदंड पूर्ण होने पर उधार लागत और परिसंपत्ति को अभीष्ट उपयोग हेतु इसके कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लागत शामिल होती है। व्यापार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए प्रदत्त अग्रिम, जो तुलन-पत्र की तारीख को बकाया हैं, को ञअग्रिम पूंजीट के तहत वर्गीकृत किया गया है।

3.9 पट्टे (लेसेज)

एक पट्टेदार (लेसर) के रूप में कंपनी

प्रत्येक पट्टे की प्रारंभ में, पट्टा व्यवस्था को एक वित्तीय पट्टे या प्रचालन पट्टे के रूप में, पट्टा व्यवस्था के सार के आधार पर, वर्गीकृत किया जाता है।

वित्तीय पट्टे

पट्टेदार के रूप में समूह द्वारा अपनी क्षमता में की पट्टाकृत परिसंपत्तियों, जिसमें सभी जोखिम और पुरस्कार का स्वामित्व समूह में निहित होता है, को वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक वित्तीय पट्टे को, संपत्ति के उचित मूल्य और न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य के निचले स्तर पर, परिसंपत्ति और पट्टे के प्रारंभ में देयता के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय पट्टों के तहत किए गए न्यूनतम पट्टा भुगतानों को वित्तीय प्रभारों और पट्टा दायित्व की कटौती के बीच बांटा जाता है। वित्तीय व्यय को, देनदारी की शेष राशि पर ब्याज की सतत् आवधिक दर का उत्पादन करने के लिए पट्टा अवधि के दौरान प्रत्येक अवधि के लिए आवंटित किया जाता है।

एक पट्टाकृत परिसंपत्ति का मूल्यह्रास उस परिसंपत्ति की उपयोगिता अवधि से अधिक पर किया जाता है। हालांकि, पट्टा अवधि की समाप्ति पर समूह द्वारा स्वामित्व प्राप्त किए जाने की उपयुक्त सुनिश्चितता नहीं होने पर, परिसंपत्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति की अनुमानित उपयोगिता अवधि और पट्टा अवधि के अल्पतम पर किया जाता है।

प्रचालन पट्टे

ऐसे पट्टे जिनमें पट्टेदाता पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों को हस्तांतरित नहीं करता है और पट्टेदार को परिसंपत्ति के स्वामित्व के पुरस्कारों को प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टा किराये को सीधी-पंक्ति के आधार पर लाभ एवं हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है, सिवाय इसके कि जहां किराए में एक अनुसूचित वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति लागतों के लिए पट्टादाता की भरपाई करती है।

3.10 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं जिनका भावी उपयोग अनपेक्षित होता है। लेन-देन की लागत सहित, निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास पर वर्णित किया जाता है। लागत में खरीद मूल्य, पूंजीकरण मानदंड की पूर्ति पर उधार लागत और अभीष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्ति को इसकी कार्यशील स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से लाने के लिए आरोप्य लागत शामिल हैं। व्यापार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक समूह में प्रवाहित होंगे। अन्य सभी मरम्मत एवं अनुरक्षण लागतों को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप (मूल्यह्रास और उपयोगिता अवधि)

निवेश संपत्ति के रूप में समूह के पास केवल भूमि है, जो कि मूल्यह्रास नहीं है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

अमान्यकरण

किसी निवेश संपत्ति को उसके निपटान पर या निवेश संपत्ति को उपयोग से स्थायी रूप से हटाने पर भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। संपत्ति के अमान्यकरण से व्युत्पन्न किसी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में परिचालित) में उस अवधि का लाभ या हानि शामिल हैं, जिसमें संपत्ति को अमान्यकृत किया गया है।

3.11 वित्तीय साधन (इंस्ट्रूमेंट)

वित्तीय साधन (इंस्ट्रूमेंट) एक ऐसा अनुबंध है जो एक एंटिटी की वित्तीय परिसंपत्ति और अन्य एंटिटी की वित्तीय देयता या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को जन्म देता है।

प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को मान्यता तब दी जाती है जब समूह, वित्तीय साधन (इंस्ट्रूमेंट) के संविदात्मक उपबंधों के लिए एक पार्टी बन जाता है और इसे प्रारंभ में लेन-देन की लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, इसमें वे शामिल नहीं है जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर शुरूमें मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उत्तरवर्ती माप को नीचे वर्णित किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के प्रयोजनार्थ, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- ऋण-परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीओसीआई)

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, एफवीटीपीएल पर या एफवीओसीआई में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़कर, पहचान के लिए न्यूनतम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में क्षति हेतु समीक्षा के अधीन हैं चाहे इसमें कोई वित्तीय साक्ष्य, जो किसी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह की क्षति हो। क्षति का निर्धारण करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक क्षेणी हेतु विभिन्न मानदंड लागू किए गए हैं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है।

परिशोधित लागत

एक वित्तीय परिसंपत्ति को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) के उपयोग द्वारा ऋण-परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों निम्न शर्तें पूर्ण होती हैं:

क) वित्तीय परिसंपत्ति को एक ऐसे बिजनेस मॉडल में रखा जाता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने हेतु संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना है; तथा

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाहों, जो बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान करते हैं, के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं।

अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए क्षति भत्ते को मान्यता परिशोधित लागत पर ली गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर दी गई है।

नकदी प्रवाहों का संशोधन

जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक नकदी प्रवाह परिवर्तित या अन्यथा संशोधित किए जाते हैं, और परिवर्तन या संशोधन से उक्त वित्तीय

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

परिसंपत्ति के अमान्यकरण में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो समूह वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की पुनःगणना करता है और लाभ या हानि में संशोधित लाभ या हानि की पहचान करता है। वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की, पुनर्निधारित या संशोधित संविदात्मक नकदी प्रवाहों की वर्तमान मूल्य के रूप में पुनःगणना की जाएगी, जो वित्तीय परिसंपत्ति के मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट प्रदान करती है। खर्च हुई लागतें या शुल्क संशोधित वित्तीय परिसंपत्ति की वहन राशि को समायोजित करते हैं और उनको संशोधित वित्तीय परिसंपत्ति की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों में, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो या तो परिशोधित लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या वे ट्रेडिंग हेतु रखे गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हैं अथवा जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और उन्हें प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट किया गया है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रूमेंट भी इस श्रेणी में आते हैं, नामोद्दिष्ट एवं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रभावी को छोड़कर, जिनके लिए हेज लेखांकन अपेक्षाएं लागू हो सकती हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को, लाभ या हानि में मान्यताकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को, सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या कोई सक्रिय बाजार न होने की स्थिति में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों में उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत एक इक्विटी निवेश को प्रारंभ में उचित मूल्य एवं लेनदेन लागतों पर मापा जाता है। लाभ एवं हानियों को, अन्य व्यापक आय और इक्विटी के तहत एफवीओसीआई आरक्षित के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि में मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें लाभांश आय, जिसकी पहचान लाभ या हानि में की गई है, शामिल नहीं है। ओसीआई से लाभ एवं हानि के विवरण, यहां तक कि निवेश के अमान्यकरण से भी ऐसे लाभों और हानियों का कोई पुनर्चक्रण नहीं है। हालांकि, समूह इक्विटी के अंतर्गत उक्त का हस्तांतरण कर सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

नियम एवं शर्तों के पर्याप्त संशोधन के कारण वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

समूह एक वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य करता है, जैसे कि ग्राहक को ऋण देना, जब नियम एवं शर्तों को इस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया जाता है कि, काफी हद तक, यह एक नया ऋण बन जाता है, और अंतर की एक अमान्यकरण लाभ या हानि के रूप में पहचान करना, जिसमें एक सीमा तक कि किसी क्षतिपूर्ण हानि को पूर्व में दर्ज नहीं किया गया है।

पर्याप्त संशोधन के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक अंश या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का अंश) को, वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह की प्राप्ति का संविदात्मक अधिकार समाप्त होने पर, या वित्तीय परिसंपत्ति एवं पर्याप्त रूप से सभी जोखिम और पुरस्कार अंतरित किए जाने पर, अमान्यकृत किया जाता है (अर्थात् समूह के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है)। समूह वित्तीय परिसंपत्ति को भी अमान्यकृत कर देता है, यदि उसने दोनों वित्तीय परिसंपत्ति को हस्तांतरित और अमान्यकरण के लिए अंतरण अर्हता प्राप्त कर ली हो।

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति के उपयोग द्वारा ऋण-परिशोधन लागत पर मापा जाता है, इसमें ट्रेडिंग या एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल नहीं हैं, जिन्हें लाभ या हानि में मान्यकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर बाद में ले जाया जाता है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यकरण

एक वित्तीय देयता को तब अमान्यकृत कर दिया जाता है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से मूलतः भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता के अमान्यकरण और नई देयता की मान्यता के रूप में विचारा जाता

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

है। संबंधित वहन राशि में हुए अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रूमेंट और बचाव लेखाकरण

व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का हिसाब एफवीटीपीएल में किया जाता है। समूह हेज लेखाकरण लागू नहीं करता है।

3.12 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

ऋण परिसंपत्ति

समूह निम्न प्रकार से प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर क्षति के लिए 'त्रिस्तरीय' मॉडल का अनुसरण करता है:

- स्तर-1 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनकी रिपोर्टिंग तिथि में कम क्रेडिट जोखिम है।
- स्तर-2 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।
- स्तर-3 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें रिपोर्टिंग तिथि में क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को चरण-1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12-माह ईसीएल और चरण-2 के लिए लाईफटाइम ईसीएल और चरण-3 ऋण परिसंपत्तियों में मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और डिफॉल्ट के कारण हानि (लॉस गिवन डिफॉल्ट) का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

डिफॉल्ट की संभावना (पीडी) - डिफॉल्ट की संभावना एक उधारकर्ता के अपने वित्तीय दायित्व, चाहे अगले 12 महीनों (12 महीने पीडी) से अधिक हो, या दायित्व के शेष उपयोग-काल (लाईफटाइम पीडी), पर डिफ़ॉल्ट होने की संभावना को निरूपित करती है।

लॉस गिवन डिफॉल्ट (एलईडी) - एलजीडी एक डिफॉल्टेड एक्सपोज़र पर हानि की सीमा के संबंध में कंपनी की प्रत्याशा को निरूपित करता है। एलजीडी प्रतिपक्ष के प्रकार, प्रकार, और दावे की प्राथमिकता एवं संपार्श्विक या अन्य क्रेडिट सपोर्ट की उपलब्धता से भिन्न होता है।

एक्सपोजर ऐट डिफॉल्ट (ईएडी) - ईएडी मूल्यांकन की तिथि, जिस पर लेटर्स ऑफ कंफर्ट के संबंध में असंवितरित राशि सहित ईसीएल की गणना की जाती है, पर बकाया एक्सपोज़र की राशि पर आधारित है।

दूरंदेशी (फारवर्ड लुकिंग) आर्थिक जानकारी को 12 महीने एवं लाईफटाइम पीडी, और एलजीडी के निर्धारण में शामिल किया जाता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि के मुख्य पूर्वानुमानों की निगरानी और समीक्षा सतत् आधार पर की जाती है।

ऋण के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तिया

अपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, समूह यह आकलन करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से उन वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऋण जोखिम पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, तो समूह 12-महीने की प्रत्याशित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर, अथवा लाईफटाइम क्रेडिट हानियों के समतुल्य राशि पर नुकसान भत्ते को मापता है।

उक्त मूल्यांकन करने के लिए, समूह वित्तीय परिसंपत्ति पर होने वाले डिफ़ॉल्ट के जोखिम की तुलना, प्रारंभिक मान्यता की तारीख को वित्तीय परिसंपत्ति पर डिफ़ॉल्ट रूप से घटित होने वाले जोखिम के साथ तुलन-पत्र की तिथि से करता है। समूह उचित और सहायक जानकारी पर भी विचार करता है, जो अदेय लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध है, और जो प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचक है। समूह मानता है कि वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के उपरांत पर्याप्त रूप से बढ़ा नहीं है यदि वित्तीय परिसंपत्ति तुलन-पत्र की तारीख को निम्न क्रेडिट जोखिम का निर्धारण करती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

बट्टे खाते डालना (राइट-ऑफ)

वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से बट्टे खाते में तब डाला जाता है जब समूह ने वसूली करना बंद कर दिया हो।

3.13 बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां / निपटान समूह

परिसंपत्तियों को बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी वहन राशि मूल रूप से बिक्री लेनदेन के जरिए वसूल की जाएगी बजाय उनके अनवरत उपयोग के जरिए और बिक्री को उच्च रूप से संभावित समझा गया है। इनको वहन राशि के निम्नतम पर या बिक्री हेतु कम लागत उचित मूल्य पर मापा जाता है। इसमें आस्थगित कर, कर्मचारी हितलाभ से व्युत्पन्न परिसंपत्तियां, वित्तीय परिसंपत्तियां और बीमा अनुबंधों के तहत संविदात्मक अधिकार, जिनकों इस अपेक्षा से विशेष तौर पर छूट दी गई है, जैसी परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं।

गैर-चालू परिसंपत्तियों को अवमूल्यित या परिशोधित किया जाता है, यद्यपि इन्हें बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बिक्री हेतु धारित गैर-चालू परिसंपत्तियों को तुलन-पत्र में पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

जहां समूह किसी किसी एंटिटी के नियंत्रण के नुकसान से जुड़े बिक्री योजना के लिए प्रतिबद्ध है, तो वह बिक्री के लिए यथा धारित एंटिटी में (अर्थात् उस एंटिटी की सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां) निवेश को वर्गीकृत करता है।

3.14 नकद और नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में नकद रुपया एवं मांग जमा, अन्य अल्पावधि सहित, अत्यधिक लिक्विड निवेश (तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता), जो नकदी की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के निरर्थक जोखिम के अधीन हैं, शामिल हैं।

3.15 लाभांश

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांशों और अंतरिम लाभांशों को उस अवधि, जिसमें उन्हें क्रमशः शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, के दौरान इक्विटी में हुए परिवर्तनों के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.16 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियां

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत पूर्व अवधियों, जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनःप्रस्तुत करने के द्वारा पूर्वव्यापी ढंग में सही किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व की अवधि से पहले हुई है तो, पूर्व अवधि के लिए प्रस्तुत परिसंपत्तियों के प्रारंभिक शेष, देनदारियों और इक्विटी को पुनःप्रस्तुत किया जाता है।

3.17 पूर्वदत्त व्यय

1,00,000/- रुपए तक के पूर्वदत्त व्यय को प्रारंभिक मान्यता पर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

3.18 वित्तीय लिखते की ऑफसेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां ऑफसेट हैं और निवल राशि की रिपोर्ट तुलन-पत्र में जाती है यदि मान्यकृत राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार है और परिसंपत्तियों की प्राप्ति करने और साथ-साथ देनदारियों का निपटान करने के लिए निवल आधार पर निपटान करने का इरादा है।

3.19 कराधान

लाभ या हानि में मान्यकृत कर व्यय में आस्थगित कर और चालू कर का योग शामिल है। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है, सिवाय इसके कि जब यह एक ऐसी मद से संबंधित हो, जिसे ओसीआई में या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे मामले में, कर को ओसीआई में या इक्विटी में सीधे भी मान्यता प्रदान की जाती है।

चालू कर को, अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित और रिपोर्टिंग तिथि को यथा लागू कर की दरों का उपयोग करते हुए, तथा पिछले

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

वर्षों के संबंध में देय कर के समायोजनों को देखते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय के संबंध में देय कर के रूप में निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर को, समेकित वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त तदनुरूपी कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर देयता को वहन राशि और अनुषंगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेशों के कर आधार के बीच अस्थायी अंतर पर सृजित किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की गणना, छूट के बिना, उन कर दरों पर की जाती है, जिनके संबंधित अवधि की प्राप्ति के लिए लागू होने की प्रत्याशा होती है, बशर्ते कि उन दरों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित किया जाए। आस्थगित कर परिसंपत्ति और देनदारियों ऑफसेट होती है यदि चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर देयता, सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यकृत है। एक आस्थगित कर परिसंपत्ति को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यकृत किया जाता है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उनको इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तनों को मान्यता लाभ या हानि में कर आय या व्यय के एक घटक के रूप में दी जाती है, सिवाय इसके कि वे उन मदों से संबंधित हैं जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में ऐसे मामले में मान्यता दी जाती है, जिनमें संबंधित आस्थगित कर को भी मान्यता क्रमशः अन्य व्यापक आय या इक्विटी में दी जाती है।

लाभांश वितरण कर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब लाभांश के भुगतान की देयता को मान्यता दी जाती है।

3.20 कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभों में, वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्थात् प्रदत्त वार्षिक अवकाश) जहां ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के अंतर्गत अनुपस्थितियों का घटित होना प्रत्याशित है, और ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के तहत देय लाभ सहभागिता एवं बोनस तथा वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर-वित्तीय लाभ प्रत्याशित हैं और उन्हें बिना छूट देने के आधार पर मापा जाता है, शामिल हैं।

रोजगार पर्यन्त हितलाभ योजनाओं को निम्नानुसार परिभाषित हितलाभ योजनाओं और परिभाषित अंशदान योजनाओं में वर्गीकृत किया गया है:

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना वह योजना है जिसके तहत समूह एक अलग निधि में कर्मचारियों के संबंध में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। समूह पर ऐसी कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता नहीं है कि वह अपने निर्धारित अंशदान के भुगतान के उपरांत कोई और अंशदान का भुगतान करे। परिभाषित अंशदान योजनाओं के समक्ष समूह द्वारा किए गए अंशदान को उस अवधि के लाभ या हानि से प्रभारित किया जाता है, जिससे अंशदान संबंधित हैं।

परिभाषित हितलाभ योजना

समूह के पास उपदान, सेवानिवृत्ति पर्यन्त चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व हैं, जिन्हें पात्र कर्मचारियों को शामिल करने वाली परिभाषित हितलाभ योजना के रूप में विचारा जा रहा है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के तहत, एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि को, कर्मचारी के सेवाकाल, अंतिम वेतन और अन्य निश्चित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व समूह का ही रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना के वित्तपोषण के लिए योजना परिसंपत्तियों को अलग किया गया हों।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

परिभाषित हितलाभ योजनाओं के प्रति समूह के दायित्व को परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यकृत दायित्व, रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित हितलाभ लाभ (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है, जो योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य का कम है। प्रबंधन स्वतंत्र बीमांककों की सहायता से प्रतिवर्ष डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्ति के पुनःमापन के फलस्वरूप बीमांकिक लाभ/हानियां अन्य व्यापक आय में शामिल हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभः

तुलन-पत्र की तारीख के उपरांत एक-वर्ष से अधिक समय के लिए प्राप्त किए जाने वाले देय या प्रत्याशित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों के संबंध में देयता का अनुमान परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

पिछले अनुभव और बीमांकक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानियों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिसमें ऐसे लाभों और हानियों को निर्धारित किया गया है।

कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण

रियायती दर पर कर्मचारियों को दिए गए ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और तत्पश्चात उसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के प्रारंभिक उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर को आस्थगित कर्मचारी लागत के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि से परे सीधी-रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि में परिवर्तन के मामले में, परिवर्तन की तिथि को अपरिशोधित आस्थगित कर्मचारी की लागत को संभावित आधार पर ऋण की अद्यतन प्रत्याशित शेष अवधि से अधिक पर परिशोधित किया जाता है।

3.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, और आकस्मिक परिसंपत्तियां

समूह के पास किसी पिछले वृत्तांत के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है; यह संभव है कि समूह से आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और धनराशि का अनुमान विश्वसनीय तौर पर लगाया जा सकता है। बहिर्वाह का समय या राशि अभी भी अनिश्चित हो सकती है। वर्तमान दायित्व के साथ जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं सहित, रिपोर्टिंग तिथि को उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर, प्रावधानों को वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित अनुमानित खर्च पर मापा जाता है। प्रावधानों में उनके वर्तमान मूल्यों, जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

निम्न हेतु आकस्मिक देयता को अनावृत किया गया है:

- संभावित दायित्व जिनकी पुष्टि केवल भावी घटनाओं द्वारा की जाएगी, समूह के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं हैं या
- अतीत की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे मामलों में, जहां वर्तमान दायित्वों के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह असंभव या दूरस्थ माना जाता है, वहां किसी दायित्व को मान्यकृत या प्रकट नहीं किया जाता है।

ऐसी किसी प्रतिपूर्ति को, जिसे दायित्व (जैसे कि बीमा से) से संबंधित तीसरे पक्ष से एकत्र करने के लिए समूह को लगभग निर्धारित किया जा सकता है, एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि, यह परिसंपत्ति संबंधित प्रावधान की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आर्थिक हितलाभों के अंतर्वाह की संभावना पर, संबंधित परिसंपत्ति को प्रकट किया जाता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.22 उचित मूल्य मापन

समूह वित्तीय लिखतें अर्थात् प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में उचित मूल्य पर व्युत्पन्नों को मापता है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त की जाएगी या जिसका भुगतान मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को अंतरित करने के लिए किया जाएगा। उचित मूल्य मापन ऐसे पूर्वानुमान पर आधारित है जो परिसंपत्ति को बेचने या निम्न हेतु देयता को अंतरित करने के संबंध में लेनदेन में होता है:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में।

समूह द्वारा मुख्य या सबसे लाभप्रद बाजार में अभिगम्य होना चाहिए।

किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को उन पूर्वानुमानों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें बाजार भागीदार परिसंपत्ति या देयता, जिसमें जोखिम के बारे में धारणाएं शामिल होती हैं, का मूल्य निर्धारण करने के समय उपयोग करते हैं, और यह मानते हैं कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। गैर-वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य मापन में एक बाजार प्रतिभागी की परिसंपत्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि परिसंपत्ति को उसके उच्चतम और श्रेष्ठतम उपयोग में अथवा उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी, जो इस परिसंपत्ति का उपयोग इसके उच्चतम एवं श्रेष्ठ समय में करेगा, को बेचने के द्वारा आर्थिक लाभ सृजित किया जा सके।

समूह ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, जिसमें प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुटों के उपयोग को अधिकतम और अप्रचलित इनपुटों के उपयोग को कम किया जाता है।

सभी परिसंपत्तियां और देयताएं जिनके लिए समेकित वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया हैं, जो निम्न स्तरीय इनपुट पर आधारित हैं, और जो संपूर्ण रूप

- स्तर 1 - समरूपी परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीकें जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचार योग्य है
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, अविचारणीय है।

समेकित वित्तीय विवरणों में नियमित रूप से मान्यकृत परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, समूह यह निर्धारित करता है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनर्मूल्यांकन (न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर, जो संपूर्ण मूल्य के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा अनुक्रम में स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

4. लेखांकन नीतियों और अनिश्चितता के आकलन को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, आकलन करने और ऐसे पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्टकृत राशियों और संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से अलग हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयता की मान्यता - आस्थगित कर परिसंपत्ति को किस सीमा तक मान्यता दी जा सकती है, यह भावी कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके समक्ष आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा, समूह के प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित से निकासी करने का कोई

समेकित लेखा टिप्पणियां

इरादा नहीं है और इस प्रकार, सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित विपरीत करने में सक्षम नहीं है। इसलिए, समूह ने उक्त आरक्षित पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं की है।

परिसंपत्तियों की क्षति के लिए संकेतकों का मूल्यांकन परिसंपत्तियों की क्षति के संकेतकों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन करने के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन करने की आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि में गिरावट हो सकती है।

एसपीवी में निवेश पारेषण परियोजनाओं को भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार प्रबंधित किया जाता है और समूह के पास इन परियोजनाओं की संबंधित गतिविधियों को एकतरफा रूप से निर्देशित करने की व्यावहारिक क्षमता नहीं है। इसलिए समूह संबंधित एसपीवी में अपने निवेश को सहयोगी कंपनियों के रूप में, उनकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में कंपनी की होल्डिंग 100% होने के बावजूद, सार्थक तौर पर प्रभावपूर्ण समझता है।

क्रेडिट प्रभावित ऋणों पर ब्याज आय की गैर-मान्यता क्रेडिट-प्रभावित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को, विवेकपूर्ण विषय, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधानों के लंबित परिणाम के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है।

महत्वपूर्ण आकलन

मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य परिसंपत्ति की उपयोगिता अवधि - प्रबंधन परिसंपत्ति की प्रत्याशित उपयोगिता के आधार पर, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य परिसंपत्ति की उपयोगिता अवधि के संबंध में अपने आकलन की समीक्षा करता है। इन आकलनों में अनिश्चितता, तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को परिवर्तित कर सकती है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व (डीबीओ)- डीबीओ के संबंध में प्रबंधन का आकलन कई अंतर्निहित पूर्वानुमानों जैसे मुद्रास्फीति, मृत्यु दर, छूट की दर और भावी वेतन-वृद्धियों की प्रत्याशा पर आधारित है। इन पूर्वानुमानों में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक सुनिश्चित हितलाभ व्ययों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य मापन - वित्तीय इंस्ट्रूमेंटों के उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार की भाव-दरें उपलब्ध नहीं हैं) निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है। इसमें ऐसे विकासशील आकलन और पूर्वानुमान शामिल हैं, जो बाजार भागीदारों इंस्ट्रूमेंट की कीमत तय करने के अनुरूप होंगे। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का आकलन करने में, समूह बाजार-अवलोकनीय डेटा का उपयोग उसके उपलब्ध होने की सीमा तक करता है। बाजार-अवलोकनीय डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, उचित मूल्यांकन के लिए स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है।

आयकर - आयकरों के प्रावधान को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण आकलन शामिल हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि/वसूल की जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्ति का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता भी शामिल है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि ('ईसीएल') परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि भत्ते के मापन में जटिल मॉडल और भावी आर्थिक स्थितियों एवं क्रेडिट व्यवहार (अर्थात् डिफ़ॉल्ट रूप से ग्राहकों की संभावना और परिणामी नुकसान) के बारे में महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है। ईसीएल का आकलन करने के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का मूल्यांकन करते हुए समूह निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है:

- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मापदंड का निर्धारण;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद/बाजार और संबद्ध ईसीएल के लिए दूरंदेशी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार की स्थापना करना; तथा
- ईसीएल को मापने के लिए समरूपी वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों की स्थापना करना;
- डिफ़ॉल्ट की संभाव्यता और डिफ़ॉल्ट फलस्वरूप हानि का आकलन करना (डिफॉल्ट के मामले में वसूलनीय राशि का आकलन करना)

समेकित लेखा टिप्पणियां

5 नकद एवं नकद समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-19 के अनुसार	31-03-18 के अनुसार	01-04-17 के अनुसार
-बैंको में शेष राशि	**343.60**	**186.92**	850.31
-कैश ऑन हैंड (पोस्टेज एवं अग्रदाय सहित)	**0.01**	**0.01**	-
उप-जोड़	**343.61**	**186.93**	**850.31**
- आवधिक जमा राशि एवं अन्य नकदी समतुल्य			
- अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा राशि	**38.38**	**61.50**	**2,458.20**
- ऋण म्यूचुअल फंड अल्पावधि निवेश	**-**	**-**	**1,160.00**
उप-जोड़	**38.38**	**61.50**	**3,618.20**
जोड़ (नकदी एवं नकदी समतुल्य)	**381.99**	**248.43**	**4,468.51**

5.1 नकदी और नकदी समतुल्य के संबंध में कोई रिपैट्रिएशन प्रतिबंध नहीं है क्योंकि प्रतिवेदन के वर्ष और पूर्व के वर्षों में प्रस्तुत कर दिए गए थे।

6 अन्य बैंकों में शेष राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-19 के अनुसार	31-03-18 के अनुसार	01-04-17 के अनुसार
-बैंको में चिन्हित शेष			
-अप्रदत्त लाभांश के लिए	**4.15**	3.49	2.75
-अनुदानों के लिए	**988.31**	215.27	6.50
- चिन्हित आवधिक जमा राशि			
-अनुदानों के लिए	**2.15**	255.22	23.20
-न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जमा राशि	**2.47**	2.31	1.98
-प्रतिभूतियों के लंबित आवंटन हेतु उपयोग के लिए अनुपलब्ध बैंकों में शेष राशि	**722.04**	1,469.23	-
-अन्य आवधिक जमा राशि	**13.96**	1.32	38.55
जोड़ (अन्य बैंकों में शेष)	**1,733.08**	**1,946.84**	**72.98**

- 3 माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम की शेष परिपक्वता के साथ सावधि जमा	13.10	217.21	36.20
- 12 माह से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा	-	-	2.05
- 12 माह से अधिक के लिए मार्जिन राशि हेतु धारित सावधि जमा	0.86	0.31	0.30

समेकित लेखा टिप्पणियां

7 ट्रेड प्राप्य

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-19 के अनुसार	31-03-18 के अनुसार	01-04-17 के अनुसार
(क)	प्रतिभूति, शोध्य समझे गए	**148.55**	145.93	142.47
	घटाएं : प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते	**(12.51)**	(12.19)	(12.67)
		136.04	**133.74**	**129.80**
(ख)	ट्रेड प्राप्य जिनकी ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि है	**3.37**	0.04	3.07
	घटाएं : प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते	**(1.69)**	(0.02)	(1.54)
		1.68	**0.02**	**1.53**
(ग)	क्रेडिट इंपेयर्ड प्राप्य	**23.83**	23.78	20.71
	घटाएं : प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते	**(23.83)**	(23.78)	(20.71)
		-	**-**	**-**
	कुल ट्रेड प्राप्य (क +ख +ग)	**137.72**	**133.76**	**131.33**

8 व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें

कंपनी ने विदेशी विनिमय जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों की बचाव व्यवस्था के लिए व्युत्पन्न अनुबंध किए हैं। जोखिम प्रबंधन के प्रयोजन से किए गए व्युत्पन्न अनुबंधों को हेज अकाउंटिंग अथवा आर्थिक हेज के अन्तर्गत शामिल किया जा सकता है। तथापि कंपनी ने हेज अकाउंटिंग को लागू न करने का निर्णय लिया है। व्युत्पन्नों के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रकटनों के लिए नोट 53 देखें।

भाग I

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2019 के अनुसार			31.03.2018 के अनुसार			01.04.2017 के अनुसार		
		कल्पित राशि	उचित मूल्य - परिसंपत्तियां	उचित मूल्य - देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य - परिसंपत्तियां	उचित मूल्य - देयताए	कल्पित राशि	उचित मूल्य - परिसंपत्तियां	उचित मूल्य - देयताएं
(i)	**मुद्रा व्युत्पन्न**									
	स्पॉट एवं अग्रिम	**518.78**	**-**	**10.26**	-	-	-	-	-	-
	मुद्रा विनिमय	**5,701.69**	**419.05**	**0.41**	6,584.19	173.50	71.50	13,100.71	202.64	163.19
	-अन्य									
	कॉल स्प्रेड	**3,839.01**	**129.43**	**-**	6,049.10	70.76	161.17	6,029.99	168.11	126.05
	सीगुल विकल्प	**14,306.98**	**1,093.63**	**18.57**	2,821.78	209.35	-	-	-	-
	उप - जोड़ (i)	**24,366.46**	**1,642.11**	**29.24**	**15,455.07**	**453.61**	**232.67**	**19,130.70**	**370.75**	**289.24**
(ii)	**ब्याज दर व्युत्पन्न**									
	-अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर विनिमय	**21,436.70**	**160.47**	**130.16**	27,506.20	236.77	85.08	23,089.85	257.32	65.22
	उप जोड़ (ii)	**21,436.70**	**160.47**	**130.16**	**27,506.20**	**236.77**	**85.08**	**23,089.85**	**257.32**	**65.22**
	कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें (i + ii)	**45,803.16**	**1,802.58**	**159.40**	**42,961.27**	**690.38**	**317.75**	**42,220.55**	**628.07**	**354.46**

भाग II

भाग- I में शामिल व्युत्पन्न ऐसे हैं जो हेजिंग और जोखिम प्रबंधन के प्रयोजन से धारित हैं, जो इस प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

	Particulars	31.03.2019 के अनुसार			31.03.2018 के अनुसार			01.04.2017 के अनुसार		
		कल्पित राशि	उचित मूल्य - परिसंपत्तियां	उचित मूल्य - देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य - परिसंपत्तियां	उचित मूल्य - देयताए	कल्पित राशि	उचित मूल्य - परिसंपत्तियां	उचित मूल्य - देयताएं
(i)	गैर-नामोद्दिष्ट व्युत्पन्न	**45,803.16**	**1,802.58**	**159.40**	42,961.27	690.38	317.75	42,220.55	628.07	354.46
	कुल- व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	**45,803.16**	**1,802.58**	**159.40**	**42,961.27**	**690.38**	**317.75**	**42,220.55**	**628.07**	**354.46**

समेकित लेखा टिप्पणियां

9 ऋण

कंपनी ने भारतीय- लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के अनुसार सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-19 के अनुसार		31-03-18 के अनुसार		01-04-17 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(A) ऋण						
(i) आवधिक ऋण	**279,021.68**	**279,748.67**	233,801.39	234,480.65	198,339.82	199,285.98
(ii) कार्यशील पूंजीगत ऋण	**2,188.00**	**2,200.18**	5,647.93	5,673.05	3,588.85	3,609.74
कुल (क)- सकल ऋण	**281,209.68**	**281,948.85**	**239,449.32**	**240,153.70**	**201,928.67**	**202,895.72**
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	**(11,497.93)**	**(11,497.93)**	(11,275.45)	(11,275.45)	(8,961.20)	(8,961.20)
कुल (क)- निवल ऋण	**269,711.75**	**270,450.92**	**228,173.87**	**228,878.25**	**192,967.47**	**193,934.52**
(ख) प्रतिभूति ब्यौरा						
(i) मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	**216,394.62**	**206,845.46**	198,454.16	199,024.92	170,201.07	171,043.22
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	**-**	**-**	-	-	-	-
(iii) बैंक / सरकारी गारंटी के अंतर्गत	**42,575.45**	**52,751.86**	26,915.40	27,005.32	22,156.38	22,251.13
(iv) अप्रतिभूत	**22,239.61**	**22,351.53**	14,079.76	14,123.46	9,571.22	9,601.37
कुल(ख)- सकल ऋण	**281,209.68**	**281,948.85**	**239,449.32**	**240,153.70**	**201,928.67**	**202,895.72**
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	**(11,497.93)**	**(11,497.93)**	(11,275.45)	(11,275.45)	(8,961.20)	(8,961.20)
कुल(ख) - निवल ऋण	**269,711.75**	**270,450.92**	**228,173.87**	**228,878.25**	**192,967.47**	**193,934.52**
(ग)(I) भारत में ऋण						
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	**247,719.13**	**248,463.55**	206,410.52	207,015.02	168,810.92	169,388.65
(ii) निजी क्षेत्र	**33,490.55**	**33,485.30**	33,038.80	33,138.68	33,117.75	33,507.07
कुल (ग) (I) - सकल ऋण	**281,209.68**	**281,948.85**	**239,449.32**	**240,153.70**	**201,928.67**	**202,895.72**
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	**(11,497.93)**	**(11,497.93)**	(11,275.45)	(11,275.45)	(8,961.20)	(8,961.20)
कुल (ग) (I)- निवल ऋण	**269,711.75**	**270,450.92**	**228,173.87**	**228,878.25**	**192,967.47**	**193,934.52**
(ग)(II) भारत से बाहर ऋण						
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	**-**	**-**	-	-	-	-
(ii) निजी क्षेत्र	**-**	**-**	-	-	-	-
कुल (ग) (II) - सकल ऋण	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	**-**	**-**	-	-	-	-
कुल (ग) (II) - निवल ऋण	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल (ग) (I) एवं (ग) (II)	**269,711.75**	**270,450.92**	**228,173.87**	**228,878.25**	**192,967.47**	**193,934.52**

समेकित लेखा टिप्पणियां

9.1 भारतीय-लेखांकन मानक के तहत सूचित किए गए आंकड़ों और ऋणों के संबंध में बकाया वास्तविक राशि के बीच सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-19 के अनुसार	31-03-18 के अनुसार	01-04-17 के अनुसार
निवल ऋण	**270,450.92**	**228,878.25**	**193,934.52**
घटाएं : भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बकाया राशि	**(445.05)**	(462.37)	(781.26)
घटाएं : भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बिन बकाया राशि	**(341.01)**	(303.23)	(288.31)
जोड़ें : भारतीय- लेखांकन मानक के तहत बंद की गई संभावित ऋण हानि के लिए भत्ता	**11,497.93**	11,275.45	8,961.20
घटाएं : प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर शुल्क आधारित आय के संबंध में भारतीय- लेखांकन मानक समायोजन	**46.89**	61.22	102.52
सकल ऋण	**281,209.68**	**239,449.32**	**201,928.67**

9.2 31 मार्च, 2019 के अनुसार कुल ऋण परिसंपत्तियों के लगभग 88.56% हेतु शेष ऋण की अभिपुष्टियाँ उधारकर्ताओं से प्राप्त कर ली गयी हैं। ₹ 32,163 करोड़ लागत की शेष 11.44% ऋण परिसंपत्तियों, जिनके लिए शेष अभिपुष्टियां प्राप्त नहीं हुई हैं, में से 72% ऋण परिसंपत्तियों के मालबंधन रखने के रूप में प्रतिभूत हैं, 25% सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण के रूप में प्रतिभूत हैं तथा 3% अप्रतिभूत ऋण हैं।

9.3 एक उधारकर्ता मैसर्स आरकेएम पावरजेन प्रा. लि. ने खाते को गैर-निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत न करने के लिए 18 सितंबर, 2015 को मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय से अंतिम आदेश प्राप्त किया है। तद्नुसार, उधारकर्ता का बकाया ऋण चरण-3 परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, यद्यपि अतिदेय तीन माह से अधिक पुराने हैं और परिसंपत्ति ऋण हानि में हैं।

तथापि, कंपनी ने परियोजना के वित्तीय एवं प्रचालनात्मक मानदंडों पर विचार करने के बाद 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) के अनुसार लेखाबहियों में ₹ 942.67 करोड़ (31 मार्च, 2018 को - ₹ 942.67 करोड़ 1 अप्रैल, 2017 को - ₹ 942.67 करोड़), ₹ 2,302 करोड़ रुपए के बकाया ऋण के 40.95 प्रतिशत की दर से (31 मार्च, 2018 को - ₹ 2,302 करोड़, 1 अप्रैल, 2017 को - ₹ 2,302 करोड़) पर्याप्त प्रावधान बनाया है।

10 निवेश

(क) निवेश (इक्विटी मेथड का प्रयोग करने के लिए परिकलित निवेश के अलावा)

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2019 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				कुल
		अन्य व्यापक आय का माध्यम	लाभ और हानि के माध्यम	लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप- जोड़	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6=1+5)
सरकारी प्रतिभूतियां						
-मध्य प्रदेश सरकार के पावर बॉण्ड -II	**47.16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.16**
(प्रत्येक ₹ 47.16 करोड़ का 1 बॉण्ड)						
उप-जोड़- सरकारी प्रतिभूतियां	**47.16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.16**

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2019 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				कुल
		अन्य व्यापक आय का माध्यम	लाभ और हानि के माध्यम	लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप- जोड़	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6=1+5)
ऋण प्रतिभूतियां						
इंडियन बैंक का 11.15% बेमियादी बॉण्ड	-	-	500.31	-	500.31	500.31
(प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)						
विजया बैंक के 11.25% बेमियादी बॉण्ड	-	-	556.25	-	556.25	556.25
(प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)						
सिंडिकेट बैंक के 11.25% बेमियादी बॉण्ड	-	-	500.31	-	500.31	500.31
(प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)						
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको) के 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड	8.81	-	-	-	-	8.81
(प्रत्येक ₹ 1,000 के 86,800 बॉण्ड)						
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड	4.60	-	-	-	-	4.60
(प्रत्येक ₹ 1,000 के 46,000 बॉण्ड)						
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) के 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड	3.68	-	-	-	-	3.68
(प्रत्येक ₹ 1,000 के 36,800 बॉण्ड)						
इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (आईआरईडीए) के 7.49% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड	6.22	-	-	-	-	6.22
(प्रत्येक ₹ 1,000 के 61,300 बॉण्ड)						
इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन (आईआरएफसी) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड	2.31	-	-	-	-	2.31
(प्रत्येक ₹ 1,000 के 22,300 बॉण्ड)						
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रुरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (नाबार्ड) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड	1.40	-	-	-	-	1.40

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2019 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				कुल
		अन्य व्यापक आय का माध्यम	लाभ और हानि के माध्यम	लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप- जोड़	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6=1+5)
(प्रत्येक ₹ 1,000 के 14,000 बॉण्ड)						
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको) का 8.76% कर मुक्त 20 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड	5.09	-	-	-	-	5.09
(प्रत्येक ₹ 1,000 के 50,000 बॉण्ड)						
उप- जोड़ ऋण प्रतिभूतियां	32.11	-	1,556.87	-	1,556.87	1,588.98
इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट						
-एनएचपीसी लिमिटेड	-	433.00	-	-	433.00	433.00
(प्रत्येक ₹ 10 के 17,53,02,206 इक्विटी शेयर)						
-इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	-	206.25	-	-	206.25	206.25
(प्रत्येक ₹ 1 के 1,25,00,000 इक्विटी शेयर)						
-हुडको लिमिटेड	-	1.56	-	-	1.56	1.56
(प्रत्येक ₹ 10 के 3,47,429 इक्विटी शेयर)						
-यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	-	-	-	-	-	-
(प्रत्येक ₹ 10 के 1,60,00,000 इक्विटी शेयर)						
-लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर प्रा. लिमिटेड	-	-	-	-	-	-
(प्रत्येक ₹ 10 के 10,20,00,000 इक्विटी शेयर)						
उप-जोड़ - इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स	-	640.81	-	-	640.81	640.81
अन्य						
- 'स्माल इज ब्यूटीफुल' निधि की यूनिट	-	6.18	-	-	6.18	6.18
(प्रत्येक ₹ 10 के 61,52,200 यूनिटें)						
उप-जोड़ - अन्य	-	6.18	-	-	6.18	6.18
जोड़ - सकल (क)	79.27	646.99	1,556.87	-	2,203.86	2,283.13
(i) विदेशों में निवेश	-	-	-	-	-	-
(ii) भारत में निवेश	79.27	646.99	1,556.87	-	2,203.86	2,283.13
जोड़ (ख)	79.27	646.99	1,556.87	-	2,203.86	2,283.13
घटाएं : इंपेयरमेंट हानि के लिए भत्ते (ग)	-	-	-	-	-	-
जोड़ - निवल (घ = क-ग)	79.27	646.99	1,556.87	-	2,203.86	2,283.13

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2018 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				कुल
		अन्य व्यापक आय का माध्यम	लाभ और हानि के माध्यम	लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप- जोड़	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6=1+5)
सरकारी प्रतिभूतियां					-	-
-मध्य प्रदेश सरकार के पावर बॉण्ड -II	141.48	-	-	-	-	141.48
(प्रत्येक ₹ 47.16 करोड़ के 3 बॉण्ड)						
उप-जोड़- सरकारी प्रतिभूतियां	**141.48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**141.48**
ऋण प्रतिभूतियां						
-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के बॉण्ड	317.47	-	-	-	-	317.47
(प्रत्येक ₹ 0.01 करोड़ के 30,385 बॉण्ड्स)						
-इंडियन बैंक के बेमियादी बॉण्ड	-	-	500.31	-	500.31	500.31
(प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)						
विजया बैंक के बेमियादी बॉण्ड	-	-	500.00	-	500.00	500.00
(प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)						
सिंडिकेट बैंक के बेमियादी बॉण्ड	-	-	500.31	-	500.31	500.31
(प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)						
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको) के 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड	8.82	-	-	-	-	8.82
(प्रत्येक ₹ 1,000 के 86,800 बॉण्ड)						
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड	4.61	-	-	-	-	4.61
(प्रत्येक ₹ 1,000 के 46,000 बॉण्ड)						
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) के 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड	3.69	-	-	-	-	3.69
(प्रत्येक ₹ 1,000 के 36,800 बॉण्ड)						
इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (आईआरईडीए) के 7.49% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड	6.22	-	-	-	-	6.22
(प्रत्येक ₹ 1,000 के 61,300 बॉण्ड)						

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2018 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				कुल
		अन्य व्यापक आय का माध्यम	लाभ और हानी के माध्यम	लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप- जोड़	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6=1+5)
इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन (आईआरएफसी) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड	2.23	-	-	-	-	2.23
(प्रत्येक ₹ 1,000 के 22,300 बॉण्ड)						
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रुरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (नाबार्ड) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड	1.45	-	-	-	-	1.45
(प्रत्येक ₹ 1,000 के 14,000 बॉण्ड)						
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको) के 8.76% कर मुक्त 20 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड	5.09	-	-	-	-	5.09
(प्रत्येक ₹ 1,000 के 50,000 बॉण्ड)						
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का कारपोरेट जमा	64.84	-	-	-	-	64.84
उप- जोड़ - ऋण प्रतिभूतियां	**414.42**	**-**	**1,500.62**	**-**	**1,500.62**	**1,915.04**
इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट						
-एनएचपीसी लिमिटेड	-	509.71	-	-	509.71	509.71
(प्रत्येक ₹ 10 के 18,40,11,865 इक्विटी शेयर)						
-इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	-	200.36	-	-	200.36	200.36
(प्रत्येक ₹ 10 के 12,50,000 इक्विटी शेयर)						
-हुडको लिमिटेड	-	2.30	-	-	2.30	2.30
(प्रत्येक ₹ 10 के 3,47,429 इक्विटी शेयर)						
-यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	-	-	-	-	-	-
(प्रत्येक ₹ 10 के 1,60,00,000 इक्विटी शेयर)						
-लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर प्रा. लिमिटेड	-	-	-	-	-	-
(प्रत्येक ₹ 10 के 10,20,00,000 इक्विटी शेयर)						
उप-जोड़ इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट	**-**	**712.37**	**-**	**-**	**712.37**	**712.37**
अन्य						
- 'स्माल इज ब्यूटीफुल' निधि की यूनिट	-	6.26	-	-	6.26	6.26
(प्रत्येक ₹ 10 की 61,52,200 यूनिटें)						

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2018 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				कुल
		अन्य व्यापक आय का माध्यम	लाभ और हानि के माध्यम	लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप- जोड़	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6=1+5)
- इंटर - कारपोरेट डिपॉजिट	-		-		-	-
उप-जोड़ - अन्य	**-**	**6.26**	**-**	**-**	**6.26**	**6.26**
जोड़ - सकल (क)	**555.90**	**718.63**	**1,500.62**	**-**	**2,219.25**	**2,775.15**
(i) विदेशों में निवेश	-	-	-	-	-	-
(ii) भारत में निवेश	555.90	718.63	1,500.62	-	2,219.25	2,775.15
जोड़ (ख)	**555.90**	**718.63**	**1,500.62**	**-**	**2,219.25**	**2,775.15**
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि के लिए भत्ते (ग)	-	-	-	-	-	-
जोड़ - निवल (घ = क-ग)	**555.90**	**718.63**	**1,500.62**	**-**	**2,219.25**	**2,775.15**

(₹ करोड़ में)

01 अप्रैल 2017 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				कुल
		अन्य व्यापक आय का माध्यम	लाभ और हानि के माध्यम	लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप- जोड़	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6=1+5)
सरकारी प्रतिभूतियां						-
-मध्य प्रदेश सरकार के पावर बॉण्ड - II	235.80	-	-	-	-	235.80
(प्रत्येक ₹ 47.16 करोड़ के 5 बॉण्ड)						
उप-जोड़- सरकारी प्रतिभूतियां	**235.80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**235.80**
ऋण प्रतिभूतियां						
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. के बॉण्ड्स	317.47	-	-	-	-	317.47
(प्रत्येक ₹ 0.01 करोड़ के 30,385 बॉण्ड्स)						
-इंडियन बैंक के बेमियादी बॉण्ड	-	-	500.31	-	500.31	500.31
(प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)						
विजया बैंक के बेमियादी बॉण्ड	-	-	500.00	-	500.00	500.00
(प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)						
सिंडीकेट बैंक के बेमियादी बॉण्ड	-	-	500.31	-	500.31	500.31
(प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)						
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको) का 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड	8.82	-	-	-	-	8.82
(प्रत्येक ₹ 1,000 के 86,800 बॉण्ड)						

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

01 अप्रैल 2017 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				कुल
		अन्य व्यापक आय का माध्यम	लाभ और हानि के माध्यम	लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप- जोड़	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6=1+5)
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) का 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड	4.61	-	-	-	-	4.61
(प्रत्येक ₹ 1,000 के 46,000 बॉण्ड)						
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) का 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड	3.69	-	-	-	-	3.69
(प्रत्येक ₹ 1,000 के 36,800 बॉण्ड)						
इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (आईआरईडीए) का 7.49% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड	6.22	-	-	-	-	6.22
(प्रत्येक ₹ 1,000 के 61,300 बॉण्ड)						
इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन (आईआरएफसी) का 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड	2.23	-	-	-	-	2.23
(प्रत्येक ₹ 1,000 के 22,300 बॉण्ड)						
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रुरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (नाबार्ड) का 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड	1.45	-	-	-	-	1.45
(प्रत्येक ₹ 1,000 के 14,000 बॉण्ड)						
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको) का 8.76% कर मुक्त 20 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड	5.10	-	-	-	-	5.10
(प्रत्येक ₹ 1,000 के 50,000 बॉण्ड)						
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का कारपोरेट जमा	17.50	-	-	-	-	17.50
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का कारपोरेट जमा	17.50	-	-	-	-	17.50
उप- जोड़ - ऋण प्रतिभूतियां	**384.59**	**-**	**1,500.62**	**-**	**1,500.62**	**1,885.21**

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

01 अप्रैल 2017 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				कुल
		अन्य व्यापक आय का माध्यम	लाभ और हानि के माध्यम	लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप- जोड़	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6=1+5)
इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट						
-एनएचपीसी लिमिटेड	-	592.52	-	-	592.52	592.52
(प्रत्येक ₹ 10 के 18,40,11,865 इक्विटी शेयर)						
-इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	-	109.25	-	-	109.25	109.25
(प्रत्येक ₹ 1 के 12,50,000 इक्विटी शेयर)						
-हुडको लिमिटेड	-	-	-	-	-	-
(प्रत्येक ₹ 10 के 3,47,429 इक्विटी शेयर)						
-यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	-	-	-	-	-	-
(प्रत्येक ₹ 10 के 1,60,00,000 इक्विटी शेयर)						
-लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर प्रा. लिमिटेड	-	-	-	-	-	-
(प्रत्येक ₹ 10 के 10,20,00,000 इक्विटी शेयर)						
उप-जोड़ - इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट	**-**	**701.77**	**-**	**-**	**701.77**	**701.77**
अनुषंगी कंपनियां						
-आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	-	-	-	-	-	-
(प्रत्येक ₹ 10 के 50,000 इक्विटी शेयर)						
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	-	-	-	-	-	-
(प्रत्येक ₹ 10 के 50,000 इक्विटी शेयर)						
उप-जोड़ - अनुषंगी कंपनियां	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
अन्य						
-'स्माल इज ब्यूटीफुल' निधि की यूनिट	-	6.30	-	-	6.30	6.30
(प्रत्येक ₹ के 61,52,200 यूनिटें)						
- इंटर-कारपोरेट डिपॉजिट	-		-		-	-
उप-जोड़ - अन्य	**-**	**6.30**	**-**	**-**	**6.30**	**6.30**
जोड़ - सकल (क)	**620.39**	**708.07**	**1,500.62**	**-**	**2,208.69**	**2,829.08**
(i) विदेशों में निवेश	-	-	-	-	-	-
(ii) भारत में निवेश	620.39	708.07	1,500.62	-	2,208.69	2,829.08
जोड़ (ख)	**620.39**	**708.07**	**1,500.62**	**-**	**2,208.69**	**2,829.08**
घटाएं : इंपेयरमेंट हानि के लिए भत्ते (ग)						
जोड़ - निवल (घ = क-ग)	**620.39**	**708.07**	**1,500.62**	**-**	**2,208.69**	**2,829.08**

समेकित लेखा टिप्पणियां

(ख) इक्विटी मेथड का प्रयोग करने के लिए लेखाकृत निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-19 के अनुसार	31-03-18 के अनुसार	01-04-17 के अनुसार
संयुक्त उपक्रमों में निवेश			
-एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	**179.63**	172.63	176.07
(प्रत्येक ₹ 10 के 14,65,00,000 इक्विटी शेयर)			
जोड़	**179.63**	**172.63**	**176.07**

10.1 एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के राइट इश्यू ऑफर के तहत कंपनी ने 08 अप्रैल, 2019 को 71.60 करोड़ रुपए मूल्य के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के 7,16,00,000 शेयरों के लिए आवेदन किया है। आज की तारीख में शेयरों का अंतिम आबंटन लंबित है और इसके बाद कंपनी की शेयरधारिता ईईएसएल में बढ़ सकती है।

10.2 कंपनी ने एफवीओसीआई (अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य) पर कुछ इक्विटी दस्तावेज नामित करने के लिए अप्रतिसंहरणीय (इर्रिवोकेबल) विकल्प चुना है। कंपनी का मुख्य प्रचालन विद्युत क्षेत्र को सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार, इन दस्तावेजों के कीमत उतार-चढ़ाव से लाभ तथा हानि के अलग विवरण के लिए प्रबंधन विश्वास करता है कि यह उन्हें एफवीटीपीएल (लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य) पर वर्गीकृत करने के बजाए अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान डिरिकग्नाइज्ड एफवीओसीआई निवेशों का विवरण

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	वित्त वर्ष 2018-19			वित्त वर्ष 2017-18		
	डिरिकग्नाइज्ड शेयरों की संख्या	डिरिकग्नीशन के समय उचित मूल्य	डिरिकग्नीशन पर संचयी लाभ/हानि	डिरिकग्नाइज्ड शेयरों की संख्या	डिरिकग्नीशन के समय उचित मूल्य	डिरिकग्नीशन पर संचयी लाभ/हानि
एनएचपीसी लिमिटेड	**0.87**	**24.39**	**5.42**	-	-	-

एनएचपीसी लिमिटेड के शेयर कंपनी की बायबैक पेशकश के तहत बेचे गए थे जिसके तहत शेयर विद्यमान बाजार कीमत से अधिक कीमत पर वापस खरीदे जाने की पेशकश की गई थी और कंपनी ने इसे कम कीमतों पर खुले बाजार में शेयर बेचने की बजाए इस पद्धति के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में इक्विटी शेयर बेचने के अवसर के रूप में स्वीकार किया गया।

इक्विटी शेयरों की वास्तविक बिक्री के निमित्त निवेशों को डिरिकग्नीशन के बाद कंपनी ने इस अवधि के दौरान इक्विटी के अंतर्गत इन शेयरों पर संचयी लाभ तथा हानि अंतरित की है।

10.3 इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड की बायबैक पेशकश के तहत कंपनी ने 10 अप्रैल, 2019 को 4.23 करोड़ रुपए के लिए 2,28,789 शेयरों को बेचा और परिणामस्वरूप अमान्य किया। शेयर विद्यमान बाजार कीमत से अधिक कीमत पर वापस खरीदे जाने की पेशकश की गई थी और कंपनी ने इसे कम कीमतों पर खुले बाजार में शेयर बेचने की बजाए इस पद्धति के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में इक्विटी शेयर बेचने के अवसर के रूप में स्वीकार किया गया।

समेकित लेखा टिप्पणियां

11 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप 'अन्य व्यापक परिसंपत्तियों' के अंतर्गत सभी घटकों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.19 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.17 के अनुसार
(क) **कार्मिकों को ऋण**	**28.80**	32.72	37.05
(ख) **कार्मिकों को अग्रिम**	**0.32**	0.19	0.13
(ग) **प्रतिभूति जमा राशि**	**1.76**	1.75	1.36
(घ) **भारत सरकार से वसूली योग्य**			
- भारत सरकार के पूर्णतया सेवा प्रदत्त बॉण्ड के संबंध में	**18,131.11**	4,011.23	-
- सरकारी योजनाओं पर एंजेसी प्रभार	**159.61**	161.01	-
- सरकारी योजनाओं पर व्यय की अदायगी	**0.91**	8.00	9.44
कुल - भारत सरकार से वसूली योग्य (कुल)	**18,291.63**	**4,180.24**	**9.44**
(च) **राज्य विद्युत बोर्डों/ अन्यों से वसूलनी**	**14.12**	11.66	3.13
(छ) **अन्य वसूली योग्य राशि**	**39.40**	15.85	8.92
घटाएं : प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते	**-26.69**	-12.27	-5.59
अन्य राशि वसूली योग्य (निवल)	**12.71**	3.58	3.33
(ज) **अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां**	**14.65**	51.39	8.21
कुल (क से ज)	**18,363.99**	**4,281.53**	**62.65**

11.1 कार्मिकों को ऋण के विवरण

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्मिकों के दिए जाने वाले सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.19 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.17 के अनुसार
(क) **प्रतिभूत ऋण**			
- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को	**-**	-	0.02
- अन्य को	**3.74**	4.14	4.45
उप - जोड़ (क)	**3.74**	**4.14**	**4.47**
(ख) **अप्रतिभूत ऋण**			
- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को	**0.46**	0.56	0.51
- अन्य को	**24.60**	28.02	32.07
उप - जोड	**25.06**	**28.58**	**32.58**
जोड़ (क + ख)	**28.80**	**32.72**	**37.05**

उपरोक्त आंकड़ों में ऐसे ऋणों पर उपचित ब्याज, जिसकी कुल राशि ₹ 5.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.45 करोड़) है, शामिल है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

12 इनवेंट्रीज

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
कार्य प्रगति के अधीन	-	-	0.04
इनवेंट्रीज	-	-	-
जोड़	**-**	**-**	**0.04**

13 चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	**2,148.43**	2,211.17	2,681.13
घटाएं: आय कर हेतु प्रावधान	**(1,855.26)**	(2,178.95)	(2,632.70)
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	**293.17**	**32.22**	**48.43**

14 आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	**2,305.93**	2,842.43	2,134.12

14.1 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में रिकग्नाइज्ड	ओसीआई में रिकग्नाइज्ड	अन्य	समाप्ति पर शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,992.06	(14.27)			2,977.79
अर्जित अवकाश और लॉयल्टी बोनस के लिए प्रावधान	3.62	0.57			4.19
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	6.91	0.66			7.57
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**3,002.59**	**(13.04)**	**-**	**-**	**2,989.55**
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के विभिन्न कर आधार में देय	2.98	(0.16)			2.82
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ाव	30.15	237.11			267.26
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	(9.27)	21.31			12.04
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	61.88	275.01			336.89

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में रिकग्नाइज्ड	ओसीआई में रिकग्नाइज्ड	अन्य	समाप्ति पर शेष राशि
निवेशों का उचित मूल्यांकन	0.10		0.68		0.78
सहायक कंपनियों का समेकित असंवितरित लाभ का हिस्सा	68.38	(12.03)			56.35
इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने के लिए लेखाकृत संयुक्त उद्यम का असंवितरित लाभ का हिस्सा	5.94	1.54			7.48
कुल आस्थगित कर देयताएं	**160.16**	**522.78**	**0.68**	**-**	**683.62**
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**2,842.43**	**(535.82)**	**(0.68)**	**-**	**2,305.93**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में रिकग्नाइज्ड	ओसीआई में रिकग्नाइज्ड	अन्य	समाप्ति पर शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,284.27	707.79			2,992.06
अर्जित अवकाश और लॉयल्टी बोनस के लिए प्रावधान	10.86	-7.24			3.62
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	6.67	0.24			6.91
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**2,301.80**	**700.79**	**-**	**-**	**3,002.59**
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के विभिन्न कर आधार में देय	3.86	(0.88)			2.98
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ाव	(70.52)	100.67			30.15
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	91.23	(100.50)			(9.27)
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	77.24	(15.36)			61.88
निवेशों का उचित मूल्यांकन	-		0.10		0.10
सहायक कंपनियों का समेकित असंवितरित लाभ का हिस्सा	59.85	8.53			68.38
इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने के लिए लेखाकृत संयुक्त उद्यम का असंवितरित लाभ का हिस्सा	6.02	(0.08)			5.94
कुल आस्थगित कर देयताएं	**167.68**	**(7.62)**	**0.10**	**-**	**160.16**
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**2,134.12**	**708.41**	**(0.10)**	**-**	**2,842.43**

समेकित लेखा टिप्पणियां

15 निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	अवधि के दौरान अग्रिम	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	समाप्ति पर शेष राशि
वित्त वर्ष 2018-19	**0.01**	**-**	**-**	**0.01**
वित्त वर्ष 2017-18	0.01	-	-	0.01

15.1 कंपनी ने निवेश परिसंपत्ति के रूप में कम आंके गए भावी प्रयोग के लिए रखी गई भूमि वर्गीकृत की है और उस पर कोई किराये की आय अर्जित नहीं कर रही है।

15.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.19 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.17 के अनुसार
धारित मूल्य	**0.01**	0.01	0.01
उचित मूल्य	**0.61**	0.51	0.41

कंपनी कम से कम वार्षिक रूप से अपनी निवेश संपत्तियों के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन प्राप्त करती है। उचित मूल्य का सर्वोत्तम साक्ष्य उन संपत्तियों के लिए सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें हैं। जहां वह सूचना उपलब्ध नहीं है, वहां कंपनी विभिन्न स्रोतों से सूचना पर विचार करती है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- विभिन्न प्रकार की समान परिसंपत्तियों के सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें अथवा कम सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों की हाल की कीमतें जो उन अंतरों को दर्शाने के लिए समायोजित की गई हैं।
- जिस अधिकार क्षेत्र में निवेश संपत्ति स्थित है, वहां वर्तमान सर्किल दरें।

निवेश संपत्ति का उचित मूल्य स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया है और प्रयुक्त मुख्य इनपुट समान परिसंपत्तियों की सर्किल दरें और वर्तमान कीमतें हैं। निवेश संपत्ति के लिए सभी परिणामी उचित मूल्य आकलन लेवल-3 में शामिल हैं।

16 संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर									पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां
	फ्रीहोल्ड भूमि	लीजहोल्ड भूमि	भवन	फर्नीचर और फिक्सचर्स	ईडीपी उपस्कर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	लीजहोल्ड भूमि उन्नयन	कुल	अचल संपत्ति	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल धारित मूल्य												
01.04.2017 के अनुसार	**82.92**	**1.59**	**31.58**	**7.54**	**17.10**	**14.57**	**0.43**	**2.15**	**157.88**	**61.41**	**1.46**	**7.12**
परिवर्धन	-	-	0.16	1.99	3.20	3.80	-	0.21	**9.36**	**59.50**	**-**	**5.35**
पूंजीगत लागत उधारियां	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**6.32**	**-**	**-**
निपटान	-	-	-	0.15	2.10	0.77	0.03	-	**3.05**	**-**	**-**	**-**
31.03.2018 के अनुसार	**82.92**	**1.59**	**31.74**	**9.38**	**18.20**	**17.60**	**0.40**	**2.36**	**164.19**	**127.23**	**1.46**	**12.47**
परिवर्धन	27.47	-	-	1.82	5.12	3.25	-	0.12	**37.78**	**58.34**	**0.13**	**4.91**
पूंजीगत लागत उधारियां	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**11.37**	**-**	**-**
निपटान	-	-	-	0.21	0.87	0.95	-	-	**2.03**	**-**	**-**	**-**
31.03.2019 के अनुसार	**110.39**	**1.59**	**31.74**	**10.99**	**22.45**	**19.90**	**0.40**	**2.48**	**199.94**	**196.94**	**1.59**	**17.38**
संचित अवमूल्यन / परिशोधन												
01.04.2017 के अनुसार *	**-**	**0.25**	**7.62**	**5.41**	**12.42**	**7.64**	**0.28**	**0.03**	**33.65**	**-**	**-**	**6.67**
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.04	0.48	0.61	2.71	2.01	0.02	0.43	**6.30**	**-**	**-**	**0.64**
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	0.08	1.92	0.32	0.03	-	**2.35**	**-**	**-**	**-**
31.03.2018 के अनुसार	**-**	**0.29**	**8.10**	**5.94**	**13.21**	**9.33**	**0.27**	**0.46**	**37.60**	**-**	**-**	**7.31**
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.02	0.48	0.65	2.75	2.41	0.03	0.44	**6.78**	**-**	**-**	**1.52**
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	0.06	0.61	0.40	-	-	**1.07**	**-**	**-**	**-**
31.03.2019 के अनुसार	**-**	**0.31**	**8.58**	**6.53**	**15.35**	**11.34**	**0.30**	**0.90**	**43.31**	**-**	**-**	**8.83**
01.04.2017 के अनुसार निवल ब्लॉक *	**82.92**	**1.34**	**23.96**	**2.13**	**4.68**	**6.93**	**0.15**	**2.12**	**124.23**	**61.41**	**1.46**	**0.45**
31.03.2018 के अनुसार निवल ब्लॉक	**82.92**	**1.30**	**23.64**	**3.44**	**4.99**	**8.27**	**0.13**	**1.90**	**126.59**	**127.23**	**1.46**	**5.16**
31.03.2019 के अनुसार निवल ब्लॉक	**110.39**	**1.28**	**23.16**	**4.46**	**7.10**	**8.56**	**0.10**	**1.58**	**156.63**	**196.94**	**1.59**	**8.55**

* भारतीय लेखांकन मानक में लेन-देन की तारीख को मानी गई लागत दर्शाता है। पूर्व जीएएपी से सकल ब्लॉक एवं संचित मूल्यह्रास/परिशोधन परिसंपत्तियों की मूल लागत बेहतर रूप से समझने के प्रयोजन के लिए प्रकट की गई है।

16.1 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी द्वारा अधिगृहीत कुछ अचल संपत्तियों के संबंध में कनवेंस डीड के पंजीकरण के संबंध में औपचारिकताएं अभी निष्पादित की जानी हैं। ब्यौरे निम्नलिखितानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	भूमि	भवन	भूमि	भवन	भूमि	भवन
सकल धारित मूल्य	**68.31**	**4.59**	45.92	4.59	45.92	4.59
निवल धारित मूल्य	**68.31**	**2.20**	45.92	2.26	45.92	2.32

16.2 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार कंपनी के प्रतिभूति उधारों के विरुद्ध प्रतिभूति के रूप में रखे गए हैं।

(₹ करोड़ में)

Particulars	31-03-2019 के अनुसार	31-03-2018 के अनुसार	01-04-2017 के अनुसार
सकल धारित मूल्य	**3.45**	3.45	3.45
निवल धारित मूल्य	**2.46**	2.50	2.55

16.3 प्रबंधन के मत में उन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन अथवा कोई घटनाएं नहीं हैं जो भारतीय लेखांकन मानक 36 'परिसंपत्तियों की हानि' के संदर्भ में पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि दर्शाएं। तद्नुसार, हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

16.4 यद्यपि कंपनी ने योग्य परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कोई विशेष उधार नहीं किए हैं, तथापि कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 23 'उधार लागत' के संदर्भ में कंपनी के लिए उधारों की औसत दर पर सामान्य उधारों के निमित्त कुछ उधार लागतों को पूंजीकृत किया है।

16.5 भारतीय लेखांकन मानक 38 "अमूर्त परिसंपत्तियां" के तहत अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन

परिशोधन दर 20% (परिसंपत्ति की कुल लागत के मामले में 100 %, ₹ 5,000 अथवा कम है)।

आरईसीपीडीसीएल के मामले में अमूर्त परिसंपत्ति का उपयोगी जीवनकाल 3 वर्ष दिया गया है जिसका प्रभाव समूह पर वास्तविक नहीं है (31.03.2019 को सकल ब्लॉक ₹ 0.12 करोड़ है जबकि 31 मार्च, 2018 को वह ₹ 0.08 करोड़ है और 01 अप्रैल, 2017 को ₹ 0.08 करोड़ है)।

समेकित लेखा टिप्पणियां

17 अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(क) पूंजीगत अग्रिम	**35.72**	45.96	40.23
(ख) अन्य अग्रिम	**30.82**	24.33	4.88
(ग) सरकारी प्राधिकरण के पास शेष	**62.02**	15.94	11.82
(घ) पूर्वप्रदत्त व्यय	**7.64**	0.11	0.64
(ङ) आस्थगित कार्मिक लागत	**12.20**	13.60	14.89
(च) अन्य परिसंपत्तियां	**0.01**	0.07	0.10
कुल (क से च)	**148.41**	**100.01**	**72.56**

18 निपटान समूह

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां			
(क) निवेश (टिप्पणी 18.1के संदर्भ में)	**0.50**	0.10	0.20
(ख) संयुक्त के लिए ऋण (टिप्पणी 18.2 के संदर्भ में)	**9.06**	7.58	2.88
कुल (क+ख)	**9.56**	**7.68**	**3.08**
बिक्री के लिए धारित के रू प में वर्गीकृत परिसंपत्तियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएँ			
(ग) एसोसिएट के लिए प्रतिदेय(टिप्पणी 18.3 के संदर्भ में)	**0.08**	-	-
कुल (ग)	**0.08**	**-**	**-**
निपटान समूह - निवल परिसंपत्तियां (क +ख +ग)	**9.48**	**7.68**	**3.08**

18.1 संबद्ध कंपनियों में निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
संबद्ध कंपनियों (पूर्णतया प्रदत्त) के इक्विटी लिखतों में निवेश			
प्रत्येक ₹ 10 के प्रति इक्विटी शेयर			
दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड*	**-**	0.05	0.05
घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	0.05	0.05
ईआरएसएस XXI ट्रांस्को लिमिटेड	**-**	-	0.05
डब्ल्यूआर -एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	-	0.05
अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड	**0.05**	-	-
भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.05**	-	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-	-
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-	-
जम खंभालिया ट्रांस्को लिमिटेड	0.05	-	-
खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड	0.05	-	-
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-	-
लाकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड	0.05	-	-
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-	-
उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-	-
कुल	**0.50**	**0.10**	**0.20**

* दिनचांग ट्रांसमिशन लि. को विद्युत मंत्रालय के 25 मार्च, 2019 के पत्र द्वारा गैर-अधिसूचित किया गया था और परिणामस्वरूप, इसके लिए निवेश पूर्ण रूप से प्रदान किया गया है।

18.2 संबद्ध कंपनियों के लिए ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड*	-	1.06	0.82
घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड**	-	3.12	1.24
ईआरएसएस XXI ट्रांस्को लिमिटेड	-	-	0.42
डब्ल्यूआर - एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	0.40
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.99	0.85	-
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.94	0.85	-
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.71	0.85	-
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.76	0.85	-
अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड	0.18	-	-
भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.88	-	-
उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.25	-	-
डब्ल्यूआरएसएस XXI (ए) ट्रांस्को लिमिटेड***	0.35	-	-
कुल	**9.06**	**7.58**	**2.88**

* उपर्युक्त परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2015-16 से व्यय किया गया था और उसके बाद इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा 10 अगस्त, 2016 को रोक दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, विद्युत मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 25 मार्च, 2019 के पत्र के आधार पर 1.08 करोड़ रुपए के व्यय बट्टे खाते में डाले गए थे।

**घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड 21 जून, 2018 को अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरित कर दी गई।

*** डब्ल्यूआरएसएस XXI (ए) ट्रांस्को लि. को 27 मार्च, 2019 को निगमित किया गया था, परंतु शेयर पूंजी 31 मार्च, 2019 तक शुरूनहीं की गई थी। तथापि, चूंकि आरएफक्यू मार्च, 2019 में जारी किया गया था, अतः व्यय आबंटन नीति के अनुसार एसपीवी के निमित्त व्यय आबंटन किए गए हैं।

समेकित लेखा टिप्पणियां

18.3 बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड	**0.04**	-	-
लकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड	**0.04**	-	-
कुल	**0.08**	**-**	**-**

प्रबंधन ने विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से, विद्युत मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन कंपनियों को उन्हें बेचने की दृष्टि से निगमित किया था। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि प्रबंधन उन्हें बेचने के सिवाय उन कंपनियों से लाभ प्राप्त करेगा। अतः इन सभी निवेशों (संबद्ध परिसंपत्तियों और देयताओं सहित) को "बिक्री के लिए रखी गई" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

19 देय ट्रेड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
देय ट्रेड			
एमएसएमई का कुल बकाया देय (टिप्पणी 58 देखें)	**2.65**	1.83	0.30
एमएसएमई से भिन्न जमाकर्ताओं का कुल बकाया देय	**64.64**	61.31	42.89
कुल (देय)	**67.29**	**63.14**	**43.19**

20 ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
		अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
(क)	**प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ**						
(i)	संस्थागत बॉण्ड	**11,019.40**	**11,599.27**	22,138.60	23,099.72	27,591.90	28,818.34
(ii)	54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	**23,157.88**	**24,010.13**	22,235.89	23,051.75	19,477.40	20,196.18
(iii)	कर मुक्त बॉण्ड	**12,577.97**	**13,010.38**	12,577.97	13,006.38	12,577.97	13,003.21
(iv)	बॉण्ड आवेदन राशि	**722.04**	**720.48**	1,469.23	1,469.23	-	-
	उप - जोड़ (क)	**47,477.29**	**49,340.26**	**58,421.69**	**60,627.08**	**59,647.27**	**62,017.73**
(ख)	**अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां**						
(i)	संस्थागत बॉण्ड	**118,253.90**	**122,201.55**	103,069.70	106,530.16	82,284.40	85,437.09
(ii)	अवसंरचना बॉण्ड	**91.43**	**98.75**	110.47	126.07	111.64	124.13
(iii)	जीरो कूपन बॉण्ड	**1,259.57**	**1,258.56**	1,162.59	1,161.55	1,073.09	1,072.01
(iv)	विदेशी मुद्रा बॉण्ड	**12,796.69**	**12,172.07**	7,480.06	7,472.55	-	-
	उप - जोड़ (ख)	**132,401.59**	**135,730.93**	**111,822.82**	**115,290.33**	**83,469.13**	**86,633.23**

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
		अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
(ग)	**अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियां**						
(i)	कमर्शियल पेपर	**7,975.00**	**7,696.32**	3,250.00	3,150.44	-	-
	उप - जोड़ (ग)	**7,975.00**	**7,696.32**	**3,250.00**	**3,150.44**	**-**	**-**
	कुल - ऋण प्रतिभूतियां (क+ख +ग)	**187,853.88**	**192,767.51**	**173,494.51**	**179,067.85**	**143,116.40**	**148,650.96**
	भारत में/ से बाहर निर्गत ऋण प्रतिभूतियां						
(i)	भारत में निर्गत ऋण - प्रतिभूतियां	**175,057.19**	**180,595.44**	166,014.45	171,595.30	143,116.40	148,650.96
(ii)	विदेशों में निर्गत ऋण प्रतिभूतियां	**12,796.69**	**12,172.07**	7,480.06	7,472.55	-	-
	जोड़ - ऋण प्रतिभूतियां	**187,853.88**	**192,767.51**	**173,494.51**	**179,067.85**	**143,116.40**	**148,650.96**

20.1 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ का विवरण - प्रतिभूती के विवरण के लिए टिप्पणी 21.8 का संदर्भ लें

(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
123-IIIख श्रृंखला - 9.34% सममूल्य पर दिनांक 23.08.2024 को विमोचनीय	**1,955.00**	**2,062.61**	1,955.00	2,063.48	1,955.00	2,063.36
123-I श्रृंखला - 9.40% सममूल्य पर दिनांक 17.07.2021 को विमोचनीय	**1,515.00**	**1,615.29**	1,515.00	1,615.16	1,515.00	1,614.64
92-II श्रृंखला-8.65% सममूल्य पर दिनांक 22.01.2020 को विमोचनीय	**945.30**	**960.65**	945.30	960.53	945.30	960.42
91-II श्रृंखला - 8.80% सममूल्य पर दिनांक 18.11.2019 को विमोचनीय	**995.90**	**1,028.23**	995.90	1,028.09	995.90	1,027.98
90-ग-II श्रृंखला- 8.80% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2019 को विमोचनीय	**1,040.00**	**1,084.29**	1,040.00	1,084.13	1,040.00	1,083.98
90-ख-II श्रृंखला - 8.72% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2019 को विमोचनीय	**868.20**	**911.48**	868.20	911.34	868.20	911.21
90वीं श्रृंखला- 8.80% सममूल्य पर दिनांक 03.08.2019 को विमोचनीय	**2,000.00**	**2,116.21**	2,000.00	2,116.20	2,000.00	2,116.20
122वीं श्रृंखला-9.02% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2019 को विमोचनीय	**1,700.00**	**1,820.51**	1,700.00	1,819.82	1,700.00	1,820.00
119वीं श्रृंखला- 9.63% सममूल्य पर दिनांक 05.02.2019 को विमोचित	**-**	**-**	2,090.00	2,121.40	2,090.00	2,119.20

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
88वीं श्रृंखला- 8.65% सममूल्य पर दिनांक 15.01.2019 को विमोचित	-	-	1,495.00	1,521.82	1,495.00	1,521.69
118वीं श्रृंखला- 9.61% सममूल्य पर दिनांक 03.01.2019 को विमोचित	-	-	1,655.00	1,693.23	1,655.00	1,692.88
117वीं श्रृंखला- 9.38% सममूल्य पर दिनांक 06.11.2018 को विमोचित	-	-	2,878.00	2,985.72	2,878.00	2,985.32
87-क-III श्रृंखला- 11.15% सममूल्य पर दिनांक 24.10.2018 को विमोचित	-	-	61.80	64.77	61.80	64.73
116-II श्रृंखला- 9.24% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2018 को विमोचित	-	-	850.00	885.63	850.00	885.48
87-II श्रृंखला-10.85% सममूल्य पर दिनांक 01.10.2018 को विमोचित	-	-	657.40	693.12	657.40	693.04
86-ख-III श्रृंखला-10.85% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2018 को विमोचित	-	-	432.00	460.50	432.00	461.78
86-क श्रृंखला-10.70% सममूल्य पर दिनांक 30.07.2018 को विमोचित	-	-	500.00	536.06	500.00	536.05
85वीं श्रृंखला- 9.68% सममूल्य पर दिनांक 13.06.2018 को विमोचित	-	-	500.00	538.72	500.00	538.87
83वीं श्रृंखला-9.07% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2018 को विमोचित	-	-	-	-	685.20	711.02
82वीं श्रृंखला-9.85% सममूल्य पर दिनांक 28.09.2017 को विमोचित	-	-	-	-	883.10	933.81
124- I वीं श्रृंखला-9.06% सममूल्य पर दिनांक 22.09.2017 को विमोचित	-	-	-	-	2,610.00	2,730.98
123- III क श्रृंखला - 9.25% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2017 को विमोचित	-	-	-	-	1,275.00	1,345.70
कुल संस्थागत बॉण्ड	**11,019.40**	**11,599.27**	**22,138.60**	**23,099.72**	**27,591.90**	**28,818.34**

समेकित लेखा टिप्पणियां

(ii) **54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
श्रृंखला XII (2018-19) 5.75% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विमोचनीय	**5,929.73**	**6,083.83**	-	-	-	-
श्रृंखला XI (2017-18) 5.25% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान विमोचनीय	**9,565.23**	**9,934.60**	8,096.27	8,298.32	-	-
श्रृंखला X (2016-17) 5.25%-6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान विमोचनीय	**7,662.92**	**7,991.70**	7,662.92	7,987.12	7,662.92	7,854.44
श्रृंखला X (2015-16)- 6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान विमोचनीय	**-**	**-**	6,476.70	6,766.31	6,476.70	6,764.10
श्रृंखला IX (2014-15)-6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान विमोचित	**-**	**-**	-	-	5,337.78	5,577.64
जोड़-54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	**23,157.88**	**24,010.13**	**22,235.89**	**23,051.75**	**19,477.40**	**20,196.18**

(iii) **कर मुक्त बॉण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
श्रृंखला 2015-16 भाग 1	**696.56**	**710.13**	696.56	709.98	696.56	709.87
वार्षिक रूप से 6.89% से 7.43% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.93 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2025 को विमोच्य हैं, ₹ 172.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2030 को विमोच्य है और ₹ 417.73 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोच्य हैं।						
श्रृंखला 2015-16 श्रृंखला 5क	**300.00**	**306.92**	300.00	306.89	300.00	306.87
7.17% के सममूल्य पर 23.07.2025 को विमोचनीय हैं।						
श्रृंखला 2013-14 भाग 2	**1,057.40**	**1,082.77**	1,057.40	1,082.35	1,057.40	1,082.00

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
वार्षिक रूप से 8.19% से 8.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 419.32 करोड़ के बॉण्ड 22.03.2024 को विमोच्य हैं, ₹ 528.42 करोड़ के बॉण्ड 23.03.2029 को विमोच्य है और ₹ 109.66 करोड़ के बॉण्ड 24.3.2034 को विमोच्य हैं।						
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 4क एवं 4ख	**150.00**	**155.64**	150.00	155.61	150.00	155.59
वार्षिक रूप से 8.18% से 8.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 11.10.2023 को विमोच्य हैं और ₹ 45.00 करोड़ के बॉण्ड 11.10.2028 को विमोच्य हैं।						
श्रृंखला 2013-14 भाग 1	**3,410.60**	**3,492.27**	3,410.60	3,491.11	3,410.60	3,490.17
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.71% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 575.06 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 25.09.2023 को विमोच्य हैं, ₹ 2,780.26 करोड़ 25.09.2028 को विमोच्य हैं और ₹ 55.28 करोड़ 26.09.2033 को विमोच्य हैं।						
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 3क एवं 3ख	**1,350.00**	**1,414.77**	1,350.00	1,414.61	1,350.00	1,414.47
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.46% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 209.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 29.08.2023 को विमोच्य हैं और ₹ 1,141.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2028 को विमोच्य हैं।						
श्रृंखला 2012-13 भाग 2	**131.06**	**133.84**	131.06	133.79	131.06	133.75
वार्षिक रूप से 6.88% से 7.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 81.35 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2023 को विमोचनीय हैं और ₹ 49.71 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय हैं।						

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
श्रृंखला 2012-13 भाग 1	**1,982.35**	**2,026.43**	1,982.35	2,025.57	1,982.35	2,024.88
वार्षिक रूप से 7.22% से 7.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 1,165.31 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 19.12.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 817.04 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 20.12.2027 को विमोचनीय हैं।						
श्रृंखला 2012-13 श्रृंखला 2क और 2ख	**500.00**	**512.92**	500.00	512.90	500.00	512.88
वार्षिक रूप से क्रमशः 7.21% तथा 7.38% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 255.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 21.11.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 245.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 22.11.2027 को विमोचनीय हैं।						
श्रृंखला 2011-12	**3,000.00**	**3,174.69**	3,000.00	3,173.57	3,000.00	3,172.73
वार्षिक रूप से 7.93% से 8.32% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 839.67 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 28.03.2022 को विमोच्य हैं और ₹ 2,160.33 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 29.03.2027 को विमोच्य हैं।						
जोड़ - कर-मुक्त बॉण्ड	**12,577.97**	**13,010.38**	**12,577.97**	**13,006.38**	**12,577.97**	**13,003.21**

(iv) **बॉण्ड आवेदन राशि**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	**722.04**	**720.48**	1,469.23	1,469.23	-	-
5.75% आबंटन की डीम्ड तिथि से 5 वर्ष के बाद सममूल्य पर प्रतिदेय						
जोड़: बॉण्ड आवेदन राशि	**722.04**	**720.48**	**1,469.23**	**1,469.23**	**-**	**-**

समेकित लेखा टिप्पणियां

20.2 अप्रतिभूत दीर्घावधिक ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(i) **संस्थागत बॉण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
169वीं श्रृंखला- 8.37% सममूल्य पर दिनांक 07.12.2028 को विमोचनीय	**2,554.00**	**2,620.27**	-	-	-	-
168वीं श्रृंखला- 8.56% सममूल्य पर दिनांक 29.11.2028 को विमोचनीय	**2,552.40**	**2,624.99**	-	-	-	-
163वीं श्रृंखला- 8.63% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2028 को विमोचनीय	**2,500.00**	**2,627.34**	-	-	-	-
162वीं श्रृंखला- 8.55% सममूल्य पर दिनांक 09.08.2028 को विमोचनीय	**2,500.00**	**2,636.73**	-	-	-	-
156वीं श्रृंखला- 7.70% सममूल्य पर दिनांक 10.12.2027 को विमोचनीय	**3,533.00**	**3,614.04**	3,533.00	3,613.97	-	-
147वीं श्रृंखला- 7.95% सममूल्य पर दिनांक 12.03.2027 को विमोचनीय	**2,745.00**	**2,745.25**	2,745.00	2,745.17	2,745.00	2,754.66
142वीं श्रृंखला- 7.54% सममूल्य पर दिनांक 30.12.2026 को विमोचनीय	**3,000.00**	**3,055.73**	3,000.00	3,055.05	3,000.00	3,056.23
140वीं श्रृंखला- 7.52% सममूल्य पर दिनांक 07.11.2026 को विमोचनीय	**2,100.00**	**2,151.90**	2,100.00	2,151.81	2,100.00	2,161.69
136वीं श्रृंखला- 8.11% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2025 को विमोचनीय	**2,585.00**	**2,670.69**	2,585.00	2,670.51	2,585.00	2,670.34
95-II श्रृंखला - 8.75% सममूल्य पर दिनांक 14.07.2025 को विमोचनीय	**1,800.00**	**1,913.49**	1,800.00	1,913.51	1,800.00	1,911.93
94वीं श्रृंखला- 8.75% सममूल्य पर दिनांक 09.06.2025 को विमोचनीय	**1,250.00**	**1,339.00**	1,250.00	1,338.98	1,250.00	1,343.87
133वीं श्रृंखला- 8.30% सममूल्य पर दिनांक 10.04.2025 को विमोचनीय	**2,396.00**	**2,452.88**	2,396.00	2,452.71	2,396.00	2,452.55
131वीं श्रृंखला- 8.35% सममूल्य पर दिनांक 21.02.2025 को विमोचनीय	**2,285.00**	**2,303.12**	2,285.00	2,304.15	2,285.00	2,304.13
130वीं श्रृंखला- 8.27% सममूल्य पर दिनांक 06.02.2025 को विमोचनीय	**2,325.00**	**2,492.75**	2,325.00	2,492.58	2,325.00	2,491.89

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
129वीं श्रृंखला- 8.23% सममूल्य पर दिनांक 23.01.2025 को विमोचनीय	**1,925.00**	**2,063.19**	1,925.00	2,063.04	1,925.00	2,062.47
128वीं श्रृंखला- 8.57% सममूल्य पर दिनांक 21.12.2024 को विमोचनीय	**2,250.00**	**2,418.29**	2,250.00	2,418.12	2,250.00	2,417.43
114वीं श्रृंखला- 8.82% सममूल्य पर दिनांक 12.04.2023 को विमोचनीय	**4,300.00**	**4,666.20**	4,300.00	4,665.88	4,300.00	4,665.58
159वीं श्रृंखला - 7.99% सममूल्य पर दिनांक 23.02.2023 को विमोचनीय	**950.00**	**957.07**	950.00	956.94	-	-
155वीं श्रृंखला - 7.45% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2022 को विमोचनीय	**1,912.00**	**1,958.62**	1,912.00	1,958.39	-	-
111-II श्रृंखला - 9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय	**2,211.20**	**2,283.10**	2,211.20	2,282.93	2,211.20	2,282.77
152वीं श्रृंखला- 7.09 % सममूल्य पर दिनांक 17.10.2022 को विमोचनीय	**1,225.00**	**1,263.82**	1,225.00	1,263.65	-	-
150वीं श्रृंखला- 7.03 % सममूल्य पर दिनांक 07.09.2022 को विमोचनीय	**2,670.00**	**2,774.70**	2,670.00	2,774.39	-	-
107वीं श्रृंखला- 9.35% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय	**2,378.20**	**2,554.12**	2,378.20	2,553.93	2,378.20	2,553.76
167वीं श्रृंखला- 8.45% सममूल्य पर दिनांक 22.03.2022 को विमोचनीय	**2,571.80**	**2,576.88**	-	-	-	-
173वीं श्रृंखला- 8.35% सममूल्य पर दिनांक 11.3.2022 को विमोचनीय	**2,500.00**	**2,509.41**	-	-	-	-
132वीं श्रृंखला- 8.27% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2022 को विमोचनीय	**700.00**	**750.61**	700.00	750.52	700.00	750.28
145वीं श्रृंखला - 7.46% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2022 को विमोचनीय	**625.00**	**628.75**	625.00	628.65	625.00	628.55
165वीं श्रृंखला - 8.83% सममूल्य पर दिनांक 21.01.2022 को विमोचनीय	**2,171.00**	**2,206.47**	-	-	-	-
141वीं श्रृंखला - 7.14% सममूल्य पर दिनांक 09.12.2021 को विमोचनीय	**1,020.00**	**1,037.69**	1,020.00	1,037.34	1,020.00	1,041.79

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
127वीं श्रृंखला- 8.44% सममूल्य पर दिनांक 04.12.2021 को विमोचनीय	**1,550.00**	**1,664.56**	1,550.00	1,664.41	1,550.00	1,663.91
105वीं श्रृंखला- 9.75% सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय	**3,922.20**	**4,069.16**	3,922.20	4,068.06	3,922.20	4,067.65
139वीं श्रृंखला - 7.24% सममूल्य पर दिनांक 21.10.2021 को विमोचनीय	**2,500.00**	**2,574.49**	2,500.00	2,574.18	2,500.00	2,578.86
101-III श्रृंखला - 9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय	**3,171.80**	**3,363.70**	3,171.80	3,363.38	3,171.80	3,363.10
100वीं श्रृंखला- 9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय	**1,500.00**	**1,602.90**	1,500.00	1,602.90	1,500.00	1,602.90
174वीं श्रृंखला- 8.15% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2021 को विमोचनीय	**2,720.00**	**2,727.18**	-	-	-	-
161ख श्रृंखला - 7.73% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2021 को विमोचनीय	**800.00**	**848.86**	800.00	802.50	-	-
154 श्रृंखला - 7.18% सममूल्य पर दिनांक 21.05.2021 को विमोचनीय	**600.00**	**636.89**	600.00	615.06	-	-
157वीं श्रृंखला - 7.60% सममूल्य पर दिनांक 17.04.2021 को विमोचनीय	**1,055.00**	**1,131.27**	1,055.00	1,070.69	-	-
158वीं श्रृंखला - 7.70% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	**2,465.00**	**2,473.14**	2,465.00	2,472.82	-	-
98वीं श्रृंखला- 9.18% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	**3,000.00**	**3,012.83**	3,000.00	3,012.83	3,000.00	3,012.83
153वी श्रृंखला- 6.99% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2020 को विमोचनीय	**2,850.00**	**2,898.98**	2,850.00	2,898.63	-	-
97वीं श्रृंखला- 8.80% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2020 को विमोचनीय	**2,120.50**	**2,183.11**	2,120.50	2,182.96	2,120.50	2,182.83
96वीं श्रृंखला- 8.80% सममूल्य पर दिनांक 26.10.2020 को विमोचनीय	**1,150.00**	**1,193.81**	1,150.00	1,193.78	1,150.00	1,193.79
149वीं श्रृंखला- 6.87% सममूल्य पर दिनांक 24.09.2020 को विमोचनीय	**2,485.00**	**2,572.86**	2,485.00	2,572.53	-	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
135वीं श्रृंखला -8.36% सममूल्य पर दिनांक 22.09.2020 को विमोचनीय	**2,750.00**	**2,817.11**	2,750.00	2,816.94	2,750.00	2,816.78
144वीं श्रृंखला -7.13% सममूल्य पर दिनांक 21.09.2020 को विमोचनीय	**835.00**	**840.00**	835.00	839.87	835.00	841.05
172वीं श्रृंखला - 8.57% सममूल्य पर दिनांक 20.08.2020 को विमोचनीय	**1,790.00**	**1,806.05**	-	-	-	-
134वीं श्रृंखला-8.37% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2020 को विमोचनीय	**2,675.00**	**2,740.10**	2,675.00	2,739.75	2,675.00	2,739.43
143वीं श्रृंखला-6.83% सममूल्य पर दिनांक 29.06.2020 को विमोचनीय	**1,275.00**	**1,289.08**	1,275.00	1,288.90	1,275.00	1,288.73
148वीं श्रृंखला-7.42% सममूल्य पर दिनांक 17.06.2020 को विमोचनीय	**1,200.00**	**1,203.42**	1,200.00	1,203.24	1,200.00	1,203.08
161वी क श्रृंखला -7.59% सममूल्य पर दिनांक 13.03.2020 को विमोचनीय	**3,000.00**	**3,010.44**	3,000.00	3,010.27	-	-
113वीं श्रृंखला- 8.87% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2020 को विमोचनीय	**1,542.00**	**1,550.86**	1,542.00	1,550.72	1,542.00	1,550.60
111-I श्रृंखला - 9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2019 को विमोचनीय	**452.80**	**467.65**	452.80	467.61	452.80	467.57
126वीं श्रृंखला- 8.56% सममूल्य पर दिनांक 13.11.2019 को विमोचनीय	**1,700.00**	**1,755.25**	1,700.00	1,754.99	1,700.00	1,753.95
125वीं श्रृंखला- 9.04% सममूल्य पर दिनांक 11.10.2019 को विमोचनीय	**3,000.00**	**3,124.59**	3,000.00	3,125.66	3,000.00	3,125.27
160वीं श्रृंखला- 7.77% सममूल्य पर दिनांक 16.09.2019 को विमोचनीय	**1,450.00**	**1,510.68**	1,450.00	1,459.49	-	-
108-II श्रृंखला - 9.39% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2019 को विमोचनीय	**960.00**	**1,022.94**	960.00	1,022.83	960.00	1,022.73
95-I श्रृंखला - 8.70% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2019 को विमोचनीय	**200.00**	**212.54**	200.00	212.54	200.00	210.11
151वीं श्रृंखला- 6.75% सममूल्य पर दिनांक 26.03.2019 को विमोचनीय	**-**	**-**	1,150.00	1,151.02	-	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
137वीं श्रृंखला- 8.05% सममूल्य पर दिनांक 07.12.2018 को विमोचनीय	-	-	2,225.00	2,268.92	2,225.00	2,269.08
146वीं श्रृंखला- 6.88% सममूल्य पर दिनांक 03.09.2018 को विमोचनीय	-	-	3,300.00	3,430.46	3,300.00	3,317.51
112वीं श्रृंखला- 8.70% सममूल्य पर दिनांक 01.02.2018 को विमोचित	-	-	-	-	1,500.00	1,520.94
109वीं श्रृंखला- 9.25% सममूल्य पर दिनांक 28.08.2017 को विमोचित	-	-	-	-	1,734.70	1,830.00
108-I श्रृंखला - 9.40% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2017 को विमोचित	-	-	-	-	2,125.00	2,264.47
जोड़ - संस्थागत बॉण्ड	**118,253.90**	**122,201.55**	**103,069.70**	**106,530.16**	**82,284.40**	**85,437.09**

(ii) **अवसंचरना बॉण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
श्रृंखला-II (2011-12) - सममूल्य पर विमोचनीय	**11.07**	**18.37**	29.50	45.09	29.50	41.97
श्रृंखला-I (2010-11) - सममूल्य पर विमोचनीय	**80.36**	**80.38**	80.97	80.98	82.14	82.16
कुल : अवसंचरना बॉण्ड	**91.43**	**98.75**	**110.47**	**126.07**	**111.64**	**124.13**

जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों का विवरण इस प्रकार है:

15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला II (2011-12)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	विमोचन का विवरण
9.15% संचयी	-	13.44	13.44	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 7 वर्ष बाद बॉण्डधारक से पुन: खरीद का विकल्प
9.15% वार्षिक	-	5.00	5.00	
8.95% संचयी	**5.73**	5.72	5.72	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95% वार्षिक	**1.38**	1.38	1.38	
9.15% संचयी	**2.83**	2.83	2.83	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15% वार्षिक	**1.13**	1.13	1.13	
जोड़	**11.07**	**29.50**	**29.50**	

राशि को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

31.03.2011 को आबंटित श्रृंखला- I (2010-11)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	विमोचन का विवरण
8.00%	**16.92**	17.07	17.40	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5/6/7/8/9 वर्ष के बाद बॉण्डधारक से पुनः खरीद का विकल्प
8.20%	**58.04**	58.50	59.34	
8.10%	**1.61**	1.61	1.61	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.20%	**3.79**	3.79	3.79	
जोड़	**80.36**	**80.97**	**82.14**	

राशि को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।

(iii) **जीरो कूपन बॉण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य *	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य *	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
जेडसीबी - श्रृंखला - II	**230.11**	**229.95**	211.59	211.43	194.57	194.40
(अपरिशोधित निवल बट्टे पर 89,510 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय हैं)।						
जेडसीबी - श्रृंखला - I	**1,029.46**	**1,028.61**	951.00	950.12	878.52	877.61
(अपरिशोधित निवल बट्टे पर 3,92,700 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय हैं)।						
कुल: जीरो कूपन बॉण्ड	**1,259.57**	**1,258.56**	**1,162.59**	**1,161.55**	**1,073.09**	**1,072.01**

* जीरो कूपन बाण्ड्स के जारी होने पर अपरिशोधित निवल अंकित मूल्य को दर्शाता है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

(iv) **विदेशी मुद्रा बॉण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
4.625% यूएस $700 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 13.11.2023 को विमोचनीय	**4,841.99**	**4,882.85**	-	-	-	-
4.625% यूएस $300 मिलियन बॉण्ड -सममूल्य पर दिनांक 22.03.2028 को विमोचनीय	**2,075.14**	**1,848.33**	1,951.32	1,921.19	-	-
3.875% यूएस $450 मिलियन ग्रीन बॉण्ड -सममूल्य पर दिनांक 07.07.2027 को विमोचनीय	**3,112.71**	**2,693.94**	2,926.98	2,930.28	-	-
3.068% यूएस $400 मिलियन बॉण्ड -सममूल्य पर दिनांक 18.12.2020 को विमोचनीय	**2,766.85**	**2,746.95**	2,601.76	2,621.08	-	-
जोड़- विदेशी मुद्रा बॉण्ड	**12,796.69**	**12,172.07**	**7,480.06**	**7,472.55**	**-**	**-**

20.3 अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(i) **वाणिज्यिक दस्तावेज**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.18 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
वाणिज्यिक दस्तावेज	**7,975.00**	**7,696.32**	3,250.00	3,150.44	-	-

बकाया वाणिज्यिक दस्तावेज का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.18 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
51वीं श्रृंखला - 7.43% दिनांक 04.09.2018 को प्रदत्त	**-**	**-**	3,250.00	3,150.44	-	-
57वीं श्रृंखला - 8.04% दिनांक 30.04.2019 को प्रतिदेय	**2,750.00**	**2,732.99**	-	-	-	-
58वीं श्रृंखला - 7.60% दिनांक 27.09.2019 को प्रतिदेय	**1,875.00**	**1,808.27**	-	-	-	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.18 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
59वीं श्रृंखला - 7.72% दिनांक 30.12.2019 को प्रतिदेय	**2,350.00**	**2,222.86**	-	-	-	-
60वीं श्रृंखला - 7.90% दिनांक 04.03.2020 को प्रतिदेय	**1,000.00**	**932.20**	-	-	-	-
कुल	**7,975.00**	**7,696.32**	**3,250.00**	**3,150.44**	**-**	**-**

21 उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी उधारियों (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार		31.03.18 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
		मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क)	**प्रतिभूत दीर्घावधि उधारियां**						
(i)	अन्य से आवधिक ऋण -वित्तीय लिखत	**200.00**	**207.33**	400.00	414.82	750.00	776.66
	उप-जोड़ (क)	**200.00**	**207.33**	**400.00**	**414.82**	**750.00**	**776.66**
(ख)	**अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियां**						
(i)	वित्त लीज बाध्यताएं	**0.11**	**0.11**	0.11	0.11	0.13	0.13
(ii)	भारत सरकार से आवधिक ऋण	**5,000.00**	**5,121.84**	-	-	-	-
(iii)	बैंकों से आवधिक ऋण	**18,550.00**	**18,555.08**	-	-	-	-
(iv)	वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण	**1,000.00**	**1,000.00**	-	-	-	-
(v)	विदेशी मुद्रा उधारियाँ	**17,637.62**	**17,450.46**	18,515.81	18,404.43	21,080.55	20,923.38
(vi)	एफसीएनआर (बी) ऋण	**933.81**	**936.96**	1,534.18	1,534.57	-	-
	उप-जोड़ (ख)	**43,121.54**	**43,064.45**	**20,050.10**	**19,939.11**	**21,080.68**	**20,923.51**
(ग)	**अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ**						
(i)	एफसीएनआर (बी) ऋण	**3,389.39**	**3,390.76**	2,276.54	2,277.49	-	-
	उप-जोड़ (ग)	**3,389.39**	**3,390.76**	**2,276.54**	**2,277.49**	**-**	**-**
	कुल- उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) (क से ग)	**46,710.93**	**46,662.54**	**22,726.64**	**22,631.42**	**21,830.68**	**21,700.17**
	भारत में / से बाहर उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)						
(i)	भारत में उधारियां	**29,073.31**	**29,212.08**	4,210.83	4,226.99	750.13	776.79
(ii)	भारत से उधारियां	**17,637.62**	**17,450.46**	18,515.81	18,404.43	21,080.55	20,923.38
	कुल - उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा	**46,710.93**	**46,662.54**	**22,726.64**	**22,631.42**	**21,830.68**	**21,700.17**

समेकित लेखा टिप्पणियां

21.1 प्रतिभूत दीर्घावधि उधारियों का विवरण - प्रतिभूति के विवरण के लिए टिप्पणी 21.8 का संदर्भ देखे

(i) अन्य से प्रतिभूत आवधिक ऋण - वित्तीय संस्थाएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	**200.00**	**207.33**	400.00	414.82	750.00	776.66
ऋण ₹ 200 करोड़ की समान वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय, अगली किश्त दिनांक 01.10.2019 को देय है।						
जोड़ - अन्य से आवधिक ऋण - वित्तीय संस्थाएं	**200.00**	**207.33**	**400.00**	**414.82**	**750.00**	**776.66**

21.2 अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियों के विवरण

(i) भारत सरकार से अप्रतिभूत आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- नेशनल स्माल सेविंग्स फंड (एनएसएसएफ) से ऋण	**5,000.00**	**5,121.84**	-	-	-	-
ऋण 13.12.2028 को प्रतिदेय						
जोड़ - सरकार से आवधिक ऋण	**5,000.00**	**5,121.84**	**-**	**-**	**-**	**-**

(ii) बैंकों से अप्रतिभूत आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- केनरा बैंक	**500.00**	**500.12**	-	-	-	-
ऋण 05.03.2024 को प्रतिदेय						
- कारपोरेशन बैंक	**1,000.00**	**1,000.00**	-	-	-	-
ऋण 6 अर्धवार्षिक किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त 06.09.2021 को देय है।						
-एचडीएफसी बैंक	**2,000.00**	**2,000.46**	-	-	-	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
29.04.2020 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय, 29.09.2023 को ₹ 300 करोड़ प्रतिदेय, 11.10.2023 को ₹ 350 करोड़ प्रतिदेय, 06.11.2023 को ₹ 350 करोड़ प्रतिदेय, 15.01.2024 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय						
-युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	**1,000.00**	**1,004.50**	-	-	-	-
ऋण 4 अर्धवार्षिक किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त 13.09.2022 को देय है।						
-बैंक ऑफ इंडिया	**2,000.00**	**2,000.00**	-	-	-	-
ऋण 8 तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त 05.05.2022 को देय है।						
-पंजाब नेशनल बैंक	**3,500.00**	**3,500.00**	-	-	-	-
₹ 2,000 करोड़ 3 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त 14.09.2021 को देय है। ₹ 1,500 करोड़ 3 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय और पहली किश्त 20.02.2022 को देय है।						
-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	**7,300.00**	**7,300.00**	-	-	-	-
₹ 5,000 करोड़ 3 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय तथा पहली किश्त 15.10.2021 को देय है, ₹ 2,300 करोड़ 5 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय तथा पहली किश्त 05.09.2020 को देय है।						
-ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	**750.00**	**750.00**	-	-	-	-
ऋण 8 अर्ध-वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त 05.09.2021 को देय हो रही है।						
-यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	**500.00**	**500.00**	-	-	-	-
ऋण 6 अर्ध-वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त 31.07.2021 को देय हो है।						
जोड़ - बैंकों से अप्रतिभूत आवधिक ऋण	**18,550.00**	**18,555.08**	**-**	**-**	**-**	**-**

समेकित लेखा टिप्पणियां

(iii) **अन्य से अप्रतिभूत आवधिक ऋण - वित्तीय संस्थाएं**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	**1,000.00**	**1,000.00**	-	-	-	-
04.06.2022 को प्रतिदेय						
जोड़ - अन्य से आवधिक ऋण - वित्तीय संस्थाएं	**1,000.00**	**1,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**

(iv) **विदेशी मुद्रा उधारियाँ**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(1) **ओडीए ऋण - भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत**						
जेआईसीए ऋण - 0.75% जेआईसीए - I ऋण दिनांक 20.03.2021 तक छमाही किश्तों में प्रतिदेय, अगली किश्त दिनांक 20.09.2019 को देय ही रही है और 0.65% जेआईसीए - II ऋण 20.03.2023 तक छमाही किश्तों में प्रतिदेय, अगली किश्त 20.09.2019 को देय हो रही है।	**131.40**	**131.43**	252.32	252.62	407.49	407.93
3.73% केएफडब्ल्यू ऋण - € 3.68 मिलियन की छमाही किश्तों में प्रतिदेय कर दिया गया। अंतिम किश्त 30.06.2018 को भुगतान कर दी गयी।	**-**	**-**	59.41	59.96	102.05	102.91
2.89% केएफडब्ल्यू - II ऋण - € 3.88 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय, अगली किश्त 30.06.2019 को देय है।	**120.87**	**121.66**	188.12	189.24	215.44	216.58
1.86% केएफडब्ल्यू-III ऋण - € 5.26 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 30.06.2019 को देय है।	**449.87**	**449.13**	551.63	549.71	546.70	543.78
उप जोड़ (1)	**702.14**	**702.22**	**1,051.48**	**1,051.53**	**1,271.68**	**1,271.20**

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(2) **द्विपक्षीय/सिंडिकेट ऋण**						
¥19.029 बिलियन - दिनांक 10.04.2017 को प्रदत्त	**-**	**-**	-	-	1,102.92	1,102.93
यूएस $285 मिलियन- दि. 02.12.2018 को प्रदत्त	**-**	**-**	1,853.76	1,865.63	1,847.90	1,847.11
यूएस $250 मिलियन-** 26.11.2017 को **$57.5 प्रदत्त तथा **$**192.5 मिलियन 29.05.2019 को प्रतिदेय	**1,331.55**	**1,346.66**	1,252.10	1,253.95	1,620.97	1,621.87
यूएस $400 मिलियन- 27.12.2017 को प्रदत्त	**-**	**-**	-	-	2,593.54	2,591.16
यूएस $400 मिलियन- 26.03.2018 को प्रदत्त	**-**	**-**	-	-	2,593.54	2,577.57
यूएस $300 मिलियन - दिनांक 29.07.2020 को प्रतिदेय	**2,075.14**	**2,076.19**	1,951.32	1,941.05	1,945.16	1,924.40
यूएस $250 मिलियन- $**150 मिलियन और **$100 मिलियन क्रमशः दिनांक 18.09.2018 तथा 19.11.2018 को प्रदत्त	**-**	**-**	1,626.10	1,623.66	1,620.97	1,610.80
यूएस $300 मिलियन- दिनांक 01.12.2020 को प्रतिदेय	**2,075.14**	**2,067.94**	1,951.32	1,935.58	1,945.16	1,920.94
यूएस $250 मिलियन- दिनांक 05.02.2019 को प्रदत्त	**-**	**-**	1,626.10	1,622.35	1,620.97	1,608.53
यूएस $120 मिलियन- 21.03.2019 को प्रदत्त	**-**	**-**	780.53	777.67	778.06	771.32
यूएस $100 मिलियन- 05.10.2021 को प्रतिदेय।	**691.71**	**678.55**	650.44	641.64	648.39	634.81
यूएस $230 मिलियन- 19.01.2022 को प्रतिदेय	**1,590.94**	**1,551.91**	1,496.01	1,456.23	1,491.29	1,440.74
यूएस $200 मिलियन- 28.07.2022 को प्रतिदेय	**1,383.43**	**1,365.67**	1,300.88	1,275.14	-	-
यूएस $57.50 मिलियन- 29.05.2019 को प्रतिदेय	**397.73**	**396.82**	374.00	374.48	-	-
यूएस $240 मिलियन- 26.03.2021 को प्रतिदेय	**1,660.11**	**1,631.60**	1,561.06	1,551.38	-	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस $160 मिलियन- 26.03.2021 को प्रतिदेय	**1,106.74**	**1,087.77**	1,040.71	1,034.14	-	-
यूएस $250 मिलियन- 08.08.2023 को प्रतिदेय	**1,729.28**	**1,721.63**	-	-	-	-
¥10,327.12 मिलियन- 31.08.2023 को प्रतिदेय	**645.65**	**624.64**	-	-	-	-
यूएस $ 250 मिलियन- 27.03.2024 को प्रतिदेय	**1,729.28**	**1,696.87**	-	-	-	-
यूएस $75 मिलियन- 29.03.2024 को प्रतिदेय	**518.78**	**501.99**	-	-	-	-
उप-जोड़ (2)	**16,935.48**	**16,748.24**	17,464.33	17,352.90	19,808.87	19,652.18
कुल - विदेशी मुद्रा उधारियां (1+2)	**17,637.62**	**17,450.46**	**18,515.81**	**18,404.43**	**21,080.55**	**20,923.38**

(v) एफसीएनआर (ख) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस $ 235.87 मिलियन- 12.02.2019 को प्रदत्त	**-**	**-**	1,534.18	1,534.57	-	-
यूएस $135 मिलियन- $**60 मिलियन 04.09.2021 को प्रतिदेय तथा **$ 75 मिलियन दिनांक 22.10.2021 को प्रतिदेय	**933.81**	**936.96**	-	-	-	-
जोड़ -एफसीएनआर (ख) ऋण	**933.81**	**936.96**	**1,534.18**	**1,534.57**	**-**	**-**

समेकित लेखा टिप्पणियां

21.3 अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ

(i) **एफसीएनआर (ख) ऋण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस $ 100 मिलियन- 21.09.2018 को प्रदत्त	-	-	650.44	650.72	-	-
यूएस $ 100 मिलियन- दिनांक 07.12.2018 को प्रदत्त	-	-	650.44	650.71	-	-
यूएस $ 150 मिलियन- दिनांक 28.03.2019 को प्रदत्त	-	-	975.66	976.06	-	-
यूएस $ 150 मिलियन- 31.08.2019 को प्रतिदेय	1,037.57	1,037.97	-	-	-	-
यूएस $ 100 मिलियन- 09.12.2019 को प्रतिदेय	691.71	691.99	-	-	-	-
यूएस $ 100 मिलियन- 19.12.2019 को प्रतिदेय	691.71	692.00	-	-	-	-
यूएस $ 140 मिलियन-11.01.2020 को प्रतिदेय	968.40	968.80	-	-	-	-
जोड़ -एफसीएनआर (ख) ऋण	**3,389.39**	**3,390.76**	**2,276.54**	**2,277.49**	**-**	**-**

21.4 उधारियों और ब्याज की अदायगी में तुलन पत्र की तिथि के अनुसार कोई त्रुटि नहीं है।

21.5 टिप्पणी संख्या 21.1 (i) एवं 21.2 (i) से (ii) में उल्लिखित है कि सरकार/ बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण 8.15% से 9.20% मासिक, तिमाही एवं अर्धवार्षिक ब्याज दरों पर प्रतिदेय है।

21.6 टिप्पणी संख्या 21.2 (iv)(2) में विदेशी मुद्रा उधार 6 माह के अमेरिकी डॉलर/जेपीवाई एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक द्वारा पेशकश की गई दर) के लिए 65 बीपीएस से 150 बीपीएस की ब्याज दर पर लिए गए हैं।

21.7 पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) को आरईसी लिमिटेड में कुल प्रदत्त इक्विटी शेयरधारिता के भारत सरकार की विद्यमान 52.63 प्रतिशत की नीतिगत बिक्री की घोषणा के बाद कंपनी ने कुछ भारी वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) का 'चेंज ऑफ कंट्रोल' घटक के संशोधन के लिए 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान सहमति मांगने का कार्य किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अनुसार और विद्यमान ईसीबी कार्यढांचे के अनुपालन में संबंधित उधारों की शेष परिपक्वताओं पर विचार करते हुए निर्धारित वार्षिक समस्त लागत सीमा के अंतर्गत आने वाले ऐसे संशोधन पर सहमति लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय बांडधारकों/उधारदाताओं को सहमति शुल्क दे दिया है। कंपनी ने ईसीबी की शेष परिपक्वताओं में भारतीय लेखांकन मानक 109 के तहत प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति के अनुसार सहमति शुल्क तद्नुसार परिशोधित कर दिया है।

21.8 ऋण प्रतिभूतियों एवं उधारियों की प्रतिभूति का विवरण

कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी प्रतिभूतियुक्त बॉण्डों और 31 मार्च, 2019 को बकाया के लिए कुछ अचल परिसंपत्तियों और/अथवा कंपनी के प्राप्य पर प्रभार पर 100% मार्टगेज करके प्रतिभूति कवर रखा गया है।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्डो श्रृंखला 90, 90 बी-।।, 90 सी-।।, 91-।। और 92-।।, बॉण्डों का (क) फ्लैट नंबर 640, एशियाड विलेज, नई दिल्ली- को बंधक रखकर और (ख) हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्य रकमों के आधार पर समरूप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है, इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 24 सितंबर, 2010 को संयुक्त मालबंधन करार के आधार पर विस्ट्रा आईटीसीएल (भारत) लिमिटेड (जिसे पहले आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड नाम से जाना जाता था।) को मालबंधित रखकर प्राप्त होने वाली राशि शामिल नहीं है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखलाएं 122 वर्तमान और भावी दोनों जारीकर्ता के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत हैं, जो दूसरे साहूकारों/न्यासियों पर प्रभारित हैं तथा जैसा भी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सेवा लि. के पक्ष में सभी मदों पर बकाया बॉण्डों की समग्र अंकित मूल्य राशि के एक बारगी न्यूनतम प्रतिभूति बीमा के साथ डिबेंचर/बॉण्ड ट्रस्ट सह मालबंधन विलेख की शर्तों के अनुपालन में निर्गमकर्ता और न्यासी के बीच सहमति हुई हो।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखलाएं 123- I, 123- I I Iबी, विशिष्ट अचल संपत्ति तथा जारीकर्ता के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार पर प्रभारित करने के रूप में प्रतिभूत हैं, जो दूसरे साहूकारों/न्यासियों पर प्रभारित हैं तथा जैसा भी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सेवा लि. के पक्ष में सभी मदों पर बकाया बॉण्डों की समग्र अंकित मूल्य राशि के एक बारगी न्यूनतम प्रतिभूति बीमा के साथ बॉण्ड ट्रस्ट विलेख की शर्तों के अनुपालन में निर्गमकर्ता और न्यासी के बीच सहमति हुई हो।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए कर-मुक्त बॉण्ड, शॉप नं. 12, भूतल, ब्लॉक नं. 35, चर्च रोड, माइलापोर, चेन्नई में परिसरों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं और विस्ट्रा आईटीसीएल (भारत) लिमिटेड (जिसे पहले आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड नाम से जाना जाता था।) के पक्ष में एमएसईडीसीएल के ₹ 4,998.66 करोड़ रूपए की प्राप्यों पर मालबंधन हैं।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड एसबीआई कैप न्यासी कंपनी लि. के पक्ष में कंपनी के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं (उनसे भिन्न जो विशेष रूप से साहूकारों/अन्य न्यासियों के लिए प्रभारित/निर्दिष्ट हैं)।

वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान जारी किए गए 54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड की श्रृंखला X,XI और XII तथा कर मुक्त बॉण्ड (क) सब प्लाट नं. 8, टीपीएस सं. 2, एफपी सं. 584पी, जो गांव सुभानपुरा, जिला बड़ोदरा में स्थित है, परिसर के मार्टगेज और (ख) एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि. के पक्ष में प्राप्यों पर मालबंधन हैं (उनसे भिन्न जो विशेष रूप से साहूकारों /अन्य न्यासियों के लिए प्रभारित/निर्दिष्ट हैं)। पर समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया के आवधिक ऋणों को हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्य रकमों के आधार पर समरूप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 24 सितंबर, 2010 को संयुक्त मालबंधन करार के आधार पर विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड) को मालबंधित रखकर प्राप्त होने वाली राशि शामिल नहीं है।

प्रतिभूति के रूप में प्रतिज्ञापित प्राप्यों और संपत्ति, संयंत्र तथा संयंत्र एवं उपस्कर (पीपीई) के वहनीय मूल्य के लिए टिप्पणी 9 एवं 16.2 का संदर्भ लें।

22 अधीनस्थ देयताएं

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
		अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(i)	**175वीं श्रृंखला- अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स -** 8.97% सममूल्य पर 28.03.2029 को विमोचनीय	**2,151.20**	**2,151.24**	-	-	-	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
		अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(ii)	**115वीं श्रृंखला- अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स -** 8.06% सममूल्य पर 31.05.2023 को विमोचनीय	**2,500.00**	**2,667.52**	2,500.00	2,667.36	2,500.00	2,667.21
	जोड़ - अधीनस्थ देयताएं	**4,651.20**	**4,818.76**	**2,500.00**	**2,667.36**	**2,500.00**	**2,667.21**
	भारत के बाहर / में अधीनस्थ देयताएं						
(i)	भारत में उधारियाँ	**4,651.20**	**4,818.76**	2,500.00	2,667.36	2,500.00	2,667.21
(ii)	भारत के बाहर उधारियाँ	**-**	**-**	-	-	-	-
	जोड़ - अधीनस्थ देयताएं	**4,651.20**	**4,818.76**	**2,500.00**	**2,667.36**	**2,500.00**	**2,667.21**

22.1 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग तथा वर्ष के दौरान रेटिंग में बदलाव

घरेलू क्रेडिट रेंटिंग

विवरण	दीर्घावधि दरें	अल्पावधि दरें
क्रिसिल	क्रिसिल एएए	क्रिसिल ए1+
इक्रा	इक्रा एएए	इक्रा ए1+
केयर	केयर एएए	केयर ए1+
इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च	आईएनडी एएए	इंड ए1+

अंतराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

विवरण	रेटिंग	आउटलुक
फिच रेंटिंग	बीबीबी-	स्थिर
मूडीज	बीएए3	स्थिर

वर्ष के दौरान रेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

22.2 उधारियों के संबंध में वहनीय मूल्य और बकाया वास्तविक राशि के बीच सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण प्रतिभूतियां	अन्य उधारियां	अधीनस्थ देयताएं	कुल
31 मार्च 2019 के अनुसार				
भारतीय- लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	**192,767.51**	**46,662.54**	**4,818.76**	**244,248.81**
घटाएं: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	**(6,060.00)**	**(207.10)**	**(169.96)**	**(6,437.06)**
घटाएं: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत वित्तीय लीज बाध्यताएं	**-**	**(0.11)**	**-**	**(0.11)**

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण प्रतिभूतियां	अन्य उधारियां	अधीनस्थ देयताएं	कुल
31 मार्च 2019 के अनुसार				
जोड़ें: प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर अंतरण लागत के संबंध में भारतीय- लेखांकन मानक समायोजन	**1,146.37**	**255.49**	**2.40**	**1,404.26**
कुल बकाया उधारियां	**187,853.88**	**46,710.82**	**4,651.20**	**239,215.90**
31 मार्च 2018 के अनुसार				
भारतीय- लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	179,067.85	22,631.42	2,667.36	204,366.63
घटाएं: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(5,834.24)	(84.64)	(168.38)	(6,087.26)
घटाएं: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत वित्तीय लीज बाध्यताएं	-	(0.11)	-	(0.11)
जोड़ें: प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर अंतरण लागत के संबंध में भारतीय- लेखांकन मानक समायोजन	260.90	179.86	1.02	441.78
कुल बकाया उधारियां	**173,494.51**	**22,726.53**	**2,500.00**	**198,721.04**
01 अप्रैल 2017 के अनुसार				
भारतीय- लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	148,650.96	21,700.17	2,667.21	173,018.34
घटाएं: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर उपचित ब्याज	(5,633.30)	(101.81)	(168.38)	(5,903.49)
घटाएं: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत वित्तीय लीज बाध्यताएं	-	(0.13)	-	(0.13)
जोड़ें: प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर अंतरण लागत के संबंध में भारतीय- लेखांकन मानक समायोजन	98.74	232.32	1.17	332.23
कुल बकाया उधारियां	**143,116.40**	**21,830.55**	**2,500.00**	**167,446.95**

23 अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(क) **अप्रदत्त लाभांश**	**4.15**	3.49	2.75
(ख) **वापसी योग्य बॉण्ड आवेदन राशि तथा इस पर उपचित ब्याज**	**0.05**	-	-
(ग) **अप्रदत्त मूलधन एवं बॉण्डों पर ब्याज**			
-परिपक्व बॉण्ड एवं उन पर उपचित ब्याज	**39.52**	47.03	51.54
-बॉण्डों पर ब्याज	**15.91**	14.27	15.19
उप-जोड़ (ग)	**55.43**	**61.30**	**66.73**
(घ) **सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (संचयी)**	**77,717.88**	57,141.98	46,154.67
जोड़ें: सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज (वापसी का निवल)	**42.57**	24.41	2.18
घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित (संचयी)	**(76,903.42)**	(56,699.84)	(46,131.01)

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
	सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधि	**857.03**	**466.55**	**25.84**
(च)	**भारत सरकार द्वारा पूर्णतया सेवा प्रदत्त बॉण्ड्स हेतु देय**	**17,996.06**	4,007.17	-
(छ)	**निधिपोषित कार्मिक हितलाभों के लिए देय राशियां**	**31.78**	2.84	13.63
(ज)	**अन्य देयताएं**	**282.57**	161.70	151.13
	जोड़ (क से ज तक)	**19,227.07**	**4,703.05**	**260.08**

23.1 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत सब्सिडी:

कंपनी एक ब्याज संबंधी सब्सिडी निधि खाते का रखरखाव कर रही है तथा उसे पात्र योजनाओं की वास्तविक प्रतिदेय समय अनुसूची, ऋण स्थगन वर्ष और प्रतिदेय अवधि की परवाह किए बिना भारत सरकार के पत्र सं. अ.शा. 32024/17/97-पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा ओ.एम.सं. 32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों एवं वर्ष के अनुसार परिकल्पित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एवं एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण हेतु) दी गयी थी। आहरण के समय विचार में ली गयी विनिर्दिष्ट दर एवं वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.63 करोड़ (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.53 करोड़, 1 अप्रैल 2017 के अनुसार ₹ 0.86 करोड़) की निवल राशि ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि को निरूपित करती है, जिसे त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के लिए दी जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक शेष	**0.53**	0.86
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	**0.11**	0.02
घटाएं: उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी सहायता	**0.01**	0.35
ब्याज सब्सिडी निधि का वर्ष के अंत में शेष	**0.63**	0.53

23.2 भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के क्रियान्वयन के लिए आरईसी लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों का संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों पृथक बैंक खाते में रखी जाती है। स्कीम (पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों सहित) की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित शीर्ष "अन्य चालू देयताएं" के तहत "असंवितरित सब्सिडी/अनुदान" के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई के खाते में ₹ 25.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹18.15 करोड़) की अर्जित ब्याज सब्सिडी जमा की गयी है। इसके अलावा वर्ष के दौरान विद्युत मंत्रालय को सब्सिडी पर कुल ब्याज में से ₹ 23.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 10.33 करोड़) की राशि वापस की गई है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

23.3 वर्ष की सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
आरंभिक शेष	**24.41**	2.18
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित व्यय	**93.70**	33.77
घटाएं: वर्ष के दौरान सरकार को वापस की गई राशि	**75.53**	11.32
घटाएं: एजी एवं एसपी अनुदान के खाते पर अर्जित ब्याज में से संवितरण	**0.01**	0.22
वर्ष के अंत में शेष	**42.57**	24.41

23.4 वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई स्कीम के लिए भारत सरकार की निधियन आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर सममूल्य ₹ 10 लाख के अंकित मूल्य के डिबेंचर के रूप में अप्रतिभूत, विमोचन, अपरिवर्तनीय, कर योग्य बॉण्ड के माध्यम से कुल रू 13,827 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4,000 करोड़) राशि जुटाई गई है। दिनांक 16 जुलाई, 2018 और 19 जुलाई 2018 को विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के पत्र के अनुसार उपर्युक्त बॉण्ड के मूल और ब्याज के अदायगी, विद्युत मंत्रालय की मांग पर भारत सरकार द्वारा बजट प्रावधान में की जाएगी । तदनुसार ब्याज के साथ-साथ इस प्रकार के बॉण्ड की राशि भी कंपनी द्वारा भारत सरकार से वसूली योग्य राशि के रूप में शामिल की गई है।

भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवाप्रदत्त जुटाये गए बॉण्ड्स का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	कूपन दर	ब्याज की आवृत्ति	विमोचन का दिनांक	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
जीओआई - I श्रृंखला	8.09%	अर्द्ध- वार्षिक	21/03/2028	**1,837.00**	1,837.00	-
जीओआई -II श्रृंखला	8.01%	अर्द्ध- वार्षिक	24/03/2028	**1,410.00**	1,410.00	-
जीओआई -III श्रृंखला	8.06%	अर्द्ध-वार्षिक	27/03/2028	**753.00**	753.00	-
जीओआई -IV श्रृंखला	8.70%	अर्द्ध- वार्षिक	28/09/2028	**3,000.00**	-	-
जीओआई -V श्रृंखला	8.54%	अर्द्ध- वार्षिक	15/11/2028	**3,600.00**	-	-
जीओआई -VI श्रृंखला	8.80%	अर्द्ध-वार्षिक	22/01/2029	**2,027.00**	-	-
जीओआई -VII श्रृंखला	8.60%	अर्द्ध- वार्षिक	08/03/2029	**1,200.00**	-	-
जीओआई - VIII श्रृंखला	8.30%	अर्द्ध- वार्षिक	25/03/2029	**4,000.00**	-	-
जोड़				**17,827.00**	**4,000.00**	**-**

राशियों को अंकित मूल्यों पर दर्शाया गया है।

24 चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
आयकर के लिए प्रावधान	**-**	27.32	40.95
घटाएं: अग्रिम आय-कर एवं टीडीएस	**-**	(26.81)	(40.40)
चालू कर देयताएं (निवल)	**-**	**0.51**	**0.55**

समेकित लेखा टिप्पणियां

25 प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
	निम्न के लिए प्रावधान			
(क)	**कार्मिक हितलाभ**			
	अर्जित अवकाश देयता	**11.80**	10.17	31.25
	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	**-**	105.19	97.15
	चिकित्सा अवकाश देयता	**21.67**	19.77	19.27
	निपटान भत्ता	**1.42**	1.24	1.27
	आर्थिक पुनर्वास योजना	**3.69**	3.34	3.45
	दीर्घ सेवा अवार्ड	**1.24**	2.57	2.83
	प्रोत्साहन	**46.99**	19.19	20.34
	वेतन पुनर्निर्धारण	**13.06**	58.90	14.59
	लॉयल्टी बोनस	**0.37**	0.21	0.15
	उप-जोड़ (क)	**100.24**	**220.58**	**190.30**
(ख)	**अन्य**			
	सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	**-**	0.16	23.97
	उप-जोड़ (ख)	**-**	**0.16**	**23.97**
	जोड़ (क + ख)	**100.24**	**220.74**	**214.27**

26 अन्य गैर - वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(क)	अग्रिम रूप से प्राप्त आय	**2.63**	5.27	8.41
(ख)	संड्री देयताओं का लेखा (ब्याज पूंजीकरण)	**21.99**	45.99	-
(ग)	असंवितरित ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	**25.76**	10.10	6.50
(घ)	भारत सरकार की तरफ से सरकारी योजनाओं के संबंध में अग्रिम प्राप्य	**16.20**	4.53	2.51
(च)	सांविधिक देय	**37.31**	44.43	31.26
(छ)	अन्य देयताएं	**0.71**	0.01	-
	जोड़ (क से छ)	**104.60**	**110.33**	**48.68**

समेकित लेखा टिप्पणियां

27 इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत:						
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	**5,000,000,000**	**5,000.00**	5,000,000,000	5,000.00	5,000,000,000	5,000.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त:						
प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर	**1,974,918,000**	**1,974.92**	1,974,918,000	1,974.92	1,974,918,000	1,974.92
योग	**1,974,918,000**	**1,974.92**	**1,974,918,000**	**1,974.92**	**1,974,918,000**	**1,974.92**

27.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का सामंजस्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19		वित्तीय वर्ष 2017-18	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
वर्ष के प्रारंभ में पूंजीगत शेयरों की संख्या	**1,974,918,000**	**1,974.92**	1,974,918,000	1,974.92
जोड़े: वर्ष के दौरान जारी एवं आबंटित बोनस शेयर	**-**	**-**	-	-
वर्ष के अंत में पूंजीगत शेयरों की संख्या	**1,974,918,000**	**1,974.92**	**1,974,918,000**	**1,974.92**

27.2 पिछले वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान बोनस शेयरों का आबंटन

वित्तीय वर्ष 2016-17 को छोड़कर, जब कंपनी ने बोनस शेयरों के द्वारा पूर्णतया प्रदत्त के रूप में 98,74,59,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए थे, पिछल वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी बोनस शेयर जारी नहीं किया गया था।

27.3 कंपनी ने नकद में प्राप्त किए जा रहे भुगतान के बिना ठेके के अनुसरण में न तो कोई इक्विटी शेयर जारी किया है और न ही वर्तमान वर्ष और तुलन-पत्र की तिथि के पूर्व के पांच वर्षों में शेयरों की कोई बायबैक की है।

27.4 इक्विटी शेयर के अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध

कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें आनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को, कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों (लागू सीमा में), कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और संस्था के ज्ञापन तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त हैं।

27.5 तुलन पत्र की तिथि के अनुसार पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारक:

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

शेयरधारकों के नाम	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
भारत के राष्ट्रपति	**-**	**0.00%**	1,151,678,783	58.32%	1,162,504,472	58.86%
पावर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	**1,039,495,247**	**52.63%**	95,904	0.00%	95,904	0.00%
एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि. ए/सी एचडीएफसी हाइब्रिड ऋण निधि	**114,683,937**	**5.81%**	46,084,438	2.33%	34,722,538	1.76%
भारतीय जीवन बीमा निगम	**54,913,706**	**2.78%**	55,151,984	2.79%	126,322,504	6.40%

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत के राष्ट्रपति ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए कंपनी की निम्न शेयरधारिता का विनिवेश/बिक्री की।

विवरण	अवधि	शेयरों की संख्या	प्रतिशतता
01.04.2018 की स्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की होल्डिंग		1,151,678,783	58.32%
भारत 22 ईटीएफ के जरिए विनिवेश	जून 2018	(6,473,244)	-0.33%
सीपीएसई 22 ईटीएफ फर्दर फंड ऑफर(एफएफओ 3) के जरिए विनिवेश	दिसंबर 2018	(101,470,139)	-5.14%
भारत 22 ईटीएफ अतिरिक्त ऑफरिंग पीरियड (एओपी) के जरिए विनिवेश	फरवरी 2019	(4,336,057)	-0.22%
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड को स्टेक की बिक्री	मार्च 2019	(1,039,399,343)	-52.63%
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रपति होल्डिंग		-	0.00%

27.6 अनुषंगी और संबद्ध कंपनियों सहित होल्डिंग कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	**1,039,495,247**	**52.63%**	95,904	0.00%	95,904	0.00%

28 अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(क) **अन्य आरक्षित निधि**			
(i) प्रतिभूति प्रीमियम	**2,236.54**	2,236.54	2,236.54
(ii) डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि	**1,318.13**	1,121.54	924.95
(iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	**15,136.78**	13,813.19	12,230.70

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(iv)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	**3,034.72**	2,761.10	2,425.30
(v)	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अधीन आरक्षित निधि	**1,153.00**	-	-
(vi)	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता	**(764.82)**	(86.29)	203.78
(vii)	सामान्य आरक्षित निधि	**5,230.54**	5,230.54	4,730.54
(ख)	**बरकरार रखा गया अर्जन**	**5,088.19**	5,344.37	5,900.84
(ग)	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**			
	इक्विटी मेथड हेतु लेखाकृत संयुक्त उपक्रमों के अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर	**1.46**	1.46	-
	-अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतें	**136.88**	190.24	181.86
	जोड़ - अन्य इक्विटी	**32,571.42**	**30,612.69**	**28,834.51**

'अन्य इक्विटी' के घटक में जोड़ या कटौती का प्रकटन 'इक्विटी में परिवर्तन के विवरण' में किया गया है।

28.1 आरक्षित निधि से ड्रॉ-डाउन

2018-19 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 को समाप्त वर्ष के दौरान रिजर्व से कोई धनराशि आहरित नहीं की गई है।

28.2 प्रतिभूति प्रीमियम

प्रतिभूत प्रीमियम कंपनी द्वारा शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है। इसका प्रयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

28.3 ऋण विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71(4) के उपबंधों के अनुसार, जिसे कारपोरेट कार्यालय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर्स) नियम, 2014 के अंतर्गत और स्पष्ट किया गया है, कंपनी ने ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता अवधि के दौरान, वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2008 के अनुसार पब्लिक इश्यू के माध्यम से डिबेंचरों के मूल्य के 25% तक डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) सृजित की है तथा निजी रूप से प्रतिस्थापित डिबेंचरों के मामले में डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि अपेक्षित नहीं है। डीआरआर में जमा राशि को डिबेंचर को रिडीम करने अतिरिक्त उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। डिबेंचर को रिडीम करने पर यह राशि डीआरआर से बरकरार रखे गए अर्जन में अंतरित की जाएगी।

28.4 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता

कंपनी ने पूर्व में लागू लेखांकन मानक 11 "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों का प्रभाव" के पैरा 46ए के अनुसार ऐसी मदों की शेष अवधि की तुलना में दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विदेशी विनिमय उतार-चढ़ाव हानि/लाभ को परिशोधित करने के लिए एक ऐसे विकल्प को चुना है जिसे रद्द नहीं किया जा सकता है। भारतीय लेखांकन मानक 101 किसी कंपनी को पूर्व के जीएएपी के अनुसार पहली भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय संसूचन अवधि के आरंभ होने के तत्काल पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के लिए वित्तीय विवरणी में मान्यता प्राप्त दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के अंतरण के कारण होने वाले विनिमय अंतरों के लिए लेखांकन हेतु अपनाई गई नीति को जारी रखने की अनुमति देता है। इस खाते में शेष राशि अपरिशोधित लाभ (हानि) को दर्शाता है जिसका परिशोधन पात्र दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयताओं की शेष अवधि के दौरान किया जाएगा।

समेकित लेखा टिप्पणियां

28.5 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, कंपनी दीर्घावधि वित्तीय क्रियाकलाप से प्राप्त होने वाले लाभ का अधिकतम 20 प्रतिशत तक कटौती के लिए पात्र है बशर्ते ऐसी राशि का अंतरण तथा उसे विशेष रिजर्व खाते में अंकित किया गया हो।

28.6 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए रिजर्व, कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अनुसार कंपनी आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय का अधिकतम पांच प्रतिशत तक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी प्रावधान/रिजर्व के संबंध में कटौती प्राप्त करने के लिए पात्र है। इस प्रकार से रखे गए रिजर्व का प्राथमिक रूप से उपयोग वास्तविक अशोध्य ऋण अथवा उसके किसी हिस्से के समायोजन के लिए किया जाएगा।

28.7 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत रिजर्व निधि

वित्तीय वर्ष 2017-18 तक, एक सरकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के कारण इस कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत यथाउल्लिखित रिजर्व निधि का सृजन करने और उसे रखने से छूट प्राप्त थी। हालांकि, उक्त छूट को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अधिसूचना संख्या डीएनबीआर (पीडी) सीसी नं. 092/03.10.001/2017-18 दिनांक 31 मई, 2018 की अधिसूचना के माध्यम से वापस ले लिया गया था। तद्नुसार, कंपनी अब आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत यथाअपेक्षित रिजर्व निधि सृजित कर रही है जिसमें प्रत्येक वर्ष निवल लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत लाभांश की घोषणा किए जाने से पूर्व अंतरित किया जाएगा। सिर्फ उस उद्देश्य जिसका उल्लेख बैंक द्वारा समय-समय पर किया जाए, को छोड़कर रिजर्व निधि से कोई विनियोजन किए जाने की अनुमति नहीं दी गई है और इसके अलावा इस प्रकार का कोई विनियोजन भी इसे वापस लिए जाने की तिथि से 21 दिनों के भीतर बैंक को सूचित किया जाना अपेक्षित है।

28.8 सामान्य रिजर्व

कंपनी अधिनियम, 1956 के पूर्व के प्रावधानों को देखते हुए, कंपनी ने लाभांश की घोषणा के पूर्व सामान्य रिजर्व में इन लाभों का कुछ प्रतिशत अंतरित किया था। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 लाभांश की घोषणा किए जाने के पूर्व सामान्य रिजर्व में लाभों को अंतरित करने का अधिकार नहीं देता है।

28.9 अन्य व्यापक आय (ओसीआई)

कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी प्रतिभूति में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों की पहचान करने के लिए चयन किया है। इन परिवर्तनों को इक्विटी के भीतर अन्य व्यापक आय रिजर्व में संचित किया जाता है। यह समूह इस रिजर्व से धारित आय में राशियों का तब अंतरण करता है जब संबंधित इक्विटी प्रतिभूति की मान्यता समाप्त की जाती है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

28.10 कंपनी द्वारा प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयरों के लिए प्रस्तावित/घोषित लाभांश

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	
	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (₹)	लाभांश राशि (₹ करोड़ में)	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (₹)	लाभांश राशि (₹ करोड़ में)
अंतरिम लाभांश	**11.00**	**2,172.41**	7.40	1,461.44
अंतिम प्रस्तावित लाभांश	**-**	**-**	1.75	345.61
वर्ष के लिए कुल लाभांश	**11.00**	**2,172.41**	**9.15**	**1,807.05**

भारतीय लेखांकन मानक 10 की अपेक्षाओं के अनुसार 'संसूचन अवधि के बाद की घटनाएं', इस कंपनी को वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात निदेशक बोर्ड द्वारा प्रस्ताव किए गए लाभांश के लिए प्रावधान करने हेतु अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार का विनियोजन अंतिम लाभांश के मामले में वार्षिक आम सभा (एजीएम) में अनुमोदन के पश्चात किया जाता है। लाभांश वितरण कर के प्रभाव सहित अंतिम प्रस्तावित लाभांश के कारण कुल भुगतान नीचे दिया गया है:

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
अंतिम प्रस्तावित लाभांश	**-**	345.61
अंतिम प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	**-**	71.04
अंतिम प्रस्तावित लाभांश के कारण कुल पेआउट	**-**	**416.65**

29 ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष			31.03.2018 को समाप्त वर्ष		
	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्यों पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्यों पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर
(क) ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज						
(i) दीर्घावधि वित्तपोषण	**-**	**24,405.17**	**-**	-	21,386.39	-
घटाएं: समय पर अदायगी/ कार्य पूरा करने आदि के लिए छूट	**-**	**(6.11)**	**-**	-	(16.43)	-
दीर्घावधि वित्तपोषण (निवल)	**-**	**24,399.06**	**-**	-	21,369.96	-
(ii) अल्पावधि वित्तपोषण	**-**	**328.84**	**-**	-	426.61	-
उप-जोड़ (क)	**-**	**24,727.90**	**-**	**-**	**21,796.57**	**-**

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष			31.03.2018 को समाप्त वर्ष		
	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्यों पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्यों पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर
(ख) निवेशों पर ब्याज आय						
(i) सीपी/ आईसीडी पर ब्याज	-	0.67	-	-	0.98	-
(ii) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	-	9.43	-	-	16.98	-
(iii) दीर्घावधि निवेशों पर ब्याज	-	15.63	168.25	-	29.41	168.25
(iv) कर मुक्त बॉण्ड पर ब्याज	-	2.38	-	-	2.37	-
उप-जोड़ (ख)	-	28.11	168.25	-	49.74	168.25
(ग) बैंकों के पास जमाओं पर ब्याज						
(i) डिपॉजिट पर ब्याज	-	51.81	-	-	74.39	-
उप-जोड़ (ग)	-	51.81	-	-	74.39	-
(घ) अन्य आय पर ब्याज						
(i) आयकर वापसी पर ब्याज	-	-	-	-	0.62	-
(ii) कार्मिकों को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज	-	3.89	-	-	4.33	-
(iii) मोबलाइजेशन अग्रिमों पर ब्याज	-	2.80	-	-	3.68	-
(iv) अनविन्डिंग ऑफ डिस्काउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स	-	0.09	-	-	0.07	-
(v) एसपीवी पर ब्याज	-	0.77	-	-	0.66	-
उप-जोड़ (घ)	-	7.55	-	-	9.36	-
जोड़ (क से घ)	-	24,815.37	168.25	-	21,930.06	168.25

समेकित लेखा टिप्पणियां

30 लाभांश आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
-दीर्घावधि निवेशों से लाभांश	**20.38**	26.85
कुल लाभांश	**20.38**	**26.85**

30.1 एफवीओसीआई में नामोद्दिष्ट इक्विटी निवेशों पर मान्य लाभांश का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
निम्न पर लाभांश:		
-वर्ष के अंत में धारित निवेशों पर	**20.14**	26.85
-वर्ष के दौरान अमान्य किए गए निवेशों पर	**0.24**	-
जोड़	**20.38**	**26.85**

31 शुल्क एवं कमीशन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
शुल्क आधारित आय	**2.78**	5.19
पूर्व अदायगी प्रीमियम	**139.29**	106.41
सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शुल्क	**83.02**	187.79
जोड़- शुल्क एवं कमीशन आय	**225.09**	**299.39**

32 सेवा की बिक्री

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग सर्विसेज	**149.72**	210.38
आईटी कार्यान्वयन परियोजनाओं का निष्पादन	**19.42**	16.08
प्रलेखन शुल्क	**0.79**	0.59
कुल	**169.93**	**227.05**

समेकित लेखा टिप्पणियां

33 अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
-रिटेन बैक प्रावधान /देयताएं	**10.83**	0.71
-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमो से शुल्क	**8.69**	6.85
-विविध आय	**12.79**	7.23
जोड़	**32.31**	**14.79**

34 वित्तीय लागतें

वित्तीय लागतें वित्तीय देयताओं पर खर्च की गई हैं और इनका मापन परिशोधित लागत पर किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
(i) **ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज**		
-घरेलू ऋण प्रतिभूतियां	**12,965.67**	11,895.66
-विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां	**441.83**	124.01
-वाणिज्यिक दस्तावेज	**402.84**	135.60
उप-जोड़ (i)	**13,810.34**	**12,155.27**
(ii) **उधारियों पर ब्याज**		
-भारत सरकार से ऋण	**121.84**	-
-बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण	**594.30**	87.35
-बाह्य वाणिज्यिक दस्तावेज	**914.19**	888.11
उप-जोड़ (ii)	**1,630.33**	**975.46**
(iii) **अधीनस्थ देयताओं पर ब्याज**		
-अधीनस्थ बॉण्ड	**203.25**	201.65
उप-जोड़ (iii)	**203.25**	**201.65**
(iv) **अन्य ब्याज व्यय**		
-आय कर पर ब्याज	**3.70**	5.68
-विविध ब्याज व्यय	**2.95**	1.20
उप-जोड़ (iv)	**6.65**	**6.88**
जोड़ - वित्तीय लागतें	**15,650.57**	**13,339.26**
घटाएः पूंजीकृत वित्तीय लागत	**(11.37)**	(6.32)
जोड़- वित्तीय लागतें (निवल)	**15,639.20**	**13,332.94**

समेकित लेखा टिप्पणियां

35 निवल ट्रांसलेशन / लेन-देन विनिमय हानि / (लाभ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
निवल ट्रांसलेशन / लेन-देन विनिमय हानि / (लाभ)	**521.19**	19.37
जोड़	**521.19**	**19.37**

35.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड) की संदर्भ दरों पर अंतरित की जाती हैं अथवा जहां एफबीआईएल संदर्भ दरें किसी मुद्रा के लिए उपलब्ध न हों, वहां ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसी दर के लिए अंतिम दर पर अंतरित की जाती है। रिपोर्ट करने की तारीख को संबंधित दरें निम्नलिखितानुसार हैं:

विनिमय दरें	यूएसडी / आईएनआर	जेपीआई/ आईएनआर	यूरो/ आईएनआर
31 मार्च 2019 के अनुसार	**69.1713**	**0.6252**	**77.7024**
31 मार्च 2018 के अनुसार	65.0441	0.6154	80.6222
1 अप्रैल 2017 के अनुसार	64.8386	0.5796	69.2476

* एफबीआईएल संदर्भ दरों की शुरुआत से पहले, कंपनी द्वारा आरबीआई की संदर्भ दरों का उपयोग किया जा रहा था। आरबीआई ने 10 जुलाई, 2018 से यूएसडी/आईएनआर के लिए संदर्भ दरों की गणना और प्रसार तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर का दायित्व एफबीआईएल को सौंप दिया है।

36 शुल्क एवं कमीशन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
(i) गारंटी शुल्क	**11.06**	13.81
(ii) सूचीकरण एवं ट्रस्टीशिप शुल्क	**1.67**	1.54
(iii) एजेंसी शुल्क	**0.78**	1.65
(iv) क्रेडिट रेटिंग व्यय	**2.85**	5.95
(v) अन्य वित्तीय प्रभार	**18.02**	1.63
जोड़ (i से iv)	**34.38**	**24.58**

37 उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल प्राप्ति/ (हानि)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
(क) लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय उपस्करों पर निवल प्राप्ति/ (हानि)		
(i) ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर	**-**	-
(ii) लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट वित्तीय उपस्करों पर		

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
-व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तन	(351.52)	(586.76)
-म्यूचुअल फंड में अतिरिक्त निधि के अल्पावधि निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन	3.00	13.39
उप-जोड़ (ii)	(348.52)	(573.37)
जोड़ (क)	(348.52)	(573.37)
उचित मूल्य परिवर्तनों का ब्यौरा		
-वसूली की गयी	(619.05)	(817.51)
-वसूली नहीं की गयी	270.53	244.14
उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल प्राप्ति/ (हानि)	(348.52)	(573.37)

*इस सिड्यूल में उचित मूल्य परिवर्तन उनसे अलग हैं, जिनकी उपज उपचित ब्याज आय/व्यय के कारण हुई हैं।

38 वित्तीय लिखतों पर हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	
	फवीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर	फवीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर
(i) - ऋण	-	222.32	-	2,290.43
(ii) - अन्य	-	21.17	-	10.10
जोड़ (i + ii)	-	243.49	-	2,300.53

39 प्रदान की गई सेवाओं की लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
परियोजना व्यय	85.15	119.8
जोड़	85.15	119.8

40 उपभोग की गयी सामग्री की लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
आईटी - हार्डवेयर	-	7.95
जोड़	-	7.95

समेकित लेखा टिप्पणियां

41 अंतिम रूप से तैयार वस्तुओं एवं प्रगति के अधीन कार्यों की इन्वेंट्रीज में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
आरंभिक स्टॉक		
प्रगति के अधीन कार्य	-	0.04
	-	0.04
शेष स्टॉक		
प्रगति के अधीन कार्य	-	-
	-	-
स्टॉक में परिवर्तन	-	0.04
जोड़	**-**	**0.04**

42 कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
- वेतन और भत्ते	**130.70**	139.82
- भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	**14.93**	14.18
- उपदान	**2.89**	1.63
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा संबंधी व्यय	**8.81**	9.24
-कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा संबंधी किराया	**0.69**	1.64
- कार्मिक कल्याण व्यय	**19.35**	17.53
जोड़	**177.37**	**184.04**

42.1 कार्मिकों के आवासीय निवास के लिए किराए के आवासों, जो कार्मिकों के आवासीय प्रयोग के लिए, लिए उपयोग में लाए जाते हैं, और सामान्यतः पारस्परिक सहमति की शर्तों पर नवीकरणीय हैं तथा रद्द किए जा सकते हैं, के लिए पट्टा व्यवस्था पर किराये (निवल वसूलियों) के निमित्त हैं।

42.2 कंपनी के कार्मिकों का वेतन निर्धारण

कंपनी के कार्मिकों का वेतन निर्धारण 1 जनवरी 2017 से लंबित था। कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा गठित तीसरे वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालक स्तर के कार्मिकों के वेतनमान में संशोधन को क्रियान्वित कर दिया था। इसके अलावा, गैर- कार्यपालक कार्मिकों के वेतन संशोधन को भी मार्च 2019 में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और इस संबंध में बकाया राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कर जाएगा।

समेकित लेखा टिप्पणियां

43 मूल्यह्रास एवं परिशोधन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
- संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर पर मूल्यह्रास	**6.77**	6.29
- मूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन	**1.52**	0.64
जोड़	**8.29**	**6.93**

44 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
- प्रत्यक्ष व्यय	**99.93**	48.16
- ओवरहेड्स	**4.56**	2.78
जोड़	**104.49**	**50.94**

44.1 सीएसआर व्यय के संबंध में प्रकटीकरण :

(क) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 को समाप्त वर्ष			31.03.2018 को समाप्त वर्ष		
		नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल
(i)	**किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण**	**-**	**-**	**-**	-	-	-
(ii)	**उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजन पर**						
	स्वच्छता/अपशिष्ट प्रबंधन/पेयजल	**0.44**	**-**	**0.44**	-	-	-
	शिक्षा/व्यावसायिक/कौशल विकास	**0.13**	**-**	**0.13**	0.90	-	0.90
	पर्यावरणीय संधारणीयता (सौर अनुप्रयोग/वनीकरण/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	**98.83**	**-**	**98.83**	45.86	0.81	46.67
	खेल-कूद	**0.06**	**-**	**0.06**	0.24	-	0.24
	अन्य	**0.47**	**-**	**0.47**	0.35	-	0.35
	प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक ऊपरी खर्चे	**4.56**	**-**	**4.56**	2.78	-	2.78
	जोड़ (ii)	**104.49**	**-**	**104.49**	**50.13**	**0.81**	**50.94**

समेकित लेखा टिप्पणियां

45 अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
- यात्रा एवं वाहन सुविधा	**17.05**	14.88
- प्रचार एवं प्रोन्नति व्यय	**83.22**	9.27
- मरम्मत और अनुरक्षण	**7.81**	10.01
-किराया, दरें एवं ऊर्जा लागतें	**17.55**	15.41
-बीमा प्रभार	**0.05**	0.16
-संप्रेषण लागत	**2.72**	2.62
-प्रिंटिंग और स्टेशनरी	**4.11**	3.44
-निदेशकों के बैठक शुल्क	**0.24**	0.18
-लेखा परीक्षकों का शुल्क एवं व्यय	**1.63**	1.29
-विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	**10.10**	5.99
-डोनेशन	**2.00**	-
-संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के निपटान पर निवल हानि	**0.86**	0.56
-मॉनिटरिंग व्यय	**10.85**	13.11
-विविध व्यय	**30.57**	22.13
जोड़	**188.76**	**99.05**

45.1 लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय के संबंध में प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिया गया शुल्क:		
-लेखापरीक्षक के रूप में	**0.48**	0.43
-कराधान मामलों के लिए*	**0.29**	0.12
-कंपनी के कानूनी मामलों के लिए (सीमित समीक्षा शुल्क सहित)	**0.45**	0.26
-अन्य सेवाओं के लिए	**-**	-
(i) एमटीएन ऑफर दस्तावेज/कम्फर्ट लेटर का प्रमाणन	**0.20**	0.30
(ii) अन्य प्रमाणन	**0.08**	0.06
-व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	**0.03**	0.02
उप-जोड	**1.53**	**1.19**
लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क के संबंध में गैर-वसूली योग्य कर जमा	**0.10**	0.10
जोड़	**1.63**	**1.29**

समेकित लेखा टिप्पणियां

*पिछले वर्षों से संबंधित कर लेखापरीक्षा शुल्क ₹ 0.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.02 करोड़) शामिल है।

46 कर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
- चालू कर व्यय	**1,826.51**	2,204.57
- पिछले वर्षों से संबंधित चालू कर व्यय/ (लाभ)	**(13.28)**	10.86
उप-जोड़ - चालू कर	**1,813.23**	**2,215.43**
-आस्थगित कर व्यय /(क्रेडिट)	**535.83**	(708.43)
जोड़	**2,349.06**	**1,507.00**

46.1 प्रभावी कर दर का सामंजस्य

लाभ एवं हानि विवरण में सूचित किए गए आय कर व्यय की सांविधिक आय कर दर पर अनुमानित आय कर व्यय का पुनर्समाधान निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	**8,090.44**	5,957.52
सांविधिक आयकर व्यय	**34.944%**	**34.608%**
प्रत्याशित आय कर व्यय	**2,827.13**	2,061.78
आय कर समायोजनों का कर प्रभाव:		
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती के लाभ	**(462.51)**	(542.45)
सीएसआर व्यय की अनुमति न होना	**19.08**	10.15
गैर-कटौती योग्य अन्य कर व्यय	**1.01**	3.06
अग्रिम आय कर और ब्याज की न दी गई अनुमति	**1.20**	1.91
आय में छूट	**(7.77)**	(9.71)
पूर्व वर्षों का आय कर	**(13.28)**	10.86
भिन्न कर दरों का प्रभाव	**(2.32)**	(35.34)
सहायक कंपनियों के संवितरित न किए गए लाभों पर कर प्रभाव	**(12.03)**	7.95
संयुक्त उद्यम के लाभ पर कर प्रभाव तथा इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने के लिए हिसाब में लिए गए ओसीआई	**(1.45)**	(1.21)
कर व्यय	**2,349.06**	**1,507.00**

समेकित लेखा टिप्पणियां

46.2 लागू कर दर शिक्षा उप कर में 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत की वृद्धि के कारण चालू वित्तीय वर्ष में 34.608 प्रतिशत से बढ़कर 34.944 प्रतिशत हो गई है।

47 अर्जन प्रति शेयर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
गुणक (न्यूमरेटर)		
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ (करोड़ ₹ में)	**5,741.38**	**4,450.52**
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत तथा बंद प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ (करोड़ ₹ में)	**5,741.38**	4,450.52
हर (डिनोमिनेटर)		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**1,974,918,000**	1,974,918,000
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (सतत प्रचालनों के लिए)	**29.07**	22.54
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (सतत तथा बंद प्रचालनों के लिए)	**29.07**	22.54

48 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

48.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्न के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(क) **कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है**	**0.08**	0.08	2.37
(ख) **कराधान मांग**			
-आय कर विभाग द्वारा की गई मांग	**91.03**	60.16	42.98
-कंपनी को दी गई राहत के विरुद्ध आय कर विभाग द्वारा दायर अपीलों के विरुद्ध मांग	**30.42**	37.07	40.18
-सेवा कर के संबंध में की गई मांग	**0.36**	0.36	0.36
(ग) **अन्य**			
- सुविधा पत्र	**-**	13.51	173.36
- बैंक गारंटी	**29.86**	32.58	35.32
	-	-	-

उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित राशि जो माध्यस्थ मामलों सहित विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में है और न्यायालय/माध्यस्थ के मामलों के निपटान के परिणाम पर निर्भर करती है।

उपर्युक्त 'ख' में उल्लिखित राशि दिल्ली उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों सहित आय कर विभाग/सेवा कर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों के विरुद्ध है। कंपनी इन कर मांगों का विरोध कर रही है और प्रबंधन का विश्वास है कि उसकी स्थिति अपील प्रक्रिया में माने जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम से कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणामों पर वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

समेकित लेखा टिप्पणियां

48.2 प्रतिबद्धताएं जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
- पूंजीगत लेखे में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाएं			
- संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के संबंध में	**362.33**	403.95	272.33
- अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	**2.82**	1.93	2.60
- अन्य प्रतिबद्धताएं			
- सीएसआर प्रतिबद्धताएं	**301.46**	261.20	145.99

49. वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार का ब्योरा:

विवरण		नियामक का नाम	पंजीकरण का ब्योरा
(i)	कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	L40101DL1969GOI005095
(ii)	पंजीकरण संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक	14.000011
(iii)	लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर (एलईआई) कोड	ग्लोबल लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ)	335800B4YRYWAMIJZ374

50 सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

50.1 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

भारत सरकार ने देश में सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण के लिए "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना" - सौभाग्य स्कीम शुरू की है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों को और शहरी क्षेत्रों में गरीब घरों को 31 मार्च, 2019 तक अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत के कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है। सौभाग्य स्कीम का पूंजीगत परिव्यय पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान 12,320 करोड़ रुपए की कुल बजटीय सहायता सहित 16,320 करोड़ रूपए है। विद्युत मंत्रालय ने सौभाग्य स्कीम के प्रचालन के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।

राज्यों/विद्युत यूटिलिटियों और अन्य दावेदारों के सक्रिय सहयोग एवं सहायता से सौभाग्य स्कीम की शुरूआत से 31 मार्च, 2019 तक संचयी रूप से 2.62 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, 2.22 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। तद्नुसार, सभी राज्यों (18,734 गैर-विद्युतीकृत घरों वाले छत्तीसगढ़ को छोड़कर) ने घरों का विद्युतीकरण पूरा करने में अपनी उपलब्धि घोषित कर दी है।

50.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) ग्रामीण विद्युत वितरण की सभी पहलों को शामिल करने वाली भारत सरकार की अग्रणी योजना है। इस स्कीम के तहत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) भारत सरकार के अनुदान के रूप में और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर 15 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। डीडीयूजीजेवाई निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से देश में 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' हासिल करने के लिए सुविधा प्रदान करती है:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति तथा गैर-कृषि उपभोक्ताओं को सतत विद्युत आपूर्ति सुकर बनाने के लिए कृषि तथा गैर-कृषि फीडरों को पृथक करना;

समेकित लेखा टिप्पणियां

(ii) वितरण ट्रांसफार्मर/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण तथा वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना और उसकी वृद्धि करना;

(iii) माइक्रो-ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क;

(iv) डीडीयूजीजेवाई में समाहित आरजीजीवीवाई 12वीं एवं 13वीं योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण घटक।

उपर्युक्त योजना के (i) तथा (ii) पर घटकों का अनुमानित परिव्यय ₹ 43,033 करोड़ होगा जिसमें पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से 33,453 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल है। 12वीं तथा 13वीं योजना में जारी रखने के लिए सीसीईए द्वारा अनुमोदित आरजीजीवीवाई की स्कीम पृथक ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक के रूप में इस योजना में मिला दी गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पूरे देश में राज्य विद्युत यूटिलिटियों/डिस्कॉमों द्वारा सरकारी कार्यक्रमों (डीडीयूजीजेवाई तथा सौभाग्य) कार्यान्वित करने के उपयोग के लिए विद्युत मंत्रालय से 20,593 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है।

50.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को विद्युत क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों से अधिक में विस्तारित ₹ 8,466 करोड़ की समग्र रूप पर ब्याज सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांककों को भुगतान तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

50.4 प्रधानमंत्री की जम्मू व कश्मीर विकास योजना (पीएमडीपी)

जम्मू व कश्मीर सरकार, विद्युत विकास विभाग ने सभी सामग्री एवं सेवा कार्यों की डिजाइन, इंजीनियरी, खरीद, आपूर्ति, खड़ा करने के कार्य, परीक्षण और आरंभ करने के लिए प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से निकाली जाने वाली वास्तविक लागत के अनुसार नामांकन आधार पर जम्मू व कश्मीर राज्य में पीएमडीपी के तहत वितरण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में आरईसीपीडीसीएल और आरईसीटीपीसीएल को नियुक्त किया है।

50.5 ऊर्जा मित्र एवं 11 केवी फीडर मॉनीटरिंग

विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा मित्र एवं 11 केवी फीडर मॉनीटरिंग नामक दो योजनाएं शुरू की हैं। ऊर्जा मित्र एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को विद्युत बंदी/ कटौती/खराबी/शटडाउन (योजनागत और गैर-योजनागत दोनों) के संबंध में सूचना प्रदान करना है। फीडर मॉनीटरिंग स्कीम 66, 33/11 केवी सब-स्टेशनों से सभी बाहर जाने वाले 11 केवी ग्रामीण फीडरों के विभिन्न अनिवार्य मानदंडों की डाटा लॉगिंग के माध्यम से स्वचालित 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग प्रणाली के लिए स्व-संधारित स्वतंत्र वेब आधारित प्रणाली का विकास करने के लिए तथा विद्युत आपूर्ति की मॉनीटरिंग, सावधानी, मीटर के आंकड़ों का विश्लेषण, सूचना प्रसारण और ऊर्जा जांच के लिए वास्तविक समय के आधार पर सार्वजनिक पटल सहित विभिन्न दावेदारों के लिए ऑनलाइन सूचना उपलब्ध कराने के लिए है। आरईसीटीपीसीएल को दोनों स्कीमों के लिए प्रमुख एजेंसी नियुक्त किया गया है।

51 पूंजी प्रबंधन

यह समूह यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूंजी का प्रबंधन करता है कि वह दावेदारों को अधिकतम आय करते हुए एक चलती हुई संस्था के रूप में जारी रहेगा। समूह की पूंजीगत संरचना में समूह द्वारा किए गए दीर्घावधि उधार तथा इक्विटी शामिल हैं।

प्रबंधन अत्यधिक वृद्धि से बचते हुए दक्ष समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने के लिए समूह की पूंजीगत आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। यह समूह पूंजीगत संरचना का प्रबंधन करता है और गतिशील व्यापारिक पर्यावरण तथा क्षेत्र के अंतर्गत परिसमाप्यता की स्थिति के आलोक में उपयुक्त साधनों के माध्यम से निधियां जुटाता है। इसके अतिरिक्त, पूंजी पुनर्गठन के संबंध में समूह को अन्य बातों के साथ-साथ विनिवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा बोनस शेयर, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों की वापसी

समेकित लेखा टिप्पणियां

आदि जारी करने के संबंध में जारी किए गए "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूंजी पुनर्गठन" के संबंध में दिशा-निर्देशों से भी दिशानिर्देशित होता है। इस समूह ने बाहरी रूप से लगाई गई सभी पूंजीगत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

समूह का इक्विटी अनुपात निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
कुल ऋण	**239,215.90**	198,721.04	167,446.95
निवल कीमत	**34,546.34**	32,587.61	30,809.43
ऋण - इक्विटी अनुपात	**6.92**	6.10	5.43

कुल ऋण बकाया मूल को दर्शाता है।

लाभांश वितरण नीति

निदेशक बोर्ड कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश भुगतान की मॉनीटरिंग करता है। कंपनी की लाभांश वितरण नीति विभिन्न कारकों पर जोर देती है जिनमें वर्तमान एवं भावी पूंजीगत आवश्यकताएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) की पूंजी, वैकल्पिक स्रोतों से निधियां जुटाने की लागत, नकद प्रवाह स्थिति और समय-समय पर लागू दिशा-निर्देशों के अधीन लाभांश पर कर सहित लागू कर नकद प्रवाह स्थिति और समय-समय पर लागू दिशा-निर्देशों के अधीन कंपनी का निवल मूल्य शामिल है, परंतु यह यहीं तक सीमित नहीं है।

डीआईपीएएम, भारत सरकार द्वारा जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी को पीएटी का 30 प्रतिशत, न्यूनतम वार्षिक लाभांश अथवा निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, देना अपेक्षित होता है। यद्यपि, कंपनी इन दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है, तथापि, विभिन्न वित्तीय मानदंडों, नकद प्रवाह स्थिति और भावी वृद्धि के लिए अपेक्षित निधियों के विश्लेषण के बाद कम लाभांश प्रस्तावित कर सकती है।

52 जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात में पूंजी

कंपनी ने अपने प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियां भी अपनाई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति, व्हीसल ब्लोअर नीति, आरईसी इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में भीतरी व्यापार के निरोध के लिए संहिता, धोखाधड़ी रोकने के लिए नीति, व्यापक व्यवहार संहिता, बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नीतियां, उचित परिपाटी संहिता आदि शामिल हैं।

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं का पालन कर रही है। एक एनबीएफसी और अवसंरचना वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) होने के नाते आरईसी को 15 प्रतिशत (न्यूनतम 10 प्रतिशत टियर-1 पूंजी के साथ) के जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) में पूंजी बनाए रखना अपेक्षित होता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(i) सीआरएआर (%)	**17.77%**	17.00%	18.97%
(ii) सीआरएआर- टियर I पूंजी (%)	**14.44%**	14.40%	16.16%
(iii) सीआरएआर- टियर II पूंजी (%)	**3.33%**	2.60%	2.81%

समेकित लेखा टिप्पणियां

वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाई टियर-।। पूंजी एवं मियादी ऋण लिखत का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
टियर-।। पूंजी के रूप में जुटाये गए अधीनस्थ ऋण की राशि	2,151.20	-
मियादी ऋण लिखत के निर्गम द्वारा जुटायी गयी राशि	-	-

53 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

इस समूह के निदेशक बोर्ड की कंपनी जोखिम प्रबंधन कार्यढांचे की स्थापना और नजर रखने की समग्र जिम्मेदारी है। इस समूह ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋण जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम और संगठन का बाजार जोखिम शामिल है। इस समूह की जोखिम प्रबंधन नीतियां विभिन्न जोखिम श्रेणियों, स्वतंत्र जोखिम दृष्टि और आवधिक मॉनीटरिंग के लिए उपयुक्त सुपरिभाषित नीतियों द्वारा दिशा-निर्देशित होती हैं। एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का भी गठन किया गया है जिसका मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उनकी मॉनीटरिंग करना तथा उन्हें कम करने के लिए कार्रवाई सुझाव देना है।

इस टिप्पणी में जोखिम के स्रोतों को स्पष्ट किया गया है जिनमें कंपनी सामने आती है और कंपनी कैसे वित्तीय विवरण में जोखिम तथा संबंधित प्रभाव का प्रबंधन करती है:

जोखिम	से उत्पन्न होने वाली स्थिति	माप	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद एवं नकद समतुल्य, ऋण, व्यापार प्राप्य, परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय परिसंपत्तियां, ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	पुराना विश्लेषण	बैंक जमा, परिसमाप्त निधियां, परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण, ऋण सीमाएं एवं पार्श्विक
तरलता जोखिम	उधारियां, ऋण प्रतिभूतियां, सहायक देयताएं एवं अन्य वित्तीय देयताएं	चल रहे नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम - मुद्रा जोखिम	मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां तथा भारतीय रुपए (आईएनएआर) में न बताई गईं देयताएं	नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	व्युत्पन्न संविदाएं/हेजिंग, यदि आवश्यकता हो
बाजार जोखिम - ब्याज दर जोखिम	उधारियां, ऋण प्रतिभूतियां और परिवर्तनीय ब्याज दरों पर सहायक देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम - इक्विटी कीमत जोखिम	उल्लिखित इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	नीतिगत निवेशों पर जोर देकर पोर्टफोलियो का विविधीकरण

जोखिम के अत्यधिक संकेंद्रण से बचने के लिए समूह की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविधीकृत पोर्टफोलियो बनाए रखने पर जोर देने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश शामिल हैं। ऋण जोखिमों के अभिज्ञात संकेंद्रणों का नियंत्रण एवं प्रबंधन तद्नुसार किया जाता है:

समेकित लेखा टिप्पणियां

53.1 ऋण जोखिम

ऋण जोखिम उस जोखिम से संबंधित है जिसे प्रतिपक्ष अपने संविदागत दायित्वों के संबंध में चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप समूह को वित्तीय हानियां होती हैं। ऋण जोखिम में समूह की स्थिति मुख्य रूप से नकद एवं नकद समतुल्य, अन्य बैंक शेषों, निवेशों, ऋण परिसंपत्तियों, व्यापार प्राप्यों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से प्रभावित होती है। यह समूह ग्राहकों तथा अन्य प्रतिपक्षकारों की चूकों की निरंतर मॉनीटरिंग करता है और इस सूचना को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल करता है।

53.1.1 वित्तीय परिसंपत्तियां जो एंटिटी को ऋण जोखिम में दर्शाती हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(i)	**वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि पर कम ऋण जोखिम**			
	नकद और नकद समतुल्य	**381.99**	248.43	4,468.51
	उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	**1,733.08**	1,946.84	72.98
	ऋण *	**256,448.62**	207,067.88	184,379.61
	ट्रेड प्राप्य	**148.55**	145.93	142.47
	निवेश **	**1,636.14**	2,056.52	2,121.01
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**18,390.68**	4,293.80	68.24
(ii)	**मध्यम ऋण जोखिम**			
	ऋण *	**4,412.62**	15,266.53	12,850
	ट्रेड प्राप्य	**3.37**	0.04	3.07
(iii)	**उच्च ऋण जोखिम**			
	ऋण *	**20,348.44**	17,128.42	4,872.69
	ट्रेड प्राप्य	**23.83**	23.78	20.71

* प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूलधन (सुविधा पत्रों के संवितरित न किए गए सहित) दर्शाता है।

** इसमें उल्लिखित इक्विटी निवेशों और उद्यम पूंजी निधियों में निवेश शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें एफवीओसीआई पर लिया जाता है।

नकद एवं नकद समतुल्य तथा बैंक जमा

नकद एवं नकद समतुल्यों और बैंक जमाओं से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन निवेश ग्रेड रेटेड दस्तावेजों तथा अत्यधिक रेटेड बैंकों और पूरे देश में विभिन्न दस्तावेजों/बैंकों में निवेश कर जमा आधार का विविधीकरण करके भी पार्किंग निधियों से किया जाता है।

ऋण

उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण जोखिम भावी परियोजना ऋण परिसंपत्तियों, प्राप्य, मालसूची अथवा अन्य किसी परिसंपत्ति, सरकारी गारंटी, निगम गारंटी आदि और अतिरिक्त रूप से सहायकों, जहां भी अपेक्षित हो, के हाइपोथिकेशन द्वारा ऋणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से कम किए जाते हैं। यह कंपनी उधारकर्ता की ऋण सीमाओं को परिभाषित करने और ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत तथा परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया विश्लेषण से बनाए गए सुपरिभाषित कंपनी मूल्यांकन दिशा-निर्देशों के माध्यम से संवर्धकों

समेकित लेखा टिप्पणियां

की ऋण योग्यता का बारीकी से मूल्यांकन करती है जिससे पूर्व परिकलित धनराशि का ऋण जोखिम सीमित होता है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन सिद्धांत, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा ऋण जोखिम कम करने के उपाय, पूर्व संवितरण शर्तों के रूप में शामिल होते हैं।

ट्रेड प्राप्य

व्यापार प्राप्य से संबंधित ऋण जोखिम लेनदारों की ऋण योग्यता का मूल्यांकन करके कम किया जाता है और ऐसी धनराशि को वसूल करने योग्य स्थिति का निरंतर मॉनीटरिंग कर प्रबंधन किया जाता है।

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कार्मिकों तथा सहायक कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम, प्रतिभूति जमा तथा अन्य वसूली योग्य धनराशि, भारत सरकार से ली गई राशि सहित शामिल होते हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी धनराशि को वसूल करने की क्षमता का निरंतर मॉनीटरिंग कर प्रबंधन किया जाता है।

53.1.2 ऋणों एवं व्यापार प्राप्यों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानियां (ईसीएल)

कंपनी में किसी भी ऋण हानि की प्रत्याशा के लिए अलग वित्तीय दस्तावेज का मूल्यांकन कर ऋण एवं व्यापार प्राप्यों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए प्रावधान है:

- नकद एवं नकद समतुल्यों और अन्य बैंक शेषों के लिए - चूंकि, कंपनी बैंकिंग प्रचालनों के लिए केवल हाई रेटेड बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ कार्य करती है तथा निधियों की श्रेणी को अधिशेष निधियों के अल्पकालिक निवेश के लिए निरंतर उच्च रिकार्ड के साथ ऋण निधियों में परिसमाप्त करती है, अतः नकद एवं नकद समतुल्यों, अन्य बैंक शेषों और बैंक जमाओं के संबंध में ऋण जोखिम बहुत कम मूल्यांकित किया जाता है।
- निवेश के लिए - यह मानते हुए कि राज्य सरकार/न्यूनतम निवेश ग्रेड वाली सरकारी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऋण प्रतिभूतियों में निवेश है, ऋण जोखिम कम माना जाता है।
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए - ऋण जोखिम का मूल्यांकन उन पक्षकारों की ऋण योग्यता के संबंध में कंपनी की जानकारी के आधार पर किया जाता है और हानि भत्ता आरंभिक माने गए आधार पर 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए मापा जाता है तथा ऋण जोखिम में काफी वृद्धि पर जीवन पर्यन्त प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए प्रावधान होता है।

ऋण एवं व्यापार प्राप्य को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का ब्यौरा निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल भार राशि	ईसीएल	निवल भार राशि
31 मार्च 2019 के अनुसार			
नकद और नकद समतुल्य	381.99	-	381.99
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	1,733.08	-	1,733.08
निवेश	1,636.14	-	1,636.14
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ *	18,390.68	26.69	18,363.99
31 मार्च 2018 के अनुसार			
नकद और नकद समतुल्य	248.43	-	248.43
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	1,946.84	-	1,946.84
निवेश	2,056.52	-	2,056.52
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ *	4,293.80	12.27	4,281.53

समेकित लेखा टिप्पणियां

1 अप्रैल 2017 के अनुसार			
नकद और नकद समतुल्य	4,468.51	-	4,468.51
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	72.98	-	72.98
निवेश	2,121.01	-	2,121.01
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ *	68.24	5.59	62.65

* हानिग्रस्त क्रेडिट के रूप में स्वीकार की गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि भत्ते पूर्ण रूप में प्रदत्त हैं।

53.1.3 ऋणों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि

जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट करने के प्रयोजनों के लिए कंपनी ऋण जोखिम के निम्नलिखित तत्वों पर विचार करती है और समेकन करती है:

(i) ऋण चूक हानि: ऋणदाता के कारण होने वाले ऋण के जोखिम, जिसे उसके ऋण दायित्वों को पूरी तरह से देने की संभावना नहीं है अथवा किसी वास्तविक ऋण दायित्व के कारण पिछले 90 दिन से अधिक का ऋणदाता है; चूक जोखिम ऋणों एवं प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण संवेदी लेन-देनों पर प्रभाव डाल सकता है।

(ii) संकेंद्रण जोखिम: किसी एकल निष्पादन से संबंधित जोखिम अथवा कंपनी के प्रमुख प्रचालनों को खतरा पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा हानियां करने की संभावना वाले निष्पादन का समूह।

ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम कंपनी के व्यापार का एक मात्र सबसे बड़ा जोखिम होता है और इसीलिए कंपनी ने इसका प्रबंधन करने के लिए कई प्रक्रियाएं और नियंत्रण विकसित किए हैं। ऋण जोखिम का प्रबंधन मूल्यांकन, संवितरण तथा संवितरण के बाद मॉनीटरिंग सहित विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। इस जोखिम को कम करने के लिए कंपनी ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित, संस्थागत एवं परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाती है। इन प्रक्रियाओं में विस्तृत मूल्यांकन पद्धति जोखिमों की पहचान एवं उपयुक्त गठन तथा ऋण जोखिम को कम करने के उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, परियोजना जोखिम की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है और परियोजना जोखिम श्रेणीकरण कार्यढांचे के अनुसार परियोजना के विभिन्न जोखिम मानदंडों और निष्पादन के आधार पर उसे उच्च/सामान्य/कम की श्रेणी में रखा जाता है। ऋण जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

(i) कंपनी में "एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश" और "व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति" है जिसमें ऋण मूल्यांकन, जोखिम ग्रेडिंग, समपार्श्विक अपेक्षाएं, रिपोर्टिंग, निधियों के अंतिम प्रयोग की मॉनीटरिंग आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र ऋणदाता, विधिक सलाहकार, कानूनी जोखिम का प्रभावी दस्तावेजीकरण और न्यूनीकरण सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

(ii) सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए जिनमें कंपनी प्रमुख वित्तीय संस्था है, कंपनी ऋणदाता के इंजीनियरों, वित्तीय सलाहकारों और बीमा सलाहकारों की नियुक्ति करती है जो कि स्वतंत्र एजेंसियां होती हैं जो विभिन्न ऋणदाताओं और कंसोर्टियम सदस्यों की ओर से कार्य करते हैं। ऋणदाता के इंजीनियर आवधिक स्थल दौरे करते हैं और लेनदार के साथ विचार-विमर्श तथा संगत दस्तावेजों के निरीक्षण/समीक्षा के बाद परियोजना की प्रगति की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार आवधिक रूप से परियोजना में निधियों के प्रवाह और निधियों के उपयोग का विवरण प्रस्तुत करते हैं। जिन मामलों में कंपनी अग्रणी वित्तीय संस्था नहीं है, उनमें एलई और एलएफए सेवाओं से संबंधित कार्यों का समन्वय प्रमुख ऋणदाता के साथ किया जा रहा है।

एक पृथक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) आरईसी द्वारा वित्तपोषित की जा रही प्रत्येक नई परियोजना के लिए नियुक्त की जा रही है जो परियोजना के लिए बीजकों की समीक्षा, निधियों के उपयोग और बीमा की समीक्षा सहित विभिन्न परियोजना निष्पादन क्रियाकलापों की बारीकी से मॉनीटरिंग करने के लिए परियोजना स्थल पर रखी जाएगी। पीएमए मूल उपस्कर विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता, संयुक्त कार्य संविदाकार के बिलों का सत्यापन करेगी और संवितरण के लिए अपनी सिफारिश देगी।

(iii) कंपनी में ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए एक प्राधिकार संरचना है। प्राधिकार सीमाएं अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक/कार्यकारी समिति/ऋण समिति/निदेशक बोर्ड के स्तर पर यथा उपयुक्त जांच समिति की सिफारिश के आधार पर व्यापारिक प्रस्ताव के आकार के अनुरूप स्थापित की गई है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

(iv) कंपनी में उपयुक्त ब्याज दरें और प्रतिभूति पैकेज लगाकर चूक के जोखिम की मात्रा के अनुसार उसके निष्पादनों की श्रेणी बनाने के लिए जोखिम ग्रेडिंग संरचना विकसित की है।

(v) ऋण पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता संबंधी रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति तथा बोर्ड को दी जाती हैं जो की जाने वाली उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की मांग कर सकता है।

(vi) ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए पूरी कंपनी में सर्वोत्तम परिपाटी संवर्धित करने के लिए विशेषज्ञ कौशल प्रदान करने के साथ-साथ व्यापारिक यूनिटों द्वारा अपनाए जा रहे दिशा-निर्देशों, नीति और विद्यमान परिपाटियों की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर बाहरी एजेंसियां नियुक्त की जाती हैं।

(vii) अलग-अलग और समूह ऋण निष्पादनों का मूल्यांकन संबंधित व्यापारिक यूनिट द्वारा लेनदारों को सुविधाएं प्रतिबद्ध करने से पूर्व निर्धारित सीमाओं के विरुद्ध किया जाता है। अतिरिक्त सुविधाओं की स्वीकृति भी उसी समीक्षा प्रक्रिया के अध्यधीन होती है।

(viii) कंपनी लेनदारों तथा अन्य प्रतिपक्षकारों की चूकों और/अथवा विलंबों तथा उनकी वसूली करने की योग्यता की निरंतर मॉनीटरिंग करती है। लेनदार के खाते में कमी पाए जाने होने पर कंपनी चूक को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है जिसमें विशेष उल्लेख खाता की रिपोर्टिंग आरबीआई को करना, ऋण सूचना की रिपोर्टिंग भारी ऋणों संबंधी सूचना की केंद्रीय डिपॉजिटरी को रिपोर्ट देना आदि सभी अतिदेयों की वसूली कर खाते का नियमितीकरण करना, देयों की वसूली के लिए गारंटी/प्रतिभूतियों को लेना, ऋण को ऋण करार के अनुसार इक्विटी में बदलना, ऋण खाते का पुनर्गठन करना, लेनदार के साथ समाधान योजना तैयार करना, स्वामित्व में परिवर्तन, निगम दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) दूसरी कंपनियों/निवेशकों को निष्पादनों की बिक्री और अन्य वसूली तंत्रों सहित कार्रवाई (कार्रवाईयां) शामिल हो सकती है, परंतु यह यहीं तक सीमित नहीं है।

(ख) ऋण जोखिम माप

आरईसी ने भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार ईसीएल के सिद्धांत, मूल्यांकन और परिकलन विकसित करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी आईआरआर एडवाइजरी सर्विसेज प्रा. लि. को नियुक्त किया है। ऋण जोखिम के मापन के लिए एक व्यापक मॉडल ऋण गुणवत्ता में सुधार/ह्रास का मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख वित्तीय एवं प्रचालनात्मक मानदंडों के आधार पर विकसित किया गया है। ऋण जोखिम मॉडल में रेटिंग तथा चूक के मामले में प्रत्याशित हानि का भी प्रावधान है। कंपनी ने इस मॉडल में निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया है:

मात्रात्मक कारक

ऋण/ईबीआईटीडीए (20% भार)

नियोजित पूंजी पर रिर्टन (30% भार)

ब्याज कवरेज (20% भार)

नकद ब्याज कवरेज (30% भार)

गुणात्मक कारक

(i) तिमाही-वार प्रचालनात्मक मानदंड, यथा पीपीए, पीएलएफ, एसीएस - एआरआर अंतर और एलएएफ

(ii) वास्तविक चूक तिथियाँ, ऋण पुनर्गठन के ब्यौरे

(iii) निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए परियोजना शुरू करने में हुई अधिक लागत तथा समय की देरी

(iv) पैरेंट सपोर्ट

(v) टर्नओवर कैप्स

(vi) लेखा संचालन

(ग) प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) की माप

भारतीय लेखांकन मानक 109 में नीचे दिए गए अनुसार आरंभिक मान्यता से ऋण गुणवत्ता में परिवर्तनों के आधार पर हानि के लिए एक "त्रि-स्तरीय" मॉडल उल्लिखित है:

समेकित लेखा टिप्पणियां

-वित्तीय दस्तावेज जो आरंभिक मान्यता पर ऋण हानि नहीं है और जिसका ऋणजोखिम काफी नहीं बढ़ा है क्योंकि आरंभिक मान्यता "स्तर-1" के रूप में वर्गीकृत है।

-यदि आरंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में काफी वृद्धि का पता चलता है तो वित्तीय दस्तावेज "स्तर-2" में ले जाया जाता है, परंतु फिर भी हुई हानि नहीं माना जाता।

-यदि कोई वित्तीय दस्तावेज हुई हानि का है तो उसे "स्तर-3" में ले जाया जाता है।

-स्तर-1 में वित्तीय दस्तावेज में प्रत्याशित ऋण हानि के बराबर राशि पर मापा गया उनका ईसीएल होता है जो अगले 12 माह के भीतर संभावित चूक की घटनाओं के परिणामस्वरूप होता है। स्तर-2 अथवा स्तर-3 मानदंड में दस्तावेजों में जीवनकाल के आधार पर मापे गए उनके ईसीएल होते हैं।

(घ) **ऋण जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर)**

कंपनी मानती है कि किसी वित्तीय दस्तावेज में उस समय ऋण जोखिम में काफी वृद्धि हो गई है जब निम्नलिखित एक या अधिक गुणात्मक अथवा मात्रात्मक मानदंड पूरे हो जाएं।

मात्रात्मक मानदंड

कंपनी ने माना है कि क्रेडिट रेटिंग में ऋण जोखिम में काफी वृद्धि के रूप में मानी जाने वाली ऋण रेटिंग में आरंभ से दो स्तरीय डाउन ग्रेड हैं।

गुणात्मक मानदंड

निर्माणाधीन परियोजनाओं में शुरू करने में काफी विलंब के मामले में यह माना जाता है कि जोखिम में काफी वृद्धि है और ग्रिड को स्तर-2 में ले जाया जाता है।

बैकस्टॉप

यदि भुगतान एक करोड़ रुपए से अधिक अथवा उसके बराबर है और लेनदार अपने सांविधिक भुगतानों पर देय विगत तीस दिनों से अधिक का है तो कंपनी द्वारा किसी भी वित्तीय दस्तावेज पर बैकस्टॉप लागू किया जाता है। तथापि, ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी में आया है कि 30 दिनों से अधिक की ऐसी अतिदेय धनराशि राज्य यूटिलिटियों के लिए ऋण जोखिम में काफी वृद्धि नहीं दर्शाती। अतः कंपनी में इस मानदंड को केवल निजी कंपनियों के लिए लागू किया है।

(ङ) **कम ऋण जोखिम छूट**

भारतीय लेखांकन मानक में यह मानने के लिए वैकल्पिक सामान्यकरण का प्रावधान है कि वित्तीय परिसंपत्ति पर ऋण जोखिम में आरंभिक मान्यता से काफी वृद्धि नहीं हुई है (और इस प्रकार स्तर-1 में रहती है), यदि वित्तीय परिसंपत्ति रिपोर्ट करने की तारीख को कम ऋण जोखिम वाली मानी जाए।

ऋण जोखिम उस समय "कम" माना जाता है जब वित्तीय दस्तावेज में चूक का कम जोखिम हो, लेनदार की निकट अवधि में अपने संविदागत नकद प्रवाह दायित्वों को पूरा करने में प्रबल क्षमता हो तथा दीर्घावधि में आर्थिक एवं व्यापारिक स्थितियों में प्रतिकूल परिवर्तन लेनदार की अपनी संविदागत नकद प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की क्षमता कम कर सकते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है।

कंपनी कम ऋण जोखिम लेने के लिए एएए से ए के बीच बाह्य ऋण रेटिंग वाली ऋण परिसंपत्तियों पर विचार करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने सभी राज्य यूटिलिटियों के लिए कम ऋण जोखिम छूट ली है क्योंकि कंपनी मानती है कि राज्य क्षेत्र को ऋणों में राज्य क्षेत्र में कम चूक/हानि के इतिहास के कारण और कुछ ऋणों में सरकारी गारंटी की उपलब्धता के कारण मुख्य रूप से निजी क्षेत्र को उधार देने की तुलना में कम ऋण जोखिम होता है। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं में सरकार की रूचि होने से देयों की वसूली न होने का जोखिम कम हो जाता है।

(च) **चूक तथा हानि वाले ऋण की परिसंपत्तियों की परिभाषा**

कंपनी चूक के रूप में वित्तीय दस्तावेज को परिभाषित करती है जो पूर्णतः हानियों वाले ऋण की परिभाषा के अनुरूप है जब ऋणखाता अपने संविदागत भुगतानों पर देय पिछले 90 दिनों से अधिक का हो।

समेकित लेखा टिप्पणियां

(छ) ईसीएल का मापन - इनपुट, अवधारणाओं और अनुमान तकनीकों की व्याख्या

प्रत्याशित ऋण हानियां चूक की संभावना (पीडी), चूक पर प्रकटन (ईएडी) और हानि देने वाली चूक (एलजीडी) का परिणाम होती हैं जो निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैं:

- पीडी या तो अगले 12 माह में अथवा दस्तावेज के शेष जीवनकाल में उसके दायित्वों के संबंध में चूक करने वाले लेनदान की संभावना दर्शाता है।

- ईएडी उस धनराशि पर आधारित है जो कंपनी अगले 12 माह में अथवा दस्तावेज के शेष जीवनकाल में चूक के समय ली गई राशि की उम्मीद करती है।

- एलजीडी कंपनी की उस हानि की प्रत्याशा दर्शाती है जो चूक दर्शाती है। एलजीडी प्रतिशतता में व्यक्त की जाती है और इस तथ्य से अप्रभावित रहती है कि चाहे वित्तीय दस्तावेज स्तर-1 परिसंपत्ति है अथवा स्तर-2 परिसंपत्ति है अथवा यहां तक कि स्तर-3 परिसंपत्ति है। तथापि, यह लेनदार की किस्म समपार्श्विक अथवा अन्य ऋण सहायता की उपलब्धता की किस्म से अलग-अलग होती है।

चूक की संभावना (पीडी) का निर्धारण

कंपनी ने विभिन्न रेटिंग एजेंसियों (क्रिसिल, केयर और इंडिया रेटिंग) के ट्रांजिशन मैट्रिक्स का विश्लेषण किया है और वार्षिक औसत ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालने के लिए इन रेटिंग एजेंसियों के ट्रांजिशन मैट्रिक्स का औसत लिया है। यह औसत वार्षिक ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऋण अवधि/ परिपक्वता प्रोफाइल अर्थात जीवन पर्यन्त पीडी द्वारा विभिन्न रेटिंग ग्रेडों की चूक की जीवन पर्यन्त संभावना निकालने के लिए बहिर्वेशित किया गया था।

हानि देने वाली चूक (एलजीडी) गणना मॉडल

ऐतिहासिक प्रवृत्ति अनुसंधान और उद्योग निर्धारण के आधार पर कंपनी ने एक एलजीडी मॉडल निर्मित किया है। एलजीडी मॉडल में जिन कारकों की समीक्षा की गई है, उनमें प्रति यूनिट परियोजना लागत, वर्तमान पीएलएफ, मूल/राज्य सहायता, पीपीए स्तर, एफएसए, स्तर के माध्यम से ईंधन लागत, मौजूदा चूक के वर्ष आदि शामिल हैं। ताप विद्युत संयंत्रों के लिए आंतरिक अनुसंधान के आधार पर कंपनी ने प्रचालन लाभप्रदता के लिए अर्थक्षम परिदृश्य का आकलन करने हेतु परियोजना लागत तथा पीएलएफ स्तर का निर्धारण किया है और वसूली की क्षमता का तद्नुसार परिकलन किया गया है। इसी प्रकार, कंपनी मानती है कि यद्यपि, नवीकरणीय कंपनियों और पारेषण कंपनियों के सामने वितरण कंपनियों से एकत्रित करने के मुद्दे आते हैं जिससे लंबी कार्यशील पूंजी का चक्र बनता है, परंतु वे दीर्घावधि आधार पर संधारणीय हैं। राज्य यूटिलिटियों के लिए कंपनी ने राज्य सहायता में कारक बनाया है और माना है कि राज्य सरकारें राज्य यूटिलिटियों के ऋण दायित्वों का पुनर्भुगतान करने के लिए कदम उठाएंगी। जैसा कि, उदय स्कीम के दौरान विगत में हुआ है, इस प्रकार, एलजीडी की गणना करने के लिए राज्य ऋण रेटिंग तथा तद्नुरूपी पीडी पर विचार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, जहां आरईसी और पीएफसी (समूह कंपनियां) स्तर-3 के ऋण खातों के लिए कंसोर्टियम में हैं, वहां एलजीडी निम्नलिखित आधार पर लिया जाता है:

(क) जिन मामलों में या तो आरईसी अथवा पीएफसी प्रमुख ऋणदाता है, वहां प्रमुख ऋणदाता द्वारा परिकलित एलजीडी प्रतिशत अपनाया जाता है।

(ख) जिन मामलों में न तो आरईसी और न ही पीएफसी प्रमुख ऋणदाता है, वहां आरईसी और पीएफसी द्वारा निकाला गया उच्चतर एलजीडी प्रतिशत अपनाया जाता है।

(ज) ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख अवधारणाएं

(i) कंपनी उस आधार वर्ष के रूप में आरंभिक मान्यता की तारीख मानती है जिससे ऋण जोखिम में काफी वृद्धि निर्धारित की जाती है।

(ii) आरंभ करने में लागत आधिक्य और विलंब समय पर निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए ऋण रेटिंग का परिकलन करने हेतु विचार किया जाता है।

(iii) अंतिम रेटिंग लेने के लिए कारोबार कैप और मूल सहायता पर विचार किया जाता है।

(iv) चूंकि कंपनी को अपने किसी भी लेनदार को स्वीकृत परंतु ली नई सीमाओं को रद्द करने का अधिकार है, अतः ईएडी रिपोर्टिंग तारीख को बकाया शेष माना जाता है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

(झ) ईसीएल मॉडलों में शामिल भावी दृष्टिकोण वाली सूचना

जोखिम में काफी वृद्धि का मूल्यांकन और ईसीएल का परिकलन, दोनों में प्रगतिशील सूचना शामिल होती है। इसके अतिरिक्त, ऋण रेटिंग मॉडल भी परियोजना की पूर्णता के विस्तार और विभिन्न वित्तीय अनुपातों पर ध्यान देते हुए लेनदार को दी जाने वाली ऋण रेटिंग के निर्धारण में प्रगतिशील सूचना पर विचार करते हैं। इस प्रकार, आधार मामला परिदृश्य कंपनी के लिए ईसीएल के परिकलन हेतु सबसे उपयुक्त आधार दर्शाता है। प्रगतिशील सूचना और आर्थिक स्थिति के विश्लेषण के बाद ईसीएल की गणना के लिए प्रयुक्त इनपुट में अथवा किसी विचार की अपेक्षा होने के लिए ऊपरी/निचला कोई परिदृश्य लागू होना प्रतीत नहीं होता।

(ट) ऋण जोखिम अनावरण

भिन्न क्रेडिट रेटिंग के साथ उधारकर्ताओं के संबंध में ऋण जोखिम अनावरण निम्न है।

31 मार्च 2019 के अनुसार (₹ करोड़ में)

बाह्य रेटिंग की परिसीमा	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
एएए	-	-	-	-
एए	3,239.02	-	-	3,239.02
ए	56,158.84	-	-	56,158.84
बीबीबी	40,834.51	-	-	40,834.51
बीबी	57,967.67	519.32	-	58,486.99
बी	47,683.74	1,030.31	-	48,714.05
सी	46,119.65	2,862.99	-	48,982.64
डी	-	-	20,348.44	20,348.44
सरकारी ऋण	4,445.19	-	-	4,445.19
कुल धारित राशि	256,448.62	4,412.62	20,348.44	281,209.68
हानि भत्ते	525.26	1,273.72	9,698.95	11,497.93
धारित राशि	255,923.36	3,138.90	10,649.49	269,711.75

31 मार्च 2018 के अनुसार (₹ करोड़ में)

बाह्य रेटिंग की परिसीमा	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
एएए	-	-	-	-
एए	3,198.11	-	-	3,198.11
ए	51,693.57	-	-	51,693.57
बीबीबी	17,974.14	-	-	17,974.14
बीबी	53,056.43	10,594.28	-	63,650.71
बी	30,981.40	-	-	30,981.40
सी	46,596.39	4,672.25	-	51,268.64
डी	-	-	17,128.42	17,128.42
सरकारी ऋण	3,567.83	-	-	3,567.83
कुल धारित राशि	207,067.88	15,266.53	17,128.42	239,462.83
हानि भत्ते	1,090.78	1,694.30	8,490.53	11,275.61
धारित राशि	205,977.10	13,572.23	8,637.89	228,187.22

समेकित लेखा टिप्पणियां

1 अप्रैल 2017 के अनुसार (₹ करोड़ में)

बाह्य रेटिंग की परिसीमा	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
एएए	-	-	-	-
एए	3,371.83	-	-	3,371.83
ए	32,324.46	-	-	32,324.46
बीबीबी	21,635.16	-	-	21,635.16
बीबी	51,057.87	-	-	51,057.87
बी	34,743.10	-	-	34,743.10
सी	37,949.19	12,849.73	-	50,798.92
डी	-	-	4,872.69	4,872.69
सरकारी ऋण	3,298.00	-	-	3,298.00
कुल धारित राशि	**184,379.61**	**12,849.73**	**4,872.69**	**202,102.03**
हानि भत्ते	1,324.86	5,011.36	2,648.95	8,985.17
धारित राशि	**183,054.75**	**7,838.37**	**2,223.74**	**193,116.86**

(ठ) **समपार्श्विक तथा अन्य ऋण वृद्धियां**

कंपनी ऋण जोखिम को कम करने के लिए कई नीतियां और परिपाटियां लगाती है। इनमें से सबसे सामान्य संवितरित निधियों के लिए समपार्श्विक को स्वीकार करना है। कंपनी में समपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम को कम करने की विशेष श्रेणियों की स्वीकार्यता के संबंध में आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रमुख समपार्श्विक किस्में निम्नलिखित हैं:

- अचल परिसंपत्तियों का मोर्टगेज
- चल संपत्ति का हाइपोथिकेशन
- परियोजना संविदा दस्तावेजों को सौंपना
- उपस्करों की प्लेज जिसके माध्यम से प्रमोटर का अंशदान परियोजना में लगाया जाता है
- प्रमोटर की शेयरधारिता की प्लेज
- प्रमोटर की व्यक्तिगत तथा कारपोरेट गारंटी

(ठ) **हानि भत्ते**

उस अवधि में माना गया हानि भत्ता कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

- ऋण जोखिम की काफी वृद्धि (अथवा कमी का अनुभव करने वाले) अथवा उस अवधि में ऋण हानि होने वाले वित्तीय दस्तावेजों के कारण स्तर-1 और स्तर -2 अथवा 3 के बीच अंतरण, और 12 माह तथा जीवन पर्यन्त ईसीएल के बीच परिणामी "स्टेप अप" (अथवा स्टेप डाउन)।
- उस अवधि के दौरान माने गए नए वित्तीय दस्तावेजों के लिए अतिरिक्त भत्ते तथा उस अवधि में न माने गए वित्तीय दस्तावेजों के लिए जारी राशियां।
- मॉडल में इनपुट के नियमित नवीनीकरण से उत्पन्न होने वाली, उस अवधि में पीडी, ईएडी और एलजीडी में परिवर्तनों के कारण ईसीएल के मापन पर प्रभाव।
- उस अवधि के दौरान अस्वीकृत वित्तीय परिसंपत्तियां और उस अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियों सहित भत्तों को बट्टे खाते में डालना।

निम्नलिखित तालिकाएं ऋण परिसंपत्तियों में परिवर्तन (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित) और रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ तथा अंत के बीच तद्नुरूपी ईसीएल भत्ते को स्पष्ट करती है।

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2018-19	स्तर 1		स्तर 2		स्तर 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	**207,067.88**	**1,090.78**	**15,266.52**	**1,694.30**	**17,128.43**	**8,490.53**	**239,462.83**	**11,275.61**
12 महीने के ईसीएल ईसीएल में अंतरण	**10,594.28**	**21.95**	**(10,594.28)**	**(21.95)**	**-**	**-**	**-**	**-**
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त नहीं	**(549.56)**	**(4.38)**	**1,775.34**	**372.11**	**(1,225.78)**	**(367.73)**	**-**	**-**
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त	**(2,763.00)**	**(625.75)**	**(1,865.40)**	**(527.07)**	**4,628.40**	**1,152.82**	**-**	**-**
पीडी / एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	**-**	**(16.82)**	**-**	**(266.20)**	**-**	**423.75**	**-**	**140.73**
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां (मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितरण सहित)	**56,669.38**	**78.30**	**63.82**	**22.54**	**-**	**-**	**56,733.20**	**100.84**
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें अमान्य कर दिया है(मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	**(14,570.35)**	**(18.83)**	**(233.39)**	**-**	**(182.61)**	**(0.42)**	**(14,986.35)**	**(19.25)**
अंतिम शेष	**256,448.63**	**525.25**	**4,412.61**	**1,273.73**	**20,348.44**	**9,698.95**	**281,209.68**	**11,497.93**

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2017-18	स्तर 1		स्तर 2		स्तर 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	**184,379.60**	**1,324.86**	**12,849.73**	**5,011.36**	**4,872.69**	**2,648.95**	**202,102.02**	**8,985.17**
12 महीने के ईसीएल ईसीएल में अंतरण	217.78	43.56	-	-	(217.78)	(43.56)	-	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त नहीं	(11,127.58)	(70.64)	11,127.58	70.64	-	-	-	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त	(3,473.14)	(446.62)	(8,504.68)	(3,455.79)	11,977.82	3,902.41	-	-
पीडी / एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	112.07	-	16.23	-	1,982.73	-	2,111.03
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां	43,799.44	150.11	289.57	52.15	593.02	-	44,682.03	202.26
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें अमान्य कर दिया है	(6,728.22)	(22.56)	(495.68)	(0.29)	(97.32)	-	(7,321.22)	(22.85)
अंतिम शेष	**207,067.88**	**1,090.78**	**15,266.52**	**1,694.30**	**17,128.43**	**8,490.53**	**239,462.83**	**11,275.61**

समेकित लेखा टिप्पणियां

(ड) **स्तर वार एक्सपोजर और हानिभत्ता का विवरण:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर I	स्तर II	स्तर III	संपूर्ण
1 अप्रैल 2017 के अनुसार				
कुल एक्सपोजर	184,379.61	12,849.73	4,872.69	202,102.03
हानि भत्ता	1,324.86	5,011.36	2,648.95	8,985.17
ईसीएल%	0.72%	39.00%	54.36%	4.45%
31 मार्च 2018 के अनुसार				
कुल एक्सपोजर	207,067.88	15,266.53	17,128.42	239,462.83
हानि भत्ता	1,090.78	1,694.30	8,490.53	11,275.61
ईसीएल%	0.53%	11.10%	49.57%	4.71%
31 मार्च 2019 के अनुसार				
कुल एक्सपोजर	**256,448.62**	**4,412.62**	**20,348.44**	**281,209.68**
हानि भत्ता	**525.26**	**1,273.72**	**9,698.95**	**11,497.93**
ईसीएल%	**0.20%**	**28.87%**	**47.66%**	**4.09%**

(ढ) **ऋण जोखिम का संकेंद्रण**

कंपनी उस किस्म के उद्योग द्वारा ऋण जोखिम (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित ऋण परिसंपत्तियां) के संकेंद्रण की मॉनीटरिंग करती है जिसमें लेनदार प्रचालन करते हैं जिसे लेनदार के प्रकार में आगे बांटा जाता है, भले ही वह सरकारी हो या निजी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	सकल राशि	ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
उद्योग द्वारा संकेंद्रण						
उत्पादन	**131,019.56**	**10,730.93**	112,763.35	10,357.10	99,789.89	8,222.57
नवीकरणीय ऊर्जा	**4,463.99**	**74.13**	3,276.99	63.17	2,119.13	53.64
ट्रांस्कोज	**51,995.18**	**429.47**	43,432.91	624.88	40,228.28	505.43
डिस्कॉम्स	**89,285.76**	**262.07**	76,421.75	229.39	56,666.73	202.27
सरकारी ऋण	**4,445.19**	**1.33**	3,567.83	1.07	3,298.00	1.26
जोड़	**281,209.68**	**11,497.93**	239,462.83	11,275.61	202,102.03	8,985.17
स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण						
राज्य	**247,719.13**	**445.42**	206,410.51	403.71	168,810.93	317.77
निजी	**33,490.55**	**11,052.51**	33,052.32	10,871.90	33,291.10	8,667.40
जोड़	**281,209.68**	**11,497.93**	**239,462.83**	**11,275.61**	**202,102.03**	**8,985.17**

समेकित लेखा टिप्पणियां

(ण) **क्षेत्रवार हानिग्रस्त परिसंपत्तियाँ - उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के चरण-III आस्तियों का प्रतिशत**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
विद्युत क्षेत्र		**7.24%**		7.15%		2.41%

(त) **क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन**

(₹ करोड़ में)

विवरण		वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
(i)	सकल अग्रिमों हेतु सकल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियाँ (%)	**7.24%**	7.15%
(ii)	निवल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियाँ (%)	**3.95%**	3.79%
(iii)	क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (सकल)		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**17,128.43**	4,872.69
(ख)	वर्ष के दौरान जुड़ाव	**4,628.40**	12,570.84
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	**(1408.39)**	(315.10)
(घ)	वर्ष के अंत में शेष	**20,348.44**	**17,128.43**
(iv)	क्रेडिट इंपेयर्ड असेस्ट्स का संचलन (निवल)		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**8,637.90**	2,223.74
(ख)	वर्ष के दौरान जुड़ाव	**3,051.83**	6,685.70
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	**(1040.24)**	(271.54)
(घ)	वर्ष के अंत में शेष	**10,649.49**	**8,637.90**
(v)	क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों हेतु प्रावधानों का संचलन		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**8,490.53**	2,648.95
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**1,576.57**	5,885.14
(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ/राइट बैक करना	**(368.15)**	(43.56)
(ड)	वर्ष के अंत में शेष	**9,698.95**	**8,490.53**

(थ) **राइट ऑफ करने से संबंधित नीति**

कंपनी उस समय समग्र रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्तीय परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालती है जब उसके सभी व्यावहारिक वसूली प्रयास समाप्त हो गए हों और इस निष्कर्ष पर पहुँच गई हो कि वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है। वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है, इसके संकेतकों में परिवर्तन क्रियाकलाप को बंद करना शामिल है अथवा जहां कंपनी की वसूली पद्धति समपार्श्विक पर पहले ही बंद हो तथा समपार्श्विक का मूल्य इतना हो कि पूरी तरह से वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

53.1.4 ट्रेड प्राप्य के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि

कंपनी आरईसीपीडीसीएल, आरईसी की एक सहायक कंपनी के ट्रेड प्राप्य के संबंध में ईसीएल पद्धति के तहत सरलीकृत दृष्टिकोण का प्रयोग करके जीवन पर्यन्त ऋण हानियों का प्रावधान करती है।

विवरण	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1 वर्ष - 2 वर्ष	2 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2019 के अनुसार						
सकल धारित मूल्य	**71.57**	**22.56**	**31.52**	**3.37**	**23.83**	**152.85**
प्रत्याशित हानि दरें	**6.87%**	**21.41%**	**8.76%**	**50.15%**	**100.00%**	**24.88%**
प्रत्याशित हानि दरें (उपबंध)	**4.92**	**4.83**	**2.76**	**1.69**	**23.83**	**38.03**
धारित राशि (इंपेयरमेंट का निवल)	**66.65**	**17.73**	**28.76**	**1.68**	**-**	**114.82**
31 मार्च 2018 के अनुसार						
सकल धारित मूल्य	89.24	11.22	28.30	0.04	23.78	152.58
प्रत्याशित हानि दरें	6.22%	21.12%	15.09%	50.00%	100.00%	23.59%
प्रत्याशित हानि दरें (उपबंध)	5.55	2.37	4.27	0.02	23.78	35.99
धारित राशि (इंपेयरमेंट का निवल)	83.69	8.85	24.03	0.02	-	116.59
1अप्रैल 2017 के अनुसार						
सकल धारित मूल्य	113.71	12.83	15.35	3.07	20.71	165.67
प्रत्याशित हानि दरें	5.29%	22.99%	24.17%	50.16%	100.00%	21.08%
प्रत्याशित हानि दरें (उपबंध)	6.01	2.95	3.71	1.54	20.71	34.92
धारित राशि (इंपेयरमेंट का निवल)	107.70	9.88	11.64	1.53	-	130.75

वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य व्यापार प्राप्य आरईसीटीपीसीएल, जिसके लिए कोई प्रत्याशित ऋण हानि नहीं है। 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, इसके लिए आंकड़े 22.90 करोड़ रुपए हैं (31.03.2018 को 17.17 करोड़ रुपए और 01.04.2017 को 0.58 करोड़ रुपए)।

53.2 तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी उन वित्तीय देयताओं से संबद्ध दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना होगा जिनका निपटान नकद अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति की सुपुर्दगी कर किया जाता है। परिसमापन का प्रबंधन करने में कंपनी का दृष्टिकोण यथासंभव सुनिश्चित करना है कि उसकी देयताएं देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए उसमें पर्याप्त समापन हो।

कंपनी मिश्रित कार्यनीतियों के माध्यम से अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है जिनमें प्रस्तावित संवितरणों के आधार पर अग्रवर्ती संसाधन जुटाना और दायित्वों को पूरा करना शामिल है। कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ("एएलसीओ") भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की मॉनीटरिंग करती है।

कंपनी पर्याप्त बैंक शेष, अल्पावधि निवेश बनाए रखती है जो नकद तथा पर्याप्त उधार और निरंतर पूर्वानुमान तथा वास्तविक नकद प्रवाह की मॉनीटरिंग करके ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में तैयार रूप से बदले जा सकते हैं।

53.2.1 भविष्य के अनडिस्काउंटेड नकदी प्रवाह का परिपक्वता पैटर्न

नकदी वित्तीय देनदारियों की वस्तुओं की ओर बहती है (भविष्य की अघोषित नकदी प्रवाह मूलधन और ब्याज की ओर दर्शाना) निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2019 के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं:									
रू पी उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां									
-मूल	3,256.39	525.21	2,294.33	9,272.90	20,218.27	65,194.54	25,107.93	49,187.62	175,057.19
-ब्याज	484.75	912.75	1,840.88	2,754.00	6,877.86	19,633.29	11,001.43	13,288.00	56,792.96
अन्य उधारियाँ									
- मूल	-	350.00	500.00	850.00	200.01	4,257.52	13,405.02	5,187.59	24,750.14
-ब्याज	133.77	129.71	355.81	388.00	975.00	3,673.00	2,176.00	2,055.00	9,886.29
अधीनस्थ देयताएं									
- मूल	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,151.20	4,651.20
-ब्याज	-	201.50	-	-	189.26	782.00	782.00	945.00	2,899.76
विदेशी मुद्रा उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां									
- मूल	-	-	-	-	-	2,766.85	4,841.99	5,187.85	12,796.69
-ब्याज	-	126.06	42.33	108.00	279.00	1,052.00	1,281.00	807.00	3,695.39
अन्य उधारियाँ									
- मूल	-	1,729.28	71.11	1,058.63	2,444.00	10,423.28	6,234.49	-	21,960.79
-ब्याज	43.40	54.77	42.07	229.00	290.00	734.00	278.00	-	1,671.24
व्युत्पन्न देयताएं:									
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	0.59	6.26	10.19	110.01	3.11	130.16
मुद्रा स्वैप	-	-	-	-	-	0.40	-	-	0.40
अग्रवर्ती अनुबंध	10.27	-	-	-	-	-	-	-	10.27
अन्य -									
सीगुल विकल्प	-	-	-	0.37	18.20	-	-	-	18.57

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2018 के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं:									
रू पी उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां									
-मूल	312.36	427.89	940.89	9,610.60	16,323.17	61,056.11	32,653.85	44,689.59	**166,014.46**
-ब्याज	415.74	777.17	1,636.05	2,475.00	7,218.16	19,907.58	11,268.40	12,649.00	**56,347.10**
अन्य उधारियाँ									
- मूल	-	-	-	-	200.00	200.00	-	-	**400.00**
-ब्याज	-	-	-	-	29.00	15.00	-	-	**44.00**
अधीनस्थ देयताएं									
- मूल	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	**2,500.00**
-ब्याज	-	201.50	-	-	-	403.00	403.00	201.00	**1,208.50**
विदेशी मुद्रा उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां									
- मूल	-	-	-	-	-	2,601.76	-	4,878.30	**7,480.06**
-ब्याज	-	-	39.80	102.00	142.00	568.00	407.00	962.00	**2,220.80**
अन्य उधारियाँ									
- मूल	-	-	103.49	1,698.16	8,225.52	8,508.57	3,663.49	127.44	**22,326.67**
-ब्याज	33.87	42.91	63.03	151.00	270.00	541.00	101.00	2.00	**1,204.81**
व्युत्पन्न देयताएं:									
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	2.18	9.70	0.11	-	73.08	**85.07**
मुद्रा स्वैप	-	-	-	5.35	3.08	63.07	-	-	**71.50**
अग्रवर्ती अनुबंध	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
अन्य -	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
कॉल स्प्रैड	-	-	-	1.37	37.98	43.05	78.77	-	**161.17**
सीगुल विकल्प	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2017 के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं:									
रू पी उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां									
-मूल	402.64	365.98	326.16	9,853.96	5,278.77	46,206.46	33,434.77	47,247.66	**143,116.40**
-ब्याज	399.38	752.39	1,383.18	2,760.00	6,195.15	19,114.43	12,396.19	15,291.00	**58,291.72**
अन्य उधारियाँ									
- मूल	-	-	-	-	350.00	400.00	-	-	**750.00**
-ब्याज	-	-	-	-	53.46	45.00	-	-	**98.46**
अधीनस्थ देयताएं									
- मूल	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	**2,500.00**
-ब्याज	-	201.50	-	-	-	403.00	403.00	403.00	**1,410.50**
विदेशी मुद्रा उधारियाँ									
अन्य उधारियाँ									
- मूल	1,102.92	-	88.89	101.98	156.76	13,135.37	6,290.56	204.19	**21,080.67**
-ब्याज	13.21	33.35	45.40	136.00	196.00	579.00	129.00	5.00	**1,136.96**
व्युत्पन्न देयताएं:									
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	-	-	0.82	-	64.40	**65.22**
मुद्रा स्वैप	79.25	-	2.11	4.51	-	29.66	42.22	5.45	**163.20**
अग्रवर्ती अनुबंध	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
अन्य -	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
कॉल स्प्रैड	-	-	-	-	-	55.46	70.59	-	**126.05**

पुट एंड कॉल ऑप्शन वाले बॉन्ड्स को सबसे जल्दी क्रियान्वित की जाने वाली तारीख पर विचार करते हुए दर्शाया गया है। व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के लिए तरलता विश्लेषण व्युत्पन्न अनुबंध के उचित मूल्यों पर आधारित है और परिपक्वता बकेट, संबंधित व्युत्पन्न उपस्कर के शेष कार्यकाल के आधार पर निकाली गई है।

वित्तीय देयताओं के लिए अपेक्षित पर्याप्त नकद प्रवाह का वित्तपोषण निम्नलिखित रूप में ऋणों से छूटहीन नकद प्रवाहों (मूल तथा ब्याज) के माध्यम से किया जाएगा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2019 के अनुसार									
मूल	**1,654.88**	**1,316.82**	**3,073.31**	**7,365.12**	**13,781.11**	**55,904.77**	**50,995.33**	**135,620.42**	**269,711.76**
ब्याज	**866.67**	**684.94**	**5,324.18**	**6,853.48**	**12,557.11**	**43,097.02**	**31,940.32**	**53,720.12**	**155,043.84**
31 मार्च 2018 के अनुसार									
मूल	1,230.83	1,492.35	3,293.35	8,191.72	12,150.11	48,496.92	41,862.39	111,456.20	**228,173.87**
ब्याज	531.59	532.53	4,795.14	6,201.87	10,813.02	37,162.38	27,418.33	53,753.31	**141,208.17**
1 अप्रैल 2017 के अनुसार									
मूल	1,001.24	893.61	2,277.07	5,717.85	9,745.28	38,401.16	35,944.37	98,986.89	**192,967.47**
ब्याज	329.97	372.01	4,903.23	6,344.17	10,568.49	37,093.49	28,347.84	48,660.08	136,619.28

स्तर III की परिसंपत्तियों से संबंधित मूल नकदी प्रवाह, प्रत्याशित क्रेडिट हानि के निवल को परिपक्वता तिथि के बावजूद 5 वर्ष से अधिक के बकेट में विचार किया गया है।

53.2.2 आरबीआई द्वारा यथानिर्धारित, महत्वपूर्ण वित्तीय आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2019 के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	**1,850.88**	**1,316.82**	**3,401.32**	**7,627.17**	**13,781.11**	**55,904.77**	**50,995.33**	**135,573.52**	**270,450.92**
निवेश	**56.56**	**-**	**-**	**-**	**48.30**	**1,500.00**	**-**	**678.27**	**2,283.13**
रूपी उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां	**3,781.97**	**621.87**	**3,645.36**	**11,092.27**	**22,325.05**	**65,199.36**	**25,107.93**	**48,821.65**	**180,595.46**
अन्य उधारियाँ	**126.93**	**350.00**	**500.00**	**850.00**	**207.34**	**4,257.52**	**13,405.02**	**5,187.59**	**24,884.40**
अधीनस्थ देयताएं	**-**	**168.38**	**-**	**-**	**1.59**	**-**	**2,499.15**	**2,149.65**	**4,818.77**
विदेशी मुद्रा उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां	**-**	**98.15**	**24.29**	**30.88**	**-**	**2,722.66**	**4,784.70**	**4,511.39**	**12,172.07**
अन्य उधारियाँ	**27.10**	**1,750.21**	**74.77**	**1,079.80**	**2,444.00**	**10,167.79**	**6,234.49**	**-**	**21,778.16**
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
विदेशी मुद्रा देयताएं (उधारियों के अलावा)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2018 के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	**1,252.83**	**1,492.35**	**3,574.58**	**8,654.08**	**12,150.11**	**48,496.92**	**41,862.39**	**111,394.99**	**228,878.25**
निवेश	13.65	-	-	-	416.75	1,594.32	-	750.43	2,775.15
रूपी उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां	754.75	427.89	2,221.69	11,302.89	18,683.59	61,056.11	32,657.81	44,490.57	**171,595.30**
अन्य उधारियाँ	-	-	-	-	214.82	200.00	-	-	414.82
अधीनस्थ देयताएं	-	168.38	-	-	-	-	-	2,498.98	**2,667.36**
विदेशी मुद्रा उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	52.35	2,601.76	-	4,818.44	7,472.55
अन्य उधारियाँ	-	-	103.49	1,710.42	8,283.07	8,508.59	3,483.65	127.40	**22,216.62**
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
विदेशी मुद्रा देयताएं (उधारियों के अलावा)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2017 के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	**1,020.74**	**893.61**	**2,545.88**	**6,499.11**	**9,745.28**	**38,401.16**	**35,944.37**	**98,884.37**	**193,934.52**
निवेश	13.65	-	-	-	83.07	492.49	1,500.00	739.87	2,829.08
रूपी उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां	828.77	365.98	1,508.30	11,689.95	7,463.07	46,209.63	33,434.77	47,150.50	**148,650.97**
अन्य उधारियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अधीनस्थ देयताएं	-	168.38	-	-	-	-	-	2,498.83	**2,667.21**
विदेशी मुद्रा उधारियाँ									
अन्य उधारियाँ	1,103.12	-	88.89	127.35	583.03	13,535.37	6,058.25	204.18	**21,700.19**
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
विदेशी मुद्रा देयताएं (उधारियों के अलावा)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

53.2.3 वित्तपोषण उपाय

रिर्पोटिंग अवधि के अंत में कंपनी के पास अंडरग्राउंड उधारी सुविधाओं तक पहुंच थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
एक वर्ष के भीतर की समाप्त हो रही अवधि (नकद ऋण और अन्य सुविधाएं)			
- अस्थाई दर	**11,440.00**	10,340.00	5,710.00
एक वर्ष के बाद समाप्त हो रही अवधि (ऋण/उधार)			
- अस्थाई दर	**1,577.11**	-	-

53.3 बाजार जोखिम - मुद्रा जोखिम

कंपनी विदेशी मुद्रा लेन-देनों, प्रमुख रूप से अमेरिकी डॉलर, यूरो और जेपीवाई के संबंध में, से उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय जोखिम में है। विदेशी मुद्रा जोखिम कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा को छोड़कर, मुद्रा में दर्शाई गई मान्यता प्राप्त देयताओं से उत्पन्न होता है। कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम में होने को कम करने के लिए गैर-आईएनआर नकद प्रवाह की मॉनीटरिंग की जाती है और कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार व्युत्पन्नात्मक संविदाएं की जाती हैं।

कंपनी में एक बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी मुद्रा उधार से जुड़े जोखिमों का प्रबंधन करना है। हेज अनुपात, अन-हेज्ड स्थिति, मार्क-टू मार्केट स्थिति, बैंकों में स्थिति की सीमा आदि जैसे मानदंडों की विदेशी मुद्रा जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में मॉनीटरिंग की जाती है। इस नीति में उन मानदंडों का दिशा-निर्देश करने का प्रावधान है जिनके अंतर्गत कंपनी मुद्रा जोखिम तथा ब्याज जोखिम के प्रबंधन के लिए निर्णय ले सकती है जो कि विदेशी मुद्रा ऋण के कारण होती है जिसमें ऋण प्रतिभूतियां शामिल हैं। इस नीति का उद्देश्य कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने के लिए कंपनी को एक कार्यढांचा प्रदान करना है।

वर्तमान में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में सदस्यों के रूप में निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी), वित्त एवं प्रचालन प्रभागों से कार्यकारी निदेशक और महाप्रबंधकों के साथ कार्य कर रही है। एएलसीओ विभिन्न व्युत्पन्नात्मक दस्तावेजों के माध्यम से प्रबंधित विनिमय दर और ब्याज दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम की मॉनीटरिंग करती है। कंपनी विदेशी मुद्रा अग्रवर्ती संविदाओं, मुद्रा विकल्पों, केवल मूल स्वैप्स और अग्रवर्ती दर करारों जैसे विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से विनिमय दर शामिल करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्नात्मक लेन-देन करती है। ये व्युत्पन्नात्मक लेन-देन हेजिंग प्रयोजन के लिए किए जाते हैं न कि व्यापार अथवा सट्टा प्रयोजन के लिए। विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियों और उधार के संबंध में कंपनी ने विदेशी मुद्रा स्थिति को घेरने के लिए क्रॉस करेंसी स्वैप (मूल और/अथवा ब्याज) भी निष्पादित किया है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा स्थिति की बकाया स्थिति निम्नलिखित है:

मुद्रा	31.03.2019 के अनुसार			31.03.2018 के अनुसार			01.04.2017 के अनुसार		
	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग
अमेरिकी डॉलर $	**4,830.00**	**3,370.00**	**1,460.00**	4,420.87	2,680.00	1,740.87	2,885.00	2,530.00	355.00
भारतीय रुपए के समतुल्य	**33,409.74**	**23,310.73**	**10,099.01**	28,755.15	17,431.82	11,323.33	18,705.94	16,404.17	2,301.77
जापानी येन ¥	**12,428.85**	**10,920.22**	**1,508.63**	4,100.17	2,214.38	1,885.79	26,059.52	23,985.15	2,074.37
भारतीय रुपए के समतुल्य	**777.05**	**682.73**	**94.32**	252.32	136.27	116.05	1,510.41	1,390.18	120.23
यूरो €	**73.45**	**48.00**	**25.45**	99.13	73.68	25.45	124.80	99.35	25.45
भारतीय रुपए के समतुल्य	**570.74**	**373.00**	**197.74**	799.21	594.02	205.19	864.21	687.97	176.24
कुल	**34,757.53**	**24,366.46**	**10,391.07**	**29,806.68**	**18,162.11**	**11,644.57**	**21,080.56**	**18,482.32**	**2,598.24**

53.3.1 संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका अन-हेज्ड स्थितियों पर आईएनआर के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनिमय में 5 प्रतिशत परिवर्तन के लिए एफसीएमआईटीडीए (+लाभ/(हानि)) सहित लाभ एवं हानि पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	अनुकूल	प्रतिकूल	अनुकूल	प्रतिकूल	अनुकूल	प्रतिकूल
अमेरिकी डॉलर/ भारतीय रुपया	**328.50**	**(328.50)**	368.33	(368.33)	75.26	(75.26)
जापानी येन/ भारतीय रुपया	**4.72**	**(4.72)**	5.80	(5.80)	6.01	(6.01)
यूरो/ भारतीय रुपया	**1.27**	**(1.27)**	10.26	(10.26)	8.81	(8.81)

* अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए

53.4 बाजार जोखिम - ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें वित्तीय दस्तावेज के भावी नकद प्रवाह में ब्याज दरों में परिवर्तनों के कारण उतार-चढ़ाव आएगा।

कंपनी ब्याज दर स्वैप संविदाओं तथा अग्रवर्ती ब्याज दर संविदाओं के प्रयोग जैसी विभिन्न व्युतपन्नात्मक संविदाएं करके ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है। हेजिंग क्रियाकलापों का मूल्यांकन ब्याज दर दृष्टिकोण को ठीक करने के लिए नियमित रूप से किया जाता है और सर्वाधिक लागत प्रभावी हेजिंग नीतियां सुनिश्चित करके परिभाषित जोखिम इच्छा लागू की जाती है।

निम्नलिखित तालिका निम्नलिखित रूप में 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार हेज्ड/ अन-हेज्ड श्रेणी के तहत विभाजन सहित अस्थिर दर देयताओं पर ब्याज दर जोखिम में कंपनी की समग्र स्थिति दर्शाती है:

(विदेशी मुद्रा राशियां मिलियन में, भारतीय रुपया करोड़ में)

मुद्रा	31.03.2019 के अनुसार			31.03.2018 के अनुसार			01.04.2017 के अनुसार		
	स्थिर ब्याज दर एक्सपोज़र	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग	स्थिर ब्याज दर एक्सपोज़र	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग	स्थिर ब्याज दर एक्सपोज़र	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग
भारतीय रुपए उधारियाँ	**19,550.00**	**-**	**19,550.00**	-	-	-	-	-	-
अमेरिकी यूएस $	**2,980.00**	**2,005.00**	**975.00**	3,270.87	2,335.00	935.87	2,885.00	2,085.00	800.00
भारतीय रुपए के समतुल्य	**20,613.05**	**13,868.85**	**6,744.20**	21,275.07	15,187.80	6,087.27	18,765.22	13,561.69	5,203.53
जापानी येन ¥	**10,327.12**	**10,327.12**	**-**	-	-	-	19,029.00	-	19,029.00
भारतीय रुपए के समतुल्य	**645.65**	**645.65**	**-**	-	-	-	1,102.92	-	1,102.92
कुल भारतीय रु पए के समतुल्य	**40,808.70**	**14,514.50**	**26,294.20**	**21,275.07**	**15,187.80**	**6,087.27**	**19,868.14**	**13,561.69**	**6,306.45**

कंपनी का ऋण देने का पोर्टफोलियो अर्ध-निर्धारित दर पर ब्याज लेता है अर्थात लेनदार के 3/10 वर्ष के पुनःनिर्धारित विकल्प के साथ ब्याज की निर्धारित दर लेता है। कंपनी विद्यमान बाजार स्थितियों, उधार लागत, उत्पादन, फैलाव, प्रतिस्पर्द्धियों की दरों, स्वीकृतियों और संवितरणों आदि के आधार पर आवधिक रूप से अपनी उधार दरों की समीक्षा करती है। पूर्व भुगतान के जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी ऋण के पूर्व भुगतान के मामले में लेनदारों से पूर्व भुगतान किश्त लेती है। ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन ब्याज दर संवेदनशीलता अंतराल विवरणों का विश्लेषण करके और निर्धारित तथा अस्थिर ब्याज दरों के मिश्रण से परिसंपत्तियों और देयताओं के सृजन का मूल्यांकन करके किया जाता है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

कंपनी निम्नलिखित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दर जोखिम की स्थिति में है जो कि अर्ध-निर्धारित दरों पर हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
रुपी ऋण	**279,021.68**	233,801.39	198,339.83

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका 50 आधार अंकों की वृद्धि अथवा कमी के लिए अथवा अन-हेज्ड स्थितियों पर कंपनी की अस्थिर दर परिसंपत्तियों और देयताओं पर ब्याज दर में लाभ एवं हानि (/प्राप्ति(हानि) पर प्रभाव दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अस्थिर दर ऋण देयताएं	**(85.53)**	**85.53**	(19.80)	19.80	(20.62)	20.62
अस्थिर/अर्ध-निर्धारित दर ऋण परिसंपत्तियां	**907.60**	**(907.60)**	760.51	(760.51)	648.49	(648.49)

* अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए

उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया धनराशि पूरे वर्ष के लिए बकाया रहती है। 50 आधार अंक की वृद्धि अथवा गिरावट ब्याज दर में उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तन के प्रबंधन का मूल्यांकन दर्शाती है।

53.5 बाजार जोखिम - कीमत जोखिम

कंपनी उल्लिखित इक्विटी शेयरों और उद्यम पूंजीगत निधियों में निवेशों से उत्पन्न होने वाले इक्विटी कीमत जोखिमों की स्थिति में है। कंपनी के इक्विटी निवेश व्यापारिक प्रयोजनों के बजाए नीतिगत प्रयोजनों के लिए रखे जाते हैं।

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका, समूह से बाहर कंपनी के इक्विटी निवेशों पर संबंधित कीमतों में 5 प्रतिशत की वृद्धि अथवा गिरावट के लिए ओसीआई लाभ/(हानि) को पर प्रभाव दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अन्य व्यापक आय पर प्रभाव (ओसीआई)	**32.35**	**(32.35)**	35.93	(35.93)	35.40	(35.40)

समेकित लेखा टिप्पणियां

54 व्युत्पन्नों से संबंधित अतिरिक्त प्रकटन

54.1 अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(i)	स्वैप अनुबंधों का कल्पित मूल	**45,803.16**	42,961.27	42,220.55
(ii)	हानियां, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी बाध्यताओं को पूरा करनेमें प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी	**1,802.58**	690.38	628.07
(iii)	स्वैप में प्रविष्ट करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित कोलेटरल	**शून्य**	शून्य	शून्य
(iv)	स्वैपों के कारण उत्पन्न हुए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	**कृपया निम्न का संदर्भ लें**	कृपया निम्न का संदर्भ लें	कृपया निम्न का संदर्भ लें
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	**1,643.18**	372.63	273.61

* कंपनी द्वारा किए गए सभी मुद्रा व्युत्पन्न और ब्याज व्युत्पन्न शामिल हैं। आरईसी ने एक एनबीएफसी होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रेणी-1, प्राधिकृत डीलर बैंकों के साथ ही स्वैप करार किया है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप करार बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित ऋण जोखिम सीमा के अंतर्गत हैं।

54.2 कंपनी ने किसी भी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों को नहीं किया है।

54.3 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		मुद्रा व्युत्पन्न*			ब्याज दर व्युत्पन्न**		
		31.03.19 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार	01.04.17 के अनुसार	31.03.19 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार	01.04.17 के अनुसार
(i)	व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि) हेजिंग के लिए	**24,366.46**	**15,455.07**	**19,130.70**	21,436.70	27,506.20	23,089.85
(ii)	मार्केट टु मार्केट स्थितियां						
(क)	परिसंपत्ति (+)	**1,642.11**	**453.61**	**370.75**	160.47	236.77	257.32
(ख)	देयता (-)	**29.24**	**232.67**	**289.24**	130.16	85.08	65.22
(iii)	क्रेडिट एक्सपोज़र	**24,366.46**	**15,455.07**	**19,130.70**	21,436.70	27,506.20	23,089.85
(iv)	अनहेजेड एक्सपोजर	**10,391.07**	**11,644.57**	**2,598.24**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

*इसमें पूरा हेज, मूल केवल स्वैप और कॉल स्प्रैड शामिल हैं।

**इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में ब्याज दर व्युत्पन्न शामिल हैं।

समेकित लेखा टिप्पणियां

55 एक्सपोजर संबंधित से प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 12 फरवरी, 2010 के आरबीआई परिपत्र सीसी नं. 168 में निहित अनुदेशों के अनुसार आरईसी को 17 सितंबर, 2010 के अपने पत्र द्वारा एक अवसंरचना वित्तीय कंपनी (आईएफसी) के रूप में श्रेणीकृत किया था। एक आईएफसी के रूप में निजी क्षेत्र में उधार लेने के लिए कुल अनुमत्य ऋण जोखिम एक लेनदार के मामले में ली गई निधियों का 25 प्रतिशत और लेनदारों के समूहों के मामले में 40 प्रतिशत है तथा उधार देने एवं निवेश करने के लिए एक साथ लिया गया ऋण जोखिम ली गई निधियों का क्रमशः 30 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत तक हो सकता है

केंद्र/राज्य सरकार की कंपनियों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरईसी को 31 मार्च, 2022 तक ऋण/निवेश मानदंडों के आरबीआई का संकेंद्रण लागू होने से 16 जून, 2016 के पत्र संख्या डीएनबीआर.पीडी.सीओ.नं.2184/03.10.001/2015-16 द्वारा छूट दी है। उपर्युक्त के मद्देनजर, केंद्रीय एवं राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए हमारी अधिकतम ऋण जोखिम सीमाएं कंपनी मूल्यांकन के आधार पर स्वामित्व निधियों का 50 प्रतिशत से लेकर 250 प्रतिशत तक परिवर्तन जारी है।

निजी क्षेत्र के कंपनियों के संबंध में, एकल लेनदारों और समूह लेनदारों के लिए कंपनी का ऋण जोखिम 31 मार्च, 2019, 31 मार्च, 2018 और 01 अप्रैल, 2017 को आरबीआई प्रूडेंशियल ऋण जोखिम से अधिक नहीं रहा।

55.1 रियल एस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोजर

कंपनी का 31 मार्च, 2019 को रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई ऋण जोखिम नहीं है (31 मार्च, 2018 को शून्य, 1 अप्रैल, 2017 को शून्य)।

55.2 पूंजीगत बाजार हेतु एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों, जिनका निगमित ऋण में अनन्य रूप से निवेश नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश;	**820.44**	885.00	877.84
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड में निवेश हेतु व्यक्ति विशेषों के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अग्रिम;	**-**	-	-
(iii)	अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों को मुख्य प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	**-**	-	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत की सीमा तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों के अन्यत्र मुख्य प्रतिभूति, पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती है;	**-**	-	-
(v)	स्टॉकब्रोकरों के लिए प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉकब्रोकरों तथा बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	**-**	-	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(vi)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी के प्रति प्रोमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष कारपोरेटों को स्वीकृत ऋण;	-	-	-
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/मामलों के समक्ष कंपनियों को ब्रिज ऋण;	-	-	-
(viii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/मामलों के समक्ष कंपनियों को ब्रिज ऋण;	**6.18**	6.26	6.30
	पूंजीगत बाजार हेतु कुल एक्सपोज़र	**826.62**	**891.26**	**884.14**

55.3 अग्रिमों, प्रकटनों और क्रेडिट इम्पेयर्ड हानियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(i)	अग्रिमों का संकेंद्रण			
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	**158,931.60**	136,285.52	111,916.90
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	**56.52%**	56.92%	55.42%
(ii)	एक्सपोजर का संकेंद्रण			
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	**254,896.66**	236,006.27	197,327.07
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर का प्रतिशत	**59.46%**	59.25%	60.34%
(iii)	क्रेडिट इम्पेयर्ड हानियों का संकेंद्रण			
	शीर्ष चार क्रेडिट - इंपेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए कुल बकाया (₹ करोड़ में)	**8,502.74**	8,558.91	3,444.72
	उपरोक्त चार क्रेडिट - इंपेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए कुल एक्सपोजर (करोड़ में)	**8,502.74**	8,558.91	3,444.72

56 कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, किसी प्रतिभूतिकरण/समनुदेशन लेन-देनों में प्रविष्टि नहीं की है (पिछले वर्ष शून्य है)। इसके अलावा, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए किसी परिसंपत्ति को प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी हेतु बेचा नहीं गया है। कंपनी ने गैर-निष्पादित वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद और बिक्री संबंधी कोई लेन-देन भी नहीं किया है।

57 उचित मूल्य प्रकटीकरण

परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय दस्तावेजों का उचित मूल्य और श्रेणी द्वारा उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय दस्तावेजों की ली गई लागत निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर मापन				
व्युत्पन्न वित्तीय साधन	8	**1,802.58**	690.38	628.07
निवेश* पर मापा गया				

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		टिप्पणी सं.	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(i)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	10	**646.99**	718.63	708.07
(ii)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	10	**1,556.87**	1,500.62	1,500.62
	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां				
	नकद और नकद समतुल्य	5	**381.99**	248.43	4,468.51
	अन्य बैंक शेष	6	**1,733.08**	1,946.84	72.98
	प्राप्य ट्रेड	7	**137.72**	133.76	131.33
	ऋण परिसंपत्तियां	9	**270,450.92**	228,878.25	193,934.52
	निवेश	10	**79.27**	555.90	620.39
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	**18,363.99**	4,281.53	62.65
	जोड़		**295,153.41**	**238,954.34**	**202,127.14**
	उचित मूल्य पर मापित वित्तीय देयताएं				
	व्युत्पन्न वित्तीय साधन	8	**159.40**	317.75	354.46
	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां				
	प्राप्य ट्रेड	19	**67.29**	63.14	43.19
	ऋण प्रतिभूतियाँ	20	**192,767.51**	179,067.85	148,650.96
	उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	21	**46,662.54**	22,631.42	21,700.17
	अधीनस्थ देयताएं	22	**4,818.76**	2,667.36	2,667.21
	अन्य वित्तीय देयताएं	23	**19,227.07**	4,703.05	260.08
	जोड़		**263,702.57**	**209,450.57**	**173,676.07**

57.1 उचित मूल्य अनुक्रम

ऊपर उल्लिखित वित्तीय दस्तावेजों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीक में प्रयुक्त इनपुट के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह अनुक्रम समान परिसंपत्तियों अथवा देयताओं (चरण-1 मापने) के लिए सक्रिय बाजारों में उल्लिखित कीमतों को उच्चतम प्राथमिकता और न लेने योग्य इनपुट (चरण-3 मापने) को निम्न प्राथमिकता देता है।

प्रयुक्त श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

चरण 1: सक्रिय बाजार में समान दस्तावेजों के लिए उल्लिखित कीमतें (असमायोजित);

चरण 2: चरण-1 इनपुट को छोड़कर प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों से व्युत्पन्न) लेने योग्य बाजार रिपोर्ट

चरण 3: वे इनपुट जो लेने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (न लेने योग्य इनपुट)।

कंपनी की नीति क्रियाकलाप अथवा अंतरण के कारण हुए परिस्थितियों में परिवर्तन की तारीख को उचित मूल्य अनुक्रम में अंतरण और उससे बाहर अंतरण को मान्यता देना है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं - आवर्ती उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार			31.03.2018 के अनुसार			01.04.2017 के अनुसार		
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	चरण 1	चरण 2	चरण 3	चरण 1	चरण 2	चरण 3
एफवीओसीआई पर निवेश									
इक्विटी निवेश	**640.81**	**6.18**	**-**	712.37	6.26	-	592.52	6.30	109.25
एफवीटीपीएल पर निवेश									
परपेचुअल बॉण्ड	**-**	**-**	**1,556.87**	-	-	1,500.62	-	-	1,500.62
एफवीटीपीएल पर निवेश									
व्युत्पन्न वित्तीय निवेश	**-**	**1,802.58**	**-**	**-**	**690.38**	**-**	**-**	**628.07**	**-**
एफवीटीपीएल पर देयताएँ									
व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	**-**	**159.40**	**-**	**-**	**317.75**	**-**	**-**	**354.46**	**-**

उचित मूल्य प्रकटीकरण के लिए मूल्यांकन तकनीक (चरण 1, चरण 2, चरण 3)

(क) उल्लिखित इक्विटी निवेशों में निवेश - चरण 1 - सूचीबद्ध इक्विटी निवेशों में निवेश का मापन बाजार में उनकी तैयार रूप में उपलब्ध उल्लिखित कीमत पर किया जाता है।

(ख) उद्यम पूंजी निधि में निवेश - चरण 2 - उद्यम पूंजी निधि में निवेश का मापन निधि से बांटे गए निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) प्रमाण-पत्र के अनुसार उनके उचित मूल्य पर किया जाता है।

(ग) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज - चरण 2 - उचित मूल्य का निर्धारण अग्रवर्ती विनिमय दरों, संविदा की परिपक्वता के तद्नुरूपी ब्याज दरों, स्पष्ट अस्थिरताओं आदि सहित लेने योग्य इनपुट का प्रयोग करके स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाता है।

(घ) परपेचुअल बॉण्ड निवेशों में निवेश - चरण 3 - कंपनी ने यूनियन बैंक, विजया बैंक और सिंडिकेट बैंक के परपेचुअल बॉण्डों में निवेश किए हैं जो एनएसई और बीएसई में उल्लिखित हैं। कंपनी इन बांडों के लिए सक्रिय बाजार लेन-देनों के लिए जांच करती है। कंपनी द्वारा धारित इन निवेशों में, इन बांडों में किसी बाजार क्रियाकलाप का कोई इतिहास नहीं है और इसीलिए इन बांडों के लिए उल्लिखित कीमत उपलब्ध नहीं है। कंपनी लेनदार बैंक की ऋण रेटिंग में किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों की जांच करती है और यदि कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है तो फिर छूटशुदा नकद प्रवाह पद्धति का प्रयोग करके उचित मूल्य की गणना करने हेतु कूपन दर पर विचार किया जाता है।

(ङ) अनुल्लिखित इक्विटी निवेशों में निवेश - चरण - 3 - यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लि. (यूसीएक्स) और लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर प्रा. लि. के अनुल्लिखित इक्विटी दस्तावेजों में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और कंपनी के विशेष कारणों से कंपनी द्वारा शून्य मूल्य पर लिया गया है। यूसीएक्स 2014 में बंद हो गई थी जिससे एक चालू कंपनी के रूप में रहनी बंद हो गई। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अपने ऋण हानि लोन के परिवर्तन पर लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर प्रा. लि. ने निवेश प्राप्त किए थे। चूंकि, कंपनी ने पहले ही ऋण पर जीवन पर्यन्त प्रत्याशित ऋण हानि मानी है, अतः इक्विटी मूल्य शून्य माना जाता है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

57.2 चरण 3 इनपुट के माध्यम से वित्तीय लिखते के उचित मूल्य का पुनर्समाधान

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर मापी गई चरण 3 वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की आरंभिक तथा अंतिम राशि का पुनर्समाधान दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	एफवीटीपीएल		एफवीओसीआई		कुल	
	परपेचुअल बॉण्ड में निवेश		इक्विटी बॉण्ड में निवेश			
वित्तीय वर्ष 2017-18						
वर्ष के प्रारंभ शेष		1,500.62		109.25		1,609.87
समायोजन		(168.25)		-		(168.25)
चरण 3 से अंतरण		-		(109.25)		(109.25)
निवल ब्याज आय, निवल ट्रेडिंग आय और अन्य आय		168.25		-		168.25
वर्ष के अंत में शेष		**1,500.62**		**-**		**1,500.62**
अवधि के अंत में धारित शेष पर अनरियलाइज्ड प्राप्ति / (हानि)		0.62		-		0.62
वित्तीय वर्ष 2018-19		**-**		**-**		
वर्ष के प्रारंभ शेष		**1,500.62**		**-**		**1,500.62**
समायोजन		**(112.00)**		**-**		**(112.00)**
निवल ब्याज आय, निवल ट्रेडिंग आय और अन्य आय		**168.25**		**-**		**168.25**
समाप्ति पर शेष		**1,556.87**		**-**		**1,556.87**
अवधि के अंत में धारित शेष पर अनरियलाइज्ड प्राप्ति / (हानि)		**56.87**		**-**		**56.87**

57.3 परिशोधित लागत पर मापे गए लिखतें का उचित मूल्य

परिशोधित लागत जिसके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है, पर मापे गए दस्तावेजों का उचित मूल्य निम्नलिखितानुसार है। यह उचित मूल्य लेवल 3 इनपुट का प्रयोग करके परिकलित किए जाते हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां						
नकद एवं नकदी समतुल्य	**381.99**	**381.99**	248.43	248.43	4,468.51	4,468.51
उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक शेष	**1,733.08**	**1,733.08**	1,946.84	1,946.84	72.98	72.98
ट्रेड प्राप्य	**137.72**	**137.72**	133.76	133.76	131.33	131.33
अन्य प्राप्य	**-**	**-**	-	-	-	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
ऋण	**270,450.92**	**267,598.29**	228,878.25	226,731.59	193,934.52	193,558.09
निवेश	**79.27**	**79.27**	555.90	555.90	620.39	620.39
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**18,363.99**	**18,365.66**	4,281.53	4,282.35	62.65	62.20
कुल	**291,146.97**	**288,296.01**	**236,044.71**	**233,898.87**	**199,290.38**	**198,913.50**
वित्तीय देयताएं						
ट्रेड प्रतिदेय	**67.29**	**67.29**	63.14	63.14	43.19	43.19
अन्य प्रतिदेय	**-**	**-**	-	-	-	-
ऋण प्रतिभूतियां	**192,767.51**	**194,378.93**	179,067.85	183,492.24	148,650.96	156,113.45
उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	**46,662.54**	**46,595.46**	22,631.42	22,623.10	21,700.17	21,671.66
अधीनस्थ देयताएं	**4,818.76**	**4,748.14**	2,667.36	2,701.11	2,667.21	2,723.89
अन्य वित्तीय देयताएं	**19,227.07**	**19,227.07**	4,703.05	4,703.05	260.08	260.08
कुल	**263,475.88**	**264,949.60**	**209,069.68**	**213,519.50**	**173,278.42**	**180,769.08**

उचित मूल्य पर न मापे गए वित्तीय दस्तावेजों की मूल्यांकन पद्धतियां

उपर्युक्त वित्तीय दस्तावेजों, जो रिकार्ड नहीं किए गए हैं और कंपनी के वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर नहीं मापे गए हैं, के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त सिद्धांत तथा अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। ये उचित मूल्य केवल प्रकटन प्रयोजन के लिए परिकलित किए गए थे। निम्नलिखित सिद्धांत तथा अवधारणाएं केवल उपर्युक्त तालिकाओं में दस्तावेजों से संबंधित हैं।

वित्तीय परिसंपत्ति और देयताएं

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, जिनकी अल्पावधि परिपक्वता (बारह माह से कम) है, के लिए ली जाने वाली धनराशि जो हानि का निवल हैं, उनके उचित मूल्य के उपयुक्त लगभग हैं। इन दस्तावेजों में नकद एवं शेष, व्यापार प्राप्य, संविदा परिसंपत्तियां, नकद एवं नकद समतुल्य को छोड़कर, शेष व्यापार प्राप्य और विशिष्ट परिपक्वता के बिना संविदा देयता शामिल हैं।

ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम

ऋण परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य का परिकलन पोर्टफोलियो आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग करके, समान विशेषताओं पर आधारित समान समूहों में यथा संभव ऋणों का समूह बनाकर परिकलित किया जाता है। कंपनी फिर छूटशुदा नकद प्रवाह मॉडलों, जो ऋणों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर विचार करके ब्याज दर अनुमानों को शामिल करते हैं, का प्रयोग करके पूरे पोर्टफोलियो में उचित मूल्य का परिकलन एवं बहिर्वेशन करती है। जहां यह सूचना उपलब्ध नहीं होती है, कंपनी ऐतिहासिक अनुभव तथा अपने सामूहिक हानि मॉडलों में प्रयुक्त अन्य सूचना का प्रयोग करती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई ऋण प्रतिभूतियों के मूल्य वास्तविक अथवा अनुमानित राशियों का प्रयोग करते हुए और प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम को शामिल करते हुए उन राशियों में से घटाकर संविदागत नकद प्रवाह पर आधारित छूटशुदा नकद प्रवाह मॉडल का प्रयोग कर अनुमानित किए जाते हैं।

समेकित लेखा टिप्पणियां

जारी किए गए ऋण

कंपनी की निर्धारित ब्याज वाली ऋण प्रतिभूतियों, उधारों और सहायक देयताओं का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जारीकर्ता की उधार दर दर्शाने वाली छूट दर का प्रयोग कर छूटशुदा नकद प्रवाह ("डीसीएफ") पद्धति लागू कर निर्धारित किया जाता है। 31 मार्च, 2019 को निजी गैर-निष्पादक जोखिम अपर्याप्त मूल्यांकित किया गया था।

कंपनी द्वारा ली गई अन्य सभी ऋण प्रतिभूतियां, उधार और सहायक देयताएं परिवर्ती दर सुविधाएं हैं जो उल्लिखित ब्याज दर तत्वों में परिवर्तन के अधीन हैं। इसके अधीन, इन सुविधाओं पर पहला ऋण कंपनी के ऋण योग्यता में परिवर्तनीय से परिवर्तन के अधीन है। प्रबंधन का विश्वास है कि इन ऋणों पर ब्याज की वर्तमान दर कंपनी पर लागू बाजार दरों से अनुमानित रूप से निकट हैं। अतः प्रबंधन यह आकलन करता है कि इन उधारों का उचित मूल्य उनके संबंधित लिए जाने वाले मूल्यों के लगभग है।

58 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
वर्ष के अंत में शेष अप्रदत्त मूल राशि	**2.65**	1.83	0.30
वर्ष के अंत में शेष अप्रदत्त पर देय ब्याज	**0.39**	0.14	0.06
वर्ष के दौरान नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित एमएसएमई विभाग अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा दिया गया ब्याज	**-**	-	-
भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय तथा भुगतान योग्य ब्याज परंतु एमएसएमई विभाग अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित ब्याज जोड़े बिना	**-**	-	-
वर्ष के अंत में लगाया गया ब्याज तथा शेष अप्रदत्त	**0.39**	0.14	0.06
जब उपर्युक्त देय ब्याज वास्तविक रूप से लघु उद्यमों को दिया गया हो, उस तारीख तक परवर्ती वर्षों में भी शेष देय तथा भुगतान योग्य अन्य ब्याज	**-**	-	-

59 संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

59.1 संबंधित पक्षकारों की सूची

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

डॉ. पी. वी. रमेश	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (5 मार्च 2019 तक)
श्री अजीत कुमार अग्रवाल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (6 मार्च 2019 से) एवं निदेशक (वित्त)
श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)
डॉ. अरुण कुमार वर्मा	सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी निदेशक)
श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती आशा स्वरूप	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
डॉ. भागवत किशनराव कराड	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (17 जुलाई 2018 से)
प्रोफेसर टी. टी. राम मोहन	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्री जे.एस. अमिताभ	महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

समेकित लेखा टिप्पणियां

(2) होल्डिंग कंपनी

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (28 मार्च 2019 से)

(3) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनियां

दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड

घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड - आरईसीटीपीसीएल, घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड और मेसर्स अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड (एटीएल) के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 19.06.2018 को यह कंपनी, मेसर्स अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड (एटीएल) को हस्तांतरित की गयी।

चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड

कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड

दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड

मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड

जवाहरपुर - फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड - 20.08.2018 को निगमित की गयी और आरईसीटीपीसीएल, जवाहरपुर - फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड और मेसर्स पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 21.12.2018 को यह कंपनी, मेसर्स पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को हस्तांतरित की गयी।

भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	- 18.09.2018 को निगमित
उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड	- 29.11.2018 को निगमित
जम खंम्भालिया ट्रांस्को लिमिटेड	- 11.03.2019 को निगमित
खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड	- 12.03.2019 को निगमित
अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड	- 19.03.2019 को निगमित
लकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड	- 19.03.2019 को निगमित
डब्ल्यूआरएसएस XXI (ए) ट्रांस्को लिमिटेड	- 26.03.2019 के निगमित

(4) संयुक्त उपक्रम

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)

क्रेगटन एनर्जी लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

ईईएसएल एनर्जीप्रो असेस्ट्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना एक्विजिशन लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एनेस्को एनर्जी सर्विसेज साउथ लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

ईपीएएल होल्डिंग्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना अस्ट्रेलिया पीटीवाई लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

स्टेनबैक लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

समेकित लेखा टिप्पणियां

एडिना यूके लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना पावर लिमिटेड लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

अरमौरा होल्डिंग्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

(5) नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास

आरईसी लिमिटेड अंशदान भविष्य निधि न्यास

आरईसी उपदान निधि

आरईसी कर्मचारी अधिवर्षिता न्यास

आरईसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा न्यास

(6) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी

आरईसी फाउंडेशन

नियंत्रक कंपनी की निम्नलिखित जुड़े पक्षकार भी 28 मार्च, 2019 से आरईसी के जुड़े पक्षकार माने जाएंगे।

(1) धारक कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एन. बी. गुप्ता	निदेशक (वित्त)
श्री चिनमॉय गंगोपाध्याय	निदेशक (परियोजना)
श्री प्रवीण कुमार सिंह	निदेशक (वाणिज्यिक)
श्री सीताराम पारिक	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती गौरी चौधरी	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्री मनोहर बलवानी	कंपनी सचिव

(2) धारक कंपनी की अनुषंगी कंपनियां

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)

पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स (प्रा.) लिमिटेड (पीईसीएपी) (पीईसीएपी का स्वैच्छिक समापन विद्युत, मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है।)

(3) धारक कंपनी की संबद्ध कंपनियां

सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड

घोघरापल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड

तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड

देवघर मेगा पावर लिमिटेड

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड

समेकित लेखा टिप्पणियां

चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड

छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड

ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड

देवघर इंफ्रा लिमिटेड

बिहार मेगा पावर लिमिटेड

बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड

झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड

टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)

शोंगटोंग-करछम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)

बल्लभगढ़-जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)

मोहिंदरगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)

बीकानेर-खेतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)

साउथ-सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)

भुज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)

फतेहगढ़-II ट्रांस्को लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)

बीजावाड़-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)

वापी-II नॉर्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)

लकड़िया-वड़ोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)

(4) **धारक कंपनी की नियोजन पश्चात हितलाभ योजना**

पीएफसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास

पीएफसी कर्मचारी उपदान न्यास

पीएफसी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2007

पीएफसी लि. अधिवर्षिता चिकित्सा निधि

59.2 संबद्ध पक्षकारों से/को बकाया राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
एसोसिएट्स			
एसोसिएट्स को ऋण	**9.06**	7.58	2.88
देय	**0.08**	-	-
नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास			
ऋण प्रतिभूतियां	**3.00**	3.00	3.00

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
अन्य वित्तीय देयताएं	**31.78**	2.84	13.63
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**2.77**	-	-
धारक कंपनी का नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास			
ऋण प्रतिभूतियां	**1.20**	-	-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
ऋण प्रतिभूतियां	**1.00**	0.25	0.25
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	**0.46**	0.56	0.53
धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
ऋण प्रतिभूतियां	**0.10**	-	-

59.3 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18
नियोजन पश्चात लाभ योजना न्यास		
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया अंशदान	**99.58**	13.63
भारत सरकार द्वारा दिए गए बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	**29.30**	-
वित्त लागत - प्रदत्त ब्याज	**0.27**	0.27
धारक कंपनी के नियोजन पश्चात लाभ योजना न्यास		
कंपनी के बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	**1.20**	
आरईसी फाउंडेशन		
सीएसआर व्यय	**98.83**	
मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	**-**	0.20
कर्मचारी ऋणों पर ब्याज आय	**0.09**	0.04
वित्त लागत	**0.02**	0.01
कर्मचारी लाभ व्यय - प्रबंधकीय पारिश्रमिक	**2.65**	2.07
निदेशकों का बैठक शुल्क	**0.24**	0.18

समेकित लेखा टिप्पणियां

59.4 प्रबंधकीय पारिश्रमिक

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण		वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18
(i)	अल्पावधि कार्मिक लाभ	**2.44**	1.93
(ii)	नियोजन पश्चात लाभ	**0.21**	0.14
	कुल	**2.65**	**2.07**

चूंकि, उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति के लिए देयताएं प्रत्येक अलग-अलग कर्मचारी के बजाए समग्र रूप से कंपनी के लिए वास्तविक आधार पर लिए जाते हैं, अतः विशेष रूप से केएमपी से संबंधित धनराशि ज्ञात नहीं है और इसीलिए उपर्युक्त तालिका में शामिल नहीं की गई है। उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति उपर्युक्त तालिका में संबंधित वर्ष में वास्तविक भुगतान के आधार पर शामिल की गई है।

59.5 उसी सरकार (कंपनियों से संबंधित सरकार) के नियंत्रणाधीन कंपनियों के संबंध में प्रकटन

सरकार से संबंधित एंटीटियों की सूची

कंपनी का वर्ष के दौरान सरकार से संबंधित एंटीटियों से लेन-देन:

भारतीय रेल बिजली कंपनी लि.

भिलाई इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड

बिहार ग्रिड कंपनी लि.

दामोदर घाटी निगम

नबीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड

नेबेली उत्तर प्रदेश पावर लि.

एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लि.

पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

टीएचडीसी इंडिया लि.

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

सरकार से संबंधित एंटिटियों से कुल शेष बकाया निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18
ऋण का संवितरण	**3,583.67**	4,193.05
ब्याज आय को मान्यता	**1,935.27**	1,877.35

समेकित लेखा टिप्पणियां

सरकार से संबंधित एंटिटियों से कुल शेष बकाया निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
ऋण परिसंपत्तियां	**21,034.76**	19,879.42	16,727.92
ब्याज उपचित	**15.88**	12.60	11.60

केंद्र सरकार के साथ वास्तविक लेन-देन के संबंध में टिप्पणी संख्या 11, 23 और 27 देखें।

60 भारतीय लेखांकन मानक 19 "कर्मचारी लाभ" के तहत अपेक्षित कर्मचारी लाभों के लिए प्रकटन

60.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

आरईसी भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत पंजीकृत पृथक न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि का निर्धारित अंशदान देता है जो निधियों को अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वह न्यास वर्ष के दौरान निवेशों पर अर्जित आय पर आधारित निधि के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज की दर निर्धारित करता है। चूंकि, अधिनियम में निधि के सदस्यों को दिया जाने वाला न्यूनतम ब्याज निर्धारित नहीं है, अतः वह भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के अनुसार परिभाषित अंशदान योजना मानी जाती है।

आरईसीपीडीसीएल के मामले में, कोई पृथक न्यास नहीं है और कंपनी परिभाषित अंशदान योजनाओं में भविष्य निधि अंशदान करती है।

ख. परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना

कंपनी एनपीएस न्यास/पृथक न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर अधिवर्षिता योजना के निमित्त निर्धारित अंशदान देती है जो निधियों का अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। एनपीएस न्यास/पृथक न्यास में शेष में संचित आय सहित सदस्यों के खाते में मासिक अंशदान शामिल होता है। जब सदस्य को पेंशन देय होती है तो सदस्य के खाते में रही राशि का विनियोजन सदस्य के संचय के निमित्त किया जाता है और सदस्य द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार वार्षिकी आबंटित की जाती है।

समूह ने परिभाषित अंशदान योजनाओं के निमित्त 14.87 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष 14.10 करोड़ रुपए) का व्यय माना है।

60.2 परिभाषित लाभ योजनाएं - नियोजन पश्चात लाभ

क. उपदान

कंपनी में एक परिभाषित उपदान योजना है जिसका प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष अथवा उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, यथासंशोधित उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों पर विचार करते हुए अधिवर्षिता, त्याग पत्र, सेवा समाप्ति, अपंगता अथवा मृत्यु पर अधिकतम 0.20 करोड़ रुपए के अधीन पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन पर उपदान का हकदार होता है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**42.41**	52.59	50.61
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**44.15**	48.66	35.69
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं	**(1.74)**	3.93	14.92

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
आरंभिक शेष	**52.59**	50.61	**48.66**	35.69	**3.93**	14.92
लाभ अथवा हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	**2.59**	2.11	**-**	-	**2.59**	2.11
ब्याज लागत/आय	**4.00**	3.80	**3.71**	2.67	**0.29**	1.13
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	**6.59**	**5.91**	**3.71**	**2.67**	**2.88**	**3.24**
ओसीआई में शामिल						
पुनःमापन हानि (प्राप्ति)						
- वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	**(0.31)**	0.27	**-**	-	**(0.31)**	0.27
- जनसांख्यिकीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	**(1.44)**	-	**-**	-	**(1.44)**	-
- अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	**(3.69)**	(0.39)	**-**	-	**(3.69)**	(0.39)
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर लाभ	**-**	-	**0.22**	0.27	**(0.22)**	(0.27)
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	**(5.44)**	**(0.12)**	**0.22**	**0.27**	**(5.66)**	**(0.39)**
भागीदारों द्वारा अंशदान			**2.84**	13.63	**(2.84)**	(13.63)
कर्मचारियों द्वारा अंशदान			**0.05**	0.21	**(0.05)**	(0.21)
भुगतान किए गए हितलाभ	**(11.33)**	(3.81)	**(11.33)**	(3.81)	**-**	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
वर्ष समाप्ति पर शेष	**42.41**	**52.59**	**44.15**	**48.66**	**(1.74)**	**3.93**

ख. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी में सेवानिवृत्त के बाद चिकित्सा सुविधा है जिसके तहत पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को कंपनी के नियमों के अनुसार शामिल किया जाता है। इस योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और वित्तीय वर्ष 2018-19 से एक पृथक न्यास द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। इसके निमित्त देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**129.77**	105.19	97.15
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**97.99**	-	-
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं	**31.78**	105.19	97.15

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
आरंभिक शेष	**105.19**	97.15	**-**	-	**105.19**	97.15
लाभ अथवा हानि में शामिल	**-**	-	**-**	-	**-**	-
वर्तमान सेवा लागत	**2.06**	1.96	**-**	-	**2.06**	1.96
ब्याज लागत/आय	**7.99**	7.28	**1.25**	-	**6.74**	7.28
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	**10.05**	**9.24**	**1.25**	**-**	**8.80**	**9.24**
ओसीआई में शामिल						
पुन:मापन हानि (प्राप्ति)						
- वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	**(6.34)**	4.39	**-**	-	**(6.34)**	4.39

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
- जनसांख्यिकीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	**1.20**	-			**1.20**	-
- अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	**29.44**	2.07	**-**	-	**29.44**	2.07
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	**24.30**	**6.46**	**-**	**-**	**24.30**	**6.46**
भागीदारों द्वारा अंशदान	**-**	-	**96.74**	-	**(96.74)**	-
भुगतान किए गए हितलाभ	**(9.77)**	(7.66)	**-**	-	**(9.77)**	(7.66)
वर्ष समाप्ति पर शेष	**129.77**	**105.19**	**97.99**	**-**	**31.78**	**105.19**

ग. आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस)

कंपनी में सेवा काल के दौरान किसी कर्मचारी की स्थायी अपंगता/मृत्यु के मामले में परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए एक आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) है। यह योजना वित्तपोषणरहित है और देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य			
-ईआरएस	**3.69**	3.34	3.45

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
आरंभिक शेष	**3.34**	3.45
लाभ अथवा हानि में शामिल		
वर्तमान सेवा लागत	**0.18**	0.16
ब्याज लागत/आय	**0.25**	0.27
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	**0.43**	**0.43**
ओसीआई में शामिल		
पुनःमापन हानि (प्राप्ति)		
- वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	**(0.02)**	(0.02)
- अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	**0.75**	0.30
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	**0.73**	**0.28**

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
भुगतान किए गए हितलाभ	(0.81)	(0.82)
वर्ष समाप्ति पर शेष	**3.69**	**3.34**

60.2.1 जोखिम प्रकटन

कंपनी अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से कई जोखिमों को लेती है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नीचे दिए गए हैं:

(i) **परिसंपत्ति अस्थिरता**

अधिकतर योजना परिसंपत्ति निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च दर वाली ग्रेडों और म्युच्युअल फंडों के साथ अन्य निर्धारित आय प्रतिभूतियों में है। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ब्याज दरों तथा अन्य बाजार और सूक्ष्म आर्थिक कारकों में परिवर्तन के कारण अस्थिरता के अधीन होता है।

(ii) **छूट दर में परिवर्तन**

परिभाषित लाभ योजना देयताओं का वर्तमान मूल्य छूट दर का प्रयोग करके परिकलित किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार परिणामों के संदर्भ द्वारा निर्धारित किया जाता है। छूट दर में कमी से परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में वृद्धि होगी, यद्यपि यह योजनाओं के निवेशों के मूल्य में वृद्धि से आंशिक रूप से ऑफसेट होगी।

(iii) **दीर्घता जोखिम**

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य वर्ष के दौरान योजनागत प्रतिभागियों की मृत्यु और उनके नियोजन के बाद सर्वोत्तम आकलन के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। योजनागत प्रतिभागियों की जीवन आशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

(iv) **वेतन जोखिम**

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य योजनागत प्रतिभागियों के भावी वेतनों के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। इस प्रकार, योजनागत प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

60.2.2 योजनागत परिसंपत्तिया

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान			पीआरएमएफ		
	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
नकद एवं नकदी समतुल्य	**0.61**	0.39	0.78	**0.65**		
अनुद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां						
कारपोरेट बॉण्ड्स / डिबेंचर्स				**97.34**		
अन्य - बीमाकर्ता का फंड एवं टी-बिल प्रबंधित	**43.54**	48.27	34.91			
उप- जोड़ अनुद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां	**43.54**	48.27	34.91	**97.34**	**-**	**-**
जोड़	**44.15**	48.66	35.69	**97.99**	**-**	**-**

योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक आय ₹ 5.16 करोड़ (पूर्व वर्ष ₹ 2.94 करोड़) है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

60.2.3 महत्वपूर्ण बीमांकिक अवधारणाएं

योजनागत परिसंपत्तियों का सबसे हाल का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य मैसर्स ट्रांसवेल्यू कंसल्टेंट्स द्वारा 31 मार्च, 2019 के अनुसार दिया गया था। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत तथा विगत सेवा लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके मापी गई थी। बीमांकिक मूल्यांकनों के लिए प्रयुक्त मूल अवधारणाएं निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18
विधि का उपयोग	**पीयूसीएम**	पीयूसीएम	**पीयूसीएम**	पीयूसीएम	**पीयूसीएम**	पीयूसीएम
योजनागत परिसंपत्तियों पर रियायती दर और प्रत्याशित प्रतिफल, यदि वित्त पोषित है	**7.71%**	7.60%	**7.71%**	7.60%	**7.71%**	7.60%
भविष्य की वेतन वृद्धि / चिकित्सा मुद्रास्फीति	**6.00%**	**6.50%**	**6.00%**	**6.50%**	**6.00%**	**6.50%**
कर्मचारियों के काम के औसत शेष जीवन (वर्ष)	**13.12**	**12.82**	**13.12**	**12.82**	**13.12**	**12.82**

अवधारणाएं छूट दर, वेतन वृद्धि दर और कर्मचारियों के प्रत्याशित औसत शेष कार्यशील जीवन हैं। छूट दर सामान्यतः उस अवधि में रिपोर्टिंग तारीख को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार परिणामों के आधार पर होती है जो देयताओं के अनुरूप होती है और वेतन वृद्धि दर दीर्घावधि आधार पर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों ध्यान में रखती है। उपर्युक्त सूचना बीमांकन द्वारा प्रमाणित है।

60.2.4 संवेदनशीलता विश्लेषण

एक संगत बीमांकिक अवधारणा में रिपोर्टिंग तारीख को उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तनों को अन्य अवधारणाओं को स्थिर रखने से नीचे दर्शाई गई राशि तक परिभाषित लाभ दायित्व प्रभावित हुआ होता।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% संचलन)						
-उपदान	**(0.89)**	**1.10**	(1.12)	1.19	(1.16)	1.23
-पीआरएमएस	**(0.77)**	**0.84**	(0.43)	0.46	(4.83)	5.07
-ईआरएस	**(0.13)**	**0.15**	(0.12)	0.13	(0.12)	0.14
वेतन वृद्धि दर (0.50% संचलन)						
-उपदान	**0.15**	**(0.12)**	0.46	(0.50)	0.62	(0.69)
-पीआरएमएस	**-**	**-**	-	-	-	-
-ईआरएस	**0.14**	**(0.12)**	0.12	(0.11)	0.13	(0.11)
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% संचलन)						
-पीआरएमएस	**6.31**	**(5.92)**	-	-	-	-
चिकित्सा लागत (0.50% संचलन)						
-पीआरएमएस	**12.98**	**(12.98)**	-	-	-	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

उपर्युक्त प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी संभावना नहीं है कि अवधारणाओं में परिवर्तन एक-दूसरे के अलग होने में होंगे क्योंकि कुछ अवधारणाएं सह-संबंधित हो सकती हैं।

कंपनी इस बात की सक्रिय रूप से मॉनीटरिंग करती है कि निवेशों की अवधि तथा प्रत्याशित परिणाम कर्मचारी लाभ दायित्वों से उत्पन्न होने वाले प्रत्याशित नकद बहिर्प्रवाह से मेल खा रहे हैं। निवेश ऐसे सुविविधीकृत हैं कि किसी भी एक निवेश की विफलता का परिसंपत्तियों के समग्र स्तर पर वास्तविक प्रभाव नहीं होगा। पूर्व अवधियों से अपने जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी द्वारा उपयुक्त प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

60.2.5 भावी वर्षों में परिभाषित लाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान			पीआरएमएफ			ईआरएस		
	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
एक वर्ष से कम	**12.16**	**12.62**	**7.42**	9.64	5.39	4.66	0.82	0.01	0.03
1 से 5 साल तक	**21.13**	**28.08**	**26.03**	49.25	25.53	23.39	2.12	1.73	1.80
5 साल से परे	**9.12**	**11.89**	**17.16**	70.88	74.27	69.10	0.75	1.60	1.62
कुल	**42.41**	**52.59**	**50.61**	**129.77**	**105.19**	**97.15**	**3.69**	**3.34**	**3.45**

60.2.6 अगले वर्ष के लिए प्रत्याशित अंशदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18
प्रत्याशित अंशदान	**1.72**	2.89	**34.74**	4.98	**-**	-

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 12.76 वर्ष है (31.03.2018 को - 12.82 वर्ष, 01 अप्रैल, 2017 को - 13.08 वर्ष)।

60.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

60.3.1 अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश

आरईसी में कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश लाभ तथा अर्धवेतन अवकाश लाभ के लिए प्रावधान है जो अर्धवार्षिक आधार पर क्रमशः 15 दिन और 10 दिन लगता है। अधिकतम 300 दिन का अर्जित अवकाश सेवाकाल के दौरान किसी समय संचित किया जा सकता है। यद्यपि, अर्धवेतन अवकाश को संचित करने की कोई सीमा नहीं है। आरईसीपीडीसीएल के मामले में, कर्मचारी केवल एक वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद अवकाश नकदीकरण के पात्र हैं और अलग होने के समय पूरी राशि दी जाती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है। इन कर्मचारी लाभों के निमित्त कुल 7.40 करोड़ रुपए की व्यय राशि (पूर्व वर्ष 8.55 करोड़ रुपए) दी गई है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ तथा हानि विवरण में नामे डाली गई है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

60.3.2 अन्य कर्मचारी लाभ

लंबी सेवा पुरस्कार और निपटान भत्ता के निमित्त 1.43 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष -0.41 करोड़ रुपए) का व्यय बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में नामे डाला गया है।

आरईसीपीडीसीएल और आरईसीटीपीसीएल के मामले में, कर्मचारियों को वफादारी प्रोत्साहन मृत्यु के कारण अलग होने के मामले को छोड़कर केवल निरंतर सेवा के तीन वर्ष पूरा करने के बाद देय होता है। कंपनी से बाहर जाने वाले कर्मचारियों को देयों का भुगतान उनके अलग होने के समय जारी किया जाता है। 0.17 करोड़ रुपए की राशि का व्यय (पूर्व वर्ष 0.13 करोड़ रुपए) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ तथा हानि विवरण में नामे डाला गया है।

61 राज्य विद्युत बोर्डों के खुलने के परिणामस्वरू प प्रलेखीकरण की स्थिति

कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय नए एंटिटियों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों की देयताएं नई एंटिटियों में अंतरित कर दी गई हैं। हालांकि, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी), के मामले में इस कंपनी, नई एंटिटियों और राज्य सरकारों के बीच अंतरण करार निष्पादित किए जाने हैं।

तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) के मामले में करार, तमिलनाडु विद्युत (पुनर्गठन और सुधार) अंतरण योजना, 2010 के अनंतिम उपबंधों के आधार पर निष्पादित किए गए हैं। हालांकि इस संबंध में अन्य अंतरण करार तमिलनाडु के साथ विचार- विमर्श के आधार पर एक बार अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरू प प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप, 02 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि, परिसंपत्तियों और देयताओं को एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संबंधित विद्युत यूटिलिटियों को अंतरित किया जाना है।

प्रलेखीकरण की स्थिति इस प्रकार है:-

(i) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण का कार्य नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नव-निर्मित यूटिलिटियों के नाम से पुनःस्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं और तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रभार को पंजीकृत किया गया है।

(ii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी और ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां इन योजनाओं के संबंध में परिवर्तित नाम वाली/नव-निर्मित यूटिलिटी से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गयी है तथा परिवर्तित नाम वाली/ नव-निर्मित यूटिलिटी के नाम में उधारकर्ता के नाम का परिवर्तन करते हुए नव-निर्मित यूटिलिटी को संवितरण कर दिया गया है।

(iii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, प्रलेखीकरण औपचारिकताएं सरकारी गारंटी के साथ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां आगे इन योजनाओं के लिए राजपत्र अधिसूचना का कार्य किया जाएगा।

(iv) एक बार अंतिम अंतरण योजना के सभी विद्युत यूटिलिटियों को परिसंपत्तियों और देयताओं के विधिवत अंतरण को इंगित करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाने पर, सभी नाम परिवर्तित/नव-निर्मित यूटिलिटियों पर बकाया ऋण के संबंध में प्रलेखीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। उस समय तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान हेतु मांग यूटिलिटियों को अलग-अलग भेजा जा रहा है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूटिलिटियों द्वारा ऋण के संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

62 कंपनी के प्रचालनों में केवल एक क्षेत्र आता है - विद्युत संयंत्रों के निर्माण और विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और पारेषण में लगी विद्युत क्षेत्र के कंपनियों को भारतीय लेखांकन मानक 108 - प्रचालन खंड द्वारा अपेक्षित व्यापार/भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में ऋण उधार देना। भारतीय लेखांकन मानक 108 - प्रचालन खंड में परिभाषित "प्रबंधन दृष्टिकोण" के आधार पर मुख्य प्रचालन प्रभार निर्माता एक व्यापारिक क्षेत्र के विभिन्न कारकों के विश्लेषण के आधार पर कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करता है।

62.1 प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से राजस्व के संबंध में सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण		वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18
(क)	ऋण परिसंपत्तियों से आय	**24,869.97**	21,908.17
(ख)	सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शुल्क	**83.02**	187.79
(ग)	अल्पावधि अधिशेष फंड के प्रबंधन से आय	**55.48**	88.76
(घ)	सेवाओं की बिक्री से राजस्व	**169.93**	227.05
	कुल	**25,178.40**	**22,411.77**

62.2 इस समूह में कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र नहीं है क्योंकि समूह के प्राथमिक प्रचालन देश के भीतर किए जाते हैं।

62.3 किसी भी लेनदार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2017-18 के दौरान समूह के राजस्व में 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंशदान नहीं किया है।

63 भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाना

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ये वित्तीय विवरण वे पहले वित्तीय विवरण हैं जिन्हें कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किया है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष तक की अवधि तथा उसके सहित के लिए कंपनी ने कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 (भारतीय जीएएपी अथवा पूर्व जीएएपी) के पैरा 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

तद्नुसार, कंपनी ने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं जो महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार में वर्णितानुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए तथा उस तिथि को तुलनात्मक अवधि के आंकड़ों के साथ 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अनुपालन में है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कंपनी का आरंभिक शेष पत्रक 01 अप्रैल, 2017 के अनुसार तैयार किया गया था जो कि कंपनी की भारतीय लेखांकन मानक में लेन-देन की तारीख है। इस टिप्पणी में 1 अप्रैल, 2017 को तुलन पत्रक तथा 31 मार्च, 2018 को और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों सहित अपने भारतीय जीएएपी वित्तीय विवरणों का पुनः उल्लेख करने में कंपनी द्वारा किए गए मूल समायोजन स्पष्ट किए गए हैं।

63.1 भारतीय लेखांकन मानक वैकल्पिक छूट

संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों, निवेश संपत्ति और अमूर्ति परिसंपत्तियों की मानी गई लागत

भारतीय लेखांकन मानक 101 में पूर्व जीएएपी के अनुसार मापे गए भारतीय लेखांकन मानक में पारगमन की तारीख को वित्तीय विवरणों में माने गए अनुसार उसकी संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के लिए जाने वाले मूल्य के साथ जारी रहने और उसका प्रयोग प्रारंभ बंद करने की देयताओं के लिए आवश्यक समायोजन करने के बाद पारगमन की तारीख को उसकी मानी गई लागत के रूप में प्रयोग करने के लिए चुनने हेतु प्रथम

समेकित लेखा टिप्पणियां

बार अपनाने की अनुमति है। इस छूट का प्रयोग भारतीय लेखांकन मानक 38 अमूर्त परिसंपत्तियां में अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए और भारतीय लेखांकन मानक 40 निवेश संपत्ति में शामिल निवेश संपत्ति के लिए भी किया जा सकता है। तद्नुसार, समूहों ने अपनी पूर्व जीएएपी लिए जाने वाले मूल्य पर अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर अमूर्त परिसंपत्तियों और निवेश परिसंपत्तियों को मापने का चयन किया है।

पूर्व में मान्यता प्राप्त वित्तीय दस्तावेजों का नाम

भारतीय लेखांकन मानक 101 भारतीय लेखांकन मानक में पारगमन की तारीख को तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर एफवीओसीआई में इक्विटी दस्तावेजों में निवेशों का नाम देने के लिए कंपनी को अनुमति देता है। कंपनी ने इक्विटी निवेशों में अपने निवेश के लिए इस छूट को लागू करने का चयन किया है।

विद्यमान दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों का परिशोधन

कंपनी ने 31.03.2018 तक वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के अंतरण से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों के परिशोधन के संबंध में पूर्व जीएएपी के अनुसार नीति को जारी रखने के लिए छूट प्राप्त की है।

63.2 भारतीय लेखांकन मानक अनिवार्य अपवाद

(i) प्राक्कलन

भारतीय लेखांकन मानक में पारगमन की तारीख को भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार किसी कंपनी के प्राक्कलन, जब तक कोई वस्तुपरक साक्ष्य न हो कि वे प्राक्कलन त्रुटिपूर्ण थे, पूर्व जीएएपी (लेखांकन नीतियों में किसी अंतर को दर्शाने के लिए समायोजनों के बाद) के अनुसार उसी तारीख के लिए किए गए प्राक्कलनों के अनुरूप होंगे।

1 अप्रैल, 2017 को भारतीय लेखांकन मानक प्राक्कलन पूर्व जीएएपी के अनुरूप किए गए उसी तारीख को प्राक्कलनों के अनुरूप हैं। कंपनी ने पारगमन की तारीख को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार प्रत्याशित ऋण हानि मॉडल के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए प्राक्कलन किए क्योंकि उनकी पूर्व जीएएपी के तहत अपेक्षा नहीं थी।

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण तथा मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और मापन यह विचार करते हुए किया जाएगा कि क्या भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार शर्तें पारगमन की तारीख को विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर पूरी की गई हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन पारगमन की तारीख को विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर केवल उसके संविदागत नकद प्रवाह संबंधी विशेषताओं का मूल्यांकन कर प्रभावी ब्याज पद्धति का प्रयोग करके किया जाता है और यदि प्रभावी ब्याज पद्धति के प्रयोग का मूल्यांकन करना व्यावहारिक न हो तो पारगमन की तारीख को वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य उस परिसंपत्ति की नई ली जाने वाली राशि होगी। मापन छूट वित्तीय देयताओं के लिए भी लागू होती है।

(iii) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

भारतीय लेखांकन मानक में पारगमन की तारीख को यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी वित्तीय दस्तावेज की आरंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में काफी वृद्धि हुई है, अदेय लागत अथवा प्रयास की अपेक्षा होगी, कंपनी में उस वित्तीय दस्तावेज की मान्यता समाप्त करने तक प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को जीवन पर्यन्त प्रत्याशित ऋण हानियों के बराबर राशि पर हानि भत्ता को मान्यता दी है।

(iv) वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की अमान्यता

भारतीय लेखांकन मानक 101, भारतीय लेखांकन मानक में पारगमन की तारीख को अथवा उसके बाद होने वाले लेन-देनों के लिए भारतीय लेखांकन मानक 109 के प्रावधानों की अमान्यता उसी तारीख से लागू करने के लिए प्रथम बार अपनाने वाले की अपेक्षा रखता है। तथापि, भारतीय लेखांकन मानक 101 प्रथम बार अपनाने वाले को कंपनी के विकल्प लेने की तारीख से पूर्व की तारीख से भारतीय लेखांकन मानक 109 में अमान्यता की अपेक्षाओं को लागू करने के लिए प्रथम बार अपनाने वाले को अनुमति देता है, बशर्ते कि विगत लेन-देनों के परिणामस्वरूप

समेकित लेखा टिप्पणियां

अमान्य वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं पर भारतीय लेखांकन मानक 109 लागू करने के लिए अपेक्षित सूचना उन लेन-देनों के लिए आरंभिक लेखांकन के समय प्राप्त की गई हो। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक में पारगमन की तारीख से भारतीय लेखांकन मानक 109 के प्रावधानों को उसी तारीख से अमान्यता लागू करने के लिए चुना है।

63.3 पूर्व जीएएपी और भारतीय लेखांकन मानक के बीच पुनर्समाधान

भारतीय लेखांकन मानक 101 में कंपनी से पूर्व अवधियों के लिए इक्विटी, कुल व्यापक आय और नकद प्रवाह का पुनर्समाधान करने की अपेक्षा है। निम्नलिखित तालिकाएं पूर्व जीएएपी से भारतीय लेखांकन मानक में पुनर्समाधान दर्शाती हैं:

मार्च, 2018 को कुल इक्विटी का पुनर्समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रथम बार अपनाने से संबंधित टिप्पणियां	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
पूर्व जीएएपी के अनुसार कुल इक्विटी (शेयरधारकों की निधियां)		35,872.30	33,670.56
समायोजन:			
आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर और बाद में परिशोधित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	**टिप्पणी -1**	(71.32)	(109.02)
आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर और बाद में परिशोधित मूल्य पर वित्तीय देयताओं का मापन	**टिप्पणी-2**	248.07	332.23
उचित मूल्य पर निवेशों का मापन	**टिप्पणी-3**	239.71	201.82
ऋण परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानि की मान्यता	**टिप्पणी-4**	(6,441.51)	(5,533.58)
मार्क टू मार्केट पर व्युत्पन्नों का मापन	**टिप्पणी-6**	(178.21)	71.50
भारतीय लेखांकन मानक समायोजन के कारण संयुक्त उद्यम के अवितरित रिजर्व में परिवर्तन का हिस्सा	**टिप्पणी-7**	3.48	0.20
सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अवितरित रिजर्व पर आस्थगित कर प्रभाव	**टिप्पणी-5**	(76.95)	(65.87)
अन्य विविध समायोजन		9.32	2.69
पूर्व अवधि की मदें (निवल)	**टिप्पणी -8**	(0.63)	(0.45)
बुरे और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से अधिक संचित हानि भत्ते पर कर प्रभाव	**टिप्पणी -5**	2,979.61	2,272.18
भारतीय लेखांकन मानक समायोजनों का आय कर प्रभाव	**टिप्पणी -5**	3.74	(32.83)
कुल समायोजन		**(3,284.69)**	**(2,861.13)**
भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कुल इक्विटी		**32,587.61**	**30,809.43**

पूर्व वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए पुनः वर्गीकृत/पुनःसमूहित किया गया है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय का पुनर्समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रथम बार अपनाने से संबंधित टिप्पणियां	वित्तीय वर्ष 2017-18
पूर्व जीएएपी के अनुसार कर पश्चात लाभ		4,689.46
समायोजन:		
आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर और बाद में परिशोधित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	**टिप्पणी -1**	37.70
आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर और बाद में परिशोधित मूल्य पर वित्तीय देयताओं का मापन	**टिप्पणी-2**	(84.16)
प्रत्याशित ऋण हानि के लिए भत्ता	**टिप्पणी-4**	(878.51)
मार्क टू मार्केट पर व्युत्पन्नों का मापन	**टिप्पणी-6**	(59.06)
भारतीय लेखांकन मानक समायोजन के कारण इक्विटी पद्धति के अनुसार संयुक्त उद्यमों के लाभ में परिवर्तन का हिस्सा		1.47
सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अवितरित रिजर्व पर कर प्रभाव		(11.07)
अन्य विविध समायोजन	**टिप्पणी-5**	12.96
पूर्व अवधि की मदें (निवल)		(0.18)
कुल समायोजन		**(980.85)**
उपर्युक्त समायोजनों का आय कर प्रभाव	**टिप्पणी-5**	34.48
बुरे और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से अधिक संचित हानि भत्ते पर कर प्रभाव		707.43
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार लाभ		**4,450.52**
अन्य व्यापक आय	**टिप्पणी-3**	5.67
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कुल व्यापक आय		**4,456.19**

पूर्व वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए पुनः वर्गीकृत/पुनःसमूहित किया गया है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाहों के विवरण पर भारतीय लेखांकन मानक अपनाने का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूर्व जीएएपी के अनुसार	भारतीय लेखांकन मानक समायोजन*	भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार
प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से निवल नकद प्रवाह	(30,825.94)	(1,683.87)	(32,509.81)
निवेशात्मक क्रियाकलापों से निवल नकद प्रवाह	(245.28)	291.16	45.88
वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकद प्रवाह	28,622.23	(378.38)	28,243.85

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूर्व जीएएपी के अनुसार	भारतीय लेखांकन मानक समायोजन*	भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि	**(2,448.99)**	**(1,771.09)**	**(4,220.08)**
1 अप्रैल, 2017 को नकद एवं नकद समतुल्य	4,580.28	(111.77)	4,468.51
31 मार्च, 2018 को नकद एवं नकद समतुल्य	2,131.29	(1,882.86)	248.43

पूर्व वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए पुनः वर्गीकृत/पुनःसमूहित किया गया है।

पूर्व जीएएपी से भारतीय लेखांकन मानक में पारगमन से निम्नलिखित को छोड़कर नकद प्रवाह के विवरण पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ा है:

(**1**) निर्धारित बैंक शेष "नकद एवं नकद समतुल्य" के बजाए "अन्य बैंक शेष" के रूप में वर्गीकृत किए जा रहे हैं। तद्नुसार, अनुदानों के संबंध में बैंक शेष "प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकद प्रवाह" के तहत समायोजित किए जा रहे हैं। इन शेषों में संचलन के प्रभाव को नकारने के लिए यहां "वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह" के तहत वर्गीकृत अनुदानों की प्राप्ति एवं संवितरण से निवल नकद प्रवाह को अब "प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकद प्रवाह" के रूप में समायोजित किया जा रहा है।

(**2**) आवधिक जमाओं पर हुए ब्याज को मूल आवधिक जमा के शीर्ष की तरह उसी शीर्ष में वर्गीकृत किया जाता है।

(**3**) यहां "वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह" के रूप में वर्गीकृत व्युत्पन्नों के संबंध में नकद प्रवाह अब एनबीएफसी के लिए अधिसूचित अनुसूची-III प्रभाग-III के तहत प्रस्तुती पर विचार करते हुए "प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकद प्रवाह" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिसमें व्युत्पन्नों के परिवर्तनों में उचित मूल्य "प्रचालनों से राजस्व" का भाग बनता है।

(**4**) अर्हक परिसंपत्तियों के निमित्त पूंजीकृत मात्रा तक वित्तीय लागतें अब "निवेशात्मक क्रियाकलापों से नकद प्रवाह" के रूप में वर्गीकृत की जा रही है।

31 मार्च, 2018 और 1 अप्रैल, 2017 को पूर्व जीएएपी के अनुसार तैयार किए गए तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं का सामंजस्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रथम बार अपनाने के लिए टिप्पणियां	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार				01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार			
		पूर्व जीएएपी*	आनुपातिक समेकन से इक्विटी विधि में संक्रमण पर समायोजन	इंड-एएस में लेन-देन संबंधी समायोजन	इंड-एएस राशि	पूर्व जीएएपी*	आनुपातिक समेकन से इक्विटी विधि में संक्रमण पर समायोजन	इंड-एएस में लेन-देन संबंधी समायोजन	इंड-एएस राशि
परिसंपत्तियां									
(1) वित्तीय परिसंपत्तियां									
(क) नकद एवं नकद समतुल्य		430.04	(181.59)	(0.02)	248.43	4,585.75	(117.22)	(0.02)	4,468.51
(ख) अन्य बैंक शेष		1,946.84		-	1,946.84	72.98		-	72.98
(ग) ट्रेड प्राप्य		542.56	(373.28)	(35.52)	133.76	438.40	(274.68)	(32.39)	131.33
(घ) व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	6	465.25		225.13	690.38	335.89		292.18	628.07
(ङ) ऋण	1	235,345.62		(6,467.37)	228,878.25	199,514.26		(5,579.74)	193,934.52
(च) निवेश	3	2,592.68	(57.14)	239.61	2,775.15	2,628.06	(0.60)	201.62	2,829.08
(छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		4,385.89	(83.44)	(20.92)	4,281.53	120.95	(40.39)	(17.91)	62.65
जोड़ - वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		**245,708.88**	**(695.45)**	**(6,059.09)**	**238,954.34**	**207,696.29**	**(432.89)**	**(5,136.26)**	**202,127.14**
(2) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां									
(क) इनवेंट्रीज		102.48	(102.48)	-	-	51.18	(51.14)	-	0.04
(ख) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)		34.09	(1.87)	-	32.22	50.40	(1.97)	-	48.43
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	5	(65.75)	(0.87)	2,909.05	2,842.43	(39.92)	0.56	2,173.48	2,134.12
(घ) निवेश संपत्ति		0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01
(ङ) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर		424.14	(297.66)	0.11	126.59	354.13	(230.03)	0.13	124.23
(च) चल रहे पूंजीगत कार्य		530.07	(411.88)	9.04	127.23	164.13	(105.44)	2.72	61.41
(छ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		1.46	-	-	1.46	1.46	-	-	1.46
(ज) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां		10.16	(5.00)	-	5.16	0.74	(0.29)	-	0.45
(i) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां		372.06	(15.98)	(256.07)	100.01	74.54	(17.01)	15.03	72.56
(j) इक्विटी विधि के उपयोग के लिए लेखाकृत निवेश		-	171.78	0.85	172.63	-	175.87	0.20	176.07
जोड़ - गैर - वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		**1,408.72**	**(663.96)**	**2,662.98**	**3,407.74**	**656.67**	**(229.45)**	**2,191.56**	**2,618.78**
(3) **बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियां**		**-**		**7.68**	**7.68**	**-**		**3.08**	**3.08**
कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)		**247,117.60**	**(1,359.41)**	**(3,388.43)**	**242,369.76**	**208,352.96**	**(662.34)**	**(2,941.62)**	**204,749.00**

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रथम बार अपनाने के लिए टिप्पणियां	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार				01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार			
		पूर्व जीएएपी*	आनुपातिक समेकन से इक्विटी विधि में संक्रमण पर समायोजन	इंड-एएस में लेन-देन संबंधी समायोजन	इंड-एएस राशि	पूर्व जीएएपी*	आनुपातिक समेकन से इक्विटी विधि में संक्रमण पर समायोजन	इंड-एएस में लेन-देन संबंधी समायोजन	इंड-एएस राशि
देयताएं और इक्विटी									
देयताएं									
(1) वित्तीय देयताएं									
(क) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज	6	-		317.75	317.75	-		354.46	354.46
(ख) ट्रेड प्रतिदेय				-				-	
(i) एमएसएमई का कुल बकाया देय		387.57	(385.74)	-	1.83	117.92	(117.62)	-	0.30
(ii) एमएसएमई से भिन्न ऋणकर्ताओं का कुल बकाया देय		61.08		0.23	61.31	42.46		0.43	42.89
(ग) ऋण प्रतिभूतियां	2	179,633.49	(404.30)	(161.34)	179,067.85	148,908.25	(158.55)	(98.74)	148,650.96
(घ) उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	2	23,269.01	(367.77)	(269.82)	22,631.42	22,280.58	(214.43)	(365.98)	21,700.17
(ङ) अधीनस्थ देयताएं	2	2,668.38	-	(1.02)	2,667.36	2,668.38	-	(1.17)	2,667.21
(च) अन्य वित्तीय देयताएं		4,830.80	(128.04)	0.29	4,703.05	408.89	(148.81)	-	260.08
कुल - वित्तीय देयताएं (1)		210,850.33	(1,285.85)	(113.91)	209,450.57	174,426.48	(639.41)	(111.00)	173,676.07
(2) गैर-वित्तीय देयताएं									
(क) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)		0.40	-	0.11	0.51	0.55		-	0.55
(ख) प्रावधान	4	235.65	(15.07)	0.16	220.74	191.16	(0.86)	23.97	214.27
(ग) अन्य गैर-वित्तीय देयताएं		127.53	(27.10)	9.90	110.33	64.21	(22.07)	6.54	48.68
कुल - गैर-वित्तीय देयताएं (2)		363.58	(42.17)	10.17	331.58	255.92	(22.93)	30.51	263.50
(3) **इक्विटी**									
(क) इक्विटी शेयर पूंजी		**1,974.92**	**-**	**-**	**1,974.92**	**1,974.92**	**-**	**-**	**1,974.92**
(ख) अन्य इक्विटी		**33,897.38**	-	**(3,284.69)**	**30,612.69**	**31,695.64**	-	**(2,861.13)**	**28,834.51**
कुल - इक्विटी (3)		**35,872.30**	**-**	**(3,284.69)**	**32,587.61**	**33,670.56**	**-**	**(2,861.13)**	**30,809.43**
(4) **शेयर आवेदन शुल्क लंबित आवंटन**		**31.39**	**(31.39)**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
कुल - देयताएं और इक्विटी (1+2+3+4)		**247,117.60**	**(1,359.41)**	**(3,388.43)**	**242,369.76**	**208,352.96**	**(662.34)**	**(2,941.62)**	**204,749.00**

समेकित लेखा टिप्पणियां

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार और भारतीय जीएएपी के अनुसार तैयार लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में प्रस्तुत आय एवं व्यय का पुनर्गठन

विवरण		प्रथम बार अपनाने के लिए टिप्पणियां	पूर्व जीएएपी	आनुपातिक समेकन से इक्विटी विधि में पारगमन पर समायोजन	इंड-एएस में लेन-देन संबंधी समायोजन	इंड-एएस राशि
	प्रचालनों से राजस्व					
(i)	ब्याज आय	1	22,056.62	(8.44)	50.13	22,098.31
(ii)	लाभांश आय		26.85		-	26.85
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	1	309.31		(9.92)	299.39
(iv)	सेवाओं की बिक्री		678.78	(451.73)	-	227.05
I.	**प्रचालनों से कुल राजस्व (i से iv)**		**23,071.56**	**(460.17)**	**40.21**	**22,651.60**
II.	अन्य आय		16.40	(1.61)	-	14.79
III.	**कुल आय (I+II)**		**23,087.96**	**(461.78)**	**40.21**	**22,666.39**
	व्यय					
(i)	वित्तीय लागतें	2	13,794.36	(30.18)	(431.24)	13,332.94
(ii)	निवल अनुवाद/लेन-देन विनिमय हानि	2	44.36	(2.98)	(22.01)	19.37
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	2	75.38	(2.28)	(48.52)	24.58
(iv)	अंकित मूल्य परिवर्तनों संबंधी निवल हानि	6	(66.49)	-	639.86	573.37
(v)	वित्तीय दस्तावेजों संबंधी हानि	4	1,427.25	(5.23)	878.51	2,300.53
(vi)	प्रदान की गई सेवाओं की लागत		122.28		(2.48)	119.80
(vii)	खपत की गई सामग्री की लागत		328.54	(320.59)	-	7.95
(viii)	तैयार वस्तुओं की मालसूचियों में परिवर्तन और कार्य प्रगति पर		(53.32)	53.36	-	0.04
(ix)	कर्मचारी हितलाभ व्यय		198.04	(12.70)	(1.30)	184.04
(x)	मूल्यह्रास एवं परिशोधन		69.60	(62.71)	0.04	6.93
(xi)	निगम सामाजिक दायित्व व्यय		50.94		-	50.94
(xii)	अन्य व्यय		155.80	(55.35)	(1.40)	99.05
IV.	**कुल व्यय (i से xii)**		**16,146.74**	**(438.66)**	**1,011.46**	**16,719.54**
V.	**इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम के लाभ/हानि का हिस्सा**	7	-		10.67	**10.67**
VI.	**कर पूर्व लाभ (III-IV+V)**		**6,941.22**	**(23.12)**	**(960.58)**	**5,957.52**
VII.	**कर व्यय**					

समेकित लेखा टिप्पणियां

विवरण		प्रथम बार अपनाने के लिए टिप्पणियां	पूर्व जीएएपी	आनुपातिक समेकन से इक्विटी विधि में पारगमन पर समायोजन	इंड-एएस में लेन-देन संबंधी समायोजन	इंड-एएस राशि
(i)	वर्तमान कर		2,224.36	(13.76)	4.83	2,215.43
(ii)	आस्थगित कर	5	27.40	(0.16)	(735.67)	(708.43)
	कुल कर व्यय (i+ii)		**2,251.76**	**(13.92)**	**(730.84)**	**1,507.00**
VIII.	**वर्ष के लिए लाभ**		**4,689.46**	**(9.20)**	**(229.74)**	**4,450.52**
IX.	**अन्य व्यापक आय/(हानि)**					
(i)	**ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा**					
(क)	परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनःमापन लाभ/(हानि)		-		(6.34)	(6.34)
(ख)	एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेजों के अंकित मूल्य में परिवर्तन	3	-		8.48	8.48
(ग)	इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/हानि का हिस्सा	7	-		(0.03)	(0.03)
(घ)	इन मदों से संबंधित आय कर		-		-	
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनःमापन लाभ/(हानि)		-		2.20	2.20
	- एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेजों के उचित मूल्य में परिवर्तन		-		(0.10)	(0.10)
	उप-जोड़ (i)		**-**		**4.21**	**4.21**
(ii)	**ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत किया जाएगा**					
	इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/हानि का हिस्सा	7	-		1.46	1.46
	उप-जोड़ (ii)		**-**		**1.46**	**1.46**
	अवधि के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) (i+ii)		**-**	**-**	**5.67**	**5.67**
X.	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (VIII+IX)**		**4,689.46**	**(9.20)**	**(224.07)**	**4,456.19**

पूर्व वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए पुनः वर्गीकृत/पुनःसमूहित किया गया है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

63.4 प्रथम बार अपनाने से संबंधित टिप्पणियां

पारगमन की तारीख को कंपनी के सूचित एकल वित्तीय विवरणों पर भारतीय लेखांकन मानक अपनाने संबंधी प्रमुख प्रभाव की व्याख्या निम्नलिखित है:

(1) ऋण परिसंपत्तियां और ब्याज आय

पारगमन की तारीख को संविदागत नकद प्रवाह एवं एसपीपीआई (मूल एवं ब्याज के पूर्ण भुगतान) एकत्रित करने के लिए रखे गए व्यापारिक मॉडल परीक्षण पूरा करने वाली कंपनी की ऋण परिसंपत्तियां प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापी गई हैं। ये ऋण पूर्व जीएएपी के अंतर्गत लागत पर मापे गए थे।

ईआईआर पद्धति के प्रभावी तारीख से अनुप्रयोग के समायोजन से पारगमन की तारीख को ऋण परिसंपत्तियों के मूल्य में तद्नुरूपी करने के साथ 109.02 करोड़ रुपए तक रखी गई आय में कमी हुई है। पारगमन की तारीख के बाद 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि पर प्रभाव 37.70 करोड़ रुपए का है।

(2) वित्तीय देयताएं और ब्याज व्यय

व्युत्पन्नों के सिवाय सभी वित्तीय देयताओं का मापन बाद में ईआईआर पद्धति का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया गया है। समायोजनों के प्रभाव से पारगमन की तारीख को वित्तीय देयताओं के मूल्य में तद्नुरूपी कमी के साथ रखी गई आय में 332.10 करोड़ रुपए तक वृद्धि हुई है। पारगमन की तारीख के बाद 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि पर प्रभाव 84.16 करोड़ रुपए का है। लाभ एवं हानि पर प्रभाव में विदेशी मुद्रा राशि के पुन: विवरण के प्रभावों के कारण 1.14 करोड़ रुपए शामिल हैं।

(3) निवेश

भारतीय लेखांकन मानक के तहत अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर मापे गए अनुसार सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश को छोड़कर कंपनी ने इक्विटी निवेशों को नामित किया है। इन निवेशों में परिणामी उचित मूल्य परिवर्तनों को पारगमन की तारीख को तथा बाद में अन्य व्यापक आय में ओसीआई रिजर्व में मान्यता दी गई है।

इसके परिणामस्वरूप, पारगमन की तारीख को इक्विटी दस्तावेजों में निवेशों के मूल्य में तद्नुरूपी वृद्धि के साथ 201.82 करोड़ रुपए तक रखी गई आय में वृद्धि हुई। पारगमन की तारीख के बाद 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए "अन्य व्यापक आय" पर 37.89 करोड़ रुपए का प्रभाव है।

(4) प्रत्याशित ऋण हानि

पूर्व जीएएपी के तहत, ऋण परिसंपत्तियों का प्रावधान आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार रखा जाता था। तथापि, कंपनी अब भारतीय लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के अनुसार ऋण परिसंपत्तियों के बकाया शेष और संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों (एलओसी) पर प्रत्याशित ऋण हानि भत्ता सृजित कर रही है। ईसीएल मॉडल में पारगमन के परिणामस्वरूप, पारगमन की तारीख को रखी गई आय में 5,501.19 करोड़ रुपए तक कमी आई है। पारगमन की तारीख के बाद 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ऋण परिसंपत्तियों की हानि के कारण लाभ एवं हानि पर प्रभाव 904.79 करोड़ रुपए का है।

(5) आस्थगित कर

पूर्व जीएएपी के तहत, आस्थगित कर लेखांकन आय विवरण दृष्टिकोण अपनाकर किया जाता था। तथापि, भारतीय लेखांकन मानक में तुलन-पत्र दृष्टिकोण अपनाकर आस्थगित करों का लेखांकन करने की अपेक्षा है जिसमें एकल तुलन-पत्र तथा उसके कर आधार में परिसंपत्ति/देयता की ली जाने वाली राशि में अंतर पर आधारित अस्थायी अंतरों की पहचान शामिल है। ये अंतर वित्तीय विवरणों में उपयुक्त रूप से माने गए हैं। सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों की ली जाने वाली राशि तथा कर आधार के बीच अस्थायी अंतर पर आस्थगित कर देयता भी सृजित की गई है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

(6) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज

भारतीय जीएएपी के तहत, कंपनी ने मार्क टू मार्केट पर ब्याज दर स्वैप व्युत्पन्नों का मापन किया है और क्रॉस करेंसी स्वैप का दस्तावेज के शेष जीवनकाल पर परिशोधित पुनः विवरण पर लाभ/हानि के साथ एफसीएमआईटीडी खाता के माध्यम से रिपोर्टिंग तारीख को विनिमय दर पर मापन किया है।

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार सभी व्युत्पन्नों का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है और कोई भी लाभ/हानि, हेज प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त व्युत्पन्नों पर लाभ/हानि के सिवाय, लाभ अथवा हानि में माना जाता है।

भारतीय लेखांकन मानक अपनाने के कारण इन समायोजनों और परिणामी प्रभाव के परिणामस्वरूप, 1 अप्रैल, 2017 को रखी गई आय में 95.97 करोड़ रुपए तक वृद्धि हुई है और 31 मार्च, 2018 को रखी गई आय में 155.02 करोड़ रुपए तक की वृद्धि हुई है।

(7) इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने के लिए लेखांकित संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम के अवितरित रिजर्व के हिस्से को हिसाब में ईईएसएल के वित्तीय विवरणों में पूर्व जीएएपी के तहत अंतिम रूप दी गई संख्याओं के अनुसार लिया गया है। तथापि, चूंकि ईईएसएल ने भी भारतीय लेखांकन मानक में पारगमन कर लिया है, अतः भारतीय लेखांकन मानक के समायोजनों का प्रभाव समेकित वित्तीय विवरणों में हिसाब में लिया गया है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त उद्यम के समेकन की पद्धति भी आनुपातिक समेकन पद्धति से भारतीय लेखांकन मानक 28 के अनुसार लेखांकन की इक्विटी पद्धति में परिवर्तित हो गई है।

(8) पूर्व अवधि

पूर्व अवधियों में किसी वास्तविक समायोजन को भारतीय लेखांकन मानक के सिद्धांतों के अनुसार संबंधित वर्षों अर्थात पूर्व वित्तीय वर्षों में हिसाब में लिया गया है अर्थात पुनः उल्लिखित किया गया है।

64 समेकन के लिए मानी गई अनुषंगी कंपनियां, संयुक्त उद्यम और संबद्ध कंपनियां

क. कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां

एंटिटियों के नाम	कारोबार स्थल / निगमनों का देश	समूह द्वारा आयोजित स्वामित्व ब्याज		
		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)	भारत	**100%**	100%	100%
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)	भारत	**100%**	100%	100%

ख. संयुक्त उद्यम

एंटिटियों के नाम	कारोबार स्थल / निगमनों का देश	स्वामित्व ब्याज / धारित राशि* समूह द्वारा धारित		
		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)*	भारत			
स्वामित्व ब्याज		**21.70%**	31.71%	31.71%
धारित राशि **		**179.63**	172.63	176.07

समेकित लेखा टिप्पणियां

* वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय विवरण लेखापरीक्षित नहीं हैं और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं तथा समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए माने गए हैं। वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए आंकड़े लेखापरीक्षा पूरी होने पर बदल सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आंकड़े आज की तारीख तक उपलब्ध सूचना के अनुसार एकल आधार पर तैयार किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए समेकित लेखापरीक्षित आंकड़ों पर विचार किया गया है।

** निवेश की उल्लिखित कीमत उपलब्ध नहीं है क्योंकि कंपनी के इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।

ग. संबद्ध कंपनियाँ

एंटिटियों के नाम	कारोबार स्थल / निगमनों का देश	स्वामित्व ब्याज / धारित राशि* समूह द्वारा धारित		
		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
डब्ल्यूआरएसएस XXI (ए) ट्रांस्को	भारत	**100.00%**		
अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड	भारत	**100.00%**		
भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100.00%**		
जम खंम्भालिया ट्रांस्को लिमिटेड	भारत	**100.00%**		
खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड	भारत	**100.00%**		
लकड़िया बनासकाठा ट्रांस्को लिमिटेड	भारत	**100.00%**		
उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लि .	भारत	**100.00%**		
चंदिल ट्रांसमिशन लि .	भारत	**100.00%**	100.00%	
दुमका ट्रांसमिशन लि .	भारत	**100.00%**	100.00%	
कोडरमा ट्रांसमिशन लि .	भारत	**100.00%**	100.00%	
मंदर ट्रांसमिशन लि .	भारत	**100.00%**	100.00%	
दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100.00%**	100.00%	100.00%
घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत		100.00%	100.00%
ईआरएसएस XXI ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत			100.00%
डब्ल्यूआर - एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत			100.00%

टिप्पणी: उपर्युक्त निवेशों का प्रबंधन भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार किया जाता है और कंपनी के पास अकेले इन कंपनियों के संगत क्रियाकलापों को निर्देश देने की व्यावहारिक क्षमता नहीं है। अत: कंपनी अपनी 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी धारण करने के बावजूद महत्वपूर्ण प्रभावशाली संबद्ध कंपनियों के रूप में संबंधित कंपनियों में अपने निवेश मानती है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

घ इक्विटी विधि का उपयोग का लेखा दे रहे संयुक्त उद्यम

ईईएसएल की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार *	31 मार्च, 2018 के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 के अनुसार
वित्तीय परिसंपत्तियां			
नकद एवं नकद समतुल्य	**424.96**	558.78	264.67
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	**335.76**	68.58	57.67
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**1,998.71**	1,470.97	985.02
	2,759.43	2,098.33	1,307.36
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	**4,104.94**	3,370.81	1,269.11
कुल परिसंपत्तियां	**6,864.37**	**5,469.14**	**2,576.47**
वित्तीय देयताएं	**5,686.62**	4,686.89	1,859.04
गैर-वित्तीय देयताएं	**348.67**	92.18	162.18
कुल देयताएं	**6,035.29**	**4,779.07**	**2,021.22**
निवल परिसंपत्तियां	**829.08**	**690.07**	**555.25**

* संयुक्त उद्यम की अलेखापरीक्षित एकल वित्तीय स्थिति पर आधारित

ईईएसएल का सारांशीकृत वित्तीय निष्पादन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए*	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क. आय		
प्रचालनों से राजस्व	**1,829.27**	1,427.82
अन्य आय	**93.82**	55.22
कुल (क)	**1,923.09**	**1,483.04**
ख. व्यय		
वित्तीय लागतें	**187.84**	135.24
मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि	**331.49**	133.61
व्यापारगत माल की खरीद	**939.48**	1,065.38
मालसूचियों में परिवर्तन	**25.41**	(145.29)
अन्य व्यय	**296.03**	230.15
कुल (ख)	**1,780.25**	**1,419.09**

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए*	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
ग. इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने के लिए संयुक्त उद्यमों के परिकलित निवल लाभों/ (हानियों) का हिस्सा	**-**	(1.68)
घ. कर पूर्व लाभ (क-ख+ग)	**142.84**	62.27
ङ. कर व्यय	**59.01**	28.35
च. अवधि के लिए लाभ (ग-घ)	**83.83**	33.92
छ. अन्य व्यापक आय/(हानि)	**(0.22)**	4.51
ज. कुल व्यापक आय (च+छ)	**83.61**	38.43
ईईएसएल से प्राप्त लाभांश	**2.39**	12.92

* संयुक्त उद्यम के अलेखापरीक्षित एकल वित्तीय निष्पादन पर आधारित

समेकित लेखा टिप्पणियां

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की वहनीय राशि का पुनर्गठन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए*	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
आरंभिक निवल परिसंपत्तियां	**690.07**	555.25
शेयर अनुप्रयोग राशि - समायोजित	**(99.00)**	
शेयर पूंजी में वृद्धि	**213.20**	
वर्ष के लिए लाभ	**83.83**	33.92
अन्य व्यापक आय (करों की निवल)*	**(0.22)**	4.51
जोड़ें: शेयर अनुप्रयोग लंबित आबंटन	**0.00**	99.00
घटाएं: इक्विटी शेयर के निर्गम, सकल कर पर कारोबार लागत	**-**	(0.25)
घटाएं: वितरित लाभांश	**(11.03)**	(40.75)
घटाएं: वितरित लाभांश कर	**(2.27)**	(8.29)
जोड़ें: गैर-नियंत्रित ब्याज	**0.00**	46.68
अंतिम निवल परिसंपत्तियां	**874.58**	**690.07**

* गैर-लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरणों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए संचालन किया गया है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

ईईएसएल में निवेश की वहनीय राशि में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 के अनुसार
समूह हिस्सा %	**21.70%**	31.71%	31.71%
निवल मूल्य में समूह का हिस्सा	**189.76**	218.82	176.07
घटाएं: लंबित आबंटन के कारण शेयर आवेदनों की राशि के कारण कटौतियां (अन्य संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा)		(31.39)	-
ईईएसएल के समेकित वित्तीय विवरणों में गैर-नियंत्रित ब्याज	**(10.13)**	(14.80)	
वित्तीय विवरणों में निवेश की वहनीय राशि	**179.63**	172.63	176.07

ईईएसएस की आकस्मिक देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2018 के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 के अनुसार
(क)	**ऋण के रू प में स्वीकार नहीं किये गये कंपनी के विरुद्ध दावे**	**59.49**	71.83
(ख)	**कराधान मांग**		
(ग)	**अन्य**		
	- लैटर ऑफ क्रेडिट	**54.07**	48.00
	- बैंक गारंटी	**166.35**	0.19
	कुल आकस्मिक देयताएं	**279.91**	**120.02**
	अन्य निवेशकों के साथ संयुक्त रू प से वहन की गई संयुक्त उद्यमों की आकस्मिक देयताओं का हिस्सा	**88.76**	**38.06**

टिप्पणी: 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल की आकस्मिक देयता का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है और इसीलिए उपरोक्त तालिका में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

65 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के तहत अपेक्षित समेकित कंपनियों के संबंध में प्रकटन

65.1 निवल परिसंपत्तियों अर्थात कुल परिसंपत्तियों माइनस कुल देयताओं में हिस्सा

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि
मूल						
आरईसी लिमिटेड	**99.30%**	**34,302.94**	99.13%	32,303.15	99.16%	30,551.76
अनुषंगी कंपनियां - भारतीय						
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	**0.45%**	**155.73**	0.48%	156.58	0.44%	136.21
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	**0.34%**	**118.45**	0.54%	176.17	0.51%	157.86
संयुक्त उद्यम - भारतीय						
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	**0.52%**	**179.63**	0.53%	172.63	0.57%	176.07
संबद्ध कंपनियां - भारतीय						
डब्ल्यूआरएसएस-XXI (ए) ट्रांस्को लिमिटेड						
अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड	**0.00%**	**0.05**	-	-	-	-
भिंडगुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.00%**	**0.05**	-	-	-	-
जम खंम्भालिया ट्रांस्को लिमिटेड	**0.00%**	**0.05**	-	-	-	-
खेतरी ट्रांस्को लिमिटेड	**0.00%**	**0.05**	-	-	-	-
लकाड़िया बनासकंठा ट्रांस्को लिमिटेड	**0.00%**	**0.05**	-	-	-	-
उडुपी कसरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.00%**	**0.05**	-	-	-	-
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.00%**	**0.05**	-	-	-	-
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.00%**	**0.05**	-	-	-	-
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.00%**	**0.05**	-	-	-	-
मंडार ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.00%**	**0.05**	-	-	-	-
दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	**-**	0.00%	0.05	0.00%	0.05
घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	**-**	0.00%	0.05	0.00%	0.05
ईआरएसएस XXI ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	**-**	-	-	0.00%	0.05
डब्ल्यूआर-एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	**-**	-	-	0.00%	0.05
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	**-0.61%**	**(210.91)**	-0.68%	(221.02)	-0.69%	(212.67)
कुल	**100.00%**	**34,546.34**	100.00%	32,587.61	100.00%	30,809.43

समेकित लेखा टिप्पणियां

लाभ एवं हानि में शेयर

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	31.03.2019 को समाप्त वर्ष		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	
	समेकित निवल लाभ के % के रूप में	राशि	समेकित निवल लाभ के % के रूप में	राशि
मूल				
आरईसी लिमिटेड	**100.39%**	**5,763.72**	99.31%	4,419.89
सहायक कंपनियां - भारतीय				
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	**0.46%**	**26.34**	0.79%	34.94
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	**0.43%**	**24.60**	0.78%	34.92
संयुक्त उद्यम - भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	**0.17%**	**9.95**	0.24%	10.67
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	**-1.45%**	**(83.23)**	-1.12%	(49.90)
कुल	**100.00%**	**5,741.38**	**100.00%**	**4,450.52**

अन्य व्यापक आय में शेयर

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	31.03.2019 को समाप्त वर्ष		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	
	समेकित अन्य व्यापक आय % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय % के रूप में	राशि
मूल				
आरईसी लिमिटेड	**99.92%**	**(60.54)**	74.78%	4.24
सहायक कंपनियां - भारतीय				
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	**0.00%**	**-**	0.00%	-
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	**0.00%**	**-**	0.00%	-
संयुक्त उद्यम - भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	**0.08%**	**(0.05)**	25.22%	1.43
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	**-**	**-**	-	-
कुल	**100.00%**	**(60.59)**	**100.00%**	**5.67**

समेकित लेखा टिप्पणियां

कुल व्यापक आय में शेयर

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	31.03.2019 को समाप्त वर्ष		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	
	समेकित कुल व्यापक आय % के रू प में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय % के रू प में	राशि
मूल				
आरईसी लिमिटेड	**100.39%**	**5,703.18**	99.41%	4,424.13
सहायक कंपनियां - भारतीय				
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	**0.46%**	**26.34**	0.79%	34.94
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	**0.43%**	**24.60**	0.78%	34.92
संयुक्त उद्यम - भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	**0.17%**	**9.90**	0.27%	12.10
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	**-1.47%**	**(83.23)**	-1.12%	(49.90)
कुल	**100.00%**	**5,680.79**	**100.00%**	**4,456.19**

66 परिसंपत्ति एवं देयताओं के अंतर्गत प्रत्येक श्रृंखलाबद्ध मद के लिए 12 माह या इससे अधिक समय के भीतर वसूली/निपटान की जाने वाली संभावित राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	12 महीनों में	12 से अधिक महीने	12 महीनों में	12 से अधिक महीने	12 महीनों में	12 से अधिक महीने
परिसंपत्तियां						
(1) वित्तीय परिसंपत्तियां						
(क) नकद एवं नकद समतुल्य	**381.99**	**-**	248.43	-	4,468.51	-
(ख) अन्य बैंक शेष	**1,733.08**	**-**	1,946.84	-	70.93	2.05
(ग) व्यापार प्राप्य	**137.72**	**-**	133.76	-	131.33	-
(घ) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज	**325.46**	**1,477.12**	128.89	561.49	13.10	614.97
(ङ) ऋण	**27,977.30**	**242,473.62**	27,123.95	201,754.30	20,704.62	173,229.90
(च) निवेश	**102.19**	**2,180.94**	475.41	2,299.74	445.56	2,383.52
(छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**535.61**	**17,828.38**	280.59	4,000.94	61.40	1.25
कुल - वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	**31,193.35**	**263,960.06**	**30,337.87**	**208,616.47**	**25,895.45**	**176,231.69**
(2) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां						
(क) मालसूचियां	**-**	**-**	-	-	0.04	-
(ख) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	**1.45**	**291.72**	(0.00)	32.22	-	48.43
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**10.25**	**2,295.68**	3.78	2,838.65	0.01	2,134.11

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
		12 महीनों में	12 से अधिक महीने	12 महीनों में	12 से अधिक महीने	12 महीनों में	12 से अधिक महीने
(घ)	निवेश संपत्ति	-	0.01	-	0.01	-	0.01
(ङ)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	-	156.63	-	126.59	-	124.23
(च)	चल रहे पूंजीगत कार्य	-	196.94	-	127.23	-	61.41
(छ)	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	-	1.59	-	1.46	-	1.46
(ज)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	-	8.55	-	5.16	-	0.45
(झ)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	112.64	35.77	53.90	46.11	31.20	41.36
(ञ)	इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने के लिए परिकलित निवेश	-	179.63	-	172.63	-	176.07
	कुल -गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	**124.34**	**3,166.52**	**57.68**	**3,350.06**	**31.25**	**2,587.53**
(3)	**बिक्री के लिए धारित रखी गई वर्गीकृत परिसंपत्तियां**	**9.56**	**-**	7.68	-	3.08	-
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)	**31,327.25**	**267,126.58**	**30,403.23**	**211,966.53**	**25,929.78**	**178,819.22**
	देयताएं						
(1)	**वित्तीय देयताएं**						
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज	**35.69**	**123.71**	59.67	258.08	85.86	268.60
(ख)	व्यापार देय						
	(i) एमएसएमई के कुल बकाया देय	**2.65**	**-**	1.83	-	0.30	-
	(ii) एमएसएमई के अलावा लेनदारों के कुल बकाया देय	**64.64**	**-**	61.31	-	42.89	-
(ग)	ऋण प्रतिभूतियां	**41,345.10**	**151,422.41**	33,345.78	145,722.07	21,877.13	126,773.83
(घ)	उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	**7,202.91**	**39,459.63**	10,289.52	12,341.90	1,901.38	19,798.79
(ङ)	अधीनस्थ देयताएं	**169.96**	**4,648.80**	168.38	2,498.98	168.38	2,498.83
(च)	अन्य वित्तीय देयताएं	**1,399.83**	**17,827.24**	703.05	4,000.00	260.08	-
	कुल - वित्तीय देयताएं (1)	**50,220.78**	**213,481.79**	**44,629.54**	**164,821.03**	**24,336.02**	**149,340.05**
(2)	**गैर-वित्तीय देयताएं**						
(क)	चालू कर देयताएं (निवल)	**-**	**-**	0.51	-	0.55	-
(ख)	प्रावधान	**60.15**	**40.09**	78.25	142.49	58.94	155.33
(ग)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	**104.60**	**-**	88.34	21.99	48.68	-
	कुल - गैर-वित्तीय देयताएं (2)	**164.75**	**40.09**	**167.10**	**164.48**	**108.17**	**155.33**
(3)	**बिक्री के रखी गई देयताओं के रू प में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष रू प से जुड़ी देयताएं**	**0.08**	**-**	-	-	-	-
	कुल देयताएं (1+2+3)	**50,385.61**	**213,521.88**	**44,796.64**	**164,985.51**	**24,444.19**	**149,495.38**

समेकित लेखा टिप्पणियां

पूर्व वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए पुनः वर्गीकृत/पुनःसमूहित किया गया है।

67. इसमें कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन-पत्र से बाहर कुछ नहीं है, जिसे लेखाकरण प्रतिमानकों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है।

68. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी नियामक द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है (पिछले वर्ष शून्य)।

69. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान उचित संव्यवहार संहिता के अंतर्गत उधारकर्ताओं से कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है (पिछले वर्ष शून्य)।

70. जब तक स्पष्ट रूप से व्यक्त न हो, रुपए में अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।

लेखा संबंधी 1 से 70 तक टिप्पणियां तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि के विवरण के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन-03464342

अजीत कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)
डीआईएन-02231613

हमारी इसी तारीख की लेखारिपोर्ट के अनुसार

कृते जी. एस. माथुर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 008744एन

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. 082023

कृते ए. आर. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002744सी

प्रियांशु जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 530262

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24 मई, 2019

प्रपत्र एओसी - 1

वर्ष 2018-19 के लिए अनुषंगी कंपनियों/संबद्ध/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण

भाग क: अनुषंगी कंपनियां

(₹ करोड़ में)

1	विवरण	I	II
2	अनुषंगी कंपनी का नाम	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड
3.	संबंधित अनुषंगी कंपनी के लिए रिपोर्ट की अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्ट की अवधि से भिन्न है	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	विदेशी अनुषंगी कंपनियों के मामले में संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमिय दर	लागू नहीं	लागू नहीं
5	शेयर पूंजी	0.05	0.05
6	आरक्षित एवं अधिशेष	155.68	118.39
7	कुल परिसंपत्तियां	555.03	286.30
8	कुल देयताएं	399.30	167.86
9	निवेश	15.81	89.08
10	टर्नओवर	159.78	40.45
11	लाभ/(हानि) कराधान से पूर्व	41.01	32.21
12	कराधान हेतु प्रावधान	14.67	7.61
13	लाभ/(हानि) कर पश्चात	26.34	24.60
14	प्रस्तावित लाभांश	-	-
15	शेयरधारिता का %	100.00%	100%

(1) अनुषंगी कंपनियों के नाम, जिनके प्रचालन अभी शुरू होने हैं- शून्य

(2) अनुषंगी कंपनियों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय कर दिया गया है- शून्य

भाग ख: संबद्ध और संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम का विवरण

(₹ करोड़ में)

संबद्ध संस्था का नाम		दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड#	उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड	चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भिंडगुना ट्रांसमिशन लिमिटेड
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तिथि	31-मार्च-19	31-मार्च-19	31-मार्च-19	31-मार्च-19	31-मार्च-19	31-मार्च-19	31-मार्च-19
2	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संबद्ध/संयुक्त उद्यमों के शेयर							
	संख्या	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	संबद्ध/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (₹ करोड़ में)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	होल्डिंग की परिसीमा (%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3	महत्वपूर्ण प्रभाव होने पर इसका विवरण	शेयरों की 100% होल्डिंग तथा प्रबंधन में भागीदारी						
4	संबद्ध/संयुक्त उद्यम को समेकित नहीं किए जाने का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार शेयरधारिता का आरोप्य निवल मूल्य	-	(0.18)	(1.70)	(1.50)	(1.66)	(1.46)	(0.71)
6	वर्ष के लिए लाभ/हानि							
i.	समेकन में विचारा गया*	-	-	-	-	-	-	-
ii.	समेकन में नहीं विचारा गया	0.49	(0.23)	(1.75)	(1.55)	(1.71)	(1.51)	(0.76)

विद्युत मंत्रालय ने 1 फरवरी 2019 को जारी राजपत्र अधिसूचना द्वारा उक्त परियोजना को डी-नोटिफाई कर दिया है। तदनुसार, हटाने के से कंपनी के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई शुरू की जा रही है।

* संबद्ध उद्यम को 'बिक्री के लिए धारित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और लागत पर मूल्यांकित है। तदनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों में लाभ (हानि) पर विचार नहीं किया गया है।

अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड, जम खंम्भालिया ट्रांसको लिमिटेड, खेत्री ट्रांस्को लिमिटेड, डब्ल्यूआरएसएस एक्सएक्सआईए (ए) ट्रांस्को लिमिटेड और लकडिया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड पांच सहयोगी कंपनियों को 1 जनवरी 2019 के बाद और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप अधिनिगामित किया गया है। 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए इन कंपनियों के पहले वित्तीय विवरण तैयार किए जाएंगे।

संयुक्त उद्यम का विवरण

(₹ करोड़ में)

संयुक्त उद्यम का नाम		एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तिथि	31-मार्च - 18
2	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संबद्ध/संयुक्त उद्यमों के शेयर	
	संख्या	14,65,00,000
	संबद्ध/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि @	146.50
	होल्डिंग की परिसीमा (%)	21.70%
3	महत्वपूर्ण प्रभाव होने पर इसका विवरण	होल्डिंग 21.70% के शेयर तथा प्रबंधन में भागीदारी
4	संबद्ध/संयुक्त उद्यम को समेकित नहीं किए जाने का कारण	लागू नही
5	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार शेयरधारिता का आरोप्य निवल मूल्य	218.82
6	वर्ष के लिए लाभ/हानि *	
i.	समेकन में विचारा गया	9.95
ii.	समेकन में नहीं विचारा गया	शून्य

@ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के राइट इश्यू ऑफर के तहत, कंपनी ने 8 अप्रैल 2019 को 71.60 करोड़ रुपए पर विचार पर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के 7,16,00,000 शेयरों के लिए आवेदन किया है।

* आंकड़े संयुक्त उद्यम के अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं।

(1) संबद्ध या संयुक्त उद्यम के नाम, जिनके प्रचालन अभी शुरू होने हैं।

31 मार्च 2019 के अनुसार, 12 संबद्ध कंपनियों के प्रचालन अभी शुरू किए जाने हैं जिनके नाम क्रमशः, दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड, उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड, चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड, कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड, दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड, मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड, भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड, अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड, जम खंम्भालिया ट्रांस्को लिमिटेड, खेतरी ट्रांस्को लिमिटेड, डब्ल्यूआरएसएस XXI(ए) ट्रांस्को लिमिटेड तथा लाकाड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड हैं।

(2) संबद्ध या संयुक्त उद्यम के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय कर दिया गया है।

कारोबार की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित संबद्ध कम्पनियां को जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त/हटा दिया गया है:

अनुषंगी कंपनी के नाम	विक्रय की तिथि
घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	19.06.2018
जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	21.12.2018

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन-03464342

अजीत कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)
डीआईएन-02231613

हमारी इसी तारीख की लेखा रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी. एस. माथुर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.: 008744एन

कृते ए. आर. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002744सी

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. : 082023

प्रियांशु जैन
भागीदार
सदस्यता सं. : 530262

Place: नई दिल्ली
Date: 24 मई, 2019

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुबंध

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित)

(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- व्यवस्थागत रुप से महत्वपूर्ण गैर-जमा ग्राही करने वाली कंपनी और जमा करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 2016 के पैराग्राफ 18, जहां तक आरईसी लिमिटेड पर इसे लागू करने का संबंध है, के अनुसार अपेक्षित ब्योरे)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
		बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि
	देयता पक्ष:						
(1)	**एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम**						
	जिसमें उस पर उपचित लेकिन अदा न किया गया ब्याज शामिल हैं:						
(क)	डिबेंचर/बॉण्ड :						
	- प्रतिभूत	**49,398.19**	**-**	60,692.05	-	62,084.73	-
	- अप्रतिभूत	**1,41,361.86**	**-**	1,18,055.08	-	89,333.36	-
(ख)	आस्थगित क्रेडिट	**-**	**-**	-	-	-	-
(ग)	सावधिक ऋण						
	-वित्तीय संस्थाओं से प्रतिभूत ऋण	**207.33**	**-**	414.82	-	776.66	-
	-भारत सरकार से अप्रतिभूत ऋण	**5,121.84**	**-**	-	-	-	-
	-बैंको से अप्रतिभूत ऋण	**18,555.08**	**-**	-	-	-	-
	-वित्तीय संस्थाओं से अप्रतिभूत ऋण	**1,000.00**	**-**	-	-	-	-
(घ)	अंतर - कारपोरेट ऋण और उधारियां	**-**	**-**	-	-	-	-
(च)	वाणिज्यिक दस्तावेज	**7,975.00**	**-**	3,250.00	-	-	-
(छ)	अन्य ऋण	**-**	**-**	-	-	-	-
	- विदेशी मुद्रा उधारियां	**17,705.96**	**-**	18,584.29	-	21,155.72	-
	-एफसीएनआर (बी) ऋण	**4,327.72**	**-**	3,812.07	-	-	-
	-मांग पर ऋण प्रतिदेय	**-**	**-**	-	-	-	-
	-फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन	**0.11**	**-**	0.11	-	0.13	-

		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
	परिसंपत्ति पक्ष:			
(2)	**प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं पेशगियों का ब्योरा**			
	(क) प्रतिभूत	**2,05,679.19**	1,88,536.81	1,62,535.61
	(ख) अप्रतिभूत	**64,127.98**	40,442.23	31,478.31
(3)	**निवेश :**			
	चालू निवेश :			
	अनुद्धृत:			
	(i) शेयर: इक्विटी			
	दीर्घावधि निवेश			

	उद्धृत:			
	(i) शेयर: इक्विटी	**640.81**	712.37	592.52
	(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	**1,556.87**	1,500.62	1,500.62
	अनुद्धृत:			
	(i) शेयर: इक्विटी	**179.63**	172.63	285.32
	(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	**32.11**	414.42	384.59
	(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	**6.18**	6.26	6.30
	(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	**47.16**	141.48	235.80

(4) उपरोक्त (2) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों के उधारकर्ता का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	**प्रावधानों की निवल राशि**		
		प्रतिभूत	अप्रतिभूत	योग
	31 मार्च 2019 के अनुसार			
	1. संबंधित पक्षकार			
	(क) अनुषंगी कंपनियां	**-**	-	-
	(ख) उसी समूह की कंपनियां	**-**	-	-
	(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	**-**	0.46	0.46
	2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	**2,05,679.19**	64,127.52	2,69,806.71
	जोड़	**2,05,679.19**	**64,127.98**	**2,69,807.17**
	31 मार्च 2018 के अनुसार			
	1. संबंधित पक्षकार			
	(क) अनुषंगी कंपनियां	**-**	-	-
	(ख) उसी समूह की कंपनियां	**-**	-	-
	(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	**-**	0.56	0.56
	जोड़	**1,88,536.81**	40,441.67	2,28,978.48
	1 अप्रैल 2017 के अनुसार	**1,88,536.81**	**40,442.23**	**2,28,979.04**
	1. संबंधित पक्षकार			
	(क) अनुषंगी कंपनियां			
	(ख) उसी समूह की कंपनियां	**-**	-	-
	(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	**-**	-	-
	2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	**0.02**	0.51	0.53
	जोड़	**1,62,535.59**	31,477.80	1,94,013.39
		1,62,535.61	**31,478.31**	**1,94,013.92**

(5) शेयर एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में निवेशों (चालू और दीर्घावधि) के निवेशक का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार		01.04.2017 के अनुसार	
	बाजार मूल्य/ विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)	बाजार मूल्य/ विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)	बाजार मूल्य/ विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)
1. संबंधित पक्षकार						
(क) अनुषंगी कंपनियां	**-**	**-**	-	-	-	-
(ख) समान समूह की कंपनियां	**-**	**-**	-	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	**179.63**	**179.63**	172.63	172.63	176.07	176.07
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	**2,283.13**	**2,283.13**	2,775.15	2,775.15	2,829.08	2,829.08
जोड़	**2,462.76**	**2,462.76**	**2,947.78**	**2,947.78**	**3,005.15**	**3,005.15**

(6) अन्य सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2017 के अनुसार
(i) सकल अनर्जक परिसंपत्तियां			
(a) संबंधित पक्षकार	**-**	-	-
(b) संबंधित से भिन्न पक्षकार	**20,348.44**	17,128.43	4,872.69
(ii) निवल अनर्जक परिसंपत्तियां			
(a) संबंधित पक्षकार	**-**	-	-
(b) संबंधित से भिन्न पक्षकार	**10,649.49**	8,637.90	2,223.74
(iii) ऋण के समाधान हेतु अधिगृहीत परिसंपत्तियाँ	**-**	-	-

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक तकनीकी
डीआईएन-03464342

अजीत कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)
डीआईएन-02231613

हमारी इसी तारीख की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी. एस. माथुर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 008744एन

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. 082023

कृते ए. आर. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002744सी

प्रियांशु जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 530262

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई 2019

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) के सदस्य

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के संबंध में रिपोर्ट

राय

हमने **आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)** (इसके पश्चात "होल्डिंग कंपनी" के रूप में संदर्भित) (होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को मिलाकर "समूह" के रूप में संदर्भित) और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी संलग्न की है जिसमें 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन की समेकित विवरणी और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरणी और समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के नोट जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार (इसके पश्चात "समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी" के रूप में संदर्भित) शामिल है, की लेखापरीक्षा की है।

हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा जिस प्रकार से अपेक्षित हो, इस प्रकार से सूचना देती है और इस समय एवं इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके समेकित नकद प्रवाह तथा इसके सार की समेकित स्थिति का भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

विचार बिन्दु का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्वों में उल्लेख किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार इस समूह से स्वतंत्र हैं और हमने इस अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य को हमने प्राप्त किया है तथा हमारे विचार के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में, वर्तमान अवधि की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे। इन मामलों का समाधान सम्पूर्ण रूप में समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उसके संबंध में अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग से कोई विचार नहीं रखते हैं। हमने नीचे उल्लिखित निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अपनी रिपोर्ट में संसूचित किए जाने के लिए लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामलों के रूप में किया है:

क्रम सं.	लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	**ऋण परिसंपत्तियों की क्षति - प्रत्याशित ऋण हानि** (लेखांकन नीति संख्या 3.12 के साथ पठित समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के नोट संख्या 53.1.3 का संदर्भ लें) यह कंपनी नीचे दिए गए सार के अनुसार आरंभिक पहचान से ऋण की गुणवत्ता में परिवर्तनों के आधार पर क्षति के लिए "तीन चरण" मॉडल को अपनाती है: • चरण 1 में वे ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं जिनकी आरंभिक पहचान से ऋण जोखिम में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है अथवा जिनका रिपोर्ट करने की तिथि को बहुत कम ऋण जोखिम है। • चरण 2 में वे ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं जिनकी आरंभिक पहचान से ऋण जोखिम में बहुत अधिक वृद्धि हुई है लेकिन जिसके बारे में क्षति का वस्तुपरक साक्ष्य नहीं है। • चरण 3 में वे ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं जिनके बारे में सूचना देने की तिथि को क्षति का वस्तुपरक साक्ष्य है। प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) की माप चरण 1 की ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12 महीने के ईसीएल और चरण 2 के लिए पूरे जीवनकाल एवं चरण 3 के लिए ऋण परिसंपत्तियों के रूप में की जाती है। ईसीएल चूक की संभावना, चूक के लिए ऋण जोखिम और चूक के आधार पर दी गई हानि जिसे नीचे परिभाषित किया गया है, का उत्पाद है: **चूक की संभावना (पीडी) -** यह पीडी दायित्व के अगले 12 महीने (12 महीने पीडी) अथवा शेष जीवनकाल (जीवनकाल पीडी) के दौरान इसके वित्तीय दायित्व पर ऋण प्राप्त करने वाले के द्वारा ऋण न चुकाने की संभावना को दर्शाता है। **चूक को देखते हुए हानि (एलजीडी) -** एलजीडी चूक किए गए ऋण जोखिम पर हानि की सीमा की कंपनी की प्रत्याशा को दर्शाता है। एलजीडी प्रतिपक्षकार के प्रकार, दावे के प्रकार और वरीयता तथा समानांतर अथवा अन्य ऋण सहायता की उपलब्धता के मामले में अलग-अलग हैं। इसके अलावा, जहां आरईसी और पीएफसी (होल्डिंग कंपनी) चरण 3 के ऋण लेखाओं के लिए संघ में हैं, एलजीडी निम्नलिखित आधार पर तय किया जाता है:	**लेखापरीक्षा संबंधी हमारी प्रक्रिया:** हमने प्रत्याशित ऋण हानि के संबंध में उल्लिखित भारतीय लेखांकन मानक 109 "वित्तीय विवरणी" विभिन्न विनियामक संबंधी अद्यतन जानकारी और कंपनी के आंतरिक अनुदेशों और प्रक्रियाओं के अनुसार दिशा-निर्देशों को समझा है और लेखापरीक्षा के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं को अपनाया है: ऋण परिसंपत्तियों की मॉनीटरिंग, ऋण की हानि का आकलन जिसमें संगत आंकड़ों की गुणवत्ता का परीक्षण और अंकित किए गए वास्तविक आंकड़ों की समीक्षा शामिल है, के संबंध में प्रमुख आंतरिक नियंत्रण तंत्रों का मूल्यांकन और परीक्षण। किसी ऋण परिसंपत्ति लेखा में बहुत अधिक समय से बकाया कोई राशि, असंतोषजनक व्यवहार अथवा किसी कमियों का पता लगाने के लिए वृहद और संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का परीक्षण जांच आधार पर दस्तावेजों का सत्यापन/समीक्षा, ऋण परिसंपत्ति लेखाओं का प्रचालन/कार्य निष्पादन और निगरानी। • उन ऋण परिसंपत्तियों जिनका कोई प्रतिकूल संकेत/टिप्पणियां हों, का पता लगाने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्टों और किसी अन्य लेखापरीक्षा और निरीक्षण तंत्रों की समीक्षा और इस प्रकार की ऋण परिसंपत्तियों के उचित वर्गीकरण तथा उसकी प्रत्याशित ऋण हानि के वर्गीकरण को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के नियंत्रण तंत्रों की समीक्षा।

क्रम सं.	लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
	ऋण परिसंपत्तियों की क्षति - प्रत्याशित ऋण हानि (विस्तार) • उन मामलों में जहां या ता आरईसी अथवा पीएफसी एक अग्रणी ऋणदाता है, अग्रणी ऋणदाता द्वारा परिकलित एलजीडी प्रतिशत अपनाया जाता है। • उन मामलों में जहां न तो आरईसी और न ही पीएफसी अग्रणी ऋणदाता है, आरईसी और पीएफसी द्वारा तय किए गए एलजीडी प्रतिशत का अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत अपनाया जाता है। **चूक के लिए ऋण जोखिम (ईएडी) -** ईएडी आकलन की तिथि के अनुसार शेष ऋण जोखिम की राशि पर आधारित है जिस पर ईसीएल की गणना राहत पत्रों के संबंध में अवितरित राशियों सहित की जाती है। **ईसीएल की माप में प्रयुक्त प्रमुख पूर्वानुमान** • कंपनी आरंभिक पहचान की तिथि को आधार तिथि के रूप में मानती है जिससे ऋण जोखिम में बहुत अधिक वृद्धि का निर्धारण किया जाता है। • चालू करने में लागत आधिक्य और समय में विलंब पर विचार निर्माण परियोजनाओं के अंतर्गत ऋण की रेटिंग की गणना करने के लिए किया जाता है। • कारोबार की सीमा और मूल कंपनी के समर्थन पर विचार अंतिम रेटिंग किए जाने के लिए किया जाता है। • चूंकि कंपनी के पास अपने ऋण प्राप्तकर्ताओं की किसी भी सीमाओं तक न निकाली गई राशि को छोड़कर किसी स्वीकृत सीमा को रद्द करने का अधिकार है, अतः ईएडी को संसूचित करने की तिथि के अनुसार देय बकाया राशि के रूप में माना जाता है। ऋण की प्रत्याशित हानि में अंतर्निहित अनुमानों की निगरानी और समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है।	**लेखापरीक्षा संबंधी हमारी प्रक्रिया:**

क्रम सं.	लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	**ऋण परिसंपत्तियों की क्षति - प्रत्याशित ऋण हानि (विस्तार)** ऊपर में उल्लेख किए गए अनुमानों का कोई अनुचित उपयोग किए जाने की स्थिति में, ऋण परिसंपत्तियों के मूल्य का या तो अलग-अलग अथवा सामूहिक रूप से और कुल परिसंपत्तियों का समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी में ऋण परिसंपत्तियों की राशि अर्थात 90.62 प्रतिशत के औचित्य को देखते हुए वस्तुपरक रूप से गलत तरीके से उल्लेख किया जा सकता है, इस पर ऋण परिसंपत्तियों की हानि पर विचार हमारी लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले के रूप में किया गया है।	**लेखापरीक्षा संबंधी हमारी प्रक्रिया:**
2.	**व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का निष्पक्ष मूल्यांकन** (लेखांकन नीति संख्या 3.11 के साथ पठित समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के नोट संख्या 8 का संदर्भ लें) चूंकि आरईसी लिमिटेड एनबीएफसी-आईएफसी है, अतः इसका प्रमुख कार्य विद्युत क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना है। इसके लिए आरईसी अपने निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक बाजार ऋण देने संबंधी कार्यक्रम के आधार पर विभिन्न परिपक्वता अवधियों पर निर्भर करते हुए विभिन्न साधनों के मिश्रण जैसे संस्थागत बांड, पूंजी लाभ छूट बांड, सावधि ऋण, वाणिज्यिक पेपर, विदेशी मुद्रा सावधि ऋण/बांड, एफसीएनआर (बी), ओडीए ऋण आदि के माध्यम से निधियां जुटाता है। इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में, आरईसी को प्राथमिक रूप से अमेरिकी डॉलर, यूरो और जेपीवाई के संबंध में विदेशी मुद्रा कारोबारों से विदेशी विनिमय जोखिम और ब्याज दर जोखिम होने की संभावना रहती है। विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम के प्रति कंपनी की अरक्षितता को कम करने के लिए, गैर आईएनआर नकदी प्रवाह की निगरानी की जाती है और व्युत्पन्न संविदा कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियों और आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है। व्युत्पन्न की गणना लेखांकन भारतीय लेखांकन मानक द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार लेखा बुक में उचित मूल्य (मार्क टू मार्केट) पर की जाती है।	**लेखापरीक्षा संबंधी हमारी प्रक्रिया:** व्युत्पन्न साधनों के वर्गीकरण, मूल्यांकन और मूल्यांकन संबंधी मॉडलों पर प्रबंधन के महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता का आकलन करना। प्रबंधन से 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार भुगतान के लिए देय/लंबित के रूप में विभिन्न वित्तीय व्युत्पन्न संविदाओं का ब्यौरा प्राप्त किया। हमने उन वित्तीय व्युत्पन्न संविदाओं के बारे में तय किए गए उचित मूल्यांकन और कंपनी की किसी लाभ अथवा हानि के बारे में बढ़ने वाले अंतर्निहित ठेकाओं के संभावित परिणाम का आकलन करने में प्रबंधन के अंतर्निहित अनुमानों की समीक्षा करने के लिए अपने दल को शामिल किया है। हमारे दल ने 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार भुगतान के लिए देय/लंबित राशि के रूप में वित्तीय व्युत्पन्न ठेकाओं के इस प्रकार का उचित मूल्यांकन निर्धारित करने में सामान्य बाजार प्रथाओं और अन्य अंतर्निहित मान्यताओं पर भी विचार किया। हमने प्रतिपक्षकार पुष्टि भी प्राप्त की है जो इस मामले में अधिकांशतः बैंक से जिसके साथ इस प्रकार के वित्तीय व्युत्पन्न ठेके किए गए हैं, को प्राप्त किया है और हमने स्वतंत्र रूप से इस प्रकार से तय किए गए मूल्यांकन की तुलना ठेका देने वाले बैंकों से की है। इसके अलावा, हमने निकट भविष्य में कंपनी के लाभ और हानि के विवरण के किए जा रहे इस प्रकार के उचित मूल्यांकन (बाजार से बाजार) के प्रभाव पर विचार किया।

क्रम सं.	लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
2.	**व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का निष्पक्ष मूल्यांकन (विस्तार)** हमने कुछ व्युत्पन्न साधनों का मूल्यांकन करने के लिए निहित जटिलताओं की सीमा के कारण लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मामले के रूप में व्युत्पन्न के उचित मूल्य के आकलन की पहचान की।	**लेखापरीक्षा संबंधी हमारी प्रक्रिया:** यह आकलन करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरणी को प्रकट करने से भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों और प्रचलित लेखांकन मानदंडों की अपेक्षाओं के संदर्भ में कंपनी के व्युत्पन्न मूल्यांकन जोखिमों के प्रति अरक्षितता उपयुक्ता रूप से दर्शाई जाती है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को छोड़कर सूचना

कंपनी का निदेशक बोर्ड अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की गई सूचना और बोर्ड की रिपोर्ट का अनुबंध शामिल है, परंतु उसमें समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। बोर्ड की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट का अनुबंध इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के संबंध में हमारे विचार में अन्य सूचना शामिल नहीं होती है और हम उस पर आश्वासन संबंधी निष्कर्ष के किसी रूप को व्यक्त नहीं करेंगे।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर में पहचान की गई अन्य सूचना, जब यह उपलब्ध हो जाए, को पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस तथ्य पर भी विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वास्तविक रूप से समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के अनुरूप है अथवा इस लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई जानकारी अथवा अन्य प्रकार से उसका वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया प्रतीत होता हो।

जब हम बोर्ड की रिपोर्ट और बोर्ड के रिपोर्ट के अनुबंध को पढ़ते हैं तब यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया है तब यह अपेक्षित होता है कि हम इस मामले को शासन जिसे यह जिम्मेदारी दी गई है, को सूचित करें।

प्रबंधन और उनका दायित्व, जिन्हें समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के लिए शासन की जिम्मेदारी दी गई है

होल्डिंग कंपनी का निदेशक बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के संबंध में, इन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी को तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और यथासंशोधित ("भारतीय लेखांकन मानक") कंपनी नियमावली (भारतीय लेखांकन मानक), 2015 तथा भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी सहित इस समूह के समेकित नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता हो। कंपनी के अलग-अलग निदेशक बोर्ड, जो इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी में शामिल हैं, जालसाजी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने तथा इस समूह अथवा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करने और उनका प्रयोग करने; उन निर्णयों और अनुमानों जो उचित और विवेकपूर्ण हो, को तय करने; और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों जो भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता हो तथा जो वास्तविक गलत कथन से मुक्त हो, चाहे वह जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो और जिसका उपयोग ऊपर में उल्लेख किए गए अनुसार होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी को तैयार करने के उद्देश्य से किया गया हो, को प्रस्तुत करने तथा तैयार करने से संबंधित लेखांकन रिकार्डों की सत्यता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, के डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी को तैयार करने में, इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी में शामिल किए गए कंपनी के अलग-अलग निदेशक बोर्ड, वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए, जहां भी लागू हो, उसका खुलासा करने के लिए, वर्तमान चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार का उपयोग करते हुए इस समूह की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं, यदि प्रबंधन का उद्देश्य इस समूह का परिसमापन नहीं करने का हो अथवा इसके प्रचालनों को बंद करने का हो अथवा ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी में शामिल किए गए कंपनी के अलग-अलग निदेशक बोर्ड इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की वित्तीय संसूचन की प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इसके संबंध में अन्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या सम्पूर्ण रूप में समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी वस्तुपरक गलत सूचना से मुक्त है, चाहे वह जालसाजी अथवा किसी त्रुटि के कारण हुआ हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, जिसमें हमारा विचार शामिल है, को जारी करने के लिए स्वतंत्र है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा वस्तुपरक गलत सूचना का पता लगा लिया जाएगा जब यह होता हो। गलत कथन जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण होता है और इसे वास्तविक माना जाता है यदि इसे अलग-अलग रूप में अथवा कुल मिलाकर देखा जाए, आशा है कि उसके कारण उचित रूप से उन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ सकता है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशयवाद बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के वस्तुपरक गलत कथन के जोखिमों चाहे वह किसी जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, की पहचान करते हैं और उसका आकलन करते हैं, उन जोखिमों पर प्रभाव डालने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन बनाते हैं और उसका कार्य निष्पादन करते हैं तथा लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य, जो हमारे विचार के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों, प्राप्त करते हैं। किसी जालसाजी के कारण उत्पन्न होने वाले वस्तुपरक गलत कथन का पता नहीं लगाने का खतरा उस खतरे की तुलना में अधिक होता है जो किसी त्रुटि के कारण होता हो क्योंकि जालसाजी में मिलीभगत, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना, जानबूझकर चूक करना, गलत बयानी करना अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकते हैं।
- लेखापरीक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हों, का डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इस अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इसके संबंध में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली सक्रिय है और इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता कार्य कर रही है।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता और उसके संबंध में किया गया खुलासा तथा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन की उपयुक्तता के बारे में निष्कर्ष निकालना, चाहे कोई वास्तविक अनिश्चितता उन घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में मौजूद हो, जो वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए इस समूह अथवा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की क्षमता पर बहुत अधिक संदेह उत्पन्न करता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है तब यह अपेक्षित है कि हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी में संबंधित खुलासों के बारे में अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें और यदि इस प्रकार का खुलासा हमारे विचार में संशोधन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तब भी हम उनका ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर हैं। हालांकि, भावी घटनाएं अथवा स्थितियां इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के लिए वर्तमान चिंता के रूप में जारी रहने से रोकने के लिए स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं।
- खुलासों सहित समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की समग्र प्रस्तुती, ढांचा और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना और यह कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी अंतर्निहित कारोबारों को दर्शाती हो और इसके साथ ही उस तरीके से घटनाओं को दर्शाती हो जिसे उचित रूप में प्रस्तुत किया जा सके।
- समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी में इन कंपनियों की वित्तीय सूचना अथवा व्यापार संबंधी क्रियाकलाप के बारे में सूचना के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त

करना। हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी में शामिल की गई इस प्रकार की कंपनियों की वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा जो स्वतंत्र लेखापरीक्षक हों, की दिशा, पर्यवेक्षण और कार्य निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी में शामिल की गई अन्य कंपनियों जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, के लिए इस प्रकार के अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं की दिशा, पर्यवेक्षण और कार्य निष्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम मुख्य रूप से अपनी लेखापरीक्षा से संबंधित राय के लिए जिम्मेदार होते हैं।

हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी में शामिल की गई होल्डिंग कंपनी और इस प्रकार की अन्य कंपनियों का शासन का उत्तरदायित्व दिए गए व्यक्तियों को सूचित करते हैं जिसके अन्य मामलों के साथ-साथ योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा संबंधी निष्कर्षों जिसमें आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण खामियां जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, शामिल हैं, के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं।

हम उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को ऐसा कथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उन्हें सभी संबंधों और अन्य मामलों जिनके बारे में उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ने के बारे में सोचा जा सकता हो और जहां भी लागू हो, उससे संबंधित सुरक्षात्मक उपायों की भी सूचना देते हैं।

उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को सूचित किए गए मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व रखते थे और इस कारण से पूरी लेखापरीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले होते हैं। हम इन मामलों का उल्लेख अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में करते हैं, यदि कानून अथवा विनियमन उस मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से खुलासा करने पर रोक लगाता हो अथवा जब अत्यधिक असाधारण परिस्थितियों में हम यह निर्धारण करते हैं कि इस मामले की सूचना अपनी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का प्रतिकूल परिणाम इस प्रकार की सूचना के सार्वजनिक हित से संबंधित लाभों पर उचित रूप से और अधिक भारी होने की आशा होगी।

अन्य मामले

(क) हमने दो अनुषंगी कंपनियों तथा जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2019 के अनुसार रु 841.33 करोड़ (31 मार्च 2018 के अनुसार रु 826.98 करोड़ और 1 अप्रैल के अनुसार रु 371.90 करोड़) की कुल परिसंपत्तियों तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए रु 200.22 करोड़ (पिछले वर्ष रु 260.06 करोड़) के कुल राजस्व और रु 2.62 करोड़ (पिछले वर्ष रु 33.87 करोड़) राशि के निवल नकदी प्रवाहों को दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी में विचारा गया है, की लेखापरीक्षा नहीं की है। समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी में, रु 50.94 करोड़ (पिछले वर्ष रु 69.86 करोड़) तथा कुल व्यापक आय रु 50.94 करोड़ (पिछले वर्ष रु 69.8 करोड़) राशि के, कर उपरांत निवल लाभ के अनुषंगी कंपनियों के शेयर शामिल हैं, जैसा कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी में विचारा गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गयी है तथा हमारी राय में, जहां तक इन अनुषंगी कंपनियों के संबंध में राशियों एवं प्रकटनों का संबंध है, और जहां तक उपर्युक्त अनुषंगी कंपनियों से संबंधित अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, पूर्णतया: अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

(ख) समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए, समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी में विचार किए गए अनुसार इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए 9.95 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष में 10.67 करोड़ रुपए) के कर पश्चात निवल लाभ और 9.90 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष में 12.10 करोड़ रुपए) की कुल व्यापक आय का संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी का शेयर भी शामिल है। वित्तीय सूचना हमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई है और समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी पर हमारी राय जहां तक इसका संबंध राशियों और खुलासों जिसे संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के मामले में शामिल किया गया है, से संबंधित हो और साथ ही इस अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) और उप धारा (11) के संबंध में हमारी रिपोर्ट, जहां तक इसका संबंध ऊपर में उल्लेख किए गए संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी से संबंधित हो, मुख्य रूप से ऐसी वित्तीय सूचना पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी में इस संयुक्त उद्यम कंपनी के संबंध में शामिल किए गए निवल लाभ और कुल व्यापक आय का संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी का हिस्सा और खुलासा इस समूह के लिए सही नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गयी हमारी विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट, प्रबंधन द्वारा अभिप्रमाणित वित्तीय विवरणों और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों तथा किए गए कार्य पर हमारे विश्वास के संबंध में उपरोक्त मामलों में, संशोधित नहीं की गयी है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं कि:

(क) हमने उन समस्त जानकारियों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं।

(ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण, और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ अनुरक्षित लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।

(च) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के तहत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के उपबंधों की अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।

(छ) समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में, "अनुबंध-क" में हमारी रिपोर्ट को देखें; तथा

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा पृथक वित्तीय विवरणों कि रिपोर्ट और अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों कि अन्य वित्तीय जानकारी पर भी विचार करने के आधार पर:

(i) समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी समेकित वित्तीय स्थिति की लंबित मुक़दमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है - समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 48.1 के संदर्भ में;

(ii) समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक ठेके नहीं हैं जिसमें कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य क्षतियां हों;

(iii) होल्डिंग कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों और भारत में निगमित इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में, हस्तांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित, अंतरण राशियों में कोई विलंब नहीं हुआ है।

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजी. सं. 008744एन

एस. सी. चौधरी
साझीदार
सदस्य सं. 082023

कृते ए. आर. एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजी. सं. 002744सी

प्रियांशु जैन
साझीदार
सदस्य सं. 530262

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 24 मई, 2019

आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी पर उसी तिथि को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-क

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2019 के अनुसार तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी पर की गयी हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में, आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) (यहां इसके उपरांत इसे "होल्डिंग कंपनी" के रूप में संदर्भित किया है) तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी, जोकि उक्त तिथि को, भारत में निगमित की गयी कंपनियां हैं, के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

होल्डिंग कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों, इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी, जोकि भारत में निगमित कंपनियां हैं, का संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना करने एवं उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके कारोबार का सुव्यवस्थित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इसमें, कंपनी अधिनियम के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उनका निवारण करना, लेखांकन अभिलेखों परिशुद्धता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग-निर्देशन टिप्पणी ("मार्ग-निर्देशन टिप्पणी") तथा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझे गए लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लागू सीमा तक, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में दोनों के लिए लागू है तथा, दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, क्रियान्वित की है। इन मानकों और मार्ग-दर्शन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया गया था तथा यदि ऐसे नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग में प्रचालित किया गया, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वचनबद्धता प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद हो, तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य जो हमने प्राप्त किया है और लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य जिसे भारत में निगमित सहायक कंपनियों के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामले से संबंधित पैराग्राफ में उल्लिखित उनकी रिपोर्ट के संबंध में प्राप्त किया गया था, समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सामान्यतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाईन की गयी एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और क्रियाविधियां शामिल हैं जोकि:

(1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो, समूह की परिसंपत्तियों के लेन-देनों और स्वभावों का उपयुक्त ब्योरा, परिशुद्धता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित करती है;

(2) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं जो साधारणतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति हेतु अनिवार्य रूप से अभिलेखबद्ध हैं, तथा जिनकी प्राप्तियों और कंपनी के व्ययों को केवल समूह के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(3) समूह की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनसे वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के उपयोग या प्रकृति, अनधिकृत अधिग्रहण का सामयिक पता लगाने अथवा निवारण करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, कपटवश या भूलवश महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हुए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण ऐसे जोखिम के अधीन हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितयों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाता है, या नीतियों अथवा क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर बढ़ जाता है।

राय

हमारे विचार से, होल्डिंग कंपनी, इसकी सहायक कंपनियां और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, सभी वास्तविक पहलुओं से एक समुचित आंतरिक वित्तीय प्रणाली है, जिसमें (i) उधार लेने वालों को वितरित निधियों के उपयोग की निगरानी करने के लिए प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाना, (ii) लागू की जाने वाली एचआर नीति के अनुसार कुछ स्टाफ में कर्तव्यों का आवर्तन, (iii) सहायक कंपनियों द्वारा अपने एसोसिएट को सामान्य खर्चे के आबंटन की प्रणाली में सुधार (एसपीवी), (iv) आवधिक शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया और समय पर आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा सहायक कंपनियों द्वारा उसके संबंध में अनुपालन की रिपोर्ट प्राप्त करना, अत्यधिक वित्तीय संसूचना और अत्यधिक वित्तीय संसूचना पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त करना जो 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई वित्तीय संसूचना के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा से संबंधित मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए इस समूह द्वारा तय किए गए वित्तीय संसूचन मानदंडों के बारे में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

हमने सुधार के क्षेत्रों की पहचान की है, जिनके कंपनी के 31 मार्च, 2019 के समेकित भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय अवधि और परिसीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताये गये अनुसार और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, सुधार के ये क्षेत्र, समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रचालन प्रभावकारिता पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जहां तक यह ऐसी दो अनुषंगी कंपनियों से संबंधित है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, की प्रचालन प्रभावकारिता और पर्याप्तता पर अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, भारत में निगमित ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की तदनुरूपी रिपोर्टों के आधार पर है।

वित्तीय संसूचना के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों जहां तक इसका संबंध संयुक्त रूप से नियंत्रित एक कंपनी से हो जो भारत में निगमित एक कंपनी है, जिसकी वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की गई है, की समुचितता और प्रचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता के संबंध में इस अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट तथा इस समूह की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समुचितता और कार्यचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता के बारे में हमारी राय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि इन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी में संयुक्त रूप से नियंत्रित इस कंपनी के बारे में शामिल किए गए समूह के निवल लाभ का हिस्सा (जिसमें व्यापक आय शामिल है) और खुलासा इस समूह के लिए सही नहीं है।

इसके अतिरिक्त, समूह के वित्तीय विवरणों की हमारी रिपोर्ट में प्रयुक्त लेखापरीक्षा के परीक्षणों की प्रकृति, समय एवं सीमा के निर्धारण में ऊपर बताये गये प्रकटीकरण पर विचार किया है, तथा उपरोक्त प्रकटीकरण, समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रचालन प्रभावकारिता पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.,
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.008744एन

कृते ए.आर.एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

एस.सी. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. 082023

प्रियांशु जैन
भागीदार
सदस्यता सं.530262

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 मई, 2019

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) को साथ पढ़ते हुए धारा 143(6) (ख) के तहत 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129 (4) को साथ पढ़ते हुए धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 129 (4) को साथ पढ़ते हुए धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 24 मई, 2019 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट में व्यक्त है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129 (4) को साथ पढ़ते हुए धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है, किंतु आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड तथा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर्स की पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ ऐसा महत्त्वपूर्ण बिन्दु नहीं आया है जिसके कारण अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जानी आवश्यक हो।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और
महालेखापरीक्षक की ओर से

(राज कुमार)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड- III, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 जुलाई, 2019

प्रबंधन दल

डॉ. सुनीता सिंह
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री अशोक अवस्थी
कार्यकारी निदेशक
(प्रशासन एवं संपदा)

श्री संजीव गर्ग
कार्यकारी निदेशक
(वित्त -I)

सुश्री देबजानी चक्रवर्ती
कार्यकारी निदेशक
(स्टेट ऑपरेशंस -I / मा.सं.)

श्री आर. लक्ष्मणन
कार्यकारी निदेशक
(स्टेट ऑपरेशन्स -II)

श्री टी.एस.सी. बोष
कार्यकारी निदेशक
(कार्यक्रम प्रबंधन प्रभाग-I)

श्री जी.एस. भाटी
कार्यकारी निदेशक
(कार्यक्रम प्रबंधन प्रभाग -II)

श्री वी. के. सिंह
कार्यकारी निदेशक
(निजी क्षेत्र परियोजना प्रबंधन)

श्री अजय चौधरी
कार्यकारी निदेशक
(वित्त-II)

श्री एस.एन. गायकवाड़
कार्यकारी निदेशक
(परियोजना निगरानी/ आरईसीआईपीएमटी)

श्री जे.एस.अमिताभ
कार्यकारी निदेशक
एवं कंपनी सचिव

श्री सी. पी. भाटिया
महाप्रबंधक
(आंतरिक लेखापरीक्षा)

श्री आर.पी.वैष्णव
महाप्रबंधक एवं
सीएफओ-
आरईसीपीडीसीएल

श्री फुजैल अहमद
महाप्रबंधक
(पी एंड सी / पीएम-III)

श्री एस.एल बत्ता,
महाप्रबंधक
(विधि) एवं पीआईओ-
आरटीआई)

श्री जी.वीरा महेंदर
महाप्रबंधक
(एंटिटी अप्रेजल)

श्री पी.बाबूराज
महाप्रबंधक
(स्ट्रेस्ड एसेस्ट मैनेजमेंट)

श्री सलिल कुमार
महाप्रबंधक
(सतर्कता)

श्री पी.के. मुखोपाध्याय
महाप्रबंधक
(आईटी)

श्री राजीव सूद
महाप्रबंधक
(ऋण संवितरण/पीसीएम)

श्रीमती मालती सुदंरराजन
महाप्रबंधक
(रिकवरी/एएलएम)

श्री पी. के. सिंघल
महाप्रबंधक
(प्रशासन एवं संपदा - I)

सुश्री वल्ली नटराजन
महाप्रबंधक
(नवीकरणीय ऊर्जा)

श्री एस. के. साहू
महाप्रबंधक एवं अपर
निदेशक,
आरईसीआईपीएमटी

सुश्री तरुणा गुप्ता
महाप्रबंधक
(सीपीएमआई)

श्री हर्ष बवेजा
महाप्रबंधक
एवं वरिष्ठ
सीपीएम- जयपुर

श्री संजय कुमार
महाप्रबंधक
(सीएटी/ईसीबी/एफसी)

श्री कुलदीप राय
महाप्रबंधक
(टी एंड डी)

श्री के. के. राम
महाप्रबंधक
(परियोजना निगरानी समूह)

श्री एस.सी. गर्ग
महाप्रबंधक
(संपदा - II)

श्री विजय कुमार
महाप्रबंधक
(बॉण्ड्स/ बैंकिंग)

श्री एन. वेंकटेशन
महाप्रबंधक एवं
वरिष्ठ सीपीएम-
विजयवाड़ा

श्री एन. के. मौर्य
महाप्रबंधक एवं
वरिष्ठ सीपीएम- लखनऊ

श्री सुरेन्द्र प्रधान
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री डी.एस. खत्री
महाप्रबंधक (रिटेल
बाण्ड्स/एफसी)

श्री ए. के. त्यागी
महाप्रबंधक
(पीएसपीएम/जेनरेशन)

श्री हेमंत कुमार
महाप्रबंधक
(परियोजना निगरानी -II)

श्री पी. एस. हरिहरन
महाप्रबंधक
(पीएसपीएम/ट्रांसमिशन)

श्री जयदेव बनर्जी
महाप्रबंधक एवं
वरिष्ठ सीपीएम-
कोलकाता

श्री सौरभ रस्तोगी
महाप्रबंधक
(मा.सं./राजभाषा एवं
सीसी/पीआर)

श्री पी. पी. सिंह
महाप्रबंधक
एवं वरिष्ठ सीपीएम-
पंचकुला

श्री संजय कुलश्रेष्ठ
महाप्रबंधक
(जेनरेशन-स्टेट एवं
कोऑर्डिनेशन-सीएमडी
सचिवालय)

आरईसी के कार्यालयों के पते

क्रम.सं.	कार्यालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स्थान	पता	टेलीफोन/फैक्स नंबर	ई-मेल आईडी
	पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय	सम्पूर्ण भारत	नई दिल्ली	कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	011-43091500 011-43091501 011-24360644 (फैक्स)	reccorp@recl.in
1	क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम)	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दमन एवं दीव	मुंबई	51-बी, मित्तल टावर, 5वां तल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021	022-22830985 022-22833068 022-22833055 022-22831004 (फैक्स)	zmmumbai@recl.in
		राज्य कार्यालय (गुजरात)	वड़ोदरा	प्लाट नंबर 585, टी.पी. स्कीम सं. 2, पुष्टि कांप्लेक्स के पीछे, आत्म ज्योति आश्रम रोड, सुभानपुरा, वड़ोदरा-390023	0265-2397487 0265-2397652 (फैक्स)	povadodara@recl.in
2	क्षेत्रीययय कार्यालय (उत्तर)	पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश	पंचकुला	बे नं. 7-8,सेक्टर-2, पंचकुला-134112	0172-2563864 0172-2563822 0172-2563863 0172-2580476 0172-2567692 (फैक्स)	popanchkula@recl.in
		राज्य कार्यालय (हिमाचल प्रदेश)	शिमला	पंडित पदमदेव कमर्शियल कांप्लेक्स, फेज-II, प्रथम तल, दिरिज, शिमला-171001	0177-2653411 0177-2804077 (फैक्स)	poshimla@recl.in
3	क्षेत्रीय कार्यालय (जम्मू एवं कश्मीर)	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	157-ए, गांधी नगर, अप्सरा सिनेमा के पीछे, जम्मू-180004	0191-2450800 0191-2450868 (फैक्स)	pojammu@recl.in
4	क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर पूर्व)	असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश	गुवाहटी	"श्रद्धा" एम जी पथ- जी एस रोड, क्रॉसिंग (सोहुम/एसबीआई प्वाइंट), क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहटी-781005	0361-2343713 0361-2343714 0361-2343712 (फैक्स)	poguwahati@recl.in
		राज्य कार्यालय (मेघालय)	शिलांग	जनलिन विला, हॉपकिंसंस रोड, लोवर लाचूमियर, शिलांग-793001	0364-2210190 0364-2225687 (फैक्स)	poshillong@recl.in
		राज्य कार्यालय (अरूणाचल प्रदेश)	ईटानगर	डिकिलिंग अपार्टमेंट (बंगला नं. 11 के नीचे केयर ऑफ टोपिएट) वार्ड नं. 8, नीति विहार, वीआईपी रोड, ईटानगर-791111	0360-2215446	rec.arunachal@gmail.com
		क्षेत्रीय कार्यालय (मणिपुर)	इम्फाल	सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के सामने दूसरा तल चिंगमिरांग ममंग लेइकल इम्फाल-दीमापुर रोड, इम्फाल पूर्वी इम्फाल-795001	0385-2421651 +91-9436733689	romanipur@gmail.com
5	क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य)	उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	लखनऊ	19/8 इंदिरा नगर एक्सटेंशन, रिंग रोड, लखनऊ -226016	0522-2716324 0522-2717376 0522-4074944 0522-2716815 (फैक्स)	zmlucknow@recl.in
		राज्य कार्यालय (उत्तराखंड)	देहरादून	7, न्यू रोड, एमकेपी कॉलेज के सामने, देहरादून-248001	0135-2650766 0135-2650799 (फैक्स)	sodehradun@recl.in recsoddn@gmail.com
		उप कार्यालय (वाराणसी)	वाराणसी	एन-8/239जे, नेवादा, सुंदरपुर, क्षीर सागर के पास वाराणसी-221005	+91-9795178616	recvaranasi@gmail.com

क्रम.सं.	कार्यालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स्थान	पता	टेलीफोन/फैक्स नंबर	ई-मेल आईडी
6	क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश	भोपाल	हाल नं. 3, वेस्ट ब्लॉक, दूसरा तल, मेट्रो वाक, बिट्टन मार्केट, भोपाल -462016	0755-2460006 0755-2460008 (फैक्स)	reccentralzone@yahoo.com recbhopal@recl.in
7	क्षेत्रीय कार्यालय (छत्तीसगढ़)	छत्तीसगढ़	रायपुर	एफ-6 एवं एफ-7 ब्लॉक बी-1, प्रथम तल पुजारी चैंबर्स, कमर्शियल कांप्लेक्स, पंचपेडी नाका, रायपुर- 492001	0771-2241055 0771-2241055 (फैक्स)	recraipur@recl.in recraipur@yahoo.com
8	क्षेत्रीय कार्यालय (पूर्व)	पश्चिम बंगाल, सिक्किम त्रिपुरा, अंडमान एडं निकोबार	कोलकाता	आईबी-186, सेक्टर- ।।। साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700106	033-23356989 033-23356994 033-23326998 033-23356900 (फैक्स)	zmkolkata@recl.in
9	क्षेत्रीय कार्यालय (राजस्थान)	राजस्थान	जयपुर	जे-4-ए झालाना, डूंगरी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर-302004	0141-2707840 0141-2700161 0141 2706986 (फैक्स)	pojaipur@recl.in recrojpr@gmail.com
10	क्षेत्रीय कार्यालय (केरल)	केरल एवं लक्षद्वीप	तिरूवनंतपुरम	ओ-5, चौथा तल, ''सफालयम'' कमर्शियल कांप्लेक्स, टीआरआईडीए भवन पलायम, तिरुवनंतपुरम- 695034	0471-2328662 0471-2328579 (फैक्स)	potrivandrum@recl.in cpmchennai@yahoo.com
11	क्षेत्रीय कार्यालय (तमिलनाडु)	तमिलनाडु एवं पुदुचेरी	चेन्नई	नं. 12 एवं 13, टी.एन.एच.बी. कांप्लेक्स, 180 लूज चर्च रोड, मायलापुर, चेन्नई -600004	044-24672376 044-24670595 (फैक्स)	pochennai@recl.in
12	क्षेत्रीय कार्यालय (कर्नाटक)	कर्नाटक एवं गोवा	बंगलुरु	नं 1/5, रोड, अलसूर रोड, बंगलुरु560042	080-25598244 080-25550240 080-25598243 (फैक्स)	zobangalore@recl.in
13	क्षेत्रीय कार्यालय (तेलंगाना)	तेलंगाना	हैदराबाद	शिवरामपल्ली, पोस्ट एनपीए, आरामघर एक्स रोड के पास, हैदराबाद - 500052	040-29805034 040-29804520 040-29806745 040-29804235 (फैक्स)	zmhyderabad@recl.in reclpohyd@gmail.com
14	क्षेत्रीय कार्यालय (आंध्र प्रदेश)	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा/ अमरावती	54-15-13, बीएसआर हिल व्यू, दूसरा तल श्रीनिवास नगर बैंक कालोनी, विजयवाड़ा-520008	0866-2973405 0866-2973406 (फैक्स)	recro-vijay@recl.in recro.vijayawada@gmail.com
15	क्षेत्रीय कार्यालय (ओडिशा)	ओडिशा	भुवनेश्वर	दीनदयाल भवन, 5वां तल, अशोक नगर, जनपथ, भुवनेश्वर-751009	0674-2393206 0674-2536649 0674-2536669 (फैक्स)	pobhubaneswar@recl.in repo.bbsr@yahoo.co.in
16	क्षेत्रीय कार्यालय (बिहार)	बिहार	पटना	'मौर्य लोक' कांप्लेक्स, ब्लॉक- सी, चौथा तल, न्यू डाक बंगला रोड, पटना - 800001	0612-2224596 0612-2221131	popatna@recl.in popatna@yahoo.co.in
17	क्षेत्रीय कार्यालय (झारखंड)	झारखंड	रांची	101 और 104, ओम श्री इंक्लेव, लोयला स्कूल के बगल में, एयरपोर्ट रोड, हिनू, रांची-834002	0651-2253123 0651-2251320 (फैक्स)	poranchi@recl.in rec_ranchi@yahoo.com
18	प्रशिक्षण केंद्र	आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉवर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी	हैदराबाद	शिवरामपल्ली, एनपीए पोस्ट, आरामघर एक्स रोड के पास, हैदराबाद-500052	040-29880851 040-29805901 040-29805897 040-29805896 (फैक्स)	recipmt@recl.in recipmt@gmail.com

असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

आरईसी लिमिटेड

(पूर्व में रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 **सीआईएन:** L40101DL1969GOI005095

दूरभाष: +911124365161 **फैक्स:** +91 11 24360644 **ई-मेल:** complianceofficer@recl.in **वेबसाइट:** www.recindia.com

उपस्थिति प्रपत्र

मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली छावनी, दिल्ली -10010 में, बृहस्पतिवार, 29 अगस्त, 2019 को प्रात: 11.00 बजे आयोजित होने वाली 50वीं वार्षिक आम बैठक

उपस्थित होने वाले सदस्य का नाम (पूरा और स्पष्ट)	
*फोलियो सं.	
डीपी आईडी सं.	
क्लाईंट आईडी सं.	
धारित शेयरों की सं.	
प्रॉक्सी का नाम (पूरा और स्पष्ट) यह तब भरा जाना है जब सदस्य के स्थान पर उसका प्रॉक्सी बैठक में उपस्थित हो रहा हो)।	

मैं/हम, एतद्द्वारा **बृहस्पतिवार, 29 अगस्त, 2019 को प्रात: 11.00 बजे मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली छावनी, दिल्ली -110 010** में आयोजित की जाने वाली 50वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ/करते हैं।

*भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में लागू।

सदस्य / प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

टिप्पणियां:

1. उपस्थिति प्रपत्र पर हस्ताक्षर, कार्वी फिनटेक कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आर एंड टीए)/डिपॉजिटरी पार्टनर (डीपी) के पास पंजीकृत हस्ताक्षर के नमूने के अनुसार किए जाने चाहिए। इस प्रकार विधिवत पूर्ण तथा हस्ताक्षरित प्रपत्र (पर्चियां) एजीम स्थल पर आरटीए काउंटर (रों) पर जमा करनी होंगी जिसके बदले में आर एंड टीए द्वारा प्रवेश पत्र दिया जाएगा। सभागार में प्रविष्टि सिर्फ आर एंड टीए द्वारा दिए गए प्रवेश कार्ड के आधार पर ही होगी। स्वयं उपस्थित हो रहे सदस्य तथा प्रॉक्सी धारक कृपया पहचान/सत्यापन के लिए अपना फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आएं। 2. केवल स्वयं उपस्थित हो रहे शेयरधारकों को या उनके पंजीकृत प्रॉक्सी को ही प्रवेश दिया जाएगा। 3. कठोर सुरक्षा कारणों से, सभागार के अंदर मोबाइल फोन, ब्रीफकेस, खाने-पीने का तथा अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। शेयरधारक(कों)/प्रॉक्सी धारक(कों) को अपने सभी सामान की देखभाल स्वयं करनी होगी। 4. वार्षिक आम बैठक में किसी तरह के उपहार या कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।

असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

आरईसी लिमिटेड

(पूर्व में रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 **सीआईएन:** L40101DL1969GOI005095 **दूरभाष:** +911124365161

फैक्स: +91 11 24360644 **ई-मेल:** complianceofficer@recl.in **वेबसाइट:** www.recindia.com

प्रॉक्सी प्रपत्र (प्रपत्र सं. एमजीटी-11)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में]

सदस्य (यों) का नाम:	फोलियो सं. / डीपी आईडी-क्लाईंट आईडी:
पंजीकृत पता:	
धारित शेयरों की संख्या:	ई-मेल आईडी:

मैं/हम, उक्त नामक कंपनी के ..... शेयरों का सदस्य होने के नाते, एतद्द्वारा:

1.	नाम:		
	पता:	हस्ताक्षर	
	ई-मेल आईडी:		
अथवा उनके न आने पर			
2.	नाम:		
	पता:	हस्ताक्षर	
	ई-मेल आईडी:		
अथवा उनके न आने पर			
3.	नाम:		
	पता:	हस्ताक्षर	
	ई-मेल आईडी:		

मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली छावनी, दिल्ली -110 010 में, बृहस्पतिवार, 29 अगस्त, 2019 को प्रात: 11.00 बजे आयोजित होने वाली कंपनी की 50वीं वार्षिक आम बैठक और इस संबंध में किसी भी स्थगन के संदर्भ में भाग लेने तथा आगे निर्दिष्ट कारोबार के संबंध में मत डालने (मतदान में) के लिए मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रुप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं/करती हूं:

ईवीईएन (ई- वोटिंग इवेंट नंबर)	यूजर आईडी	पासवर्ड/पिन

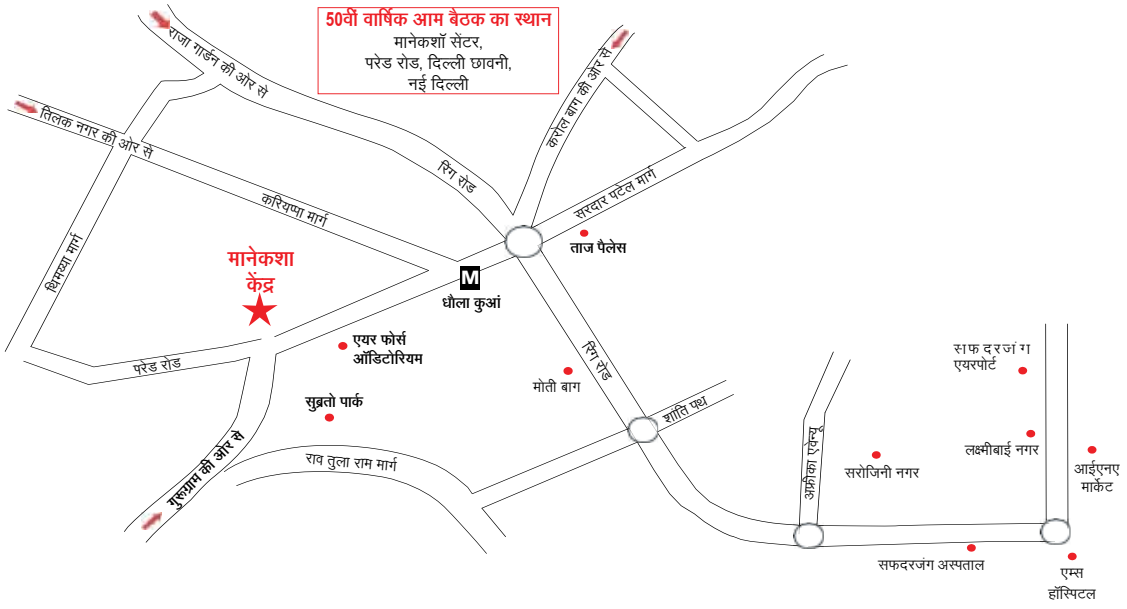

क्र.सं.	विवरण
सामान्य कारोबार	
1.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरणों को और उन पर निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों को प्राप्त करना, विचार करना, अनुमोदित करना तथा अंगीकृत करना।
2.	वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना।
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल (डीआईएनः 02231613) के स्थान पर किसी निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के नाते इन्होंने अपनी पुनः-नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है।
4.	वित्त वर्ष 2019-20 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना।
विशेष कारोबार	
5.	प्रतिभूतियों के प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए अनुमोदन लेना।
6.	कंपनी द्वारा प्रविष्ट किए जाने वाले प्रस्तावित संबंधित पार्टी लेन-देन के लिए अनुमोदन लेना।

आज, दिनांक ..... 2019 को हस्ताक्षरित हुआ।

शेयरधारक के हस्ताक्षर ..... प्रॉक्सी धारक(कों) के हस्ताक्षर .....

यहां ₹ 1/- का राजस्व टिकट लगाएं

टिप्पणियां:

(1) प्रॉक्सी का यह प्रपत्र तभी मान्य होगा जब इसे विधिवत रुप से पूरा भरकर बैठक के आरंभ होने से न्यूनतम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कर दिया जाएगा।

(2) यह आवश्यक नहीं कि प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य हो।

(3) एक व्यक्ति अधिकतम पचास सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रुप में कार्य कर सकता है और इनके पास कुल मिलाकर कंपनी की शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं होंने चाहिए। कंपनी की कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वाला व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को ही प्रॉक्सी के रुप में नियुक्त कर सकता है तथा ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक की ओर से प्रॉक्सी के रुप में कार्य नहीं करेगा।

आर ई सी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

आरईसी लिमिटेड

(पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)

(भारत सरकार का एक उद्यम)

कोर-4, स्कोप काम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003, टेली.:24365161, फैक्स: 24360644 ई-मेल: reccorp@recl.nic.in,
वेबसाइट: www.recindia.nic.in, सीआईएन: L40101DL 1969GOI005095

@officialrec @reclimited reclimited reclimited

www.sapprints.com